

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2018-19

₹10 लाख करोड़
के पार
वैश्विक कारोबार

Global Business
Crosses
₹10 Lakh Crore

कल के
संपर्क में!
In touch with
tomorrow!

केनरा बैंक
भारत सरकार का उपक्रम



Canara Bank

A Government of India Undertaking

Together We Can

निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS



श्री टी.एन. मनोहरन
अध्यक्ष
Shri T.N. MANOHARAN
CHAIRMAN



श्री आर.ए. शंकर नारायणन
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (15.04.2019 से)
Shri R.A. SANKARA NARAYANAN
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER (from 15.04.2019)



श्री एम.वी. राव
कार्यपालक निदेशक
Shri M.V. RAO
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक
Shri DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR



सुश्री ए. मणिमेखलई
कार्यपालक निदेशक (11.02.2019 से)
Ms. A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR (from 11.02.2019)



श्री सुचीन्द्र मिश्रा
प्रतिनिधि निदेशक भारत सरकार
Shri SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR REPRESENTING
GOVERNMENT OF INDIA



श्री आर. केशवन
प्रतिनिधि निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक (26.04.2019 से)
Shri R. KESAVAN
DIRECTOR REPRESENTING
RESERVE BANK OF INDIA (from 26.04.2019)



श्री कृष्णमूर्ति एच.
शेयरधारक निदेशक
Shri KRISHNAMURTHY H.
SHAREHOLDER DIRECTOR



श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
शेयरधारक निदेशक
Shri VENKATACHALAM
RAMAKRISHNA IYER
SHAREHOLDER DIRECTOR

निदेशक जो अवधि के दौरान कार्यालय से मुक्त हुए Directors Demitted Office during the period



श्री रकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (31.07.2018 को)
Shri RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER
(on 31.07.2018)



श्रीमती पी. वी. भारती
कार्यपालक निदेशक (31.01.2019 को)
Smt P. V. BHARATHI
EXECUTIVE DIRECTOR (on 31.01.2019)



श्रीमती उमा शंकर
प्रतिनिधि निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक (26.04.2019 को)
Smt UMA SHANKAR
DIRECTOR REPRESENTING
RESERVE BANK OF INDIA (on 26.04.2019)



वार्षिक रिपोर्ट
2018-2019
ANNUAL REPORT



वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

विषयवस्तु	
1. नोटिस	3
2. प्रगति की झलक	42
3. निदेशकों की रिपोर्ट 2018-2019	43
• प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण	44
• केनरा बैंक वर्ष 2018-2019 में	51
• निदेशक मंडल में परिवर्तन	103
• निदेशकों के दायित्व वक्तव्य	105
• सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	107
4. कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	113
5. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	141
• निदेशकों की गैर – अयोग्यता का प्रमाण पत्र	171
6. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	174
7. एकल वित्तीय विवरण	
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	177
• असंशोधित विचार के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा	188
• सीईओ / सीएफओ प्रमाणन – सेबी (एलओडीआर) विनियामक, 2015 का विनियम 17 (8)	189
• तुलन पत्र	191
• लाभ व हानि खाता	192
• तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	193
• लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	201
• लेखांकन नीतियाँ	203
• लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	214
• स्तंभ 3 (बासेल III) प्रकटन	276
• नकद प्रवाह विवरण	278
8. समेकित वित्तीय विवरण	
• लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	282
• असंशोधित विचार के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा	293
• सीईओ / सीएफओ प्रमाणन – सेबी (एलओडीआर) विनियामक, 2015 का विनियम 17 (8)	294
• समेकित तुलन पत्र	296
• समेकित लाभ व हानि खाता	297
• समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	298
• समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	305
• लेखांकन नीतियाँ	307
• समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	321
• समेकित नकद प्रवाह विवरण	334
9. नामांकन पत्र	336
10. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास	348
11. प्रॉक्सी फार्म	350

ANNUAL REPORT 2018-2019

CONTENTS

1. NOTICE	3
2. PROGRESS AT A GLANCE	42
3. DIRECTORS' REPORT 2018-2019	43
• MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	44
• CANARA BANK IN 2018-2019	51
• CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS	103
• DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT	105
• SECRETARIAL AUDIT REPORT	107
4. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT	113
5. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE	141
• CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS	172
6. AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE	174
7. STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS	
• AUDITORS' REPORT	177
• DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION	188
• CEO/CFO CERTIFICATION – REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015	189
• BALANCE SHEET	191
• PROFIT AND LOSS ACCOUNT	192
• SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET	193
• SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT	201
• ACCOUNTING POLICIES	203
• NOTES ON ACCOUNTS	214
• PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES	277
• CASH FLOW STATEMENT	278
8. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	
• AUDITORS' REPORT	282
• DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION	293
• CEO/CFO CERTIFICATION – REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015	294
• CONSOLIDATED BALANCE SHEET	296
• CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	297
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET	298
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	305
• ACCOUNTING POLICIES	307
• NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	322
• CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT	334
9. NOMINATION FORM	337
10. ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	349
11. PROXY FORM	351



नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक, बृहस्पतिवार, 25 जुलाई, 2019 को प्रातः 10.30 बजे ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर - 560 001 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है :

1. यथा 31 मार्च, 2019 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, समापन वर्ष 31 मार्च, 2019 हेतु लाभ व हानि लेखा, तुलन-पत्र व लेखा पर लेखा व ऑडिटर के रिपोर्ट द्वारा प्रावरित अवधि हेतु बैंक की कार्रवाई व गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर परिचर्चा करना, उसे अनुमोदित करना व अंगीकृत करना ।
2. इसे विचारार्थ लेना एवं यदि सही पाया गया तो संशोधन सहित या संशोधन रहित, निम्न विशेष संकल्पों को पारित करना :

"संकल्प लिया जाता है कि "बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और समय-समय पर संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ("आर बी आई"), भारत सरकार ("जी ओ आई"), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड ("सेबी") और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2018 (आई सी डी आर विनियमावली) / दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा सभी संबद्ध प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किये गये सूचीकरण करार के अधीन, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयरों का सूचीकरण किया गया है, एतद्द्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद "निदेशक मंडल" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की

NOTICE

Notice is hereby given that the Seventeenth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Thursday, the 25th July, 2019 at 10.30 A.M. at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru - 560 001, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2019, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2019, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To consider and if thought fit, to pass the following special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications / circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers



गयी या आगे की जाने वाली कोई समिति भी शामिल है) को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से फर्म को आवंटन / प्रतिस्पर्धी आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज / नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत् या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान श्रेणियों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान श्रेणियों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तों एवं निबंधनों जिनके अधीन अधिमान श्रेणियों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं तथा / अन्य अनुमत प्रतिभूतियां जो ईक्विटी में परिवर्तित होने में सक्षम हैं या नहीं, कुल राशि ₹6000 करोड़ से अधिक नहीं है (केवल छ हजार करोड़ रुपए), ऐसे प्रीमियम को सम्मिलित करना, जो ईक्विटी श्रेणियों पर ऐसे समय या समय पर तय किए जा सकते हैं, जैसे कि कीमत या कीमतों में, छूट पर या किसी संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार प्राधिकृत पूंजी की संवर्धित मात्रा तक जिसे भविष्य में इस प्रकार अधिनियमित किया जा सकता है कि केन्द्र सरकार के पास हमेशा बैंक की चुकता पूंजी 52% से कम नहीं होगी, जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय ("एन आर आई"), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों ("व्यू आई बी") जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफ आई आई") या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी श्रेणियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बढ़ा या प्रीमियम सहित होगी।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना, निजी प्लेसमेंट / अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (व्यूआईपी) या भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीका के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2018

including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and / or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, for an aggregate amount not exceeding ₹6000 Crore (Rupees Six Thousand Crore only), inclusive of such premium as may be fixed on the Equity Shares at such time or times, at such price or prices, at a discount or premium to market price or prices in one or more tranches in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, including to one or more of the members, employees of the Bank by way of ESPS, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity / preference shares / securities of the Bank as per extant regulations / guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on public issue, rights issue, Private Placement / Qualified Institutional Placement (QIP) / or any other mode approved by GOI / RBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018



“आई सी डी आर विनियमावली”) एवं भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि जहां आवश्यक हो लीड प्रबंधक और / या हामीदार और अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आई सी डी आर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समिति का होगा जो आई सी डी आर नियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि तत्संबंधी सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रूप से "समुचित प्राधिकारी" कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और या / मंजूरी के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर अधिपत्रों को छोड़कर ईक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या इसके साथ विनियम योग्य हो, इस प्रकार जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VI के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन दस्तावेज और / या अन्य किसी दस्तावेजों/प्रलेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और इस

“ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and / or underwriters and / or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and / or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and / or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VI of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP),



तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित आई सी डी आर विनियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यू आई बी) (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली में परिभाषित है) की तुलना में केंद्र सरकार किसी भी समय बैंक की ईक्विटी पूंजी का 52% से कम धारित न करता हो।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VI के अनुसरण में

- क) पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VI के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा या समय-समय पर आईसीडीआर विनियमों के तहत अनुमति दी जा सकती है।
- ख) बैंक आई सी डी आर विनियमावली के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से कम न हो, पर शेर आबंटित करने के लिए प्राधिकृत है।
- ग) आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार प्रतिभूतियों के आधारित मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि होगी।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेर सूचीबद्ध है या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए ईक्विटी शेर / अधिमध्य शेर / प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएंगे और ये बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित

as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”.

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations

- a) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutions Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.
- b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.
- c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI/ SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / preference shares / securities if any, to NRIs, FIIs and / or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared,



सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या ईक्विटी शेयर / अधिमान शेयर / प्रतिभूतियों को आवंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी है, प्रत्येक श्रृंखला में आवंटित किए जाने वाले शेयर / प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामलों और चीजों और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझें तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार की सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को किसी भी बुक रनर, लीड प्रबंधकों, बैंकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, जमाकर्ताओं, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के ईक्विटी / अधिमान शेयरों / प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा नियुक्त अग्रणी प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और/या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आवंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रृंखला में आवंटित किये जाने वाले शेयर, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो तो, प्रीमियम सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि/प्रतिभूतियों के रूपांतरण / अधिपत्रों का प्रयोग / प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज की दर, शोधन अवधि, ईक्विटी शेयर / अधिमान शेयर या प्रतिभूतियों

if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / preference shares / securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares / securities are to be allotted, number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue / conversion of Securities / exercise of warrants / redemption of Securities, rate of interest, redemption



के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किस्त या बट्टा / प्रतिभूतियों का रूपांतरण, ब्याज की दर, रूपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक पर बट्टा, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों / प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी शेयरों / प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन मांगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत ज़रूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके ज़रिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक / कों या निदेशकों की समिति या ऐसे अन्य अधिकारी/(रियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

3. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्राहण व अंतरण) अधिनियम 1970 (इसे आगे "अधिनियम" कहा गया) की धारा 9(3) (i) के साथ पठित बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक [प्रबंधन और विविध प्रावधान] योजना, 1970 (इसे आगे "योजना" कहा गया) और केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2000 (इसे आगे "विनियम" कहा गया) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना-डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01 नवम्बर 2007, डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई,

period, number of equity shares / preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue / conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions.”

3. To elect two Directors from amongst Shareholders of the Bank other than the Central Government, in respect of whom valid nominations have been received, in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the “Act”) read with The Banking Regulation Act, 1949 and Nationalised Banks {Management & Miscellaneous Provisions} Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the “Scheme”) and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000(hereinafter referred to as the “Regulations”) and Notifications No. DBOD.No. BC.No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007



2011, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं 16/83/2013-बीओ-1 दिनांक 03.09.2013 एवं फा. सं 16/51/2012-बीओ-1 दिनांक 28.04.2015 एवं 20.07.2016 के क्रम में अधोलिखित संकल्प पारित करने के द्वारा, केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से दो निदेशकों का चुनाव करना, जिनके संबंध में वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं:-

"संकल्प किया जाता है कि तन्निहित योजना और विनियमों के साथ पठित धारा 9(3) (i) के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकारके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना एवं भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन के क्रम में बैंक के शेयरधारकों में से 2 निदेशक चुने गये और 27 जुलाई, 2019 से कार्यभार ग्रहण करके ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि समाप्त होने तक (अर्थात् 26 जुलाई, 2022) तक कार्यभार ग्रहण करने के लिए नियुक्त किये जाएं।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

आर.ए. शंकर

आर ए शंकर नारायणन

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 18-06-2019

read with No. DBOD.BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification"), Office Memorandum ref no. F.No. 16/83/2013-BO-I dated 03.09.2013 & F.No.16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 & 20.07.2016 of Government of India (GOI) by passing the following resolution: -

"RESOLVED THAT two Directors elected from amongst shareholders other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations and Notifications made thereunder, RBI Notifications and Office Memorandum of GOI, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 27th July, 2019 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption (i.e., up to 26th July, 2022)"

By Order of the Board of Directors

आर.ए. शंकर

R A SANKARA NARAYANAN
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 18-06-2019

टिप्पणियां

1. व्याख्यात्मक वक्तव्य:

प्रदत्त पूँजी जुटाने से संबंधित मद संख्या 2 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को स्थापित करने वाले व्याख्यात्मक विवरण और निदेशकों के चुनाव के संबंध में नोटिस की मद संख्या 3 के बारे में वास्तविक तथ्यों को दर्शानेवाला व्याख्यात्मक वक्तव्य नीचे दिया गया है।

2. प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखनेवाले शेयरधारक को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि की नियुक्ति करने का अधिकार है और ऐसा प्रतिनिधि बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधित्व फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे वार्षिक आम बैठक की तारीख की समाप्ति से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात् शनिवार, 20 जुलाई 2019 को बैंक के समापन समय पर या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा किया जाए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बैंक के शेयरधारक कंपनी या अन्य किसी भी कॉर्पोरेट निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने व मत देने का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल तभी होगा जब उसे विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में वह संकल्प पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि के रूप में, बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 20 जुलाई 2019 को बैंक के समापन समय पर या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा की जाती है।

4. पंजीकरण:

बैठक में भाग ले रहे शेयरधारकों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बैठक स्थान में दिनांक बृहस्पतिवार 25 जुलाई 2019 को प्रातः 9.00 बजे से शुरू होगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैठक में समय से पूर्व उपस्थिति रहें।

5. उपस्थिति पर्ची:

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची – सह प्रविष्टि पास को इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों / प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें व उसमें दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें व उसे उसी स्थान पर प्रस्तुत करें। शेयरधारकों के प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधि पर "प्रतिनिधि" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 2 of the Notice regarding Raising of Paid up Capital and Item No. 3 of the Notice regarding Election of Directors are annexed below.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy Form in order to be effective must be lodged at the Head Office of the Bank, not less than Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Saturday, the 20th July, 2019.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him / her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank, not less than four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on Saturday, the 20th July, 2019.

4. REGISTRATION:

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 9.00 a.m. on Thursday, the 25th July, 2019 at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

5. ATTENDANCE SLIP:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders / Proxy Holders / Authorised Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein, and surrender the same at the venue. Proxy / Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised



मामला हो उसका उल्लेख उपस्थिति पर्ची में करें। शेयरधारक / प्रोक्सिधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश, जहाँ आवश्यक हो, सत्यापन / जाँच के अधीन होगा और उन्हें सूचना दी जाती है कि वे अपने साथ पहचान के मान्य सबूत लाएं मसलन – मतदाता पहचान कार्ड / नियोक्ता पहचान कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि। बैठक स्थान में प्रवेश की अनुमति केवल उपस्थिति वैध पर्ची – सह – प्रविष्टि पास के आधार पर दी जायेगी।

6. शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क:

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें।

कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : केनरा बैंक

कार्वी सेलीनियम टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31-32

गाचीबौली, वित्तीय जिला, नानाकरामगुड्डा

हैदराबाद – 500 032

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई-मेल पता शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (उपर्युक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित/पंजीकृत करें।

अभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि उपर्युक्त परिवर्तन केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को ई-मेल आईडी पर सूचित करें।

7. लाभांश का भुगतान / भुगतान की शर्तें:

बैंक ने वर्ष 2018-19 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया है क्योंकि विनियोग के बाद लाभांश वितरण के लिए शुद्ध लाभ उपलब्ध नहीं है।

शेयरधारकों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियां शुक्रवार, 19 जुलाई, 2019 से गुरुवार, 25 जुलाई 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) वार्षिक आम बैठक के सिलसिले में बंद रहेंगे।

8. फोलियो का समेकन:

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों की खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी धारण का एक खाते में समेकन किया जा सके।

Representative' as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid Attendance Slip-cum-Entry Pass.

6. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

Karvy Fintech Pvt. Ltd

Unit : Canara Bank

Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda

HYDERABAD – 500 032

Further, the shareholders are advised to inform / register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

7. PAYMENT OF DIVIDEND / CLOSURE OF BOOKS:

The Bank has not declared any dividend for the year 2018-19 since Net profit is not available for distribution of Dividend after appropriation.

The Register of shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Friday, the 19th July, 2019 to Thursday, the 25th July 2019 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

8. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate Karvy Fintech Pvt. Ltd, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates

आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद सदस्यों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे।

9. अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो:

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधियों का लाभांश प्राप्त नहीं किया है यथा, वर्ष 2011-12 से 2014-15 और 2016-17 तक, उनसे अनुरोध है कि वे पूनर्मूल्यांकन / डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंक ने शेयर अंतरणकर्ता एजेंट / या बैंक के साथ hosecretarial@canarabank.com. में दावे करने हेतु शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए अदावी / अप्रदत्त लाभांश वारंट संबंधी विवरण इनके वेबसाइट www.canarabank.com में पोस्ट किया है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में नये रूप से अंतर्विष्ट धारा 10बी के अनुसार सात साल से भुगतान न किये गये या दावा न किये गये लाभांश की रकम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उसके बाद बैंक या आईईपीएफ के नाम भुगतान के लिए कोई भी दावा नहीं किया जा सकता। बैंक 28 जुलाई, 2019 को कथित निधि में अदावाकृत / अप्रदत्त लाभांश राशि को वर्ष 2011-12 हेतु अंतरित करने की प्रक्रिया में है।

10. वार्षिक रिपोर्ट:

शेयरधारक / प्रतिनिधित्वधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां ले आएँ। कृपया यह नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की संपूर्ण प्रति बैंक के वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोड है। शेयरधारक वेबसाइट से इसके पठनीय संस्करण को डाउनलोड कर सकते हैं।

11. शेयरधारकों का मतदान अधिकार:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास स्थित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। कार्यसूची मद संख्या 1 और 2 के संबंध में वोटिंग कट आफ / निर्दिष्ट तिथि 18.07.2019 और कार्यसूची मद संख्या 3 के संबंध में 21.06.2019 को है।

will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

9. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods i.e., for the years from 2011-12 to 2014-15 & 2016-17, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants.

The Bank has posted the details of the Unclaimed/ Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 125 of the Companies Act, 2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed / Unpaid Dividend amount for the year 2011-12 to the said fund on 28th July, 2019.

10. ANNUAL REPORT:

Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. Please note that the full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Shareholders may download the readable version of the same from the website.

11. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. The cutoff date / specified date for determination of voting rights with regard to Agenda Item No. 1 & 2 is 18.07.2019 and with respect to Agenda Item No. 3 is 21.06.2019.



12. ई-वोटिंग:

बैंक को प्रसन्नता है कि वह बैंक के शेयरधारकों को नोटिस में दिए गए मर्दानों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के संबंध में सभी शेयरधारकों को एक अलग संसूचना / नोटिस भेजा जा रहा है।

13. बैठक में मतदान:

कार्यसूची के सभी मर्दानों पर चर्चा होने के बाद अध्यक्ष सभी मर्दानों के लिए मतदान करने का आदेश देंगे। इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए जाँचकर्ताओं द्वारा मतदान का आयोजन व पर्यवेक्षण किया जाएगा। ई-वोटिंग के नतीजों के साथ मतदान के नतीजों की घोषणा बैंक द्वारा उसकी वेबसाइट पर की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

नोटिस की मद संख्या 2 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य:

1. बैंक की वर्तमान ईक्विटी पूंजी ₹753.24 करोड़ और 31 मार्च, 2019 को बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.90% है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 10.875% से अधिक है। हालांकि, बैंक की कुछ विस्तार योजनाओं, बेसल III मानदंडों के कार्यान्वयन, और परिणामस्वरूप पूंजी प्रभार के मद्देनजर पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत करने के लिए पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है।
2. बैंक ने अपनी 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक 26.07.2018 को आयोजित की थी, जिसमें क्वालिफाइड इस्टीमेटेशन प्लेसमेंट और ईएसपीएस सहित विभिन्न मोड के माध्यम से 7000 करोड़ रुपये (प्रीमियम सहित) के ईक्विटी शेयरों के नए निर्गम के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था।
3. वर्ष 2018-19 के लिए 7000 करोड़ रुपये की कुल पूंजी जुटाने की योजना में, बैंक ने 06.02.2019 को केनरा बैंक - कर्मचारी शेयर क्रय योजना (केनबैंक-ईएसपीएस) के चरण-1 के तहत पात्र कर्मचारियों के लिए 10 रुपये के 2 करोड़ ईक्विटी शेयर जारी किए। यद्यपि बैंक ने योग्यता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट या अन्य अनुमोदित मोड के माध्यम से पारित किए गए संकल्प की सीमा तक पूंजी जुटाने की योजना बनाई, लेकिन विभिन्न कारणों से यह मुद्दा पूरा नहीं हो सका। चूंकि 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक में प्राप्त प्रस्तावों की वैधता क्यूआईपी के लिए एक वर्ष तक सीमित है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल ने फॉलो-ऑन इश्यू, राइट इश्यू, सरकारी और वित्तीय संस्थानों के लिए अधिमन्य मुद्दे, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट, ईएसपीएस और अन्य मोड मोड सहित विभिन्न माध्यमों से 6000 करोड़ रुपये (प्रीमियम सहित) की सीमा तक पूंजी बढ़ाने का फैसला किया है।

12. e-Voting:

The Bank is pleased to provide Remote e-Voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. A separate communication/ Notice are being sent to all the shareholders to enable them to cast their votes through e-Voting.

13. VOTING AT THE MEETING:

After all the agenda items are discussed, the Chairman will order Voting in respect of all the items. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. The Results of the Voting aggregated with the Results of e-Voting will be announced by the Bank on its Website and also informed to the Stock Exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 2 OF THE NOTICE:

1. The current Equity Capital of the Bank is ₹753.24 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2019 is 11.90%, which is well above the 10.875% stipulated by the Reserve Bank of India. However, in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.
2. The Bank had at its 16th AGM held on 26.07.2018 passed a special resolution for fresh issue of equity shares of upto ₹7000 Crore (including premium) by way of various modes including Qualified Institutional Placement and ESPS.
3. Out of the total capital raising plan of ₹7000 Crore for the year 2018-19, the Bank issued 2 Crore equity shares of ₹10 each to eligible employees under Tranche - I of the Canara Bank-Employee Share Purchase Scheme (CanBank ESPS) on 06.02.2019. Though Bank planned to raise capital to the extent of resolution passed, by way of Qualified Institutional Placements or other approved modes, the issue could not be completed for various reasons. As the validity of the resolutions obtained in the 16th AGM is restricted to one year for QIPs. The Board of Directors of the Bank have decided to raise Capital to the extent of ₹6000 Crore (including premium) during the financial year 2019-20 through various modes including Follow-on Issue, Right Issue, Preferential Issue to Government and Financial Institutions, Qualified Institutional Placement / ESPS and other permitted mode of raising capital.

4. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) अनुसार बैंक प्रदत्त पूंजी को संवर्धित करने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यद्यपि, केन्द्र सरकार हर समय बैंक की प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 52% अनुरक्षित रखेगा।
5. सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) यह प्रावधान करता है कि जब भी बैंक द्वारा कोई इश्यू या प्रस्ताव दिया जाए तो मौजूदा शेयरधारकों को तब तक यही आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये जब तक कि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न ले। कथित संकल्प यदि पारित होता है तो बैंक की ओर से बोर्ड को यह अनुमति प्रदान करेगा कि मौजूदा शेयरधारकों को अन्यथा आनुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करें।
6. संकल्प, बैंक को सार्वजनिक इश्यू पर अनुसरण द्वारा, अधिकार इश्यू और / या निजी प्लेसमेंट के आधार पर या भारत सरकार / भारि.बै. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यम द्वारा ईक्विटी शेयर / अधिमानी शेयर / प्रतिभूति निर्मित, प्रदान व आबंटित करने हेतु सक्षम करने की मांग करता है। इश्यू आगम बैंक को समय-समय पर भारि.बै. द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता को सशक्त करने में सक्षम करेगा।
7. आगे, आईसीडीआर विनियमनों द्वारा परिभाषित अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत प्लेसमेंट करने हेतु संकल्प निदेशक मंडल को सशक्त करने की मांग करता है। निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में शेयरधारकों से नए अनुमोदन की मांग किये बगैर बैंक हेतु निधि उगाही के लिये आईसीडीआर विनियमनों के अध्याय VI के तहत निर्धारित अनुसार इस तंत्र को अपना सकता है।
आईसीडीआर विनियमनों के अध्याय VI अनुसार क्यूआईपी इश्यू के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी की जा सकती है, जिसका मूल्य "प्रासंगिक तिथि" के बाद के दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत शेयर के समापन मूल्य के साप्ताहिक उच्च व निम्न के औसत से कम न हो। "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ है उस बैठक की तिथि जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी इश्यू खोलने का निर्णय लेती है।
8. प्रस्ताव हेतु विस्तृत नियम व शर्तें प्रचलित बाजार परिस्थिति व अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकार, लीड प्रबन्धकों व हामीदार व ऐसे अन्य प्राधिकरण व आवश्यकता अनुसार प्राधिकरण के साथ परामर्श में निर्धारित की जायेगी।
4. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two per cent of the paid-up equity capital of the Bank.
5. *The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.*
6. The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares / preference shares / securities by way of Follow on public issue, rights issue and / or on a private placement basis or any other mode approved by GOI / RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.
7. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VI of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.
In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.
8. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

9. चूंकि प्रस्ताव का मूल्य-निर्धारण बाद के स्तर के अलावा अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अतः यह संभव नहीं है कि जारी होने वाले शेयर का मूल्य उद्धृत किया जा सके। यद्यपि, यह आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 व समय-समय पर संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2000 एवं लागू या आवश्यक किसी अन्य दिशानिर्देशों / विनियमनों / सहमति अनुसार होगा।
10. उपर्युक्त कारणों हेतु, इश्यू की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिये बोर्ड को उचित लचीलापन व विवेकाधिकार देने के क्रम में समर्थनकारी संकल्प पारित करना प्रस्तावित किया गया है।
11. आबंटित ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयर के साथ सभी रैंक में समरूप हैं।

इस उद्देश्य हेतु बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारक की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव हेतु आपके सहमति का अनुरोध किया गया है।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखितानुसार विशेष संकल्प पारित करने हेतु सिफारिश करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक का उपर्युक्त उल्लिखित संकल्प से कोई हित या संबंध नहीं है, सिवाय उनके शेयरधारण के, यदि बैंक में हो तो।

9. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.
 10. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.
 11. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.
- For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.
- The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice.
- None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

**नोटिस के मद संख्या 3 में उल्लिखित कारोबार के
संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य**

शेयरधारक निदेशकों का चुनाव

बैंक ने बैंक के शेयरधारकों के 14वीं आम बैठक के दौरान शेयरधारकों में से तीन शेयरधारक निदेशकों को, केन्द्र सरकार के अलावा, चुनने के लिए चुनाव आयोजित किया और तीन प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया गया। निदेशकों की कार्यकाल निर्वाचन के पश्चात कार्यभार ग्रहण तारीख से 3 वर्ष है, अर्थात् 27.07.2016 और उक्त कार्यकाल दिनांक 26.07.2019 को समाप्त हो रहा है।

हालाँकि, चुने गए निदेशकों में से एक श्री महादेव नागेन्द्र राव ने व्यक्तिगत कारणों के कारण बैंक के बोर्ड से 02.03.2018 को इस्तीफा दे दिया।

बैंक ने 27.03.2018 को तरजीही आवंटन के माध्यम से भारत सरकार को प्रत्येक 10 रुपये के 13,59,54,616 ईक्विटी शेयर आवंटित किए, जिसने सार्वजनिक शेयरधारिता को घटाकर 27.45% कर दिया। वर्तमान सार्वजनिक शेयरधारिता (भारत सरकार, प्रवर्तक स्वामित्व के अलावा) 29.38% है, जो केनबैंक-ईएसपीएस (आवंटन दिनांक - 06.02.2019) के ट्रेंच I के तहत कर्मचारियों को 10 रुपये के 2 करोड़ ईक्विटी शेयरों के आवंटन के बाद है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, यदि जनता को जारी की गई भुगतान पूंजी 16% से अधिक है, लेकिन 32% से अधिक नहीं है, तो केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों से भी 2 चुने जाने हैं।

पूर्वोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के शेयरधारकों की सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक के भाग के रूप में, बैंक ने केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों के में से दो निदेशकों का चुनाव करने का निर्णय लिया है।

निर्वाचित निदेशक को 27 जुलाई, 2019 से पदभार ग्रहण करना होगा और वह पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

**EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS
MENTIONED AGAINST ITEM NO. 3 OF THE NOTICE:**

ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTORS

The Bank, as part of the Fourteenth Annual General Meeting of shareholders of the Bank, conducted the election for three Shareholder Directors from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government and three candidates were declared elected. Their term of office is 3 years from the date of assuming office after election i.e., on 27.07.2016 and the said term is expiring on 26.07.2019.

However, one of the Directors elected Shri Mahadev Nagendra Rao, resigned from the board of the Bank on 02.03.2018, owing to personal reasons.

The Bank allotted 13,59,54,616 equity shares of ₹10 each to Government of India by way of preferential allotment on 27.03.2018 which reduced the public shareholdings to 27.45%. The current public shareholdings (other than Government of India, Promoter holdings) is 29.38% after allotment of 2 crore equity shares of ₹10 each to employees under Tranche I of the CanBank - ESPS (Allotment Date -06.02.2019)

As per the Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, if the paid up capital issued to Public is more than 16% but not more than 32%, 2 Directors are to be elected by the Shareholders, other than the Central Government from amongst themselves.

In line with aforesaid guidelines, the Bank as part of Seventeenth Annual General Meeting of shareholders of the Bank, has decided to conduct the election of two Directors from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government.

A Director so elected shall be deemed to have assumed office from 27th July, 2019 and shall hold office for a period of three years from the date of such assumption of office.

विधिक प्रावधान:

इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों / योजनाओं / विनियमों / अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों के संकेत निम्न सारणी में दिया गया है:

अधिनियम, योजना, विनियम, अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949	धारा 16 (1) धारा 20 धारा 5 (एनई)	किसी निदेशकों को या किसी निदेशकों की ओर से ऋण व अग्रिमों की मंजूरी के लिए सामान्य निदेशक प्रतिबंध का निषेध पर्याप्त हित
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3ई) व धारा 9(3एबी) धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	निर्वाचन अधिकारों पर प्रतिबंध शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किए जानेवाले निदेशकों की संख्या कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो ट्रैक रिकॉर्ड तथा अखंडता के आधार पर योग्य व उचित नहीं हो, वह निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) व 9(3एए) के प्रावधानों को पूरे नहीं करनेवाले निर्वाचित निदेशकों को हटाने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक को होगा। निष्ठा व गोपनीयता का दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11 ए खंड 11 बी खंड 12(8)	निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्य ठहराया जाना निदेशक के पद को रिक्त किया जाना निर्वाचित निदेशक को पदच्युत किया जाना निर्वाचित निदेशक के पद में रिक्तियों को भरना अपने हितानुसार कुछ व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा हित का प्रकटन
केनरा बैंक (शेयर व अंतरण) विनियम, 2000 (यथा संशोधित)	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग आम बैठकों में मतदान आम बैठकों में निर्वाचित किए जानेवाले निदेशक शेयरधारकों की सूची निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों का नामंकन नामांकनों की संवीक्षा निर्वाचन विवाद मतदान अधिकार संकल्प प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान प्रॉक्सियाँ
भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना- डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी. बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11, दिनांक 23.05.2011	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3एए) तथा धारा 9(3एबी) की अनुवर्ती	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए योग्य व उचित मानदंड
बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति पर वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. सं.16/832013-बीओ-आई दिनांकित 03.09.2013 व पत्र एफ.सं.16/51/2012-बीओ-आई, दिनांकित 28.04.2015 और पत्रांक दिनांकित 20.07.2016 (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देश)		बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में पूर्ण पारदर्शिता व सार्वजनिक हित में कर्तव्य निर्वाह करने हेतु शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिये उम्मीदवारों की "उचित व सही" स्थिति का निर्धारण करते समय अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक की नियुक्ति के संबंध में दिशानिर्देश दिनांकित 01.06.2011 व दिनांकित 28.04.2015 एवं 20.07.2016 (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देश) को भी ध्यान में रखा जाए।

LEGAL PROVISIONS:

The following table indicates the provisions contained in various Acts / Scheme / Regulations / Notifications applicable in this regard:

ACT, SCHEME, REGULATIONS, NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16 (1) Section 20 Section 5(ne)	Prohibition of Common Director Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors Substantial Interest
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	Restriction on voting rights No. of directors to be elected by the shareholders Special knowledge in certain fields No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	Term of office of elected directors Disqualifications from being elected as a Director of the Bank Vacation of office of Director Removal from office of an elected Director Filling of vacancy in the office of an elected director Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (as amended)	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	Exercise of rights of joint holders Voting at General Meetings Directors to be elected at General Meetings List of Shareholders Nomination of candidates for election Scrutiny of nominations Election disputes Determination of voting rights Voting by duly authorized representative Proxies

RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29/.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the Board of nationalized banks
Office Memorandum ref no. F. No. 16/832013-BO-I dated 03.09.2013, Letter F. No. 16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 & dated 20.07.2016 (the extant Government of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India on Appointment of Part-time Non-Official Directors on the Boards of the Banks.		To elect the Shareholder Directors to discharge their duties as Directors on the Board of the Bank with greatest transparency and in public interest, the guidelines dated 01.06.2011, dated 28.04.2015 & dated 20.07.2016 (the extant Government of India guidelines) regarding appointment of Part-Time Non-Official Director also to be kept in mind while carrying out determination of "Fit and Proper" status of the Candidates.

संबंधित अधिनियमों / योजनाओं / विनियमों / अधिसूचनाओं इत्यादि के सारांश

शेयरधारकों के सुविधार्थ संबद्ध अधिनियमों, योजनाओं, विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिसूचना डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी. बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संदर्भ संख्या एफ. सं.16/832013-बीओ-आई दिनांकित 03.09.2013 व पत्र एफ.सं.16/51/2012-बीओ-आई, दिनांकित 28.04.2015 और 20.07.2016 (भारत सरकार का मौजूदा दिशानिर्देश) के सारांश इस नोटिस के अंत में पुनः प्रस्तुत किए गए हैं और इसे बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे सारांश, नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि या उससे पहले अर्थात् 10 जुलाई, 2019 तक बैंक के सचिवीय प्रभाग को संबोधित अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर प्रत्याशियों को ई-मेल पर भी प्रेषित किया जाएगा।

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए अपेक्षित योग्यता:

- क) अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक होने वाला प्रत्याशी जो अधिनियम की उपधारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने को इच्छुक है को-
- ए) निम्न विषयों में से एक या अधिक में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए:-

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS ETC.

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation, the Act, the Scheme as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29/.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 & No. DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011, Office Memorandum ref no. F.No. 16/832013-BO-I dated 03.09.2013 and Letter F. No. 16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 & dated 20.07.2016 (the extant Government of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India are reproduced at the end of this Notice / and also posted on the bank's website www.canarabank.com. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Secretarial Department of the Bank, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. 10th July, 2019.

QUALIFICATION REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

- a) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a Shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director under the clause (i) of Sub section (3) of the Act shall-
- A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-



- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

(भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या DBR.Appt. BC.No.39 / 29.39.001 / 2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 को विशेषज्ञता के क्षेत्रों को शामिल किया है। (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) बैंकों में निदेशक की नियुक्ति के लिए विचार किए जा सकने वाले व्यक्तियों के लिए व्यवसाय प्रबंधन

- बी) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो ; या
- सी) किसानों, श्रमिकों व कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो ।
- ख) अधिनियम की धारा (3ए) की उपधारा (3ए) के प्रावधानों की पूर्वाधारणा के बिना और इस अधिनियम या संप्रति प्रवर्तन में रहने वाली किसी अन्य विधि में निहित किसी विषय के विरुद्ध होने वाले से कोई तालूकात नहीं रखते हुए पूर्व अभिलेख, अखंडता और इस दिशा में समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचितानुसार कोई अन्य मानकों के आधार पर कोई व्यक्ति 'योग्य और उचित हैसियत' वाला न हो तो उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा। आगे चुने गये निदेशक को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना चाहिए और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस दिशा में निर्धारित वार्षिक घोषणाएं करनी होंगी ।
- ग) अधिनियम की धारा (3एबी) के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक उपधारा (3ए) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना में 'योग्य और उचित' हैसियत निर्धारित करने के प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण के तौर तरीके, ऐसे निर्धारण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसके लिए आवश्यक या प्रासंगिक माने जाने वाले मामलों के बारे में भी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कर सकता है ।
- घ) आगे, निर्वाचित निदेशकों को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना चाहिये एवं इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार वार्षिक घोषणा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ।

- agriculture and rural economy
- banking
- co-operation
- economics
- finance
- law
- small-scale industry
- any other matter the special knowledge of and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank be useful for the Bank.

(RBI vide its Circular No. DBR.Appt.BC.No.39 / 29.39.001 / 2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

- B) represents the interest of depositors; or
- C) represent the interest of farmers, workers and artisans.
- b) In terms of Section (3AA) of the Act, without prejudice to the provisions of sub-section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause (i) of sub-section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based on track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard. Further the elected director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.
- c) In terms of Section (3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section (3AA), the authority to determine the fit and proper status', the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.
- d) Further, the elected directors should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.



**बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से
अयोग्य ठहराया जाना:**

- क. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार व्यक्ति विशेष को निम्न कारणों से निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य ठहरा जाएगा:
- क) यदि उसे कभी दिवालिया निर्णित किया गया हो या उसने लेनदारों को चुकता नहीं किया हो; या
- ख) उसे विकृत चित्त पाया गया हो या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया; हो
- ग) यदि उसे नैतिक उल्लंघन अंतर्गत किसी अपराध के तहत आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहरा गया; हो
- घ) बैंक के कर्मचारियों में से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) और (एफ) के अंतर्गत नामित निदेशकों और प्रबंध निदेशक शामिल करके पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण को छोड़कर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में परिभाषित अनुसार किसी (अनुषंगी बैंक में किसी प्रकार का लाभ का पद धारित करता हो।

और

- ख. भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना – डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01.11.2007, डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के साथ पठित व वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संदर्भ संख्या एफ. सं.16/832013-बीओ-आई दिनांकित 03.09.2013 व पत्र एफ.सं.16/51/2012-बीओ-आई, दिनांक 28.04.2015 एवं 20.07.2016 (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देश) के अनुसार बैंक के निदेशकों के नामांकन समिति द्वारा उसे 'योग्य और उचित' नहीं पाया गया।

शेयरधारकों की सूची की उपलब्धता:

चुनाव लड़ने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम 2000 के विनियम 64 में बतायी गयी शेयरधारकों की सूची बृहस्पतिवार, 04 जुलाई 2019 से बैंक के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध कराई जायेगी जिसे बेंगलूर में संदेय केनरा बैंक के पक्ष में माँगड्राफ्ट द्वारा ₹50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) अदा करके खरीदे जा सकें।

**DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED
AS A DIRECTOR OF THE BANK:**

- A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
- a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

And

- B. In terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD No. BC. No. 46 & 47/29.39.001 / 2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 read with Office Memorandum ref no. F. No. 16/832013-BO-I dated 03.09.2013 and Letter F.No.16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 & 20.07.2016 (the extant Government of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, he is not found to be 'fit and proper' person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

AVAILABILITY OF LIST OF SHAREHOLDERS:

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the list of shareholders as mentioned in Regulation 64 of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000 will be made available at the Head office of the Bank, from Thursday, the 04th July, 2019 onwards for purchase by Shareholders on payment of ₹50,000/- [Rupees Fifty Thousand Only] by Demand Draft in favour of Canara Bank payable at Bangalore.

शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण:

शेयरधारकों के रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी कार्यदिवसों पर (रविवार तथा दूसरा एवं चौथा शनिवार, बैंक अवकाश को छोड़कर), अर्थात् सोमवार से शनिवार तक अपराह्न 03.00 बजे से 05.00 तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। यदि कोई शेयरधारक को रजिस्टर की प्रति या रजिस्टर की हिस्से की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट आउट की आवश्यकता है तो प्रति / प्रिंट आउट 1000 शब्द या उसके हिस्से के लिए ₹5/- के पूर्वभुगतान पर आपूर्त किया जाएगा।

चुनाव में प्रतिभागिता / निर्दिष्ट तिथि:

तिथि पर कारोबार समय के समापन पर यथा, शुक्रवार, 21 जून 2019 (आगे निर्दिष्ट तिथि लिखा जाएगा) के एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा दिये गये अनुसार सदस्यों / लाभार्थी स्वामी के शेयरधारकों के रजिस्टर / रजिस्टर पर प्रदर्शित नाम वाले शेयरधारक चुनाव में प्रतिभागिता, अर्थात् नामांकन करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तथा केन्द्र सरकार के अलावा दो निदेशकों को चुनने के लिए मतदान देने के लिए पात्र होंगे।

चुनाव के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन:

निदेशक के पद के लिए प्रत्याशी का नामांकन तब वैध होगा, जब

- प्रतियोगी एक शेयरधारक है जो शुक्रवार, 21 जून, 2019 तक केनरा बैंक में 100 से कम शेयर नहीं रखता है, चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट तिथि / तिथि की तारीख होने के नाते और दिनांक गुरुवार, 25 जुलाई, 2019 की सामान्य बैठक तक, न्यूनतम 100 शेयर धारित करना है।
- उसे अधिनियम या योजना / विनियम या भा.रि.बै अधिसूचना के तहत नामांकन प्राप्त करने की आखिरी तारीख बुधवार 10 जुलाई, 2019 को निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया हो।
- अधिनियम के तहत या उनके द्वारा गठित एटॉर्नी के तहत निदेशकों को चुनने के लिए पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों या उनके विधिवत गठित मुख्तार द्वारा लिखित रूप में नामांकन हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। बशर्ते कि कंपनी होने वाले शेयर धारक द्वारा नामांकन कथित कंपनी के निदेशकों के प्रस्ताव द्वारा किया जाये और ऐसे किये जाने पर इस बैठक में संकल्प पारित किया गया है उसके अध्यक्ष द्वारा सही सत्यप्रति के रूप में प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति उप महा प्रबंधक, केनरा बैंक, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का सचिवालय, प्रधान कार्यालय, 112 जे सी रोड, बेंगलूर-560 002 को संबोधित करके केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जाये और ऐसी प्रति को कंपनी की तरफ से किया गया नामांकन समझा जायेगा।

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays, 2nd & 4th Saturday and Bank holidays) between 3.00 p.m. to 5.00 p.m. If any shareholder requires a copy or computer print outs of the register or of any part thereof, the same shall be supplied to him/her on pre-payment at the rate of ₹5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied/printed.

PARTICIPATION IN ELECTION/SPECIFIED DATE:

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Register of Members / Beneficial owners as furnished by NSDL / CDSL as at the close of business hours on the date i.e., Friday, the 21st June, 2019 (hereinafter referred to as the specified date) shall be entitled to participate in the election i.e. nominate, contest and vote in election of two directors from amongst Shareholders other than Central Government.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,

- Contestant is a shareholder holding not less than 100 shares in Canara Bank as on Friday, the 21st June, 2019, being the Specified Date / Date of reckoning for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of General Meeting i.e., Thursday, 25th July, 2019.
- Contestant is as on Wednesday, the 10th July, 2019, being the last date for receipt of nomination not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme / Regulation or RBI Notification.
- The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Canara Bank addressed to the Deputy General Manager, Canara Bank, MD&CEO's Secretariat, Head Office, 112, J C Road, Bangalore – 560 002 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company.



- घ) नामांकन के साथ या उसमें न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट या आश्वासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने प्रत्याशी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा होगी कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है और वह निदेशक बनने के लिए अधिनियम या योजना या इन विनियमों/ भारिबै अधिसूचना या भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा निदेशक बनने से अयोग्य नहीं ठहराया गया। विधिवत हस्ताक्षरित और इस बात को पुष्ट करने वाले उसके व्यक्तिगत ब्यौरे (बायो-डाटा), उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और घोषणा के बाद सूचना से संबंधित कोई घटना घटी है तो उसके बारे में यथाशीघ्र बैंक को पूर्णतः सूचित करने का वचन देता है।
- ङ) उसे बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 या केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम 2000 और भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिसूचनाएं डीबीओडी सं.बीसी सं.46/29.39.001/2007-08, दिनांक 01.11.2007 व डीबीओडी सं. बीसी सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी सं. बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संदर्भ सं. 16/832013-बीओ-I दिनांक 03.09.2013 और पत्र सं. 16/51/2012-बीओ-I, दिनांक 28.04.2015 और 20.07.2016 और उसके बाद किए गए संशोधनों (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों) के तहत उसे निदेशक बनने से अयोग्य नहीं किया गया।
- च) प्रत्याशी किसी भी क्षेत्र में स्नातक होना चाहिये अधिमानित रूप से कारोबार प्रबन्धन, जोखिम प्रबन्धन, वित्त, मानव संसाधन व आईटी में विशेषज्ञता के साथ।
- छ) प्रत्याशी की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- ज) प्रत्याशी के पास उसके स्वयं के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिये।
- झ) प्रत्याशी किसी भी वर्ग के तहत बैंक / वित्तीय संस्थान (एफआई)/ भारिबै. / बीमा कंपनी में पहले से निदेशक नहीं होना चाहिये।
- ञ) प्रत्याशी किसी भी वर्ग के तहत निरंतर या मध्यस्थ रूप से 6 वर्षों हेतु किसी भी अन्य बैंक / एफआई / भारिबै. / बीमा कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिये।
- d) The nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or the scheme or these regulations / RBI Notification or GOI guidelines from being a Director. His / Her personal details (bio-data) duly signed and affirming that details furnished are true to the best of his/her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- e) Contestant is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949, or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and Notification No. DBOD No. BC No. 46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 & DBOD No. BC No. 47/29.39.001/2007-08, dated 01.11.2007 and DBOD BC No. 95/29.39.001/2010-11, dated 23.05.2011 of Reserve Bank of India, Office Memorandum ref no. F.No. 16/832013-BO-I dated 03.09.2013 and Letter F. No. 16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 and 20.07.2016 and amendments made thereafter (the extant Government of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, from being a director.
- f) Contestant should atleast be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.
- g) The age of the contestant should not be more than 67 years.
- h) Contestant should ordinarily have 20 years of work experience, in their particular field.
- i) Contestant should not be already a Director on a Bank / Financial Institution (FIs) / RBI / Insurance Company, under any category.
- j) Contestant should not have served as a Director on the Board of any other Bank / FI / RBI / Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently, under any category.

नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण:

केंद्र सरकार से अन्य शेयरधारकों में से बैंक के निदेशकों के रूप में चुनाव लड़ने को इच्छुक शेयरधारकों को अपने नामांकन पत्र (न्यूनतम 100) घोषणा और संबंधित दस्तावेज जैसे बायो डाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पैन की प्रति, नवीनतम आयकर विवरणी (स्वप्रमाणित) आदि के साथ:

उप महा प्रबंधक

सचिवीय प्रभाग

प्रबंध निदेशक व मु.का.अ. का सचिवालय

केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय,

112, जे सी रोड,

बैंगलूर-560 002

को वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख के पहले कम से कम 14 दिनों के पहले अर्थात् बुधवार को सायं 5.00 बजे 10 जुलाई 2019 को बैंक कार्य समय समाप्त होने के पहले किसी कार्यदिवस को प्रस्तुत करना चाहिये। उक्त नामांकन पत्र सारे पहलुओं से पूरे होने चाहिए और इस नोटिस से संलग्न प्रारूप में न्यूनतम 100 शेयरधारकों द्वारा विधिवत भरे जाने चाहिए अन्यथा नामांकन अस्वीकार कर दिये जाएंगे।

नामांकनों की संवीक्षा:

- नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत तारीख के परवर्ती कार्यदिवस बृहस्पतिवार को **11 जुलाई 2019**, को उनकी संवीक्षा की जाएगी और किसी नामांकन को वैध नहीं पाया गया है तो उसके कारण उल्लेखित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- मान्य नामांकन को आरबीआई अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा जांच के अधीन रहेंगे।
- बैंक नामांकन की जांच के समय या बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा सलाह के अनुसार उसकी उम्मीदवारी के समर्थन में उम्मीदवारों से दस्तावेज, आगे की जानकारी मांग सकता है।
- यदि निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों के लिए केवल दो वैध नामांकन हैं, तो नामांकित उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाएगा और उनके नाम और पते निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा। हालाँकि, निर्वाचित शेयरधारक निदेशक 27 जुलाई, 2019 को ही पदभार ग्रहण करेंगे।

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of Directors of the Bank from amongst the Shareholders other than the Central Government should submit their nomination forms [a minimum of 100] along with a declaration and the connected documents such as testimonials viz., Bio-data, qualification certificates, experience certificates, copy of PAN, latest Income Tax Return (all self attested) etc., to:

Deputy General Manager

Secretarial Department,

MD&CEO's Secretariat

Canara Bank, Head Office,

112, J C Road

Bangalore -560 002

on a working day not less than fourteen days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before closing hours of the Bank i.e., 5.00 p. m. on Wednesday 10th July, 2019. The said nomination forms should be complete in all respects and should be duly filled in by a minimum of 100 Shareholders in the format annexed to this notice failing which, the nominations are liable to be rejected.

SCRUTINY OF NOMINATIONS:

- Nominations shall be scrutinized on Thursday, the **11th July, 2019** and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefore.
- Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the RBI Notification and GOI Guidelines.
- The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination Committee of the Board seek further information, documents from the Candidates in support of his / her candidature.
- If there are only two valid nominations for the vacancies to be filled by election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event there shall be no election at the meeting. However, the elected shareholder directors shall assume office only on 27th July, 2019.



- ड) चुनाव होने की स्थिति में, यदि वैध नामांकन के लिए निर्वाचित होने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक है, तो मतदान के बहुमत वाले उम्मीदवार को चुना गया माना जाएगा और उनके नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे।
- च) जिन निदेशकों को चुना गया है, उन्हें 27 जुलाई, 2019 से कार्यभार ग्रहण करना होगा।
- छ) यदि कोई विवाद है तो उसे केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2000 के विनियम के 67 के अनुसार निपटाया जायेगा।

निदेशकों का कार्यकाल:

योजना के खंड 9(4) के परिणामस्वरूप चुने गए निदेशक तीन वर्षों के लिए पद धारण करेंगे और पुनः निर्वाचित होने के पात्र होंगे।

बशर्ते कि ऐसे निदेशक निरंतर 6 वर्षों की अवधि के लिए पद धारण नहीं करते हों।

उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाले निदेशक को, इस अधिनियम की धारा 9(3) (i) के तहत ऐसे चुने गये निदेशक को हटाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार पर अधिनियम की धारा 9(3बी) की ओर श्रेयधारकों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

नामांकनों का वापस लिया जाना:

कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लेना चाहता है तो वह 20 जुलाई 2019 शनिवार, सायं 5.00 बजे तक बैंक के कार्यसमय के समाप्त होने के पहले ऐसा कर सकता है।

अतिरिक्त निर्वाचित निदेशकों के सेवानिवृत्ति के तरीके:

- क) बैंक में गैर सरकारी धारण बैंक के प्रदत्त पूँजी के 16% से कम है तो बैंक बोर्ड में केवल एक निदेशक को निर्वाचित करने के लिए अर्ह होंगे।
- ख) योजन के खंड 4ए के अनुसार अतिरिक्त निदेशकों की संख्या का निर्धारण बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (i) के अनुसार किया जाता है तथा ऐसे श्रेयधारकों (केन्द्र सरकार से अन्य) द्वारा निर्वाचित निदेशक के तुल्य निदेशक सेवानिवृत्त होंगे और सेवानिवृत्ति का क्रम सबसे अधिक कार्यकाल वाले निदेशक से शुरू होगा;
- बशर्ते, दो या दो से अधिक निदेशक के कार्यकाल समान है तो, उन निदेशकों में से अधिक आयु वाले निदेशक पहले सेवानिवृत्त होंगे।

- e) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected and their names will be published in newspapers.
- f) The directors so elected shall assume office on 27th July, 2019.
- g) If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000.

TENURE OF DIRECTORS:

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Attention of Shareholders is invited to Section 9 (3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9 (3) (i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) & (3AA) of the said Act.

WITHDRAWAL OF CANDIDATURE:

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on i.e., 5.00 p.m. on Saturday, the 20th July, 2019.

MANNER OF RETIREMENT OF EXCESS ELECTED DIRECTOR:

- a) In the event of the non-governmental holding in the Bank reducing below 16% of the paid-up capital of the Bank, the Bank will be entitled to have only one Directors on the Board of the Bank.
- b) In terms of Clause 4A of the Scheme the number of excess director(s) shall be determined under the second proviso to clause (i) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and such number of directors elected by the shareholders (other than the Central Government) equal to the number so determined shall retire, and the order in which the directors shall retire, will begin with the longest serving director;
- Provided that, if two or more directors have served for the same period of time, the older among the said directors shall retire first.



निदेशकों के हित:

बैंक के निदेशक यदि चुनाव लड़ता है तो ऐसे समझा जाएगा कि वे उपर्युक्त कारोबारी मदों में विचार या हित रखेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

आ. ए. शंकर

आर ए शंकर नारायणन

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 18-06-2019

INTEREST OF DIRECTORS:

Directors of the Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the election.

By Order of the Board of Directors

R A SANKARA NARAYANAN
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 18-06-2019

**निदेशकों का निर्वाचन – संबद्ध अधिनियमों,
योजना और विनियमों आदि का सारांश**

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुरूप धारा 3 की उपधारा 2(बी) के खंड (सी) के तहत जारी की गई पूंजी की व्याप्ति के आधार पर शेयरधारक निदेशकों को नियुक्त किया जाना है। बैंकिंग कंपनी विनियम अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 की संबद्ध धाराओं और केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम 2000 की संबद्ध विनियमों को शेयरधारकों की जानकारी के लिए नीचे पुनः उद्धृत किया गया है।

बैंकिंग कंपनी विनियम अधिनियम, 1949

पर्याप्तता हित – धारा 5 (एनई)

- कंपनी के संबंध में अर्थ है कि व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे द्वारा शेयर में लाभार्थी हित का धारण, चाहे वह अकेले लिया गया हो या संयुक्त रूप से, प्रदत्त राशि जो पाँच लाख रुपये से अधिक हो या कंपनी के प्रदत्त पूंजी के 10% से अधिक हो, इनमें से जो भी कम हो;
- फर्म के संबंध में अर्थ है कि व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी हित का धारण, चाहे वह अकेले लिया गया हो या संयुक्त रूप से, जो कि कथित फर्म के सभी सहभागियों द्वारा लिये गये कुल पूंजी के 10% से अधिक है;

सामान्य निदेशकों पर निषेध: धारा 16 (1)

भारत में निगमित कोई बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मंडल में किसी अन्य बैंकिंग कंपनी के निदेशक को अपने निदेशक के रूप में नहीं लेगी।

ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध:

धारा 20:

- कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में निहित किसी बात के होते हुए कोई भी बैंकिंग कंपनी—
 - अपने खुद के शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं करेगी, या
 - निम्नलिखितों को या उनके पक्ष में ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए किसी प्रकार की प्रतिबद्धता में प्रविष्ट नहीं होगी:
 - उनके किसी निदेशक
 - कोई फर्म जिसमें साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी

**ELECTION OF DIRECTORS – EXTRACTS OF
RELEVANT ACTS, SCHEME, REGULATIONS ETC.**

In terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Shareholder Directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under Clause (c) of Sub-Section 2 (B) of Section 3. The relevant Sections of The Banking Companies Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and relevant regulations of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Substantial Interest – Section 5 (NE)

- in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid upon which exceeds five lakhs of rupees or ten per cent of the paid-up capital of the company, whichever is less;
- in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;

Prohibition of Common Directors: Section 16 (1)

No banking company incorporated in India shall have as a Director in its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on loans and advances:

Section 20:

- Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no banking company shall –
 - grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of
 - any of its directors
 - any firm in which any of its directors is



या गारंटर के रूप में उसका कोई निदेशक हितधारक हो या

- iii) बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी नहीं होने वाली कोई कंपनी या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी, या किसी सरकारी कंपनी जिसकी अनुषंगी या धारक कंपनी जिसका बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक निदेशक, प्रबंधन एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर हो या जिसमें पर्याप्त हित रखता हो या
- iv) कोई व्यक्ति जिसके संबंध में निदेशक, साझेदार या गारंटर हो।

2. जहाँ बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया ऋण या अग्रिम इस प्रकार का हो की जिस तारीख को ऋण या अग्रिम दिया गया है, उस तारीख को उपधारा (1) का खंड (ख) प्रवर्तन में हो तो उसके मंजूर किए जाने के लिए कोई वादा नहीं किया हुआ होगा या बैंकिंग विधि (आशोधन) अधिनियम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के आरंभ होने के बाद किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया हो, लेकिन ऐसे आरंभ किये जाने के पहले किये गये वादा के परिणामस्वरूप ऋण या अग्रिम के कारण बैंकिंग कंपनी को देय राशियाँ ब्याज के साथ ऋण या अग्रिम के मंजूर किये जाने के समय निर्धारित अवधि के अंदर या ऐसी अवधि निर्धारित नहीं की गई है तो उक्त धारा 5 के आरंभ होने से एक वर्ष के समाप्त होने के पहले वसूल करने के कदम उठाये जाएंगे।

बशर्ते कि किसी संदर्भ में इस मामले में बैंकिंग कंपनी द्वारा लिखित रूप से आवेदन दिये जाने पर ऋण या अग्रिम की वसूली की अवधि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों के अधीन ऐसी तारीख तक बढ़ायेगा जो उक्त धारा 5 के आरंभ होने से 3 वर्षों की अवधि के परे न हो।

बशर्ते कि यह उप-धारा तब लागू नहीं होगी जब संबंधित निदेशक बैंकिंग कंपनी के निदेशक मृत्यु, सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या अन्य किसी कारण से कार्यालय को रिक्त कर दे।

3. उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम या उसका कोई भाग भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषित शून्य और निष्प्रभावी होगा।

interested as partner, manager, employee or guarantor, or

- iii) any company not being a subsidiary of the banking company or a company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the directors of the banking company is a director, managing agent, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
- iv) any individual in respect of whom any of its directors is a partner or guarantor.

2. Where any loan or advance granted by a banking company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of Sub-Section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the banking company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5.

Provided that the Reserve Bank may, in any case on any application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions as the Reserve Bank may deem fit.

Provided further that this Sub-Section shall not apply if and when the director concerned vacates the office of the director of the banking company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

3. No loan or advance, referred to in Sub-Section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.



4. किसी व्यक्ति द्वारा संदेय उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर बैंकिंग कंपनी को चुकता नहीं किया हो तब ऐसा व्यक्ति उक्त अवधि के समाप्त होने की तारीख को ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो तो समझा जायेगा कि उसने उक्त तारीख को अपने पद को रिक्त कर दिया है।

स्पष्टीकरण – इस धारा में

क) “ऋण या अग्रिम” में ऐसा कोई संव्यवहार शामिल नहीं होगा जिसे संव्यवहार के स्वभाव, जिस अवधि के अंदर और ऐसी परिस्थितियों जहाँ संव्यवहार के कारण देय राशि के वसूल किये जाने की संभावना है, जमाकर्ताओं के हित और अन्य संबंध पहलुओं के मद्देनजर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस धारा के लिए ऋण या अग्रिम के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं करेगा।

ख) “निदेशक” में बैंकिंग कंपनी द्वारा भारत में गठित किसी बोर्ड या समिति का सदस्य शामिल होगा, जिसका गठन उसके प्रबंधन, या उसके प्रबंधन तंत्र को इस दिशा में परामर्श देने के लिए किया गया हो।

5. यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या इस धारा के लिए कोई संव्यवहार ऋण या अग्रिम है उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित करना है जिसका निर्णय अंतिम होगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970

मतदान अधिकारों पर प्रतिबंध:

धारा 3 (2 ई)– केंद्र सरकार के शेयरधारक को छोड़कर नये बैंक का कोई भी शेयरधारक नये बैंक के सारे शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत के परे उसके द्वारा धारित शेयरों के मामले में मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन:

धारा 9 (3)(i): जहाँ धारा 3 की उपधारा (2 बी) के खंड (ग) के तहत पूंजी जारी की गई है:-

- अ) कुल प्रदत्त पूंजी के 16% से अधिक न हो तो, एक निदेशक।
- आ) कुल प्रदत्त पूंजी के 16% से अधिक और 32% तक, दो निदेशक।
- इ) कुल प्रदत्त पूंजी के 32% से अधिक हो तो तीन निदेशक।

4. Where any loan or advance referred to in Sub-Section (2), payable by any person, has not been repaid to the banking company within the period specified in that Sub-Section, then such person shall, if he is a director of such banking company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation – In this Section

a) “Loan or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this section.

b) “Director” includes a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.

5. If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restriction on Voting Rights:

Section 3 (2E) – No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors:

Section 9 (3) (i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is:-

- I) Not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one Director.
- II) More than sixteen per cent but not more than thirtytwo percent of the total paid-up capital, two Directors.
- III) More than thirty two percent of the total paid-up capital, three Directors. to be elected

शेयरधारकों द्वारा केन्द्र सरकार के अलावा, अपने में से चुना जाना है।

बशर्ते है कि इस खंड के तहत ऐसे किसी निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभार ग्रहण किये जाने पर खंड (एच) के तहत नामित निदेशक योजना में विनिर्दिष्ट तरीके के सम संख्या में सेवानिवृत्त होंगे।

सत्य और गोपनीयता के रूप में दायित्व:

धारा 13 (2): नये बैंक का प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या समिति का सदस्य या लेखा परीक्षक, परामर्शदाता, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपने कर्तव्यों में प्रविष्ट होने के पहले तीसरी सूची में रूपायित पत्र में सत्य और गोपनीयता की घोषणा करें।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970

खंड 11: निदेशक आदि के पद रिक्त करना

- कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट अनुसार अयोग्य घोषित होता है या बोर्ड की अनुमति के बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होता हो तो समझा जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है और उसका पद रिक्त हो जायेगा।
- अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड बी या खंड सी में संदर्भित प्रबंध निदेशक को शामिल करके अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक केंद्र सरकार को लिखित रूप में सूचित करके अपने पद से त्यागपत्र देता हो और उस सरकार द्वारा ऐसे त्यागपत्र के स्वीकारे जाने पर समझा जाता है कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है; और केन्द्र सरकार को लिखित रूप में सूचित करके अपने पद से कोई अन्य निदेशक त्यागपत्र देता हो तो ऐसा त्यागपत्र केंद्र सरकार द्वारा उसके प्राप्त होने पर प्रभावी होगा।
- उपर्युक्त उपखंडों के प्रावधान की पूर्वधारणा के बिना अधिनियम 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) या खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद जिसका वह निदेशक है, उस राष्ट्रीयकृत बैंक के कामगार से अन्य को छोड़कर कामगार या कर्मचारी नहीं रह जाता हो तो संदर्भित निदेशक का पद रिक्त हो जाता है।
- निर्वाचित निदेशक से अन्य जहाँ निदेशक के पद में रिक्ति

by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such Directors under this clause, equal number of Directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the scheme.

Obligation as a Fidelity and Secrecy:

Section 13 (2): Every Director, member of a local board or a committee, or auditor, advisor, officer or other employee of a corresponding new bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Clause 11: Vacation of Office of Director, etc.

- If a Director becomes subject to any of the disqualification as specified in Clause 10, or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in Clause (b) or Clause (c) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- Without prejudice to the provision of the foregoing Sub-Clauses, the office of the Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.
- Where any vacancy occurs in the office of a Director, other than an elected director, it shall



उद्धृत होती है तो अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के अनुरूप उसे भरा जायेगा।

खंड 11 ए: निर्वाचित निदेशक को पद से हटा देना:

केन्द्र सरकार से अन्य शेयरधारक ऐसे शेयरधारकों द्वारा भरी गई शेयर पूँजी के – आधे से कम नहीं होने वाली शेयर पूँजी का धारण करने वाले शेयरधारकों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को हटाकर उस रिक्ति को भरने के लिए उसकी बजाय अन्य व्यक्तियों को चुन सकते हैं।

खंड 11 बी: निर्वाचित निदेशक के पद में रिक्ति को भरना:

- 1) निर्वाचित निदेशक के पद के कार्यकाल समाप्त हो जाने के पहले कोई रिक्ति उद्धृत होती है तो उसे निर्वाचन द्वारा भरा जायेगा;
बशर्ते कि रिक्ति अवधि छः महीनों से कम होने की संभावना है तो उसे शेष निदेशकों द्वारा भरा जाये।
- 2) जैसी भी स्थिति हो उपखंड (1) में निर्वाचित या शामिल किया गया व्यक्ति उसके पूर्ववर्ती निदेशक की शेष अवधि तक पद संभालेगा।

निदेशकों द्वारा हितधारण का प्रकट किया जाना:

खंड 12 (8): राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसके पक्ष में प्रविष्ट किसी संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित रखने वाला निदेशक संबंध परिस्थितियों के बारे में उसकी जानकारी में आने के बाद जितना शीघ्र हो सके बोर्ड को अपने हित के स्वभाव के बारे में प्रकट करेगा। और जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाती तो ऐसी, संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव पर चर्चा की जाने वाली बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और उपस्थित होना अपेक्षित कोई भी निदेशक ऐसी संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते कि निम्न कारण द्वारा ऐसे निदेशक पर उप-धारा में समाहित कुछ भी इन पर लागू नहीं:

- i) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी में प्रदत्त पूँजी की दो प्रतिशतता से अनधिक धारण करने वाला शेयरधारक (निदेशक से अन्य) या भारत में संप्रति प्रवर्तन किसी विधि के तहत स्थापित किसी निगम या सहकारी संस्था इसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव में प्रविष्ट हुआ हो या प्रस्ताव करता हो

be filled in accordance with Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.

Clause 11A: Removal from Office of an Elected Director:

The Shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of votes of such Shareholders holding in aggregate, not less than one-half of the share capital held by all such Shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 and elect instead of another person to fill the vacancy.

Clause 11 B: Filling of Vacancy in the Office of an Elected Director:

- 1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of a elected Director, the vacancy shall be filled in by election;
Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.
- 2) A person elected or co-opted as the case may be, under Sub-Clause (1) shall hold office for the un-expired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of Interest by Directors:

Clause 12 (8): A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal.

Provided that nothing contained in this Sub-Clause shall apply to such Director by reason of his being:

- i) A shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative Society, with which or to which the nationalized Bank has entered into or made or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal,

या

- ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) या खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक हो तो उपखंड में निहित कोई तथ्य लागू नहीं होगा।

केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) अधिनियम, 2000

अध्याय II

शेयर व शेयर पंजियाँ

10. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग:

कोई शेयर एक या अधिक व्यक्तियों के नाम से रहे हों तो रजिस्टर में पहले नाम दर्ज किये गये व्यक्ति को समझा जाएगा कि वह शेयरों के अंतरण को छोड़कर मतदान, लाभांश प्राप्त करना, सूचना प्रेषण और केनरा बैंक से संबद्ध अन्य किसी मामले में एकल शेयरधारक है।

अध्याय IV

शेयरधारकों की बैठक

61. सामान्य बैठक में मतदान

- i) किसी सामान्य बैठक में मतदान के लिए प्रस्तुत किये गये संकल्प पर, मतदान अपेक्षित नहीं हो तो हाथ दिखाने के द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- ii) अधिनियम के प्रावधान के अन्यथा, सामान्य बैठक को प्रस्तुत किये गये हर मामले पर बहुमत द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- iii) उप विनियम (1) के तहत मतदान अपेक्षित नहीं होता तो बैठक के अध्यक्ष के इस आशय की घोषणा की हाथ दिखाने के द्वारा संकल्प विशेष को एकमत से या बहुमत विशेष के साथ अपनाया गया है या अपनाया नहीं गया है और ऐसे संकल्प के पक्ष में या विरुद्ध प्राप्त मतों की संख्या और अनुपात के साक्ष्य के बिना कार्यवाही का कार्यवृत्त रहने वाली बहियों में इस आशय की प्रविष्टि उस तथ्य का निष्कर्षात्मक साक्ष्य होगा।
- iv) हाथ दिखाकर किसी संकल्प पर किये गये मतदान के परिणाम की घोषणा के पहले या किये जाने पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा मतदान का आदेश दिया जा सकता है और व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा बैंक के किसी शेयरधारक या शेयरधारकों द्वारा उस आशय से संकल्प पर मतदान करने वालों के कम से कम 1/5 सदस्यों की मांग पर प्राप्त करने के लिए आदिष्ट होगा।

or

- ii) An officer or other employee of the nationalized bank, if he is a Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.

CANARA BANK (SHARES AND MEETINGS)

REGULATIONS, 2000

CHAPTER II

SHARES AND SHARE REGISTER

10. Exercise of Rights of Joint Holders:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Canara Bank except the transfer of shares, be deemed to be sole holder thereof.

CHAPTER IV

MEETING OF SHAREHOLDERS

61. Voting at General Meeting

- i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.
- ii) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to the general meeting shall be decided by a majority of votes.
- iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against such resolution.
- iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.



- v) मतदान की माँग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान की माँग कभी वापस ली जा सकती है।
- vi) बैठक के आस्थगन या अध्यक्ष के चुनाव के प्रश्न पर माँग गया मतदान तत्काल होगा।
- vii) किसी अन्य प्रश्न पर माँग गया मतदान बैठक के अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार लिया जायेगा, जो माँग किये समय से 48 घंटों के बाद न हो।
- viii) मतदान करने के लिए व्यक्ति विशेष की योग्यता और मतदान अपनाये जाने के संदर्भ में भी व्यक्ति विशेष कितने मत देने के लिए सक्षम होगा, इन पर बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय V

निदेशकों का निर्वाचन

63. सामान्य बैठक में निर्वाचित किये जाने वाले निदेशक:

- i) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत केंद्र सरकार को छोड़कर रजिस्टर पर रहने वाले उनके द्वारा शेयरधारकों में से केनरा बैंक की सामान्य बैठक में निदेशक को चुना जायेगा।
- ii) किसी सामान्य बैठक में निदेशक का निर्वाचन किया जाना है तो उसकी सूचना बैठक आयोजित करने की सूचना में शामिल की जायेगी। ऐसी प्रत्येक सूचना निर्वाचित किये जाने वाले निदेशकों की संख्या और जिन रिक्तियों के लिए चुनाव किया जा रहा है, उनका ब्यौरा भी विनिर्दिष्ट करें।

64. शेयरधारकों की सूची:

- i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (1) के तहत निदेशक को निर्वाचित करने के लिए उन शेयरधारकों की सूची बनाई जायेगी, जिनके द्वारा निदेशक को चुना जाना है।
- ii) सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, शेयरों को पंजीकृत करने की तारीखों के साथ उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और विशिष्ट संख्याएं और निर्वाचन आयोजित की जाने वाली बैठक के लिए नियत तारीख पर वे कितने मतों के लिए पात्र होंगे, उसकी संख्याएं होंगी और सूची की प्रतियाँ बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा नियत मूल्य पर बैठक के

- v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.
- vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.
- viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in case of a poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

CHAPTER V

ELECTION OF DIRECTORS

63. Directors to be elected at General Meeting:

- i) A Director under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the Shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of Canara Bank.
- ii) Where an election of a Director is to be held at any General Meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of Shareholders:

- i) For the purpose of election of a Director under Sub-Regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchases atleast three weeks

लिए नियत तारीख के पहले कम से कम तीन हफ्तों के पहले प्रधान कार्यालय में उपलब्ध होंगी।

67. निर्वाचन संबंधी विवाद:

- निर्वाचित समझे या निर्वाचित घोषित किये जानेवाले व्यक्ति विशेष की योग्यता या अयोग्यता के बारे में, या निदेशक के निर्वाचन की वैधता के बारे में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र प्रत्याशी या शेरधारक होने वाला कोई इच्छुक व्यक्ति, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा तिथि के सात दिनों के अंदर अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक को लिखित रूप से सूचित करेगा और उक्त सूचना में जिन बातों के आधार पर निर्वाचन की वैधता पर वह संदेह कर रहा है या निर्वाचन पर विवाद है।
- उप विनियम (1) के तहत सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक ऐसी समिति के निर्णय के लिए ऐसे संदेह या विवाद को संदर्भित करेगा, जिसमें अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) और (ई) या (एफ) या (जी) या (एच) के तहत नामित कोई दो निदेशक होंगे।
- उप विनियम (2) में संदर्भित समिति उसके द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली पूछताछ करेगी और यदि वह यह महसूस करे कि चुनाव वैध है, तो वह निर्वाचन के परिणाम घोषित करेगी या चुनाव को वैध नहीं महसूस करता है तो वह जाँच-पड़ताल के शुरू के 30 दिनों के अंदर उसे संगत लगने वाली परिस्थितियों में नये सिरे से निर्वाचन आयोजित करने के साथ-साथ ऐसे आदेश और निर्देश दे सकती है।
- इस विनियम के परिणामतः ऐसी समिति के आदेश और निर्देश अंतिम होंगे।

अध्याय VI

शेरधारकों के मतदान अधिकार

68. मतदान अधिकारों का निर्धारण:

- अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन सामान्य बैठक की तिथि के पहले रजिस्टर बंद कर दिये जाने की तारीख को शेरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक

before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

67. Election Disputes:

- If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman, Managing Director of Canara Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- On receipt of an intimation under Sub-Regulation (i), the Chairman, Managing Director or in his absence, the Executive Director of Canara Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman, Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (e) or (f) or (g) or (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- The committee referred to in Sub-Regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VI

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

68. Determination of Voting Rights:

- Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on



शेयरधारक को ऐसी बैठक में हाथ दिखाने पर एक मत प्राप्त होगा और मतदान आयोजित किये जाने पर उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एकमत होगा।

- ii) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन उपर्युक्त अनुसार मत देने के लिए पात्र प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी न हो, जो व्यक्ति: या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो या कंपनी हो तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो, को हाथ दिखाने पर एक मत प्राप्त होगा और मतदान आयोजित किये जाने पर उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा। जैसे उपर्युक्त उपविनियम (i) में बताया गया है

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के लिए, "कंपनी" का अर्थ किसी भी निकाय कॉर्पोरेट है।

कृपया नोट करें कि शेयरधारक निदेशक के चुनाव के संबंध में मतदान केवल रिमोट ई-मतदान व पोल के माध्यम से ही किया जाएगा।

- iii) सामान्य बैठक में उपस्थित होकर मत देने के लिए पात्र बैंक के शेयरधारक उनके बदले में उपस्थित होकर मत देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में अन्य व्यक्ति (शेयरधारक हो या न हो) नियुक्त करने के लिए पात्र होगा और ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बात करने का अधिकार नहीं होगा।

69. विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान:

- i) केंद्र सरकार या कंपनी होने वाला शेयरधारक जैसी भी स्थिति हो प्रस्ताव द्वारा शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने किसी अधिकारी को या अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में 'विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि' कहा गया)। प्राधिकृत व्यक्ति केंद्र सरकार या जिस कंपनी का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसकी तरफ से उन्हीं अधिकारों उपयोग करने के लिए पात्र होगा, जैसे वह केनरा बैंक का व्षी शेयरधारक हो। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्प दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति केंद्र सरकार या कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि की भूमिका निभा सकता है।
- ii) कोई भी व्यक्ति उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में विधिवत नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की प्रति पर जिस बैठक में उसे पारित किया गया है, उसके अध्यक्ष द्वारा उसकी सत्य प्रतिलिपि होने के आशय के प्रमाणन के बिना और उसे बैठक की नियत

show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

- ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in Sub-Regulation (i).

Explanation – for this Chapter, "Company" means any body corporate.

PLEASE NOTE THAT THE VOTING IN RESPECT OF ELECTING SHAREHOLDER DIRECTOR SHALL ONLY BE DONE BY REMOTE e-VOTING AND POLL.

- iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by Duly Authorised Representative:

- i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a 'duly authorized representative' in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of Canara Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government / Company.
- ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Canara Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the

तारीख के चार दिन पहले केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में केनरा बैंक के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित नहीं होगा या मत नहीं देगा।

70. प्रॉक्सियाँ:

- i) व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत अटर्नी या संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम शेयरधारक के रूप में नाम लिखे गये शेयरधारक या उसके विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा या नैगम निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया हो तो कोई भी प्रॉक्सी पत्र वैध नहीं होगा।
बशर्ते कि कोई प्रॉक्सी पत्र किसी शेयरधारक, जो किसी कारणवश, अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, द्वारा पर्याप्त हस्ताक्षरित होगा, यदि उसका चिन्ह उस पर अंकित होकर किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, एर्यूरेंस के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या केनरा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाता हो।
- ii) विधिवत स्टैम्प होकर उसकी प्रति बैठक के लिए नियत तारीख से चार दिन पहले ऐसे मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि है तो) पहले ही केनरा बैंक में जमा और पंजीकृत नहीं किया गया है तो, जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किये गये हैं उस मुख्तारनामे या प्राधिकार की प्रति जिसे सत्य प्रतिलिपि होने के आशय से नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया हो, के साथ केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं की जाती तो कोई भी प्रॉक्सी वैध नहीं होगी।
- iii) फॉर्म 'बी' में न होने पर कोई भी प्रॉक्सी पत्र वैध नहीं होगा।
- iv) केनरा बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी पत्र वापस नहीं होगा और अंतिम होगा।
- v) विकल्प दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर किया गया है तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं होंगे।
- vi) इस विनियम के तहत प्रॉक्सी पत्र देने वाला वह पत्र जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिशः मत देने के लिए पात्र नहीं होगा।
- vii) केनरा बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

Head Office of the Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

70. Proxies:

- i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorized in writing or in the case of joint holders, it is signed by the Shareholder first named in the register or his attorney duly authorized in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing; Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Canara Bank.
- ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority, certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with Canara Bank.
- iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'.
- iv) An instrument of proxy deposited with Canara Bank shall be irrevocable and final.
- v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- vii) No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Canara Bank.

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना- डीबीओडी सं. 46/29.39.001/2007-08 और डीबीओडी सं. 47/29.39.001/2007-08,

Notification of Reserve Bank of India – DBOD No. BC No. 46/29.39.001/2007-08 & DBOD No. 47/29.39.001/

दिनांक 01 नवम्बर 2007 और डीबीओडी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नवत अधिसूचित किया है:

इसके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त नामांकन समिति द्वारा “योग्य और उचित” स्थिति नहीं दी जाती तो कोई भी नामांकन वैध नहीं होगा। नामांकनों के साथ शिक्षा योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता क्षेत्र और प्रत्याशियों की सत्य के मामले में योग्य और उचित स्थिति निर्धारित करने के लिए नामांकन समिति को समर्थ बनाने के लिए प्रत्याशियों के बारे में अतिरिक्त सूचना होनी चाहिए। किसी प्राधिकार या नियंत्रक एजेंसी के प्रतीप अवलोकन या किसी बैंक या वित्त संस्था के ऋण की चूक या दिवालिया संबंधित प्रत्याशी को बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य और अनुचित बनायेगा।

अधिसूचनाओं की प्रमुख विशेषताएं:

“योग्य व उचित” स्थिति के निर्धारण हेतु प्राधिकरण, व्यवस्था / प्रक्रिया व मानदंड निम्न अनुसार हैं:

क) प्राधिकारी:

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेशक मंडल में से न्यूनतम तीन निदेशकों (सभी स्वतंत्र / गैर-कार्यपालक निदेशक) वाले “नामांकन समिति” का गठन करने की आवश्यकता है। निदेशक मंडल को स्वयं में से एक को नामांकन समिति का अध्यक्ष भी चुनना चाहिये। अपेक्षित कोरम तीन है, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं। पहले से नामांकित किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति में निदेशक मंडल बैठक हेतु किसी भी अन्य स्वतंत्र निदेशक को उसके स्थान पर नामांकित कर सकता है। नामांकन समिति के गठन के समय बोर्ड उसके कार्यकाल पर विचार कर सकता है।

ख) तरीका व प्रक्रिया:

नामांकन समिति को मौजूदा निर्वाचित निदेशक / कथित अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के तहत निदेशक के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के “उचित व योग्य” स्थिति के निर्धारण हेतु समुचित सावधानी बरतनी चाहिये। इस उद्देश्य हेतु बैंक को चुनाव हेतु नामांकन दायर करने वाले मौजूदा निर्वाचित निदेशकों / व्यक्तियों से संलग्नित प्रारूप (अनुबन्ध 1) में आवश्यक सूचना व घोषणा प्राप्त करनी चाहिये। नामांकन समिति को निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के मामले में नामांकन की स्वीकार्यता के अंतिम तिथि से पूर्व बैठक आयोजित करनी चाहिये एवं तत्पश्चात यह निर्णय लेना चाहिये कि निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर उस व्यक्ति का अभ्यावेदन स्वीकार

2007-08, dated 01st November, 2007 and DBOD No. BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011:

The Reserve Bank of India has notified as under:

No nomination shall be valid unless “Fit and Proper” status is accorded by the Nomination Committee appointed by the Board of Directors of the Bank for this purpose. The Nominations should accompany additional information about the candidates to enable the Nomination committee to decide on the Fit and Proper status with regard to educational qualification, experience and field of expertise, track record and integrity of the candidates. Adverse notice of any authority / regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the respective candidate unfit and improper to be elected as a director on the Board.

SALIENT FEATURES OF THE NOTIFICATION/S:

The Authority, Manner / Procedure and Criteria for deciding the “Fit and Proper” status etc., are as under:

a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a “nomination committee” consisting of a minimum of three directors (all independent / non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

b) Manner and procedure:

The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the ‘fit and proper’ status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act *ibid*. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format enclosed (Annexure-1), from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations



करना या नहीं। समिति की परिचर्चा बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में उचित रूप से रिकॉर्ड किया जाना चाहिये एवं यदि मतदान होता है तो, मौजूदा व प्रस्तावित निदेशकों, दोनों के मामले में ही उचित रूप से नोट किया जाना चाहिये। हस्ताक्षरित घोषणा में उपलब्ध सूचना के आधार पर नामांकन समिति को अभ्यर्थी के स्वीकार्यता या अन्यथा पर निर्णय लेना चाहिये एवं जहाँ आवश्यक लगे, वहाँ इंगित आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्राधिकरण / व्यक्ति को संदर्भित किया जाना चाहिये।

ग) मापदंड:

नामांकन समिति को निम्नलिखित अनुसार व्यापक मानदंडों के आधार पर मौजूदा निर्वाचित निदेशक / प्रस्तावित अभ्यर्थी के 'योग्य व उचित' स्थिति का निर्धारण करना चाहिये:

- शैक्षणिक योग्यता
- अनुभव व विशेषज्ञता का क्षेत्र
- ट्रैक रिकॉर्ड व विश्वसनीयता

(उपरोक्त सूची केवल दृष्टांत है एवं संपूर्ण नहीं है।)

नामांकन समिति को यह देखना चाहिये कि उपरोक्त मानदंडों में से किसी का भी गैर-अनुपालन मौजूदा निर्वाचित निदेशक / प्रस्तावित उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में दायित्व उन्मोचित करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है या नहीं। आगे, किसी भी प्राधिकरण / विनियामक एजेंसी से प्रतिकूल नोटिस के अंतर्गत आए अभ्यर्थी या किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण के मामले में चूककर्ता या दिवालियापन वाले व्यक्ति बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अयोग्य व अनुचित होंगे।

ध) अन्य मामले:

यह वांछित है कि सार्वजनिक हित में यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्वाचित निदेशक प्रत्येक वर्ष यथा 31 मार्च को प्रसंविदा विलेख निष्पादित कर रहे हैं (डॉ. गांगुली ग्रुप द्वारा भा.रि.बै. परिपत्र डीबीओडी संख्या बीसी. 116/08.139.001/ 2001-02 दिनांक 20.06.2002 द्वारा किए गए सिफारिशानुसार।)

यह भी अनिवार्य है कि सभी निर्वाचित निदेशकों को प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को एक साधारण घोषणा देनी है कि उनके द्वारा पहले से उपलब्ध कराई गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है एवं जहाँ भी परिवर्तन हुआ है, वहाँ निदेशक द्वारा अपेक्षित जानकारी दी गई है। यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तो नामांकन समिति को फिर से समुचित सावधानी

in case of candidate to be elected and decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority / persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

c) Criteria:

The nomination committee should determine the 'fit and proper' status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- Educational qualification
- Experience and field of expertise
- Track record and integrity

(The above list is only illustrative and not exhaustive.)

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director / proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority / regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank.

d) Other matters:

It is desirable that it is ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr.Ganguly Group vide RBI circular DBOD. No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.)

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant



बरतनी चाहिये एवं निदेशक के 'योग्य व उचित' स्थिति की फिर से जाँच करनी चाहिये।

अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशकों के चयन हेतु दिशानिर्देश – भारत सरकार दिशानिर्देश दिनांक 01.06.2011, जिसे कि भारत सरकार कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 03.09.2013 द्वारा लागू किया गया है एवं एमओएफ पत्र संख्या 16/51-2012-बीओ-आई दिनांकित 28.04.2015 एवं 20.07.2016 (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देश) द्वारा संशोधित किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक / वित्तीय संस्थान आदि के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक (एनओडी) के नामांकन हेतु निम्न मापदंडों को अपनाया जा सकता है।

सामान्य:

1. प्रासंगिक अधिनियमों / नियमों के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए नामांकन किया जाएगा।

अर्हता व अनुभव, ट्रैक रिकॉर्ड, विश्वसनीयता आदि अनुसार नामिति की उपयुक्तता को मूल्यांकित किया जा सकता है। विश्वसनीयता व उपयुक्तता मूल्यांकित करने हेतु आपराधिक रिकॉर्ड पर जानकारी, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋण वसूली हेतु किये गये सिविल कार्य, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश करने से मना या निष्कासन, नियामकों और इसी तरह के निकायों द्वारा लागू प्रतिबंधों, पिछले संदिग्ध कारोबार प्रथाओं आदि पर पर विचार किया जाएगा।

अनुभव:

- क) कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहयोग, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट नियम, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्र में श्रेष्ठ विशेष शैक्षिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को सामान्यतः विचारार्थ लिया जाएगा। किसी उच्च पद पर 20 वर्षों का उद्योग अनुभव, संबंधित क्षेत्रों (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व किया, एक असफल संगठन में बदलाव लाया) में स्थापित विशेषज्ञ को अधिमान्यता दी जाएगी।
- ख) कुल 20 वर्षों के अनुभव के साथ सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जिनका संयुक्त सचिव व ऊपर के पद पर न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से सेवानिवृत्त सीएमडी / ईडी। पूर्व-सीएमडी / ईडी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के पश्चात को उस पीएसबी के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा, जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। पीएसबी के सेवारत सीएमडी / ईडी को किसी अन्य पीएसबी के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'fit and proper' status of the director.

GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTORS – GOI GUIDELINES DATED 01.06.2011 as made applicable vide GOI Office Memorandum dated 03rd September, 2013 and revised vide MOF Letter No, 16/51-2012-BO-I dated 28.04.2015 & 20.07.2016 (the extant guidelines of GOI):

The following criteria may be adopted for nomination of Part-Time Non-Official Directors (NOD) on the boards of public sector banks / financial institutions etc.,

GENERAL:

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts / Rules.

The suitability of nominees may be assessed in terms of qualification and expertise, track record, integrity etc., For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

EXPERIENCE:

- a) Persons with eminence special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, co-operation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, Risk Management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
- b) Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs / EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs / EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.

- ग) 20 वर्षों से अधिक के अनुभव युक्त प्रमुख बैंकिंग प्रबन्धन संस्थान के शिक्षाविद निदेशक व प्रोफेसर।
- घ) 20 वर्षों के अनुभव युक्त सनदी लेखाकार (ऑडिट अनुभव के अलावा) को अधिमान्यता दिया जाएगा।
- ङ) यद्यपि, मामले के मेरिट के आधार पर असाधारण मामलों में वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव मापदंडों में रियायत दी जा सकती है।
- च) जहाँ तक संभव हो, महिला व अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि. व. समुदाय से संबद्ध व्यक्ति को भी अभ्यावेदन दिया जा सकता है।

शिक्षा:

गैर आधिकारिक निदेशक कम से कम किसी भी क्षेत्र में, अधिमानित रूप से कारोबार प्रबन्धन, जोखिम प्रबन्धन, वित्त, मानव संसाधन व आईटी में विशेषज्ञता के साथ स्नातक होना चाहिये।

आयु:

सर्च समिति द्वारा सिफारिश की तिथि पर निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

कार्य अनुभव:

पेशेवरों / शिक्षाविदों के पास आमतौर पर उनके विशेष क्षेत्र में 20 वर्षों का कार्य-अनुभव होना चाहिए।

अयोग्यता:

- क) किसी भी वर्ग के तहत बैंक / वित्तीय संस्थान (एफआई) / भा. रि.बै. / बीमा कंपनी में पहले से निदेशक को किसी भी अन्य बैंक / एफआई / भा.रि.बै. / बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
- ख) अवक्रय, वित्तपोषण निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से संबद्ध व्यक्ति, एमपी, एमएलए, एमएलसी व स्टॉक ब्रोकर को बैंक / एफआई / भा.रि.बै. / बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। अवक्रय, वित्तपोषण निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में लिप्त निवेशक, यदि उसके पास ऐसी कंपनी में प्रबन्धकीय नियंत्रण नहीं है तो, गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु अयोग्य होगा।
- ग) व्यक्ति जिसने दो अवधि या 6 वर्षों हेतु, इनमें से जो भी अधिक है, किसी भी वर्ग के तहत पूर्व में निदेशक के रूप में कार्य किया है तो, उसे बैंक / एफआई / भा.रि.बै. / बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में पुनःनामित नहीं किया जाएगा।

- c) Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
- d) Chartered Accountants with 20 years experience (excluding audit experience) would also be preferred.
- e) However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.
- f) As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC / ST / OBC community.

EDUCATION:

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

AGE:

The age of the Director, on the date of recommendation by Search Committee should not be more than 67 years.

WORK EXPERIENCE:

Professionals / academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

DISQUALIFICATIONS:

- a) A director already on a Bank / Financial Institution (FIs) / RBI / Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank / FI / RBI / Insurance Company.
- b) Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks / FIs / RBI / Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
- c) No person may be re-nominated as an NOD on the Board of a Bank / FI / RBI / Insurance Company on which he / she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.



कार्यकाल:

यदि ऐसा निदेशक पहले से ही निरंतर या मध्यस्थ आधार पर 6 वर्षों हेतु किसी भी अन्य बैंक / एफआई / भा.रि.बै. / बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक / शेयरधारक निदेशक रहा है तो बैंक / एफआई / भा.रि.बै. / बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

व्यावसायिक प्रतिबन्ध:

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन और विविध) प्रावधान योजना, 1970 की धारा 10 (डी) के तहत व्यावसायिक प्रतिबंध के साथ किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लाभ के पद के मुद्दे पर अलग से जांच की जा जानी चाहिए।

यदि कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में एक सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में लगी हुई है, तो उस चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म का कोई भी भागीदार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / पीएसबी में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

यदि एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म वर्तमान में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में लगी हुई है, तो उस चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों में से कोई भी भागीदार उसी बैंक में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

TENURE:

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank / FI / RBI / Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder- Director on the board of any other Bank / FI / RBI / Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

PROFESSIONAL RESTRICTION:

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalised Banks Scheme (Management and Miscellaneous) Provision Scheme, 1970 may be separately examined.

If a Chartered Accountant firm is currently engaged in any Public Sector Bank(PSB) as a Statutory Central Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firm shall be eligible for appointment as a Non-official Director in any nationalized Bank / PSB.

If a Chartered Accountant firm is currently engaged in a Nationalized Bank as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firms should be eligible for appointment as a Non-official Director in the same Bank.

प्रगति की झलक / PROGRESS AT A GLANCE

(राशि ₹ करोड़ / Amt. ₹ Crore)

पैरामीटर / Parameters	2016-17	2017-18	2018-19
शाखाओं की संख्या / Number of Branches	6083	6204	6310
एटीएम की संख्या / Number of ATMs	10519	9395	8851
प्रदत्त पूंजी / Paid-up Capital	597	733	753
आरक्षित निधि / Reserves	33088	34872	35424
कुल जमा / Aggregate Deposits	495275	524772	599033
वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%) / Growth (%) y-o-y	3.23	5.96	14.15
अनिवासी जमाएं / Non-Resident Deposits	36745	39688	37246
विदेशी व्यापार का कारोबार / Foreign Business Turnover	235425	261469	257078
सकल अग्रिम / Gross Advances	355306	400843	444216
वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%) / Growth (%) y-o-y	5.57	12.82	10.82
खुदरा अग्रिम / Retail Advances	50962	57296	73065
वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%) / Growth (%) y-o-y	16.97	12.43	27.52
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances	160269	183313	195126
वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%) / Growth (%) y-o-y	10.11	14.38	6.44
कृषि / Agriculture	74079	82456	90543
वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%) / Growth (%) y-o-y	10.28	11.31	9.81
कृषि (संवितरण) / Agriculture (Disbursal)	58691	67902	76384
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अग्रिम / Advances to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)	74302	82098	85168
वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%) / Growth (%) y-o-y	11.42	10.49	3.74
डीआरआई योजना के तहत अग्रिम / Advances under DRI Scheme	141	112	101
एससी / एसटी ग्राहकों को अग्रिम / Advances to SC/ST Clients	7354	7991	8190
निर्यात ऋण / Export Credit	11253	11587	11089
कुल आय / Total Income	48942	48195	53384
कुल व्यय / Total Expenditure	40028	38647	42795
परिचालन लाभ / Operating Profit	8914	9548	10590
निवल लाभ / निवल हानि / Net Profit / Net Loss	1122	(4222)	347
ग्राहक (करोड़ में) / Clientele (In Crore)	7.79	8.27	8.73
स्टॉफ की कुल संख्या / Total Number of Staff	55717	58855	58350
नकद वसूली / Cash Recovery	4162	6458	10355
मुख्य निष्पादन अनुपात (%) / Key Performance Ratios (%)			
पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio	12.86	13.22	11.9
सकल एनपीए अनुपात / Gross NPA Ratio	9.63	11.84	8.83
निवल एनपीए अनुपात / Net NPA Ratio	6.33	7.48	5.37
औसत आस्तियों पर रिटर्न / Return on Average Assets	0.2	(0.75)	0.06
लाभांश / Return on Equity	4.15	(16.74)	1.4
बही मूल्य / Book Value	451	315	348
शुद्ध ब्याज मार्जिन / Net Interest Margin	2.23	2.42	2.63



निदेशकों की रिपोर्ट
2018-2019
DIRECTORS' REPORT

निदेशकों की रिपोर्ट : 2018-19

निदेशक मंडल द्वारा यथा 31 मार्च, 2019 की अवधि के लिए तुलनपत्र व यथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा सहित 50वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत की जा रही है।

प्रबंधन विचार – विमर्श व विश्लेषण

I. आर्थिक परिवेश

2018-19 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.8% है जो कि पिछले वित्त वर्ष में 7.2% थी। बावजूद इसके, भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वर्ष की पहली छमाही में आर्थिक गति मजबूत थी, हालांकि दूसरी छमाही में मामूली गिरावट के कुछ संकेत दिखाई दिए हैं।

जीडीपी वृद्धि को मजबूत सरकारी खर्चों के साथ, अनुकूल जनसांख्यिकी के बीच लचीले उपभोक्ता खर्च और निवेश गतिविधियों में पुनरुद्धार के साथ बढ़ती आय के कारण प्रेरित किया गया था जो कि अब तक प्रभावित था। पिछले साल मामूली गिरावट होने के बावजूद, क्षेत्रवार, सेवा क्षेत्र एक प्रमुख विकास चालक बना हुआ है। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में मजबूत गतिविधि से औद्योगिक विकास पुनर्जीवित हुआ है। इस बीच, मानसून के खराब रहने और खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट के कारण कृषि वृद्धि भी थमी हुई है। हालांकि, 2019-20 के केंद्रीय बजट में प्राथमिक क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है और कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लक्षित उपायों से इस क्षेत्र के प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में मदद करने की उम्मीद है।

निरंतर विकास के साथ, अर्थव्यवस्था के मूल तत्व में भी सुधार हुआ है। सर्वाधिक उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता मुद्रास्फीति में तेज गिरावट आई है, जो कि 2018-19 में पिछले वर्ष 3.6% के मुकाबले 3.4% न्यूनतम स्तर पर है। पहली छमाही में कीमतों में कुछ उतार चढ़ाव देखा गया था, वहीं दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इसमें से अधिकांश को मामूली खाद्य मुद्रास्फीति के कारण हासिल किया गया है, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में वर्ष दर वर्ष वृद्धि मात्र 0.7% दर्ज की। उच्च कृषि उत्पादन, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की कम गति व सरकार के सूक्ष्म आपूर्ति प्रबंधन के कारण खाद्य कीमतें निम्न स्तर पर स्थिर रही हैं। वैश्विक कच्चे तेल की स्थिर कीमतों ने ईंधन मुद्रास्फीति को कम रखने में मदद की जिसने खाद्य कीमतों पर किसी भी क्षणिक प्रभाव को कम किया है। खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति, जिसे आमतौर पर

DIRECTORS' REPORT: 2018-19

The Board of Directors have pleasure in presenting the 50th Annual Report together with the Balance Sheet as on 31st March, 2019 and Profit & Loss Account for the financial year ended March 31, 2019.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

I. ECONOMIC ENVIRONMENT

India's Gross Domestic Product (GDP) growth moderated to 6.8% in 2018-19, from 7.2% in the previous financial year. Nevertheless, India still continues to be one of the fastest growing major economies in the world. Economic momentum was robust in the first half of the year, though showed some signs of moderation in the second half.

GDP growth was driven by robust Government expenditure, resilient consumer spending amidst favourable demographics and rising incomes coupled with revival in investment activities that was hitherto been subdued. At the sectoral front, services sector continues to remain a major growth driver, despite marginal moderation last year. Industry growth revived, aided by strong activity in manufacturing and construction sectors. Meanwhile, growth in agriculture continues to remain muted, owing to poor monsoon and fall in food prices. However, a greater focus on the primary sector in 2019-20 Union Budget and targeted measures to build agriculture infrastructure are expected to aid the performance of the sector going ahead.

While growth has sustained, other economic fundamentals have improved too. Most note worthy has been the sharp decline in consumer inflation, which averaged a record low of 3.4% y-o-y in 2018-19 from 3.6% y-o-y in the previous year. While some seasonal uptick in prices was witnessed in the first half, inflation eased sharply in the second half. Much of this has been achieved on the back of benign food inflation, which recorded a mere 0.7% y-o-y growth in the last financial year. Higher agriculture output, lower pace of increase in minimum support prices for crops and government's astute supply management have been integral in keeping the food prices low. Stable global crude oil prices helped in keeping fuel inflation tamed which

मुख्य मुद्रास्फीति कहा जाता है और पहली छमाही में मांग पक्ष कीमत उच्च बना रहा, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत तक कीमतें कम होने लगी।

मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट ने वर्ष के उत्तरार्ध में समायोजित मौद्रिक नीति के लिए जोखिमों से बचने के लिए एक नया द्वार खोला। पहली छमाही 2018-19 में दो अग्रक्रम दरों में बढ़ोतरी के बाद आरबीआई ने दूसरी छमाही में बेंचमार्क दर को घटाकर 50 कर दिया, हालांकि तटस्थ नीति रुख को बनाए रखा। मजबूत आर्थिक गतिविधि के साथ ब्याज दरों में आसानी से ऋण की मांग बढ़ी जिससे वर्ष दर वर्ष ऋण वृद्धि मार्च 2018 के 10.3 प्रतिशत की अपेक्षा मार्च 2019 में 13.2 प्रतिशत हो गया।

अनुकूल वृद्धि और मुद्रास्फीति समायोजन के साथ, अर्थव्यवस्था राजकोषीय एकीकरण के मार्ग पर जारी रही। 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% हुआ, जो कि लक्ष्य के 3.3 प्रतिशत से अधिक रहा लेकिन पिछले वित्त वर्ष के 3.5% प्रतिशत की तुलना में कम है। विदेशी मामलों में, पिछले वर्ष 2018-19 में निर्यात की तुलना में आयात में बढ़ोतरी होने से व्यापार घाटा 158 बिलियन डॉलर से बढ़कर 176 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसने चालू खाता घाटा (सीएडी) को तिमाही के पहले 9 महीनों के लिए जीडीपी के 2.6% से अधिक पर पहुंचा दिया। चालू खाता घाटा बढ़ने पर भी पूंजी प्रवाह के मजबूत रहने, अर्थव्यवस्था के विकास क्षमता व निवेश पर उच्च प्रतिफल और सरकार के चल रहे सुधारों के साथ व्यापार के लिए अनुकूल नीतियों के कारण एफडीआई निवेशकों के लिए भारत पसंदीदा स्थान बना रहा। संरचनात्मक स्तर पर सुधार ने विश्व के कारोबार सुगमता की श्रेणी में देश को 2018 में 23 अंकों की उछाल के साथ 77वें पायदान पर खड़ा किया है व अर्थव्यवस्था को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर करने में मदद की है।

कर्नाटक में आर्थिक परिदृश्य

कर्नाटक का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2018-19 के दौरान वर्ष दर वर्ष 9.6% की वृद्धि रही तथा इसने एक उच्च आय वाला राज्य होने के कारण, कर्नाटक राज्य ने देश की जीडीपी में लगभग 7.7% का योगदान किया। केनरा बैंक, मूलतः कर्नाटक का होने के कारण, पूरे राज्य में फैली 999 शाखाओं और 2051 एटीएम के नेटवर्क के साथ प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है। मार्च 2019 तक बैंक का कर्नाटक में कुल कारोबार 184283 करोड़ रुपये रहा, जो बैंक के कुल घरेलू कारोबार का लगभग 18.71% था। इसमें जमा के तहत 108037

in turn could obviate any transient impact on food prices. Inflation excluding food and fuel, commonly termed as core inflation and a reflection of demand side price pressures remained high and sticky in the first half but started to ease towards the end of the financial year.

Subdued inflation trajectory, with receding upside risks opened up room for an accommodative monetary policy in the second half of the year. RBI after two pre-emptive rate hikes in the first half 2018-19, reduced the benchmark rate by an aggregate 50 bps in the second half, though maintained the neutral policy stance. Easing interest rates along with robust economic activity aided demand for credit, thus leading to a pick-up in credit growth from 10.3% y-o-y at the end of March 2018 to 13.2% y-o-y in March 2019.

Alongside a favourable growth and inflation mix, the economy continued on the path of fiscal consolidation. Fiscal deficit for 2018-19 came in at 3.4% of GDP, missing the target of 3.3% but lower than 3.5% in the previous financial year. On the external sector front, trade deficit for 2018-19 widened to \$ 176 bn from \$ 158 bn in the previous year as imports grew at a marginally faster pace than exports. This pushed the Current Account Deficit (CAD) higher to 2.6% of GDP for the first 9 months of the quarter. While the current account deficit widened, capital flows were robust as India continued to be a preferred destination for FDI flows owing to the economy's growth potential, relative higher return on investment and government's ongoing reforms along with business friendly policies. The structural reform process has helped the country jump 23 spots in World's Ease of Doing Business to a rank of 77 in 2018 and will help the economy anchor to a sustained growth trajectory.

Economic Environment in Karnataka

Karnataka's Gross State Domestic Product (GSDP) rose by 9.6% y-o-y during 2018-19 and by the virtue of being a high income state, it contributed around 7.7% to the country's GDP. Canara Bank, owing its origin in Karnataka, continues to hold a key position, with a network of 999 branches and 2051 ATMs, spread across the State. The total business of the Bank in Karnataka stood at ₹184283 crore, as at March 2019, which accounts for around 18.71% to the bank's total

करोड़ रुपये और अग्रिम के तहत 76246 करोड़ रुपये है जो कि ऋण जमा अनुपात (सी-डी) का 70.57% है।

II. मौद्रिक व आर्थिक विकास

मौद्रिक समग्रों में हुई वृद्धि ने देशी व वैश्विक वित्तीय परिवेश से उत्पन्न होनेवाली परिवर्तनशील नकदी परिस्थितियों को प्रतिबिंबित किया है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति, उत्पादन और कीमतों के बीच कार्य-कारण को देखते हुए, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक समग्रों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मुद्रा आपूर्ति में (एम3) मार्च 2019 में वर्ष दर वर्ष 10.6% की वृद्धि से ₹154 लाख करोड़ हुई। आरबीआई द्वारा धन आपूर्ति के निरंतर प्रतिपूर्ति प्रयासों से अपने पूर्व विमुद्रीकरण स्तर को पुनः प्राप्त किया। वर्ष दर वर्ष मुद्रा प्रवाह (सीआईसी) में 16.6% की बढ़त के साथ यह ₹21.37 लाख करोड़ तक पहुंच गया।

पिछले एक वर्ष के दौरान बैंकिंग प्रणाली की तरलता मार्च 2019 तक जमा वृद्धि (13.2% वर्ष दर वर्ष) के साथ घटे में रही है। अर्थव्यवस्था में ऋण वृद्धि के मुख्य चालक खुदरा और एमएसएमई क्षेत्र रहे हैं। मार्च 2019 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सी-डी अनुपात 75.49% पर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 18-19 में बैंकिंग प्रणाली के चलनिधि अंतर को दूर करने के लिए, लगभग 3 लाख करोड़ रुपये खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) का सहारा लिया। मार्च 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 बिलियन डॉलर मूल्य के रुपए डॉलर स्वैप ने चलनिधि स्थितियों को सुधारने में मदद की।

ब्याज दर के मामले में, आरबीआई ने जुलाई और अगस्त में दो बार अग्रक्रम दर 25 बेसिस पॉइंट(बीपीएस) बढ़ाया। फलतः, अक्टूबर 2018 में कड़ाई से पालन करने के कारण नीति में बदलाव किया। हालांकि, आरबीआई के पूर्वानुमान तथा वर्ष की दूसरी छमाही में 4% का मध्यम अवधि का लक्ष्य से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में कमी के कारण केंद्रीय बैंक ने तटस्थ रुख अपनाते हुए फरवरी 2019 की नीतिगत बैठक में रेपो दर को 25 बीपीएस घटाते हुए 6.25% कर दिया।

वर्ष 2018-19 के दौरान नकद रिजर्व अनुपात (सीआरआर) के 4% पर अपरिवर्तित रखा गया था। एक महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति के तहत मौद्रिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को क्रमिक तरीके से 18% तक कम करने के उपाय किए गए। वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) 50 बीपीएस घटकर 19.50% से 19.00% हो गया है।

domestic business. This comprise of ₹108037 crore under deposits and ₹76246 crore under advances, with a credit to deposit (C-D) ratio of 70.57%.

II. MONETARY AND BANKING DEVELOPMENTS

Trends in movement of monetary aggregates by and large reflected the domestic and global macroeconomic conditions. Given the causality between money supply, output and prices in the economy, the movement of monetary aggregates in the economy has significant implications. Broad Money (M3) grew 10.6% y-o-y to ₹154 lakh crore as of March 2019. Sustained remonetisation efforts by RBI helped money supply to regain its pre demonetization level. The Currency in Circulation (CIC) grew at a pace of 16.6% y-o-y at ₹21.37 lakh crore during the year.

Banking system liquidity during the past one year has been in deficit with credit growth (13.2% y-o-y) surpassing deposit growth (10.0% y-o-y) as at March 2019. The main drivers of the credit growth in the economy have been retail and MSME sector. The CD ratio of SCBs' stood at 75.49% as at March 2019. To address the liquidity gap in the banking system, RBI resorted to around ₹3 lakh crore Open Market Operations (OMOs) in FY18-19. The Rupee-Dollar Swap worth of \$5Bn by RBI Bn in March 2019 further helped in improving the liquidity conditions.

On the interest rate front, RBI resorted to two pre-emptive rate hikes of 25 basis points (bps) each in July and August. Following this, the policy stance was changed to 'calibrated tightening' in October 2018. However, with a decline in CPI inflation below RBI's projection and medium term target of 4% in the second half of the year, the central bank reduced repo rate by 25 bps to 6.25% in February 2019 policy meeting along with a change in the stance to neutral. Cash Reserve Ratio (CRR) was kept unchanged through 2018-19 at 4.0%. One important monetary policy measure was to reduce Statutory Liquidity Ratio (SLR) in a gradual manner till it reaches 18%. SLR has already been reduced by 50bps from 19.50% to 19.00%.

आरबीआई नीति दर में परिवर्तन से बैंकिंग क्षेत्र में जमा और उधार दरों में परिवर्तन हुआ। एक साल की सावधि जमा के लिए, बैंकों ने 31 मार्च 2019 तक 6.25-6.75% की दरों की पेशकश की जबकि वर्ष के दौरान एमसीएलआर 7.80-7.95% से बढ़कर 8.05-8.55% हो गया।

The change in RBI policy rate reflected accordingly in the banking sector deposit and lending rates. For one year term deposits, banks offered the rates in the range of 6.25-6.75% as of 31st March 2019 while MCLR increased from 7.80-7.95% to 8.05-8.55% during the year.

वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान रेपो दर और एमएसएफ दर में परिवर्तन

से प्रभावी	रेपो दर (%)	प्रतिवर्ती रेपो दर (%)	आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) (%)	सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) (%)	एमएसएफ दर (%)
06-06-2018	6.25	6.00	4.00	19.50	6.50
01-08-2018	6.50	6.25	4.00	-	6.75
05-01-2019	-	-	4.00	19.25	-
07-02-2019	6.25	6.00	4.00	-	6.50

Changes in Repo Rate and MSF Rate during FY2019

Effective Since	Repo Rate (%)	Re-verse Repo rate (%)	Cash Reserve Ratio (CRR) (%) of NDTL	Statutory Liquidity Ratio (SLR) (%)	MSF Rate (%)
06-06-2018	6.25	6.00	4.00	19.50	6.50
01-08-2018	6.50	6.25	4.00	-	6.75
05-01-2019	-	-	4.00	19.25	-
07-02-2019	6.25	6.00	4.00	-	6.50

वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुख्य नीति / पर्यवेक्षकीय समीक्षा संबंधी निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई।

RBI made the following major policy announcements / supervisory review / changes during FY2019.

- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे अपने निवल मांग और मीयादी देयताएं (एनडीटीएल) के वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) आवश्यकताओं की समीक्षा करते हुए अप्रैल 2020 तक 19.50% से कम करते हुए 18% तक पहुंचने के लिए हर तिमाही 25 आधार अंकों की कमी करें।
- आरबीआई ने बैंकों को अपने एलसीआर की गणना करने के उद्देश्य से स्तर 1 एचक्यूएलए के रूप में अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर एफएलएलसीआर के तहत उनके निवल मांग तथा मीयादी देयताओं के 2% तक सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्गठन की अनुमति दी। इसलिए, एफएलआरसीआर के तहत एसएलआर अब 13% होगा, बैंकों के लिए उपलब्ध एनडीटीएल 15% एसएलआर में कमी करना है।
- चलनिधि मानक रूपरेखा बासेल III के तहत दिए गए ऋणों के एवज में बैंकों को यह अनुमति है कि वे एनबीएफसी और एचएफसी को उनके वृद्धिशील बकाया ऋण के बराबर राशि तक अक्टूबर 2018 को एनबीएफसी और एचएफसी को उनके बहियों पर ऋण की राशि से अधिक, एफएलआरसीआर के तहत अनिवार्य एसएलआर के एचक्यूएलए स्तर 1 के तहत सरकार की प्रतिभूतियों की भी प्रतिपूर्ति करने की अनुमति दी गई है। यह एनडीटीएल के मौजूदा एफएलआरसीआर के 13% अतिरिक्त है तथा बैंक के एनडीटीएल के 0.5% तक सीमित है।

- RBI directed banks to review and reduce the Statutory Liquidity Ratio (SLR) requirements by 25 basis points every calendar quarter from 19.50% of their Net Demand and Time Liabilities (NDTL) until it reaches 18% by April 2020.
- RBI permitted banks to reckon Government Securities held by them up to another 2% of their NDTL, under FALLCR within the mandatory SLR requirement, as Level 1 HQLA for the purpose of computing their LCR. Hence, the carve-out from SLR, under FALLCR will now be 13%, taking the total carve-out from SLR available to banks to 15% of their NDTL.
- Under Basel III framework on liquidity standards against the credit disbursed to NBFC / HFC banks were permitted to also reckon Government securities held by them up to an amount equal to their incremental outstanding credit to NBFCs and HFCs, over and above the amount of credit to NBFCs and HFCs outstanding on their books as on October 2018, as Level 1 HQLA under FALLCR within the mandatory SLR requirement. This was in addition to the existing FALLCR of 13% of NDTL, and limited to 0.5% of the bank's NDTL.



4. आरबीआई ने निवल स्थिर निधीयन अनुपात(एनएसएफआर) और चलनिधि अनुपात (एलसीआर) पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें आरबीआई ने बैंकों को कम से कम 100% का निवल स्थिर निधीयन अनुपात रखना अनिवार्य किया है। आरबीआई के आकलन के बाद, अलग-अलग बैंकों को निधीयन जोखिम का अनुपालन करने के लिए सख्त मानकों को अपनाना पड़ सकता है। बैंकों को हर तिमाही के 15 दिनों के भीतर निवल स्थिर निधीयन अनुपात डेटा जमा करना होगा। इसके अलावा, अल्पावधि में संभावित चलनिधि विघटन से बचने के लिए, तीव्र दबाव परिदृश्य से बचने के लिए बैंकों के पास 30 दिनों तक चलने वाले उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति होनी चाहिए। चलनिधि अनुपात के कार्यान्वयन की समय सीमा 1 जनवरी, 2019 से उल्लिखित है।
5. आरबीआई ने थोक जमा और रुपए के थोक जमा सीमा, की परिभाषा को संशोधित किया है, जिसमें ब्याज दर को बदलते हुए (1 करोड़ रुपये से) 2 करोड़ रुपये किया जा सकता है। पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए बैंकों को सीबीएस में अपने थोक जमा ब्याज दर कार्ड बनाए रखना है।
6. अस्थायी व्यवस्था के तौर पर, बैंकों व एनबीएफसी को उनके जीएसटी पंजीकृत, अपंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ता जिनका कुल एक्सपोजर 31 मई, 2018 को ₹250 मिलियन से अधिक नहीं है उनके एक्सपोजर को 'मानक आस्ति' वर्गीकृत करने की अनुमति दी है।
7. आरबीआई ने बैंकों को कृषि ऋण के लिए संपार्श्विक मुक्त सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये करने की अनुमति दी है।
8. एनबीएफसी एक्सपोजर के संबंध में, आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे एनबीएफसी को बैंकों के एक्सपोजर का मूल्यांकन करें, जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों को मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसियों द्वारा सौंपी गई रेटिंग के अनुसार जोखिम-भारित से अलग होंगे। सीआईसी के लिए एक्सपोजर 100% पर जोखिम-भार के रूप में जारी रहेगा।
9. बैंकिंग प्रणाली से कुल ₹1500 मिलियन या उससे अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा आधारित बड़े उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन को बढ़ाने के लिए, 1 अप्रैल, 2019 से 40% के ऋण घटक का न्यूनतम स्तर प्रभावी होगा। तदनुसार, ऐसे उधारकर्ताओं के लिए, बकाया 'ऋण घटक' (कार्यशील पूंजीगत ऋण) स्वीकृत फंड आधारित कार्यशील पूंजी सीमा के कम से कम 40% के बराबर होना चाहिए, जिसमें तदर्थ सीमाएं और टीओडी शामिल हैं।
10. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, खुदरा (आवास, ऑटो, आदि) के लिए सभी नए अस्थायी दर ऋण और 1 अप्रैल, 2019 से बैंकों द्वारा विस्तारित सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को एक बाहरी
4. RBI issued final guidelines on Net Stable Finding Ratio (NSFR) and Liquidity Coverage Ratio (LCR). In this RBI mandated banks to have an NSFR of at least 100%. After an RBI assessment, individual banks may have to adopt stricter standards to reflect funding risk and compliance. Banks need to submit NSFR data for every quarter within 15 days. In addition to this, for responding promptly to the potential liquidity disruption in the short term, banks must have high quality liquid assets to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The deadline for the implementation of LCR was mentioned from 1st January, 2019.
5. RBI revised the definition of bulk deposits and the threshold for Rupee bulk deposits, wherein a differential interest rate can be offered, is raised to ₹2 cr (from ₹1 cr). Banks will have to maintain their bulk deposit interest rate cards in the CBS for supervisory review.
6. In a temporary arrangement, RBI decided to allow banks and NBFCs to classify their exposure, as per the 180 days past due criterion, to all MSMEs, including those not registered under GST, as a 'standard' asset, subject to the conditions that the aggregate exposure should not exceed ₹250 million as on May 31st, 2018.
7. RBI permitted banks to accept collateral free limit for the agriculture loan extended up to ₹1.6 lakh from ₹1 lakh.
8. With regard to NBFC exposures, RBI directed banks that rated exposures of banks to NBFCs, excluding Core Investment Companies, will be risk-weighted as per the ratings assigned by the accredited rating agencies. Exposures to CICs will continue to be risk-weighted at 100%.
9. With a view to enhance credit discipline among the larger borrowers having aggregate fund based working capital limit of ₹1500 million and above from the banking system, a minimum level of 'loan component' of 40% shall be effective from April 1, 2019. Accordingly, for such borrowers, the outstanding 'loan component' (Working Capital Loan) must be equal to at least 40% of the sanctioned fund based working capital limit, including ad-hoc limits and TODs.
10. As per RBI's direction, all new floating rate loans to retail (housing, auto, etc.) and Micro and Small Enterprises extended by banks from April 1, 2019

बेंचमार्क दर (आरबीआई रेपो रेट, 91 दिन ट्रेजरी बिल की उपज प्रतिफल, 182 दिन ट्रेजरी बिल प्रतिफल या किसी अन्य बेंचमार्क मार्केट ब्याज दर) के लिए बेंचमार्क किया जाएगा। ऋण देते समय बैंक द्वारा बेंचमार्क दर के प्रसार को पूरी तरह से तय किया जाएगा और और यह ऋण के पूरे समय तक अपरिवर्तित रहना चाहिए, जब तक कि उधारकर्ता के ऋण मूल्यांकन में पर्याप्त परिवर्तन नहीं होता। हालांकि यह बाद में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा टाल दिया गया है।

11. आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) के संबंध में, आरबीआई ने निर्देश दिया कि मूल बैंक को 20 मिलियन डॉलर की न्यूनतम पूंजी प्रदान करने की आवश्यकता होगी या किसी भी विदेशी मुद्रा के समकक्ष अपने आईबीयू संचालन शुरू करने के लिए और आईबीयू को समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार न्यूनतम निर्धारित विनियामक पूंजी को चालू आधार पर बनाए रखना चाहिए। हालांकि, न्यूनतम निर्धारित विनियामक पूंजी, जिसमें आईबीयू के एक्सपोजर शामिल हैं, को स्वदेश में नियमों के अनुसार मूल स्तर पर जारी रखा जाएगा और आईबीयू द्वारा अर्ध-वार्षिक आधार पर आरबीआई (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, डीबीआर, सीओ, आरबीआई) के लिए मूल बैंक से प्राप्त इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जब और जहां आवश्यकता हो, आईबीयू को पूंजी/ तरलता सहायता के लिए मूल बैंक को एक चुकौती आश्वासन पत्र प्रदान करना होगा।
12. वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में, राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के मूल्यांकन के लिए बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो का मूल्यांकन और संचालन के लिए आरबीआई ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन तथ्यात्मक मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए।
13. आरबीआई ने एलएएफ और एमएसएफ के तहत मार्जिन आवश्यकताओं की समीक्षा की जो क्रमशः 4% और 6% थी। द्वितीय द्वि-मासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद, आरबीआई ने संपार्श्विक की अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर मार्जिन आवश्यकता को निर्धारित करने का निर्णय लिया, अर्थात्, ट्रेजरी बिल, केंद्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ (तेल बांड सहित) और राज्य विकास ऋण (दईए)। इसके अलावा, यह भी तय किया गया है कि रेट किए गए एसडीएल के लिए मार्जिन की आवश्यकता 1% कम होगी जो कि उसी परिपक्वता स्थिति के लिए अनट्रेडेड एसडीएल की तुलना में कम होगी। 1 अगस्त, 2018 से संशोधित मार्जिन आवश्यकताएं लागू हुईं।

shall be benchmarked to an external benchmark rate (RBI repo rate, 91 days Treasury Bill yield, 182 days Treasury Bill yield or Any other benchmark market interest rate). The spread over the benchmark rate will be decided wholly by the bank at the inception of the loan and this should remain unchanged through the life of the loan, unless the borrower's credit assessment undergoes a substantial change. However this has been deferred later by the RBI.

11. With respect to the IFSC Banking Units (IBUs), RBI directed that the parent bank will be required to provide a minimum capital of \$20 million or equivalent in any foreign currency to start their IBU operations and the IBU should maintain the minimum prescribed regulatory capital on an on-going basis as per regulations amended from time to time. However, the minimum prescribed regulatory capital, including for the exposures of the IBU, shall be maintained on an on-going basis at the parent level as per regulations in the home country and the IBU shall submit a certificate to this effect obtained from the parent on a half-yearly basis to RBI (International Banking Division, DBR, CO, RBI). The parent bank will be required to provide a Letter of Comfort for extending financial assistance, as and when required, in the form of capital / liquidity support to IBU.
12. With respect to the prudential norms for Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by banks for the valuation of State Development Loans (SDLs), RBI directed that securities issued by each state government should be valued based on observed prices.
13. RBI reviewed the margin requirements under LAF and MSF which stood at 4% and 6% respectively. Following the 2nd Bi-Monthly Monetary Policy Review, RBI decided to assign margin requirement on the basis of residual maturity of the collateral, i.e., the Treasury Bills, Central Government dated securities (including Oil Bonds) and State Development Loans (SDLs). Further, it has also been decided that the margin requirement for rated SDLs shall be 1% lower than that of unrated SDLs for the same maturity bucket. The revised margin requirements came into effect from August 1st, 2018.



14. सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के प्रतिफल में तेज वृद्धि के प्रणालीगत प्रभाव के समाधान के लिए, आरबीआई ने 31 दिसंबर, 2017 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए एएफएस और एचएफटी में निवेश पर बाजार भाव पर दर्शाते (एमटीएम) हुए घाटे के लिए प्रावधान करने के लिए बैंकों को अनुमति दी है। छूट इन तिमाहियों में से प्रत्येक के लिए प्रावधान करने के लिए दी गई थी, जो कि उस तिमाही के साथ समान रूप से चार तिमाहियों तक फैला हो सकता है, जिसमें नुकसान हुआ है। (ट्रेजरी एमटीएम नुकसान)। भविष्य में जी-सेक के सख्त होने के खिलाफ परिरक्षण के लिए पर्याप्त भंडार बनाने की बोली में, सभी बैंकों को वित्त वर्ष 19 से प्रभावी निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) बनाने की सलाह दी गई।
15. व्युत्पन्नियों पर व्यापक दिशा-निर्देशों के संशोधन में, आरबीआई ने निर्देश दिया कि ग्राहकों द्वारा खरीदे गए एकल सादे वेनिला फॉरेक्स विकल्प (बिना संलग्न संरचनाओं के) को-उपयोगकर्ता उपयुक्तता और उपयुक्तता के मानदंडों से छूट दी जाएगी और नियामक आवश्यकताएं फॉरेक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बराबर होंगी।
16. डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान द्वारा प्रदान की जाने वाली गुमनामी से उत्पन्न मामलों को दूर करने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसके संभावित दुरुपयोग के समाधान के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि जारीकर्ता बैंक द्वारा क्रेता का नाम डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक आदि के मुख्य पृष्ठ पर शामिल किया जाना चाहिए। ये निर्देश 15 सितंबर, 2018 को या उसके बाद जारी किए गए ऐसे लिखतों पर प्रभावी होंगे।
17. केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के लिए, आरबीआई ने वर्चुअल मुद्राओं (वीसी) में व्यवहार न करने या वीसी से निपटान में किसी व्यक्ति / इकाई को सुविधा प्रदान करने के लिए सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया है।
14. With a view to addressing the systemic impact of sharp increase in the yields on Government Securities (G-Secs), RBI allowed banks to spread provisioning for Mark to Market (MTM) losses on investments held in AFS and HFT for the quarters ended December 31st, 2017 and March 31st, 2018. The relaxation was given to do the provisioning for each of these quarters that may be spread equally over up to four quarters, commencing with the quarter in which the loss is incurred. (Treasury MTM losses). In a bid to build up adequate reserves to shield against the hardening of G-Sec in the future, all banks were advised to create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) with effect from FY19.
15. In a modification to the comprehensive guidelines on Derivatives, RBI directed that the stand-alone plain vanilla forex options (without attached structures) purchased by clients will be exempt from the 'user suitability and appropriateness' norms, and the regulatory requirements will be at par with forex forward contracts.
16. In a bid to address the concerns arising out of the anonymity provided by payments through demand drafts and its possible misuse for money laundering, it has been decided that the name of the purchaser be incorporated on the face of the demand draft, pay order, banker's cheque, etc., by the issuing bank. These instructions took effect for such instruments issued on or after September 15, 2018.
17. For the entities regulated by the Central Bank, RBI has directed not to deal in Virtual Currencies (VCs) or provide services for facilitating any person / entity in dealing with or settling VCs.

III. वर्ष 2019-20 के लिए दृष्टिकोण:

आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक आर्थिक विकास 2018 में 3.6% से 2019 में 3.3% तक और फिर 2020 में मामूली रूप से 3.6% तक बढ़ सकता है। वर्तमान दृष्टिकोण को वैश्विक कारकों जैसे अमेरिका - चीन में भू राजनीतिक अनिश्चितता और अस्पष्टता के वैश्विक कारकों के संगम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वैश्विक व्यापार इस वर्ष धीमा होने की उम्मीद है, 2019 में विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि 2019 में 3.4% से अनुमानित 3.8% होगी।

III. Outlook for 2019-20:

IMF has projected that global economic growth may moderate from 3.6% in 2018 to 3.3% in 2019 and then pick up modestly to 3.6% in 2020. The current outlook can be attributed to a confluence of global factors like geopolitical uncertainty and ambiguity in US-China trade talks. Global trade is expected to slow down this year, with world trade volume growth estimated at 3.4% in 2019 from 3.8% in 2018.



हालांकि, चीन में चल रही मैक्रो-पॉलिसी प्रोत्साहन, वैश्विक वित्तीय बाजार की धारणा में हालिया सुधार, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के प्रदर्शन पर आशावाद और उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में वित्तीय स्थितियों का क्रमिक स्थिरीकरण उभरती हुई स्थिति हैं जो वैश्विक विकास को पटरी पर ला सकता है।

भारत की आर्थिक वृद्धि की गति धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था से प्रतिकूल उंचा होने के बावजूद, घरेलू कारकों द्वारा समर्थित रहेगी। बढ़ती आय के स्तर और बदलते खर्च पैटर्न के बीच घरेलू उपभोग की मांग में तेजी बनी रहने की उम्मीद है। बैंक ऋण में मजबूत वृद्धि और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए ठोस वित्तीय प्रवाह निवेश गतिविधियों को बढ़ावा देगा। सरकारी खर्चों के बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान देने के साथ अच्छी तरह से लक्षित रहने की उम्मीद है। यह विपरीत वैश्विक परिस्थितियों यह वैश्विक विपरीत परिस्थितियों की भरपाई करेगा और अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2020 में 7% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ उंचाइयों पर ले जाएगा।

संरचनात्मक सुधार प्रक्रिया के साथ, समावेशी अवसंरचना निर्माण, अनुकूल जनसांख्यिकी और डिजिटल विकास और वित्तीय समावेशन के लाभांश के साथ, अर्थव्यवस्था निरंतर विकास प्रक्षेपवक्र पर लग जाएगी और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी रहेगी।

वर्ष 2018-19 में केनरा बैंक:

विभिन्न व्यावसायिक मापदंडों के तहत, केनरा बैंक ने अपने प्रमुख क्षेत्रों में जैसे- संतुलित विकास, इष्टतम संसाधन जुटाना, कृषि, एमएसएमई, आवास और अन्य खुदरा में वर्ष के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया और परिचालन वित्तीय अनुपात में सुधार किया जैसे कि, निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम), अग्रिम पर प्रतिफल और आय अनुपात के लिए लागत।

वित्तीय निष्पादन

बैंक का परिचालन लाभ बढ़कर पिछले वर्ष के 9548 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 10590 करोड़ रुपए हो गया। बैंक ने पिछले वर्ष के दौरान 4222 करोड़ रुपये के शुद्ध नुकसान की तुलना में 2018-19 के लिए 347 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। पिछले वर्ष के 12163 करोड़ रुपये की तुलना में बैंक की शुद्ध ब्याज आय 19.03% बढ़कर 14478 करोड़ रुपए हो गई। अनुमोदित एनआईएम पिछले साल के 2.42% के मुकाबले निम 2.63% और अग्रिम पर प्रतिफल एक साल पहले 8.12% से बढ़कर 8.39% हो गया।

However, the on-going macro-policy stimulus in China, recent improvements in the global financial market sentiment, optimism on the performance of Advanced Economies (AEs) and gradual stabilization of financial conditions in the Emerging Market Economies (EMEs) are the silver linings that can bring back the global growth on track.

The trajectory of India's economic growth, despite facing adverse contagion from a slowing global economy, will remain supported by domestic factors. Household consumption demand is expected to remain resilient amidst rising income levels and changing spending patterns. Robust growth in the bank credit and the solid financial flows to the commercial sector will give a boost for the investment activities. Government spending is expected to remain well targeted; with a greater focus on infrastructure. This will offset the global headwinds and will help the economy achieve an above 7% y-o-y growth in FY20.

With the structural reform process underway, inclusive infrastructure building, favourable demographics and dividends from digital leapfrog and financial inclusion, the economy will embark on a sustained growth trajectory and would continue to remain one of the fastest growing major economies in the world.

CANARA BANK IN 2018-19:

Under various business parameters, Canara Bank performed better during the year in sync with its major thrust areas, viz. balanced growth, optimal resource mobilization, expanding retail assets, including Agriculture, MSMEs, Housing and other retail segments, and improving operational financial ratios such as, Net Interest Margin (NIM), Yield on Advance and Cost to Income Ratio.


FINANCIAL PERFORMANCE

Operating profit of the Bank increased to ₹10590 crore compared to ₹9548 crore last year. Bank reported a net profit of ₹347 crore for 2018-19 compared to a net loss of ₹4222 crore during last year. Net Interest income of the bank increased by 19.03% to ₹14478 Crore compared to ₹12163 crore generated during last year. NIM improved to 2.63% against the last year's 2.42% and Yield on Advances improved to 8.39% from 8.12% a year ago.

मुख्य वित्तीय अनुपात (%)	मार्च 2018	मार्च 2019
निधियों का लागत	5.17	5.24
निधियों पर प्रतिफल	7.34	7.59
जमाओं पर लागत	5.60	5.66
अग्रिमों पर प्रतिफल	8.12	8.39
निवल ब्याज मार्जिन (निम)	2.42	2.63
आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए)	-0.75	0.06
इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)	-16.74	1.40
लागत-आय अनुपात	50.03	49.69

आय व व्यय विश्लेषण:

वर्ष के दौरान, कुल आय 53385 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जिसमें ऋण और अग्रिम से ₹34319 करोड़ ब्याज, निवेश से ₹10938 करोड़ ब्याज, गैर-ब्याज आय से ₹6575 करोड़ और अन्य आय से 1554 करोड़ रुपए शामिल है।




बैंक के लिए मुख्य क्षेत्रों के अनुरूप, गैर-ब्याज आय (व्यापार लाभ को छोड़कर) ने पिछले वर्ष के दौरान ₹5020 करोड़ की तुलना में 22.97% से ₹6173 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। व्यापार लाभ के अलावा, गैर-ब्याज आय के अन्य प्रमुख स्रोत, जैसे सेवा शुल्क (₹3065 करोड़), कमीशन और विनिमय (₹1172 करोड़), अपलिखित खातों (₹1304 करोड़) से वसूली और विनिमय लेनदेन से लाभ (₹632 करोड़) ने बैंक की गैर-ब्याज आय के लिए योगदान दिया। कुल आय में गैर-ब्याज आय का हिस्सा 12.32% था।

Key Financial Ratios (%)	Mar-18	Mar-19
Cost of Funds	5.17	5.24
Yield on Funds	7.34	7.59
Cost of Deposits	5.60	5.66
Yield on Advances	8.12	8.39
Net Interest Margin (NIM)	2.42	2.63
Return on Assets (RoA)	-0.75	0.06
Return on Equity (RoE)	-16.74	1.40
Cost to Income Ratio	50.03	49.69


Income and Expenditure Analysis:

During the year, total income stood at ₹53385 crore, comprising ₹34319 crore interest from loans and advances, ₹10938 crore interest from investments, ₹6575 crore from non-interest income and ₹1554 crore from other income.



In line with the thrust areas for the Bank, non-interest income (Excl. Trading profit) registered a growth of 22.97% to ₹6173 compared to ₹5020 crore during last year. Apart from trading profit, other major sources of non-interest income, like, service charges (₹3065 crore), commission and exchange (₹1172 crore), recovery from written off accounts (₹1304 crore) and Profit from exchange transaction (₹632 crore) contributed to the non-interest income of the Bank. The share of non-interest income to total income stood at 12.32%.

व्यय की संरचना: 2018-19



पिछले वर्ष के दौरान 38647 करोड़ रुपये से बैंक का कुल व्यय 10.73% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ 42795 करोड़ रुपये हो गया। बैंक के ब्याज खर्च 11.15% बढ़कर 32332 करोड़ रुपये हो गए। परिचालन खर्च 9.46% बढ़कर 10462 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें ₹5675 करोड़ कर्मचारियों की लागत और ₹4787 करोड़ के अन्य परिचालन खर्च शामिल थे। ब्याज दरों के नीचे की ओर बढ़ने के कारण, बैंक की जमा राशि पिछले वर्ष के दौरान 5.60% से 6 बीपीएस बढ़कर 5.66% हो गई। शुद्ध ब्याज आय, बैंक द्वारा अर्जित ब्याज और ब्याज के बीच अंतर 19.03% बढ़कर 14478 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष ₹12163 करोड़ था।


पूँजी तथा आरक्षित निधियाँ:

मार्च 2019 में बैंक का शुद्ध मूल्य मार्च 2018 के ₹23086 करोड़ की तुलना में ₹26180 करोड़ पर था। जबकि बैंक की कुल भुगतान पूँजी ₹753.24 करोड़ थी, भंडार और अधिशेष 35424 करोड़ रुपये हो गया।

(राशि ₹ करोड़ में)

पूँजी संरचना	मार्च 2018 बासेल III	मार्च 2019 बासेल III
जोखिम भारित आस्तियाँ	351698	352455
सीईटी I	33455	29300
सीईटी I (%)	9.51%	8.31%
एटी I	2769	2551
एटी I (%)	0.79%	0.72%
टायर I पूँजी	36224	31851
सीआरएआर (%) (टायर I)	10.30%	9.04%
टायर II पूँजी	10280	10082
सीआरएआर (%) (टायर II)	2.92%	2.86%
सकल पूँजी	46504	41933
सीआरएआर (%)	13.22%	11.90%

Composition of Expenditure: 2018-19



Total expenditure of the Bank increased by 10.73% y-o-y to ₹42795 crore from ₹38647 crore incurred during last year. Interest expenses of the Bank increased by 11.15% to ₹32332 crore. Operating expenses increased by 9.46% to ₹10462 crore, comprising staff cost of ₹5675 crore and other operating expenses of ₹4787 crore. Due to the elevated interest rates, the Bank's cost of deposits increased by 6 bps to 5.66% from the last year's 5.60%. The net interest income, the difference between interest paid and interest earned by the Bank, increased by 19.03% to ₹14478 crore compared to the last years ₹12163 crore.

Capital and Reserves:

Net worth of the Bank, as at March 2019 stood at ₹26180 crore compared to ₹23086 crore as at March 2018.

While the total paid-up capital of the Bank stood at ₹753.24 crore, the reserves and surplus increased to ₹35424 crore.

(Amt. ₹ Crore)

Composition of Capital	March 2018 Basel III	March 2019 Basel III
Risk Weighted Asset	351698	352455
CET I	33455	29300
CET I (%)	9.51%	8.31%
AT I	2769	2551
AT I (%)	0.79%	0.72%
Tier I Capital	36224	31851
CRAR (%) (Tier I)	10.30%	9.04%
Tier II Capital	10280	10082
CRAR (%) (Tier II)	2.92%	2.86%
Total Capital	46504	41933
CRAR (%)	13.22%	11.90%

बेसल III के तहत पूंजी पर्याप्तता अनुपात, मार्च 2019 में 10.875% की नियामक आवश्यकता के सापेक्ष, 1.875% की पूंजी संरक्षण बफर सहित 11.90% रहा। पूंजी पर्याप्तता अनुपात के भीतर, सीईटी I अनुपात 8.31% था और टायर I पूंजी अनुपात 9.04% था। वित्तीय वर्ष 2019 में, बैंक ने केनरा बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना (केनबैंक - ईएसपीएस) के माध्यम से अंकित मूल्य ₹10/- के 2 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करके 557.28 करोड़ रुपए अर्जित किया, और भारत सरकार की बैंक में होल्डिंग 70.62% हो गई है। व्यवसाय विकास गति को समर्थन देने के लिए पूंजी जुटाने के लिए पर्याप्त मुख्य कक्ष उपलब्ध है। केनबैंक - ईएसपीएस योजना से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:

केनरा बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना (केनबैंक - ईएसपीएस):

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सरकार की अनुमति	: डीएफएस का पत्र, एफ संख्या 11/13/2011-बीओए दिनांक 12.06.2014
केनरा बैंक के लिए सरकार की अनुमति	: डीएफएस का पत्र, एफ संख्या 11/21/2014-बी ओ दिनांक 24.10.2018
आरबीआई अनुमति	: डीबीआर. सी ओ. बीपी संख्या 1991/21.01.002/2018-19 दिनांक 05.09.2018
शेयरधारक अनुमति	: 16वीं वार्षिक बैठक 26.07.2018
बोर्ड की मंजूरी	: बोर्ड मीटिंग दिनांक 27.06.2018

केनरा बैंक-ईएसपीएस श्रृंखला 1:

जारी किए गए शेयर की संख्या	2 करोड़ नए इक्विटी शेयर अंकित मूल्य 10 रुपए-प्रत्येक
----------------------------	--

बोर्ड द्वारा अनुमोदित मूल्य निर्धारण सूत्र

ऑफ़र मूल्य / खरीद मूल्य से अधिक नहीं की छूट पर होगा दो सप्ताह के दौरान एनएसई पर उद्धृत इक्विटी शेयरों के साप्ताहिक उच्च और निम्न वॉल्यूम के औसत औसत मूल्य का 33.33% उस तारीख से पहले का है जिस दिन बोर्ड / समिति प्रस्ताव की पेशकश / क्रय मूल्य करती है।

मूल्य का विवरण

आयतन भारत औसत मूल्य	: रुपए 278.64
छूट	: 33.33% से अधिक नहीं
33.33% की छूट	: रुपए 92.87

Capital Adequacy Ratio, under Basel III, was 11.90% as at March 2019 against the regulatory requirement of 10.875%, including capital conservation buffer of 1.875%. Within the capital adequacy ratio, CET I ratio was at 8.31% and Tier I capital ratio was at 9.04%. In FY 2019, Bank raised ₹557.28 crore through Canara Bank Employee Share Purchase Scheme (CanBank-ESPS) by issuing 2 crore new equity shares of face value ₹10/- each and there by Government of India holding in the bank reduced to 70.62%. Adequate headroom is available to raise capital in order to support the business growth momentum. The details of the CanBank-ESPS scheme are as follows:

Canara Bank Employee Share Purchase Scheme (CanBank-ESPS):

Govt Permission to all PSBs	: vide DFS, GoI letter F.No.11/13/2011-BOA dated 12.06.2014
Govt Permission to Canara Bank	: vide DFS, GoI letter F.No.11/21/2014-BO dated 24.10.2018
RBI Permission	: vide DBR.CO.BP. No.1991/21.01.002/2018-19 dated 05.09.2018
Shareholder Permission	: In the 16th AGM held on 26.07.2018
Board Approval	: In the Board meeting held on 27.06.2018

Canara Bank-ESPS Tranche 1 :

No.of Shares Issued	2 crore new equity shares of face value ₹10/- each
---------------------	--

Pricing Formula approved by the Board

The Offer price / Purchase price shall be at a discount of not more than 33.33% on the average of the weekly high and low of the volume weighted average prices of the equity shares quoted on NSE during the two weeks preceding the date on which the Board/Committee fixes Offer / purchasing price.

Details of Pricing

Volume Weighted Average Price	: ₹278.64
Discount	: Not more than 33.33%
Discount of 33.33%	: ₹92.87

परिकल्पित मूल्य	: रुपए 185.77
निर्गम मूल्य	: रुपए 186.00 (रुपये के निकटतम पूर्णांक में)
प्रति कर्मचारी अधिकतम शेयर	: 7500
निर्गम आरंभ होने की तिथि	: 21.01.2019 (सोमवार)
निर्गम बंद होने की तिथि	: 25.01.2019 (शुक्रवार)
अंशदान	: 134% (शेयर की संख्या द्वारा)
	: 83% (कर्मचारियों की संख्या द्वारा)
राशि डेबिट तिथि	: 05.02.2019
शेयर आबंटन तिथि	: 06.02.2019
प्रति कर्मचारी आबंटित अधिकतम शेयर	: 5075
अवरुद्धता अवधि	: 05.02.2019 से 1 वर्ष तक

Calculated issue price	: ₹185.77
Issue Price	: ₹186.00 (Rounded off to nearest Rupee)
Maximum Number of Shares per employee	: 7500
Issue Opened Date	: 21.01.2019 (Monday)
Issue Closed Date	: 25.01.2019 (Friday)
Subscription	: 134% (By No. of Shares)
	: 83% (By No. of Employees)
Amount Debited Date	: 05.02.2019
Share Allotment Date	: 06.02.2019
Maximum Number of Shares Allotted per Employee	: 5075
Lock-in Period	: 1 year from 05.02.2019

विवरण	ब्यौरे
ईएसपीएस के तहत जारी किए गए शेयरों की संख्या का विवरण	2 करोड़ शेयर
जिस कीमत पर ऐसे शेयर जारी किए गए	रुपए 186 / शेयर
पात्र कर्मचारी	47803
यदि कंपनी द्वारा सीधे योजना को लागू किया जाता है, तो शेयर जारी करने के विरुद्ध विचार किया जाता	जारी शेयर: 2 करोड़
	2 X ₹186: ₹372 करोड़ ईएसपीएस संग्रह
	2 X ₹92.64 : ₹185.28 करोड़ कर्मचारी मुआवजा व्यय खाता (छूट)
	कुल : ₹557.28 करोड़

Particulars	Details
The details of the number of shares issued under ESPS	2 Crore Share
The price at which such shares issued	₹186 / Share
Eligible Employees	47803
Consideration received against the issuance of shares, as the scheme is implemented directly by the company	Issued share : 2 Crore 2 X ₹186 : ₹372 Crore ESPS Collection 2 X ₹92.64 : ₹185.28 Crore Employee Compensation Expenses A/c (discount) Total : ₹557.28 Crore

बैंक ने अपने पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी शेयर खरीद योजना (ईएसपीएस) के तहत 10 रुपये के अंकित मूल्य के 2 (दो) करोड़ नए इक्विटी शेयरों की पेशकश 186 रुपये प्रति शेयर के निर्गम / प्रयोग मूल्य पर की। निर्गम / प्रयोग मूल्य ईएसपीएस पर निदेशकों की समिति द्वारा 33.33% की छूट के साथ प्रति शेयर 278.64 रुपये न्यूनतम मूल्य पर तय किया गया था। 47803 योग्य कर्मचारियों द्वारा दो करोड़ शेयरों का वैध रूप से उपयोग किया गया। ईएसपीएस के तहत शेयरों का आवंटन 06.02.2019 को किया गया था। इश्यू के लिए बैंक को ₹372,00,00,000 (केवल तीन सौ बहत्तर करोड़ रुपये) की राशि सदस्यता / प्रयोग के रूप में प्राप्त हुई और ईएसपीएस के तहत अपने पात्र कर्मचारियों को दो करोड़ नए इक्विटी शेयरों का आवंटन किया। सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2015

The bank made an offer of upto 2 (Two) crore new equity shares of face value of ₹10 each to its eligible employees under an Employee Share Purchase Scheme (ESPS) at an issue / exercise price of ₹186 per share. The issue / exercise price was fixed by the committee of Directors on ESPS at a discount of 33.33% on the floor price of ₹278.64 per share. Two crore shares were validly exercised by 47803 Eligible employees. The allotment of shares under the ESPS was made on 06.02.2019. The Bank received an amount of ₹372,00,00,000 (Rupees three hundred seventy two crore only) as subscription/ exercise money for the issue and allotment of two crore new equity shares to its Eligible employees under ESPS. Pursuant to SEBI (Share Based Employee Benefits)

के अनुसार और भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन नोट के अनुसार, छूट का तत्व 92.64 रुपये प्रति शेयर (यानी प्रति शेयर अनुमत छूट) ₹185,28,00,000 (केवल एक सौ पचासी करोड़ अट्ठाईस लाख रुपये) कर्मचारी मुआवजे के खर्च के रूप में पी एंड एल खाते में डेबिट किए गए हैं। ईएसपीएस के तहत शेयरों के आवंटन के पश्चात, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) की शेयरधारिता कम हो कर 70.6% हो गई है और मार्च 2019 तक प्रति शेयर कमाई 4.71 रुपये है।

लाभांश:

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया है क्योंकि विनियोग के बाद लाभांश के वितरण के लिए शुद्ध लाभ उपलब्ध नहीं है।

कारोबार संवृद्धि

जमा:

पिछले वर्ष की 524772 करोड़ रुपये की तुलना में यथा मार्च 2019 को बैंक के कुल जमा में 14.15% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर 599033 करोड़ रुपये हो गई है। मार्च 2019 में बैंक की चालू और बचत (कासा) जमा 4.65 % वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर 174809 करोड़ रुपये हो गई। घरेलू जमा में बैंक की कासा जमा पिछले वर्ष 34.28% की अपेक्षा 30.86% हो गई है। बचत जमा 6.68 % बढ़कर 151535 करोड़ रुपये हो गई। चालू जमा 23274 करोड़ रुपये हो गई है।

कासा के तहत औसत शेषराशि में सुधार के लिए केनरा गैलेक्सी, केनरा प्रिविलेज, एसबी पावरप्लस और एनआरआई खातों जैसे प्रमुख कासा उत्पादों पर ध्यान दिया गया था। जमा ग्राहकवर्ग के आधार को बढ़ाई जाने वाली नीति का अनुवर्तन करते हुए, बैंक ने वर्ष के दौरान कुल 41 लाख से अधिक जमा खातों को खोला, जिससे कुल जमा खातों की संख्या 7.80 करोड़ तक पहुंच गयी।

अग्रिम:

बैंक ने आवास, शिक्षा और वाहन सहित खुदरा संपत्तियों के अलावा अर्थव्यवस्था के उत्पादक खंडों जैसे कि कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और अन्य उत्पादक क्षेत्रों सहित से विविधता में अपने परिसंपत्ति आधार का विस्तार किया है।

बैंक की अग्रिम (सकल) 10.82% की वृद्धि के साथ मार्च 2019 तक 444216 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जबकि एक साल पहले यह 400843 करोड़ रुपये थी। मार्च 2019 तक उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या 93 लाख हो गई। बैंक का कुल कारोबार पिछले वर्ष 925615

Regulations, 2015 and as per guidance note issued by the Institute of Chartered Accountant of India, the element of the discount amounting to ₹92.64 per share (i.e the discount allowed per share) aggregating to ₹185,28,00,000 (Rupees one hundred eighty five crore and twenty eight lakhs only) has been debited to P&L account as Employee compensation expenses. Post allotment of shares under ESPS, the shareholding of the Government of India (President of India) has come down to 70.6% and earning per share is ₹4.71 as on March 2019.

Dividend:

The Bank has not declared any dividend for financial year 2018-2019 since net profit is not available for distribution of dividend after appropriation.

BUSINESS GROWTH

Deposits:

Total Deposits increased to ₹599033 crore as at March 2019 compared to ₹524772 crore a year ago, with a y-o-y growth of 14.15%. Current and Saving (CASA) deposits of the Bank increased by 4.65% y-o-y to ₹174809 crore on March 2019. The Bank's CASA deposits share to domestic deposits stood at 30.86% from the last year's 34.28%. Savings deposits grew by 6.68% to ₹151535 crore. Current deposits stood at ₹23274 crore.

The focus on premier CASA products, like, Canara Galaxy, Canara Privilege, SB Powerplus and NRI accounts was given to improve the average balances under CASA. Pursuing a strategy of expanding deposit clientele, the Bank added 41 lakhs deposit clientele accounts during the year, taking the total number of deposit accounts to 7.80 crore.

Advances:

The Bank expanded its asset base to a well-diversified one comprising of the productive segments of the economy, like, Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and other productive sectors in addition to Retail assets, including Housing, Education, and Vehicle loan segments.

Advances (Gross) of the Bank grew by 10.82% to reach ₹444216 crore as at March 2019 compared to ₹400843 crore a year ago. The number of borrowal clientele accounts increased to 93 lakhs as at March 2019. Total business of the

करोड़ ₹ की तुलना में 12.71% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ 1043249 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष के दौरान, बैंक का कुल ग्राहक आधार पिछले वर्ष 8.27 करोड़ से 46 लाख बढ़कर 8.73 करोड़ हो गया।

खुदरा ऋण परिचालन:

बैंक के लिए निर्धारित मुख्य क्षेत्र के अनुकूल खुदरा उधारी परिचालन ने वर्ष-दर-वर्ष मजबूत विकास दर्ज किया।

(राशि ₹ करोड़ में)

खुदरा क्षेत्र	यथा मार्च		वृद्धि	
	2018	2019	प्रमाणा	(%)
1. आवास	27572	33581	6009	21.79
2. वाहन	6739	9446	2707	40.17
3. अन्य व्यक्तिगत	14547	21179	6632	45.59
4. शिक्षा	8438	8859	421	4.99
सकल खुदरा ऋण (मुख्य) (1+2+3+4)	57296	73065	15769	27.52

मार्च 2019 में बकाया खुदरा ऋण पोर्टफोलियो में 27.52% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर 73065 करोड़ रुपये हो गया। बकाया आवास ऋण (प्रत्यक्ष) पोर्टफोलियो 21.79 % की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ 33581 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और कुल खुदरा उधार पोर्टफोलियो का 45.96% था। बैंक के वाहन ऋण और अन्य व्यक्तिगत ऋण में वर्ष-दर-वर्ष क्रमशः 40.17% और 45.59 % की वृद्धि हुई।

शिक्षा ऋण:

बैंक ने वर्षों भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित किया है। बैंक का शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो और बढ़कर ₹8859 करोड़ हो गया है। यथा मार्च 2019 को बैंक ने 2.86 लाख छात्रों को ऋण प्रदान किया। शिक्षा ऋण क्षेत्र में प्रगतिशील वृद्धि के साथ बैंक लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने 1503 करोड़ रुपये के शिक्षा ऋण का वितरण किया है।

बैंक ने 1976 में विद्यासागर शिक्षा ऋण योजना शुरू की है। शिक्षा ऋण के क्षेत्र में इसकी विशेषज्ञता को पहचानते हुए, बैंक को आईबीए के तत्वावधान में शिक्षा ऋण के लिए एक आदर्श योजना तैयार करने का काम सौंपा गया था और इसे वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। इस योजना के बाद से कई संशोधन

Bank increased to ₹1043249 crore, with a y-o-y growth of 12.71% compared to ₹925615 crore in the previous year. During the year, the Bank's total clientele base increased by 46 lakhs to 8.73 crore from the last year's level of 8.27 crore.

Retail Lending Operations:

In line with the thrust areas set for the year, the Bank's retail lending operations recorded good y-o-y growth.

(Amt. ₹ Crore)

Retail Segments	As at March		Y-O-Y Growth	
	2018	2019	Quantum	(%)
1. Housing (Direct)	27572	33581	6009	21.79
2. Vehicle	6739	9446	2707	40.17
3. Other Personal	14547	21179	6632	45.59
4. Education	8438	8859	421	4.99
Total Retail Loans (Core) (1+2+3+4)	57296	73065	15769	27.52


The outstanding retail loans portfolio grew by 27.52% y-o-y to ₹73065 crore as at March 2019. The outstanding housing loan (direct) portfolio rose to ₹33581 crore, with a y-o-y growth of 21.79% and accounted for 45.96% of the total retail lending portfolio. Vehicle loans and other personal loans y-o-y grew by 40.17% and 45.59% y-o-y respectively.

Education Loans:

Over the years, the Bank has assisted substantial number of promising students to pursue higher education in India and abroad. The Bank's education loan portfolio increased to ₹8859 crore. The Bank has financed around 2.86 lakh students as at March 2019. The Bank is performing consistently well with progressive growth in education loan segment. During 2018-19, the Bank has disbursed education loans amounting to ₹1503 crores.

Education Loan

(Amount in ₹ Crore)



The Bank has introduced the Vidyasagar Education loan scheme in 1976. Recognizing its expertise in the field of education loans, the Bank was entrusted with the work of preparing a Model Scheme for Education Loans under the auspices of IBA and the same was launched in the year 2001.



हुए हैं और अब, आईबीए की संशोधित मॉडल शिक्षा योजना लागू की गई है। वर्तमान में, बैंक छात्रों को शिक्षा ऋण देने में राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रथम स्थान पर है। इसी तरह, हाल के वर्षों में कौशल विकास पर भारी जोर को देखते हुए, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय पहलों का समर्थन करने के लिए "आईबीए कौशल ऋण योजना" लागू की गई है। नियमित आईबीए मॉडल ईएल योजना और कौशल ऋण योजना के अलावा; बैंक ने विशेष शिक्षा ऋण योजनाएं शुरू की हैं, जैसे "विद्या तुरंत", मेधावी छात्रों के लिए संपार्श्विक निःशुल्क शिक्षा ऋण, जो आईआईटी, आईआईएम, आईएसबी जैसे प्रीमियर संस्थानों में प्रवेश पा रहे हैं, के लिए 36 लाख रुपये तक की रियायती दर के साथ, "विद्या सहाय" नामक पूरक ऋण योजना जो जरूरतमंद और मेधावी छात्रों की सहायता के लिए है जो चयन / परामर्श के समय सीईटी / काउंसलिंग प्राधिकरणों को किए जाने वाले डाउन पेमेंट की आवश्यकता के लिए हैं, "विद्या शक्ति" शिक्षा ऋण योजना जो पीडब्ल्यूडी श्रेणी के छात्रों के लिए ब्याज दर वाले अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए उपकरणों के खर्च सहित रियायती ब्याज दर के साथ है।

भारत सरकार ने छात्रवृत्ति और साथ ही शैक्षिक ऋण योजनाओं के प्रशासन और निगरानी के लिए पूरी तरह से आईटी-आधारित छात्र वित्तीय सहायता प्राधिकरण की स्थापना की है, ताकि प्रधान मंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी छात्र धन की कमी के कारण उच्च शिक्षा से चूक न जाए। विद्या लक्ष्मी पोर्टल <www.vidyalakshmi.co.in> को 15.08.2015 को लाइव कर दिया गया है। हमारे बैंक ने विद्यालक्ष्मी पोर्टल (वीएलपी) छात्रों के लिए एक एकल खिड़की तंत्र को एकीकृत किया है (सीबीएस) प्रणाली और शिक्षा ऋण आवेदन केवल इस पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं ताकि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के माध्यम से हमारे ऋण प्रसंस्करण प्रणाली के लिए सीईएलएफ (कॉमन एजुकेशनल लोन एप्लीकेशन फॉर्म) का उपयोग करके अधिकतम तीन बैंकों को शैक्षिक ऋण का आवेदन किया जा सके। इसलिए, छात्र किसी भी समय, कहीं भी पोर्टल पर पहुंचकर जमा किए गए ऋण आवेदन की स्थिति देख और ट्रैक कर सकते हैं। यह सुविधा अधिक पारदर्शी है और बदले में पात्र छात्रों को शिक्षा ऋण स्वीकृत करने के लिए टीएटी (टर्न अराउंड टाइम) में कमी आई है।

हमारे बैंक को विभिन्न मंत्रालयों के तत्वावधान में लागू की गई भारत सरकार की ब्याज सब्सिडी योजनाओं को प्रशासित करने के लिए नोडल बैंक के रूप में नामित किया गया है, जिसमें शैक्षिक ऋण (सीएसआईएस) पर ब्याज सब्सिडी की केंद्रीय योजना, मानव

The scheme has under gone several revisions since then and now, the IBA's Revised Model Education Scheme is implemented. At present, the Bank is No.1 amongst the Nationalized Banks in extending education loans to the students. Similarly, considering the huge thrust on skill development in recent years, "IBA Skill Loan Scheme" has been implemented to support the national initiatives for skill development of Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance (MoF), Gol. In addition to the regular IBA model EL scheme and Skill loan Scheme; the bank has launched special education loan schemes namely "Vidya Turant", Collateral-free education loans for the meritorious students who are getting admission in premier institutes such as IITs, IIMs, ISB etc up to a limit of ₹36 Lacs with concessional rate of Interest, Bridge Loan Scheme namely "Vidya Sahay" to assist the needy and meritorious students who are in need of the down payment to be made to the CET / Counselling Authorities at the time of selection / counselling and "Vidya Shakthi", education loan scheme for the PWD category of students including expenses for specially designed equipments for differently abled persons with concessional interest rate.

Government of India has set-up a fully IT-based Student Financial Aid Authority to administer and monitor scholarships as well as Educational Loan Schemes, through Pradhan Mantri Vidya Lakshmi Karyakram to ensure that no student misses out on higher education for lack of funds. Vidya Lakshmi portal <www.vidyalakshmi.co.in> has been made live on 15.08.2015. Our bank has integrated the Vidyalakshmi Portal (VLP) a single window mechanism for Students to access information and apply for Educational Loans to a maximum of three Banks using CELAF (Common Educational Loan Application Form) to our Loan processing system through Core Banking Solution (CBS) system and the education loan applications are routed through this portal only. Hence, students can view and track the status of submitted loan application at anytime, anywhere by accessing the portal. This facilitates more transparency and in turn has decreased the TAT (Turn Around Time) for sanctioning education loans to eligible students.

Our Bank has been designated as the Nodal Bank for administering interest subsidy schemes of Government of India implemented under the aegis of various

संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों द्वारा अपनाई गई विदेशी अध्ययनों के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की पढो परदेश सब्सिडी योजना, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, भारत सरकार, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) लिए विदेशी अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ अंबेडकर केंद्रीय सेक्टर सब्सिडी योजना। नोडल बैंक के रूप में, हमारे बैंक ने अब तक शिक्षा ऋण ब्याज योजनाओं के तहत कुल दावा राशि 12654 करोड़ रुपये का प्रबंध किया है और योजनाओं की स्थापना के बाद से 85.24 करोड़ रुपये का नोडल बैंक कमीशन अर्जित किया है।

एकीकृत कोषागार

मार्च 2019 में बैंक के कुल निवेश (नेट) 150626 करोड़ रुपये थे। मार्च 2019 में निवेश पोर्टफोलियो की संशोधित अवधि 4.50 थी, जबकि बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) पोर्टफोलियो की संशोधित अवधि मार्च 2018 के रूप में 4.44 से घटकर मार्च 2019 को 3.01 हो गई है। निवेश पर प्रतिफल 31 मार्च 2018 को 7.63% की तुलना में 31 मार्च 2019 को 7.62% पर था। वर्ष के दौरान घरेलू खजाना परिचालन के तहत व्यापार लाभ मार्च 2018 में अस्थिर बाजार की स्थिति और बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि के कारण ₹1923 करोड़ से घटकर 402 करोड़ रुपये हो गया।

सरकारी सिक्क्योरिटीज मार्केट में प्राथमिक डीलर (पीडी) के रूप में बैंक अग्रणी बना हुआ है। हामीदारी अंकन के लिए जमा बोलियों की कुल राशि 46302 करोड़ रु थी, जिनमें से आरबीआई द्वारा स्वीकार की गई हामीदारी अंकन प्रतिबद्धता 22556 करोड़ रु थी। प्राथमिक डीलर कारोबार के तहत ट्रेजरी बिलों के संबंध में, प्रत्येक अर्ध वर्ष में 40% की न्यूनतम सफलता अनुपात के मुकाबले सितंबर 2018 को समाप्त हुए पहले छमाही वर्ष के लिए बैंक का सफलता अनुपात 42.47% और मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की दूसरे छमाही के लिए 42.94% था।

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक का विदेशी व्यापार कारोबार 257078 करोड़ रुपये, निर्यात के तहत 123552 करोड़ रुपये आयात के तहत 70201 करोड़ रुपये और विप्रेषण के तहत 63325 करोड़ रुपये शामिल थे।

Ministries which include Central Scheme of Interest Subsidy on Educational Loans (CSIS), Ministry of Human Resource Development (MoHRD), Gol, Padho Pardesh subsidy scheme to provide Interest Subsidy on Education Loans for overseas studies pursued by students belonging to notified minority communities, Ministry of Minority Affairs (MoMA), Gol and Dr. Ambedkar Central Sector Scheme Of Interest Subsidy On Educational Loan for Overseas Studies for Other Backward Classes (OBCs) & Economically Backward Classes (EBCs), Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE), Gol. As a Nodal bank, our bank has so far handled total claim amount of ₹12654 crores under the education loan interest subsidy Schemes and earned nodal bank commission of ₹85.24 crores since inception of the Schemes.

INTEGRATED TREASURY

Aggregate investments (net) of the Bank stood at ₹150626 crore as at March 2019. While modified duration of the investments portfolio stood at 4.50 as at March 2019, the modified duration of the Available for Sale (AFS) portfolio has decreased to 3.01 as at March 2019 from 4.44 as at March 2018. The yield on investments works out to 7.62% as at 31st March 2019 as compared to 7.63% as at 31st March 2018. The trading profit under domestic treasury operations during the year decreased to ₹402 crore from ₹1923 crore in March 2018 due to volatile market conditions and increased bond yield.

The Bank continues to be an active player in the Government Securities Market as a Primary Dealer (PD). The total amount of bids submitted for underwriting was ₹46302 crore, of which, the underwriting commitment accepted by the RBI was ₹22556 crore. With regard to Treasury Bills under PD business, as against the minimum success ratio of 40% to be achieved in each half year, the Bank has a success ratio of 42.47% for the first half year ended September 2018 and 42.94% for the second half year ended March 2019.

Foreign Business Turnover of the Bank aggregated to ₹257078 crore, comprising of ₹123552 crore under exports, ₹70201 crore under imports and ₹63325 crore under remittances during the year ended March 2019.

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

बैंक की 6 विदेशी शाखाएँ हैं, जिनमें लंदन (यूके), हांगकांग, शंघाई (चीन), जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका), न्यूयॉर्क (यूएसए) और दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (डीआईएफसी), दुबई (यूएई) हैं। उपरोक्त 6 विदेशी शाखाओं के अलावा, बैंक का शारजाह (यूएई) में एक प्रतिनिधि कार्यालय, दार एस सलाम में केनरा बैंक (तंजानिया) लि. तंजानिया और वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी, भारतीय स्टेट बैंक के साथ मॉस्को, रूस में एक संयुक्त उद्यम है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 33,116 करोड़ रुपये की जमा और 25,211 करोड़ रुपये के अग्रिम सहित विदेशी शाखाओं का कुल कारोबार 58,328 करोड़ रुपये है। विदेशी व्यापार, बैंक के कुल कारोबार का 5.59% है।

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार बैंक ने विदेशी शाखाओं के तर्कसंगतकरण की योजना तैयार की है। बैंक ने अपनी दो विदेशी शाखाओं यानी लीसेस्टर शाखा लंदन शाखा के साथ और मनामा (बहरीन) शाखा को डीआईएफए दुबई शाखा के साथ बंद / विलय कर दिया है। शंघाई (चीन), जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) शाखाओं के साथ मॉस्को (रूस) में वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी बंद होने की प्रक्रिया में हैं।

बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों का समर्थन 394 प्रतिनिधि बैंकों के व्यापक नेटवर्क द्वारा किया जाता है, जो 79 देशों और बैंक की विदेशी शाखाओं और कार्यालयों में फैले हुए हैं। गैर-निवासी भारतीयों (एनआरआई) के प्रेषण को चैनल करने के लिए 36 एक्सचेंज सदनों और 25 विदेशी बैंकों के साथ रुपया आहरण व्यवस्था की गई है। बैंक दो एक्सचेंज हाउस जैसे मेसर्स अल रजौकी इंटरनेशनल एक्सचेंज कंपनी, दुबई और मेसर्स ईस्टर्न एक्सचेंज, प्रबंधन करार के तहत प्रबंधन कर रहा है।

बैंक ने 'रेमिट मनी' नामक वेब आधारित त्वरित विप्रेषण उत्पाद को 36 विनिमय प्रतिष्ठानों तथा 4 समुद्रपारीय शाखाओं जैसे लंदन, शंघाई हांग काँग और केनरा बैंक (तंजानिया) में कार्यान्वित किया है। वर्ष के दौरान भारत में केनरा बैंक के लाभार्थियों के लिए त्वरित और निर्बाध विप्रेषण की सुविधा के लिए बैंक ने 'फ्लैशरेमिट / इंस्टेंट रेमिटमनी' नामक एक तत्काल ऋण सुविधा, मेसर्स यूएई एक्सचेंज, अबु धाबी, मेसर्स अल रजौकी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कंपनी, दुबई, मेसर्स ईस्टर्न एक्सचेंज प्रतिष्ठान, कतर, मेसर्स जीसीसी एक्सचेंज, दुबई, मेसर्स अल अहलिया मनी एक्सचेंज, अबुधाबी, यूएई, मेसर्स अंसारी एक्सचेंज एलएलसी, यूएई तथा मेसर्स इंडेक्स एक्सचेंज, यूएई के साथ मिलकर प्रदान की जा रही है।

INTERNATIONAL OPERATIONS

The Bank has 6 overseas branches, viz., London (U.K), Hong Kong, Shanghai (China), Johannesburg (South Africa), New York (U.S.A) and Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai (UAE). Besides the above 6 overseas branches, the Bank has a Representative Office at Sharjah (UAE), a wholly owned subsidiary, Canara Bank (Tanzania) Ltd., at Dar-es-Salaam in Tanzania and Commercial Indo Bank LLC, a joint venture bank with State Bank of India in Moscow, Russia. Total business of the overseas branches aggregated to ₹58,328 crore comprising of deposits of ₹33,116 crore and advances of ₹25,211 crore as at the end of the financial year March 2019. Overseas Business constituted 5.59 % of the Bank's total business.

As per the directives of the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, the Bank has drawn a plan for rationalization of overseas branches. The Bank has closed / merged two of its overseas branches i.e. Leicester branch with London branch and Manama (Bahrain) branch with DIFC Dubai branch. Branches at Shanghai (China) and Johannesburg (South Africa) along with the Commercial Indo Bank LLC at Moscow (Russia) are in the closure process.

The Bank's international operations are well supported by a wide network of 394 Correspondent Banks, spread across 79 countries including our Bank's overseas branches/offices. Rupee Drawing Arrangements have been made with 36 Exchange Houses and 25 overseas banks for channelizing the remittances of Non-Resident Indians (NRIs). The Bank is managing two Exchange Houses viz., M/s Al Razouki International Exchange Company, Dubai and M/s Eastern Exchange Est., Qatar under Management Agreements.

'Remit Money', a web-based speed remittance product has been extended to 36 Exchange Houses and also to the Bank's 4 overseas branches, viz., London, Shanghai, Hong Kong and Canara Bank (Tanzania) Ltd. To facilitate instant and hassle free remittances to the beneficiaries of the Bank in India, 'Flashremit' / 'Instant Remitmoney', an instant credit facility is being offered in association with M/s. UAE Exchange, Abu Dhabi, UAE, M/s. Al Razouki International Exchange Company, Dubai, M/s. Eastern Exchange Est., Qatar, M/s GCC Exchange, Dubai, M/s Al Ahalia Money Exchange, Abudhabi, UAE, M/s. Al Ansari Exchange LLC, UAE and M/s Index Exchange, UAE.



अन्य सेवाएं

वर्ष के दौरान बैंक के व्यापारी बैंकिंग प्रभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड (आरईसी) तथा इंडियन रेलवे फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि. (आईआरएफसी) के प्राइवेट प्लेसमेंट कैपिटल गेन बांड निर्गम के कार्य का निर्वाहन किया। वर्ष के दौरान उपरोक्त ईश्यू के संदर्भ में 82.86 करोड़ ₹ की राशि प्राप्त की गई।

बैंक ने तीन निजी प्लेसमेंट ईश्यू के लिए संग्रहकर्ता बैंकर के रूप में कार्य किया जिसकी कुल राशि 983.25 करोड़ ₹ है। नामोद्दिष्ट शाखाओं द्वारा ब्लॉक की हुई राशि (एएसबीए) से समर्थित आवेदन के तहत निर्गत किये गये सार्वजनिक व ऋण निर्गमों की कुल संख्या 141 रही और ब्लॉक की हुई राशि 621.90 करोड़ ₹ रही। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा 'इक्विटी का निष्पक्ष मूल्यांकन' के चार विशेष कार्य का निर्वाह किया गया था।

वर्ष के दौरान समूहन समूह ने परियोजनाओं का निर्वाह किया जिसकी परियोजना लागत 3939 करोड़ ₹ रही और इसका कुल ऋण आकार 3303 करोड़ ₹ रहा। समूह ने वर्ष के दौरान समूहन परिचालनों से 3.22 करोड़ ₹ की शुल्क-आधारित आय अर्जित की। विभिन्न संवर्गों में परियोजनाओं जैसे अवसंरचना (रेलवे माल ढुलाई गलियारा, शिक्षण संस्थान) और वाणिज्यिक रियल स्टेट के लिए निधि की व्यवस्था की गई।

बैंक के 'बैंकएश्यूरेन्स' प्रभाग के तहत जीवन तथा गैर - जीवन बीमा संवर्गों में बैंक की गठ-जोड़ व्यवस्था है। वर्ष के दौरान बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम यानी मेसर्स केनरा एचएसबीसी ओबीसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड से कमीशन के रूप में 94.23 करोड़ ₹ की आय का अर्जन किया है। म्यूचुअल फंड कारोबार के तहत, बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम यानी केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड से 35.41 करोड़ ₹ का कमीशन अर्जित किया है। मेसर्स बजाज एलियांज सामान्य बीमा कंपनी लिमिटेड, मेसर्स टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मेसर्स न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाईटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ अपनी गठजोड़ व्यवस्था के ज़रिए गैर जीवन (सामान्य) बीमा कारोबार के तहत बैंक ने कमीशन के रूप में 34.90 करोड़ ₹ आय का अर्जन किया है। बैंक ने मेसर्स अपोलो म्यूनिक् स्वास्थ्य बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी करार किया, उनके स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के विपणन के परिणामस्वरूप 26.08 करोड़ ₹ का कमीशन अर्जित हुआ। बैंक ने पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई योजनाओं के तहत 7.03 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है।

कार्ड व्यवसाय के तहत, बैंक ने अपने कार्ड आधार के विस्तार के लिए कई पहल की। यथा मार्च 2019 तक डेबिट कार्ड आधार 2.82 करोड़ और क्रेडिट कार्ड का आधार बढ़कर 3.69 लाख हो गया तक वृद्धि हुई।

OTHER SERVICES

During the year, the Bank's Merchant Banking Division has handled, as arrangers, private placements of Capital Gains Bond Issues of National Highways Authority of India (NHA), Rural Electrification Corporation Ltd (REC) and Indian Railway Finance Corporation Ltd (IRFC). The amount mobilized in respect of these issues during the year was ₹82.86 crore.

As a Collecting Banker, the Bank was involved in three Private Placement Issues, collecting an amount of ₹983.25 crore. Further, the bank has handled 141 Public and Debt Issues under Application Supported by Blocked Amount (ASBA) and the amount blocked therein was ₹621.90 crore. Four specialized assignments of 'Fair Valuation of Equity' were also handled by the Division during the year.

The Syndication Group handled projects, involving project cost of ₹3939 Crore during the year, with a total debt size of ₹3303 Crore. The Group generated a fee-based income of ₹3.22 Crore during the year. The funds were arranged for projects in various segments like Infrastructure (Railway Freight Corridor, Educational Institution) and Commercial Real Estate.

The Bank has tie-up arrangements in both life and non-life insurance segments under its 'Bancassurance' arm. During the year, the Bank earned a commission income of ₹94.23 crore from its joint venture, viz., M/s Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. Under the Mutual Fund business, the Bank earned a commission of ₹35.41 crore from its joint venture, viz., M/s Canara Robeco Asset Management Company Ltd. A commission income of ₹34.90 crore was earned under Non-Life (General) Insurance business from its tie-up arrangements with M/s Bajaj Allianz General Insurance Co Ltd, M/s TATA AIG General Insurance Co. Ltd, M/s The New India Assurance Co. Ltd and M/s United India Insurance Company Ltd. The Bank earned a commission income of ₹26.08 crore from its tie-up agreement with M/s Apollo Munich Health Insurance Co. Ltd for marketing their health insurance products. Bank has also earned a commission income of ₹7.03 crore under PMJJBY & PMSBY schemes.

Under Card Business, the bank took several initiatives to expand its card base. As at March 2019 the Debit Card base increased to 2.82 crore and Credit card base rose to 3.69 lakh.

बैंक की 'निष्पादक, न्यासी व कराधान सेवाएं' इकाई द्वारा डिबेंचर/प्रतिभूति, न्यासधारिता, वसीयतनामा व निष्पादककर्ता, न्यासधारिता, वैयक्तिक कर सहायता तथा मुख्तारनामा जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।

बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी कारोबार उत्पादों जिनमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर वसूली, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की पेंशन का भुगतान, पोस्टल लेनदेनों व राज्य सरकार के राजकोषीय लेनदेनों का संचालन, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना व वरिष्ठ नागरिक बचत योजना व भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति सूचीबद्ध बांडों, सॉवरन गोल्ड बांड योजनाएं, सुकन्या समृद्धि खाता योजना शामिल हैं। इन उत्पादों से कासा में सुधार दर्ज होते हुए वर्ष वित्त 19 के दौरान 100.33 करोड़ ₹ की शुल्क आय अर्जित हुई।

बैंक द्वारा कई ऑन लाइन भुगतान सेवाएं, जैसे महाराष्ट्र, तमिल नाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा व नगर हवेली, ओडिशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल व दिल्ली में विक्रय कर / वाणिज्य कर का ई – भुगतान, महाराष्ट्र में वर्चुअल ट्रेजरी पैकेज, तमिलनाडु में परिवहन विभाग को करों का ई-भुगतान, तमिलनाडु में चेन्नई तथा कर्नाटक में बेंगलूर में कॉर्पोरेशन के लिए संपत्ति कर की वसूली, सार्वजनिक भविष्य निधि खातों का ऑनलाइन खाता खोलना तथा झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक में ई-स्टाम्प परियोजना, आदि प्रदान की जाती है।

बैंक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), संस्कृति मंत्रालय, युवा मामले व खेल मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा युआईडीएआई, नई दिल्ली के आधिकारिक बैंकर के रूप में प्राधिकृत किया गया है। वर्ष 2012-13 से बैंक ने स्वावलंबन योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कवरेज को लागू किया है। असंगठित क्षेत्र के लिए सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने स्वावलंबन की जगह अटल पेंशन योजना शुरू की है। बैंक ने एपीवाई के अंतर्गत मार्च 2019 तक 4,39,144 खातों को खोला है।

01 जुलाई, 2017 से हमारी सभी शाखाओं / कार्यालयों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) (एक एजेंसी बैंक के रूप में) सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

बैंक के कृषि नवोन्मेषण केन्द्र (एआईसी) अंग ने कुल 120 कार्यों का निर्वहन किया। इन 120 कार्यों में से 114 कार्य संपन्न किए गए, जिसमें 78 मूल्यांकन, 1 पुनरीक्षण, 3 नियमन तथा 9 व्यवहार्यता अध्ययन शामिल थे। इन कार्यों का कुल परिव्यय, मीयादी ऋण घटक के तौर पर 853.40 करोड़ रु रहा तथा इससे बैंक ने 4.45 करोड़ रु की शुल्क आय भी अर्जित की।

Executor, Trustee and Taxation Services outfit of the Bank provides services like Debenture / Security Trusteeship, Will and Executorships, Trusteeship, Personal Tax Assistance and Power of Attorney Services.

The Bank undertakes Government Business, comprising Direct and Indirect Tax collections, payment of Central Government and State Government Pensions, Handling of Postal Transactions and State Government Treasury Transactions, Public Provident Fund Scheme and Senior Citizens' Saving Scheme and distributing Inflation Indexed Bonds of RBI, issuing Sovereign Gold Bonds, Sukanya Samridhi Scheme. These products contributed to improvement of CASA and also earned a fee income of ₹100.33 crore during FY19.

The Bank provides several online payment services, viz., e-payment of Sales Tax / Commercial Tax in Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Bihar, Dadra & Nagar Haveli, Odisha, Punjab, West Bengal and Delhi, Virtual Treasury Package in Maharashtra, e-payment of Taxes to Transport Department in Tamil Nadu, Collection of Property Tax for the Corporation of Chennai in Tamil Nadu and Bengaluru in Karnataka, Online opening of PPF Accounts and e-Stamping project in Jharkhand, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka.

The Bank has been authorized as the accredited banker for Ministry of Human Resources Development (MHRD), Ministry of Culture, Ministry of Youth Affairs & Sports, Archaeological Survey of India and Unique Identification Authority of India (UIDAI), New Delhi. The Bank was implementing the National Pension System for Unorganised Sectors under Swavalamban Scheme since 2012-13. The Government of India has launched Atal Pension Yojana (APY) in place of Swavalamban with a view to provide defined pension to unorganised sector. The Bank could mobilise 4,39,144 accounts under APY as at March 2019.

Goods & Services Tax (GST) (as an agency bank) has been successfully implemented in all our branches / offices since July 01st, 2017.

Agricultural Innovation Centre (AIC) outfit of the Bank handled 120 assignments. Out of these 120 assignments, 114 assignments were cleared, which consists of 78 appraisals, 1 vetting, 3 formulation and 9 viability studies. The total outlay of the assignments worked out to a term loan component of ₹853.40 crore and the Bank earned a fee income of ₹4.45 crore during the year.



आस्ति गुणवत्ता

संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए बैंक के ठोस प्रयासों से मार्च, 2018 तक सकल एनपीए 11.84% (47468 करोड़ रुपये) से घटकर मार्च 2019 तक 8.83% (39224 करोड़ रु) हो गया है। मार्च 2018 में शुद्ध एनपीए 7.48% (₹28542 करोड़) से घटकर मार्च 2019 में 5.37% (22955 करोड़ रु) हो गया। परिसंपत्ति की गुणवत्ता में यह उल्लेखनीय सुधार महत्वपूर्ण वसूलियों और उन्नयन के कारण था। वित्त वर्ष 19 के दौरान संचयी नकद वसूली पिछले वर्ष के 6458 करोड़ रुपये के मुकाबले 10355 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 18 में 943 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 19 के लिए उन्नयन 3074 करोड़ रुपये था। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में अवधि के दौरान 58.06% से 68.13% तक सुधार हुआ था। वित्तीय वर्ष 18 में 1625 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 19 के लिए लिखित खातों में वसूली 2422 करोड़ रुपये थी। स्लिपेज को वर्ष के दौरान पर्याप्त रूप से समाहित किया गया है, जो पिछले वर्ष के 24761 करोड़ रुपये के मुकाबले 15480 करोड़ रुपये पर रहा।

वर्ष के दौरान, सरफेसी अधिनियम के तहत कुल 1581.91 करोड़ रु की वसूली की गयी। बैंक ने 8384 वसूली बैठकों का आयोजन किया जिसके परिणामस्वरूप 688 करोड़ रु राशि वसूल की गयी। वित्त वर्ष 19 के दौरान 15653 मामले लोक अदालत को भेजे गये, जिनमें से 6372 मामले का निपटान किया गया, जिसकी कुल राशि 96 करोड़ रु रही। बैंक ने खातों को एनपीए में स्लीपेज से रोकने के लिए और अतिदेय ऋण खातों से वसूली में बढोत्तरी लाने के लिए कई पहल की। इनमें, एकल समाधान (ओटीएस) के लिए शाखा स्तर पर केन अदालतों का संचालन, क्षेत्रीय स्तर पर क्लस्टर अदालत और अंचल स्तर पर मेगा अदालत, जिला स्तर पर लोक अदालतें, कॉल सेंटर के माध्यम से ऋण खातों में अतिदेय का नियमित अनुवर्तन, जब्त संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी और इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ सख्त वसूली उपाय करना, आदि शामिल हैं। यथा मार्च 2019 तक 4991.05 करोड़ ₹ की बकाया राशि के साथ 579 इरादतन चूककर्ता रहे।

एनसीएलटी का जिक्र करते हुए 31/03/2019 तक हमारे दावे को दर्ज करके बैंक ने 237 मामलों के संबंध में समाधान प्रक्रिया शुरू की है और 2019-20 के दौरान समाधान के माध्यम से पर्याप्त वसूली की उम्मीद है।

बैंक ने (10 लाख रु तक के) छोटे एनपीए के निपटान के लिए एक विशेष योजना भी रूपायित की जिसमें शिक्षा ऋण / कृषि / एम एस एम ई ऋण पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। शिक्षा क्षेत्र में 4 लाख रु तक की स्वीकृत सीमा के खातों के लिए दो विशेष एकल निपटान योजनाएं सरल नियमों और अतिरिक्त रियायत के साथ शुरू की गई थी। 5 लाख रु तक की सीमा के साथ छोटे मूल्य कृषि ऋण और प्राकृतिक

ASSET QUALITY

The concerted efforts of the bank for improving the asset quality have yielded results with Gross NPA decreasing from 11.84% (₹47468 crore) as at March, 2018 to 8.83% (₹39224 crore) as at March 2019. Net NPA reduced from 7.48% (₹28542 crore) in March 2018 to 5.37% (₹22955 crore) in March 2019. This marked improvement in asset quality was on the back of significant recoveries and upgradations. The cumulative Cash Recovery during FY19 was at ₹10355 crore as against ₹6458 crore last year. Upgradation for FY19 was at ₹3074 crore compared to ₹943 crore in FY18. Provision Coverage Ratio (PCR) improved considerably during the period from 58.06% to 68.13%. Recovery in written off accounts for FY19 was ₹2422 Crore as against ₹1625 crore in FY18. Slippage has been contained substantially during the year at ₹15480 crore as against ₹24761 crore last year.

During the year, recoveries amounting to ₹1581.91 Crore were made on account of initiating actions under the SARFAESI Act. The Bank conducted 8384 Recovery Meets which resulted in a recovery of ₹688 crore. In FY19, 15653 cases were referred to Lok Adalat, out of which, 6372 cases were settled, covering an amount of ₹96 crore. Besides, the Bank took several initiatives to contain slippages and speed up recovery from overdue loan accounts. These include, conduct of Can Adalats at branch level, cluster adalats at Regional level and mega adalats at Circle level for one time settlements (OTS), Lok Adalats at district level, regular follow-up of overdue in loan accounts through Call Centre, conduct of e-auctions for sale of seized assets and initiation of stringent recovery measures against Wilful Defaulters. As on March 2019, there were 579 wilful defaulters with an outstanding amount of ₹4991.05 crore.

The Bank has initiated resolution process in respect of 237 Cases by referring to NCLT / filing our claim as at 31.03.2019 and is expecting substantial recovery through resolution during 2019-20.

The Bank also formulated a Special Scheme for settlement of Small NPAs (upto ₹10 lakhs), with a special focus on Education / Agricultural / MSME Loans Sector. In Educational Loan Sector, two Special OTS schemes were launched with liberal terms and additional concessions for accounts with sanctioned limits up to ₹4 lakh. Special Schemes for small value agricultural loans with

आपदाओं के कारण बार-बार पुनर्गठन खातों के प्रभावित उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने और 1 करोड़ रुपये के एमएसएमई ऋण के लिए विशेष योजना आरंभ की गई।

यथा मार्च 2019 को बैंक की बकाया पुनर्संरचित आस्ति पोर्टफोलियो (पुनर्संरचित मानक खाते सहित) 43990 करोड़ ₹ रहा जो सकल अग्रिमों का 9.90 % है।

जोखिम प्रबंधन:

बासेल III पूंजी पर्याप्तता ढांचा और भावी रणनीतियाँ

प्रधान कार्यालय में बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन पहल के समग्र कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र रूप से नोडल केन्द्र के रूप में जोखिम प्रबंधन विभाग कार्य कर रहा है। सभी 21 अंचल कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन अनुभाग कार्यरत हैं जोकि जोखिम प्रबंधन विभाग के ही विस्तारित अंग हैं।

बैंक में, भौगोलिक स्तर पर और संपूर्ण जोखिम रूपरेखा से प्रावरित जोखिम प्रबंधन नीतियाँ हैं। इनमें, ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालन जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन और समूह जोखिम प्रबंधन शामिल हैं। बैंक में, बासेल III के स्तंभ 2 के तहत आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) उपलब्ध है। आईसीएएपी प्रक्रिया बैंक के घरेलू और विदेशी परिचालन, अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम, प्रायोजित इकाइयां और सहयोगी संस्था को प्रावरित करती हैं। बैंक द्वारा सामना किए जाने वाले संभावित जोखिमों का पता लगाने के लिए बैंक द्वारा दबाव परीक्षण अभ्यास भी किया जाता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मंडल द्वारा आईसीएएपी प्रलेख की समीक्षा की जाती है और अनुमोदित की जाती है।

बैंक में पूंजी योजना प्रक्रिया हेतु बोर्ड स्तरीय उप-समिति कार्यरत है। समिति व्यापक आर्थिक परिदृश्यों का विश्लेषण करती है, व्यापार रणनीतियों को ठीक करती है और तदनुसार पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करती है। ये समिति, जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) हेतु पूंजी के उपयुक्त स्तर का रख रखाव सुनिश्चित करती है और पूंजी जुटाने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करती है।

बासेल III के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण अपनाना:

ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम के संबंध में पूंजी के परिकलन हेतु बासेल III के तहत उन्नत दृष्टिकोण ढांचे की ओर बढ़ने के अपने प्रयास में एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान के माध्यम से उद्यम का

limit up to ₹5 lakh and repeatedly restructured due to natural calamities and MSME loans up to ₹1 crore were launched to provide relief to the affected borrowers.

As on March 2019, the outstanding stressed assets portfolio (including restructured standard accounts) of the Bank stood at ₹43990 crore, accounting for 9.90% of gross advances.

RISK MANAGEMENT:

BASEL III Capital Adequacy Framework and Future Strategies

An independent Risk Management Wing is functioning at the Head Office as a nodal centre for overall implementation of various risk management initiatives across the Bank. Risk Management Sections are functioning at all 21 Circle Offices of the Bank as extended arms of the Risk Management Wing.

The Bank has in place risk management policies across geographies and across all risks encompassing the entire gamut of risk profile. These include policies on Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Asset Liability Management and Group Risk Management. The Bank has in place an Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) under Pillar 2 of Basel III norms. The ICAAP exercise covers the domestic and overseas operations of the Bank, Subsidiaries, Joint Ventures, Sponsored Entities and Associates. Stress testing exercise is also performed by the Bank to ascertain the potential risks faced by the Bank. The ICAAP document is reviewed and approved by the Risk Management Committee of the Board and the Board of Directors.

The Bank has a Board Level Sub-Committee for Capital Planning Process. The committee analyses macroeconomic scenarios, fine tune the business strategies and accordingly assess the capital requirements. The Committee ensures maintenance of appropriate level of Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) and evaluates various options for raising the capital.

Adoption of Advanced Approaches under Basel III:

In an endeavor to move towards Advanced Approaches under Basel III for computation of capital for Credit, Market and Operational Risks, the Bank has engaged



क्रियान्वयन के उद्देश्य से बैंक ने स्वयं तथा समूह इकाइयों के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की ताकि अपेक्षित जोखिम प्रबंधन ढांचे का निर्माण किया जा सके।

उद्यम-व्यापक एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचे के कार्यान्वयन की पूर्वापेक्षा के रूप में बैंक ने जोखिम समाधान प्राप्त किया है जिससे कि वह उन्नत मापन दृष्टिकोण की अपेक्षाओं की पूर्ति कर सके।

ऋण जोखिम के लिए पूंजी भार के परिकलन हेतु आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) दृष्टिकोण अपनाने के लिए, बाजार जोखिम के लिए पूंजी भार के परिकलन हेतु आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण और परिचालन संबंधी जोखिम के लिए पूंजी भार के परिकलन हेतु उन्नत माप दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक को आशय पत्र प्रस्तुत किया है।

बासेल III के लिए तैयारी:

बासेल III पूंजी विनियमावली संबंधी अंतिम दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी बना। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बासेल III पूंजी विनियमावली के पूर्ण क्रियान्वयन की परिवर्ती अवधि को 31.03.2020 तक बढ़ा दिया गया है। मार्च 2020 के अंत तक भारत में स्थित बैंकों को 5.50% की न्यूनतम समान ईक्विटी टायर 1 (सीईटी 1) पूंजी, 7.00% की टायर 1 पूंजी, कुल पूंजी 9% और 2.50% पूंजी परिरक्षण बफर (सीसीबी) को बनाये रखने की आवश्यकता है। बैंकों को जोखिमपूर्ण पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में 4.50% का न्यूनतम टायर 1 लीवरेज अनुपात बनाए रखना है।

बैंक पर्याप्त रूप से पूंजीकृत रहने के लिए प्रयास कर रही है तथा संक्रमण दौर के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना तैयार की है। भारत सरकार से पुनःपूंजीकरण समर्थन प्राप्त करने सहित बाजार से पूंजी जुटाने के लिए बैंक के पास पर्याप्त गुंजाइश है। आगे बढ़ते हुए, बैंक की पूंजी संबंधी अपेक्षा की पूर्ति - नयी ईक्विटी पूंजी लगाने, लाभ बरकरार रखने, कारोबार को इष्टतम स्तरों तक ले जाने और पूंजी संबंधी योजना व प्रबंधन के ज़रिए की जाएगी।

ऋण जोखिम प्रबंधन:

ऋण जोखिम मापन प्रक्रिया बैंक में क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों, मानकों और दृष्टिकोण की रूपरेखा निर्धारित करती है। यह ऋण जोखिमों, संसाधनों का अनुकूलन और प्रतिकूल साख स्थितियों के विरुद्ध बैंक की रक्षा के लिए प्रणाली, प्रक्रियाओं, नियंत्रण और सक्रिय प्रबंधन हेतु उपायों को स्थापित करता है। क्रेडिट जोखिम के मुद्दों और विचारों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए बैंक ने एक व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है।

the services of a Consultant for implementation of Enterprise-wide Integrated Risk Management solution for itself and the Group Entities, so as to build requisite risk management framework.

As a pre-requisite for the implementation of Enterprise wide Integrated Risk Management architecture, the Bank has procured a Risk Solution that would enable it to meet requirements of Advanced Measurement Approaches.

The Bank has submitted Letters of Intent to RBI for adoption of Internal Rating Based (IRB) Approach for calculation of capital charge for Credit Risk, Internal Models Approach for calculation of capital charge for Market Risk and Advanced Measurement Approach for calculation of capital charge for Operational Risk.

Preparedness for Basel III:

The final guidelines on Basel III Capital Regulations became effective from 1st April, 2013. As per RBI guidelines, the transitional period for full implementation of Basel III Capital regulations are extended up to 31.03.2020. The banks in India need to maintain a minimum Common Equity Tier 1 (CET1) capital of 5.50%, Tier 1 capital of 7.00%, total capital of 9.00% and Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% at the end of March 2020. The banks also have to maintain a minimum Tier 1 Leverage Ratio of 4.50% as a credible supplementary measure to the risk based capital requirements.

The Bank endeavours to remain adequately capitalized and has drawn plans to meet the capital requirements stipulated by the RBI in transitory phase. The Bank has adequate headroom to raise capital from the market, including recapitalization support from the Government of India. Going forward, the Bank's capital requirement shall be met by injecting fresh equity capital, retention of profits, optimization of business levels, proactive capital planning and management.

Credit Risk Management:

The Credit Risk management process outlines the principles, standards and approach for credit risk management at the Bank. Systems, procedures, controls and measures are in place to actively manage the credit risks, optimize resources and protect the Bank against adverse credit situations. In order to comprehensively address the issues and concerns of the Credit Risk, the Bank has put in place a comprehensive Credit Risk Management Policy.



बैंक में, ऋण की मंजूरी के लिए ऋण प्रस्ताव की व्यवहार्यता और आवेदक की साख योग्यता का मूल्यांकन करने हेतु पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए, सुपरिभाषित ऋण मंजूरी प्रक्रिया और प्राधिकरण मैट्रिक्स, संपार्श्विक प्रबंधन के लिए मानकों, ऋण निगरानी, अग्रिमों, एमएसएमई और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की पुनर्संरचना आदि के लिए मजबूत प्रणाली उपलब्ध है।

जोखिम स्वीकृति, जोखिम मापन, विवेकपूर्ण एक्सपोजर मानदंड, संगठनात्मक संरचना, रणनीतियां और संचालन प्रक्रिया आदि उपलब्ध हैं। संविभाग स्तर पर ऋण जोखिम और जोखिम संकेन्द्रण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए नीति विभिन्न जोखिम सीमाओं को निर्धारित करती है। आस्तियों पर प्रतिलाभ तथा निवल ब्याज मार्जिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आय सृजन हेतु उधारकर्ता के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण किया जाता है।

बैंक में उधार खाते के समग्र निष्पादन का निरंतर मूल्यांकन करने और ऋण प्रशासन, निगरानी और ऋण लेखापरीक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए ऋण समीक्षा तंत्र है। ऋण की समीक्षा और निगरानी की संपूर्ण प्रक्रिया, साख प्रशासन व निगरानी विभाग द्वारा विधिवत रूप से प्रशासित है।

बाजार जोखिम प्रबंधन:

बैंक के बाजार जोखिम ढांचे का उद्देश्य, सभी प्रकार के बाजार जोखिमों को कम करना तथा विभिन्न बाजार जोखिम कारकों के लिए सीमा संरचना व उत्प्रेरक स्थापित करना है।

एक्सपोजर लिमिट, जैसे स्टॉप लॉस लिमिट ऑन ट्रेडिंग बुक, विभिन्न मुद्राओं की स्थिति के बारे में इंटरडे व ओवरनाइट सीमा, डीलर-वार सीमा, सकल अंतर सीमा, मुद्रा बाजार परिचालन की सीमाएं, निवेश संविभाग के लिए संशोधित अवधि सीमा और जोखिम निवारक / उत्प्रेरक के लिए वीएआर सीमा निर्धारित किये गये हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग का मिड ऑफिस दैनिक आधार पर अन्य उत्प्रेरक के साथ इन सीमाओं पर निगरानी रखता है। बाजार जोखिम सीमा व उत्प्रेरक के प्रभावी व समयबद्ध निगरानी के लिए एक सुदृढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है।

परिचालन जोखिम प्रबंधन:

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क नैतिकता, संगठन संस्कृति और मजबूत संचालन प्रक्रियाओं पर आधारित है, जिसमें कॉर्पोरेट मूल्य, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और आकस्मिक योजना शामिल है।

A robust system for appraisal of loan/credit proposals, including seeking adequate information for appraising the viability of the proposal and creditworthiness of the applicant for sanctioning credit limits, well defined credit approval process and authorization matrix, standards for collateral management, credit monitoring, restructuring of advances, MSME and Off Balance Sheet Exposures, is followed.

Risk Acceptance, Risk Measurement, Prudential Exposure Norms, Organizational Structure, Strategies and Operational Process are in place. In order to address the credit risk at portfolio level and the issue of concentration risk, the Policy prescribes fixation of various exposure ceilings. Risk Based Pricing is in tune with the Risk profile of the borrower to generate returns to achieve targeted RoA and NIM.

The Bank has a Loan Review Mechanism for constantly evaluating the overall performance of the borrowal accounts and for bringing about qualitative improvements in credit administration, monitoring and credit audit. The entire process of the Loan review and monitoring is duly administered by the Credit Administration & Monitoring Wing.

Market Risk Management:

The Market Risk framework of the Bank aims at restricting loss from all types of market risk loss events and also to establish limit structure and triggers for various market risk factors.

Exposure limits, such as, Stop Loss Limits on Trading Book, Intraday and Overnight Limit for various Currency Positions, Dealer-wise Limits, Aggregate Gap Limit, Limits on Money Market Operations, Modified Duration Limits for investment portfolio and VaR Limits are fixed to act as risk mitigants / triggers. Mid Office of Risk Management Wing monitors these limits, along with other triggers, on a daily basis. A reporting framework has been put in place for effective and timely monitoring of market risk limits and triggers.

Operational Risk Management:

Operational Risk Management framework in the Bank is based on ethics, organization culture and strong operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning.

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए अपनी नीतियों में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया है, जैसे कि परिचालन जोखिम प्रबंधन संरचना, आउटसोर्सिंग गतिविधियाँ और कारोबार निरंतरता योजना।

वर्तमान में, बैंक बेसिक संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) से बासेल III ढांचे के उन्नत दृष्टिकोण के लिए प्रवास की प्रक्रिया में है। बैंक ने पहले ही घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग के लिए घटना प्रबंधन मॉड्यूल, प्रमुख जोखिम संकेतक की समीक्षा (केआरआई), संचालन नियंत्रण के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए जोखिम नियंत्रण और आत्म मूल्यांकन (आरसीएसए) कार्यशालाओं और परिदृश्य विश्लेषण कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

आस्ति देयता प्रबंधन:

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति, परिपक्वता और परिसंपत्तियों और देनदारियों के पुनः मूल्य निर्धारण प्रोफ़ाइल में उचित शेष राशि प्राप्त करना चाहती है, ताकि तरलता जोखिम को कम किया जा सके और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन किया जा सके। नीति ढांचे के भीतर, बैंक के बोर्ड ने आस्ति देयता प्रबंधन कमिटी (ए एल सी ओ) की स्थापना की है, जिसे वित्त पोषण रणनीतियों और इसकी संरचना, उत्पाद मूल्य निर्धारण, तनाव परीक्षण और दूसरों के बीच आकस्मिक कार्य योजना सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रबंधन की भूमिका के साथ सौंपा गया है।

एक संतुलित आस्ति देयता प्रबंधन संरचना बैंक के प्रसार, लाभप्रदता और दीर्घकालिक व्यवहार्यता को बनाए रखने में मदद करती है।

बैंक ने 01.01.2015 से तरलता कवरेज अनुपात (एल सी आर) के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को लागू किया है। 01.01.2017 से बैंक एलसीआर की दैनिक आधार पर गणना कर रहा है। 31.03.2019 तक, बैंक का एल सी आर निर्धारित न्यूनतम 100% से ऊपर है।

समूह जोखिम:

बैंक में विभिन्न सहायक, संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं हैं, जो विविध गतिविधियों में संलग्न हैं। जैसा कि इन समूह संस्थाओं में बैंक की काफी हिस्सेदारी है, बैंक ने अंतर समूह लेनदेन में जोखिम की पहचान करने और प्रबंधन करने के लिए एक समूह जोखिम प्रबंधन पॉलिसी रखी है और ग्रुप गवर्नमेंट्स के बीच हितों के टकराव को कम करके कॉरपोरेट गवर्नेंस के मानक को बढ़ाने के लिए एक्सपोजर किया है और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापार मापदंडों के संबंध में संस्थाओं के बीच 'स्वतंत्र संत्यवहार का सिद्धांत' है। बैंक का समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (जी सी आर ओ) समूह संस्थाओं के जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी कर रहा है।

The Bank has adopted policies for management of Operational Risk, which covers various aspects, such as, Operational Risk Management Structure, Outsourcing Activities and Business Continuity Plan.

At present, the Bank is in the process of migration to Advanced Approach of Basel III framework from the Basic Indicator Approach (BIA). The Bank has already put in place Incident Management module for timely reporting of incidents, Review of Key Risk Indicators (KRI), Conducting of Risk Control & Self Assessment (RCSA) workshops and Scenario Analysis workshops to compute capital charge for Operational Risk.

Asset Liability Management:

The ALM Policy of the Bank seeks to strike appropriate balance in the maturity and re-pricing profile of assets and liabilities, so as to reduce liquidity risk and manage interest rate risk. Within the policy framework, the Board of the Bank has set up Asset Liability Management Committee (ALCO), which is entrusted, inter alia, with the role of management of assets and liabilities including the funding strategies and its composition, product pricing, stress test and contingency action plan among others.

A balanced ALM structure helps to sustain the spreads, profitability and long-term viability of the Bank.

The Bank has implemented the RBI guidelines regarding Liquidity Coverage Ratio (LCR) with effect from 01.01.2015. Bank has been computing LCR on a daily basis w.e.f 01.01.2017. As on 31.03.2019, LCR of the Bank is above the stipulated regulatory minimum of 100%.

Group Risk:

The Bank has various Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Entities, which are engaged in diversified activities. As the Bank has considerable stake in these Group Entities, Bank has put in place a Group Risk Management Policy to identify and manage risk in intra Group transactions and exposures to raise the standard of Corporate Governance by reducing and avoiding conflicts of interest between the Group Entities and also to ensure 'Arms Length Principle' among Entities, with regard to business parameters. The Group Chief Risk Officer (GCRO) of the Bank is supervising the risk management activities of the Group Entities.

राष्ट्रीय प्राथमिकताएं

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम:

बैंक कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, सूक्ष्म साख, कमजोर वर्गों के लिए ऋण और निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों सहित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत विभिन्न लक्ष्यों को महत्व देता है।

मार्च 2019 तक बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹195126 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें 6.44% की वर्ष दर वर्षवृद्धि दर्ज की गई और 40% अनिवार्य मानदंड के सापेक्ष समायोजित निवल बैंक क्रेडिट (ए एन बी सी) को 48% हासिल किया।

(राशि ₹ करोड़ में)

प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम	मार्च 2019		वर्ष दर वर्ष	
	2018	2019	प्रमाणा	(%)
कुल प्राथमिक क्षेत्र	183313	195126	11813	6.44
कृषि	82456	90543	8087	9.81

कृषि के लिए ऋण वितरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, कृषि पोर्टफोलियो के तहत बैंक की अग्रिम राशि 69 लाख किसानों को कवर करते हुए 9.81% बढ़कर 90543 करोड़ रुपये हो गई। कृषि ऋण के तहत, बैंक ने 18% अनिवार्य मानदंड के सापेक्ष एएनबीसी को 19% प्राप्त किया। 2018-19 के दौरान, बैंक का कृषि ऋण संवितरण पिछले वर्ष के 67902 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 76384 करोड़ रुपये हो गया।

बैंक ने सभी किसानों को फसल ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाया।

इस वर्ष के दौरान, बैंक ने 7.13 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए, जिसकी राशि 12217 करोड़ रुपये थी। मार्च 2019 तक किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बकाया बकाया 17784 करोड़ रुपये था। 7.68 लाख किसान क्रेडिट कार्ड 7.87 लाख के पात्र खातों में 97.58% की उपलब्धि के साथ जारी किए गए थे। बैंक ने विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी एम ई जी पी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन यू एल एम), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई), विभेदक दर ब्याज (डी आर आई) योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पी एम एम वाई)।

NATIONAL PRIORITIES

Priority Sector Advances:

The Bank continues to accord importance to varied goals under national priorities, including agriculture, micro, small and medium enterprises, education, housing, social infrastructure, renewable energy, microcredit, credit to weaker sections and specified minority communities.

Priority Sector Advances of the Bank as at March 2019 reached ₹195126 crore, recording a y-o-y growth of 6.44% and achieved 48% to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against 40% mandated norm.

(Amt. in ₹ Crore)

Priority Sector Advances	As at March 2019		Y-O-Y Growth	
	2018	2019	Quantum	(%)
Total Priority Sector	183313	195126	11813	6.44
Agriculture	82456	90543	8087	9.81

With a focus on credit delivery to Agriculture, the Bank's advances under agriculture portfolio increased by 9.81% to ₹90543 crore, covering over 69 lakh farmers. Under agriculture lending, the Bank achieved 19% to ANBC against 18% mandated norm. During 2018-19, the Bank's agriculture credit disbursal increased to ₹76384 crore compared to ₹67902 crore in the previous year.

The Bank undertook special campaigns for extending Crop Loan facility to all farmers.

During the year, the Bank issued 7.13 lakh Kisan Credit Cards (KCCs), amounting to ₹12217 crore. The credit outstanding under KCCs was at ₹17784 crore as at March 2019. 7.68 lakh Kisan RuPay Cards were issued against eligible accounts of 7.87 lakh, with an achievement of 97.58%. The Bank actively participated in various Government Sponsored Schemes, such as, Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), National Rural Livelihood Mission (NRLM), National Urban Livelihood Mission (NULM), Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY), Differential Rate of Interest (DRI) Scheme, Stand Up India, Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY).

मार्च 2019 तक, लगभग 7.91 लाख लाभार्थियों को शामिल करते हुए, निम्नलिखित सरकारी योजनाओं के तहत बकाया अग्रिम कुल 12673 करोड़ रुपये तक एकत्रित किए गए।

विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं के तहत निष्पादन:

(राशि ₹ करोड़ में)

योजनाएँ	मार्च 2019	
	खाते	राशि
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	3134	111
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)	70540	1625
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)	1498	19
विभेदक ब्याज दर	110369	101
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	4017	38
स्टैण्ड अप इंडिया	1893	482
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पी एम एम वाई)	599195	10297
कुल	790646	12673

1.10 लाख लाभार्थियों से मिलकर डीआरआई की अग्रिम राशि 101 करोड़ रुपये थी, जिसमें ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा अग्रिमों की राशि 79 करोड़ रु थी।

समाज के वंचित वर्गों के समर्थन में, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को बैंक की अग्रिम राशि मार्च 2019 तक 8190 करोड़ ₹ थी, जिसमें 5.17 लाख उधारकर्ता शामिल थे। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को अग्रिमों में कुल प्राथमिकता वाले क्षेत्र के 4.15% अग्रिम शामिल थे।

कमजोर वर्गों के लिए अग्रिम 70237 करोड़ रु. तक पहुँच गया, जो अनिवार्य 10% की बजाय 17% था।

मार्च 2019 तक कमजोर वर्गों के लिये अग्रिम के विभिन्न घटक:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र	बकाया	
	खाते	राशि
छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, किरायेदार किसान और शेर फसलें	6158413	64729
कारीगर, गाँव और कुटीर उद्योग	35467	685
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति लाभार्थी	516918	8190
विभेदक ब्याज दर ऋण	110369	101
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लाभार्थी	4017	38
स्वयं सहायता समूह	149119	3796
संयुक्त देयता समूह	45846	918

As at March 2019, the outstanding advances under the following Government Schemes, aggregated to ₹12673 crore, involving around 7.91 lakh beneficiaries.

Performance under various Government Sponsored Schemes:

(Amt. ₹ Crore)

Scheme	March 2019	
	Accounts	Amount
Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)	3134	111
Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)	70540	1625
Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM)	1498	19
Differential Rate of Interest	110369	101
Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana	4017	38
Stand Up India	1893	482
Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)	599195	10297
Total	790646	12673

Advances to DRI stood at ₹101 crore, consisting of 1.10 lakh beneficiaries, of which, advances by rural and semi-urban branches amounted to ₹79 crore.

In support of the underprivileged sections of the society, the Bank's advances to SCs/STs beneficiaries amounted to ₹8190 crore as at March 2019, covering 5.17 lakh borrowers. The advances to SCs/STs comprised 4.15% of total priority sector advances.

Advances to weaker sections reached ₹70237 crore, constituting 17% to ANBC against mandated norm of 10%.

Various components of advances to Weaker Sections as at March 2019:

(Amt. in ₹ Crore)

Sector	Outstanding	
	Accounts	Amount
Small & Marginal Farmers, Landless Labourers, Tenant Farmers and Share Croppers	6158413	64729
Artisans, Village and Cottage Industries	35467	685
SC/ST Beneficiaries	516918	8190
DRI Loan	110369	101
SJSRY Beneficiaries	4017	38
Self Help Group	149119	3796
Joint Liability Group	45846	918

मार्च 2019 तक, निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को कुल 34169 ₹ करोड़ अग्रिम दिया गया है, जो वास्तविक प्राथमिकता क्षेत्र के लिए निर्धारित 15% मानदंड के बजाय 20% है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई) – राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन (डीएवाई – एनआरएलएम / आजीविका):

एनआरएलएम भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसमें गरीबों, मजबूत संस्थानों के निर्माण के माध्यम से गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा दिया जाता है, विशेषकर महिलाओं के। एनआरएलएम स्वयं सहायता समूह (विशेषकर एसएचजी) की क्षमता निर्माण का समर्थन करता है। 29 मार्च, 2016 एनआरएलएम का नाम बदलकर डीएवाई – आजीविका (दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र संख्या RBI / 2013-14 / 373 RPCD | GSSD | CO | BC.No.57 / 09.01 / 03 / 2013-14 दिनांक 19.11.2013 ने योजना को संचालित करने के लिए चिन्हित 150 जिलों में आजीविका के तहत ब्याज अनुदान योजना पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र FIDD.GSSD.CO.BC.No.13 / 09.01.03 / 2016-17 दिनांक 25.08.2016, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार उक्त योजना में 100 और जिले जोड़े हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से महिला स्वयं सहायता समूह (डब्ल्यूएसएचजी) के लिए ब्याज अनुदान प्रदान करना है जिन्होंने 7% की दर से 3 लाख रुपये तक ऋण लिया है और त्वरित भुगतान पर अतिरिक्त 3 % तक का अनुदान प्रदान करना है, जिससे ब्याज का प्रभावी दर 4% तक कम हो जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, सरकार ने शुरुआत से ही चिन्हित जिलों में डीएवाई-एनआरएलएम योजना के संचालन के लिए हमारे बैंक को नोडल बैंक के रूप में नामित किया है। हमने ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के विनिर्देशों के अनुसार सभी बैंकों और एमआईएस पीट्री के एनआरएलएम दावों को संभालने के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित किया है। अब तक, हमारे बैंक ने 3374432 दावों को संभाला है जिस से 2119.76 करोड़ रुपये और नोडल बैंक कमीशन ने 10.85 करोड़ रुपये कमाए। योजना की शुरुआत के बाद से, बैंक ने नोडल बैंक के रूप में विभिन्न दावों को संभाला।

(राशि ₹ करोड़ में)

सभी सदस्य बैंकों द्वारा किए गए ब्याज अनुदान दावे		
वित्तीय वर्ष	खातों की संख्या	राशि
2013-14	619933	268
2014-15	500829	304
2015-16	568304	365
2016-17	842118	579
2017-18	843248	603

As at March 2019, advances to specified minority communities aggregated to ₹34169 crore, accounting for 20% of the actual priority sector advances against the stipulated 15% norm.

Deendayal Antyodaya Yojana (DAY) – National Rural Livelihoods Mission (DAY-NLRM / Aajeevika):

NRLM is a flagship programme of Government of India to promote poverty alleviation through building strong institutions of the poor, particularly women. NRLM supports capacity building of SHGs (especially women SHGs). NRLM was renamed as DAY-NLRM (Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission) w.e.f. March 29, 2016. Reserve Bank of India Vide Circular RBI/2013-14/373 RPCD. GSSD. CO. BC.No.57/09.01/03/2013-14 dated 19.11.2013 has issued guidelines on Interest Subvention Scheme under Aajeevika in identified 150 Districts for operationalizing the Scheme.

Further RBI vide circular FIDD.GSSD.CO.BC.No.13/09.01.03/2016-17 dated 25.08.2016 has added 100 more districts in the said scheme as per the instructions of MoRD, GoI. The main objectives of the Scheme are to provide interest subvention to Women SHGs (WSHG) from rural areas who avail loans up to ₹3 lakhs at 7% per annum and to provide an additional subvention of 3% for prompt repayment, thereby reducing the effective rate of interest to 4%.

Ministry of Rural Development, Government has designated our Bank as Nodal Bank for administering the DAY NRLM Scheme in the identified Districts since inception. We have developed a dedicated web portal for handling NRLM claims of all banks including MIS generation as per the specifications of MoRD, GoI. So far, our bank has handled 3374432 claims amounting to ₹2119.76 crores and earned Nodal bank commission of ₹10.85 crores. As a nodal bank, the claims handled by our bank since the inception of the scheme is furnished below:

(Amt. in ₹ Crore)

Interest Subvention Claims made by all Member Banks		
Financial Year	No. of Accounts	Amount
2013-14	619933	268
2014-15	500829	304
2015-16	568304	365
2016-17	842118	579
2017-18	843248	603

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋण:

मार्च 2019 तक एमएसएमई के लिए अग्रिम बढ़कर ₹85168 करोड़ हो गया जो कि वर्ष दर वर्ष वृद्धि का 3.74% है। एम एंड एसई खंड का क्रेडिट 66657 करोड़ ₹. हो गया, जो कि वर्ष दर वर्ष वृद्धि 1.36% है। माइक्रो एंटरप्राइजेज राशि में 8.20% की वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत, बैंक ने 2018-19 के दौरान 8100 करोड़ रुपये के लक्ष्य की अपेक्षा मुकाबले 10297 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की। मुद्रा योजना की विभिन्न योजनाओं के तहत मंजूरी और संवितरण निम्नानुसार हैं:

वर्ग	31.03.2019 तक (राशि करोड़ में)			
	खातों की संख्या	मंजूर राशि	संवितरित राशि	बकाया राशि
शिशु (<₹50,000)	354483	729	724	684
किशोर (>₹50,000-₹5 लाख तक)	183552	4439	4217	3945
तरुण (>₹5 लाख से ₹10 लाख तक)	61160	5129	4828	4694
कुल	599195	10297	9769	9323

वर्ष के दौरान, बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने और निरंतर जागरूकता लाने के लिए कदम उठाए और निम्नलिखित पहल की है।

- 166 एसएमई विशेषीकृत शाखाएं ऋण प्रस्तावों के तेजी से प्रसंस्करण के लिए पूरे भारत में काम कर रही हैं। एसएमई विशेषीकृत शाखाओं के अलावा, 52 एसएमई सुलभ (स्पेशलाइज्ड एसएमई लोन प्रोसेसिंग सेंटर) भी देश भर में काम कर रहे हैं। किसी भी संपार्श्विक सुरक्षा की पेशकश के बिना सूक्ष्म और लघु उद्यम को वित्तीय सहायता देने के लिए और सहूलियत से उधार देने की शर्तों के साथ, कुछ खंड की विशिष्ट योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे एमएसएमई सहाय, मुद्रा केनरा अतिथि, डॉक्टर्स च्वाइस, एम एंड एस ई स्मार्ट, एमएसएमई कैप (बेहतर संस्करण), एमएसएमई वाहन, एमएसई विजता, केनरा कॉन्ट्रैक्टर्स स्कीम, केनरा कारवां, और एमएसपी एक्सपो।
- विशिष्ट समूहों और गतिविधियों के लिए बैंक के जोखिम को बढ़ाने के लिए, नए क्षेत्र / क्लस्टर विशिष्ट योजनाएं शुरू की गई हैं / जारी रखी गई हैं, जैसे कि केनरा टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल

Micro Small & Medium Enterprises (MSMEs) Lending:

Advances to MSMEs increased to ₹85168 crore as at March 2019, with a y-o-y growth of 3.74%. Credit to M&SE segments rose to ₹66657 crore, with a 1.36% y-o-y growth. Advances to Micro Enterprises recorded a growth of 8.20%.

Under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), the Bank sanctioned an amount of ₹10297 crores against the target of ₹8100 crore during 2018-19. Sanctions and disbursals under different categories of PMMY are as under:

Category	As on 31.03.2019 (Amt. in ₹ Crore)			
	No. of Accounts	Sanction Amount	Disbursement Amount	Outstanding Amount
Shishu (<₹50,000)	354483	729	724	684
Kishore (Above ₹50,000-5 Lakhs)	183552	4439	4217	3945
Tarun (Above ₹5 Lakhs to ₹10 Lakhs)	61160	5129	4828	4694
Total	599195	10297	9769	9323

During the year, the Bank has taken following initiatives to increase flow of credit to MSME sector and also to bring about continued awareness about the steps taken.

- 166 SME Specialized Branches are functioning throughout India for faster processing of credit proposals. Besides these SME Specialized Branches, 52 SME Sulabhs (Specialised SME Loan Processing Centres) are also functioning across the country. To extend financial assistance to Micro and Small Enterprises without any collateral security and with relaxed lending terms, the following segment specific schemes have been launched / continued, such as, MSME Sahay, Mudra Canara Atithi, Doctors' Choice, MSE SMART, MSME CAP (Improved Version), MSME Vahan, MSE Vijeta, Canara Contractors' Scheme, Canara CARAVAN, and MSME Expo.
- To increase the Bank's exposure to specific clusters and activities, new area / cluster specific schemes have been launched / continued, such as,



सेक्टर के लिए खानपान, सिरेमिक और विट्रिफाइड टाइल्स के विनिर्माण में लगी इकाइयों को ऋण देने की विशेष योजना जयपुर के लिए क्षेत्र विशेष योजना, संगमरमर और ग्रेनाइट में लगे प्रोसेसर्स / ट्रेडर्स के लिए, काकठिया टेक्सटाइल पार्क वारंगल के लिए योजना, ड्राई फ्रूट्स और नट्स ट्रेडर्स के लिए योजना चांदनी चौक, दिल्ली आदि के लिए।

- बैंक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एमएसई के बिल डिस्काउंटिंग के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मेसर्स आरएक्सआईएल, मेसर्स ई ट्रेड्स और मेसर्स एमवाईएनडी सॉल्यूशन के ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड किया है।
- बैंक मेसर्स ऑनलाइन पीएसबी लोन लिमिटेड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया है। सिडबी द्वारा अधिगृहित फिन-टेक कंपनी ने डिजिटल द्वार www.psbloansin59minutes.com के माध्यम से कॉन्टैक्टलेस एमएसएमई ऋण के लिए बैंकर्स के कंसोर्टियम का नेतृत्व किया।
- एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट प्रवाह में वृद्धि के लिए जागरूकता और पूल स्रोत बनाने के लिए वृहद ऋण शिविर आयोजित किए जाते हैं।
- माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए कुछ अचल कार्यालयों में माइक्रो एंटरप्राइज बिजनेस सेंटर काम कर रहे हैं।
- एमएसएमई पहल की आसान पहुंच और समझ के लिए बैंक के पास एक विशेष वेबसाइट www.canaramsme.com है।
- एमएसएमई अनुप्रयोगों के ऑनलाइन सबमिशन और ग्राहकों द्वारा इसकी ट्रैकिंग को एमएसएमई ग्राहक द्वारा बड़े पैमाने पर सुविधा और उपयोग किया जाता है।
- प्रधान कार्यालय में स्थापित एक विशेष सेटअप सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई इकाइयों के पुनर्वास और पुनर्गठन के माध्यम से तनाव के समय में निगरानी, स्लीपेज प्रबंधन और हैंडहोल्डिंग के पहलुओं को देख रहा है।
- एकल बिंदु संपर्क एमएसएमई संबंध अधिकारियों को शाखा के शीर्ष 20 उधारकर्ता खातों के साथ निकटता से संपर्क करने और वास्तविक समय के आधार पर उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी 166 एसएमई विशिष्ट शाखाओं में नामित किया गया है।
- सभी 388 यूएनआईडीओ समूहों में बैंक की शाखाएँ हैं और नए प्रस्तावों की प्राप्ति के लिए और एमएसएमई क्षेत्र में उधार को सुनिश्चित करने के लिए समूहों में विशेष ऋण शिविर आयोजित किए हैं।

Canara Textiles, catering to the Textile Sector, Special Scheme for lending to units engaged in Manufacturing of Ceramics and Vittrified Tiles, Area specific scheme to Jaipur, for financing Processors/ Traders engaged in Marble & Granite, Scheme for Kakathiya Textile Park Warangal, Scheme for Dry Fruits and Nuts Traders for Chandni Chowk, Delhi etc.

- Bank has on boarded on the TReDS Platforms of M/s. RXIL, M/s. A.TReDS and M/s. Mynd Solutions to garner business of Bill Discounting of MSEs through online portal.
- Bank has been on boarded in the digital platform of M/s. Online PSB Loans Ltd., a Fin-Tech Company acquired by SIDBI led consortium of Bankers for Contactless MSME loans through the digital portal www.psbloansin59minutes.com
- Mega Credit camps were conducted to create awareness and pool sources for increased credit flow to MSME sector.
- Micro Enterprises Business Centres are functioning at some Circle Offices for handholding Micro Enterprises.
- The Bank has an exclusive website www.canaramsme.com for easy access and dissemination of MSME initiatives.
- The online submission of MSME applications and tracking thereof by the customers are facilitated and used extensively by the MSME clientele.
- An exclusive set up established at Head office has been looking into the aspects of monitoring, slippage management and handholding in times of stress by way of rehabilitation and restructuring of MSME units as per Government of India / RBI guidelines.
- Single Point Contact MSME Relationship officers are named in all the 166 SME Specialised Branches to closely liaise with the Top 20 borrower accounts of each Branch and cater to all their requirements on a real time basis.
- Bank is having Branches at all the 388 UNIDO clusters and has conducted Special lending camps in the clusters for sourcing new Proposals and to ensure increased lending to MSME sector.



महिला सशक्तिकरण:

महिला सशक्तिकरण अनुभाग, प्रधान कार्यालय सहित देश के 21 अंचल कार्यालयों और 118 क्षेत्रीय कार्यालयों में महिला उद्यमिता विकास केंद्र (सीईडीडीडब्ल्यू) महिलाओं के लिए, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अथक रूप से काम कर रहे हैं। ये केंद्र संभावित उद्यमियों तक पहुँच कर हैं, परामर्श प्रदान करते हैं, उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं, वित्त प्रदान करते हैं और उनके लिये विपणन की व्यवस्था करते हैं। 2018-19 के दौरान महिला उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा कुल 241 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इन केंद्रों ने स्वयं सहायता समूह (एस एच जी) और क्रेडिट लिंकेज के गठन में भी सहायता की है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कर्नाटक के हरहल्ली में स्थापित किया गया है, जो विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं को ईडीपी / कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू से ही 21,283 महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुका है, जिनमें से 648 महिलाओं को 2018-19 के दौरान प्रशिक्षित किया गया है। बैंक द्वारा समर्थित 62 अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से, शुरुआत से ही 4.53 लाख महिलाओं को स्वरोजगार उपक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 28,058 को 2018-19 के दौरान प्रशिक्षित किया गया है। दो विशेष महिला बैंकिंग शाखाओं की स्थापना के अलावा, बैंक ने महिला ग्राहक पर ध्यान देने के लिए सभी महिला कर्मचारियों के साथ 72 से अधिक शाखाएँ सुसज्जित की हैं। 17 माइक्रो फाइनेंस शाखाएँ सूक्ष्म और लघु महिला उद्यमियों और एसएचजी सदस्यों की वित्तीय जरूरतों का सहारा देने में भी लगी हुई हैं। मार्च 2019 तक 32.04 लाख महिलाओं को 55966 करोड़ रुपये के ऋण की सहायता दी गई है और भारतीय रिजर्व बैंक के अपेक्षित 5% की एनबीसी का 16.39% प्राप्त है।

महिला उधारकर्ताओं को कई रियायतें प्रदान की गई हैं, जिसमें पात्रता मानदंडों में छूट और छात्राओं को शैक्षिक ऋण पर 0.50% ब्याज रियायत शामिल है। महिलाओं को आवास ऋण और वाहन ऋण (व्यक्तिगत वाहन) के तहत कार्ड दरों पर 0.05% ब्याज रियायत दी गई है। "एमएसई विजेता", सूक्ष्म और लघु उद्यमों और केनरा महिला बचत योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष ऋण योजना, विशेष बचत बैंक जमा उत्पाद, के साथ महिलाओं के लिए कई रियायतें तैयार की गई हैं।

वर्ष के दौरान, 3 सफल "महिला उद्यमियों" को केनरा बैंक बेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स (सीबीडीब्ल्यूईए) 2017-18 के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नकद पुरस्कार दिया गया। विपणन सहायता के तहत, बैंक ने बेंगलुरु और शिवमोग्गा (कर्नाटक) और

Empowering Women:

Women Empowerment Section at Head office and Centre for Entrepreneurship Development for Women (CEDW) at 21 Circle Offices and 118 Regional offices across the country are working relentlessly towards economic empowerment of women. These CEDWs have reached potential entrepreneurs, undertaken counselling, supported their training needs, provided finance and arranged marketing facilities. A total of 241 Programmes were organized by the CEDWs during 2018-19. These centres have also assisted in the formation of Self Help Groups (SHGs) & credit linkages.

Rural Self Employment Training Institute set up at Harohalli, Karnataka to provide EDP / skill training to women in various vocations has trained 21,283 women since inception, out of which 648 women have been trained during 2018-19. Through 62 other Training Institutes supported by the Bank, 4.53 lakh women have been trained in Self Employment ventures since inception, of which 28,058 have been trained during 2018-19. Apart from establishing two exclusive Mahila Banking Branches, the Bank has equipped over 72 branches with all women employees to give focused attention to women clientele. 17 Micro finance branches are also engaged in supporting the financial needs of Micro & Small Women entrepreneurs and SHG members. The Bank has assisted 32.04 lakh women with a credit outstanding to the tune of ₹55966 crore as at March 2019 and has achieved 16.39% to ANBC as against RBI's requirement of 5%.

Several concessions have been provided to women borrowers that include relaxation in eligibility norms and 0.50% interest concession on educational loans to girl students and 0.05% interest concession on the Card Rates under Housing Loan to Woman and Vehicle Loan (Personal vehicle) to women. Further "MSE Vijeta", an exclusive loan scheme for women entrepreneurs for loans upto ₹2 Crore under Micro & small Enterprises and Canara Mahila Savings Scheme, a special Savings Bank deposit product, with many concessions have been devised for women.

During the year, 3 successful "Women Entrepreneurs" were given cash awards on the occasion of International Women's Day under Canara Bank Best Woman Entrepreneur Awards (CBWEA) 2017-18.

अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), कोयम्बटूर (तमिलनाडु), और त्रिशूर (केरल) में अपने उत्पादों का प्रदर्शन या विपणन करने में सक्षम महिलाओं और एसएचजी को सक्षम बनाने के लिए कम्प्यूटरीकृत बिलिंग और कार्ड स्वाइपिंग सुविधा के साथ पांच अद्वितीय कस्टम निर्मित, उच्च तकनीक, सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल बिक्री वैन "केनरा वाहिनी" प्रदान की है।

अग्रणी बैंक जिम्मेदारी:

बैंक में देश के 31 जिलों में लीड बैंक की जिम्मेदारी है, कर्नाटक में 8, तमिलनाडु में 7, केरल में 5, उत्तर प्रदेश में 5, दिल्ली में 3, तेलंगाना में 2 और बिहार में 1 है। बैंक केरल में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस एल बी सी) का संयोजक है।

वित्तीय समावेशन:

वित्तीय समावेशन के लिए समग्र दृष्टिकोण

बैंकिंग मुख्यधारा के तहत उपेक्षित बड़ी आबादी को लाने के मूल उद्देश्य के साथ, बैंक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से उपेक्षित और हाशिये पर मौजूद वर्गों को उपलब्ध कराकर अधिक समावेशी विकास की दिशा में प्रयास कर रहा है। भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, बैंक वित्तीय समावेशन के एजेंडे को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है, जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग और वित्तीय साक्षरता की वकालत के माध्यम से बैंकिंग अवसरचना का विस्तार करना, उचित वित्तीय उत्पादों की पेशकश करना, व्यापक और गहन बनाना है।

बैंक में शाखा मॉडल के तहत 903 वित्तीय समावेशन (एफआई) शाखाएँ हैं और व्यापार संवाददाता (बीसी) मॉडल के तहत 2459 बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट एजेंट्स (बीसीए) भी लगे हुए हैं। इसके अलावा, बैंक में 471 अति छोटी शाखा (यूसबी) भी चालू हैं।

प्रधान मंत्री जन धन योजना (प्रधानमंत्री जन धन योजना):

प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार की ओर से भारत की जनसंख्या के व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए एक पहल है, विशेष रूप से उन परिवारों को बैंकिंग के दायरे में लाने और उन्हें बैंकिंग उद्योग द्वारा प्रदान किए गए लाभों और सुविधाओं के साथ सशक्त बनाने के उद्देश्य से। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों को रुपये डेबिट कार्ड, आकस्मिक बीमा कवरेज के साथ 2 लाख रुपये, जीवन बीमा कवर 30,000 रुपये/- (31.01.2015 तक खोले गए खातों के लिए) और संतोषजनक व्यवहार के छह महीने के बाद 10000/- रुपये तक के ओवरड्राफ्ट जारी किए जाते हैं। बैंक को प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन के लिए 3962 सब सर्विस एरिया (एसएसए) और 3371 अर्बन वार्ड आवंटित किए गए थे।

Under marketing support, the Bank has provided five unique custom built, high tech, solar powered mobile sales vans "Canara Vahini" with computerized billing and card swiping facility to enable women entrepreneurs and SHGs to exhibit or market their products at Bengaluru and Shivamogga (Karnataka) and Aligarh (Uttar Pradesh), Coimbatore (Tamil Nadu), and Thrissur (Kerala).

Lead Bank Responsibility:

The Bank has Lead Bank Responsibility in 31 Districts in the country, viz., 8 in Karnataka, 7 in Tamil Nadu, 5 in Kerala, 5 in Uttar Pradesh, 3 in Delhi, 2 in Telangana and 1 in Bihar. The Bank is the Convenor of the State Level Bankers' Committee (SLBC) in Kerala.

FINANCIAL INCLUSION:

Holistic Approach to Financial Inclusion

With the basic objective of bringing the large unserved population under the banking mainstream, the Bank is striving towards a more inclusive growth by making financial products and services available to financially excluded and marginalized sections of the society in particular. As per the Government of India and the Reserve Bank of India directions, the Bank has been actively pursuing the agenda of Financial Inclusion, with key interventions, viz., expanding banking infrastructure, offering appropriate financial products, making extensive & intensive use of technology and through advocacy of financial literacy.

The Bank has 903 Financial Inclusion (FI) Branches under branch model and also engaged 2459 Business Correspondent Agents (BCAs) under Business Correspondents (BC) model. In addition, 471 Ultra Small Branches (USBs) are also operational in the Bank.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):

PMJDY is the initiative from Government of India for comprehensive financial inclusion of the population of India, particularly aiming at covering the households hitherto excluded from the purview of banking and empowering them with benefits and facilities provided by the banking industry. Accounts opened under PMJDY are issued with Rupay Debit card, accidental Insurance coverage to the extent of ₹2 lakh, life insurance cover of ₹30,000/- (for accounts opened upto 31.01.2015) and overdraft upto ₹10000/- after six months of satisfactory dealing. The Bank was allotted 3962 Sub Service Area (SSAs) and 3371 Urban Wards for implementation of PMJDY.

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किये गये प्रदर्शन के मुख्य बिंदु:

- प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 72.80 लाख खाते खोले गए और 2450.68 करोड़ रुपये का कासा जमा किया गया।
- 903 पारंपरिक बैंकिंग शाखाओं को खोलने और शेष स्थानों पर 2459 बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट एजेंट्स (बैंक मित्र) को शामिल करके 3962 आवंटित एसएसए और 3371 शहरी वार्डों वाले सभी 10049 गांवों को कवर किया गया है। भुगतान की सुविधा के लिए बैंक मित्र को हस्त उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जो रूपे कार्ड स्वीकार करने के लिए सक्षम हैं। बैंक ने सभी पात्र खाताधारकों को 42.89 लाख रूपए डेबिट कार्ड जारी किए हैं। बैंक मित्रों ने वर्ष के दौरान 3132 करोड़ रुपये राशी के 141.87 लाख लेनदेन किए हैं।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत शून्य बैलेंस खातों को कम करते हुए 11.67% तक लाया गया है।
- सभी पात्र पीएमजेडीवाई खाताधारकों को 10,000/- रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधाएं प्रदान की गई हैं। 1.10 लाख पीएमजेडीवाई खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की गई है, जो वर्ष के दौरान 13.51 करोड़ रुपये है। अब तक बैंक ने 7.32 लाख खाताधारकों को 111.49 करोड़ रुपये की पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट सुविधाएं प्रदान की हैं।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:

वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत, निम्नलिखित नामांकन किए गए हैं।

योजना के तहत मार्च 2019 तक नामांकन	
योजना	नामांकन यथा मार्च 2019
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(पीएमजेबीवाई)	26.69 लाख
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(पीएमएसबीवाई)	75.28 लाख
अटल पेंशन योजना (एपीवाई)	75.28 लाख

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, बैंक ने 17383 खाते जुटाए हैं।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने इस वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन संबंधित निम्न गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है:

वित्तीय समावेशन में शाखाओं द्वारा कारोबार :

वित्तीय समावेशन शाखाओं ने 21410 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जिसमें 5627 करोड़ का कासा जमा शामिल है, जो कुल जमा

Performance highlights under PMJDY:

- Opened 72.80 lakh accounts under PMJDY and mobilized a CASA deposit of ₹2450.68 crore.
- Covered all allotted 10049 villages comprising of 3962 allotted SSAs and 3371 Urban wards by opening of 903 brick & mortar branches and engaging 2459 Business Correspondent Agents (Bank Mitras) at remaining locations. Hand-held devices enabled for accepting RuPay Cards are provided to Bank Mitras for facilitating payments, The Bank has issued 42.89 lakh Rupay Debit Cards to all eligible account holders. Bank Mitras have done 141.87 lakh transactions, amounting to ₹3132 crore during the year.
- Zero balance accounts under PMJDY have been brought down to 11.67%.
- Provided overdraft facilities upto ₹10,000/- to all eligible PMJDY account holders. 1.10 lakh PMJDY accounts holders have been provided with overdraft facility, amounting to ₹13.51 crore during the year. So far the Bank has provided PMJDY overdraft facilities to 7.32 lakh account holders to the extent of ₹111.49 crore.

Social Security Schemes:

Under various social security schemes launched by the Government of India during the year, following enrolments have been made.

Scheme Wise Enrolments As at March 2019	
Scheme	Enrolments as at March 2019
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)	26.69 lakh
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)	75.28 lakh
Atal Pension Yojana (APY)	75.28 lakh

Under Sukanya Samriddhi Yojana, the Bank has mobilized 17383 accounts

Apart from the above, the bank has also made significant progress in the Financial Inclusion related activities during the year as under:

Business canvassed in the FI Branches:

FI branches have garnered business of ₹21410 crore, which includes CASA deposits of 5627 crore, constituting

राशि का 26.28% है। प्रति वित्तीय समावेशन शाखा का औसत कारोबार 23.74 करोड़ ₹ है

मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों की स्थिति:

बैंक ने 2018-19 के दौरान 8.83 लाख मूल बचत बैंक जमा खाते खोले हैं, मूल बचत बैंक जमा खातों की मार्च 2019 तक 175.32 लाख तक की बकाया राशि के साथ, ₹5427 करोड़ जमा किया है।

स्वयं सहायता समूहों का गठन और क्रेडिट लिंकिंग:

स्वयं सहायता समूहों के लिये वित्त पोषण ने गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण गरीबों के वित्तीय समावेशन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैंक ने वर्ष के दौरान 11026 स्वयं सहायता समूहों का गठन और ₹2889 करोड़ से 89237 तक स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंक किया है। बकाया स्वयं सहायता समूह खाते 1.49 लाख से अधिक थे, जिनकी बकाया राशि ₹3796 करोड़ थी।

किसान क्लब:

बैंक ने किसान क्लब बनाने की अवधारणा को अपनाया है, जो प्रगतिशील किसानों का एक संगठन है, जिन्होंने स्वेच्छा से विकास के सिद्धांतों को ऋण के माध्यम से प्रचारित किया है और बेहतर पुनर्भुगतान नैतिकता भी विकसित की है और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। वर्ष के दौरान, बैंक ने 737 किसान क्लबों का गठन किया है।

सूक्ष्म वित्त शाखाएँ:

बैंक ने शहरी केंद्रों में 18 सूक्ष्म वित्त शाखाएँ खोली हैं। इन शाखाओं ने मार्च 2019 तक कुल 679.38 करोड़ रुपये का व्यापार जुटाया है।

वित्तीय साक्षरता केंद्र:

बैंक के वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के मामलों की देखभाल करने के लिए 'केनरा वित्तीय सलाहकार ट्रस्ट' का गठन किया गया है, साथ ही साथ बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) द्वारा एफएलसी विकसित किए गए। बैंक के पास देश के 26 अग्रणी जिलों में और 46 ब्लॉकों 72 एफएलसी हैं जो कि काउंसलर (सेवानिवृत्त बैंकर) द्वारा प्रबंधित हैं।

वित्तीय साक्षरता पहल:

- वित्तीय साक्षरता केंद्रों ने वर्ष के दौरान 21.05 लाख लोगों को और आरंभ से 84.68 लाख लोगों को शिक्षित किया है।
- शाखा प्रबंधकों को उनकी शाखाओं में और उनके सेवा क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- नाबार्ड से वित्तीय समावेशन निधि योजना के तहत 65 वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन किया।

26.28% of total deposits. Average business per FI branch stood at ₹23.74 crore.

Position of Basic Savings Bank Deposit (BSBD) Accounts:

The Bank has opened 8.83 lakh BSBD accounts during the year 2018-19, taking the tally of BSBD accounts as at March 2019 to 175.32 lakh, with an outstanding deposit of ₹5427 crore.

Formation & Credit Linking SHGs:

Financing to Self Help Groups has played pivotal role for poverty alleviation and financial inclusion of the rural poor. The Bank has formed 11026 SHGs and credit linked 89237 SHGs with an outlay of ₹2889 crore during the year. The outstanding SHG accounts were more than 1.49 lakhs, with an outstanding amount at ₹3796 crores.

Farmers' Clubs:

The Bank has adopted the concept of forming Farmers' Clubs, which is an association of progressive farmers, who have volunteered to disseminate the principles of development through credit and also inculcate better repayment ethics and promote people's participation. During the year, the Bank has formed 737 Farmers Clubs.

Micro Finance Branches:

The Bank has opened 18 Micro Finance Branches in the urban centres. These branches mobilized a total business of ₹679.38 crore as at March 2019.

Financial Literacy Centres:

Formed 'Canara Financial Advisory Trust' to take care of the affairs of the Financial Literacy Centres (FLCs) of the Bank as well as the FLCs promoted by the Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank. Pan India, the Bank has 72 FLCs in 26 lead districts and 46 blocks across the country, managed by the Counsellors (retired bankers).

Financial Literacy Initiatives:

- Financial Literacy Centres have educated 21.05 lakh persons during the year and 84.68 Lakh persons since inception.
- Special training is being provided to Branch Managers for conducting financial literacy programmes at their branches and in their service area.
- Conducted 65 financial literacy camps under Financial Inclusion Fund Scheme from the NABARD.

आधार सेवा केंद्र:

बैंक आधार नामांकन के लिए एक रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसी है। बैंक को बैंक के 10% शाखा परिसरों में 740 आधार सेवा केंद्र स्थापित करने हैं, जिसमें बैंक ने यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए 613 केंद्र और 2 प्रायोजित आरआरबी के लिए 127 केंद्र (पीकेजीबी 65 और केजीबी 62) स्थापना की है।

आधार प्रविष्टि:

93% सक्रिय एसबी खातों में और 88% पीएमजेडीवाई खातों में आधार संख्या प्रविष्टि की गई है। इसके अलावा बैंक 100% के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म निगरानी के माध्यम से शेष सभी एसबी और पीएमजेडीवाई खातों को आधार संख्या के साथ जोड़ने की प्रक्रिया में है।

आधार प्रमाणीकरण:

लगभग 200 लाख खातों के लिए यूआईडीएआई के साथ खातों का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक किया गया है। शेष खातों के लिए ई-केवाईसी बायोमेट्रिक और ओटीपी उपयोगिता शाखाओं के लिए एसएसएस पैकेज में सक्षम की गई है। वेब पोर्टल में, बैंक ने ग्राहक द्वारा स्वयं प्रमाणित करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग में एक लिंक प्रदान किया है। एटीएम में, ग्राहकों के लिए प्रमाणीकरण स्थिति जांच सुविधा प्रदान की गई है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

सीएसआर गतिविधियों में उदाहरण स्थापित करना

संस्थापक सिद्धांतों और पुरानी परंपरा के अनुसार, बैंक विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों में लगा हुआ है। बैंक की सीएसआर पहल बहुविध, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, सामुदायिक विकास, महिलाओं के सशक्तीकरण और अन्य सामाजिक पहलों जैसी गतिविधियों को कवर करती है।

ग्रामीण विकास:

ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता विकास व स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केनरा बैंक शताब्दी ग्रामीण विकास ट्रस्ट (सीबीसीआरडीटी) के माध्यम से बैंक ने 23 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, 05 सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान व 03 शिल्पकार प्रशिक्षण संस्थान सहित 31 विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान इन संस्थानों द्वारा 20,728 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है। शुरुआत से अब तक 3.38 लाख

AADHAAR Seva Kendras:

The Bank is a Registrar and Enrolment Agency for Aadhaar Enrolment. The Bank has established 740 Aadhaar Seva Kendras inside 10% of the bank branch premises, comprising of 613 centres for the bank and 127 centres for the 2 sponsored RRBs (PKGB 65 & KGB 62), duly complying with the UIDAI guidelines.

AADHAAR Seeding:

93% of operative SB accounts and 88% of PMJDY accounts have been seeded with Aadhaar Number. Further the bank is in the process of seeding all remaining operative SB and PMJDY accounts with Aadhaar number through close monitoring to achieve the target of 100%.

AADHAAR Authentication:

Demographic authentication of accounts with UIDAI has been done successfully for nearly 200 lakh accounts. For the remaining accounts e-KYC biometric and OTP utility has been enabled in the SAS package for branches. In web portal, the Bank has provided a link for the internet banking customer to authenticate on their own. In ATM, authentication status checking facility has been provided for the customers.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Setting Examples in CSR Activities

Following the founding principles and century old tradition, the Bank is engaged in varied Corporate Social Responsibility (CSR) activities. CSR initiatives of the Bank are multifarious, covering activities like training unemployed rural youth, scholarship to meritorious SC / ST Girl students, providing primary health care, drinking water, community development, empowerment of women and other social initiatives.

Rural Development:

The Bank, through its Canara Bank Centenary Rural Development Trust (CBCRDT), has established 31 exclusive training institutes, including 23 Rural Self-Employment Training Institutes (RSETIs), 5 Institutes of Information Technology and 3 Artisan Training Institutes to promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them to take up self employment activities. During 2018-19, these Institutes

बेरोज़गार युवकों को प्रशिक्षित किया है एवं आजीविका बसाने वालों की दर 75% है।

बैंक ने स्वरोज़गार कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिलाने के लिए 17 राज्यों में अन्य 27 ग्रामीण विकास और स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान(रुडसेटि) को सह-प्रायोजित किया है। वर्ष 2018-19 के दौरान इन संस्थानों ने 22,068 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है जिससे अबतक इन संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित बेरोज़गार युवकों की संख्या 4.69 लाख हो गई है। इनमें से आजीविका बसाने वालों का दर 73% है। बैंक ने तेलंगाना के हैदराबाद स्थित बैंकर्स ग्रामीण व उद्यमिता विकास संस्थान(बीआईआईडी), कर्नाटक के हलियाल स्थित केनरा बैंक देशपांडे रुडसेटी, कर्नाटक के बागलकोट स्थित कर्नाटक किसान संसाधन केन्द्र (के एफ आर सी) व बेंगलूर स्थित भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरय्या प्रशिक्षण संस्थान को सह प्रायोजित किया है। सम्यक रूप से बैंक ने 62 प्रशिक्षण संस्थानों को प्रायोजित / सह प्रायोजित किया है जहां 74% की रोजगार दर के साथ अबतक 8 लाख बेरोज़गार युवकों को प्रशिक्षित किया गया है। बैंक ने महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह व शिल्पकार को उनके उत्पादों के विपणन हेतु 04 उच्च तकनीक, कस्टम बिल्ट, सौर उर्जा चालित 'खुदरा मोबाइल विपणन वैन' प्रदान किया है।

प्रमुख क्षेत्रों में संस्थागत स्थापना के माध्यम से रोजगार / स्व रोजगार के लिए कौशल विकास, प्रतिष्ठित अस्पतालों के साथ समन्वय में स्वास्थ्य देखभाल पहलों, स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्राओं के लिए शौचालयों का निर्माण, कंप्यूटर और अन्य आधारभूत सहायता, छात्रवृत्ति सुविधाओं वाले छात्रों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, विकलांग व्यक्तियों को सहायता किए गए।

पर्यावरण संरक्षण

बैंक ने हरियाणा के पानीपत के देहरा गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट और ट्री गार्ड प्रदान करने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु के माध्यम से वृक्षारोपण परियोजना की शुरुआत की है। बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार की स्वच्छ भारत गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है।

असुविधाग्रस्त के लिए स्वास्थ्य सेवा

मैसर्स श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च, बेंगलुरु को बैंक की सीएसआर पहल के तहत मैसूर में उनकी यूनिट के लिए हार्ड-टेक एम्बुलेंस प्रदान की गई। बैंक ने ग्रामीण

trained 20,728 candidates, taking the tally to 3.38 lakh unemployed youth since inception, with an impressive settlement rate of 75%.

The Bank has co-sponsored another 27 Rural Development and Self Employment Training Institutes (RUDSETIs) across 17 States, for training of rural youth for taking up self-employment programmes. During 2018-19, these Institutes trained 22,068 candidates, taking the tally to 4.69 lakh unemployed youth, with a settlement rate of 73%. The Bank has also co-sponsored Bankers Institute for Rural and Entrepreneurship Development (BIREED) at Hyderabad, Telangana and Canara Bank Deshpande RSETI at Haliyal, Karnataka Farmers Resource Centre (KFRC) at Bagalkot and Bharat Ratna Shri M Visvesvaraya Training Institute at Bengaluru, Karnataka. Cumulatively, the Bank has sponsored / co-sponsored 62 training institutes, which have trained more than 8 lakh unemployed youth so far, with a settlement rate of 74%. The Bank has donated 4 hi-tech, custom built, solar powered 'Retail Mobile Marketing Van' to assist women entrepreneurs, SHGs and artisans to market their products.

The major thrust areas are skill development for employment /self employment through Institutional set up, Health care initiatives in co-ordination with reputed Hospitals, promoting Education through direct and indirect support through smart classes, construction of toilets for girl students, providing computers and other infrastructural support, direct financial help to students with scholarship facilities, a helping hand to Persons with Disabilities etc.

Environment Protection

The Bank has undertaken an ambitious project of providing Solar Street Lights and Tree Guards at Dehra Village, Panipat, Haryana. Tree Plantation Project initiated through National Institute of Oceanography, Chennai, Tamilnadu. The Bank has also actively participated in Government of India, Swachh Bharat activities during the year 2018-19.

Health care for the Underprivileged

Hi-tech Ambulance was provided to M/s Sri Jayadeva Institute of Cardio Vascular Sciences & Research, Bengaluru for their unit at Mysore under the CSR initiatives of the Bank. The Bank has also provided

विकास न्यास, अनंतपुर, कुरनूल, आंध्र प्रदेश को चिकित्सा उपकरण भी प्रदान किए हैं; मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति और जिला कैंसर केंद्र, नल्लूरनाड, वायनाड के कैंसर रोगियों के उपयोग के लिए जिला प्रशासन, वायनाड, केरल के लिए एम्बुलेंस वैन प्रदान की। मेसर्स राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, (आरजीसीबी) त्रिवेंद्रम, केरल में, गंभीर परिस्थितियों में रोगियों के परिवहन के लिए और बाहर जाने के मामले में प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविदों के लिए 2 वैन प्रदान किए गए हैं। सिलीगुड़ी, सिक्किम में ग्यारह सरकारी स्कूलों के वंचित छात्राओं के लाभार्थ सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें और इंसुलेटयों की स्थापना की गई। बैंक ने कुछ रोगियों के पुनर्निर्माण सर्जरी के लिए भी मेसर्स स्विस् एम्मास लेप्रोसी रिलीफ वर्क इंडिया, चेन्नई, तमिलनाडु की सहायता है।

शिक्षा के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन

शिक्षा, सीएसआर के मुख्य कारक और व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण बैंक ने अपनी अन्य पहलों के अलावा, बेहतर सुविधाओं के लिए और शिक्षा के विस्तार के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की सहायता की है।

मेधावी अनुसूचित जाति / जनजाति छात्राओं के लिए केनरा विद्या ज्योति छात्रवृत्ति योजना:

छठे क्रमिक वर्ष के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्ययन कर रहे 5 वीं से 10 वीं कक्षा तक के मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं, और 9160 छात्रों को 2018-19 के दौरान कुल 3.48 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग करके लाभान्वित किया गया। 46610 छात्राओं को शुरू से इस योजना के तहत ₹17.86 करोड़ की राशि का लाभ दिया गया है।

सीएसआर पहल के तहत, बैंक ने सेंट पॉल मिशन स्कूल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को लाइब्रेरी कम ऑडियो विजुअल क्लास रूम के नवीकरण के लिए सहायता प्रदान की है और मेसर्स शताब्दी चैरिटेबल ट्रस्ट, चेन्नई तमिलनाडु के सहयोग से तीन सरकारी स्कूलों में ई-लर्निंग सुविधा प्रदान की गई। बैंक ने श्री दुर्गापारमेश्वरी प्राउडशाला, शकटापुरम, कोप्पा, कर्नाटक में क्लास रूम, हॉल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की हैं। बैंक ने सरकारी मॉडल उच्च प्राथमिक विद्यालय, नागाशेट्टी हल्ली, बेंगलुरु; सरकारी प्राथमिक विद्यालय, विद्यारण्यपुरा, बेंगलुरु, कर्नाटक, सरकारी स्कूल थेवरम, मदुरै, तमिलनाडु, सरकारी स्कूल कुट्टीचल, त्रिवेंद्रम को डेस्क, बेंच और अन्य फर्नीचर और सरकारी हाई स्कूल देहरा गाँव,

Medical Equipment to Rural Development Trust, Ananthpur, Kurnool, AP. An Ambulance Van was donated to the District Administration, Wayanad, Kerala, mainly for the use of Scheduled Tribe & underprivileged Cancer patients of the District Cancer Centre, Nalloornad, Wayanad. M/s Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology, (RGCB Trivandrum, Kerala), has been provided 2 Vans for transportation of patients in critical conditions & movement of laboratory technologists in case of exigencies. Sanitary Napkin Vending Machines and Incinerators were installed in eleven Govt. Schools at Siliguri, Sikkim, for the benefit of underprivileged girl students of the Govt. schools of Sikkim. The Bank also assisted M/s Swiss Emmaus Leprosy Relief Work India, Chennai, Tamilnadu for reconstructive surgery of leprosy patients.

Direct and Indirect support to Education

Education being one of the prime sectors of CSR and a vital part of personality development, the Bank apart from its own initiatives, has assisted various educational institutions for better facilities and for spreading the coverage of education.

Canara Vidya Jyothi Scholarship scheme to meritorious SC/ST Girl Students:

Scholarship were provided for meritorious girl students from 5th to 10th standard, studying in Government and Government aided schools for the sixth successive year and 9160 students have been benefitted utilizing a total amount of ₹3.48 Crores during 2018-19. 46610 girl students have been benefitted amounting to ₹17.86 Crores under the scheme since inception.

Under CSR initiative, the Bank has assisted St.Paul's Mission School, Kolkata, West Bengal for renovation of Class room to Library cum audio visual room and E-learning facilities were provided in three Government Schools in association with M/s Centenary Charitable Trust, Chennai Tamil Nadu. The Bank has provided infrastructural facilities like Class Rooms, Hall & Toilets to Shri Durgaparameswari Proudashala, Shakataparam, Koppa, Karnataka. The Bank has provided Desks, Benches and other furniture to the Govt. Model Higher Primary School, Nagashetty Halli, Bengaluru; Govt. Primary School, Vidyaranyapura, Bengaluru, Karnataka; the Govt. School, Thevaram, Madurai, Tamilnadu;

हरियाणा को यूटिलिटी आइटम्स प्रदान किए हैं। बैंक ने वर्कला, केरल में स्कूली छात्रों के लिए ग्रीन प्रोटोकॉल पहलों के प्रचार कार्यक्रम के लिए सहायता की है।

गरीबी और पोषण से निपटने के लिए वित्तीय सहायता

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में "राजस्थान किचन फॉर स्कूली बच्चों" के तहत जोधपुर में स्वचालित रोटी बनाने की मशीन की खरीद के लिए बैंक ने मैसर्स अदम्य चेतना को वित्तीय सहायता दी है। बैंक ने अपने अंचल कार्यालयों / क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से केरल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कैम्पों को मदद देने के लिए भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की हैं। बैंक ने मैसर्स सन्मती बाल निकेतन, पुणे, महाराष्ट्र को आवश्यक वस्तुएं प्रदान की हैं।

विकलांग व्यक्तियों को बेहतर जीवन जीने के लिए सहायता

समान विचारधारा वाले एजेंसियों के सहयोग से कई कार्यक्रम किए गए हैं। इस संबंध में, बैंक ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान की हैं; विकलांग छात्रों को व्हील चेयर; स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर प्रतिभा आश्रम अनाथालय में रेफ्रिजरेटर; वृद्धाश्रम को कंबल; मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को स्कूल बैग, किताबें; मुंबई, महाराष्ट्र में 4 नेत्रहीन गरीबों को ब्रेल घड़ी. मंगलुरु, कर्नाटक के दृष्टिबाधित व्यक्तियों के रोमन और कैथरीन लोबो स्कूल को रेफ्रिजरेटर इत्यादि प्रदान किया है। बैंक ने नेत्रहीन प्रतिभागियों को बैग प्रदान करने के लिए मैसर्स स्नेहदीप ट्रस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक की सहायता की; भोपाल में स्थित बधिर के आशा निकेतन हाई स्कूल के गोल्डन जुबली समारोह में लिए योगदान दिया। बैंक ने एकादश, मानसिक विकलांग छात्रों के लिए स्कूल, चेन्नै, तमिलनाडु को सहयोग प्रदान किया तथा विकलांग छात्रों को ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए मेसर्स उमंग बाल विकास, पटना की सहायता की है। बैंक ने केरल के कोल्लम में अक्षम छात्रों के टूर एंड कैम्प के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

संसदीय समिति द्वारा दौरा

वर्ष 2018-19 के दौरान सरकारी आश्वासनों, अधीनस्थ विधान, कृषि संबंधी स्थायी समिति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण, अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण से संबंधित संसदीय समितियों ने बैंक का दौरा किया।

Govt. School Kuttichal, Trivandrum and Utility items to Govt. High School Dehra Village, Hariyana. The Bank assisted promotion programme for Green Protocol initiatives for School Students in Varkala, Kerala.

Financial assistance to combat Poverty & Nutrition

The Bank has given financial assistance to M/s Adanya Chethana, for procuring Automatic Roti Making Machine at Jodhpur under "Rajasthan Kitchen for School Children" as a part of mid-day meal programme. The Bank has provided Food, Clothes and other essential items to relief camps in flood affected areas of Kerala through our CO/ROs. The Bank has provided essential items to M/s Sanmati Bal Niketan, Pune, Maharashtra.

For supporting persons with disability to lead a better life

A number of programmes in association with likeminded agencies were taken up. In connection with this, the Bank has provided essential items for imparting vocational training to visually impaired persons; Wheel chair to disabled students; Refrigerator to Pratibha Ashram Orphanage home on the eve of Independence Day Celebrations; Blankets to Old age home; School bags, Books to mentally challenged children; 4 brail watches to blind poor persons in Mumbai, Maharashtra. etc. The Bank has provided Refrigerator to the Roman & Catherine Lobo School for Visually impaired, Mangaluru, Karnataka. The Bank assisted M/s Snehaddeep Trust to sponsor of Bags to blind participants, Bengaluru, Karnataka; contributed to Asha Niketan High School for Deaf, Bhopal on Golden Jubilee Celebration of the School. The Bank has assisted Ekadasha, School for Mentally Retarded Children, Chennai, Tamilnadu, and assisted M/s Umang Bal Vikash, Patna, to procure Audio Visual Instrument for the disabled students. The Bank has also provided financial assistance for Tour & Camp for Differently abled Children at Kollam, Kerala.

Visits by Parliamentary Committees

During the year 2018-19, Parliamentary Committees relating to Government Assurances, Subordinate Legislation, Standing Committee on Agriculture, Social Justice and Empowerment, Welfare of OBCs, SCs & STs visited the Bank.

संगठन और सहायता सेवाएं

शाखा नेटवर्क

सम्पूर्ण भारत में उपस्थिति का विस्तार

पहुंच का विस्तार करने के लिए, बैंक ने 32 घरेलू शाखाओं को जोड़ा और वर्ष के दौरान 84 रिटेल एसेट हब को सामान्य शाखाओं के रूप में परिवर्तित किया। मार्च 2019 तक बैंक की 6316 शाखाएं हैं, जिनमें विशिष्ट शाखाएं और 6 विदेशी शाखाएं शामिल हैं।

शाखा नेटवर्क की संरचना

श्रेणी	शाखाओं की संख्या		वर्ष के दौरान खोले गए
	31.03.2018	31.03.2019	
महानगरीय	1242	1282	6
शहरी	1162	1204	5
अर्ध शहरी	1991	2003	9
ग्रामीण	1809	1821	12
विदेशी	8	6	0
कुल शाखाएं	6212	6316	32

नोट: वर्ष के दौरान 10 शाखाएं विलय / बंद कर दी गईं।

वर्ष के दौरान 2 विदेशी शाखाओं का विलय / बंद कर दी गईं

बैंक की विशेषीकृत शाखाओं की कुल संख्या, यथा मार्च 2019 को 287 है।

विशेषीकृत शाखाओं की श्रेणी	31.03.2019
कृषि वित्त (हार्ड टेक) शाखाएं (एएफबी)	8
आस्ति वसूली प्रबन्धन (एआरएमबी)	20
दिव्यांग के लिए शाखाएं	1
पूंजी बाजार शाखाएं (सीएमबी)	1
सरकारी कारोबार शाखा (जीबीबी)	6
औद्योगिक वित्त शाखाएं (आईएफबी)	3
महिला बैंकिंग शाखाएं (एमबीबी)	2
सूक्ष्म वित्त शाखा (एमएफबी)	17
अनिवासी भारतीय शाखाएं (एनआरआईबी)	9
विदेशी शाखाएं (ओबी)	11
प्राइम कॉर्पोरेट शाखाएं (पीसीबी)	12
बचत शाखाएं (एसएसबी)	0
एस एम ई शाखाएं (एसएमई)	166
स्टॉक एक्सचेंज शाखाएं (एसईबी)	2
मिड कॉर्पोरेट शाखाएं (एमसीबी)	24
डिजिटल बैंकिंग शाखाएं (डीबीबी)	4
मत्स्य पालन वित्त शाखाएं (एसीएफ)	1
कुल	287

ORGANISATION AND SUPPORT SERVICES

Branch Network

Expanding Pan India Presence

In a bid to expand the reach, the bank added 32 domestic branches and converted 84 Retail Asset Hubs as general branches during the year. As at March 2019 the Bank had 6316 branches, including Specialized Branches and 6 overseas branches.

Composition of Branch Network

Category	No. of Branches		Opened during the year
	31.03.2018	31.03.2019	
Metropolitan	1242	1282	6
Urban	1162	1204	5
Semi-urban	1991	2003	9
Rural	1809	1821	12
Overseas	8	6	0
Total Branches	6212	6316	32

Note: 10 domestic branches were merged / closed during the year.

2 Overseas branches were merged / closed during the year.

The total Specialized Branches of the Bank stood at 287 as at March 2019.

Specialized Branches	31.03.2019
AF (Hi-Tech) Branches (AFB)	8
Asset Recovery Management Brs (ARMB)	20
Br. For Physically Challenged Persons	1
Capital Market Branches (CMB)	1
Government Business Branch (GBB)	6
IF Branches (IFB)	3
Mahila Banking Branches (MBB)	2
Micro Finance Branch (MFB)	17
NRI Branches (NRIB)	9
Overseas Branches (OB)	11
Prime Corporate Branches (PCB)	12
Savings Branches (SSB)	0
SME Branches (SME)	166
Stock Exchange Branches (SEB)	2
Mid Corporate Branches (MCB)	24
Digital Banking Branches (DBB)	4
Aquaculture Finance Branches (ACF)	1
TOTAL	287

डिजिटल बैंकिंग और वैकल्पिक वितरण चैनलों में प्रगति:

मार्च 2019 तक बैंक के 8851 एटीएम हैं। बैंक का ई एम वी डेबिट कार्ड आधार 2.82 करोड़ है। उपरोक्त के अलावा, चुनिंदा शाखाओं में 182 हाई-टेक ई-लाउंज है, जिसमें एटीएम, वॉयस गाइडेड सिस्टम के साथ कैश डिपॉजिट कियोस्क, चेक डिपॉजिट कियोस्क, सेल्फ प्रिंटिंग पासबुक कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग टर्मिनल, ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट जैसी सुविधाएं हैं। इंटरएक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम भी चुनिंदा ई-लाउंज में स्थापित किया गया है।

बैंक द्वारा अपनाए गए ऐसे वैकल्पिक वितरण चैनलों के परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष के 76.50% की तुलना में मार्च 2019 में ई-लेनदेन अनुपात बढ़कर 79.42% हो गया। मार्च 2019 तक मोबाइल बैंकिंग के नए संस्करण के तहत पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 21.86 लाख और नेट बैंकिंग के उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 61.87 लाख हो गई। बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में खोली गई डिजिटल शाखा - केनडी में ग्राहकों के लिए पूरी तरह से स्वचालित सुविधाओं और रोबोटिक सहायता के साथ खाते खोलने और स्वयं लेनदेन करने के लिए सुविधा दी गई है।

2018-19 के दौरान मोबाइल बैंकिंग में शुरू की गई नई कार्यप्रणाली:

- बेहतर यूजर इंटरफेस के साथ मोबाइल बैंकिंग ऐप का नया संस्करण भारत बिल भुगतान प्रणाली, यूपीआई ऐप आदि के एकीकरण जैसी अतिरिक्त सुविधाओं के साथ जारी किया गया है।

2018-19 के दौरान इंटरनेट बैंकिंग में पेश की गई नई कार्यप्रणाली:

- डेबिट कार्ड सेवाओं जैसे
 - ❖ न्यू डेबिट कार्ड के लिए अनुरोध
 - ❖ सक्षम / अक्षम - अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड और एटीएम की सीमा निर्धारित करना
- स्थायी निर्देशों का निर्माण, संशोधन और रद्द करना
- आवास / शिक्षा / वाहन और एमएसएमई ऋण के लिए आवेदन करने के लिए एकीकृत ओएलटीएस.
- आधार सीडिंग / प्रमाणीकरण
- केनडिजिटल एप के लिए स्व-पंजीकरण।
- रिटेल और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए प्रीप्रिंटेड लॉगिन पासवर्ड किट।
- अधिकतम सीमा के भीतर खुदरा उपयोगकर्ताओं / कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए कई लेनदेन सीमाएँ निर्धारित करने का विकल्प प्रस्तुत किया गया है।

PROGRESS IN DIGITAL BANKING & ALTERNATE DELIVERY CHANNELS:

The bank has 8851 number of ATMs as on March 2019. The Bank's EMV debit card base is at 2.82 crore. Besides the above, 182 hi-tech E-lounges were operational in select branches, with facilities like ATM, Cash Deposit Kiosk with voice guided system, Cheque Deposit Kiosk, Self Printing Passbook Kiosk, Internet Banking Terminal, Online Trading Terminal and Corporate Website Access. Interactive Video Conference System was also configured at select e-Lounges.

As a result of such alternate delivery channels adopted by the Bank, the e-transaction ratio increased to 79.42% as at March 2019 compared to last year's 76.50%. The number of registered users under new version of Mobile Banking is at 21.86 lakhs and Net Banking users increased to 61.87 lakhs as at March 2019. Digital Branch - CANDI, was opened at Bangalore, Chennai, Delhi & Mumbai with fully automated facilities and robotic assistance for customers to open accounts and do transactions themselves.

New functionalities introduced in Mobile Banking during FY 2018-19:

- New version of Mobile Banking app with better User Interface is released with additional features like integration of Bharat Bill Payment system, UPI App etc.

New functionalities introduced in Internet Banking during FY 2018-19:

- Introduction of Debit card services such as
 - ❖ Request for New Debit card
 - ❖ Enable / disable - International Debit Card & set ATM Limit
- Creation, Modification & Cancellation of Standing Instructions
- OLTS integrated to apply for Housing / Education / Vehicle & MSME loans
- Aadhaar Seeding / Authentication
- Self-registration for CANDIGITAL app.
- Preprinted login password kit for Retail and corporate customers.
- Introduced option to set multiple transaction limits for retail users / corporate customers within the maximum limits.

- एनईएफटी / आईएमपीएस और आरटीजीएस लेनदेन के लिए एकल लाभार्थी सूची शुरू किया।
- री-प्रिंट / डाउनलोड टीडी रसीद
- जमाकर्ताओं के लिए आय प्रोजेक्शन
- समय से पहले बंद होने पर लागू ब्याज, परिपक्वता विवरण, आरओआई, परिसमापन विवरण आदि का प्रदर्शन।

2018-19 के दौरान मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग कार्यात्मकताओं के अलावा जारी नए अनुप्रयोग:

- **केनरा दीया (डिजिटल रूप से आपका खाता) –** एसएसएस पैकेज (वॉक इन ग्राहकों), बैंक की वेबसाइट, मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस) जैसे कई चैनलों के माध्यम से शाखाओं और ग्राहकों के लिए तत्काल बचत खाता खोलने की सुविधा। डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ई-पास शीट जैसी सभी सेवाएं तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। एक वर्ष के भीतर पूर्ण केवाईसी सुनिश्चित किया जाना है।
- ग्राहकों को ओटीएस आवेदन के लिए और शाखाओं के लिए ओटीएस खातों की निगरानी के लिए **वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) पैकेज** पेश किया गया।
- ई एम वी चिप कार्ड के साथ मैग्नेटिक पट्टी कार्ड के प्रतिस्थापन के लिए अनुमोद करने के लिए ग्राहकों के लिए **ऑनलाइन वेब पोर्टल**
- **एनपीएस ऑल सिटिजन मॉडल –** राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत प्राण के लिए आवेदन डालने हेतु संपूर्ण नागरिक पोर्टल को सक्षम किया गया है।
- **केनरा फी कलेक्ट –** संस्थानों के लिए ऑनलाइन शुल्क संग्रह पोर्टल पेश किया गया है।

2018-19 के दौरान एटीएम में पेश की गई नई कार्यप्रणाली:

- ए टी एम स्विच में कार्ड लेनदेन के लिए सुरक्षा और जोखिम शमन उपायों को शामिल करके ई वी एम अनुपालन शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया।
- हमारे एटीएम में एक अनूठा विकल्प “आधार सीडिंग / प्रमाणीकरण” पेश किया गया है।
- नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एन सी एम सी) के माध्यम से रूपे ई एम वी दोहरे इंटरफ़ेस जारीकर्ता अनुप्रयोग को कार्यान्वित किया गया।
- केनरा साथी ऐप के लिए स्विच लेवल में कार्ड सेवाएं कार्यान्वित की गई – जिससे ग्राहक अपने कार्ड को ब्लॉक / अनब्लॉक, हॉट लिस्ट कर सकते हैं तथा ग्रीन पिन जनरेट कर सकते हैं।
- एटीएम / पीओएस में गलत पिन का उपयोग किए जाने पर कार्डधारक को धोखाधड़ी निवारण उपाय के रूप में एसएमएस भेजा जाता है।

- Single Beneficiary list introduced for NEFT / IMPS & RTGS transactions
- Re-Print / Download TD receipt
- Income Projection for Deposits
- Display of applicable interest, maturity details, ROI, liquidation details etc., at the time of premature closure.

New applications released apart from Mobile & Internet Banking functionalities during FY 2018-19

- **Canara DiYA (Digitally Your Account) -** Instant savings account opening facility for the branches & customers through multiple channels such as SAS Package (Walk in customers), Website of the Bank, Mobile app (Android & iOS). All the services like Debit Card, Internet Banking, Mobile Banking, UPI, E-Pass sheet are activated instantly. Full KYC is to be ensured within one year.
- **One Time Settlement (OTS) Package** is introduced for customers to apply for OTS and branches to follow-up & monitoring of OTS accounts.
- **Online Web portal** for customers to request for replacement of Magnetic stripe card with EMV chip card.
- **NPS All Citizen Model -** National Pension System for All Citizen portal has been enabled for the public to apply for PRAN under New Pension Scheme.
- **Canara Fee Collect -** Online Fee collection portal for Institutions is introduced.

New functionalities introduced in ATM during FY 2018-19:

- First bank to introduce EMV compliance for Security and Risk Mitigation measures for card transactions implemented in our ATM SWITCH.
- A Unique Option “Aadhaar Seeding / Authentication” is introduced in our ATMs.
- Implemented Rupay EMV Dual Interface Issuer Application through National Common Mobility Card (NCMC).
- Credit Card Services at Switch level implemented for Canara Saathi app - for customers to Block / Unblock, Hotlist and Green Pin generation.
- As a fraud prevention measure SMS is sent to cardholders when wrong pin is used in ATM / POS.

2018-19 के दौरान सरकारी व्यवसाय और वित्तीय समावेशन में पेश नई कार्यप्रणाली:

- सरकारी व्यवसाय व्यवहार के लिए नए पैकेज - पेंशन, किसान विकास पत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, स्वर्ण मुद्राकरण योजना, पीपीएफ, ओएलटीएस और आरबीआई - राहत बॉन्ड मॉड्यूल शाखाओं / कार्यालयों के लिए जारी किए गए हैं।
- सुकन्या समृद्धि खाता अंतर-शाखा और इंटरबैंक और पोस्ट ऑफिस अंतरण क्षमता को सक्षम किया गया।
- सुकन्या समृद्धि आवेदन - इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके सदस्यता हेतु ऑनलाइन भुगतान के लिए सुविधा प्रदान की गई।
- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इन-हाउस पैकेज की ऑनलाइन पंच जारी की गई।
- इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए प्रत्यक्ष कर का ई-भुगतान हेतु मेकर - चेकर कार्यक्षमता को सक्षम किया गया।
- डेबिट कार्ड का उपयोग करके कर भुगतान - हमारे ग्राहकों को डेबिट कार्ड का उपयोग करके कर भुगतान सक्षम बनाया है।
- आधार सीडिंग / प्रमाणीकरण - एटीएम / बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट और वर्चुअल आईडी, टोकन आईडी और लिमिटेड केवाईसी कार्यक्षमता और मोबाइल बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से।
- फिक्स्ड प्वाइंट बीसी समाधान - आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (ए ई पी एस), रुपे कार्ड और अन्य पक्ष जमा लेन देन के साथ-साथ बैलेंस पूछताछ और संक्षिप्त विवरण जारी करने की सुविधा सक्षम किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन:

बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी पर आरबीआई वर्किंग ग्रुप (अध्यक्ष, श्री जी गोपालकृष्ण) की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया है।

कार्यबल प्रोफाइल:

यथा मार्च, 2019 को बैंक में 58350 कर्मचारी हैं। संवर्गवार कर्मचारी संख्या निम्नलिखित है:

संवर्ग	मार्च 2018	मार्च 2019
अधिकारी	28739	29882
लिपिक	21551	19951
अधीनस्थ कर्मचारी *	8565	8517
कुल	58855	58350

*अंशकालिक कर्मचारी सहित (पीटीई)

बैंक के कर्मचारियों में 51% अधिकारी, 34% लिपिक व 15% अधीनस्थ कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारी 17,796 हैं जो कि

New functionalities introduced in Government Business & Financial Inclusion during FY 2018-19:

- New Packages for handling Government Business - Pension, Kisan Vikas Patra, Senior Citizen Savings Scheme, Gold Monetization Scheme, PPF, OLTA & RBI - Relief Bond modules are released for branches / offices.
- Sukanya Samrudhi account transfer functionality for inter-branch and interbank and post office enabled.
- Sukanya Samrudhi Application - Introduced facility for online payment of subscription using Internet Banking credentials.
- Online subscription of Sovereign Gold Bond in-house package released.
- E-payment of direct tax with maker-checker functionality for corporate customers through Internet banking enabled.
- Tax Payment using Debit Card - enables our customers to make Tax payment using Debit Card.
- AADHAAR Seeding / Authentication - through ATM / Bank's Corporate Website & Branches with Virtual ID, Token ID and Limited KYC functionality and Mobile Banking/ Internet Banking enabled.
- Fixed Point BC solution - Aadhaar Enabled Payment System (AEPS), RuPay card and Third party deposit transactions along with Balance enquiry and Mini statement released.

Compliance to International Standards:

The Bank has fully implemented the recommendations of the RBI Working Group (Chairman, Shri G Gopalakrishna) on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds.

Manpower Profile:

As at March 2019, the Bank had 58350 employees on its roll. The cadre-wise break-up of manpower is as follows:

Cadre	March 2018	March 2019
Officer	28739	29882
Clerk	21551	19951
Sub-staff*	8565	8517
Total	58855	58350

*includes Part Time Employees (PTEs)

Total staff strength of the Bank was comprised of 51% Officers, 34% Clerks and 15% Sub Staff. The Women staff

बैक के कुल कर्मचारियों का 30% है। मार्च 2019 को भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की कुल संख्या 4,547 है। बैंक के रोल पर दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या 1483 है। वर्ष के दौरान, बैंक ने 2724 व्यक्तियों को विभिन्न संवर्गों में नियुक्त किया है, जिसमें से 462 अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित है व 214 अनुसूचित जन जाति (एसटी) से संबंधित हैं।

वर्ष के दौरान विभिन्न कैडरों में 419 भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हुए हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न कैडरों के तहत 765 महिला कर्मचारी नियुक्त हुईं और 977 महिला कर्मचारी पदोन्नत हुईं।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के संबंध में आरक्षण नीति

यथा मार्च 2019 को, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति बैंक के कुल कर्मचारी संख्या का 27% है। यथा मार्च 2019 को बैंक के कर्मचारियों में एससी / एसटी का संयोजन निम्नलिखित है:

संवर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
अधिकारी	5335	2322
लिपिक	3736	1285
अधीनस्थ कर्मचारी	2517	489
कुल	11588	4096

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के संबंध में बैंक आरक्षण नीति का सखी से अनुपालन करता है।

- आरक्षण नीति पद आधारित रोस्टरों के तंत्र के माध्यम से कार्याचित्त हुआ है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार बैंक ने सभी कैडरों हेतु पद आधारित रोस्टरों के तंत्र पर स्विच ओवर कर लिया है।
- सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वाले अभ्यर्थियों के संबंध में सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति हेतु भी बैंक ने आरक्षण / रियायत / छूट प्रदान की है।
- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वाले अभ्यर्थियों को पूर्व-नियुक्ति व पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण दिया जाता है। लिपिक व अधिकारी संवर्ग में भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगने वाले विज्ञापनों में एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/अल्पसंख्यक समुदाय/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को पूर्व-नियुक्ति प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में एक विशेष संदर्भ दिया जाता है। इनमें से

strength of the Bank was 17,796, constituting 30% of the employees. The total number of ex-service men staff as at March 2019 stood at 4,547. There were 1483 Physically Challenged Employees on the rolls of the Bank. During the year, the Bank recruited 2724 persons in various cadres, out of which 462 belonged to Scheduled Castes (SCs) and 214 to Scheduled Tribes (STs) categories.

419 ex-servicemen were recruited in various cadres during the year. 765 women employees were recruited and 977 women were promoted under various cadres during the year.

Reservation Policy in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

As at March 2019, the Scheduled Castes and Scheduled tribes together constituted 27% of the total staff strength of the Bank. The composition of SCs/STs employees as at March 2019 was as under:

Cadre	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
Officer	5335	2322
Clerk	3736	1285
Substaff	2517	489
Total	11588	4096

The Bank has been strictly adhering to the Reservation Policy in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the Government of India guidelines.

- Reservation Policy is implemented through the mechanism of Post Based Rosters. In terms of the directives of the Ministry of Finance, Government of India, the Bank has switched over to Post Based Rosters for all cadres.
- The Bank has been extending Reservation / Relaxations / Concessions in Direct Recruitment as well as in promotions to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the Government guidelines.
- Pre-recruitment & Pre-promotion training is given to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In the Advertisements inviting application from the eligible candidates for recruitment to Clerical Cadre, a specific reference is being made with regard to imparting of pre-recruitment training to candidates belonging to SC / ST / PWD / Minority Communities /



वे अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्वनियुक्ति प्रशिक्षण का विकल्प चुना है, को लिखित परीक्षा व साक्षात्कार दोनों के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि एक सप्ताह है। अध्ययन सामग्री, नोटबुक, स्टेशनरी सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क दिया जाता है। सभी प्रतिभागियों को अध्ययन सामग्री, पुस्तिका, लेखन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

- ध. बैंक ने रोस्टर के अनुक्षण को व आरक्षण नीति के अन्य पहलुओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रधान कार्यालय में और साथ ही अंचल कार्यालयों में भी एससी / एसटी कक्ष स्थापित किया है।
- ड. आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रधान कार्यालय में मुख्य संपर्क अधिकारी को नामांकित किया है और अंचल कार्यालय में भी संपर्क अधिकारी को नामांकित किया गया है। आगे, प्रत्यक्ष रूप से या तो एससी / एसटी संघ के माध्यम से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से प्राप्त अभ्यावेदनों पर मुख्य संपर्क अधिकारी/संपर्क अधिकारी द्वारा ध्यान दिया जायेगा। जहाँ भी आवश्यक हो, आवश्यक पूछताछ की जायेगी व उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के रिकॉर्डिंग हेतु एक अलग से रजिस्टर रखा जाता है और की गयी कार्यवाही को भी रजिस्टर में नोट किया जाता है। उपरोक्त के अलावा, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति कर्मचारी के प्रतिनिधियों को बैंक के मुख्य कार्यपालक के साथ तिमाही बैठक हेतु बुलाया जाता है जहाँ आरक्षण नीति पर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर परिचर्चा की जाती है। अंचल कार्यालयों में भी तिमाही बैठक की जाती है जहाँ रोस्टर रखा जाता है व यदि कोई शिकायत हो तो संपर्क अधिकारी द्वारा उसका निवारण किया जाता है।
- च. बैंक का निदेशक मंडल भी आरक्षण नीति में हुए कार्यान्वयन पर अर्द्ध वार्षिक व वार्षिक आधार पर समीक्षा करता है।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) गतिविधियाँ

बदलते हुए बैंकिंग परिदृश्य के अनुकूल होने हेतु बैंक की मानव संसाधन नीतियों को परिवर्तित किया गया है। फ्रंट लाइन कर्मचारियों में व्यवहारिक परिवर्तन लाने हेतु एचआर पहल जैसे सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कार्यपालकों को संवारना तथा अन्य महत्वपूर्ण एचआर टूल्स जैसे स्टडी सर्किल,

Ex-SM. Pre-recruitment training for Officer Cadre is provided to candidates belonging to SC / ST & Minority Communities. Such of those candidates who opt for pre-recruitment training are given training to prepare themselves for written test as well as interview. The duration of the training is for a week. Study materials, notebook, stationeries are provided free of cost to all the participants.

- d. The Bank has set up SC / ST Cells at the Head Office and also at Circle Offices to ensure maintenance of Rosters and proper implementation of other aspects of Reservation Policy.
- e. Chief Liaison Officer has been nominated at Head Office and Liaison Officers have been nominated at Circle Offices for ensuring implementation of Reservation Policy. Further, representations received from Scheduled Caste / Scheduled Tribe employees, either directly or through the SC / ST Associations, are being looked into by the Liaison Officer / Chief Liaison Officer. Wherever required, necessary enquiries are conducted & appropriate action is taken. A separate register is maintained for recording various representations received from Scheduled Caste / Scheduled Tribe employees and the action taken is also recorded in the register. In addition to the above, the representatives of majority Scheduled Caste / Scheduled Tribe Employees' Association are invited for Quarterly Meeting with the Chief Executive of the Bank to discuss on the implementation of guidelines on reservation policy. Quarterly Meetings are also held at Circle Offices, where Rosters are maintained and grievances, if any, are redressed by the Liaison Officer.
- f. The Board of Directors of the Bank also review the progress made in the implementation of Reservation Policy, half yearly and yearly.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (HRD) ACTIVITIES

The HR policies of the Bank have been revisited to suit the changing banking scenario. HR initiatives like 'Soft skill training programme' for bringing attitudinal change among frontline staff and Executives grooming through reputed institutes and other significant HR tools, like, Study Circles, Staff Meetings and Brain Storming Sessions have been implemented for effective team building



कर्मचारी बैठक व मस्तिष्क मंथन सत्र को प्रभावी टीम निर्माण और सामूहिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया गया। कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं से शिक्षित करने के लिये विभिन्न कॉर्पोरेट संप्रेषणों को लाया गया है। बैंक के पास एक संपूर्ण प्रशिक्षण प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक प्रशिक्षण, बाहरी प्रशिक्षण, कंपनी प्रशिक्षण और विदेशी प्रशिक्षण शामिल है। आंतरिक रूप से, बैंक के पास बेंगलुरु में कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय और देश भर में 25 क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय (आर एस टी सी) हैं। इस वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में साख अभिमुखीकरण, विपणन कौशल और अधिकारियों, कृषि विस्तार अधिकारियों और विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए प्रेरणा कार्यक्रम सहित कई कार्यात्मक पाठ्यक्रम शामिल हैं।

बैंक ने अनेक नए कार्यक्रमों की कल्पना की यथा, प्रतिभा बैंक (टैलेंट बैंक) का निर्माण किया है, जिसमें क्रेडिट प्रबंधन और निर्णय लेने के कौशल, शाखा प्रबंधकों के लिए क्रेडिट मूल्यांकन कार्यक्रम और कार्यपालकों के लिए वसूली पहलुओं पर कार्यशाला शामिल है। एक नवोन्मेषी कार्यक्रम, प्रतिभा बैंक योजना के तहत, एक प्रतिभा समूह तैयार किया गया था, जिसमें स्केल I से स्केल IV तक के अधिकारी शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण या विशेष क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए तैयार हैं। गहन साख प्रबंधन कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। यह स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज द्वारा, स्केल I - III में अधिकारियों के लिए, साख में विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए विकसित किए गए क्रेडिट मामलों पर एक गहन और संपूर्ण कार्यक्रम है। इन वर्षों में साख पर गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 1000 अधिकारियों का प्रतिभा समूह निर्मित किया है।

इसके अलावा, कार्यबल की दक्षताओं को बढ़ाने के लिए बैंक की खोज, विभिन्न संस्थानों जैसे कि आई आर एम, एक्स एल आर आई-जमशेदपुर, आई डी बी आर टी-हैदराबाद, जे एन आई बी एफ हैदराबाद, एन आई बी एम आई बी एम-पुणे, एस आई बी एस टी सी-बेंगलूर, सी ए एफ आर एल और केंद्रित प्रशिक्षण पर आधारित है। सी ए बी (आर बी आई)-पुनः आदि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए अनुकूलन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे, साख, जोखिम प्रबंधन, कोश परिचालन, मानव संसाधन, फॉरेक्स और आई टी आई आवश्यकता के आधार पर वरिष्ठ प्रबंधन स्तर और शीर्ष प्रबंधन स्तर के अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। बैंक अपने अधिकारियों के कौशल स्तर को प्रशिक्षण हस्तक्षेप के माध्यम से पर्याप्त रूप से जोड़ने में सक्षम है और उन्हें नए जोश और उत्साह के साथ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है।

प्रबंध निदेशक और सीईओ की अध्यक्षता में प्रशिक्षण संयंत्र के लिए एक शासी निकाय, बैंक की प्रशिक्षण नीतियों की निगरानी और उन्हें कारगर बनाने के लिए स्थापित किया गया है। प्रोत्साहन के रूप में प्रशिक्षण के लिए एक योजना को शीर्ष प्रदर्शकों के लिए तैयार किया

and fostering collective excellence. Various Corporate Communications were brought out to boost the morale of the employees and educate them in various facets of banking. The Bank has in place an exhaustive training process that cover Internal Training, External Training, In Company Training and Foreign Training. Internally, the Bank has STC at Bengaluru and 25 Regional Staff Training Colleges (RSTCs) across the country. During the year, the Bank has provided training to its employees, covering a wide range of functional areas, including Credit Orientation, Marketing Skills, and Induction Programme for Officers, Agriculture Extension Officers and Specialist Officers.

The Bank has designed and implemented several new training programmes, including credit management and decision making skills, credit appraisal programme for Branch Managers and workshop on recovery aspects for Executives. Under a novel programme, viz., Talent Bank Scheme, a talent pool was formulated, comprising Officers from Scale I to Scale IV, who are willing to take up challenging assignments in the identified critical or specialized areas. Intensive Credit Management Programme is being conducted in 2 phases. This is an in-depth and exhaustive programme on credit matters evolved by Staff Training College, for Officers in Scale I - III, to build specialization in credit. Intensive Training Programme on Credit over the years has built a talent pool of over 1000 Officers.

Further, the Bank's quest to enhance the competencies of the workforce continued through focused and need based training at various institutes of repute, like, IIMs, XLRI-Jamshedpur, IDRBT-Hyderabad, JNIBF Hyderabad, NIBM-Pune, SIBSTC-Bangalore, CAFRAL and CAB (RBI)-Pune etc. Customized programmes are also organized to develop expertise in certain niche areas, like, Credit, Risk Management, Treasury Operations, HR, forex and IT. Specialized trainings to the Senior Management Level and Top Management Level Executives were conducted based on the requirement. The Bank has been able to add substantially to the skill level of its Officials through training intervention and motivating them to perform with renewed vigour and enthusiasm.

A governing body for the training setup, headed by the Managing Director & CEO has been established to monitor and streamline the training policies of the Bank. A scheme for Training as Incentive to Top Performers has

गया है, और इसे बैंकों के प्रशिक्षण नीति के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है, जिसके तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को पुनः शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन:

बैंक, प्रधान कार्यालय और शाखाओं के बीच नियंत्रण और निगरानी कार्यालय के रूप में 21 अंचल कार्यालयों और 118 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ चार-स्तरीय संरचना का अनुसरण करता है।

इससे पहले, बैंक ने विभिन्न परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, जैसे ग्राहक आनंद के लिए बेहतर शाखा लेआउट और ग्राहक सेवा, गुणवत्तायुक्त सेवा वितरण और सेवा समय में कमी, स्वयं सेवा मशीन और वैकल्पिक चैनल में लेनदेन बढ़ाने के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा, बिक्री संस्कृति को ध्यान में रखकर और व्यापार पर, मुख्यतया कासा एवं गैर-ब्याज आय में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करके, बैंक को फिर से जीवंत करने के उद्देश्य से 'प्रॉजेक्ट शिखर' शुरू किया था। शाखाओं के कायाकल्प करने की यात्रा के दौरान 'शिखर शाखाओं' की संख्या 1547 तक बढ़ गई जिसमें 240 शाखाएं 5 सितारा श्रेणी के अंतर्गत और 122 शाखाएं 4 सितारा श्रेणी के अंतर्गत मार्च 2019 तक किया गया।

विपणन और प्रचार:

विपणन ने कासा हिस्से में सुधार, खुदरा कारोबार, सहयोगी पार्टी व्यापार से शुल्क आय, वॉलेट अधिकतमकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्राहकों की सुविधा के लिए विविध प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं का भी प्रचार-प्रसार किया गया।

बैंक ने विपणन को और मजबूत बनाने के लिए वर्ष के दौरान कई विशेषज्ञ कार्मिकों को संगठन से जोड़ा जो समर्पित विपणन कार्यपालकों द्वारा पर्यवेक्षित है। वर्ष के दौरान कई अभियानों के माध्यम से बैंक के उत्पादों की विक्रय व प्रति बिक्री करने के लिए विपणन ढांचा ने कई पहल की। विपणन टीम ने पूरे वर्ष बैंक की दृश्यता में सुधार, पहुंच बढ़ाने, ग्राहकों की सेवा करने और व्यापार बढ़ाने के लिए "वित्तीय एक्सपोज़", "कासा अभियान", "खुदरा एक्सपोज़", "हमारे ग्राहक सहायता दिवस", "स्वास्थ्य शिविर", "बीमा दिवस", "एनएफओ अभियान" जैसी विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय और संगठित रूप से भाग लिया।

विपणन विभाग ने वर्ष 2018-19 के दौरान विपणन व्यवस्था को निर्देशित करने, प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए मार्केटिंग कॉन्क्लेव आयोजित किए। बैंक के सभी कर्मचारी नए कारोबार लाएं इसके लिए बैंक के सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए, विपणन विभाग ने एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम "iLead" लॉन्च किया है।

been formulated, and was incorporated as a part of Banks Training Policy whereby, top performing officers are sent for training at External institutes of repute.

Changes brought about in the organizational set up during 2018-19:

The Bank follows four-tier structure with 21 Circle Offices and 118 Regional Offices as controlling and monitoring offices between the Head Office and Branches.

Earlier, the Bank had launched 'Project Shikhar' aimed at rejuvenating the Bank by focusing on various themes, like, better branch layout & customer service for customer delight, quality service delivery & reduction in service time, focus on digital banking by promoting transactions on self-service machines and alternate channels, inculcating sales culture and focus on business, particularly CASA and Non-Interest Income growth. In the journey of transformation of branches, number of 'Shikhar Branches' rose to 1547, with 240 branches under 5 Star and 122 under 4 Star categories as at March 2019.

Marketing and Publicity:

The Marketing Vertical has played a significant role in improving the CASA share, retail business, fee income from the Associate Parties business, wallet maximization and propagating the multifarious technological products and services for the benefit of the customers.

The Bank further strengthened the marketing vertical during the year by inducting specialized personnel into the setup, overseen by the dedicated Marketing Executives. The Marketing set up has taken initiatives in cross selling and up selling of Bank's products by launching several campaigns during the year. The Marketing Team actively organized and participated in various activities such as "Financial Expos", "CASA Campaigns", "Retail Expos", "Help Our Customer Day", "Health Camps", "Insurance Days", "NFO Campaigns" etc. throughout the year to improve visibility of the Bank, extend reach, serve customers and enhance business.

The Marketing Wing organized Marketing Conclaves to direct, encourage & motivate the Marketing Setup during the year 2018-19. In order to encourage and motivate all the Staff of the Bank to participate in sourcing & recording of business leads for the Bank, the Marketing Vertical launched a Lead Management System "iLead".



बैंक के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और यूट्यूब पर बड़ी संख्या में अनुसरणकर्ता हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह में हमारा बैंक ट्विटर पर अपना आधिकारिक अकाउंट बनाने वाला पहला बैंक है और वर्तमान में बैंक का हैंडल @canarabanktweet पीएसबी में चौथे स्थान पर है। यह ग्राहकों / गैर-ग्राहकों के लिए एक सेवा वितरण और शिकायत निवारण चैनल के रूप में विकसित हुआ है। केनरा बैंक के आधिकारिक यूट्यूब चैनल / canarabankofficial को 2017-18 के दौरान जारी किया गया था और 9 महीने के भीतर पीएसयू बैंकों के बीच पहले स्थान पर बन गया।

ग्राहक उन्मुखीकरण:

ग्राहक केंद्रित बने रहने के लिए तीव्र सेवा प्रदान करने, विविध उत्पादों और सेवाओं को लाने, ग्राहकों के सवालों का जवाब देने और ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के माध्यम से कई पहल किए गए भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा जारी किए गए 'ग्राहकों के लिए प्रतिबद्धताओं का कोड' और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) का 'संशोधित नागरिक चार्टर' वेबसाइट <www.canarabank.com>. पर उपलब्ध है। आईबीए और आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने आरबीआई द्वारा जुलाई 2015 से सलाह के अनुसार ग्राहक अधिकार नीति को अपनाया है, जो ग्राहकों के अधिकारों और बैंकर की जिम्मेदारियों को बताता है। शाखाओं द्वारा प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया गया था। नियामक आवश्यकताओं के अनुसार, बैंक ने बैंक के लिए एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया है। ग्राहकों से सुझाव आमंत्रित करते हुए 16.11.2018 से 30.11.2018 तक ग्राहक पखवाड़ा आयोजित किया गया था। ग्राहक ध्यान बढ़ाने के लिए, 'प्रोजेक्ट शिखर - शाखा परिवर्तन' अप्रैल 2014 से लागू किया जा रहा है जिसमें स्वागत डेस्क, कतार प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस), एकल खिड़की परिचालन और 'ग्राहक प्रतीक्षा क्षेत्र' के लिए बड़े स्थान के आवंटन आदि के साथ-साथ स्वयं सेवा कियोस्क जैसी विभिन्न ग्राहक केंद्रित पहलों को रखा गया है।

ग्राहक सुविधा / अनुभव को बढ़ाने के लिए, बैंक ने केनरा स्वाइप, भीम एम्पावर, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, केनरा इन्फो बुक, केनरा एमसर्व, केनरा जियो लोकेट तथा केनरा ईजी कैश सुविधाओं के माध्यम से मिस्ड कॉल सुविधा को लोकप्रिय बनाया है। इसके अलावा, एकल बिंदु संपर्क टोल फ्री नंबर **1800 425 0018** के साथ मौजूदा कॉल सेंटर को "कॉल केनरा" नाम से पूरी तरह से बाह्यस्रोत मॉडल में बदल दिया गया था और यह शिकायतों के निवारण के लिए 9 क्षेत्रीय भाषाओं, अर्थात्, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी और बंगाली के अलावा हिंदी और अंग्रेजी में ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। शाखाओं

The Bank has a healthy following on Social Media platforms Twitter and Youtube. Canara Bank was the First PSU Bank to start an active Twitter Handle in India and the Bank's handle @canarabanktweet is currently ranked 4th amongst PSBs. It has evolved as a service delivery & grievance redressal channel for customers / non-customers. Canara Bank official YouTube channel / canarabankofficial was launched during FY 2017-18 and within a short span of 9 months became the No.1 amongst PSU Banks.

Customer Orientation:

Several initiatives were taken to remain customer focused through providing fast service, bringing in diversified products & services, responding to customers' queries and redressal of customer complaints. The 'Code of Commitment to Customers' issued by Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and 'Revised Citizen's Charter' of Indian Banks Association (IBA) are made available in the Bank's homepage of the website <www.canarabank.com>. As per the instructions of IBA and RBI, the Bank has adopted Customer Rights Policy as advised by the RBI since July 2015, which spells out the Rights of the Customers and also responsibilities of the Banker. To assess the quality of customer service rendered by the branches and to get the feedback, an online and offline Customer satisfaction Survey was conducted. As per regulatory requirements, the Bank has appointed an Internal Ombudsman for the Bank. Customers' Fortnight was conducted from 16.11.2018 to 30.11.2018, inviting suggestions from customers. In order to enhance customer focus, 'Project Shikhar - Branch Transformation' is being implemented since April 2014 wherein various customer centric initiatives like Welcome Desk, Queue Management System (QMS), Single Window Operation and allocation of larger space for 'Customer Waiting Area' etc., along with self-service kiosks are put in place.

In order to enhance customer convenience / experience, Bank has popularized Missed Call Facility through Canara Swipe, BHIM-Empower, Internet and Mobile Banking, Canara e-info book, Canara mServe, Canara Geo locate and Canara Easy Cash facilities. Besides, the existing Call Center with single point contact Toll free number **1800 425 0018** was converted into a fully outsourced model by name "Call Canara" and is functioning to cater to customers in 9 regional languages, viz., Kannada, Malayalam, Marathi, Tamil, Oriya, Telugu, Gujarati, Punjabi, and Bengali besides Hindi and English for

और अन्य कार्यालयों को बढ़ाने की आवश्यकता के बिना पहले सरल और नियमित पूछताछ को हल करने के लिए एजेंटों को सक्षम बनाने में कॉल सेंटर में कई इंटरफेस प्रदान किए गए थे।

बैंक ने पोर्टल **केनरा लोक शिकायत निवारण प्रणाली (सीपीजीआरएस)** के तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए वेबसाइट में ग्राहकों की ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा लागू की है। बैंक के कॉल सेंटर में प्राप्त शिकायतों को सीपीजीआरएस पैकेज के साथ भी एकीकृत किया गया था। वर्ष के दौरान, कॉल सेंटर ने सीपीजीआरएस में 11200 शिकायतें दर्ज कीं और सभी शिकायतों का निर्धारित समय मानदंडों के अनुसार निवारण किया गया। पेंशन से निपटने और पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीयकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई है। खाता खोलने के उद्देश्यों से चयनित स्थानों पर 41 केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र के लिए स्थापित किए गए हैं।

बैंक ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन (ईबीटी) में ग्राहकों की देयता को सीमित करने के लिए ग्राहक संरक्षण पर एक नीति बनाई है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि ग्राहक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन वित्तीय स्थिरता के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और ग्राहक खातों / कार्डों में गलत डेबिट और अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के परिणामस्वरूप (ईबीटी) ग्राहक शिकायतों में हाल ही में वृद्धि पर विचार किया जा रहा है, अनधिकृत ईबीटी की घटना के बारे में जानने के लिए ग्राहकों को तुरंत बैंक को रिपोर्ट करना आवश्यक है। इसके अलावा, शाखाओं का दायित्व है कि वे विभिन्न चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और भुगतान संबंधी धोखाधड़ी से बचाने के लिए प्रशिक्षित करें।

ग्राहक सेवाओं पर त्रैमासिक स्थायी समिति की बैठक के दौरान ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक / सुझावों को बैंक द्वारा सावधानीपूर्वक लिया गया, जिससे ग्राहकों के लाभ के लिए और अधिक सुविधाएं/ उत्पाद प्रदान की जा सकें।

प्रणाली और प्रक्रियाएं:

वर्ष के दौरान ऑनसाइट जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) के लिए प्रोग्राम की गई 5235 शाखाओं / सेवा इकाइयों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की गई थी। सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा आरबीआईए के साथ आयोजित की गई थी। समवर्ती / निरंतर ऑडिट 973 शाखाओं / सेवा इकाइयों में आयोजित किया गया था, जिनमें से 361 शाखाओं / सेवा इकाइयों को आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा समवर्ती / निरंतर लेखा परीक्षा के अधीन किया गया था और 612 शाखाओं / सेवा इकाइयों

redressal of grievances. Many interfaces were provided at the call center to enable the agents to resolve first handed simple and routine query without necessitating the need for escalating the branches and other offices.

The Bank has implemented online grievance redressal facility of customers in the website for lodging grievances online under the portal **Canara Public Grievance Redressal System (CPGRS)**. The complaints received at the Call Centre of the Bank were also integrated with the CPGRS package. During the year, the Call Centre registered 11200 grievances in CPGRS and all grievances were redressed as per prescribed time norms. Centralized Pension Processing Centre has been established exclusively for handling pensions and resolving pension related grievances. 41 Central Processing Centers are established at selected places for account opening purposes.

The Bank has framed a policy on Customer Protection for limiting liability of customers in unauthorized Electronic Banking Transactions (EBT) in tune with the RBI guidelines. Recognizing the fact that customer protection and financial inclusion are the two crucial pillars of financial stability and considering the recent surge in customer grievances relating to unauthorized Electronic Banking Transactions (EBT) resulting in erroneous debits to customer accounts / cards, customers are required to report to Bank immediately on knowing the occurrence of the unauthorized EBT. Further, the branches have the obligation to educate the customers to protect themselves from electronic banking and payments related frauds through various channels.

Feedback / suggestions received from customers during quarterly standing committee meeting on customer services were diligently taken up by the Bank, thereby providing more amenities / products for the benefit of customers.

Systems and Procedures:

Risk based Internal Audit (RBIA) was conducted in 5235 branches / service units programmed for onsite RBIA during the year. Information Security audit was conducted along with RBIA. Concurrent / continuous audit was conducted in 973 branches / service units, of which 361 branches / service units were subjected to concurrent / continuous audit by Internal Auditors and 612 branches / service units were subjected to concurrent audit by External Auditors, covering

को बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षा के अधीन किया गया था, जिसमें 70% अग्रिम और बैंक के कुल कारोबार का 50% जमा शामिल थे। 1473 शाखाओं को तिमाही आधार पर आय / राजस्व लेखा परीक्षा के अधीन किया गया। लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को मजबूत करने के रूप में, शाखाओं / सेवा इकाइयों को चार आर बी आई ए में चार पैमानों-कम / सामान्य / मध्यम और उच्च के तहत वर्गीकृत किया गया। बैंक ने पहले से ही 'दर्पण' नामक वेब आधारित ऑडिट पैकेज के माध्यम से, शाखाओं के आर बी आई ए के लिए, और समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए अन्य वेब आधारित पैकेजों के माध्यम से, ऑडिट, केवाईसी और एएमएल ऑडिट, स्नैप ऑडिट (सामान्य और मध्यम जोखिम के लिए रेटेड) क्षेत्रीय कार्यालय ऑडिट, अंचल ऑडिट, विभाग ऑडिट, एप्लिकेशन ऑडिट और सूचना प्रणाली ऑडिट के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत ऑडिट लागू किया है।

बैंक ने धोखाधड़ी पर शून्य सहिष्णुता की सख्त नीति को अपनाया है और तदनुसार, बैंक की निरीक्षण / लेखा परीक्षा नीति को पुनः जोखिम वाली शाखाओं जिनमें धोखाधड़ी के गंभीर अनियमितताएं आदि पाई गईं को "उच्च जोखिम" के रूप में संशोधित किया गया है।

इसके अलावा, बैंक ने बैंक के लेखापरीक्षा ढांचे में सुधार के लिए विभिन्न रणनीतिक उपाय किए हैं जैसे लेखापरीक्षा के लिए कार्य दिवसों का युक्तिकरण; लेखापरीक्षा रिपोर्टों को बंद करने के लिए कड़े समय के मानदंड; बोर्ड / निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति / लेखा परीक्षा समिति की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष समय-समय पर प्रासंगिक रिपोर्ट / महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष रखना; डेली डैश बोर्ड, निरीक्षकों के साथ विचार विमर्श सत्र, निरीक्षण हेल्पडेस्क जैसी नई अवधारणाओं की शुरुआत; ऑडिट के लिए दिशा-निर्देशों का व्यापक संकलन जारी करना, निरीक्षकों के कामकाज पर हैडबुक; आय रिसाव की जांच और वसूली के लिए महत्वपूर्ण कारण, अतिदेय निरीक्षण रिपोर्ट में कमी, रिपोर्ट / रिटर्न समय पर जमा करना।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण:

वित्तीय वर्ष 2014-15 से वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (ए एफ आई) के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आर बी एस) व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया है। वर्तमान में इसने आर बी एस का पांचवां चरण पूरा कर लिया है। आर बी एस रूपरेखा को जोखिम और पूंजी का मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एस पी ए आर सी) नाम दिया गया है। जोखिम और पूंजी का मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एस पी ए आर सी) के अंतर्गत ऑफसाइट और ऑनसाइट खोज प्रक्रिया (आर डी वार्ड) के माध्यम से क्रमिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का एक विस्तृत गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन किया जाता है।

अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.) / एएमएल / सीएफटी:

अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.), धन शोधन निवारक (ए.एम.एल.), और आतंकवाद वित्तपोषण से निपटने (सी.एफ.टी.) के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न उपाय किये गये।

70% of Advances and 50% of Deposits of the total business of the Bank. 1473 branches were subjected to income / revenue audit on quarterly basis. As part of strengthening the audit process, branches / service units were graded under Four scales – LOW / NORMAL / MODERATE & HIGH in RBIA. The Bank has already implemented computerized audit through Web Based Audit Package called, 'DARPAN', for RBIA of branches, and through other Web Based packages for Concurrent Audit, Income Audit, KYC & AML Audit, Snap audit (for Normal and Moderate Risk rated branches), RO Audit, Circle Audit, Wing Audit, Application Audit and Information System Audit.

Bank has taken a strict policy of nil tolerance on frauds and accordingly the Inspection / Audit policy of the bank has been revised to re-risk rate branches which were witness to fraud; Serious irregularities; etc. as "High Risk".

Further, Bank has taken various strategic measures for improvement of audit framework of the Bank like rationalisation of mandays for audits; stringent time norms for closure of audit reports; placing of relevant reports / Significant audit findings at periodical intervals before Audit Committee of Executives / Audit Committee of the Board / Board of Directors; introduction of new concepts like Daily Dash Board, interactive sessions with Inspectorates, Inspection Helpdesk; release of exhaustive Compendium of guidelines for audit, Handbook on functioning of Inspectorates; due importance for detection & recovery of income leakage, reduction of overdue Inspection reports, timely submission of reports / returns.

Risk Based Supervision:

The Bank is brought under Risk Based Supervision (RBS) regime by RBI, in lieu of Annual Financial Inspection (AFI) from FY2014-15. Presently, the Bank has completed the 5th cycle of RBS. RBS framework is named as Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital (SPARC). Under SPARC, a detailed qualitative and quantitative assessment of the Bank's risks is made by the RBI on an on-going basis through a combination of offsite and onsite Risk Discovery Process (RDY).

Know Your Customers (KYC) / AML / CFT:

The Bank has undertaken various measures for the effective implementation of guidelines on Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML) and Combating Financing of Terrorism (CFT).

कुछ प्रमुख विकास एवं की गई पहल निम्नानुसार हैं:

- एएमएल / सीएफटी केंद्रीकृत इकाई ने 2018-19 के दौरान 1404 संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) दर्ज की है।
- एएमएल / सीएफटी केन्द्रीकृत इकाई एएमएल / एसडीएन ((विशेष रूप से नामित नागरिक) अलर्ट के अनन्य प्रसंस्करण एवं निगरानी कर रही है।
- नए इन-हाउस-एएमएल पैकेज का उद्घाटन 02.08.2018 को विभिन्न दक्षता विशेषताओं के साथ किया गया था
- व्यापार आधारित धन शोधन (टीबीएमएल) अलर्ट के लिए प्रणाली जाँच व संवर्धन कार्यान्वित किया गया।
- केंद्रीयकृत इकाई ने आरबीआई से निर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) से संबंधित पूछताछ भी की है एसबीएन सुविधा विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान एनआरआई / भारत से बाहर के लोगों के लिए बढ़ा दी गई है।
- केवाईसी कक्ष संरक्षक के रूप में कार्य करता है और सभी सीकेवाईसी मामलों के लिए आरबीआई और केंद्रीय रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटररेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई) के लिए एक बिंदु संपर्क है।
- 30.10.2017 को सीकेवाईसी परियोजना लागू की गई।
- बैंक ने ग्राहकों को 58,19,736 सीकेवाईसी आईडी जारी किए हैं, जो 01.01.2017 से खोले गए 85,56,842 खातों में से हैं।

सतर्कता व्यवस्था

बैंक के सतर्कता विभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा किया जाता है। सीवीओ को सभी अंचल, आरआरबी और बैंक की सहायक कंपनियों में तैनात सतर्कता अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। बैंक में सतर्कता प्रबंधन में निवारक, सहभागी और दंडात्मक कार्य शामिल हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह “भ्रष्टाचार हटाओ – नया भारत बनाओ” इस विषय के साथ **29 अक्टूबर 2018 (सोमवार) से 3 नवंबर 2018 (शनिवार)** तक मनाया गया, तथा सभी शाखाओं / कार्यालयों ने भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों जैसे सेमिनार, कार्यशालाएँ, ग्राहक शिकायत निवारण बैठकें, ग्राम पंचायतों में जागरूकता सभाएँ, पैनल चर्चाएँ, स्कूलों / कॉलेजों में प्रतियोगिताएँ (निबंध लेखन, वाद-विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता) और वॉकथॉन / मैराथन आदि के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह का आरंभ 29.10.2018 को प्रातः 11.00 बजे सभी कार्यकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषाओं में सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा लेने के साथ हुई। भारत के माननीय राष्ट्रपति, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और

Some of the major developments and initiatives taken were as under:

- AML / CFT Centralized unit has filed 1404 Suspicious Transaction Reports (STRs) During 2018-19.
- AML / CFT centralized unit is exclusively processing and monitoring of AML/SDN (Specially Designated Nationals) alerts.
- New in-house-AML package was inaugurated on 02.08.2018 with various efficiency features.
- System checks and enhancements implemented for Trade Based Money Laundering (TBML) alerts.
- The centralized unit has attended Specified Bank Notes (SBN) related queries from RBI SBN facility extended to NRIs / people out of India during demonetization period.
- KYC Cell functions as the custodian and one point contact for RBI and Central Registry of Securitization Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI) for all CKYC matters.
- Implemented CKYC project on 30.10.2017
- The Bank has issued 58,19,736 CKYC IDs to its Customers, out of 85,56,842 accounts opened since 01.01.2017.

Vigilance Setup

Vigilance Wing of the Bank is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO). The CVO is assisted by the Vigilance Officers stationed at all Circles, RRBs and the Bank's Subsidiaries. Vigilance Management in the Bank includes preventive, participative and punitive functions.

‘Vigilance Awareness Week’ was observed in the Bank from **29th October 2018 (Monday) to 3rd November 2018 (Saturday)**, with the theme **“Eradicate Corruption – Build a New India** and all the Branches / Offices have actively participated in conducting various activities such as Seminars, Workshops, Customer Grievance Redress Meetings, Awareness Sabhas in Gram Panchayats, Panel Discussions, Competitions in Schools / Colleges (viz. Essay Writing, Debate & Quiz Competitions) & Walkathon / Marathons etc to bring awareness in the society about the ill effects of corruption.

Vigilance Awareness Week celebrations commenced with the Integrity Pledge by all the Executives & Employees of HO on 29.10.2018 at 11.00 am in Hindi, English &



केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त संदेश पढ़े गए। समारोह के दौरान, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सतर्कता विभाग की त्रैमासिक पत्रिका 'केनरा विजिल' जारी की गई।

वर्ष 2018 के दौरान, सतर्कता अधिकारी सम्मेलन 23.07.2018 को प्रधान कार्यालय, बैंगलोर में आयोजित किया गया था। 21 अंचल कार्यालयों, निरीक्षण विभाग, आरआरबी और एफएमएस विभाग से सतर्कता अधिकारी मौजूद थे। बैंक के सीवीओ और म.प्र-मा.सं. विभाग ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। सुश्री रूपा, एसपी, सीबीआई / एसीबी, बैंगलोर और श्री विवेकानंदस्वामी, आईओपी, सीबीआई / एसीबी, बैंगलोर कार्यक्रम के अतिथि वक्ता थे।

इसके अलावा, सतर्कता विभाग ने 07.09.2018, 16.10.2018 और 22.10.2018 को क्रमशः जांच अधिकारियों, कोलकाता, प्रधान कार्यालय और चेन्नई में जांच अधिकारी, पूछताछ प्राधिकरणों और अनुशासनात्मक प्राधिकरणों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग से अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया और प्रतिभागियों को संबोधित किया।

सुरक्षा प्रबंध:

21 अंचलों / 118 क्षेत्रीय कार्यालयों में 6310 शाखाओं और 106 मुद्रा तिजोरी में से, शाखा सुरक्षा प्रोफाइल 44 शाखाएं उच्च जोखिम, 1678 शाखाएं सामान्य जोखिम और 4588 कम जोखिम की हैं। वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार इन शाखाओं और मुद्रा तिजोरियों का समय-समय पर सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दौरा किया गया था। वर्ष के दौरान मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सभी संवेदनशील मुद्रा तिजोरियों का दौरा किया गया। आरबीआई, आईबीए और राज्य पुलिस प्राधिकरणों के निर्देश के आधार पर निम्नलिखित उपायों की शुरुआत की गई:

- सभी शाखाएं, मुद्रा तिजोरी, एटीएम में डीवीआर के साथ सीसीटीवी कैमरे और उपलब्ध कराए गए हैं।
- 873 एटीएम (संपूर्ण भारत) और 9 मोबाइल एटीएम को निजी सुरक्षा गार्ड के साथ खतरे की धारणा और पुलिस प्राधिकरण के निर्देशों के आधार पर प्रदान किया गया है।
- इस तथ्य के बावजूद कि सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा कर्तव्यों के लिए "लगातार प्रतिबद्ध" किया जाता है, बैंक सभी चुनौतियों को पूरा करने के लिए तैयार है।

सुरक्षा व्यवस्था नियमित रूप से सुरक्षा तंत्र को अद्यतन कर रही है और समय-समय पर सभी शाखाओं को उचित निर्देश, सलाह और दिशानिर्देश जारी कर रही है, जिसमें अग्नि सुरक्षा उपायों पर ध्यान

Kannada languages. Messages received from the Hon'ble President of India, Hon'ble Vice President of India and the Central Vigilance Commission were read out. During the function, Vigilance Wing in-house quarterly Magazine 'Canara Vigil' was released by the dignitaries.

During the year 2018, Vigilance Officers Conference was conducted on 23.07.2018 at Head Office, Bangalore. Vigilance Officers from 21 Circle Offices, Inspection Wing, RRBs & FMS Wing were present. CVO of the Bank & GM-HR addressed the participants. Ms. Roopa, SP, CBI/ACB, Bangalore and Mr. Vivekanandaswamy, IOP, CBI/ACB, Bangalore were guest speakers to the programme.

Further, Vigilance Wing has conducted Workshops on 'Vigilance Administration' for Investigating Officers, Presenting Officers, Inquiring Authorities & Disciplinary Authorities on 07.09.2018, 16.10.2018 & 22.10.2018 at Kolkata, Head Office & Chennai respectively. Officials from Central Vigilance Commission have participated in the Workshop and addressed the participants.

Security Arrangements:

Out of 6310 branches, and 106 currency chests in 21 Circles / 118 regional offices, the Branch security profile is as follows: High Risk Branches - 44, Normal Risk Branches -1678 and Low Risk Branches: 4588. These Branches & Currency Chests were periodically visited by Security Officers as per statutory guidelines. All the sensitive currency chests were visited by the Chief Security Officer during the year. The following measures were initiated based on the instruction from RBI, IBA & State Police Authorities:

- All branches, Currency Chests & ATMs have been provided with CCTV cameras & DVR.
- 873 ATMs (Pan India) and 9 mobile ATMs have been provided with private security guards based on the threat perception and directions from police authority.
- Notwithstanding the fact that security personnel are "constantly committed" to security duties, the bank is geared up to meet all the challenges.

The security set up is regularly upgrading the security apparatus and issuing suitable instructions, advisories and guidelines to all branches from time to time, including

केंद्रित करना और क्षति को कम करना शामिल है। 36 सुरक्षा अधिकारी ने 2018-19 के दौरान एनआईडीएम नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन पर मूल प्रशिक्षण लिया है।

सूचना का अधिकार:

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, बैंक ने सूचना देने तथा पारदर्शिता लाने के लिए एक अनन्य सूचना का अधिकार अधिनियम केन्द्र की स्थापना की है जून 2016 के दौरान कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन / अपील करने के लिए एक वेब आधारित ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की शुरुआत की है। 20 जुलाई 2016 को यह वेब आधारित पैकेज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए बढा दिया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए केनरा बैंक ने प्रधान कार्यालय में एक नोडल अधिकारी और क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचल कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय के लिए एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया है। आरटीआई दिशानिर्देशों का पालन करने और जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचल कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के लिए प्रधान कार्यालय और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) में एक नोडल अधिकारी नामित किया है। इसके अलावा, बैंक ने सभी शाखा / इकाई प्रमुखों को सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) के रूप में आरटीआई आवेदन, पहली अपील प्राप्त करने और अग्रेषित करने और संबंधित सीपीआईओ को अग्रेषित करने और अनुरोध किए जाने पर सीपीआईओ की सहायता के लिए नामित किया है। वर्तमान में, 140 पीआईओ और 140 अपीलीय प्राधिकारी हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक को 7519 आरटीआई आवेदन, 936 अपील और 100 दूसरी अपील, पिछले वर्ष के दौरान 3634 आरटीआई आवेदनों के विरुद्ध 871 पहली अपील और 9 दूसरी अपील प्राप्त हुई।

भारतीय लेखा मानक का कार्यान्वयन:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक, बैंक भारतीय लेखा मानक (इंडेक्स एएस) को लागू करने की प्रक्रिया में है। सरल अभिसरण के लिए निरंतर आधार पर आवश्यक कदम उठाने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली एक परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है। आरबीआई, अपने संचार संदर्भ को: डीबीआर.बीपी.बीसी .सं. .29 / 21.07.001 / 2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के माध्यम से अगली सूचना तक सभी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आईएनडी एएस के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है। बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार हर तिमाही के लिए आरबीआई को प्रो-फॉर्म वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहा है।

राजभाषा का कार्यान्वयन:

बैंक ने राजभाषा के कार्यान्वयन के तहत उल्लेखनीय प्रगति की और समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान विभिन्न स्तरों पर कई पुरस्कार जीते।

focusing on fire safety measures and minimizing damages. 36 Security Officers have undergone basic training on Disaster Management at NIDM New Delhi during 2018-19.

Right to Information:

Under the Right to Information Act, 2005, an exclusive Right to Information Act outfit is functioning to provide information and bring transparency. During June 2016, Department of Personnel Training, Ministry of Finance, Government of India has come out with a web based online RTI portal to enable the citizens to make online applications / appeals. This web based package has been extended to the Public Sector Banks with effect from 20th July 2016. To comply with the RTI guidelines and to cater to the needs, the Bank has nominated a Nodal Officer at Head Office and a Central Public Information Officer (CPIO) and a First Appellate Authority (FAA) for all Regional Offices, Circle Offices and Head Office. Apart from this, the Bank has designated all the branch / unit heads as Assistant Public Information Officer (APIOs) to receive and forward the RTI applications, 1st appeal and to forward the same to the concerned CPIOs and also to assist the CPIOs whenever requested. Presently, there are 140 PIOs and 140 Appellate Authorities.

During the year 2018-19, the Bank received 7519 RTI applications, 936 Appeals & 100 Second appeals as against 3634 RTI applications, 871 Appeals & 9 Second appeals during the previous year, 2017-18.

Implementation of Indian Accounting Standards:

As per RBI guidelines, the Bank is in the process of implementing the Indian Accounting Standards (Ind AS). A Project Steering Committee headed by Executive Director has been formed to take the required steps on a continuous basis for smooth convergence. RBI, vide its communication ref : DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March, 2019 has deferred implementation of Ind AS for all Scheduled Commercial Banks till further notice. Bank is submitting Pro-Forma Financial Statements to RBI for every quarter as per the guidelines of RBI.

Implementation of Official Language:

The Bank made noteworthy progress under the implementation of official language and won many prizes at various levels during the year under review.



मार्च 2019 तक लगभग 86% कर्मचारियों ने हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और बैंक ने राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के तहत 4767 शाखाएं अधिसूचित की हैं। हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले बैंक के सभी कर्मचारियों को हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से कार्यात्मक हिंदी में प्रशिक्षित किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने ऐसे कर्मचारियों के लिए 336 रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

राजभाषा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के क्षेत्र में, बैंक ने वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूनिकोड पैकेज के उपयोग को बढ़ावा दिया है और 10 भारतीय भाषाओं में लेनदेन करने के लिए बैंक की एटीएम स्क्रीन में भी प्रावधान किया है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, हमारे एटीएम (संबंधित भाषा में किए गए लेनदेन) से मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी और मराठी में लेनदेन पर्ची प्राप्त की जा सकती है। हिंदी और अंग्रेजी और अन्य 6 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में टेली बैंकिंग की सुविधा भी प्रदान की गई है। बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट द्विभाषी है। बैंक विशेष अवसरों पर अपने सभी ग्राहकों को हिंदी में एसएमएस भी दे रहा है।

हमारे बैंक की द्विभाषी पता पुस्तिका केनपता इलेक्ट्रॉनिक रूप में हमारी सभी शाखाओं और कार्यालयों के लिए उपलब्ध कराई गई है। हिंदी विकल्प मोबाइल बैंकिंग, ई-इंफोबुक और बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल में प्रदान किया जाता है। बैंक में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए, बैंक द्वारा तैयार की गई पुरस्कार योजना के तहत 381 पुरस्कार अंचल क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखाओं, क्षेत्र.प्र.म और प्रधान कार्यालय और अंचल कार्यालयों के अनुभागों को दिए गए जैसे, केनरा बैंक राजभाषा अक्षय योजना और राजभाषा पुरस्कार योजना के तहत 80 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए वार्षिक "अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता" भी आयोजित की है और पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए हैं। अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका "केनराज्योति" - वर्ष के दौरान 21वां और 22वां अंक जारी किया गया। केनराज्योति हिंदी में मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए लायी गयी है। इस प्रकाशन में बैंकिंग से संबंधित विषयों के साथ-साथ कविता, लघु कहानियां, हमारे बैंक के कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लिखित यात्राएं शामिल हैं। वर्ष के दौरान, केनराज्योति को भारतीय भाषा एवं फीचर्स (भाषा) श्रेणी के तहत एबीसीआई द्वारा प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया। बैंक के राजभाषा अधिकारियों का 36 वां अखिल भारतीय सम्मेलन 21 और 22 फरवरी 2019 को प्रधान कार्यालय बंगलूरु में आयोजित किया गया था। वर्ष के दौरान, राजभाषा पर संसदीय समिति की तीसरी उप समिति ने हमारी

As at March 2019, around 86% of employees have obtained working knowledge in Hindi and the Bank has notified 4767 Branches under Rule 10(4) of OL Rules 1976. All the employees of the Bank possessing working knowledge of Hindi have been trained in functional Hindi through Hindi workshops. During the year under review, Bank has conducted 336 refresher training programmes for such employees.

In the sphere of using Information Technology in the Official Language, the Bank has furthered the use of Unicode package for word processing and also made provision in ATM screens of the Bank for carrying transaction in 10 Indian languages. Apart from Hindi and English, transaction slips can be obtained in Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Punjabi and Marathi from our ATMs (Transactions done in concerned language). Tele banking facility has also been provided in Hindi and English and other 6 major regional languages. The Bank's corporate website is bilingual. The Bank is also giving SMSs in Hindi to all its customers on special occasions.

The Bank's bilingual address booklet CANPATHA is made available to all its branches and offices in electronic form. Hindi option is provided in Mobile Banking, E-Infobook and the Bank's internet Banking portal. To encourage effective implementation of Official Language in the Bank, 381 prizes were given to Circles, Regional offices, Branches, RSTCs and Sections of Head Office & Circle Offices under the award scheme formulated by the Bank, viz., Canara Bank Rajbhasha Akshay Yojana and 80 employees were awarded under Rajbhasha Puraskar Yojana. Bank has also conducted Annual "All India Hindi Essay Competition" for its employees and cash prizes were given to prize winners. Half Yearly Hindi journal "Canarajyoti" - 21st & 22nd issues were brought out during the year. Canarajyoti was brought out to encourage original writing in Hindi. This publication contains articles on banking related subjects as well as Poetry, Short Stories, Travelogues written in Hindi by employees of our Bank. During the year, Canarajyoti was awarded Gold and Bronze Prize by ABCI under Indian Language category & features (language) category. The 36th All India Conference of OL Officers of the Bank was held at Head Office, Bengaluru on 21st and 22nd Feb 2019. During the year, the Third Sub Committee of Parliamentary Committee on Official Languages had inspected our Joshimath Branch

जोशीमठ शाखा (दिल्ली, अंचल कार्यालय) और ऊटी शाखा (चेन्नई अंका) गुवाहाटी अंचल कार्यालय तथा तुतुकुडी क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया था। समिति ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। बैंक एटा, आगरा, हथरस, कोयंबटूर, रामनगरम, बेंगलूरु (ग्रामीण), चित्रादुर्गा, चिकबल्लवपुर और और तिरुवनंतपुरम की नगर राजभाषा भाषा कार्यान्वयन समितियों का संयोजन कर रहा है। सरकार के मार्गदर्शन अनुसार बैंक की सभी शाखाओं में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की जाती हैं।

खेलकूद का प्रवर्तन:

केनरा बैंक टूर्नामेंट आदि को प्रायोजित करने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप प्रदान करके हमेशा खेलकूद को प्रोत्साहित व समर्थन कर रहा है और देश भर में खेल गतिविधियों के लिए उदारता से योगदान दे रहा है। वर्ष 1982 में बैंक में खेलकूद के अनुप्रवर्तन व प्रोत्साहन के लिए प्रधान कार्यालय में एक खेलकूद काउंसिल का गठन किया गया।

बैंक के 6 क्षेत्र में टीम हैं, जो निम्नवत हैं।

वर्ग	लिंग	सदस्य
एथलेटिक्स	महिला	5
बॉल बैडमिंटन	पुरुष	3
क्रिकेट	पुरुष	14
हॉकी	पुरुष	17
शटल बैडमिंटन	पुरुष	1
टेबल टेनिस	पुरुष व महिला	2

बैंक की तह में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्री बी के वेंकटेश प्रसाद और श्री सुनील बी जोशी (क्रिकेट), श्रीमती एम के आशा, श्रीमती सुमा गोपालकृष्ण (एथलेटिक्स), और श्रीमती एचएम ज्योति (वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय एथलीट), श्री पी शनमुगम, श्री भरत कुमार छेत्री (कप्तान भारतीय हॉकी टीम, लंदन ओलंपिक-2012) और श्री केएम सोमाना (सीनियर हॉकी), श्री केपी दिनेश (जूनियर-हॉकी), श्री डी गुरुप्रसाद, श्री विनीत मैनुअल (शटल बैडमिंटन) है। राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट / प्रतियोगिताओं में बैंक का प्रतिनिधित्व करते हुए उपर्युक्त में से कुछ खिलाड़ी अभी भी बैंक के काम करते हैं।

वर्ष 2018 के दौरान इम्फाल, मणिपुर में 8 वें हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल बी डिवीजन चैंपियनशिप, और बैंगलोर में फील्ड मार्शल करियप्पा मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट में बैंक की हॉकी टीम रनर अप थी। बैंक की क्रिकेट टीम विजेता थी (1) कर्नाटक राज्य समूह II डिवीजन, (2) आई लीग चैंपियनशिप, विजेता (2)

(Delhi CO), Ooty Branch (Chennai CO), Guwahati Circle Office and Tuttukudi Regional Office. The committee lauded the efforts put in by the Bank in the field of Official Language implementation. The Bank is convening the Town Official Language Implementation Committees of Etah, Agra, Hatharas, Coimbatore, Ramnagaram, Bengaluru (Rural), Chitradurga, Chikkaballapur and Thiruvananthapuram. Official Language Implementation Committees are constituted in all the branches of the Bank as per the government guidelines to propagate the progressive use of Hindi.

Promotion of Sports:

Canara Bank has always been encouraging and supporting sports and has contributed generously to sporting activities all over the country by sponsoring tournaments, providing scholarships to talented sports personalities. A Sports Council at Head Office was setup in the year 1982 to monitor and encourage sports activities in the Bank.

The Bank is presently having teams in 6 disciplines.

Category	Gender	Members
Athletics	Women	5
Ball Badminton	Men	3
Cricket	Men	14
Hockey	Men	17
Shuttle Badminton	Men	1
Table Tennis	Men & Women	2

International Sportspersons in the Bank's fold are Shri B K Venkatesh Prasad & Shri Sunil B Joshi (Cricket), Smt M K Asha, Smt Suma Gopalakrishna (Athletics), & Smt H M Jyothi (Present International Athlete), Shri P Shanmugam, Shri Bharath Kumar Chhetri (Captain Indian Hockey Team, London Olympics-2012) & Shri K M Somanna (Senior-Hockey), Shri K P Dinesh (Junior-Hockey), Shri D Guruprasad, Shri Vineet Manual (Shuttle Badminton). Some of the above sportspersons still don the Bank colours while representing the Bank in tournaments / competitions at the State / National level.

The Bank's Hockey Team was Runners-up in the 8th Hockey India Senior National B Division Championships at Imphal, Manipur during 2018, and also in the Field Marshal Cariappa Memorial Hockey Tournament at Bangalore. The Cricket Team of the Bank was the Winner in the following championships: (1) The Karnataka



ओडिशा में 25 वां अंतर्राष्ट्रीय प्रदीप मेमोरियल टूर्नामेंट, रनर्स अप। आगे कोची में अखिल भारतीय पूजा क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम रनर्स अप थी। प्रधान कार्यालय में टीमों के अलावा, बैंक अंचल स्तर पर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा निगरानी की जाने वाली कर्मचारियों के लिए खेल गतिविधियों और कर्मचारियों के लिए खेल प्रतियोगिता के लिए वार्षिक बजट आवंटित करके खेल को प्रोत्साहित कर रहा है।

वित्तीय सुपरमार्केट

केनरा बैंक ने ग्राहकों हेतु 'एक स्टॉप बैंकिंग' प्रदान करने के उद्देश्य से 1980 दशक के अंत के दौरान सहायकी खोलने के द्वारा विविध कारोबार गतिविधियों में प्रवेश किया। आज, बैंक विविध क्षेत्रों में कम से कम दस सहायकी / प्रायोजित संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के साथ एक 'वित्तीय सुपरमार्केट' के रूप में कार्य कर रहा है। बैंक के सभी सहायकी / प्रायोजित संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों ने वर्ष 2018-19 के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन दर्ज किया है।

केनफिन होम्स लिमिटेड (सीएफएचएल):

केनफिन होम लिमिटेड, केनरा बैंक की एक प्रायोजित इकाई देश में प्रमुख आवास वित्त संस्थाओं में से एक है। वर्ष की शुरुआत में कंपनी में बैंक का हिस्सा 30% था।

मार्च 2019 में कंपनी के बकाया ऋण ₹18396 करोड़ था। कंपनी ने पिछले वर्ष ₹286.19 करोड़ के मुकाबले ₹296.74 करोड़ का लाभ कर के बाद अर्जित किया, जिसमें 3.69% की वृद्धि हुई। 31.03.2019 को कंपनी का सकल एनपीए ₹113.51 करोड़ था और शुद्ध एनपीए ₹79.47 करोड़ था। वर्ष 2018-19 के लिए 100% लाभांश कंपनी द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लिमिटेड (सीबीएसएल):

केनरा बैंक प्रतिभूति लिमिटेड बैंक की पूर्ण स्वामित्व की इकाई है। कंपनी संस्थागत व खुदरा ग्राहकों, दोनों के लिये स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएँ प्रदान करता है।

खुदरा ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग काउंटर मुख्य उत्पाद है तथा मुद्रा व्युत्पन्नी सुविधा प्रदान करता है एवं कंपनी का ग्राहक आधार 55503 है। वर्ष 2018-19 के लिये कंपनी ने रु. 9.71 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है और 15% के लाभांश की घोषणा की है। सीबीएसएल ने 01.04.2017 से केनरा बैंक से निक्षेपागार प्रतिभागी परिचालन का अधिग्रहण किया है।

State Group II Division, (2) I League Championships, and (3) 25th International Paradip Memorial Tournament at Odisha. Further the team was runners up in the All India Pooja Cricket Tournament at Kochi. Apart from the teams at the Head Office, the Bank is also encouraging sports at the Circle levels by allotting annual budget for sports activities and also by organising sports competition for employees, the activities of which are duly monitored by the Circle Sports Councils.

FINANCIAL SUPERMARKET

Canara Bank, with an objective of offering 'One Stop Banking' facilities for the customers, forayed into diversified business activities by opening subsidiaries during late 1980s. Today, the Bank functions as a 'Financial Supermarket', with ten Subsidiaries / Sponsored entities / Joint Ventures in diversified fields. All the Subsidiaries / Sponsored entities / Joint Ventures of the Bank recorded satisfactory performance during the year 2018-19.

CANFIN HOMES LIMITED (CFHL):

M/s Canfin Homes Limited, a sponsored entity of Canara Bank is one of the premier housing finance entities in the country. The bank holds 30% stake with the company.

The loans outstanding of the Company as at March 2019 was ₹18396 crore. The Company earned a profit after tax of ₹296.74 crore as against ₹286.19 crore in the previous year, with y-o-y growth of 3.69%. Gross NPAs of the Company was ₹113.51 crore and Net NPA was ₹79.47 crore as on 31.03.2019. 100% dividend for the year 2018-19 has been proposed by the Company.

CANARA BANK SECURITIES LIMITED (CBSL):

M/s Canara Bank Securities Limited is a wholly owned subsidiary of the Bank. The Company offers stock broking services to both institutional and retail clients.

Online Trading Counter for retail customers is its flagship product and has diversified into Currency Derivatives and has a clientele base of 55503. The Company has posted a profit after tax of ₹9.71 crore and declared a dividend of 15% for the year 2018-19. CBSL has taken over the Depository Participant operations from Canara Bank with effect from 01.04.2017.

केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (सीआरएएमसी):

मेसर्स केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड बैंक के 51% हिस्सेदारी पर मेसर्स रोबेको ग्रूप एन वी के साथ एक संयुक्त उद्यम (जेवी) है, जिसमें है। इस जेवी का गठन 2007 में मेसर्स केन बैंक म्यूचुअल फंड में बैंक द्वारा आयोजित 49% स्टैक को मेसर्स रोबेको ग्रूप एन वी के पक्ष में किया गया था। मार्च 2019 तक 9.92 लाख के निवेशक आधार के साथ प्रबंधन (एयूएम) के तहत कुल संपत्ति 15516 करोड़ रुपये थी। कंपनी वर्तमान में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सहित 29 म्यूचुअल फंड स्कीमों का प्रबंधन कर रही है। कंपनी ने ₹24.61 करोड़ का शुद्ध लाभ पोस्ट किया है और वर्ष 2018-19 के लिए 11% का लाभांश घोषित किया है।

केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (सीएफएल):

मेसर्स केनबैंक फैक्टर लिमिटेड बैंक द्वारा 70% हिस्सेदारी के साथ बैंक की एक फैक्ट्रिंग सहायक है। 2018-19 के दौरान, कंपनी का कुल व्यापार कारोबार ₹1702 करोड़ था। वर्ष 2018-19 के लिए संदिग्ध ऋण के लिए ₹11.39 करोड़ प्रावधान के बाद कंपनी को ₹2.72 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

केनरा एचएसबीसी ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड (सीएचआईओसीई):

वर्ष 2007 में एचएसबीसी बीमा (एशिया प्रशांत) होल्डिंग लिमिटेड और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के सहयोग से बैंक द्वारा एक लाइफ इश्योरेंस संयुक्त उद्यम जारी किया गया था। जेवी ने 16.06.2008 से अपने व्यापार संचालन को शुरू किया, जिसमें 51% केनरा बैंक द्वारा, एचएसबीसी (26%) और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (23%) के साथ मेसर्स केनरा एचएसबीसी ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड (सीएचआईओसीई) आरंभ की। कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹1367 करोड़ का नया बिजनेस प्रीमियम और 3491 करोड़ रुपये का सकल प्रीमियम दर्ज किया। 31.03.2018 को कंपनी की 4,62,403 सशक्त नीतियां हैं। कंपनी ने 2018-19 के लिए ₹165 करोड़ का साविधिक लाभ हासिल किया।

केनबैंक वेंचर पूंजी कोष लिमिटेड (सीवीसीएफएल):

मेसर्स केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड ट्रस्टी और केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड का प्रबंधक और बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी ने ₹552.78 करोड़ के आस्ति प्रबंधन के तहत (एयूएम) कुल संपत्ति के साथ अभी तक 5 फंड प्रबंधित किए हैं। नवीनतम फंड ₹435.86 करोड़ के एक कॉर्पस के साथ उभरती हुई भारत विकास कोष है। भारत सरकार से ₹2200 करोड़, केनरा बैंक से ₹5 करोड़ और सीवीसीएफएल से ₹1 करोड़ के साथ, इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि (ईडीएफ) के साथ इलेक्ट्रॉनिक विकास

CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LIMITED (CRAMC):

M/s Canara Robeco Asset Management Company Limited is a joint venture (JV) with M/s Robeco Groep NV with the bank holding 51% Stake. This JV was formed in 2007 divesting 49% Stake held by the bank in M/s Can Bank Mutual Fund in favour of M/s Robeco Groep N V. Total Assets under Management (AUM) was at ₹15516 crore with investor base of 9.92 lakhs as at March 2019. The Company is currently managing 29 Mutual Fund Schemes, including Gold Exchange Traded Fund. The Company has posted a net profit of ₹24.61 crore and declared a dividend of 11% for the year 2018-19.

CANBANK FACTORS LIMITED (CFL):

M/s Canbank Factors Limited is a factoring subsidiary of the Bank with 70% stake held by the Bank. During 2018-19, the Company had a total business turnover of ₹1702 crore. The Company incurred a profit of ₹2.72 crore after making provisions amounting to ₹11.39 crore for the doubtful debts for the year 2018-2019.

CANARA HSBC ORIENTAL BANK OF COMMERCE LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED (CHIOCe):

M/s Canara HSBC Oriental Bank Of Commerce Life Insurance Company Ltd (CHIOCe) is a Life Insurance Joint Venture floated by the Bank in association with HSBC Insurance (Asia Pacific) Holding Limited and Oriental Bank of Commerce in the year 2007. The JV commenced its business operations with effect from 16.06.2008, with majority shareholding of 51% by Canara Bank, followed by HSBC (26%) and Oriental Bank of Commerce (23%). The Company recorded new business premium of ₹1367 crore and gross premium of ₹3491 crore during the year. The Company has 4,62,403 in-force policies as on 31.03.2019. The Company achieved a statutory profit of ₹165 crore for 2018-19.

CANBANK VENTURE CAPITAL FUND LIMITED (CVCFL):

M/s Canbank Venture Capital Fund Limited is the Trustee and Manager of Canbank Venture Capital Fund and a wholly owned subsidiary of the Bank. The company has managed 5 funds so far with total Asset under Management (AUM) of ₹552.78 crore. The latest fund is the Emerging India Growth Fund with a corpus of ₹435.86 crore. CVCFL has been appointed by the Department of Electronics and Information Technology (DeitY) to manage the Electronic Development Fund (EDF) with a corpus of ₹2206 crore,



निधि (ईडीएफ) का प्रबंधन करने के लिए ₹2206 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटीवाई) द्वारा सीवीसीएफएल नियुक्त किया गया है। "एम्पावर इंडिया फंड" नामक एक और नया फंड ₹650 करोड़ के लक्ष्य कॉर्पस के साथ स्थापित किया जा रहा है। कंपनी ने 4.50 करोड़ रुपये के कर के बाद लाभ दर्ज किया है और वर्ष 2017-18 के लिए 1000% का लाभांश देने का प्रस्ताव दिया है।

केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल):

मैसर्स केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रचारित एकमात्र सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसमें बैंक द्वारा 69.14% शेयरहोल्डिंग है। सीसीएसएल मुख्य रूप से आईटी और सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, बीपीओ सेवाओं, एटीएम / किसी भी समय भुगतान सेवाओं, प्रशिक्षण, परामर्श और आर एंड टी एजेंट में लगी हुई है। कंपनी ने ₹3.01 करोड़ के कर के बाद लाभ कमाया है और 2018-19 के लिए 30% लाभांश प्रस्तावित किया है।

केनबैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड (केनफिना):

मैसर्स केनबैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड ने डिक्रीबद्ध खातों के तहत पट्टा किराये की वसूली व अतिदेय की वसूली पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा अपनी गतिविधियों को प्रतिभूति में पिछले संव्यवहार से उत्पन्न कानूनी मामलों तक सीमित कर दिया है। कंपनी को अपनी आस्तियों के निपटान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से 31.01.2020 तक तीन वर्षों का विस्तारित समयावधि प्राप्त हुआ है।

कॉमर्शियल इंडों बैंक एलएलसी (सीआईबीएल):

मैसर्स एलएलसी कॉमर्शियल इंडों बैंक, केनरा बैंक व भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उद्यम है जो अप्रैल, 2014 से मॉस्को, रूस में कार्यरत है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कर के पश्चात 1.82 मिलियन यूएस डॉलर के लाभ अर्जित किया है।

केनरा बैंक (तंज़ानिया) लिमिटेड:

बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग अनुषंगी मैसर्स केनरा बैंक तंज़ानिया लिमि., (तंज़ानिया) दार एस सलाम में स्थित है जिसका पंजीकरण तंज़ानिया में 02.11.2015 को हुआ है एवं बैंक ऑफ तंज़ानिया से 05.05.2016 को लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अनुषंगी ने अपना परिचालन 09.05.2016 में आरंभ किया। कंपनी ने कर पश्चात 0.43 मिलियन यूएस डॉलर का लाभ अर्जित किया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):

यथा मार्च 2019 तक बैंक के दो प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, यथा केरल में स्थित केरल ग्रामीण बैंक (केजीबी) और कर्नाटक स्थित प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (पीकेजीबी)।

केरल ग्रामीण बैंक (केजीबी) केरल के सभी 14 जिलों को 633 शाखाओं एवं 320 एटीएम के साथ कवर करता है। यथा मार्च 2019 को केजीबी का कुल कारोबार रु. 34778 करोड़ रहा जिसमें रु 16881

with ₹2200 crore from Government of India, ₹5 crore from Canara Bank and ₹1 crore from CVCFL. Another new fund named as "Empower India Fund" is being setup with a target corpus of ₹650 crore. The Company recorded a profit after tax of ₹4.50 crore and has proposed to pay a dividend of 1000% for the year 2017-18.

CANBANK COMPUTER SERVICES LIMITED (CCSL):

M/s Canbank Computer Services Limited is the only Software Company promoted by a Public Sector Bank in the country, with a 69.14% shareholding by the Bank. CCSL is primarily engaged in IT and software development services, BPO services, ATM / Any Time Payment services, Training, Consultancy and R&T agent. The Company has posted a profit after tax of ₹3.01 crore and proposed a 30% dividend for 2018-19.

CANBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED (CANFINA):

M/s Canbank Financial Services Limited is confining its activities to legal matter arising out of past transactions in securities and recovery of dues under decreed accounts. The Company received extension of time limit from the RBI for further period of three more years up to 31.01.2020 for disposing off its assets.

COMMERCIAL INDO BANK LLC (CIBL):

M/s Commercial Indo Bank LLC, a joint venture of Canara Bank and State Bank of India has been operational since April 2014 in Moscow, Russia. The company incurred net loss after tax of US\$ -1.82 million during the year.

CANARA BANK (TANZANIA) LIMITED:

M/s Canara Bank (Tanzania) Limited is wholly owned Subsidiary of the Bank at Dar es Salaam in Tanzania, registered in Tanzania on 02.11.2015 and obtained a banking license from the Bank of Tanzania on 05.05.2016. The subsidiary commenced its business operations from 09.05.2016. The company earned a profit after tax of \$0.43 million.

REGIONAL RURAL BANKS (RRBs):

As at March 2019, the Bank had two sponsored RRBs, viz., Kerala Gramin Bank (KGB) in Kerala and Pragathi Krishna Gramin Bank (PKGB) in Karnataka.

Kerala Gramin Bank (KGB) operates in all the 14 districts of Kerala State with 633 branches and 320 ATMs. The total business of the KGB was ₹34778 crores as at March 2019, comprising a total Deposits of ₹16881 crore and

करोड़ का जमा एवं रु 17897 करोड़ का अग्रिम शामिल है। **प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (पीकेजीबी)** पूर्वी कर्नाटक के 11 जिलों में 661 शाखाओं एवं 279 एटीएम के साथ परिचालनरत है। यथा मार्च 2019 को पीकेजीबी का कुल कारोबार ₹30745 करोड़ रहा जिसमें ₹15917 करोड़ का जमा एवं ₹14828 करोड़ का अग्रिम शामिल है।

यथा मार्च 2019 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समग्र कारोबार वर्षानुवर्ष 11.28 % वृद्धि के साथ ₹65523 करोड़ रहा जिसमें ₹32798 करोड़ के जमा तथा ₹32725 करोड़ के अग्रिम शामिल है। बैंक के आधारभूत संरचना समर्थन के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एटीएम व डेबिट कार्ड सेवाएं प्रदान कर रहे हैं एवं यथा मार्च 2019 को 599 एटीएम / नकद वितरण मशीन (केजीबी द्वारा 320, पीकेजीबी द्वारा 279) स्थापित किए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सीबीएस का 100% अनुपालन कर रहे हैं और प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर अपने समकक्षी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से आगे है। वे अपने ग्राहकों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, रुपये डेबिट कार्ड सेवा, आधार समर्थित सेवा तथा नेफ्ट / आरटीजीएस के माध्यम से विप्रेषण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। चेक ट्रंकेशन प्रणाली एवं ई-केवाईसी तकनीकी भी आर आर बी में उपलब्ध है।

केरल ग्रामीण बैंक (केजीबी) केरल ग्रामीण बैंक (केजीबी) को सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन पहल के लिए आईबीए अवार्ड 2018 प्राप्त हुआ था। केजीबी को सूक्ष्म ऋण श्रेणी के तहत 6वें एसोचैम एसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। केजीबी को एपीवाई के तहत सदस्यों के नामांकन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पीएफआरडीए द्वारा स्थापित लीडरशिप कैपिटल अवार्ड भी मिला है। केजीबी को केरल स्टेट बैंकर्स फोरम द्वारा "ग्रामीण विकास" के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सीटीएस के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, केजीबी को राष्ट्रीय भुगतान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस केजीबी के अलावा आईबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2019, डीजी केजीबी एवं एफआई@स्कूल के लिए स्कॉच पुरस्कार भी प्राप्त किया।

प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (पीकेजीबी) ने आरआरबी (दक्षिणी क्षेत्र) के बीच 2017-18 के लिए स्वयं सहायता समूह सहबद्धता में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। पीकेजीबी को रुपये डेबिट कार्ड जारी करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एनपीसीआई विशिष्ट जूरी अवार्ड मिला है। पीकेजीबी को वर्ष 2017-18 के लिए एपीवाई के तहत भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आरआरबी के रूप में पीएफआरडीए से राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। बैंक को विभिन्न श्रेणियों के तहत पीएफआरडीए द्वारा कई पुरस्कार भी मिले हैं।

Advances of ₹17897 crores. **Pragathi Krishna Gramin Bank (PKGB)** operates in 11 districts of Eastern Karnataka with 661 branches & 279 ATMs. The total business of the PKGB was ₹30745 crores as at March 2019 with total Deposits of ₹15917 crores and Advances of ₹14828 crores.

Aggregate business of both the RRBs increased to ₹65523 crores as at March 2019 with a y-o-y growth of 11.28% comprising Deposits of ₹32798 crores and Advances ₹32725 crores. Through the Bank's infrastructure support, the RRBs are extending facilities, like, ATM cum Debit Card services and installed 599 ATMs / Cash Dispensers (320 by KGB, 279 by PKGB) as at March 2019. The sponsored RRBs are 100% CBS compliant and are ahead of their peer RRBs under technology front by extending IT based products, like Internet Banking, Mobile Banking, RuPay Debit Card services and also Aadhaar enabled services and remittance facilities through NEFT / RTGS to their customers. The RRBs have put in place Cheque truncation system and e-KYC technology.

Kerala Gramin Bank (KGB) had received IBA award 2018 for best financial inclusion initiatives. KGB has been awarded 6th ASSOCHAM SMEs excellence award 2018 under Micro lending category. KGB has also bagged Leadership capital award instituted by PFRDA for best performance in enrolling members under APY. KGB has been awarded the Best Bank Award for "Rural Development" by Kerala State Bankers Forum. For excellent performance under CTS, KGB has been awarded National Payments Excellence Award. In addition to this KGB also bagged IBA Banking technology award 2019, SKOCH award for DIGI KGB & FI@School.

Pragathi Krishna Gramin Bank (PKGB) has received National Award from Ministry of Rural Development (MoRD), Government of India under National Rural Livelihood Mission (NRLM) for Best performance in SHG Linkage for 2017-18 among RRBs (Southern Region). PKGB has received NPCI Special Jury Award for outstanding performance in Issuance of Rupay Debit Cards. PKGB has also received National Award from PFRDA as Best Performing RRB in India under APY for the year 2017-18. Bank has also received many awards by PFRDA under various categories.

बैंक के प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ई-केवाईसी एवं आधार समर्थित भुगतान प्रणाली(एईपीएस) कार्यान्वित करनेवाले प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ इन दोनों आरआरबी ने 13.22 लाख नामांकन किए हैं।

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा):

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा), एक लाभ के लिए संगठन है, जिसे बैंक द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (हेफा), भारत सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम शेयर धारक समझौते के तहत स्थापित किया गया है। यह एजेंसी बाजार से धन का लाभ उठाने और उन्हें दान और सीएसआर फंड के साथ भारत के प्रीमियर उच्च शिक्षा संस्थानों, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएसईआर, आदि में बुनियादी ढांचे के वित्त में सुधार के लिए उन्हें विश्व स्तरीय बनाने के लिए स्थापित किया गया था। हेफा की स्थापना शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए की गई है, विशेष रूप से आर और डी अवसंरचना, जिससे संस्थानों को वैश्विक स्तर पर शीर्ष रैंकिंग तक पहुँचने में मदद मिली है। इस एजेंसी की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी ₹2,000 करोड़ है जिसे एमएचआरडी द्वारा ₹1000 करोड़, केनरा बैंक द्वारा ₹100 करोड़ और अन्य निगमों से ₹900 के अनुपात में योगदान देने का प्रस्ताव है। हेफा की भुगतान की गई राशि ₹300 करोड़ रुपये है, जिसमें से ₹250 करोड़ रुपये एमएचआरडी द्वारा और ₹50 करोड़ रुपये केनरा बैंक द्वारा दिए गए हैं।

हेफा ने अब तक 7 संस्थानों के लिए ₹2,015 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिसमें से ₹85 करोड़ का वितरण किया गया है। हेफा के पास 16 संस्थानों से 9818 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भी हैं और मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है।

पुरस्कार / प्रशस्तियाँ एवं उपलब्धियाँ:

विभिन्न पहलों के पहचान के रूप में बैंक को वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया गया :

- प्रचार योजना (बृहत श्रेणी) के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक के लिए चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (सीआईएमएसएमई) पुरस्कार प्राप्त हुआ
- सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक (बृहत श्रेणी) और वित्तीय रूप से समावेशी बैंक (बृहत श्रेणी) के लिए सीआईएमएसएमई रनर अप पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- एपीवाई में प्रदर्शन के लिए पीएफआरडी का सर्वश्रेष्ठ पीएसबी पुरस्कार और एपीवाई अभियान के लिए शानदार सात पुरस्कार प्राप्त किया।
- 31.12.2018 तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा प्रकाशित सभी पीएसबीएस में डिजिटल स्कोर कार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

The Bank's sponsored RRBs were the first amongst RRBs to implement e-KYC technology and Aadhaar Enabled Payment System (AEPS). Together, these RRBs had done 13.22 lakh enrolments under the Social Security Schemes.

HIGHER EDUCATION FINANCING AGENCY (HEFA):

Higher Education Financing Agency (HEFA), a not-for profit organisation, is set up by the bank under a joint venture share holder agreement with the Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India. This agency was set up to leverage funds from the market and supplement them with donations and CSR funds to finance improvement of infrastructure in India's Premier Higher education institutions viz., IIT, IIIT, IISER, etc to make them world class. HEFA is set up for developing the educational infrastructure, particularly R&D infrastructure thereby enabling the institutions to reach top rankings globally. This agency has an initial authorized capital of ₹2000 Crore which is proposed to be contributed in the ratio of ₹1000 Crore by MHRD, ₹100 Crore by Canara Bank and ₹900 Cr. from other Corporates. The paid up equity of HEFA as on date is ₹300 Crore of which ₹250 Crore by MHRD and ₹50 Crore by Canara bank.

HEFA has so far approved projects to the tune of ₹2,015 Crore for 7 institutions of which ₹85 Crore has been disbursed. HEFA also has proposals to the tune of ₹9818 Crore from 16 institutions and the appraisal process is underway.

AWARDS / ACCOLADES & ACHIEVEMENTS:

In recognition of the varied initiatives, the Bank was conferred with the following awards during the year 2018-19.

- Secured Chamber of Indian Micro Small & Medium Enterprises (CIMSME) awards for best bank for promotional schemes (Large category).
- Received runner up CIMSME award for best MSME bank (Large category) and financially inclusive bank (Large category).
- Secured PFRDA's best performing PSB award in APY performance and the splendid seven awards for the APY campaign
- Secured 1st position in Digital Score Card among all PSBs published by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) as on 31.12.2018.

- एमईआईटीवाई द्वारा 48 करोड़ डिजिटल लेनदेन के प्रो-रटा लक्ष्य का 106.04% प्राप्त किया। (बैंक को 2018-19 के लिए एमईआईटीवाई द्वारा 64 करोड़ डिजिटल लेनदेन आवंटित किए गए हैं)।
- अगस्त 2018 में भीम क्यूआर की शुरुआत के बाद, इसने मार्च 19 तक 3,70,179 व्यापारियों का नामांकन किया।
- मार्च 19 तक भीम आधार पीओएस के तहत 97,725 व्यापारियों को नामांकित किया गया।
- सभी सात डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों के तहत पर्याप्त वृद्धि दर्ज करते हुए, पंजीकृत व्यापारियों की संख्या मार्च 18 में 3,83,092 के मुकाबले मार्च 19 तक बढ़कर 5,31,156 हो गई है।
- 13वें ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव के दौरान कोलैटरल अवाडर्स श्रेणी में आठ पुरस्कार; जिसमें से 3 गोल्ड टेलीविजन विज्ञापनों के लिए, विज्ञापन कॉर्पोरेट अभियान रेडियो और विज्ञापन कॉर्पोरेट अभियान टेलीविजन प्राप्त हुए।
- एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने अपने सोशल बैंकिंग एक्सीलेंस अवाडर्स 2018 के तहत चार पुरस्कारों प्राप्त किया।
- ईज बैंकिंग सुधारों के तहत क्रेडिट-कुल खरीद के लिए फस्ट रनर अप पुरस्कार प्राप्त किया।
- यूआईडीईई द्वारा बैंकों के बीच हमारे आधार सेवा केंद्र (एएसके) के माध्यम से आधार जारीअ और अद्यतन के संदर्भ में घरेलू मॉडल के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक।
- Achieved 106.04% of pro-rata target of 48 Crores Digital Transactions by MeitY. (The Bank was allocated 64 Crores Digital Transactions for FY 2018-19 by MeitY)
- Post introduction of BHIM QR in August 2018, the enrolment crossed 3,70,179 Merchants as of Mar'19.
- Enrolled 97,725 Merchants under BHIM Aadhaar PoS as of Mar'19.
- Number of Merchants enrolled has increased to 5,31,156 as of Mar'19 from 3,83,092 in Mar'18 registering a substantial increase under all seven Digital Payment Platforms.
- Secured eight awards in the Collateral Awards Category during 13th Global Communication Conclave; out of which 3 Gold for Television Commercials, Advertising Corporate Campaign RADIO and Advertising Corporate Campaign Television.
- Bagged four awards from the Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) under its Social Banking Excellence Awards 2018.
- Bagged 1st Runner up award for Credit-off take under EASE Banking Reforms.
- Conferred Best Performing Bank for in house model in terms of Aadhaar Generation and Update through our Aadhaar Seva Kendra among the Banks by UIDAI.

बैंक की विभिन्न नीतियाँ

बैंक में अच्छी तरह से परिभाषित नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करने की एक प्रणाली है। वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक की नियामक आवश्यकताओं, भारत सरकार के निर्देशों और वर्तमान समय के संदर्भ में बैंक की उभरती आवश्यकताओं के मद्देनजर बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए ठोस प्रयास किए गए। तदनुसार, अन्य के बीच, साख जोखिम प्रबन्धन, बाजार जोखिम प्रबन्धन, परिचालक जोखिम प्रबन्धन, आस्ति दायित्व प्रबन्धन, चलनिधि जोखिम प्रबन्धन, समूह जोखिम प्रबन्धन, देश जोखिम, प्रतिपक्षी बैंक जोखिम, कॉर्पोरेट प्रशासन, प्रकटन, संपार्श्विक प्रबन्धन, तनाव परीक्षण, अनुपालन कार्यों, आपदा पुनर्प्राप्ति और कारोबार सतत आयोजन, कारोबार लाइन, आउटसोर्सिंग और आईसीएपी, केवाईसी, एएमएल,

VARIOUS POLICIES OF THE BANK

There is a system of implementing well-defined policies and procedures in the Bank. During the year, concerted efforts were made to streamline the policies and procedures of the Bank in the light of regulatory requirements of the RBI, the directions of the Government of India and the emergent requirements of the Bank in the present day context. Accordingly, there has been a sharper focus on policies relating to, among others, Credit Risk Management, Market Risk Management, Operational Risk Management, Asset Liability Management, Liquidity Risk Management, Group Risk Management, Country Risk, Counterparty Bank Risk, Corporate Governance, Disclosures, Collateral Management, Stress Testing,

वसूली, व निवेश के संबंध में नीतियों पर तीक्ष्ण ध्यान केंद्रित किया गया है।

निदेशक मंडल में परिवर्तन

वर्ष 2018-19 में बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए।

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में परिवर्तन

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि
1	श्री राकेश शर्मा	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	11.09.2015	31.07.2018
2	श्रीमती पी. वी. भारती	कार्यपालक निदेशक	15.06.2016	31.01.2019
3	सुश्री ए. मणिमेखलई	कार्यपालक निदेशक	11.02.2019	10.02.2022

भारत सरकार के दिनांक 13.08.2018 के अनुसार, श्री टी एन मनोहरन को केनरा बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में फिर से नामांकित किया गया है और 14.08.2018 से दो साल के लिए बैंक के बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति को बढ़ाया गया है।

मार्च 2019 के बाद बैंक के निदेशक मंडल में परिवर्तन

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1	श्री आर. ए. शंकर नारायणन	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	15.04.2019
2	श्री आर. केशवन	आरबीआई नामित	26.04.2019

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के नवनियुक्त निदेशक मंडल का संक्षिप्त ब्यौरा

सुश्री ए. मणिमेखलई बंगलोर विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग) की डिग्री धारक हैं और सीएआईआईबी योग्यता भी रखती हैं। वह 1988 में विजया बैंक में अधिकारी के रूप में शामिल हुईं और कॉर्पोरेट ऑफिस में विभिन्न विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख और कार्यात्मक प्रमुख के रूप में तीन दशक का बैंकिंग अनुभव रखती हैं।

विजया बैंक के महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने बैंक के बंगलोर उत्तर क्षेत्र का नेतृत्व किया है। वह नीति निर्माण, रणनीतिक योजना, संगठनात्मक लक्ष्यों और विकास रणनीतियों, कार्य योजनाओं,

Compliance Functions, Disaster Recovery and Business Continuity Planning, Business Lines, Outsourcing and ICAAP, KYC, AML, Recovery and Investments.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

Year 2018-19 saw the following changes in the composition of the Board of Directors of the Bank.

Changes in the Bank's Board of Directors during the year 2018-19

Sl. No.	Name Designation	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
1	Shri Rakesh Sharma	Managing Director & CEO	11.09.2015	31.07.2018
2	Smt P. V. Bharathi	Executive Director	15.06.2016	31.01.2019
3	Ms A. Manimekhalai	Executive Director	11.02.2019	10.02.2022

As per Government of India notification dated 13.08.2018, Shri. T N Manoharan has been re-nominated as Part Time non-official Director on the Board of Directors of Canara Bank for a term of two years with effect from 14.08.2018 and extended his appointment as non-executive Chairman of the Bank's Board.

Changes in the Bank's Board of Directors after March 2019

Sl. No.	Name Designation	Designation	Date of Appointment
1	Shri. R.A. Sankara Narayanan	Managing Director & CEO	15.04.2019
2	Shri. R. Kesavan	RBI Nominee	26.04.2019

Brief Profile of the newly appointed Directors of the Board of the Bank during 2018-19

Ms. A. Manimekhalai is a Master of Business Administration (Marketing) degree holder from Bangalore University and also has CAIIB qualification. She joined Vijaya Bank as Officer in 1988 and has three decades of all round banking experience as Branch Head, Regional Head and functional head of various Departments at Corporate Office.

As General Manager of Vijaya Bank, she has headed the Bangalore North Region of the Bank. She had wide cross-functional experience at Corporate Office with

विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन, व्यवसाय विकास में वृद्धि, प्रदर्शन समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण, नियामक अधिकारियों के साथ संपर्क और विभिन्न अन्य कार्य का अनुभव रखती हैं।

वह व्यवसाय विकास और प्रभावी एनपीए प्रबंधन, अवधारणा, विभिन्न खुदरा आस्तियों और देयताओं के उत्पादों के डिजाइन और लॉन्च, विपणन अभियानों के डिजाइन और लॉन्च, विजया बैंक में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) प्रणाली के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैनुअल रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट (आरबीआईए) शासन से कुल कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन सिस्टम के लिए शासन, नियामक आवश्यकताओं के लिए अखंडता, विश्वसनीयता, गति और पालन में वृद्धि, कम्प्यूटरीकृत का कार्यान्वयन, ऑनलाइन समवर्ती ऑडिट प्रणाली, अनुपालन संस्कृति में सुधार, उचित परिश्रम, पूरे बैंक में पर्यवेक्षण, निरीक्षण और निगरानी तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

सुश्री ए. मणिमेखलई ने 11.02.2019 को केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है।

मार्च 2019 के बाद बैंक के बोर्ड के नवनियुक्त निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल

श्री आर. ए. शंकर नारायणन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके पास फाइनेंस में एम.बी.ए., सीएआईआईबी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (पीजीडीपीएम), पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट (पीजीडीएफएम), डिप्लोमा इन ट्रेजरी, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट (डीटीआईआरएम), डीसीपी, बीआरएम में डिप्लोमा है।

उन्होंने वर्ष 1983 में बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) में डायरेक्ट रिस्कटमेंट ऑफिसर के रूप में पदभार संभाला और भारत भर में कई शाखाओं, क्षेत्रों और राष्ट्रीय बैंकिंग समूहों और कॉर्पोरेट कार्यालय में कई अन्य विभागों, जिनमें कोष, खुदरा और टोक्यो और सिंगापुर में कार्य सहित अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के प्रमुख रहे। उनके पास कोष, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, कॉर्पोरेट क्रेडिट, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन, खुदरा, विपणन, वसूली, मानव संसाधन सहित बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में समृद्ध अनुभव और एक्सपोजर है।

मई 2015 से बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) के कार्यपालक निदेशक के रूप में, वे कोष, कॉर्पोरेट क्रेडिट, वसूली, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, खुदरा, मा.सं, आईटी, आयोजना, वित्त आदि का दायित्व संभाल रहे थे।

responsibility for policy making, strategic planning, setting organizational goals & growth strategies, action plans, compliance with regulatory guidelines, driving business growth, performance reviews, internal control, liaison with regulatory authorities, and various other functions.

She was instrumental in driving business growth and effective NPA management, conceptualization, design and launch of various retail Assets and Liabilities products, design and launch of Marketing campaigns, implementation of Risk Based Supervision (RBS) system in Vijaya Bank, transition from manual Risk Based Internal Audit (RBIA) regime to total computerised online system, significantly enhancing the integrity, reliability, speed and adherence to regulatory requirements, Implementation of computerized, online Concurrent Audit system, Significant contribution for improvement of compliance culture, due diligence, supervision, oversight and monitoring mechanism across the bank.

Ms. A. Manimekhalai has taken charge as Executive Director of Canara Bank on 11.02.2019.

Brief Profile of the newly appointed Directors of the Board of the Bank after March 2019

Shri R.A. Sankara Narayanan is a post-graduate in Public Administration with MBA in Finance, CAIIB, Post Graduate Diploma in Project Management (PGDPM), Post Graduate Diploma in Financial Management (PGDFM), Diploma in Treasury, Investment and Risk Management (DTIRM), DCP, BRM.

He joined Bank of India (BoI) as a Direct Recruit Officer in the year 1983 and headed various Branches, Zones, and National Banking Groups across India and many other Departments in Corporate Office including Treasury, Retail, and International Banking with Overseas assignments at Tokyo and Singapore. He has rich experience and exposures in all segments of Banking including Treasury, International Banking, Corporate Credit, Risk Management, Compliances, Retail, Marketing, Recovery, Human Resources.

As Executive Director of BoI from May 2015, he was responsible for Treasury, Corporate Credit, Recovery, Risk Management, Compliance apart from International Banking, Retail, HR, IT, Planning, Finance etc.



उन्होंने पी टी बैंक ऑफ इंडोनेशिया टीबीके, बैंक ऑफ इंडिया-तंजानिया, कॉमनवेल्थ फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीएफसीएल-हांगकांग), बीओआई न्यूजीलैंड लिमिटेड, बीओआई शेयरहोल्डिंग, एसयूडी लाइफ इंड्योरेंस सहित विभिन्न बोर्डों में बीओआई का प्रतिनिधित्व किया है। वह 01.09.2017 से 31.03.2019 तक विजया बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे।

उन्होंने 15.04.2019 को केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री आर केशवन वर्ष 1993 में ग्रेड "बी" में एक सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में आरबीआई में शामिल हुए। उन्होंने मुद्रा प्रबंधन, बैंकिंग और गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित मुख्य और विशिष्ट कार्यों के साथ विभिन्न विभागों में सेवाएं दी और नई दिल्ली में बैंक के आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र में कार्य किया है। प्रिंसिपल, आरबीएससी के रूप में पदभार संभालने से पहले, उन्होंने आरबीआई, चेन्नई में पर्यवेक्षी डोमेन का संपूर्ण पर्यवेक्षण किया, जिसमें बैंकिंग, गैर-बैंकिंग और सहकारी बैंक पर्यवेक्षण, विदेशी मुद्रा विभाग और ग्राहक शिक्षा और ग्राहक सुरक्षा कक्ष शामिल थे। आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में बैंकिंग पर्यवेक्षण के साथ अपने 7 साल के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 2015 और 2016 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रबंधक के रूप में कार्य किया। वह आईसीएआई के ऑडिट और आश्वासन मानक बोर्ड में दो वर्षों के लिए आरबीआई के नामिती के रूप में भी रहे हैं।

निदेशकों के दायित्व वक्तव्य

निदेशक, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में निम्न की पुष्टि करते हैं कि:

- वार्षिक लेखों की तैयारी में महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों सहित उपयुक्त लेखांकन मानदंडों का पालन किया गया है।
- उन्होंने उन लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर अनुप्रयोग किया है और निर्णय लिए हैं तथा अनुमान किए हैं, जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में और अवधि के दौरान बैंक के लाभ या हानि बैंक की स्थिति का सही एवं स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हो सके।
- उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और धोखाधड़ी और अन्य विसंगतियों का पता लगाने एवं निवारण के लिए भारत में स्थित बैंकों के लिए लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।
- उन्होंने वार्षिक लेखों की तैयारी लाभकारी कारोबार वाली संस्था होने के आधार पर की है।

He has represented BoI in various Boards - including P.T. Bank of India Indonesia Tbk, Bank of India- Tanzania, Commonwealth Finance Corporation Ltd (CFCL-Hongkong), BOI New Zealand Ltd, BOI Shareholding, SUD Life Insurance. He was Managing Director & Chief Executive Officer of Vijaya Bank from 01.09.2017 till 31.03.2019.

He has taken charge as Managing Director & Chief Executive Officer of Canara Bank on 15.04.2019.

Shri. R Kesavan joined RBI in the year 1993 as a Direct Recruit Officer in Grade "B". He has served various departments with core and specialized functions relating to currency management, banking and non-banking supervision and a stint with the Bank's Zonal Training Centre at New Delhi. Before taking over as Principal, RBSC, he supervised the entire supervisory domain in RBI, Chennai which included banking, non-banking and co-operative bank supervision, foreign exchange department and customer education and customer protection cell. During his 7 year tenure with banking supervision at Central office of RBI, he served as the Senior Supervisory Manager of State Bank of India during 2015 & 2016. He was also associated as RBI nominee on ICAI's Audit and Assurance Standards Board for two years.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2019, confirm the following:

- That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- That they had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank for the period.
- That they had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- That they had prepared the annual accounts on a going concern basis.

- बैंक द्वारा अनुवर्तित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिशानिर्देशों के अनुसार है तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधान के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह की व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढंग से परिचालित हो रही थी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और सेबी परिपत्र / सीएफडी / सीएमडीआई / 27/2019 की दिनांक 08 फरवरी, 2019 की विनियम 24अ की अपेक्षानुसार, बैंक ने श्री विश्वनाथ पेशेवर कंपनी सचिव (सीओपी 5284) की नियुक्ति की है 2018-19 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में और बैंक के सदस्यों को संबोधित उनकी रिपोर्ट जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

अभिस्वीकृति

बोर्ड अपने ग्राहकों को उनके संरक्षण के लिए, शेयरधारकों को उनके समर्थन के लिए, सरकारी प्राधिकारियों और भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूरा करने वाले निदेशकों को, भारत और विदेशों में बैंक के कारोबार संपर्कों को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए, संगठनात्मक विकास और उत्कृष्टता हेतु अपने पूर्ण समर्थन के लिए सभी स्टाफ सदस्यों की सराहना करता है।

आर. ए. शंकर

आर ए शंकर नारायणन
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

- Internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provision of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

SECRETARIAL AUDIT FOR FINANCIAL YEAR 2018-19:

Pursuant to the requirements of Regulation 24A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 & SEBI Circular CIR / CFD / CMDI / 27 / 2019 dated February 08, 2019, the Bank has appointed Mr. S. VISWANATHAN Practicing Company Secretary (COP 5284) as the Secretarial Auditor for FY 2018-19 and their report addressed to the members of the Bank which forms part of this Annual Report is attached as an annexure to the Board's report.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the customers for their patronage, to the shareholders for their support, to the Government authorities and the Reserve Bank of India for their valuable guidance and support, to the Directors who completed their tenure during the financial year under review, to the Bank's Correspondents in India and abroad for their co-operation and goodwill and to all the Staff Members for their full support in the pursuit of organizational growth and excellence.

आर. ए. शंकर

R A SANKARA NARAYANAN
MANAGING DIRECTOR & CEO

वित्तीय वर्ष समाप्त मार्च 31, 2019 सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सेबी के 24अ (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करने के लिए नियम), विनियम, 2015 और सेबी परिपत्र: CIR/CFD/CMD1/27/2019 दिनांक: फरवरी, 08 2019 से संबंधित।

प्रेषक
सदस्य,
केनरा बैंक
112, जे सी रोड, टाउन हॉल,
बेंगलूरु,
कर्नाटक - 560 002

मैंने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और केनरा बैंक द्वारा सुशासित कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट उस तरीके से आयोजित किया गया, जिसने मुझे कॉर्पोरेट आचरण / सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

मैंने 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा बनाए गए बही, कार्यवृत्त पंजिका, फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है और जो मुझे उपलब्ध कराया गया है।

केनरा बैंक को निम्नलिखित विधानों के तहत अभिशासित किया जाता है, और जो समय-समय पर संशोधित किये जाते हैं:

1. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
2. बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970
3. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970
4. केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000
5. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

केनरा बैंक के शेयरों / प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1 (4) (सी) के अनुसार, अधिनियम के प्रावधान बैंकिंग कंपनियों पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि जब तक उक्त प्रावधान बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के साथ असंगत हैं

SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31st, 2019

[Pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular: CIR/CFD/CMD1/27/2019 Dated: February, 08 2019]

To,
The Members,
CANARA BANK
112, J C Road, Town Hall,
Bengaluru,
Karnataka - 560 002

I have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate governance practices by **CANARA BANK**. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing my opinion thereon.

I have examined the books, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended, 31st March, 2019 and made available to me.

Canara Bank is governed under the following legislations, and as amended from time to time:

1. Banking Regulations Act, 1949
2. Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
3. The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970
4. Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000
5. Reserve Bank of India Act, 1934

The shares / securities of Canara Bank are listed with Stock Exchanges.

As per Section 1(4)(c) of the Companies Act, 2013, the provisions of the act shall apply to Banking companies, except in so far as the said provisions are inconsistent with the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)

केनरा बैंक द्वारा बनाए गए कार्यवृत्त पंजिका, फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड और मेरे अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, सचिवीय ऑडिट के संचालन के दौरान, मैं एतद्वारा रिपोर्ट करता हूँ कि, मेरी राय में, बैंक ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को कवर करते हुए, ऑडिट अवधि के दौरान, यहां उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी है कि बैंक के पास उचित तरीके से बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं, जिस तरह से और विषय में इसके बाद की गई रिपोर्टिंग:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और नियम बैंक के लिए लागू सीमा तक किए गए।
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और नियम बनाए गए
- (iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और उनमें विधिक निर्मित विनियम और उपनियम।
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और नियमों और विनियमों ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक कर दिया।
- (v) पैरा 3 में उपर्युक्त बैंकिंग विधान
- (vi) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी) के तहत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं और समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं।
 - क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदियां व्यापार का निषेध) विनियम, 2015
 - ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गमन) विनियम, 2009
 - ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014-समीक्षा अवधि के दौरान, बैंक ने 6 फरवरी, 2019 को, केनरा बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को ₹10/- प्रत्येक 2 करोड़ रुपये के शेयर जारी किए और आवंटित किए।
 - घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008

Based on my verification of the Minute books, forms and returns filed and other records maintained by Canara Bank and also the information provided by its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, I hereby report that, in my opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended 31st March, 2019, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder to the extent applicable to a Bank.
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the Rules made thereunder
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder.
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings.
- (v) Banking Legislations as mentioned above in Para 3
- (vi) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI) and as amended from time to time.
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014. During the review period, the Bank issued and allotted to eligible employees 2 Crore Equity Shares of ₹10/- each on 6th February, 2019, under the Canara Bank Employee Share Purchase Scheme.
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Issue and listing of debt Securities) Regulations, 2008



- ड) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एक निर्गमन और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ काम करने के बारे में
- च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) विनियम, 2015
- छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंकर्स) विनियम, 1992
- ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बैंकर टू इश्यू) विनियम, 1994
- झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011

- e) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client
- f) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
- g) The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992
- h) The Securities and Exchange Board of India (Banker to Issue) Regulations, 1994
- i) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

मैंने केनरा बैंक द्वारा अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केनरा बैंक द्वारा स्थापित प्रणालियों और तंत्रों की भी समीक्षा की है और निम्नलिखित प्रमुख प्रमुखों / समूहों के तहत वर्गीकृत किया गया है:

1. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872
2. अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
3. वेतन का भुगतान अधिनियम, 1936
4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
5. उपदान अधिनियम, 1972
6. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
7. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश), 1946
8. नियोक्ता भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
9. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, 1965
10. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
11. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (प्रतिबंध, निषेध, निवारण) अधिनियम 2013
12. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
13. दुकानों और स्थापना अधिनियम, 1953
14. ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926

"अन्य कानूनों" के बारे में, अन्य कानूनों के प्रावधान के अनुपालन के लिए उचित प्रणाली और तंत्र हैं।

I have also reviewed the systems and mechanisms established by the Canara Bank for ensuring compliances under other applicable Acts, Laws, Rules, Regulations, Guidelines to the extent applicable to Canara Bank and categorized under the following major heads / groups:

1. Indian Contract Act, 1872
2. Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
3. Payment of Wages Act, 1936.
4. The Minimum Wages Act, 1948
5. Payment of Gratuity Act, 1972
6. Industrial Disputes Act, 1947
7. Industrial Employment (Standing Orders), 1946
8. Employers Provident Fund and Misc. Provisions Act, 1952
9. The Payment of Bonus Act, 1965
10. The Negotiable Instrument Act, 1881
11. Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
12. Maternity Benefits Act, 1961
13. Shops and Establishment Act, 1953
14. Trade Union Act, 1926

Regarding "Other laws", there are proper systems and mechanisms in place for Compliance with the Provisions of Other laws.

मैंने बोर्ड मीटिंग्स और जनरल मीटिंग्स से संबंधित इंस्टीट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ़ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानकों के लागू होने वाले नियमों का अनुपालन भी किया है - बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 और अन्य लागू नियम, विनियम, परिपत्र, आरबीआई / भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और बोर्ड बैठक और सामान्य बैठक से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है।

मैं रिपोर्ट करता हूँ कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने उपरिलिखित लागू अन्य अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के बारे में कोई लेनदेन नहीं पाया गया:

- क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का डिलिस्टिंग) विनियम, 2009
- ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्बरीद) विनियम, 1998

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि

बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन बैंकिंग कंपनियों {उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण} अधिनियम, 1970 (संशोधित) की धारा 9 (3) और, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (संशोधित) कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र / शेयरधारक निदेशकों के उचित संतुलन के साथ के तहत किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

बैंक के मामलों का प्रबंधन और संचालन बोर्ड के बोर्ड और उसकी समितियों के माध्यम से किया जाता है।

- 1) लेखा परीक्षा समिति
- 2) सीएसआर समिति
- 3) नामांकन समिति
- 4) पारिश्रमिक समिति
- 5) प्रबंधन समिति
- 6) जोखिम प्रबंधन समिति
- 7) आस्ति देयता प्रबंधन समिति
- 8) हितधारक संबंध समिति

बोर्ड बैठक, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स अग्रिम रूप से

I have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) relating to Board Meetings and General Meetings - The Bank is complying with the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and other applicable rules, regulations, circulars, notification issued by RBI / GOI relating to Board Meeting and General Meetings.

I report that during the period under review, the Bank has complied with the provisions of the applicable Other Acts, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above.

During the period under review, no transactions were observed relating to compliance with the provisions of the following Regulations:

- a) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009
- b) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998

I further report that

The Board of Directors of the Bank is duly constituted under Section 9(3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of Undertaking} Act, 1970 (as amended) and, Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970 (as amended) with proper balance of executive Directors, Non-Executive Directors and Independent / Shareholder Directors. The changes in the composition of Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the relevant acts.

The affairs of the Bank are managed / governed through the Board and its Committees of the Board.

- 1) Audit Committee
- 2) CSR Committee
- 3) Nomination Committee
- 4) Remuneration Committee
- 5) Management Committee
- 6) Risk Management Committee
- 7) Asset Liability Management Committee
- 8) Stakeholders Relationship Committee

Adequate notice is given to all Directors to schedule the

भेजने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, और बैठक से पहले और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए कार्यसूची मद पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

निर्णय बहुमत के माध्यम से लिए जाते हैं जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचार नोट किए जाते हैं और इन्हें कार्यवृत्त के रूप में दर्ज किया जाता है।

Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda are sent in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority Decisions is carried through while dissenting members views are captured and recorded as part of the minutes.

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 15 / मई / 2019

एस विश्वनाथन
कंपनी सचिव पेशेवर
एसीएस सं : 5284
सीपी सं : 5284

S.Viswanathan
Practicing Company Secretary
ACS No: 5284
CP No: 5284
Place : Bengaluru
Date : 15 / May / 2019

अनुबंध क

सेवा में,
सदस्य,
केनरा बैंक

इस तिथि की मेरी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

- 1) सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी मेरी ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
- 2) मैंने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रिया का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं। मेरा मानना है कि प्रक्रिया और प्रथा, जिनका मैंने पालन किया है मुझे अपनी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान किया है।
- 3) मैंने बैंक के खातों के वित्तीय रिकॉर्ड और पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
- 4) जहाँ भी आवश्यक हो, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
- 5) कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
- 6) सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के साथ, जिसके लिए प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 15 / मई / 2019

एस विश्वनाथन
कंपनी सचिव पेशेवर
एसीएस सं : 5284
सीपी सं : 5284

Annexure A

To,
The Members,
CANARA BANK

My report of even date is to be read along with this letter.

- 1) Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. My responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on my audit.
- 2) I have followed the audit practices and process to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. I believe that the process and practices, I followed provide a reasonable basis for my opinion.
- 3) I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.
- 4) Wherever required, I have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.
- 5) The compliance of the Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. My examination was limited to the verification of procedure on test basis.
- 6) The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Place : Bengaluru
Date : 15 / May / 2019

S Viswanathan
Practicing Company Secretary
ACS No: 5284
CP No: 5284

कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट-2018-19

(सूचीकरण समझौता के खंड 55 के अंतर्गत)

भाग क : बैंक की सामान्य जानकारी

1. कंपनी का कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):
2. कंपनी का नाम: केनरा बैंक
3. पंजीकृत पता: केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बंगलूर - 560 002
4. वेबसाइट: www.canarabank.com
5. ई-मेल आई डी: eds crt2@canarabank.com
6. सूचित वित्तीय वर्ष: 2018-19
7. क्षेत्र जिसमें कंपनी कार्यरत है (उद्योग क्रियाकलाप कूट वार): वित्तीय सेवाएं, मुख्य रूप से बैंकिंग।
8. कंपनी द्वारा उत्पादित / प्रदान किए जा रहे तीन मुख्य उत्पाद / सेवाएं (यथा तुलन पत्र के अनुसार): 1. थोक बैंकिंग 2. खुदरा बैंकिंग 3. ग्रामीण व कृषि बैंकिंग।
9. कंपनी द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां करने वाले स्थानों की कुल संख्या:
 - i. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (मुख्य 5 का विवरण प्रदान करें)
लंदन, (यूनाइटेड किंगडम), हांगकांग (हांगकांग), न्यूयॉर्क (सं.रा.अ), दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई, जोहांसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका)
 - ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या: 6310
10. कंपनी द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराने का बाजार - अंतरराष्ट्रीय
उपयुक्त बिन्दु संख्या 9 (i) के तहत उल्लिखित स्थानों के अलावा, बैंक ने शारजाह, यूएई में एक प्रतिनिधि कार्यालय, मॉस्को, रूस में एसबीआई के साथ संयुक्त उद्यम बैंक, अर्थात् कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया,एलएलसी और दार-एस-सलाम, तंजानिया में पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी अर्थात् केनरा बैंक तंजानिया लि. (सीबीटीएल)

भाग ख : कंपनी का वित्तीय विवरण

1. प्रदत्त पूंजी (भा.मु.): ₹753.24 करोड़
2. कुल कारोबार / कुल व्यापार (भा. मु.): ₹10,26,760.55 करोड़ - कुल जमा: ₹5,99,033.28 करोड़ + निवल अग्रिम: ₹4,27,727.27 करोड़।
3. कर पश्चात कुल लाभ : ₹347.02 करोड़ एकल
4. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च: मंजूरीकृत परियोजना: ₹23.88 करोड़, उपयोग: ₹23.62 करोड़.

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT- 2018-19

(Under Clause 55 of Listing Agreement)

Section A: General Information about the Bank

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company:
2. Name of the Company: Canara Bank
3. Registered Address: Canara Bank, Head Office, 112, J C Road, Bengaluru : 560 002
4. Website: www.canarabank.com
5. E-mail id: eds crt2@canarabank.com
6. Financial Year Reported: 2018-19
7. Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise): Financial Services, mainly banking.
8. List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet): 1. Wholesale Banking 2. Retail Banking 3. Rural and Agri-Banking.
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company:
 - i. Number of International Locations (Provide details of major 5)
London (United Kingdom), Hong Kong (Hong Kong), New York (USA), Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai., Johannesburg (South Africa).
 - ii. Number of National Locations: 6310
10. Markets served by the Company - International
Besides locations mentioned under Point No.9 (i) above, the Bank has a Representative Office at Sharjah, UAE, a Joint Venture Bank with SBI in Moscow, Russia, viz., Commercial Bank of India, LLC and a wholly owned subsidiary at Dar-es-salaam, Tanzania, viz. Canara Bank Tanzania Ltd (CBTL).

Section B: Financial Details of the Company

1. Paid up Capital (INR): ₹ 753.24 Crores
2. Total Turnover/Total Business (INR): ₹10,26,760.55 Crores-Total Deposits: ₹5,99,033.28 Crores + Net Advances: ₹4,27,727.27 Crores.
3. Total Profit after taxes : ₹347.02 Crores Stand alone
4. Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) Sanctioned projects: ₹23.88 Crores, Utilized: ₹23.62 Crores.

5. 2018-19 के दौरान सीएसआर के तहत मंजूर गतिविधियों की सूची: वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर के तहत निधियों की क्षेत्रवार मंजूर / उपयोग गतिविधियों की सूची: समेकन (लाखों ₹ में)

क्र. सं.	गतिविधि	मंजूर राशि	प्रयुक्त राशि
क	शिक्षा	403.88	398.87
ख	स्वास्थ्य	97.89	91.11
ग	गरीबी और पोषण	29.14	29.14
घ	कौशल विकास	1379.45	1379.45
ङ	स्वच्छ भारत	27.96	13.60
च	पर्यावरण सुरक्षा	5.50	5.24
छ	ग्रामीण विकास	52.79	52.23
ज	महिला सशक्तिकरण	37.44	37.44
झ	वित्तीय साक्षरता	327.14	327.14
ञ	खेल, दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) एवं अन्य गतिविधियां	27.56	27.56
	कुल	2388.75	2361.78

स्वीकृत सीएसआर परियोजनाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण:

(क) शिक्षा क्षेत्र (₹ लाखों में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	केनरा बैंक की ग्रामीण, अर्द्धशहरी, शहरी शाखाएं	सरकारी विद्यालयों की कक्षा 5 से 10वीं तक मेरीट में आने वाली एससी एसटी की छात्राओं के लिए - केनरा विद्याज्योति छात्रवृत्ति	347.71	347.71
2	संत पॉल मिशन स्कूल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	कक्षा कक्ष का पुस्तकालय सय ऑडियो विजुअल कक्ष के रूप में नवीनीकरण	11.49	11.49
3	मुंडेरी जीएचएसएस फर्नीचर त्रिवेंद्रम, केरल	स्कूल फर्नीचर	4.00	4.00
4	मै. सेंटेंनरी चैरीटेबल ट्रस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु	तीन राजकीय विद्यालयों में ई-लर्निंग सुविधा	2.79	2.79

5. List of activities sanctioned under CSR during 2018-19: Sector wise sanction / utilization of funds under CSR during the financial year 2018-19: Consolidation (₹ in lakhs)

Sl. No.	Activity	Amount sanctioned	Amount utilized
a	Education	403.88	398.87
b	Health	97.89	91.11
c	Poverty & Nutrition	29.14	29.14
d	Skill Development	1379.45	1379.45
e	Swatch Bharat	27.96	13.60
f	Environment Protection	5.50	5.24
g	Rural Development	52.79	52.23
h	Women Empowerment	37.44	37.44
i	Financial Literacy	327.14	327.14
j	Sports, Persons with Disability (PWD) & others activities	27.56	27.56
	Total	2388.75	2361.78

Sector wise classification of CSR projects sanctioned:

(a) Education Sector (₹ in lakh)

Sl No	Name of Donee/ organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized
1	Rural, Semi Urban & Urban Branches of Canara Bank	Canara Vidyajyothi Scholarship to meritorious SC-ST girl students- V to X std of Government Schools	347.71	347.71
2	St. Paul's Mission School, Kolkata, West Bengal	Renovation of class room to library cum audio visual room	11.49	11.49
3	Munderi GHSS Furniture Trivandrum, Kerala	School Furniture	4.00	4.00
4	M/s Centenary Charitable Trust, Chennai, Tamilnadu	E-learning facility in three Government schools	2.79	2.79



5	श्री दुर्गापरमेश्वरी प्रौढशाला, शकटपुरम, बंदीगडी, कोप्पा तालुक कर्नाटक	मूलभूत सुविधाएं - कक्षा कक्ष, हॉल एवं प्रसाधन	2.00	2.00
6	राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक स्कूल, नागशेट्टी हल्ली बेंगलूरु, कर्नाटक	नलीकली योजना - कक्षा कक्षों के लिए डेस्क के साथ बेंच	1.95	1.95
7	राजकीय प्राथमिक स्कूल, सिंगापुरा, विद्यारण्यपुरा, कर्नाटक	कक्षा कक्षों के लिए बेंच	1.95	1.95
8	राजकीय उच्च विद्यालय, डेहरा गांव, हरियाणा	उपयोगी वस्तुएं	1.65	1.65
9	राजकीय उच्च विद्यालय, होन्नगनहट्टी, मागडी रोड, बेंगलूरु	स्कूल फर्नीचर	1.57	1.57
10	राजकीय प्रथम श्रेणी कन्या महाविद्यालय, मलेश्वरम, 13वां क्रॉस, बेंगलूरु, कर्नाटक	स्कूल फर्नीचर	1.53	1.53
11	क्वैद मिलेथ कॉलेज फॉर मैन. चेन्नई, तमिलनाडु	200 छात्रों का कॉलेज शुल्क	1.51	1.51
12	स्कूल स्टूडेंट्स वर्कला त्रिवेंद्रम, केरल	हरित प्रोटोकॉल पहल के लिए प्रचार कार्यक्रम	1.36	1.36
13	राजकीय विद्यालय, तेवरम, मदुरै, तमिलनाडु	राजकीय विद्यालय, तेवरम के लिए मेज एवं अन्य फर्नीचर	1.25	1.25
14	राजकीय विद्यालय, कुट्टीचल त्रिवेंद्रम, केरल	स्कूल फर्नीचर	1.20	1.20

5	Shri Durga parameswari Proudashala, Shakataparam, Bandigadi, Koppa Taluk Karnataka	Infrastructural facilities-Class rooms, hall & Toilets	2.00	2.00
6	Govt. Model Higher Primary School, Nagashetty Halli Bangalore, Karnataka	Nalikali scheme- Desks with Benches for class rooms	1.95	1.95
7	Govt. Primary School, Singapura, Vidyaranyapura, Karnataka	Benches for class rooms	1.95	1.95
8	Govt. High school, Dehra village Haryana	Utility items	1.65	1.65
9	Govt. High School, Honnaganahatti, Magadi Road, Bangalore	School Furniture	1.57	1.57
10	Govt. 1st Grade Girls College, Malleswaram, 13th Cross, Bangalore, Karnataka	School Furniture	1.53	1.53
11	Quaide Milleth College for Men Chennai, Tamilnadu	College fees to 200 students	1.51	1.51
12	School Students Varkala Trivandrum, Kerala	Promotion programme for Green Protocol initiatives	1.36	1.36
13	The Govt. School, Thevaram Madurai, Tamilnadu	Table and other furniture to Govt. School, Thevaram	1.25	1.25
14	Govt. School, Kuttichal Trivandrum, Kerala	School Furniture	1.20	1.20

15	मूंगावरी फाउंडेशन चेन्नई, तमिलनाडु	अल्प सुविधा प्राप्त विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन शुल्क	1.00	1.00
16	शिक्षा क्षेत्र के तहत केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं/क्षेत्रों/अं.का में सीएसआर गतिविधियां	पुस्तकें, स्कूल बैग, फर्नीचर, यूनिफॉर्म इत्यादि	20.92	20.92
	कुल		403.88	398.87

(ख) स्वास्थ्य क्षेत्र

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	श्री जयदेवा इन्सिट्यूट ऑफ कार्डियो वस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च, बेंगलूरु, कर्नाटक	हाइ - टेक एंबुलेंस	28.00	28.00
2	आरडीटी अस्पताल, अनंतपुर, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	आरडीटी अस्पताल के चिकित्सा उपकरण।	14.29	14.29
3	जिला प्रशासन, वायनाड, केरल	जिला कैंसर केंद्र नैल्लोरनाड, वायनाड, केरल को एंबुलेंस	8.77	8.77
4	राजीव गांधी बायोटेक्नोलॉजी केंद्र, त्रिवेंद्रम, केरल	राजीव गांधी बायोटेक्नोलॉजी केंद्र को 2 इको मारुति वैन	6.81	6.81
5	राजकीय विद्यालय, सिलीगुड़ी सिक्किम	सैनीटरी नेपकीन वेंडिंग मशीन और भस्मक का इंस्टॉलेशन	5.32	5.32
6	स्विस एम्मौस लेप्रोसी रिलीफ वर्क इंडिया, चेन्नई, तमिलनाडु	कुष्ठ रोगियों के लिए पुनर्निर्माण सर्जरी।	3.83	3.83
7	स्माइल केयर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, विशाखपट्टनम, आंध्र प्रदेश	गरीब बच्चों की क्लेफ्ट एवं पैलेट सर्जरी	2.00	2.00

15	Mungavari Foundation Chennai, Tamilnadu	Tuition Fees for Less privileged students	1.00	1.00
16	CSR Activities at various Branches/ ROs/ COs of Canara Bank under Education Sector	Books, school bags, Furniture, Uniforms etc.	20.92	20.92
	Total		403.88	398.87

(b) Health Sector

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee / organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized
1	Sri Jayadeva Institute of Cardio Vascular Sciences & Research, Bengaluru, Karnataka	Hi Tech Ambulance	28.00	28.00
2	RDT Hospital, Ananthpur Vijayawada, Andhra Pradesh	Medical Equipment of RDT Hospital	14.29	14.29
3	The Dist. Administration, Wayanad, Kerala	Ambulance to Dist. Cancer Centre Nallorenad, Wayanad, Kerala	8.77	8.77
4	Rajiv Gandhi Centre of Biotechnology Trivandrum, Kerala	2 Eco-Maruti Vans for Rajiv Gandhi Centre of Biotechnology	6.81	6.81
5	Govt. Schools in Siliguri Sikkim	Installation of Sanitary Napkin Vending Machines and Incinerators	5.32	5.32
6	Swiss Emmaus Leprosy Relief Work India, Chennai, Tamilnadu	Reconstructive Surgery for Leprosy Patients	3.83	3.83
7	Smile Care Multi Specialty Hospitals, Vishakhapatnam Andhra Pradesh	Cleft & Palate Surgeries to Poor Children	2.00	2.00



8	केनकेयर फाउंडेशन, चेन्नई, तमिलनाडु	अल्प सुविधाप्राप्त कैंसर रोगियों को उपचार खर्च	2.00	2.00
9	इडागुंजी महागणपति मंदिर, मंगलूर, कर्नाटक	जल शोधक एवं प्रशीतन इकाई	1.98	1.98
10	राजकीय विद्यालय, मदुरै तमिलनाडु	नैपकीन डिस्ट्रॉयर मशीनें	1.91	1.91
11	मारिया रानि शांती विद्यानिकेतन, हैदराबाद तेलंगाना	आर ओ जल संयंत्र	1.48	1.48
12	नबादिगंटा गांव दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	जल शोधक प्लांट	1.44	1.44
13	जेड पी हाई स्कूल, कोथली, आंध्र प्रदेश	आर ओ जल शोधक प्लांट भेंट	1.06	1.06
14	स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं/क्षे. का/अं.का में सीएसआर गतिविधियां	विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं को संबल	19.00	12.22
	कुल		97.89	91.11

8	Cancare Foundation, Chennai, Tamilnadu	Treatment expenses to less privileged cancer patients	2.00	2.00
9	Idagunji Mahaganapathi Temple, Mangaluru Karnataka	Water Filter and Cooling Unit	1.98	1.98
10	Govt. Schools, Madurai Tamilnadu	Napkin Destroyer Machines	1.91	1.91
11	Maria Rani Shanthi Vidyanikethan, Hyderabad Telangana	R O Water Plant	1.48	1.48
12	Nabadiganta Village Durgapur, West Bengal	Water Purification Plant	1.44	1.44
13	ZP High School, Konthali, Andhra Pradesh	Donation of R O Water Purifier Plant	1.06	1.06
14	CSR Activities at various Branches/ ROs/ COs of Canara Bank under Health Sector	Support to various Health Projects	19.00	12.22
	Total		97.89	91.11

(ग) गरीबी और पोषण

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	मै. अदम्य चेतना जयपुर राजस्थान	रोटी बनाने वाली मशीन - स्कूली बच्चों के लिए राजस्थान किचन	15.00	15.00
2	अंचल कार्यालय, त्रिवेंद्रम, केरल	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों के लिए सामग्री	2.00	2.00
3	अंचल कार्यालय, त्रिवेंद्रम, केरल	बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं	1.5	1.5

(c) Poverty & Nutrition:

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee/ organised by	Purpose	Amount Sanctioned	Amount Utilised
1	M/s Adanya Chethana Jaipur Rajasthan	Roti Making Machine-Rajasthan Kitchen for school children	15.00	15.00
2	Circle Office, Trivandrum Kerala	Materials to relief camps in flood affected areas	2.00	2.00
3	Circle Office, Trivandrum Kerala	Food and other essential items to flood affected people	1.5	1.5



4	अंचल कार्यालय, त्रिवेंद्रम, केरल	बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं	1.5	1.5
5	अंचल कार्यालय, त्रिवेंद्रम, केरल	बाढ़ राहत गतिविधियाँ	1.3	1.3
6	त्रिपुनितुरा नगरपालिका, त्रिवेंद्रम, केरल	निराश्रित व्यक्तियों को भोजन	1.00	1.00
7	सन्मति बाल निकेतन महाराष्ट्र	अनाथालय को लड़कियों के लिए आवश्यक वस्तुएं	1.00	1.00
8	गरीबी और पोषण क्षेत्र के तहत केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं/क्षे. का/अं.का में सीएसआर गतिविधियाँ	वंचितों के लिए जल शोधक, कपड़े, रेफ्रिजरेटर्स इत्यादि	5.84	5.84
	कुल		29.14	29.14

4	Circle Office, Trivandrum Kerala	Providing food and other essential items to flood affected people	1.5	1.5
5	Circle Office, Trivandrum Kerala	Flood Relief Activities	1.3	1.3
6	Tripunithura Municipality Trivandrum Kerala	Food to Destitute persons	1.00	1.00
7	Sanmati Bal Niketan Maharashtra	Essential items to orphanage for girls	1.00	1.00
8	CSR Activities at various Branches/ ROs/ COs of Canara Bank under Poverty & Nutrition Sector	Water Filters, Clothes, Refrigerators etc. for under privileged	5.84	5.84
	Total		29.14	29.14

(घ) कौशल विकास

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	केनरा बैंक सेंटेनरी ग्रामीण विकास ट्रस्ट (सीबीसीआरडीटी)	पूरे भारत में 23 आरसेटी, 3 कारीगर प्रशिक्षण संस्थान और 5 सीबीआईआईटी के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण तथा एटा, कासगंज, थेनी और डिंडीगल में आरसेटी भवनों का निर्माण व्यय	887.45	887.45

(d) Skill Development

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee/ organised by	Purpose	Amount Sanctioned	Amount Utilised
1	Canara Bank Centenary Rural Development Trust (CBCRDT)	Skill Development training through 23 RSETIs, 3 Artisan Training Institutes and 5 CBIITs all over India and Construction expenses of RSETI Buildings at Etah, Kasganj, Theni & Dindigul	887.45	887.45



2	ग्रामीण विकास व स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रुडसेटी)	पूरे भारत में 27 रुडसेटी के कौशल विकास प्रशिक्षण व्यय	425.00	425.00
3	देशपांडे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (डी-आरसेटी), हलियाल	कौशल विकास प्रशिक्षण व्यय	50.00	50.00
4	बैंकर्स इंस्टिट्यूट ऑफ ग्रामीण एवं उद्यमिता विकास (बीआईआरडीडी)	कौशल विकास प्रशिक्षण व्यय	17.00	17.00
	कुल		1379.45	1379.45

2	Rural Development & Self Employment Training Institute (RUDSETI)	Skill Development training expenditure of all 27 RUDSETIs all over India	425.00	425.00
3	Deshpande Rural Self Employment Training Institute (D-RSETI), Haliyal	Skill Development training expenditure	50.00	50.00
4	Bankers Institute of Rural and Entrepreneurship Dev (BIREED)	Skill Development training expenditure	17.00	17.00
	Total		1379.45	1379.45

(ड) स्वच्छ भारत

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	हरित केरलम मिशन त्रिवेंद्रम, केरल	बाढ़ प्रभावित सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए हार्ड प्रेशर वॉशर	3.00	3.00
2	तमिलनाडु यू आई डी कॉर्प चेन्नई, तमिलनाडु	शौचालयों का निर्माण	2.94	2.94
3	प्राथमिक स्कूल, अर्दली बाजार, नगर क्षेत्र, वाराणसी, उ.प्र.	शौचालयों का नवीकरण	1.58	1.58
4	महारोगी सेवा समिति पुणे, महाराष्ट्र	जैविक शौचालय खंडों का निर्माण	1.50	1.50
5	होसुर नगरपालिका तमिलनाडु	अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बैटरी-संचालित वाहन	1.45	1.45
6	मै. मैरी माता वृद्धाश्रम, विजयवाड़ा, आ. प्र.	फर्श का प्रतिस्थापन	1.20	1.20

(e) Swachh Bharat

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee/ organised by	Purpose	Amount Sanctioned	Amount Utilised
1	Haritha Keralam Mission Trivandrum, Kerala	High Pressure Washer for cleaning of flood affected public places	3.00	3.00
2	Tamilnadu U I D Corp. Chennai, Tamilnadu	Construction of Toilets	2.94	2.94
3	Primary School. Orderly Bazar, Nagar Chetra Varanasi, U.P.	Renovation of Toilets	1.58	1.58
4	Maharogi Seva Samiti Pune, Maharashtra	Construction of Bio Toilet Blocks	1.50	1.50
5	Hosur Municipality Tamilnadu	Battery-operated Vehicle for Waste Management	1.45	1.45
6	M/s Mary Matha Home for Aged, Vijayawada, Andhra Pradesh	Replacement of Flooring	1.20	1.20

7	सदन कन्या विद्यालय, हदपसर	सदन कन्या विद्यालय में शौचलयों का नवीकरण	1.01	1.01
8	इनर व्हील क्लब ऑफ मूडबिदरी, मंगलूर, कर्नाटक	पलाडका गांव, उडुपी में 5 शौचालयों का निर्माण	1.00	
9	कोमारपाल्यम नगरपालिका, तमिलनाडु	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मशीनें	12.98	
10	स्वच्छ भारत क्षेत्र के तहत केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं/ क्षेत्रों/ अं.का में सीएसआर गतिविधियां	विभिन्न स्वच्छ भारत परियोजनाएं	1.30	0.92
	कुल		27.96	13.60

7	Sadana Kanya Vidyalaya, Hadapsar	Renovation of Toilets at Sadhana Kanya Vidyalaya	1.01	1.01
8	Inner Wheel Club of Moodabidiri, Mangaluru, Karnataka	Construction of 5 toilets in Paladaka Village Udupi	1.00	
9	Komarapalyam Municipality, Tamilnadu	Machineries for Solid Waste Management	12.98	
10	CSR Activities at various Branches/ ROs/ COs of Canara Bank under Swacch Bharat	Various Swacch Bharat Projects	1.30	0.92
	Total		27.96	13.60

(च) पर्यावरण सुरक्षा क्षेत्र (₹ लाखों में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	अंचल कार्यालय, करनाल, हरियाणा	डेहरा गांव, पानीपत में सोलर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना, ट्री गार्ड्स के लिए वित्तीय सहायता	2.76	2.76
2	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, तमिलनाडु	वृक्षारोपण	1.90	1.90
3	पर्यावरण सुरक्षा क्षेत्र के तहत केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं / क्षेत्रों / अं.का में सीएसआर गतिविधियां	पर्यावरण संरक्षण गतिविधियां	0.84	0.58
	कुल		5.50	5.24

(f) Environment Protection Sector (₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee/ organised by	Purpose	Amount Sanctioned	Amount Utilised
1	Circle Office, Karnal Haryana	Financial assistance towards installation of solar street lights, tree guards at Dehra Village, Panipat	2.76	2.76
2	National Institute of Oceanography, Tamilnadu	Tree Planting	1.90	1.90
3	CSR Activities at various Branches / RO/ CO of Canara Bank under Environment Protection Sector	Environment protection activities	0.84	0.58
	Total		5.50	5.24



(छ) ग्रामीण विकास क्षेत्र (₹ लाखों में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	राजीव गांधी ग्रामीण आवास निगम बेंगलूरु, कर्नाटक	चौपहिया वाहन	23.13	23.13
2	मुल्की सुंदर राम शेट्टी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, मंगलूर, कर्नाटक	सम्मेलन केंद्र का निर्माण	7.00	7.00
3	कोडगु निर्मिति केंद्र, कर्नाटक	परित्यक्त नवजात शिशुओं के लिए पालना गृह का निर्माण और बच्चों के खेल के मैदान का रखरखाव, राजा सीट के पास, मडिकेरी	5.00	5.00
4	मैजिकल साइंसेज अकादमी, आर्टिस्ट ग्राम, कषकुट्टम, त्रिवेंद्रम, केरल	स्ट्रीट मैजिशियंस के लिए आर्टिस्ट ग्राम, कषकुट्टम में घर का निर्माण (2017-18 में ₹7.70 लाख मंजूर, अंतिम किश्त जारी)	4.20	4.20
5	श्री राम भजन मंदिर हाल, उजिरे, मंगलूर, कर्नाटक	20 केवी का जनरेटर खरीदने हेतु वित्तीय सहायता	2.00	2.00
6	गोरवनहल्ली महालक्ष्मी मंदिर, तुमकुर, कर्नाटक	कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य उपकरण	1.95	1.95
7	ग्रामीण विकास क्षेत्र के तहत केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं / क्षेत्रों / अंका में सीएसआर गतिविधियां	विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम	9.51	8.95
	कुल		52.79	52.23

(g) Rural Development Sector (₹ in lakh)

SI No.	Name of Donee/organised by	Purpose	Amount Sanctioned	Amount utilized
1	Rajiv Gandhi Rural Housing Corporation Bengaluru, Karnataka	Four Wheeler Vehicle	23.13	23.13
2	Mulki Sunder Ram Shetty Memorial Charitable Trust Mangaluru Karnataka	Construction of Convention Centre	7.00	7.00
3	Kodagu Nirmithi Kendra, Karnataka	Construction of Cradle for abandoned new born children and maintenance of Children's Play Ground, Near Raja Seat, Madikeri	5.00	5.00
4	The Academy of Magical Sciences, Artiste Village, Kazhakkuttam Trivandrum Kerala	Construction of House at Artiste Village at Kazhakkuttam for Street Magicians (₹7.70 lakhs sanctioned in 2017-18; release of last installment)	4.20	4.20
5	Sri Rama Bhajana Mandir Hall, Ujire, Mangaluru Karnataka	Financial Assistance for purchase of 20 KW Generator	2.00	2.00
6	Goravanahalli Mahalakshmi Temple, Tumakuru, Karnataka	Computer, Printer and other Accessories	1.95	1.95
7	CSR Activities at various Branches / ROs / COs of Canara Bank under Rural Development Sector	Various Rural Development Programmes	9.51	8.95
	Total		52.79	52.23

(ज) महिला सशक्तिकरण (₹ लाखों में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	अंचल कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय के सीईडी कक्ष द्वारा आयोजित कार्यक्रम	महिला उद्यमिता, कौशल प्रशिक्षण, विपणन सहायता हेतु कार्यक्रम - केन बाजार, इत्यादि	37.44	37.44
	कुल		37.44	37.44

(झ) वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (₹ लाखों में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	मै. केनरा फिनेंशियल एडवाइजरी ट्रस्ट / लिटरेसी सेंटर	केनरा बैंक के वित्तीय साक्षरता केंद्रों के माध्यम से विभिन्न वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम	327.14	327.14
	कुल		327.14	327.14

(ञ) खेल, दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) एवं अन्य क्षेत्र (₹ लाखों में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, चेन्नई	पुलिस हेड क्वार्टर परिसर में कैटीन के लिए फर्नीचर	6.18	6.18
2	ईडीआईआई, अहमदाबाद	कौशल विकास प्रशिक्षण	5.00	5.00
3	एकदक्ष, चेन्नई, तमिलनाडु	मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए स्कूल में सहायता	2.00	2.00
4	अं.का. दिल्ली, देहरादून, उत्तराखंड	सीडीओ, देहरादून, सरकारी विभाग को भेंट	1.62	1.62

(h) Women Empowerment (₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee/organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized
1	Programmes conducted by CED Cells at CO & HO	Programmes towards Women Entrepreneurship, Skill Training, Marketing Assistance - Can Bazaars, etc.	37.44	37.44
	Total		37.44	37.44

(i) Financial Literacy Programmes (₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee/organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized.
1	M/s Canara Financial Advisory Trust / Literacy Centers	Various Financial Literacy Programmes through Financial Literacy Centers of Canara Bank	327.14	327.14
	Total		327.14	327.14

(j) Sports, Divyang (PwD) & Other Sectors (₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee/organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized.
1	Additional Director General of Police, Chennai	Furniture to canteen in Police Headquarters premises	6.18	6.18
2	EDII, Ahmedabad	Skill Development Training	5.00	5.00
3	Ekadaksha, Chennai, Tamilnadu	Assistance to school for mentally retarded children	2.00	2.00
4	CO Delhi, Dehradun, Uttarakand	Donation to CDO, Dehradun a Govt. Dept.	1.62	1.62



5	तालुक कार्यालय, रामनगरम, कर्नाटक	तालुक कार्यालय के लिए 4 कंप्यूटर भेंट	1.40	1.40
6	मैसर्स स्नेहदीप ट्रस्ट, बेंगलूरु, कर्नाटक	नेत्रहीन प्रतिभागियों को बैग	1.06	1.06
7	मारिया भवन अनाथालय और विद्याज्योति छात्रावास, मैंगलोर, कर्नाटक	अल्प सुविधाप्राप्त अंतःवासियों को मूलभूत सुविधाएं	1.00	1.00
8	नेत्रहीन लोगों के लिए एनएसडी इंडस्ट्रियल होम, मुम्बई, महाराष्ट्र	दृष्टिबाधितों को व्यावसायिक प्रशिक्षण	0.82	0.82
9	उमंग बाल विकास, पटना, बिहार	अक्षम विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य साधन	0.37	0.37
10	खेल एवं अन्य गतिविधियां क्षेत्र के तहत केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं / क्षे. का/अं.का में सीएसआर गतिविधियां	खेलों का समर्थन, विकलांगता वाले व्यक्ति और अन्य गतिविधियाँ	8.11	8.11
	कुल		27.56	27.56

5	The Taluk Office, Ramanagaram, Karnataka	Sponsor of 4 computers to the Taluk Office	1.40	1.40
6	M/s Snehadeep Trust, Bengaluru, Karnataka	Bags to Blind Participants	1.06	1.06
7	Maria Bhavan Orphanage & Vidyajyothi Hostel, Mangaluru, Karnataka	Basic amenities for less privileged inmates	1.00	1.00
8	NSD Industrial Home for Blind, Mumbai, Maharashtra	Vocational Training to visually impaired	0.82	0.82
9	Umang Bal Vikash, Patna, Bihar	Audio Visual Instrument to disabled students	0.37	0.37
10	CSR Activities at various Branches / RO/ CO of Canara Bank under Sports & Other Activities Sector	Support to Sports, Persons with Disability & Other Activities	8.11	8.11
	Total		27.56	27.56

भाग ग: अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी / कंपनियां हैं?

हां, कंपनी की सात घरेलू अनुषंगियां, अंतर्राष्ट्रीय पंहुच के संबंध में, बैंक का एसबीआई के साथ एक संयुक्त उद्यम अर्थात् कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी है और पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी, केनरा बैंक तंजानिया लि. (सीबीटीएल) दार-एस-सलाम, तंजानिया में है।

क) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.

ख) केनबैंक फैक्टर लि.

ग) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि.

Section C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company / Companies?

Yes. The Company has seven domestic subsidiaries, Regarding overseas presence, Bank has one Joint Venture with SBI viz: Commercial Bank of India LLC, in Moscow and a Wholly Owned Subsidiary, Canara Bank Tanzania Ltd. (CBTL) at Dar-es-Salaam, Tanzania.

a) Canbank Venture Capital Fund Ltd.

b) Canbank Factors Ltd.

c) Canara Bank Securities Ltd.

- घ) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लि.
 ड) केनबैंक फाइनेंसियल सर्विसेज़ लि.
 च) केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि.
 छ) केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ़ इन्श्यूरेंस कंपनी लि.
 ज) केन फिन होम्स लि. (सहयोगी कंपनी)
 झ) एसबीआई के साथ मॉस्को में कॉमर्शियल बैंक ऑफ़ इंडिया एलएलसी (संयुक्त उद्यम)
 ञ) दार-एस सलाम, तंजानिया में पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी, केनरा बैंक तंजानिया लि. (सीबीटीएल)

2. क्या अनुषंगी कंपनी / कंपनियां बीआर पहल में मूल कंपनी के साथ भाग लेती हैं? यदि हाँ हो ऐसी अनुषंगी(यों) की संख्या दें

हाँ, एक अनुषंगी – केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ़ इन्श्यूरेंस कंपनी लि. बीआर पहल में भाग लेती है।

3. क्या अन्य संस्था/संस्थाएं (यानी आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कि कंपनी के साथ कारोबार करते हैं, बी आर पहल में भाग लेते हैं? यदि हां तो ऐसी संस्था / संस्थाओं का प्रतिशत दर्शाएं (30% से कम, 30-60%, 60% से ज्यादा)।

शून्य

भाग घ: कारोबार उत्तरदायित्व सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक / कों का विवरण

क) बीआर पॉलिसी / पॉलिसियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों का विवरण:

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू है तो)	06930826
2	नाम	ए. मणिमेखलई
3	पदनाम	कार्यपालक निदेशक

ख) बीआर प्रधान का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू है तो)	लागू नहीं
2.	नाम	के पलनिवेलु
3.	पदनाम	महा प्रबंधक
4.	दूरभाष संख्या	080-22236069
5.	ई-मेल आई डी	pcfifw@canarabank.com

- d) Canbank Computer Services Ltd.
 e) Canbank Financial Services Ltd.
 f) Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
 g) Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd.
 h) Canfin Homes Ltd., (Associate Company)
 i) Commercial Bank of India LLC, in Moscow in association with SBI (Joint Venture)
 j) Canara Bank Tanzania Ltd.(CBTL)at Dar-es-Salaam, Tanzania, a wholly-owned subsidiary

2. Do the Subsidiary Company / Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s).

Yes. One Subsidiary, viz., Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. is involved in BR initiatives.

3. Do any other entity / entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity / entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%].

Nil

Section D: BR Information

1. Details of Director / Directors responsible for BR

a) Details of the Director / Directors responsible for implementation of the BR policy / policies:

Sl. No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	06930826
2.	Name	A. Manimekhalai
3.	Designation	Executive Director

b) Details of the BR head

Sl. No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	Not Applicable
2.	Name	K Palanivelu
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	080-22236069
5.	e-mail id	pcfifw@canarabank.com

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर पॉलिसी / पॉलिसियां (हां / नहीं में उत्तर)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास पॉलिसी / पॉलिसियां के लिए ---- है .	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या पॉलिसी श्रेयरधारकों के परामर्श के साथ बनायी गयी है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या पॉलिसी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, बताएं (केवल 50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्या पॉलिसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हां तो क्या यह एमडी / सीईओ / उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या कंपनी पॉलिसी के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए बोर्ड / निदेशक / अधिकारी की कोई विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	पॉलिसी को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक दर्शाएं। \$	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7.	क्या पॉलिसी को सभी आंतरिक तथा बाह्य श्रेयरधारकों को सूचित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या कंपनी में पॉलिसी / पॉलिसियों को लागू करने के लिए आंतरिक व्यवस्था है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी में पॉलिसी / पॉलिसियों से संबंधित श्रेयरधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए पॉलिसी / पॉलिसियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षा / मूल्यांकन करवाया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

\$www.canarabank.com

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

S. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.	Do you have a policy / policies for...	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Does the policy conform to any National / International standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD / Owner / CEO / Appropriate Board Director.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Does the company have a specified committee of the Board / Director / Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9.	Does the Company has a grievance redressal mechanism related to the policy / policies to address stakeholders' grievances related to the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	Has the company carried out independent audit / evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

\$www.canarabank.com

2क) यदि क्र. सं 1 के किसी सिद्धांत का उत्तर “नहीं” है तो कृपया कारण बताएं (विकल्प 2 तक चिह्न लगाएं)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी सिद्धांत को नहीं समझ पाई									
2	कंपनी अभी उस स्थिति में नहीं है कि विशिष्ट सिद्धांत के लिए पॉलिसी बनाए व उसे लागू कर पाए।									
3	कंपनी के पास इस काम के लिए वित्तीय या मानवीय संसाधन नहीं है									
4	अगले 6 महीने में इसे करने की योजना है									
5	अगले 1 साल में इसे करने की योजना है									
6	अन्य कोई कारण (कृपया बताएं)									

2a. If answer to S.No.1 against any principle, is “No”, please explain why: (Tick up to 2 options)

S.No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The Company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within the next 1 year									
6	Any other reason (please specify)									

3. बीआर से संबंधित अभिज्ञासन

- कंपनी के बीआर के निष्पादन का निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कितने अंतराल पर आकलन किया जाता है। 3 महीने में, 3-6 महीने में, सालाना, एक साल से ज्यादा 3-6 महीने
- क्या कंपनी एक बीआर या स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए क्या हाइपरलिंक है? कितने अंतराल पर इसे प्रकाशित किया जाता है?
रिपोर्ट को वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है और www.canarabank.com/english/scripts/Annualreport.aspx हाइपर लिंक के तहत उपलब्ध कराया गया है।

भाग ड: सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1: कारोबार नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए तथा नियंत्रित हो

- क्या नैतिकता, रिश्तखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी पर ही प्रावित है? नहीं
क्या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर भी लागू है?

3. Governance related to BR

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year
3-6 months
- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?
The Report is published annually and made available under the hyperlink www.canarabank.com/english/scripts/Annualreport.aspx

Section E: Principle-wise Performance

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

- Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? No.
Does it extend to the Group / Joint Ventures / Suppliers / Contractors / NGOs / Others?



हाँ। बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित “कॉर्पोरेट प्रशासन नीति” है जो कि सभी श्रेयधारकों यानी जमाकर्ताओं, श्रेयधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को कॉर्पोरेट मूल्यों, आचार संहिताओं तथा अन्य उचित व्यवहार के मानकों का अनुसरण करते हुए सतत मूल्य का अनुकूलन करने के समग्र उद्देश्य के साथ तैयार की गयी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी अनुषंगियों पर भी लागू है।

बोर्ड की अनुमति से बैंक ने समूह जोखिम प्रबंधन (जीआरएम) पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के अंतर्गत अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम / और बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आते हैं।

जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के समय कुछेक स्टाफ के खातों की जांच की जाती है। स्टाफ खातों में ₹50,000/- से अधिक के लेनदेनों की निगरानी ऑफलाइन लेनदेन निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

बैंक में नियमित निरीक्षण (आरबीआईए) की प्रणाली है। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट आवधिकता पर शाखाओं / यूनिट / कार्यालयों की सूचना प्रणाली ऑडिट होती है। मासिक आधार पर चयनित शाखाओं/कार्यालयों की समवर्ती लेखापरीक्षा होती है।

2. विगत वित्तीय वर्ष में कितनी श्रेयधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन में से कितने प्रतिशत को प्रबंधन द्वारा संतुष्टिपूर्वक सुलझाया गया है? यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।

श्रेयधारक शिकायतें : वर्ष 2018-19 में बैंक ने श्रेयधारकों से 2322 अभ्यावेदन / शिकायतें प्राप्त की तथा सभी शिकायतों का निवारण संतुष्टिपूर्वक किया गया।

अधिकांश शिकायतें लाभांश प्राप्त नहीं होने से संबंधित है। इसका कारण संबंधित श्रेयधारक द्वारा अपने पते को अद्यतन नहीं करना है। शिकायतें दूर करते समय बैंक ने उनके पते अद्यतन करने, बैंक विवरण प्राप्त करने, ईसीएस अधिकार-पत्र (आवश्यक फार्म उपलब्ध कराकर) लेने जैसे कदम उठाए हैं ताकि दोबारा ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

Yes. The Bank is having a Board approved “Corporate Governance Policy”, which is drawn with an overall objective to optimize sustainable value to all stake holders viz., depositors, shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to corporate values, Codes of Conduct and other standards of appropriate behavior. The Corporate Governance Policy of the Bank extends to its subsidiaries also.

The Bank has put in place a Group Risk Management (GRM) Policy with the permission of the Board of the Bank. The GRM Policy of the Bank covers Subsidiaries/ Joint Ventures and the Regional Rural Banks sponsored by the Bank.

Scrutiny of staff accounts at random is undertaken at the time of RBIA (Risk Based Internal Audit) of the branches. The transactions above ₹50,000/- in staff accounts are monitored in Offline Transaction Monitoring system.

The Bank has a system of conducting regular inspection (RBIA) including Information System Audit at the branches / units / offices at specified periodical intervals. The Concurrent Audit of identified branches / offices is conducted on monthly basis.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Shareholders Complaints: The Bank received 2322 representations / grievances from Shareholders during 2018-19 and all the grievances have been resolved satisfactorily.

Majority of the representations is on account of non-receipt of Dividend Warrants. This is due to non-updation of the addresses by the concerned shareholders. While resolving the grievances, the Bank has been taking steps to update their addresses, bank details, ECS Mandate (by providing the necessary forms) so as to avoid recurrence of such instances.

ग्राहक शिकायतें: वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने 93100 शिकायतें प्राप्त की तथा 98.13% को संतुष्टिपूर्वक निपटारा किया। बैंक ने अपनी ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद / सेवाएं, उन्नत तकनीक, कर्मचारी प्रशिक्षण तथा ग्राहकों की पूछताछ का जवाब व ग्राहक शिकायतों को दूर करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

सिद्धांत 2: कारोबार ऐसे उत्पाद व सेवाएं उपलब्ध कराएं जो सुरक्षित हों तथा अपने जीवन चक्र में स्थिरता बनाए रखें।

1. अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरण चिंताओं, जोखिम और/या अवसरों को शामिल किया गया है।
 - i. **वित्तीय समावेशन अभियान:** विभिन्न ग्रामीण क्रियाकलाप जैसे शाखाएं खोल कर बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, कियोस्क मॉडल बैंक बिजनेस आउटलेट की स्थापना, सादा खातों को खोलना, केसीसी के द्वारा ऋण उपलब्ध कराना, छोटे बीमा उपलब्ध कराना, आधार का पंजीकरण, किसान क्लबों की स्थापना, वित्तीय साक्षरता केंद्र और ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से वित्तीय साक्षरता देना।
 - ii. **ग्रामीण विकास:** बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 62 स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को प्रायोजित / सह-प्रायोजित / सहायता प्रदान की है जो कि ग्रामीण युवकों में उद्यमिता विकास तथा उन्हें स्व-रोजगार क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन संस्थानों से अब तक 8.28 लाख बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है जिनकी व्यवसाय प्राप्ति दर 73% है।
 - iii. **हरित बैंकिंग:** बैंक ने विभिन्न पर्यावरण अनुकूल कार्य किए हैं जैसे सीबीएस, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ग्रामीण जनता के लिए बायो-मेट्रिक एटीएम और कुछ आंतरिक कार्यकलाप। इसके अलावा, दो स्थानों पर एटीएम, नकद / चेक स्वीकर्ता, पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग और 182 जगहों पर टेलिबैंकिंग जैसे उच्च तकनीक बैंकिंग सुविधाओं के साथ ई-लाउंज बैंक स्थापित किए हैं तथा वर्ष के दौरान ऐसे ही ओर ई-लाउंज स्थापना करने की योजना है। हमारे एटीएम में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए पेपरलेस ग्रीन

Customer Complaints: During 2018-19, the Bank received 93100 complaints and 98.13% of the complaints were satisfactorily redressed. The Bank is taking several measures to improve customer service by bringing in diversified products/services, updated technology, staff training and responding to customer's queries and redressal of customer complaints.

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.
 - i. **Financial Inclusion Programme:** Covering varied rural activities, such as increasing access to banking services through opening branches, establishment of Kiosk model Bank Business Outlet, mobilizing no-frill accounts, providing credit under KCCs, credit linking SHGs, providing micro-insurance, Aadhaar enrollment, formation of farmers' clubs, Enhancing financial literacy through Financial Literacy centers and rural branches.
 - ii. **Rural Development:** The Bank has sponsored / co-sponsored / supported 62 self employment training institutes in varied fields which promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them to take up self-employment activities. These Institutes have trained more than 8.28 lakh unemployed youth so far, with a settlement rate of 73 %.
 - iii. **Green Banking:** The Bank has introduced several environment friendly measures, viz., Core Banking Solution, Anywhere Banking, Internet Banking, Tele Banking, Mobile Banking, ATMs, Biometric ATMs & Micro-ATMs for the use of rural folk and certain back office operations. Further, the Bank has set up E-lounges with hi-tech banking facilities like ATM, cash/ cheque acceptor, passbook printing kiosk, internet banking, online trading and telebanking at 182 select centres and more such e-lounges are planned during the year. Enabled Paperless Green PIN facility for Debit & Credit Cards, Netbanking

पिन सुविधा, पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से नेट बैंकिंग पासवर्ड, सफल नकद निकासी और शेष की पूछताछ के लिए “रसीद” की छपाई को बन्द किया गया है। पेपरलेस बैंकिंग के लिए अत्याधुनिक केंडी शाखाएं खोली गई हैं। आंतरिक रूप से, बैंक ने मानव संसाधन प्रबंधन व अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए ई-गवर्नेंस को कार्यान्वित किया है।

2. इस तरह के प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद की प्रति यूनिट (वैकल्पिक) संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें

i. मूल्य श्रृंखला के दौरान पिछले वर्ष से लेकर अब तक सोर्सिंग / उत्पादन / वितरण के दौरान आई कमी?

लागू नहीं

ii. पिछले वर्ष से अब तक उपभोक्ता द्वारा प्रयोग के दौरान (ऊर्जा, पानी) में आई कमी?

सीएसआर कार्यक्रम के तहत जल शोधन प्लांट की स्थापना तथा हरित क्षेत्र में सुधार हेतु बागवानी के लिए अपशिष्ट जल का उपयोग, सार्वजनिक हितार्थ सौर लाइट प्रदान की गई है।

3. क्या कंपनी में स्थायी सोर्सिंग के लिए कोई पद्धति है (परिवहन सहित) यदि हां तो निवेशित का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से सोर्स किया गया है? 50 शब्दों में विवरण दें

आपूर्तिकर्ताओं को ऊर्जा उत्पादन मानकों, प्रदूषण मुक्त वातावरण, जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों की पूर्ति करने हेतु बैंक में निर्धारित नीति है।

4. क्या कंपनी स्थानीय व छोटे उत्पादकों जिसमें आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत समुदाय शामिल हैं, से माल व सेवाएं खरीदने के कदम उठाए हैं? यदि हां तो स्थानीय व छोटे वेंडरों की क्षमता व योग्यता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

जहां भी छोटी खरीदारी की जाती है, स्थानीय और छोटे उत्पादन से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का प्रयास किया जा रहा है, जिससे स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता बढ़ जाती है।

passwords through SMS on registered mobile numbers, dispensed with printing of “Receipt” for successful cash withdrawal & balance enquiry in our ATMs. Opened Hi-tech CANDI branches for paperless banking. Internally, the Bank has implemented e-governance for its human resources management and certain other administrative areas

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):

i. Reduction during sourcing / production / distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

Not Applicable

ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

Setting up of water purification plants and using the waste water for gardening for improving the green cover, providing solar lights for the benefit of public under CSR programme.

3. Does the Company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

For sourcing, Bank has a set policy as per which the suppliers should meet the standards of energy generation, Eco friendly pollution free climate, friendly technologies.

4. Has the Company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

Procurement of goods and services from the local & small produces are being practiced wherever small purchases are done, facilitating the capability of local and small vendors.

5. क्या कंपनी के उत्पादों और अपशिष्ट को पुनर्नवीनीकृत करने का कोई तंत्र है? यदि हां तो उत्पादों तथा अपशिष्ट का कितना प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है (5% से कम, 5-10%, 10% से अधिक, अलग - अलग बताएं)। 50 शब्दों में विवरण दें।

लागू नहीं

सिद्धांत 3: कारोबार सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा दे।

1. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं।
यथा 31.03.2019 को कुल कर्मचारियों की संख्या 58350 है।
2. कृपया अस्थाई/संविदा/आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।

एफओसी-प्रशिक्षण	शून्य
लोकपाल	1
सलाहकार	0
ईआरओ-ऑडिट उद्देश्य	337
कुल	338

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।
यथा 31.03.2019 को स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 17796 है।
4. कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।
यथा 31.03.2019 को स्थायी विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या 1483 है।
5. क्या आपके यहां कर्मचारी संगठन है जो कि प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है।
हमारे बैंक में केनरा बैंक कर्मचारी संघ (पंजीकृत) व केनरा बैंक अधिकारी संघ (पंजीकृत) क्रमशः कामगारों व अधिकारियों हेतु दो प्रमुख संघ / संगठन जो प्रबंधन द्वारा सामान्य प्राप्त हैं।
6. आपके कितने प्रतिशत नियमित कर्मचारी इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं ?

अधिकारी संघ	92.30 %
कर्मचारी यूनियन	77.32 %

5. Does the Company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable

Principle 3: Businesses should promote the wellbeing of all employees.

1. Please indicate the total number of employees.
Total number of employees as at 31.03.2019 is 58350.
2. Please indicate the total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis.

FOC- Training	Nil
Ombudsman	1
Advisors	0
ERO- Audit purpose	337
Total	338

3. Please indicate the number of permanent women employees.
The number of permanent women employees as at 31.03.2019 is 17796.
4. Please indicate the number of permanent employees with disabilities.
The number of permanent employees with disabilities as at 31.03.2019 is 1483.
5. Do you have an employee association that is recognized by management.
In our Bank Canara Bank Employees Union (Regd.) and Canara Bank Officers' Association (Regd.) are two majorities Union/Association of workmen and officer employees respectively, which are recognized by the Management.
6. What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?

Officers' Association	92.30 %
Workmen Union	77.32 %

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, बेगार, अस्वैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या दर्शाएं तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित कितनी हैं।

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल श्रम / बेगार / अस्वैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	2	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. निम्नांकित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा व कौशल उन्नयन प्रशिक्षण पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दिया गया?

स्थायी कर्मचारी	102%
नियमित महिला कर्मचारी	94.7%
आकस्मिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी	शून्य
विकलांग कर्मचारी	74.71%

सिद्धांत 4: कारोबार सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करे तथा उनके प्रति संवेदनशील हो विशेषरूप से वंचित, कमजोर और उपेक्षित के प्रति

- क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को प्रतिचित्रित किया है?
हाँ, बैंक के श्रेयधारकों में सरकार, निवेशक, कर्मचारी तथा बैंक के ग्राहक हैं।
- उक्त में से, क्या कंपनी ने कमजोर, वंचित व उपेक्षितों की पहचान की है?
हां.
- क्या कंपनी वंचित, कमजोर व उपेक्षित श्रेयधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की है? यदि हां तो 50 शब्दों में विवरण दें।

7. Please indicate the number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

Sl. No.	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of financial year
1	Child labour / forced labour / involuntary labour	NIL	NIL
2	Sexual harassment	2	NIL
3	Discriminatory employment	NIL	NIL

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

Permanent Employees	102%
Permanent Women Employees	94.7%
Casual / Temporary / Contractual Employees	NIL
Employees with Disabilities	74.71%

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized

- Has the company mapped its internal and external stakeholders?
Yes. The stake holders of the Bank include Government, Investors, Employees and the Customers of the Bank.
- Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?
Yes.
- Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.



कर्मचारी: बैंक जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव और पूर्वाग्रह के बिना सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार की नीति अपनाता है। बैंक सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष लाभ/ सुविधाओं की सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, विकलांग कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समतुल्य पारिश्रमिक/वेतन, पदोन्नति दिया जाता है।

ग्राहक: समाज के उपेक्षित वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक ने अन्य योजनाओं के साथ, सादा बचत खाता योजना, केनरा नयी दिशा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म बीमा और सूक्ष्म पेंशन योजना, शहरी गरीब के लिए सूक्ष्म वित्त शाखाएं, किसानों के लिए किसान क्रेडिट, स्वयं सहायता समूहों को ऋण, मनरेगा मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण, बायोमेट्रिक एटीएम, विभेदक ब्याज दर योजना के तहत ऋण, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सहायता के लिए ऋण योजनाएं शुरू की हैं।

सिद्धांत 5: कारोबार मानवाधिकार का सम्मान व प्रोत्साहन करो

1. मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति ही क्या कंपनी पर ही लागू होती है या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर भी लागू है?

बैंक भारत के संविधान में निहित मानव अधिकारों की विषयवस्तु से परिचित है तथा संघों की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी करने का अधिकार का आदर करता है।

मानव संसाधन से संबंधित नीतियां केवल बैंक के परिचालन पर ही लागू है। इसके अलावा, बैंक की मानव संसाधन नीतियां सभी कर्मचारियों को समानता और उचित व्यवहार प्रदान करती हैं तथा कोई भेदभाव राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, उम्र, विकलांगता, कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति या कानून द्वारा निषिद्ध किसी अन्य आधार पर नहीं किया जाता है।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का निषेध करता है। सेवा शर्तों में कार्यस्थल यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए खंड का प्रावधान किया गया है। यौन उत्पीड़न पर नीति "कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013" के अनुसार लागू की गई है। नीति के अनुसार, बैंक ने सभी प्रशासनिक इकाइयों में अधिनियम में निर्धारित समिति,

Employees: The Bank practices the policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends certain special benefits / facilities / assistance to employees belonging to SC / ST category as per Government guidelines. Further, the wages / salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees.

Customers: In order to cater to the needs of marginalized segments of the society, the Bank has introduced, among others, No-frill Savings Accounts Scheme, Micro Insurance and Micro Pension under Canara Naye Disha Scheme, micro-finance branches for urban poor, kisan credit cards for farmers, loans to self help groups, electronic benefit transfer for payment of MGNREGA Wages and social security pension, biometric ATMs, loans under Differential Interest Rate Scheme, loans to women entrepreneurs and support to micro & small enterprises.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group / Joint Ventures / Suppliers / Contractors / NGOs / Others?

The Bank is aware of the human rights content of the Constitution of India and respects the freedom of associations and the right to collective bargaining.

The HR related policies cover the operations of the Bank only. Further, the HR policies of the Bank are well laid out with equal and fair treatment of all the employees and no discrimination is made based on nationality, religion, gender, age, disabilities, social and economic status of the employees or any other basis prohibited by the law.

Prevention of Sexual Harassment

The Bank prohibits sexual harassment at work places. In the Service Conditions, there are clauses exclusively for prevention of sexual harassment at work places. The policy on sexual harassment has been implemented in terms of Act "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". As per the policy, Bank has constituted Internal

पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों को नामित करके आंतरिक समितियों का गठन किया है।

आंतरिक शिकायत समिति में पीठासीन अधिकारी होगा जो एक वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी होगी और कर्मचारियों में से 2 सदस्य होंगे जो अधिमानतः महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं या सामाजिक कार्य / कानूनी ज्ञान का अनुभव रखते हैं और इसके सदस्य के रूप में एक तृतीय पक्ष सदस्य (एनजीओ आदि) भी हैं।

समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही बैंक कार्रवाई करता है। बैंक समय समय पर सेवा शर्तों, नियमों, महिला कर्मचारियों के लाभ, महिला कर्मचारियों के अधिकार तथा यौन उत्पीड़न की रोकथाम को प्रभावी बनाने के लिए परिपत्र जारी करता है।

कर्मचारी शिकायत निवारण नीति

बैंक ने सेवा शर्त से संबंधित वास्तविक व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य और उसके त्वरित समाधान के लिए कर्मचारी शिकायत निवारण नीति बनाई है। इस नीति के तहत शिकायतों का निर्धारित समय के भीतर निराकरण कर रहे हैं। अंचल स्तर निवारण समिति के निर्णय के खिलाफ अपील का भी प्रावधान है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की परिभाषा के अनुसार केनरा बैंक एक लोक प्राधिकरण है, इसलिए वह जनता को सूचना प्रदान करने के दायित्व के अधीन है।

विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेना:

बैंक अपने परिसर में सिविल निर्माण / विद्युत / रख-रखाव कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेते समय श्रम कानून विशेषतौर पर न्यूनतम मजदूरी के भुगतान तथा अन्य संबंधित मानवाधिकारों का पालन करता है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें आईं और कितने प्रतिशत शिकायतों का निपटान प्रबंधन के द्वारा संतोषजनक रूप से किया गया?

93100 & 98.13%

सिद्धांत 6: कारोबार पर्यावरण को सम्मान, सुरक्षा और उसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास करो

1. सिद्धांत 6 से संबंधित कंपनी की नीति क्या कंपनी तक सीमित है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर-सरकारी संस्थान / अन्य पर भी लागू है?

नीति केवल बैंक तक ही सीमित है।

Committees at all administrative units by nominating Presiding Officer and other members to the Committee as stipulated in the Act.

The Internal Complaints Committee will have Presiding Officer who shall be a senior level woman employee and will have 2 members from amongst the employees preferably committed to the cause of women or has experience in social work/legal knowledge and shall also have a third party member (NGO etc) as its member.

The action is taken based on the reports of the Committee. The Bank issues Circulars from time to time reinforcing service conditions, rules, benefits to women employees, right of women employees, prevention of sexual harassment.

Employees' Grievances Redressal Policy

The Bank has framed Employees' Grievance (s) Redressal Policy with a view to lend to the genuine individual grievances relating to service condition of the employees and for speedy resolution of the same. The complaints under this policy are redressed within the stipulated time. There is also an appeal provision against the decision of the Circle Level Redressal Committee.

Right to Information Act

Canara Bank is a Public Authority, as per definition of Public Authority in the Right to Information Act, 2005, and thus, is under obligation to provide the information to members of public.

Engaging Contractors for various works

While engaging the services of Contractors for the civil construction/electrical/maintenance works at its premises, the Bank follows the labour laws especially payment of minimum wages and other related human rights.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

93100 & 98.13%

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment.

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group / Joint Ventures / Suppliers / Contractors / NGOs / others?

The Policy covers only the Bank.

2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों जैसे पर्यावरण में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग आदि के लिए कोई योजना / पहल है ? हाँ / नहीं , यदि हाँ तो, कृपया वेबपेज का हाइपरलिंक दें

हाँ ।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के संदर्भ में, बैंक ऐसे नयी ईकाइयों की स्थापना के लिए ऋण प्रदान नहीं करता जिनके द्वारा ओजोन विच्छेदन पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लूरो कार्बन-11 (सीएफसी-11), सी.एफ.सी.-12 और सी.एफ.सी. 11 और सी.एफ.सी. 12 का मिश्रण, सी.एफ.सी.-113, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, फोम उत्पादन, रेफ्रिजरेटर और एयरकंडिशनर, एरोसॉल उत्पाद, सफाई के उत्पाद में प्रयुक्त सॉल्वेंट, अग्निशमन में प्रयुक्त हेलाॅन - 1211, 1301, 2402, आदि का प्रयोग किया जाता है।

बैंक द्वारा उन छोटे / मझौले स्तर की इकाइयों को वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है जो सी.एफ.सी. का प्रयोग कर एरोसॉल इकाई के उत्पादन में लगे हुए हैं।

टॉक्सिक पदार्थों का उत्सर्जन करने वाले उत्पादन ईकाइयों के ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय बैंक ऐसे प्रदूषित पदार्थों को वातावरण में छोड़ने से पूर्व प्रसंस्कृत करने के लिए जल शोधन इकाई की स्थापना के लिए दबाव डालता है तथा सुनिश्चित किया जाता है कि उधारकर्ता केंद्र / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन करती है? हाँ / नहीं

हाँ

4. क्या कंपनी स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में विवरण दें और, यदि हाँ तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालना रिपोर्ट दायर की गयी है?

हाँ

बैंक द्वारा किए गए विभिन्न हरित बैंकिंग पहलों में कोर बैंकिंग समाधान, ग्रामीण जनता के लिए कहीं भी बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, बायोमेट्रिक एटीएम और माइक्रो-एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कागज रहित ग्रीन पिन सुविधा, पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से नेटबैंकिंग पासवर्ड, हमारे एटीएम में सफल नकद निकासी और बैलेंस जांच के लिए छपाई के साथ 'रसीद', कागज रहित बैंकिंग के लिए अत्याधुनिक कैंडी शाखाएं, इसके कर्मचारियों और प्रशासनिक क्षेत्रों में पेपरलेस बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शाखाओं में ई-लाउंज और ई-गवर्नेंस ।

2. Does the company have strategies / initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.

Yes.

In terms of Credit Risk Management Policy, the Bank is not extending finance for setting up of new units consuming / producing Ozone Depleting Substances (ODS) such as Chlorofluoro carbon - 11 (CFC-11), CFC-12, Mixtures of CFC-11 and CFC-12, CFC - 113 Carbon Tetrachloride, Methyl Chloroform, Halons - 1211, 1301, 2402 used in Foam products, Refrigerators & Air conditioners, Aerosol products, Solvents in cleaning applications, Fire extinguishers.

No financial assistance is extended by Bank to small/ medium scale units engaged in the manufacture of the Aerosol Units using CFC.

While appraising the credit proposal, of manufacturing units, emitting toxic pollutants, the Bank insists upon installation of water treatment projects for processing of such pollutants before release into the environment and ensures that the borrower client also obtains NOC from Central / State Pollution Control Board.

3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y / N

Yes.

4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?

Yes.

Various green banking initiatives undertaken by the Bank include Core Banking Solution, Anywhere Banking, Internet Banking, Tele Banking, Mobile Banking, ATMs, Biometric ATMs & Micro-ATMs for the use of rural folk, paperless Green PIN facility, for debit & credit cards, Netbanking password through SMS on registered mobile numbers, dispensed with printing of 'Receipt' for successful cash withdrawal & balance enquiry in our ATMs, opened Hi-tech CANDI branches for paperless banking, E-lounges in branches and e-governance for its staff and administrative areas to promote paperless banking.



5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल शुरू की है? हाँ / नहीं, यदि हाँ तो वेबपेज का हाइपरलिंक दें।

बैंक ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा दक्षता के कई पहल शुरू की है। बैंक पर्यावरण के अनुकूल ऐसी हरित परियोजनाओं को प्राथमिकता व महत्व देता है जो कार्बन कम करते हैं जैसे पवन मिल्स / सौर ऊर्जा परियोजनाएं आदि। बैंक में हरित व स्वच्छ तकनीकी परियोजनाओं को अधिमानी ऋण देने की योजनाएं हैं।

बैंक उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने वाले अपने सभी परिसरों में सीएफएल / फ्लोरोसेंट लाइट्स की जगह नई एलईडी लगा रहा है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने दिनांक 18.09.2017 को बैंक को गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके नियंत्रण उपायों के अभिनव तरीके को अपनाने की अनुमति दी है। उसके आधार पर, बैंक ने पहले चरण में पांच क्षेत्रों (पैन इंडिया, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत, उत्तरी पूर्वी भारत) के लिए विक्रेताओं को पैनल में शामिल किया है। दूसरे चरण में, हमने सौर संयंत्रों को स्थापित करने के लिए कुछ इमारतों (चंडीगढ़ अं का, लखनऊ अं का) की पहचान की है। प्रस्तावित योजना ऑपेक्स मॉडल (खपत इकाइयों के आधार पर देय शुल्क) पर लागू होगी।

बैंक भी उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में रेटेड ऊर्जा कुशल उपकरणों अर्थात एयर कंडीशनर का उपयोग करने की नीति का अनुसरण कर रहा है।

बैंक स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाते हुए जनरेटर के उपयोग में सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) नियम का पालन करता है। बैंक अपने विभिन्न स्थानों पर सौर ऊर्जा संचालित यूपीएस लगाने और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को भी अपनाने की प्रक्रिया में है।

6. क्या कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन / अपशिष्ट सूचित वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है?

बैंक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है अतः यह लागू नहीं है।

7. वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त कानूनी नोटिस / कारण बताओ नोटिसों की संख्या जो कि लंबित है? (यानी संतुष्टि के स्तर तक नहीं निपटाया गया है)

शून्य

सिद्धांत 7: कारोबार, जब आम जनता और विनियामक नीतियों को प्रभावित करता है तो ऐसा जिम्मेदारीपूर्वक किया जाए

5. Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc., Y / N If yes, please give hyperlink for web page etc.

Bank has undertaken a number of initiatives to promote clean technology and energy efficiency. Bank gives due weightage and preference to environment friendly green projects which earn the carbon credits, such as, Wind Mills / Solar Power projects. Bank has schemes of extending preferential credits to the Green and clean technology projects.

Bank is replacing of CFL / Fluorescent lighting fixtures with new LED fixtures in all its premises ensuring higher energy efficiency. Further, vide Board of Directors dated: 18.09.2017, Bank has permitted to adopt innovative way of control measures by using non- conventional energy sources. Based on that, Bank has done empanelment of vendors for five regions (Pan India, South India, North India, Central India, West India, Northern east India) in first stage. In second stage, we have identified few own buildings (Chandigarh CO, Lucknow CO to install solar plants. The proposed scheme to be implemented on OPEX model (Charges payable based on units consumed).

The Bank is also following a policy of using Rated Energy Efficient Appliances, viz., Air Conditioners towards ensuring higher energy efficiency.

The Bank is complying with the CPCB rules (Central Pollution Control Board) in usage of generators adopting clean technology. The Bank is also in the process of deploying solar powered UPS for its various locations and adopting renewable energy usage.

6. Are the Emissions / Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB / SPCB for the financial year being reported?

The Bank is engaged in providing financial services and hence not applicable.

7. Number of show cause / legal notices received from CPCB / SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.

Nil

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेंबर या संघ की सदस्य है? यदि हाँ तो उन बड़ी संस्थाओं के नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबार होता है?

हाँ।

- क) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
ख) भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)
ग) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)
घ) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)
ड.) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)
च) भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआई)

2. क्या आपने जनहित की उन्नति या सुधार के लिए ऊपर संघों के माध्यम से वकालत / पैरवी की है? हाँ/नहीं, यदि हाँ तो मौटेतौर पर उन क्षेत्रों के बारे में बताएं (गवर्नेंस और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा, सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यावसायिक सिद्धांत, अन्य)

हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के कारण बैंक पर देश के सभी क्षेत्रों व सभी वर्गों को को बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने का सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसके अलावा, बैंक मोटे तौर पर देश के स्थायी विकास में योगदान के लिए आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, समावेशी विकास और समान विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों को शामिल करते हुए समय - समय पर भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी नीतिगत निर्देशों / नियामक दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है।

सिद्धांत 8: कारोबार समग्र विकास और समान विकास को संबल दे।

1. क्या कंपनी में सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं हैं? हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

बैंक ने समावेशित वृद्धि व समान विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों / पहलों / परियोजनाओं को चलाया है।

विवरण निम्नवत है:

बैंक ने सभी आबंटित 10049 गाँवों में 903 ब्रिक व मोर्टार शाखाएं खोलने और 2459 बीसी एजेंटों को सम्मिलित कर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए वहनीय खर्च पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है। इसका कार्यावयन दो मॉडल यानी ब्रिक व मोर्टार मॉडल और कारोबार संपर्की मॉडल के तहत किया गया।

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with?

Yes.

- a) Indian Banks' Association (IBA)
b) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)
c) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)
d) National Institute of Bank Management (NIBM)
e) National Payments Corporation of India (NPCI)
f) The Clearing Corporation of India (CCI)

2. Have you advocated / lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes / No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy, Security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

Yes, The Bank, being one of the public sector banks of India, is driven by the social objective of extending the benefits of the banking services to all regions of the country and to all classes of people. Further, the Bank is adhering to all the policy directions / regulatory guidelines issued by Government of India and the Reserve Bank of India from time to time broadly covering the areas of economic and financial sector reforms, inclusive growth and equitable development, national priorities and food security contributing to sustainable development of the country.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development.

1. Does the company have specified programmes / initiatives / projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes, details thereof.

The Bank has undertaken various initiatives / programmes / projects in pursuit of inclusive growth and equitable development of the society.

The details are as under:

Bank has provided Banking facilities in all the allotted 10049 villages by opening 903 brick & mortar branches and engaging 2459 BC agents. The objectives are to provide the banking services at affordable cost in order to improve their standard of living. The implementation was done under two models, viz., Brick and Mortar model and Business Correspondent model.

बैंक ने मौजूदा मोबाइल बीसी मॉडल के बदले दिसंबर 2018 के दौरान नई हाइब्रिड कियोस्क मॉडल बीसी सेवाएं शुरू की हैं। नए हाइब्रिड मॉडल के तहत, बीसी एजेंट 4 घंटे के लिए निर्धारित स्थानों (बैंक बिजनेस आउटलेट्स) में काम करेंगे और उसके बाद वे अपने दरवाजे पर ग्रामीण लोक विशेष रूप से वृद्ध लोगों और वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के लिए उन्हें आवंटित गांवों / क्षेत्रों को कवर करेंगे।

- नया हाइब्रिड मॉडल बैंकिंग उद्योग में अद्वितीय और अपनी तरह का पहला है। नए मॉडल के तहत, सामान्य हैंड हेल्ड मशीन (एचएचएम) के बजाय टैब का उपयोग किया जा रहा है।
- बीसी सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगे जैसे खाता खोलना, एईपीएस लेनदेन, नकद रसीदें, नकद भुगतान, और रूपे कार्ड, फंड ट्रांसफर आदि के माध्यम से लेनदेन। एईपीएस और रूपे कार्ड सेवाएँ न केवल बैंक के अपने ग्राहकों के लिए, बल्कि अन्य बैंक ग्राहकों के लिए भी विस्तारित हैं।
- बीसीए ऋण आवेदन, अल्प मूल्य जमाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के स्रोतहोंगे और अल्प मूल्य ऋण इत्यादि की वसूली भी करेंगे।
- बैंक ने 31.03.2020 पर या उससे पहले मौजूदा 2549 से बीसीए संख्या को 5000 तक बढ़ाने के लिए और 31.03.2021 पर या उससे पहले 10000 के स्तर तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हुए बैंकिंग आउटलेट्स की परिकल्पना की है। शाखा और शाखा रहित बैंकिंग के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त विस्तार को बैंकिंग आउटलेट्स के साथ प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने के लिए परिकल्पित किया गया है।

72 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) जिला / ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 12954 कैम्प आयोजित किए गए तथा 21.05 लोगों को शिक्षित किया गया एवं 1,04,348 लोगों से विचार विमर्श किया गया। बैंक ने वित्तीय साक्षरता कैम्प के माध्यम से 4,28,476 विद्यार्थियों को जागरूक किया गया।

2. क्या कार्यक्रम / परियोजना आंतरिक टीम / स्व संस्थान / बाह्य / गैर सरकारी संस्था / सरकारी संस्था / या कोई अन्य संस्था के माध्यम से किए जाते हैं?

वित्तीय समावेशन परियोजना आंतरिक टीम की सहायता से लागू की गयी। बैंक में प्राथमिकता साख और वित्तीय समावेशन विभाग के अंतर्गत एक अलग वित्तीय समावेशन प्रभाग है जिसके प्रमुख एक महाप्रबंधक है। बैंक वित्तीय साक्षरता न्यास के माध्यम से वित्तीय साक्षरता का प्रचार कर रहा है।

Bank has introduced new Hybrid Kiosk Model BC services during December 2018 in lieu of the existing Mobile BC model. Under the new Hybrid model, the BC Agents will work for 4 hours in fixed locations (Bank Business Outlets) and thereafter they will be covering villages / areas allotted to them for servicing the rural folk especially old aged people and Senior Citizens, at their door steps.

- The new Hybrid model is unique and first of its kind in Banking Industry. Under the new model, the TAB is being used instead of normal Hand Held Machines (HHMs).
- The BCs will provide all financial and nonfinancial services such as opening of accounts, AEPS transactions, cash receipts, cash payments, and transactions through RuPay card, Funds Transfer etc. The AEPS and RuPay card services are extended not only to bank's own customers, but to other bank customers also.
- BCAs will also source loan applications, canvass small value deposits, sourcing of social security schemes and recovery of small value loans etc.
- Bank has envisaged provision of banking outlets in scaling up the BCA numbers to 5000 from the existing 2549 on or before 31.03.2020 and aiming to reach a level of 10000 on or before 31.03.2021. The above expansion is envisaged to cover the major areas with the banking outlets, a composite approach towards branch and branchless banking.

72 FLCs are functioning at District / Block level. Conducted 12954 camps through which 21.05 lakh people have been educated & 1,04,348 people were counseled during the financial year 2018-19. Bank has imparted financial literacy to 4,28,476 students through FLCs.

2. Are the programmes / projects undertaken through in-house team / own foundation/external NGO / Government structures / any other organization?

The financial inclusion projects have been undertaken with the help of an in-house team. The Bank has a separate Financial Inclusion Division under Priority Credit and Financial Inclusion Wing, headed by a General Manager. Bank is propagating financial literacy through Canara Financial Advisory Trust.

अन्य न्यासों / सोसाइटियों का नाम निम्नवत है जहाँ बैंक परियोजनाएं लागू करने के लिए सम्मिलित है, जो जनता तथा समाज की सेवा में लगे हुए हैं:-

1. केनरा शताब्दी ग्रामीण विकास न्यास
2. केनरा वित्तीय सलाहकारी न्यास
3. केनरा स्वर्ण जयंती शिक्षा निधि
4. केनरा राहत व कल्याण सोसाइटी

बैंक अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत इन्हीं न्यासों के क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेती है तथा निधीयन भी करता है।

3. क्या आपने अपनी पहल का प्रभाव मूल्यांकन किया है?

हाँ। बैंक अपने ग्राहकों को उत्पादों के वितरण की पहल करता है। मुख्य वितरण योग्य उत्पाद हैं:

बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान 8.80 लाख बैंकिंग सेवारहित लोगों को मूलभूत बचत जमा खाता उपलब्ध कराया है तथा योजना के आरंभ से अब तक 185.28 लाख बैंकिंग सेवारहित लोग इससे जुड़ चुके हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान हमारी 10 वित्तीय समावेशन शाखाएँ खुली हैं। एफआई की सभी शाखाओं ने 21410 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वित्तीय समावेशन शाखाओं का कासा घटक 26.28% या 5627 करोड़ रुपये का था। औसत कारोबार प्रति एफआई शाखा 23.74 करोड़ रुपये है।

बैंकिंग सेवा रहित ग्रामीणों को मूलभूत बचत जमा खाता, पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट सुविधाएँ, ऋण सुविधा जैसे सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना, विभिन्न ब्याज पर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऋण अदला-बदली (स्वैपिंग) योजना एसएचजी और कई क्रेडिट उत्पाद उपलब्ध कराए गए।

वर्ष 2018-19 में बैंक ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। 88.40 लाख लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजेवाई) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत पंजीकृत किए गए। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत 4,39,144 खाते जोड़े गए। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 17383 खाते खोले गए।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - राशि रूपों में तथा परियोजनाओं का विवरण ?

Following are the Trusts / Societies wherein Bank is involved for taking up of the projects which have created an impact in serving the people and the society.

1. Canara Centenary Rural Development Trust
2. Canara Financial Advisory Trust
3. Canara Golden Jubilee Education Fund
4. Canara Relief & Welfare Society

Bank continues to actively fund and also involve in the activities of these Trusts under its CSR.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

Yes. Major impact of the Bank initiatives is the delivery of the products to its customers. The major deliverables are:

The Bank has provided Basic Savings Deposit accounts to 8.80 lakh unbanked people during the year 2018-19 and 185.28 lakh unbanked persons since inception of the Scheme.

During 2018-19, 10 FI Branches have been opened. All the FI branches have garnered business of ₹21410 Crore. The CASA component of Financial Inclusion branches stood at 26.28% or ₹5627 Crore. Average business per FI branch is ₹23.74 Crore.

The unbanked rural people are provided with Basic Savings Deposit Accounts, PMJDY Overdraft Facilities, and credit facilities under products like Differential Rate of Interest Scheme, Kisan Credit Card Scheme, Debt Swapping Scheme, SHG and various other credit products.

The Bank has implemented social security schemes successfully during the year 2018-19. 88.40 lakhs enrolments have been done under both Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJY) & Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY). Under Atal Pension Yojana (APY) 4,39,144 accounts were mobilized. 17383 accounts have been opened under Sukanya Samriddhi Yojana.

4. What is your company's direct contribution to community development projects - Amount in INR and the details of the projects undertaken?

शेयरधारक द्वारा मामला दायर किया गया है और जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में विवरण दें

शून्य।

4. क्या आपकी कंपनी ने किसी भी उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रूझान का पता लगाया है?

बैंक शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक ऑनलाइन सर्वेक्षण किया गया और अपने ग्राहकों से सीधे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, एक स्व-निहित, स्टैंपयुक्त प्रश्नावली उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए ग्राहकों को वितरित करने लिए बैंक की शाखाओं को उपलब्ध कराया गया था। सर्वेक्षण के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1. 69% ग्राहकों ने बैंक की सेवाओं को उत्कृष्ट माना है।
2. 23% ग्राहकों ने बैंकों की सेवाओं को औसत से अधिक के रूप में रेट किया है।
3. 90% ग्राहक बैंक शाखाओं की समग्र सेवाओं से संतुष्ट हैं।

behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Nil.

4. Did your company carry out any consumer survey / consumer satisfaction trends?

To assess the quality of customer service rendered by the Bank's branches, an online survey was conducted and to get the feedback directly from the customers, a self contained, prestamped questionnaire was made available to all branches for distributing the same to customers for providing their feedback. The finding of the online satisfaction survey is as under:

1. 69% of the customers have rated the Bank's services as excellent.
2. 23% of the customers have rated the Bank's services as Above Average.
3. 90% of the customers are satisfied with the overall services of the Bank Branches.



कॉर्पोरेट अभिशासन पर निदेशक
मंडल की रिपोर्ट

2018-2019

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON
CORPORATE GOVERNANCE

कॉर्पोरेट अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1) कॉर्पोरेट अभिशासन पर बैंक का दर्शन :

"कॉर्पोरेट अभिशासन सारे श्रेयधारकों के सुस्थिर विकास के लिए संपदा के प्रभावी प्रबंधन और वितरण तथा सामाजिक दायित्व निभाने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन आचरणों का अनुप्रयोग, सही मायने में कानून का अनुपालन एवं नैतिक मानकों का अनुसरण होता है।"

केनरा बैंक की संकल्पना आस्ति संविभाग, ग्राहकोन्मुखता, उत्पाद नवोन्मेषण, लाभप्रदता के क्षेत्रों में सर्वोत्तम आचरण तथा श्रेयधारकों को संवर्धित मूल्य के साथ विश्व स्तरीय बैंक के रूप में उभरना है। इस संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों में बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की प्रभावी प्रणाली पर सब से ज्यादा जोर दे रहा है। निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र और कार्यपालकों के बीच में अंतर्वार्तालाप ऐसा होता है कि उसकी एक बेजोड और अलग भूमिका हो ताकि खास तौर पर अपने श्रेयधारकों को और आमतौर पर जनता को संवर्धित मूल्य प्राप्त हो सके।

समग्र उद्देश्य कंपनी मूल्यों, आचार संहिताओं तथा समुचित व्यवहार के अन्य मानकों के पालन के जरिए समस्त हितधारक-जमाकर्ताओं, श्रेयधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को इष्टतम सुस्थिर मूल्य उपलब्ध कराना है।

2) निदेशक मंडल:

बैंक के निदेशक मंडल का गठन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970(यथा संशोधित) की धारा 9(3) एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के अनुसार किया गया है।

बैंक के बोर्ड में गणमान्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने बैंकिंग और तत्संबंधी अन्य क्षेत्रों में अपने बहुविध एवं दीर्घकालिक अनुभवों से बैंक की प्रगति में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया है।

बोर्ड के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" में दिये गये हैं।

यथा 31.03.2019 को बैंक के निदेशकों में से किसी का भी परस्पर कोई संबंध नहीं है।

Report of the Board of Directors on Corporate Governance

1) Bank's philosophy on Corporate Governance

"Corporate Governance is the application of best management practices, compliance of law in true letter and spirit and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders."

The vision of Canara Bank is to emerge as a World Class Bank with best practices in the realms of Asset Portfolio, Customer Orientation, Product Innovation, Profitability and enhanced value for stakeholders. In its endeavour to attain the goal visualized, the bank is laying maximum emphasis on the effective system of Corporate Governance. The interaction between the Board, Senior Management and the Executives is so configured as to have a distinctly demarcated role so as to derive enhanced value to its stakeholders in particular and society in general.

The overall objective is to optimize sustainable value to all stakeholders-depositors, Shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to Corporate values, Codes of conduct and other standards of appropriate behaviour.

2) Board of Directors:

The Board of the Bank has been constituted under Section 9(3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of undertaking} Act 1970 (as amended) and Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970 (as amended).

The Board of the Bank consists of eminent personalities, who through their rich and varied experiences in Banking and other related fields have made significant contribution towards the progress of the bank.

The composition of members of the Board and the details of attendance at the meetings are given in Appendix "A" & "B".

None of the Directors of the Bank has any relationships inter-se as on 31.03.2019.

निदेशक मंडल के कौशल / विशेषज्ञता / क्षमताएं:

बैंक के कारोबार के संदर्भ में अपेक्षित मुख्य कौशल / विशेषज्ञता / क्षमताओं की सूची निम्नलिखित हैं। बोर्ड के सदस्यों के पास उक्त कौशल हैं:

- बैंक के कारोबार (विशेष रूप से ऋण और अग्रिम और जमा), नीतियों और संस्कृति (मिशन, दृष्टिकोण और मूल्यों सहित) पर बड़े जोखिम / खतरे और संभावित अवसरों और उद्योग, जिसमें बैंक संचालित होता है, के बारे में ज्ञान।
- व्यापार रणनीति, क्रेडिट और जोखिम प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी / डिजिटलीकरण, पूंजी उपयोग की दक्षता, व्यवसाय की वृद्धि, एनपीए प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, बाहरी क्रेडिट रेटिंग में सुधार, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार की पहल, पूंजी संरक्षण और मानव संसाधन पहल के लिए कौशल विकास और प्रतिभा प्रबंधन करना।
- व्यवहार कौशल – बैंक के विकास में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने की विशेषताएं और दक्षताएं
- वित्तीय और प्रबंधन कौशल
- बैंकिंग के व्यवसाय के संबंध में तकनीकी / व्यावसायिक कौशल और विशेष ज्ञान

बोर्ड और निदेशक मूल्यांकन :

कंपनी अधिनियम और सेबी लिस्टिंग नियमों के प्रावधानों के लिए अपेक्षित है कि बोर्ड, समितियों और निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाए।

केनरा बैंक के निदेशक मंडल का संयोजन और शर्तें "बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970" अर्थात् इस अधिनियम के माध्यम से अभिशासित की जाती हैं, अर्थात् इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 / 2013 के प्रावधान लागू नहीं हैं। अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अलावा केंद्र सरकार के अनुसरण में शेयरधारकों के बीच चुने गए 2 निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशक, भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9 (3) के तहत प्रावधानों के अनुसार नियुक्त / नामांकित हैं। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक / भारत

Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors:

The following are the list of core skills / expertise / competencies identified as required in the context of the Bank's business. The said skills are available with the Board Members:

- Knowledge on Bank's businesses (especially Loans and advances and deposits), policies and culture (including the Mission, Vision and Values) major risks / threats and potential opportunities and knowledge of the industry in which the Bank operates.
- Business Strategy, Credit & Risk Management Information technology / Digitization, efficiency of capital use, growth of business, NPA management, Financial inclusion, improvement in external credit rating, initiative to improve asset quality, to conserve capital and HR initiatives for skill development and talent management.
- Behavioral skills - attributes and competencies to use their knowledge and skills to contribute effectively to the growth of the Bank
- Financial and Management skills
- Technical / Professional skills and specialized knowledge in relation to Banking's business

Board and Director Evaluation :

The provisions of the Companies Act and the SEBI Listing Regulations require that the performance evaluation of the Board, the committees and directors is required to be carried out on an annual basis.

The Composition & terms of reference of Board of Directors of Canara Bank is governed through "Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970" i.e. the Act, meaning thereby the provisions of the Companies Act, 1956 / 2013 in this regard are Not Applicable. All the Directors, except two directors elected amongst the Shareholders' other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, are appointed / Nominated by Government of India pursuant

सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है। उपरोक्त दो शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) आरबीआई / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन की ओर से स्वतंत्र भी हैं।

वर्ष के दौरान, बोर्ड ने एक वार्षिक मूल्यांकन क्रिया और वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ("मंत्रालय") के पत्र क्रमांक सं.12 / 1 / 2014-बीओए दिनांक 18.08.2015 द्वारा सूचित अनुसार मात्रात्मक और गुणात्मक मापदंडों के मूल्यांकन के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) के अनुसार मूल्यांकन मैट्रिक्स का उपयोग कर संवर्धित अभिगम और सेवा उत्कृष्टता (सहजता) के तहत पीएसबी सुधार एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए भारांक के साथ पूर्णकालिक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन किया। केपीआई सूचकांक व्यापक रूप से पूंजी के उपयोग की दक्षता, व्यवसाय की वृद्धि, एनपीए प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, बाहरी क्रेडिट रेटिंग में सुधार, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार की पहल, कौशल विकास और प्रतिभा प्रबंधन के लिए पूंजी संरक्षण और मानव संसाधन पहलों को प्रावृरित करते हैं।

शेयरधारकों के निदेशकों (गैर-कार्यपालक / स्वतंत्र निदेशकों) का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जा रहा है, जिसमें बैंक के संचालन पर चार मापदंडों अर्थात व्यावसायिक विशेषज्ञता, सामंजस्य, अभिशासन और निगरानी प्रभाव को शामिल किया गया है और नीतियों के निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पादों के मूल्य निर्धारण, वित्तीय योजनाओं और जोखिम प्रबंधन, निष्पादन की पर्याप्तता, नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन, श्रमशक्ति और उत्तरवर्तन नियोजन / प्रशिक्षण प्रभावशीलता के संदर्भ में इनका निष्पादन शामिल है।

बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है।

3) लेखापरीक्षा समिति:-

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (ए सी बी) का गठन एवं कार्यसंचालन, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के द्वारा प्रशासित है।

- यह समिति बैंक के समग्र लेखापरीक्षा कार्य के पर्यवेक्षण के साथ-साथ निदेश भी प्रदान करती है।
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का मुख्य कार्य निम्नवत हैं:

to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India / GOI guidelines. The two shareholder directors (independent directors) fulfill the necessary conditions as per the RBI / GOI guidelines and are also independent of the management.

During the year, the Board carried out an Annual Evaluation and evaluation of performance of whole time directors is carried out using an evaluation matrix as per the Key Performance Indicators (KPIs) for the assessment of Quantitative & Qualitative parameters as advised by Department of Financial Services, Ministry of Finance, GOI("Ministry") vide their letter No.F.No.12/1/2014-BOA dated 18.08.2015 along with the weightage of marks for implementation of the PSB Reforms Agenda under Enhanced Access & Service excellence (Ease). The KPI broadly covers efficiency of capital use, growth of business, NPA management, Financial inclusion, improvement in external credit rating, initiative to improve asset quality, to conserve capital and HR initiatives for skill development and talent management.

The evaluation of shareholders directors (non-executive/ independent directors) is being done on annual basis using an evaluation scoring matrix broadly covering the four parameters viz professional expertise, cohesiveness, governance and oversight effectiveness on bank's operation and its performance in terms of policies formulation, technology upgradation, pricing of products, financial plans and risk management, adequacy of performance, compliance with regulatory guidelines, manpower and succession planning / training effectiveness.

Transparency and independence in functioning of the Board is ensured.

3) Audit Committee:-

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the bank as per guidelines of Reserve Bank of India and the Government of India.

- ACB provides directions and also oversees the operation of the total Audit function of the Bank.
- The major functions of the committee are as under:

क.	बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना एवं सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना ।
ख.	लेखांकन नीतियों और व्यवहारों पर विशेष बल देते हुए वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखांकन मानदंडों और कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रबंधन तंत्र के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, तथा
ग.	बाह्य एवं आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करना, वार्षिक लेखा और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पहले बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना
घ.	बैंक की वित्त एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना ।

एसीबी लेखा परीक्षा समिति द्वारा लॉन्ग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाये गये मामलों की स्थिति की समीक्षा करती है तथा आरबीआई की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों / मामलों का अनुवर्तन एवं अनुपालन कक्ष, अंतर-शाखा लेखा समाधान अनुभाग (आईबीएआर) आदि से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र आरबीआई/2010-11/269-डीबीएस.एआरएस.बीसी संख्या: 4/08.91.20/2010-11, दिनांक 10.11.2010 द्वारा समीक्षा कैलेण्डर सूचित किया है जिसे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को अमल करना है । इन मदों को आवधिक समीक्षा के लिए बैंक की कार्पोरेट अभिशासन नीति में शामिल किया गया है और इन्हें समीक्षा कैलेण्डर के मुताबिक लेखा परीक्षा समिति के सामने विधिवत रखा जाता है ।

लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' में दिये गये हैं ।

4) (i) नामांकन समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक की संसूचना डीबीओडी सं. बीसी सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 के संदर्भ में बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा निर्वाचित शेयरधारक निदेशकों / प्रस्तावित उम्मीदवारों के "उपयुक्तता व अनुकूलता" स्थिति निर्धारित करने की समुचित प्रक्रिया शुरू करने के उद्देश्य से एक नामांकन समिति का गठन किया गया । जब भी आवश्यक हो समिति की

a.	To oversee the bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.
b.	To Review with the management, the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance with accounting standards and other legal requirements, concerning financial statements and
c.	To Review the adequacy, quality and effectiveness of external and internal audit, internal control system, interaction with external auditors before finalization of Annual accounts and reports.
d.	To Review Bank's finance and risk management policies.

ACB also reviews the position with regard to issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR), follows up on the issues / concerns raised in the Inspection Report of RBI, and also makes a review of reports received from Compliance Cell, Inter-Branch Account Reconciliation (IBAR) section, etc.

The Reserve Bank of India, vide their letter RBI / 2010-11/269-DBS.ARS.BC.NO. 4/08.91.20/2010-11, dated 10.11.2010, conveyed the Calendar of Reviews to be followed by the Audit Committee of the Board. These items have been incorporated in the Corporate Governance Policy of the Bank for periodical review and are duly placed before the Audit Committee as per Calendar of Reviews.

The composition of members of Audit Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

4) (i) Nomination Committee:

In terms of RBI Communication DBOD No. BC.No. 47/29.39.001/2007-08, dated 01.11.2007, the Board of the Directors of the Bank had constituted a Nomination Committee to undertake a process of due diligence to determine the "Fit and Proper" status of the existing elected Shareholder Directors / Proposed Candidates as per the guidelines of RBI. The Committee shall meet as and when required.

बैठक की जाती है 2018-19 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई क्योंकि शेयरधारक निदेशक के निर्वाचन हेतु कोई प्रक्रिया नहीं थी और यथा 31.03.2019 तक निर्वाचित शेयरधारक निदेशक द्वारा प्रस्तुत घोषणा (बायो डेटा) में भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं था।

ii) पारिश्रमिक समिति:

भारत सरकार के पत्र एफ सं. 20/1/2005-बीओ.आई, दिनांक 09.03.2007 के संदर्भ में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ बैंक के निदेशक मंडल ने पारिश्रमिक समिति गठित की है। पारिश्रमिक समिति के सदस्यों की संरचना और बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध "क" तथा "ख" में दिये गये हैं।

5) निदेशकों को पारिश्रमिक राशि:

क) निदेशकों को पारिश्रमिक, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अदा किया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त वेतन विवरण निम्नवत हैं:

नाम व पदनाम	राशि (₹)
श्री राकेश शर्मा भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	17,17,423.60
श्रीमती पी. वी. भारती भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक	26,14,949.13
श्री मठम वेंकट राव कार्यपालक निदेशक	28,51,820.78
श्री देवाशीष मुखर्जी कार्यपालक निदेशक	26,33,162.36
सुश्री ए. मणिमखलई कार्यपालक निदेशक	3,54,357.70
कुल	1,01,71,713.57

ख) गैर कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार की पारिश्रमिक राशि नहीं दी जा रही है। गैर-कार्यकारी निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड और बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण परिशिष्ट ग में दिया गया है। पूर्णकालिक निदेशकों और भारत सरकार और भारिबै के प्रतिनिधि निदेशकों के लिए कोई बैठक शुल्क देय नहीं है।

It didn't meet during 2018-19, since there was no process of election of Shareholder Directors and also no significant changes in the declarations (bio-data) submitted by the elected Shareholder Directors as on 31.03.2019 for conducting due diligence exercise.

(ii) Remuneration Committee:

In terms of GOI Letter F.No 20/1/2005-BO.I Dt. 09.03.2007, the Board of Directors of the Bank had constituted a Remuneration Committee to evaluate the performance of whole-time directors as per GOI guidelines. The composition of members of Remuneration Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

5) Remuneration to Directors:

a. Remuneration to Directors is paid as per Government of India guidelines. The details of salary paid to the whole-time Directors of the Bank, during the year 2018-19 are as under:

Name & Designation	Amount (₹)
Shri Rakesh Sharma Ex - MD&CEO	17,17,423.60
Smt P V Bharathi Ex- ED	26,14,949.13
Shri Matam Venkata Rao ED	28,51,820.78
Shri Debashish Mukherjee ED	26,33,162.36
Ms A. Manimekhalai ED	3,54,357.70
TOTAL	1,01,71,713.57

b) Non-Executive Directors are not being paid any other remuneration except Sitting Fees as fixed by Government of India. The Sitting Fee is paid to the Non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid to directors during the Year 2018-19 is given in the Appendix C. (No sitting fee is payable to Whole-time Directors and Directors representing Government of India & RBI)

6) हितधारक संबंध समिति:

इस समिति द्वारा शेयरों का अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होना, घोषित लाभांश वारंट प्राप्त न होना आदि से संबंधित शिकायतों सहित बैंक के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण की निगरानी की जाती है।

शेयरधारक शिकायत सांख्यिकी :	
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों / अभ्यावेदनों की संख्या	2322
ऐसी शिकायतें जिनके समाधान से शेयरधारकों संतुष्ट नहीं हुए	शून्य
लंबित शिकायतें	शून्य

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 6(1) के अनुसार श्री विनय मोहता, कंपनी सचिव बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

हितधारक संबंध समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं।

अन्य समितियाँ:

(क) प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) की धारा 13 के अनुसार गठित की गई है। प्रबंधन समिति द्वारा साख प्रस्तावों की मंजूरी, ऋणों, बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव का समझौता/ निपटान, पूंजी और राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण और किराये पर लेना, वादों / अपीलों को दायर करना, निवेश, दान और बोर्ड की समिति को संदर्भित या प्रत्यायोजित अन्य मामलों के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है।

प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति विवरण परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं।

(ख) जोखिम प्रबंधन समिति:

बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल और बैंक के परिचालन की व्याप्ति के अनुरूप बैंक ने उचित जोखिम प्रबंधन नीतियाँ रूपायित की हैं।

6) Stakeholders Relationship Committee:

The Committee monitors the redressal of the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer of shares, non- receipt of balance sheet, non-receipt of declared dividend warrants.

Shareholders' Grievances Statistics:	
Complaints / Representations Received during the year	2322
Complaints not solved to the satisfaction of shareholders	Nil
Pending complaints	Nil

In terms of Regulation 6(1) of SEBI(LODR) Regulations, 2015, Shri VINAY MOHTA, Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank.

The Composition of members of Stakeholders Relationship Committee and details of attendance at the meeting are given in appendix A & B.

Other Committees:

(a) Management Committee:

The Management Committee of the Board is constituted as per the clause 13 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended). The Management Committee exercises all the powers vested with the Committee in respect of sanctioning of credit proposals, compromise / settlement of loans, write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing of suits / appeals, investment, donations and any other matter referred to or delegated to the Committee by the Board.

The composition of members of Management Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A&B.

(b) Risk Management Committee:

The Bank has evolved suitable Risk Management Policies consistent with the size of the Bank, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank.

बैंक के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन पद्धति हेतु नीति एवं रणनीति रूपायित करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

चूँकि जोखिम प्रबंधन पद्धति को समिति दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित करना है, चार उच्च स्तरीय समितियाँ अर्थात् साख जोखिम प्रबंधन समिति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति एवं समूह जोखिम प्रबंधन समिति स्थापित हैं जो जोखिम प्रबंधन से संबंधित सभी सामान्य जोखिमों से प्रावरित मसलों को संभालती हैं। इन चारों समितियों के अध्यक्ष बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक हैं तथा वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा इस मामले में उनकी सहायता की जाती है।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना और बैठक में उनकी उपस्थिति के विवरण अनुबंध 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं।

(ग) आस्ति देयता प्रबंधन समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के आधार पर बैंक ने आंतरिक आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति के अन्य सदस्यों में बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक शामिल होते हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति के कार्यों की व्याप्ति निम्नांकित है:

- (क) तरलता जोखिम प्रबंधन
- (ख) बाज़ार जोखिम प्रबंधन
- (ग) व्यापारिक जोखिम प्रबंधन
- (घ) निधीयन एवं पूंजी आयोजना
- (ङ) लाभ आयोजना एवं विकास आयोजना

आस्ति देयता प्रबंधन समिति निवल ब्याज आय पर आस्ति व देयता दोनों की ब्याज दरों में परिवर्तन से होनेवाले प्रभाव एवं तरलता स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से विचार विमर्श करती है।

7) सामान्य बैठकें:

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं :

A Board Level Risk Management Committee has been formed, with the responsibility of devising policy and strategy for integrated Risk Management System for the Bank.

As the Risk Management system is required to be implemented through a Committee approach, four high level committees viz. Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee, Operational Risk Management Committee and Group Risk Management Committee are in place to deal with the issues relating to Risk Management covering all generic risks. The MD & CEO or ED of the Bank is the Chairman for all the four Committees, assisted by the Senior Level Executives of the Bank.

The composition of members of Risk Management Committee of the Board and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

(c) Asset Liability Management Committee:

Based on RBI directives, the Bank has set up an internal Asset Liability Management Committee (ALCO) headed by MD&CEO or ED of the Bank. The other members of the Committee include the Senior Executives of the Bank.

The scope of ALCO functions is as follows:

- (A) Liquidity risk management
- (B) Management of market risk
- (C) Trading risk management
- (D) Funding and capital planning
- (E) Profit planning & growth planning

The ALCO deliberates in detail over the liquidity position and the impact of changes in the interest rates of both assets and liabilities on the Net- Interest Income.

7) General Body Meetings:

The details of last three Annual General Meetings held are furnished here below:

वार्षिक सामान्य बैठक (आईपीओ के बाद)	दिनांक	समय	स्थान
14वीं एजीएम	26.07.2016	10.30 पूर्वाह्न	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर - 560 001
15वीं एजीएम	20.07.2017	3.30 अपराह्न	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर - 560 001
16वीं एजीएम	26.07.2018	10.15 पूर्वाह्न	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर- 560 001

पिछली वार्षिक सामान्य बैठक (अर्थात बैंक की 14वीं वार्षिक सामान्य बैठक, 15वीं वार्षिक सामान्य बैठक तथा 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक) में एक विशेष संकल्प रखा गया था तथा कोई डाक मतदान नहीं किया गया।

16वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित निदेशकों के विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिये गये हैं।

8) संप्रेषण का माध्यम

केनरा बैंक, बैंक से संबंधित जानकारी मुख्यतया बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के ज़रिए देता है, जिसमें कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखा, नकद प्रवाह विवरण आदि शामिल हैं। शेयरधारकों को अखबारों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंज को सूचना, प्रेस विज्ञप्तियाँ एवं बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com आदि के ज़रिए भी जानकारी दी जाती है। बैंक, कार्यालयीन समाचार विज्ञप्तियाँ / प्रस्तुतीकरण भी वेबसाइट में प्रदर्शित करता है।

सूचीकरण करार सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अनुसार वित्तीय परिणाम और मूल्य में संवेदनशीलता संबंधी अन्य सूचनाएं स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती हैं।

AGM (After IPO)	Date	Time	Venue
14 th AGM	26.07.2016	10.30 AM	Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore - 560 001
15 th AGM	20.07.2017	03.30 PM	Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore - 560 001
16 th AGM	26.07.2018	10.15 AM	Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore - 560 001

One special resolution each was put through in last three Annual General Meetings (ie., 14th AGM, 15th AGM and 16th AGM of the Bank) and there were no postal ballot exercise.

Details of attendance of Directors at the 16th Annual General Meeting are given in Appendix B.

8) Means of Communication

Canara Bank provides information relating to Bank through its Annual Report which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors report, audited accounts, cash flow statements, etc. The shareholders are also intimated of its performances, through publication in news papers, intimation to stock exchanges, press releases and through website at www.canarabank.com. The Bank also displays official News releases, presentations made to institutional investors in its website.

In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Financial Results and other price sensitive informations are furnished to Stock Exchanges.

परिणामों का प्रकाशन:

समाप्त तिमाही	प्रकाशन की तारीख	समाचार पत्र	
		देशी भाषाएं	राष्ट्रीय
31.03.2018 (लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम)	12.05.2018	कन्नड़ प्रभा	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी व हिन्दी)
31.03.2018 (लेखा परीक्षित समेकित परिणाम) 30.06.2018	31.05.2018	प्रजावाणी	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी व हिन्दी)
30.06.2018	26.07.2018	कन्नड़ प्रभा	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी) जन सत्ता (हिन्दी)
30.09.2018	01.11.2018	कन्नड़ प्रभा	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी व हिन्दी)
31.12.2018	29.01.2019	विजयवाणी	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी व हिन्दी)
31.03.2019 (एकल लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम)	11.05.2019	उदयवाणी	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी व हिन्दी)
31.03.2019 (समेकित लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम)	23.05.2019	कन्नड़ प्रभा	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी व हिन्दी)

9) सामान्य शेयरधारकों के लिए सूचना:

- वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष	2018-2019
बही बंदी की तिथि (दोनों दिन सहित)	19.07.2019 - 25.07.2019
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	20.07.2019
ई-मतदान की कट-ऑफ तिथि	18.07.2019
वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि	25.07.2019
वार्षिक सामान्य बैठक का समय	10.30 पूर्वाह्न
वार्षिक सामान्य बैठक का स्थान	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर - 560 001

- स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण:

निम्नांकित स्टॉक एक्सचेंजों में केनरा बैंक के शेयरों का सूचीकरण किया गया है। संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों का स्टॉक कूट उनके नाम के आगे दिया गया है।

1	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	532483
2	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	CANBK

वर्ष 2018-19 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान निर्धारित देय तिथि के अंदर किया गया है।

Publication of Results:

Quarter Ended	Date of Publication	Newspaper	
		Vernacular	National
31.03.2018 (Standalone Audited Financial Results)	12.05.2018	Kannada Prabha	Business Standard (English & Hindi)
31.03.2018 (Consolidated Audited Financial Results)	31.05.2018	Prajavani	Business Standard (English & Hindi)
30.06.2018	26.07.2018	Kannada Prabha	Financial Express (English) Jan Satta (Hindi)
30.09.2018	01.11.2018	Kannada Prabha	Business Standard (English & Hindi)
31.12.2018	29.01.2019	Vijayavani	Business Standard (English & Hindi)
31.03.2019 (Standalone Audited Financial Results)	11.05.2019	Udayavani	Business Standard (English & Hindi)
31.03.2019 (Consolidated Audited Financial Results)	23.05.2019	Kannada Prabha	Business Standard (English & Hindi)

9) General Shareholders' Information:

- Financial Calendar

Financial year	2018-2019
Book Closure Date	19.07.2019 - 25.07.2019
(both days inclusive)	
Last Date for receipt of proxy forms	20.07.2019
e-Voting Cut-Off Date	18.07.2019
Date of Annual General Meeting	25.07.2019
Time of Annual General Meeting	10.30 AM
Venue of Annual General Meeting	Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru - 560001

- Listing on Stock Exchanges:

Canara Bank shares are listed at the following Stock Exchanges. Stock Codes of respective stock exchanges are furnished against their names.

1	Bombay Stock Exchange Ltd.	532483
2	National Stock Exchange of India Limited	CANBK

Annual Listing fee to stock exchanges for the year 2018-19 has been paid within the prescribed due date.

• बाजार मूल्य आंकडे :

माह	वर्ष	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.		
		अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा	अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा
अप्रैल	2018	296	250	1,24,47,585	292	250	17,56,77,860
मई	2018	272	234	1,20,63,956	272	235	18,34,67,076
जून	2018	284	241	62,51,482	284	241	13,29,10,222
जुलाई	2018	292	220	93,34,756	293	217	15,97,29,033
अगस्त	2018	302	265	73,19,430	302	265	13,64,16,833
सितंबर	2018	293	210	77,70,353	293	209	13,48,74,068
अक्टूबर	2018	263	205	99,65,787	264	205	16,46,29,345
नवंबर	2018	272	235	85,34,782	272	235	14,61,66,065
दिसंबर	2018	282	236	66,67,778	282	235	10,99,26,033
जनवरी	2019	290	238	58,94,009	290	238	10,73,07,582
फरवरी	2019	252	213	44,40,390	252	213	9,70,88,397
मार्च	2019	298	232	72,69,692	300	233	11,20,94,012

• Market Price Data

Month	Year	Bombay Stock Exchange Ltd.			National Stock Exchange of India Ltd.		
		High (₹)	Low (₹)	Volume No.	High (₹)	Low (₹)	Volume No.
April	2018	296	250	1,24,47,585	292	250	17,56,77,860
May	2018	272	234	1,20,63,956	272	235	18,34,67,076
June	2018	284	241	62,51,482	284	241	13,29,10,222
July	2018	292	220	93,34,756	293	217	15,97,29,033
August	2018	302	265	73,19,430	302	265	13,64,16,833
September	2018	293	210	77,70,353	293	209	13,48,74,068
October	2018	263	205	99,65,787	264	205	16,46,29,345
November	2018	272	235	85,34,782	272	235	14,61,66,065
December	2018	282	236	66,67,778	282	235	10,99,26,033
January	2019	290	238	58,94,009	290	238	10,73,07,582
February	2019	252	213	44,40,390	252	213	9,70,88,397
March	2019	298	232	72,69,692	300	233	11,20,94,012

• अन्य प्रकटन:

सेबी ने अपने परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/10/2010 दिनांक 16.12.2010 द्वारा ईक्विटी लिस्टिंग करार के खण्ड 5ए में संशोधन किये हैं। संशोधन के अनुसार, सार्वजनिक या किसी अन्य इश्यू के परिणामस्वरूप भौतिक रूप में जारी किये गये शेयरों, जो अदावी रह जाते हैं, के लिए जारीकर्ता कंपनी द्वारा उसमें निर्धारित प्रक्रिया अपनानी है।

बैंक ने 2002-03 के दौरान आईपीओ जारी करके निवेशकों को ₹10/- अंकित मूल्य के 41 करोड़ ईक्विटी शेयर भौतिक और डिमैट दोनों रूपों में जारी किये।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन की अनुसूची V के मद एफ के अनुसार, भौतिक शेयरों के मामले में अदावी शेयर जारीकर्ता बैंक द्वारा निक्षेपागार सहभागी के साथ खोले गए उचित खाते में जमा किया जाना है। तदनुसार बैंक ने केनरा बैंक, डीपी कक्ष, बेंगलूर में एक विभौतिक (डीमैट) खाता खोला है। तदसंबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

खाते का नाम: केनरा बैंक- अदावी उचित खाते- भौतिक शेयर डीपीआईडी आईडी / ग्राहक पहचान संख्या : 301356 / 20552606

विवरण	शेयर प्रमाणपत्रों की संख्या	शेयरों की संख्या
यथा 01.04.2012 को	4(अदावी)	2200
2012-13 में अदावी उचित खाते को अंतरित (उपर्युक्तानुसार)	2	1200
पहचान किए गए / डी आर टी मामले	1	500
पहचान किए गए तथा 2013-14 में हस्तांतरित	1	500
यथा 01.04.2018 को लंबित	--	--
यथा 31.03.2019 को लंबित	--	--

अधिकार निर्गम - 2017

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
शेयरधारकों की कुल संख्या और उचित खाते में बकाया शेयर वर्ष के आरंभ में शेष	344	12216
वर्ष के दौरान उचित खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए सूचीबद्ध इकाई से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	21	937
शेयरधारकों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान उचित खाते से शेयर हस्तांतरित किए गए	21	937
शेयरधारकों की कुल संख्या और उचित खाते में बकाया शेयर वर्ष के अंत में शेष	232	11279

• Other Disclosures:

The SEBI, vide its Circular CIR/CFD/DIL/10/2010, dated 16.12.2010, made amendments to Clause 5A of the Equity Listing Agreement. As per the amendment, for shares issued in physical form pursuant to a public issue or any other issue, which remain unclaimed, the issuer company has to follow the procedure prescribed therein.

The Bank went for IPO during 2002-03 and issued 41 Crore Equity Shares of face value of ₹10/- to the investors both under Physical mode and Demat mode.

In terms of Item F of Schedule V of SEBI (LODR) Regulations, the Unclaimed shares of the Bank in respect of Physical shares shall be credited to a demat suspense account opened by the issuer with one of the depository participants. Accordingly, the Bank had opened a Demat Account with Canara Bank, DP Cell, Bangalore. The details are as under :









Name of the Account: Canara Bank – Unclaimed Suspense Account – Physical Shares DPID / Client ID Number : 301356 / 20552606

Particulars	No. of Share Certificates	No. of Shares
As on 01.04.2012	4 (Unclaimed)	2200
Transferred to Unclaimed Suspense Account (as stated above) in 2012-13	2	1200
Identified / DRT Case	1	500
Identified & handed over in 2013-14	1	500
Pending as on 01.04.2018	--	--
Pending as on 31.03.2019	--	--

Right Issue - 2017

Particulars	No. of cases	No. of shares
Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account lying at the beginning of the year	344	12216
Number of shareholders who approached listed entity for transfer of shares from suspense account during the year	21	937
Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year	21	937
Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account lying at the end of the year	232	11279

व्यापक आधार सूचकांकों के प्रति कार्यनिष्पादन Performance in Comparison to Broad Based Indices



• रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट

कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट: केनरा बैंक
कार्वी सेलिनियम टावर बी, प्लॉट सं.31-32,
गाच्चीबोवली, नानाक्रमगुडा वित्तीय जिला
हैदराबाद - 500 032

• शेयर अंतरण प्रणाली

(क) भौतिक शेयर:

शेयरों के अंतरण / प्रेषण के लिए अंतरण विलेख के साथ मूल शेयर प्रमाणपत्र, बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अग्रेषित करना चाहिए।

(ख) डिमैट रूप में शेयर:

डिमैट रूप में शेयर हों तो, उनको अंतरित करने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) को सुपुर्दगी अनुदेश देने हैं।

• शेयर धारण का संवितरण (31.03.2019)

क्र. मांक	श्रेणी	# शेयरों की संख्या***	शेयर धारण का %
1	भारत सरकार	53,19,44,775	70.62
2	बैंक व वित्तीय संस्थाएं	23,64,303	0.32
3	बीमा कंपनियों	7,03,23,693	9.34
4	म्युचुअल फंड	6,03,13,188	8.01
5	कॉर्पोरेट निकाय	59,77,628	0.79
6	एन आर आई / ओ सी बी	7,62,274	0.10
7	निवासी व्यक्ति / अविभक्त हिन्दू परिवार / न्यास आदि	4,94,90,969	6.56
8	विदेशी संस्थागत निवेशक / एफ पी आई	3,20,67,945	4.26
	कुल	75,32,44,775	100.00

प्रत्येक शेयर का नामिक मूल्य ₹10/- है

***नोट: बैंक ने 06.02.2019 को केनरा बैंक - कर्मचारी शेयर क्रय योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को 2 करोड़ इक्विटी शेयर जारी / आवंटित किए हैं। तदनुसार बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी बढ़कर ₹753.24 करोड़ हो गई है।

• Registrar and Transfer Agent

Karvy Fintech Pvt. Ltd
Unit: Canara Bank
Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda
HYDERABAD - 500 032

• Share Transfer System

(a) Physical Shares:

The Original Share Certificates along with transfer deed should be forwarded to Karvy Fintech Pvt. Ltd, Hyderabad, the Registrar and Share Transfer Agents of the Bank for transfer / transmission of shares.

(b) Shares in Demat form:

In case the shares are in demat form, Delivery Instructions are to be given to the concerned Depository Participant (DP) for transfer of shares.

• Distribution of Shareholding (31.03.2019)

Sl. No.	Category	# No. of Shares***	% of Shareholding
1	Government of India	53,19,44,775	70.62
2	Banks & Financial Institutions	23,64,303	0.32
3	Insurance Companies	7,03,23,693	9.34
4	Mutual Funds	6,03,13,188	8.01
5	Bodies Corporate	59,77,628	0.79
6	NRIs / OCBs	7,62,274	0.10
7	Resident Individuals / HUF / Trust etc.	4,94,90,969	6.56
8	Foreign Institutional Investors / FPIs	3,20,67,945	4.26
	TOTAL	75,32,44,775	100.00

Nominal value of each share is ₹10/-

***Note : The Bank has issued / allotted 2 Crore equity shares to eligible employees under Canara Bank - Employee Share Purchase Scheme on 06.02.2019. Accordingly the total paid-up capital of the bank increased to ₹753.24 Crore.

मूल्य वार:

(31.03.2019)

शेयर धारण का नामिक मूल्य (₹)	शेयर धारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5000 तक	1,68,427	87.30	2,23,43,224	2.97
5001 से 10000	17,582	9.11	1,31,69,542	1.74
10001 से 20000	5,235	2.72	71,49,957	0.95
20001 से 30000	865	0.45	21,20,818	0.28
30001 से 40000	183	0.09	6,31,998	0.08
40001 से 50000	143	0.07	6,49,174	0.09
50001 से 100000	203	0.11	14,50,198	0.20
100001 व उससे अधिक	299	0.15	70,57,29,864	93.69
कुल	1,92,937	100	75,32,44,775	100

Value wise:

(31.03.2019)

Shareholding Nominal Value (₹)	No. of Shareholders	%	No. of Shares	%
Up to 5000	1,68,427	87.30	2,23,43,224	2.97
5001 to 10000	17,582	9.11	1,31,69,542	1.74
10001 to 20000	5,235	2.72	71,49,957	0.95
20001 to 30000	865	0.45	21,20,818	0.28
30001 to 40000	183	0.09	6,31,998	0.08
40001 to 50000	143	0.07	6,49,174	0.09
50001 to 100000	203	0.11	14,50,198	0.20
100001 and above	299	0.15	70,57,29,864	93.69
TOTAL	1,92,937	100	75,32,44,775	100

• शेयरों का अभौतिकीकरण और नकदी :

बैंक के शेयरों का खरीद-फरोख्त अनिवार्यतया अभौतिकीकृत रूप में ही किया जाता है। अपने शेयर के अभौतिकीकरण के लिए बैंक मेसर्स नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉसिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और मेसर्स सेंट्रल डिपॉसिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) के साथ करार में प्रविष्ट हुआ। बैंक शेयर के लिए आर्बिटि आईएसआईएन आईएनई.476ए01014 है। शेयरों का अभौतिकीकरण उनका आसान नकदीकरण सुनिश्चित करता है।

बैंक के शेयरों का अभौतिक रूप में ही खरीद फरोख्त होने के कारण भौतिक रूप में शेयरों का धारण करनेवाले शेयरधारकों को किसी निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अभौतिक खाता खोलकर शेयरों के विभौतिक रूप में बदलने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) को भेजना है जो उन्हें आगे मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को भेजेंगे, जो बैंक का रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट है।

अभौतिक / भौतिक रूप से धारण (31.03.2019)

	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
भौतिक	20,627	10.69	46,69,676	0.62
इलेक्ट्रॉनिक – एनएसडीएल	1,32,464	68.66	20,91,13,581	27.76
इलेक्ट्रॉनिक – सीडीएसएल	39,846	20.65	53,94,61,518	71.62
कुल	1,92,937	100.00	75,32,44,775	100.00

- जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखतें बकाया नहीं हैं।
- पत्राचार का पता:

केनरा बैंक
सचिवीय प्रभाग
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का सचिवालय
प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड
बेंगलूर- 560 002
ई-मेल पता : hosecretarial@canarabank.com

• Dematerialisation of Shares and liquidity:

The Bank's shares are traded compulsorily in dematerialized form only. The Bank has entered into agreement with M/s National Securities Depository Limited (NSDL) and M/s Central Depositories Services (India) Limited (CDSL) for Dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN allotted to the Bank's shares is INE476A01014. Dematerialisation of the shares ensures easy liquidity.

Since the shares of the Bank are traded in demat mode, the shareholders holding shares in physical form, have to open Demat Accounts with any of the Depository Participant (DP) and surrender their original share certificates to the concerned Depository Participant (DP) for onward transmission to Karvy Fintech Private Limited, Hyderabad, the R & T Agents of the Bank, for conversion of shares in demat form.

Demat / Physical Holding (31.03.2019)

	Number of Shareholders	%	Number of Shares	%
Physical	20,627	10.69	46,69,676	0.62
Electronic-NSDL	1,32,464	68.66	20,91,13,581	27.76
Electronic-CDSL	39,846	20.65	53,94,61,518	71.62
TOTAL	1,92,937	100.00	75,32,44,775	100.00

- There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any convertible instruments.
- Address for Correspondence:

CANARA BANK
SECRETARIAL DEPARTMENT
MD & CEO'S SECRETARIAT
HEAD OFFICE, 112, J C ROAD
BENGALURU - 560 002
EMAIL ID: hosecretarial@canarabank.com

• क्रेडिट रेटिंग्स

क्र. सं.	आईएसआईएन	डिबेंचर शृंखला	राशि करोड़ों में	आर्बटन की दिनांक	मोचन दिनांक	क्रिसिल रेटिंग दिनांक 27/03/2019	इक्रा रेटिंग दिनांक 29/03/2019	इंडिया रेटिंग दिनांक 26/10/2018	ब्रिकवर्क रेटिंग दिनांक 30/03/2019
1	आईएनई476अ09215	स्थायी - टीयर -I (शृंखला II)	600.00	21/अगस्त/2009	स्थायी	क्रिसिल एएए / स्थिर			बीडब्ल्यूआर एएए / स्थिर
2	आईएनई476अ09223	स्थायी - टीयर I (शृंखला III)	749.30	03/अगस्त/2010	स्थायी	क्रिसिल एएए / स्थिर			बीडब्ल्यूआर एएए / स्थिर
3	आईएनई476अ09231	अपर टीयर II शृंखला III	1,000.00	29/सित./2010	29/सित./2025	क्रिसिल एएए / स्थिर			बीडब्ल्यूआर एएए / स्थिर
4	आईएनई476अ09249	बासेल III टीयर II एसईआर I	1,500.00	03/जन./2014	03/जन./2024	क्रिसिल एएए / स्थिर	इक्रा (एएए) (एचवाईबी) / ऋणात्मक		
5	आईएनई476अ09256	बासेल III टीयर II एसईआर II	1,000.00	27/मार्च/2014	27/मार्च/2024	क्रिसिल एएए / स्थिर	इक्रा (एएए) (एचवाईबी) / ऋणात्मक		
6	आईएनई476अ08035	बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टीयर I	1,500.00	05/मार्च/2015	स्थायी		इक्रा (एए) (एचवाईबी) / ऋणात्मक	इंडिया एएए / स्थिर	
7	आईएनई476अ09264	बासेल III अनुपालन टीयर II बॉड्स 2015-16 (शृंखला)	1,500.00	31/दिस./2015	31/दिस./2025	क्रिसिल एएए / स्थिर	इक्रा (एएए) (एचवाईबी) / ऋणात्मक	इंडिया एएए / स्थिर	
8	आईएनई476अ08043	बासेल III अनुपालन टीयर II बॉड्स 2015-16 (शृंखला II)	900.00	07/जन./2016	07/जन./2026	क्रिसिल एएए / स्थिर	इक्रा (एएए) (एचवाईबी) / ऋणात्मक	इंडिया एएए / स्थिर	
9	आईएनई476अ08050	बासेल III अनुपालन टीयर II बॉड्स 2016-17	3,000.00	27/अप्रैल/2016	27/अप्रैल/2026	क्रिसिल एएए / स्थिर	इक्रा (एएए) (एचवाईबी) / ऋणात्मक	इंडिया एएए / स्थिर	
10	आईएनई476अ08068	बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टीयर I बॉड्स 2016-17 शृंखला I	1,000.00	13/दिस./2016	स्थायी	क्रिसिल एए / स्थिर		इंडिया एएए / स्थिर	
		कुल बकाया	12,749.30						
11		जमा का प्रमाण पत्र	30,000.00			क्रिसिल ए1+	इक्रा ए1+		

• बैंक द्वारा बॉण्डस जारी किए गए ट्रस्टी का विवरण अधोलिखित है:

बॉण्ड ट्रस्टी का नाम	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
पता	कार्पोरेट कार्यालय, एपीजे हाउस, छठा तल, 3 दिनशाँ वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020
दूर भाष संख्या	022-43025555

• Credit Ratings

Sl. No.	ISIN	Debenture Series	Amount in Crores	Date of Allotment	Redemption Date	CRISIL RATING DATED 27/03/2019	ICRA RATING DATED 29/03/2019	INDIA RATING DATED 26/10/2018	BRICKWORK RATING DATED 30/03/2019
1	INE476A09215	Perpetual-Tier I (Series II)	600.00	21-Aug-09	PERPETUAL	CRISIL AAA/ Stable			BWR AAA / Stable
2	INE476A09223	Perpetual-Tier I (Series III)	749.30	03-Aug-10	PERPETUAL	CRISIL AAA/ Stable			BWR AAA / Stable
3	INE476A09231	Upper Tier II Series III	1,000.00	29-Sep-10	29-Sep-25	CRISIL AAA/ Stable			BWR AAA / Stable
4	INE476A09249	BASEL III TIER II SER I	1,500.00	03-Jan-14	03-Jan-24	CRISIL AAA/ Stable	ICRA (AAA) (HYB)/Negative		
5	INE476A09256	BASEL III TIER II SER II	1,000.00	27-Mar-14	27-Mar-24	CRISIL AAA/ Stable	ICRA (AAA) (HYB)/Negative		
6	INE476A08035	Basel III Compliant Additional Tier I	1,500.00	05-Mar-15	PERPETUAL		ICRA (AA) (HYB)/Negative	IND AA / Stable	
7	INE476A09264	Basel III Compliant Tier II Bonds 2015-16 (Series I)	1,500.00	31-Dec-15	31-Dec-25	CRISIL AAA/ Stable	ICRA (AAA) (HYB)/Negative	IND AAA / Stable	
8	INE476A08043	Basel III Compliant Tier II Bonds 2015-16 (Series II)	900.00	07-Jan-16	07-Jan-26	CRISIL AAA/ Stable	ICRA (AAA) (HYB)/Negative	IND AAA / Stable	
9	INE476A08050	Basel III Compliant Tier II Bonds 2016-17	3,000.00	27-Apr-16	27-Apr-26	CRISIL AAA/ Stable	ICRA (AAA) (HYB)/Negative	IND AAA / Stable	
10	INE476A08068	Basel III Compliant Additional Tier I Bonds 2016-17 Series I	1,000.00	13-Dec-16	PERPETUAL	CRISIL AA / Stable		IND AA / Stable	
		TOTAL OUTSTANDING	12,749.30						
11		Certificate of Deposit	30,000.00			CRISIL A1+	ICRA A1+		

• The details of the Trustee for bonds issued by Bank are as under.

Name of the Bond Trustee	SBICAP Trustee Company Ltd
Address	Corporate Office, Apeejay House, 6th Floor, 3, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai - 400 020
Phone Number	022-43025555



10) प्रकटन:

- क) बैंक के संबंधित पक्ष संव्यवहार को यथा 31.03.2019 के तुलन-पत्र के लेखांकन संबंधी अनुसूची 18 में प्रकट की गई है। आगे, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहार नहीं हुआ है।
- ख) बैंक ने अपने शेयरों का सूचीकरण करने के बाद पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का अनुपालन किया है। गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी अथवा किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर न कोई दंड लगाया गया है और न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।
- ग) बैंक ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार व्हिसल ब्लोअर नीति स्थापित की है तथा व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान की गई है।
- घ) बैंक ने अपने विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सारी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। भारिबै / सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए जुर्माने का विवरण लेखों पर टिप्पणियों के अनुच्छेद 4.8.2 में प्रकट किया गया है।
- ड) एवं च) कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रावधानों से संबंधित नीतियों (कॉर्पोरेट प्रशासन नीति और संबंधित पक्ष संव्यवहार के लिए नीति और 'सामग्री' अनुषंगियों के निर्धारण के लिए) इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है एवं इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है : www.canarabank.com → About Us → Shareholder Information Page.
- छ) वस्तु मूल्य जोखिम का प्रकटीकरण एवं वस्तु बचाव हेतु गतिविधियाँ: लागू नहीं
- ज) अधिमानी आवंटन के माध्यम से जुटाई गई निधि के उपयोग का विवरण: बैंक ने 27.03.2018 को 10 रुपये मूल्य के 135954616 शेयर भारत सरकार के अधिमानी आधार ₹357.84 के मूल्य पर जारी कर ₹4865 करोड़ जुटाए। जुटाई गई धनराशि को गैर-हस्तांतरणीय भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया गया।

10) Disclosures:

- a) The Related Party Transactions of the Bank are disclosed in the notes on accounts schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2019. Further, there are no materially significant related party transactions during the financial year 2018-19.
- b) The Bank has complied with all matters related to capital market since its listing of shares. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authorities on any matter related to capital Markets, during the last three years.
- c) The Bank has drawn Whistle Blower Policy as per the GOI guidelines and the protection has been extended to the Whistle Blower.
- d) The Bank has complied with all the mandatory requirements prescribed by Regulatory Authorities. The details of penalties levied by RBI / Statutory authorities have been disclosed in Para 4.8.2 of Notes on Accounts.
- e) & f) The policies related to the provisions of Corporate Governance (**Corporate Governance Policy and Policy for Related Party Transactions and for determining 'Material' Subsidiaries**), Code of Conduct for prevention of insider Trading have been uploaded on the site of the Bank and the same can be viewed at the following link : www.canarabank.com → About Us → Shareholder Information Page.
- g) Disclosure of Commodity price risks and commodity hedging activities: Not Applicable
- h) Details of utilization of funds raised through preferential allotment : The Bank raised ₹4865 Crore on 27.03.2018 by issue / allotment of 135954616 shares of ₹10 each issued at a price of ₹357.84 to Government of India on preferential basis. The funds raised were invested in non-transferable Government of India Securities.

झ) सीएस एस विश्वनाथन, पेशेवर कंपनी सचिव ने प्रमाणित किया है कि यथा 31.03.2019 को बोर्ड (सेबी) या ऐसी अन्य कोई सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशकों में से किसी को भी केनरा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है – इस रिपोर्ट में परिशिष्ट ग के बाद उक्त प्रमाणपत्र दिया गया है।

ञ) वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था कि बोर्ड ने बोर्ड समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है और अनिवार्य रूप से आवश्यक सभी सिफारिशों को अनुमोदित किया गया है।

ट) सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किया गया कुल शुल्क (समेकित) का विवरण।

अ. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को दिए गए कुल व्यावसायिक शुल्क और अन्य व्यय – ₹73.95 करोड़।

आ. कुल व्यावसायिक शुल्क और भुगतान किए गए अन्य संबंधित खर्च और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किए गए प्रावधान – ₹68.68 करोड़।

ठ) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटन:

अ. वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या - 2

आ. वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या - 2

इ. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या - 0

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 27(1) की विवेकाधीन अपेक्षा का कार्यान्वयन निम्नानुसार किया गया है:

i) CS S. Viswanathan, Practicing Company Secretary has certified that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as the Directors of Canara Bank, by the Board (SEBI) or any such statutory authority as on 31.03.2019 - The said Certificate is provided after the APPENDIX C to the report.

j) During the FY 2018-19, there was no instance that the board had not accepted any recommendation of the committee of the board which is mandatorily required and all the recommendations which are required mandatorily have been approved.

k) Details of total fees (consolidated) paid to Statutory Auditors.

a. Total Professional Fee and other expenses paid to statutory Auditors for the Financial Year 2017-18 - ₹73.95 Crore.

b. Total professional fee and other related expenses paid and made provision for financial year 2018-19 - ₹68.68 Crore.

l) Disclosures in relation to the Sexual Harrassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

a. Number of complaints filed during the financial year - 2

b. Number of complaints disposed of during the financial year - 2

c. Number of complaints pending at the end of the financial year - 0

The extent of implementation of Discretionary Requirements of Regulation 27(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 is as under:



क्रमांक	विवेकाधीन अपेक्षा	कार्यान्वयन की स्थिति
क	बोर्ड गैर कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष का कार्यालय संभालने हेतु अर्ह हैं और साथ ही अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति उन्हें अनुमत है।	हां
ख	शेयर धारक के अधिकार	बैंक ने वर्ष के दौरान किए गए उल्लेखनीय विकासों से संबंधित सार संक्षेप सहित वार्षिक वित्तीय परिणाम सारे शेयरधारकों को भेजा है। वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट पर भी अद्यतन किए जाते हैं।
ग	लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय	वर्ष 2018-19 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट असम्बद्ध राय के साथ प्रस्तुत की गई है। बैंक के लेखा परीक्षक रिपोर्ट में विशेष कुछ नहीं है।
घ	अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलग-अलग पद	भारत सरकार ने अध्यक्ष एवं प्र.नि. व मु.का.अ. के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नामित / नियुक्त किया है।
ङ	आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग	महा प्रबंधक, निरीक्षण विभाग (आंतरिक लेखापरीक्षा) तथा उनके द्वारा नामांकित अधिकारियों को सभी अभिलेखों, आस्तियों, कार्यकलापों तथा कार्मिकों और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति व वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र में पूर्ण व अप्रतिबंधित अभिगम है।

Sr. No.	Discretionary Requirements	Status of Implementation
A	The Board A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	YES
B	Shareholder Rights	The Bank has sent Annual Financial Results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders. The financial results are also updated on the website of the bank
C	Modified opinion(s) in audit report	The Audit Report for the year 2018-19 is submitted with UNMODIFIED OPINION. There is no qualification in Auditors report of the Bank.
D	Separate Posts of Chairman and CEO	The Government of India has nominated / appointed separate persons to the post of Chairperson and MD & CEO.
E	Reporting of Internal Auditor	The General Manager, Inspection Wing (Internal Audit) and the officials nominated by him have unrestricted access to all records, assets, functions and personnel & have full and free access to the Audit Committee of the Board and Senior Management.

- निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति / अन्य समितियों का गठन, निदेशकों का पारिश्रमिक, बोर्ड प्रक्रिया / संबंधित पक्ष लेन-देन / व्हिसल ब्लोअर / प्रबंधन और हमारे बैंक के संबंध में अनुपालन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इस संबंध में भारिबै के अनुदेश / भारत सरकार के दिशानिर्देश / आईसीएआई – लेखा मानक के प्रावधानों के तहत अभिशासित होते हैं। बैंक 17 से 27 के विनियमन में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताओं का अनुपालन करता है और विनियमन 46 के उप-विनियमन (2) के खंड (बी) से (आई) तक उल्लिखित दिशानिर्देशों / विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।
- सीईओ और सीएफओ प्रमाणन:** बैंक के एमडी और सीईओ और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) ने निदेशक मंडल को सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(8) के तहत आवश्यक वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण पर प्रमाण पत्र दिया है।
- आचार संहिता**
बैंक ने 'आचार संहिता' को अपनाया है जो बैंक और उसके कर्मचारियों पर लागू होता है, जिसमें प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक और गैर-कार्यपालक / स्वतंत्र / शेरधारक / सरकार द्वारा नामित / भारिबै द्वारा नामित निदेशक भी शामिल हैं। आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट www.canarabank.com पर भी डाली जाती है।
- लाभांश वितरण नीति**
बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया है क्योंकि विनियोग के बाद लाभांश के वितरण के लिए निवल लाभ उपलब्ध नहीं है।
बैंक के पास लाभांश वितरण नीति है जो बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर डाउनलोड करने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध है About Us → Shareholder Information Page
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा**
सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और सेबी परिपत्र सीआईआईआर/सीएफडी / सीएमडीन / 27/2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के विनियम 24ए की आवश्यकताओं के अनुसार, बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में श्री एस. विश्वनाथन, पेशेवर कंपनी सचिव (सीओपी 5284) की नियुक्ति की है और बैंक के सदस्यों को संबोधित उनकी रिपोर्ट, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, को बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है।
- The Constitution of Board of Directors, Audit Committee / other Committees, Remuneration of Directors, Board procedures / Related Party Transactions / Whistle Blower/ Management and compliance in respect of our Bank are governed under the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and RBI Directives / GOI Guidelines / ICAI - Accounting Standards in this regard. The Bank complies with corporate governance requirements specified in regulation 17 to 27 and clause (b) to (i) of sub-regulation (2) of regulation 46 to the extent it does not violate the provisions of aforesaid guidelines / regulations.
- CEO and CFO Certification:** The MD & CEO and the Chief Financial Officer (CFO) of the Bank have given certification on financial reporting and internal controls of Bank for the financial year 2018-19 to the Board of Directors as required under regulation 17(8) of SEBI (LODR), Regulations, 2015.
- Code of Conduct**
The bank has adopted the 'Code of Conduct' which is applicable to the Bank and its employees, including the Managing Director and Executive Directors and also the non-executive / independent / shareholder director / Govt. Nominee / RBI Nominee. The Code of conduct is posted on the Company's website at www.canarabank.com.
- Dividend Distribution Policy**
The Bank has not declared any dividend for financial year 2018-2019 since Net profit is not available for distribution of Dividend after appropriation.
The Bank has in place Dividend Distribution Policy which is available to download at Bank's website www.canarabank.com at the following link :-
About Us → Shareholder Information Page
- Secretarial Audit for Financial Year 2018-19**
Pursuant to the requirements of Regulation 24A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 & SEBI Circular CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019, the Bank has appointed Shri S. VISWANATHAN Practising Company Secretary (COP 5284) as the Secretarial Auditor for FY 2018-19 and their report addressed to the members of the Bank which forms part of this Annual Report is attached as an annexure to the Board's report.



परिशिष्ट क

i. निदेशक मंडल की संरचना (31.03.2019)

क्र सं	नाम	प्रकार	कार्यकाल	अन्य बोर्डों में अध्यक्षता / सदस्यता
1.	श्री टी. एन. मनोहरन	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष	14.08.2015-13.08.2020	1. टेक महिंद्रा लि. में स्वतंत्र निदेशक 2. महिंद्रा एंड महिंद्रा लि. में स्वतंत्र निदेशक
2.	श्री मठम वेंकट राव	का नि	09.10.2017-08.10.2020	1. केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. में गैर कार्यपालक निदेशक
3.	श्री देवाशीष मुखर्जी	का नि	19.02.2018-18.02.2021	1. केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कं. लि. में गैर कार्यपालक निदेशक 2. केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में गैर कार्यपालक निदेशक 3. केनरा बैंक सिक्यूरिटीज लि. में गैर कार्यपालक निदेशक 4. केनफिन होम्स लि. में गैर कार्यपालक निदेशक 5. उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी में गैर कार्यपालक निदेशक 6. केनरा वेंचर केपिटल फंड लि. में गैर कार्यपालक निदेशक
4.	सुश्री ए. मणिमेखलई	का नि	11.02.2019-10.02.2022	1. केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. में गैर कार्यपालक निदेशक 2. केनबैंक फेक्टर्स लि. में गैर कार्यपालक निदेशक 3. केनबैंक कंप्यूटर सेवाएं लि. में गैर कार्यपालक निदेशक
5.	श्री सुचीन्द्र मिश्रा	भा. स द्वारा नामित	14.06.2016 से अगले आदेश तक	शून्य
6.	श्रीमती उमा शंकर	भा.रि.बै. द्वारा नामित	23.02.2015-26.04.2019	शून्य
7.	श्री एच कृष्णमूर्ति	शे नि	27.07.2016-26.07.2019	1. इंस्टिट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट में मुख्य अनुसंधान वैज्ञानिक 2. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस
8.	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	शे नि	27.07.2016-26.07.2019	1. उषा मार्टिन लि. में गैर कार्यपालक निदेशक

Appendix A

i. COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS (31.03.2019)

SI NO.	NAME	TYPE	TERM OF OFFICE	CHAIRMANSHIP/ MEMBERSHIP OF OTHER BOARDS
1.	SHRI T N MANOHARAN	Non-Executive Chairman	14.08.2015-13.08.2020	1. Tech Mahindra Limited as Independent Director 2. Mahindra and Mahindra Limited as Independent Director
2.	SHRI MATAM VENKATA RAO	ED	09.10.2017-08.10.2020	1. Canara HSBC OBC Life Insurance Co. Ltd, as Non-Executive Director
3.	SHRI DEBASHISH MUKHERJEE	ED	19.02.2018-18.02.2021	1. Canara Robeco Asset Management Company Limited, as Non-Executive Director 2. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited, as Non-Executive Director 3. Canara Bank Securities Limited, as Non-Executive Director 4. CanFin Homes Limited, as Non-Executive Director 5. Higher Education Financing Agency, as Non-Executive Director 6. Canara Venture Capital Fund Limited, as Non-Executive Director
4.	Ms A. MANIMEKHALAI	ED	11.02.2019-10.02.2022	1. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited, as Non-Executive Director 2. CanBank Factors Limited, as Non-Executive Director 3. CanBank Computer Services Limited, as Non-Executive Director
5.	SHRI SUCHINDRA MISRA	GOI Nominee	14.06.2016 Till further orders	NIL
6.	SMT UMA SHANKAR	RBI Nominee	23.02.2015-26.04.2019	NIL
7.	SHRI H KRISHNAMURTHY	SD	27.07.2016-26.07.2019	1. Institute of Insurance and Risk Management as Chief Research Scientist 2. Indian Institute of Banking and Finance
8.	SHRI VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER	SD	27.07.2016-26.07.2019	1. Usha Martin Limited, as Non-Executive Director

ii. 2018-19 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों का विवरण

1.	श्री राकेश शर्मा	भूतपूर्व - प्र नि एवं मु का अ	11.09.2015 - 31.07.2018	-
2.	श्रीमती पी वी भारती	भूतपूर्व - का नि	15.09.2016 - 31.01.2019	-

ii. PARTICULARS OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2018-19

1.	SHRI RAKESH SHARMA	Ex-MD & CEO	11.09.2015-31.07.2018	-
2.	SMT P V BHARATHI	Ex-ED	15.09.2016-31.01.2019	-

iii. 31.03.2019 के बाद बैंक में कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का विवरण

1	श्री आर ए शंकर नारायणन	प्र नि एवं मु का अ	15.04.2019 – 31.01.2020 (अधिवर्षिता की दिनांक) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो	1. यूनाइटेड इंडिया इश्यूरेंस कं. लि. में गैर कार्यपालक निदेशक 2. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस 3. इंडियन बैंक एसोशिएशन
2	श्री आर केशवन	भा.रि.बैं. द्वारा नामित	26.04.2019 से आगामी आदेशों तक	-

iii. PARTICULARS OF DIRECTORS, JOINED AFTER 31.03.2019

1	SHRI R A SANKARA NARAYANAN	MD & CEO	From 15.04.2019 to 31.01.2020 (Date of superannuation) or until further orders, whichever is earlier	1. United India Insurance Company Limited, as Non-Executive Director 2. Indian Institute of Banking and Finance 3. Indian Banks Association
2	SHRI R KESAVAN	RBI Nominee	From 26.04.2019 Till further orders	-

संकेत / KEY

प्र नि एवं मु का अ / MD & CEO	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी / Managing Director & Chief Executive Officer
का नि / ED	कार्यपालक निदेशक / Executive Director
भा स / GOI	भारत सरकार / Government of India
भा रि बैं / RBI	भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India
अ नि / OD	अधिकारी निदेशक / Officer Director
गैर का नि / NED	गैर-कार्यपालक निदेशक / Non-Executive Director
शे नि / SD	शेयरधारक निदेशक / Shareholder Director
काम. नि / WD	कामगार निदेशक / Workmen Director
ला न / NA	लागू नहीं / Not Applicable

iii. बोर्ड की समितियों की संरचना (यथा 31.03.2019) / iii. COMPOSITION OF COMMITTEES OF THE BOARD (As on 31.03.2019)

समिति / COMMITTEE	अध्यक्ष / CHAIRMAN	सदस्य / MEMBERS
प्रबंधन समिति Management Committee	श्री मठम वेंकट राव Shri Matam Venkata Rao	श्री देवाशीष मुखर्जी / Shri Debashish Mukherjee सुश्री ए. मणिमेखलई / Ms A. Manimekhalai श्रीमती उमा शंकर / Smt. Uma Shankar श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर / Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer
जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	श्री टी.एन. मनोहरन Shri T N Manoharan	श्री मठम वेंकट राव / Shri Matam Venkata Rao श्री देवाशीष मुखर्जी / Shri Debashish Mukherjee सुश्री ए. मणिमेखलई / Ms A. Manimekhalai श्री कृष्णमूर्ति एच / Shri Krishnamurthy H श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर / Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer
लेखापरीक्षा समिति Audit Committee	श्री कृष्णमूर्ति एच Shri Krishnamurthy H	श्री टी.एन. मनोहरन / Shri T.N. Manoharan सुश्री ए. मणिमेखलई / Ms A. Manimekhalai श्री सुचीन्द्र मिश्रा / Shri Suchindra Misra श्रीमती उमा शंकर / Smt. Uma Shankar
हितधारक संबंध समिति Stakeholders Relationship Committee	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer	श्री मठम वेंकट राव / Shri Matam Venkata Rao श्री देवाशीष मुखर्जी / Shri Debashish Mukherjee सुश्री ए. मणिमेखलई / Ms A. Manimekhalai श्री कृष्णमूर्ति एच / Shri Krishnamurthy H
पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee	श्री टी.एन. मनोहरन Shri T N Manoharan	श्री सुचीन्द्र मिश्रा / Shri Suchindra Misra श्रीमती उमा शंकर / Smt. Uma Shankar श्री कृष्णमूर्ति एच / Shri Krishnamurthy H श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर / Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer



निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

क्रमांक	नाम	बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा परीक्षा बैठक	एस.आर.सी.* बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	पिछ-ली वार्षिक सामान्य बैठक	धारित शेयरों की संख्या
		उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित		
1.	श्री टी. एन. मनोहरन	17/17	-	13/13	-	10/10	✓	शून्य
2.	श्री मठम वेंकट राव	17/17	23/23	11/11	02/02	10/10	✓	2873
3.	श्री देवाशीष मुखर्जी	15/17	23/23	-	02/02	09/10	✓	500
4.	सुश्री ए. मणिमेखलई	02/02	-	02/02	01/01	-	-	शून्य
5.	श्री सुचीन्द्र मिश्रा	17/17	-	11/13	-	-	-	शून्य
6.	श्रीमती उमा शंकर	00/17	00/23	00/13	-	-	-	शून्य
7.	श्री कृष्णमूर्ति एच	17/17	-	13/13	02/02	10/10	✓	375
8.	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	17/17	23/23	-	02/02	10/10	-	125

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS

SL. NO.	NAME	BOARD MEETING	MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SRC* MEETING	RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	NO. OF SHARES HELD
		Attended/ Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held		
1.	SHRI T N MANOHARAN	17/17	-	13/13	-	10/10	✓	Nil
2.	SHRI MATAM VENKATA RAO	17/17	23/23	11/11	02/02	10/10	✓	2873
3.	SHRI DEBASHISH MUKHERJEE	15/17	23/23	-	02/02	09/10	✓	500
4.	Ms A. MANIMEKHALAI	02/02	-	02/02	01/01	-	-	Nil
5.	SHRI SUCHINDRA MISRA	17/17	-	11/13	-	-	-	Nil
6.	SMT UMA SHANKAR	00/17	00/23	00/13	-	-	-	Nil
7.	SHRI KRISHNAMURTHY H	17/17	-	13/13	02/02	10/10	✓	375
8.	SHRI VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER	17/17	23/23	-	02/02	10/10	-	125

परिशिष्ट ख

वर्ष 2018-2019 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

1.	श्री राकेश शर्मा	07/07	07/07	-	-	03/03	✓	1379
2.	श्रीमती पी वी भारती	15/15	20/20	6/6	01/01	07/08	✓	5075

नोट : यथा 31.03.2019 को कोई भी निदेशक कोई संपरिवर्तनीय उपकरण नहीं रखता है।

विभिन्न बैठकों की तारीख

	बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा परीक्षा बैठक	एस.आर.सी.* बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक	असाधारण सामान्य बैठक
	03.05.2018	12.04.2018	11.05.2018	05.09.2018	03.05.2018	26.07.2018	-
	11.05.2018	05.05.2018	30.05.2018	26.03.2019	13.06.2018		
	30.05.2018	10.05.2018	13.06.2018		27.06.2018		
	13.06.2018	30.05.2018	25.07.2018		08.08.2018		
	27.06.2018	13.06.2018	08.08.2018		27.09.2018		
	16.07.2018	27.06.2018	27.09.2018		22.11.2018		
	25.07.2018	16.07.2018	31.10.2018		19.12.2018		
	08.08.2018	10.08.2018	22.11.2018		08.01.2019		
	05.09.2018	20.08.2018	19.12.2018		20.02.2019		
	27.09.2018	27.08.2018	08.01.2019		26.03.2019		
	31.10.2018	10.09.2018	28.01.2019				
	22.11.2018	26.09.2018	20.02.2019				
	19.12.2018	09.10.2018	26.03.2019				
	08.01.2019	30.10.2018					
	28.01.2019	17.11.2018					
	20.02.2019	04.12.2018					
	26.03.2019	20.12.2018					
		26.12.2018					
		11.01.2019					
		25.01.2019					
		18.02.2019					
		11.03.2019					
		25.03.2019					

संकेत : एस आर सी : हितधारक संबंध समिति की बैठक

ला न : लागू नहीं

Appendix B

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2018-2019

1.	SHRI RAKESH SHARMA	07/07	07/07	-	-	03/03	✓	1379
2.	SMT P V BHARATHI	15/15	20/20	6/6	01/01	07/08	✓	5075

NOTE : None of the Directors hold any convertible instruments as on 31.03.2019

DATES OF VARIOUS MEETINGS								
	BOARD MEETING	MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SRC* MEETING	RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	EGM	
	03.05.2018	12.04.2018	11.05.2018	05.09.2018	03.05.2018	26.07.2018	-	
	11.05.2018	05.05.2018	30.05.2018	26.03.2019	13.06.2018			
	30.05.2018	10.05.2018	13.06.2018		27.06.2018			
	13.06.2018	30.05.2018	25.07.2018		08.08.2018			
	27.06.2018	13.06.2018	08.08.2018		27.09.2018			
	16.07.2018	27.06.2018	27.09.2018		22.11.2018			
	25.07.2018	16.07.2018	31.10.2018		19.12.2018			
	08.08.2018	10.08.2018	22.11.2018		08.01.2019			
	05.09.2018	20.08.2018	19.12.2018		20.02.2019			
	27.09.2018	27.08.2018	08.01.2019		26.03.2019			
	31.10.2018	10.09.2018	28.01.2019					
	22.11.2018	26.09.2018	20.02.2019					
	19.12.2018	09.10.2018	26.03.2019					
	08.01.2019	30.10.2018						
	28.01.2019	17.11.2018						
	20.02.2019	04.12.2018						
	26.03.2019	20.12.2018						
		26.12.2018						
		11.01.2019						
		25.01.2019						
		18.02.2019						
		11.03.2019						
		25.03.2019						

KEY: SRC: Stakeholders Relationship Committee Meeting.

NA: Not Applicable

परिशिष्ट 'ग'

वर्ष 2018-19 के लिए निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क

क्रमांक	निदेशक का नाम	प्रदत्त उपस्थिति शुल्क (₹)
1	श्री टी.एन.मनोहरन	₹10,30,000/-
2	श्री कृष्णमूर्ति एच	₹11,65,000/-
3	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	₹14,05,000/-

APPENDIX - C

SITTING FEES PAID TO DIRECTORS FOR THE YEAR 2018-19

Sl. No.	Name of the Director	Sitting Fees paid (₹)
1	Shri T N Manoharan	₹10,30,000/-
2	Shri Krishnamurthy H	₹11,65,000/-
3	Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer	₹14,05,000/-

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र
[सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34 (3) और
अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) के अनुसार]

सेवा में,
केनरा बैंक के सदस्य
112, जे सी रोड, टाउन हाल,
बेंगलूरु, कर्नाटक - 560002

केनरा बैंक (इसके बाद कंपनी नाम से संदर्भित किया जाएगा) के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटन, जिसमें सीआईएन (लागू नहीं) है और जिसका पंजीकृत कार्यालय / प्रधान कार्यालय 112, जे सी रोड, टाउन हॉल, बेंगलूरु, कर्नाटक - 560 002 में है भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची v पैरा-सी उप खंड 10 (i) के अनुसार, इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए बैंक द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए जिसकी मैंने जांच की है।

मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी / बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा मुझे प्रस्तुत आवश्यक या स्पष्टीकरण के रूप में निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन सहित) सत्यापन के अनुसार, मैं / हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी / बैंक के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी / बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	बैंक में नियुक्ति की दिनांक
1	श्री टी. एन. मनोहरन	01186248	14.08.2015
2	श्री मठम वेंकट राव	06930826	09.10.2017
3	श्री देवाशीष मुखर्जी	08193978	19.02.2018
4	सुश्री ए. मणिमेखलई	08411575	11.02.2019
5	श्री सुचीन्द्र मिश्रा	01873568	14.06.2016
6	श्रीमती उमा शंकर	-	23.02.2015
7	श्री कृष्णमूर्ति एच	05329716	27.07.2016
8	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	02194830	27.07.2016

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी / बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के लिए कोई आश्वासन है जिसके लिए प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 21 / मई / 2019

नाम: एस. विश्वनाथन
सदस्यता सं. : 5284
सी पी सें. : 5284

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS
[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,
The Members of
CANARA BANK
112, J C Road, Town Hall,
Bengaluru, Karnataka -560002

I have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of CANARA BANK having CIN (Not Applicable) and having Registered Office / Head Office at 112, J C Road, Town Hall, Bengaluru, Karnataka -560002 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before me by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In my opinion and to the best of my information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) as considered necessary and explanations furnished to me by the Company / Bank & its officers, I / We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Company / Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2019 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Company / Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Sr. No.	Name of Director	DIN	Date of Appointment in Bank
1	SHRI T N MANOHARAN	01186248	14.08.2015
2	SHRI MATAM VENKATA RAO	06930826	09.10.2017
3	SHRI DEBASHISH MUKHERJEE	08193978	19.02.2018
4	Ms A. MANIMEKHALAI	08411575	11.02.2019
5	SHRI SUCHINDRA MISRA	01873568	14.06.2016
6	SMT UMA SHANKAR	-	23.02.2015
7	SHRI KRISHNAMURTHY H	05329716	27.07.2016
8	SHRI VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER	02194830	27.07.2016

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the Management of the Company/Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

Place : Bangalore
Date : 21 / May / 2019

Name: S. Viswanathan
Membership No.: 5284
CP No.: 5284



प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा घोषणा

बैंक के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 07.06.2019

AR. P. 2/19

आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

DECLARATION BY MD & CEO

The Board of Directors and the Senior Management Personnel of the Bank have affirmed confirming to the Code of Conduct of the Bank for the year ended 31.03.2019.

Place : Bengaluru
Date : 07.06.2019

R A Sankara Narayanan
Managing Director & CEO

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य

हमने केनरा बैंक द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट संचालन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है, जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के तहत प्रासंगिक विनियमनों में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी क्रियाविधियों व उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है और न ही उस पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों व प्रलेखों तथा हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय में, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के तहत प्रासंगिक विनियमनों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है तथा संबंधित बैंकिंग सांविधिक / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं किया है।

हम घोषित करते हैं कि हितधारकों के संबंध समिति (पूर्व में शेयरधारकों / निवेशकों के शिकायत निवारण समिति) द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार बैंक के खिलाफ एक महीने से अधिक अवधि के लिए कोई भी निवेशक शिकायत लंबित नहीं है।

हम यह उपकथन भी करते हैं कि ऐसा अनुपालन बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न कोई आश्वासन है और न ही वह बैंक की कार्य कुशलता या प्रभावशालिता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंध तंत्र ने बैंक का कारोबार चलाया है।

कृते
डागलिया एंड कं
सनदी लेखाकार
फर्म सं.000671एस

सी ए चेतन कुमार के जैन
साझेदार
सदस्यता संख्या : 224048

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 22.05.2019

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Members of Canara Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by CANARA BANK for the year ended 31st March, 2019 as stipulated in the relevant Regulations under SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the relevant regulations under SEBI (LODR) Regulations, 2015 to the extent these do not violate Relevant Banking Statutes / RBI / GOI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For DAGLIYA & CO.
Chartered Accountants
FRN : 000671S

(CA Chetan Kumar K Jain)
Partner
Membership No. 224048

PLACE : BENGALURU
DATE : 22.05.2019



केनरा बैंक का तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा
तथा नकद प्रवाह विवरणी

2018-2019



**BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK**

2018-2019



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

विचार

1. हमने केनरा बैंक ('बैंक') के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2019 तक तुलन पत्र, तब समाप्त वर्ष का लाभ और हानि खाता और और नकद प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा अन्य स्पष्टीकरण जानकारी सहित वित्तीय विवरण के नोट्स शामिल हैं, जिसमें समाप्त हुए वर्ष के लिए हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं और सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 3857 शाखाओं की विवरणियाँ शामिल की गई हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशों के मुताबिक बैंक द्वारा चयनित की गई हैं। इसमें लेखा परीक्षा नहीं की गई 2439 शाखाओं की विवरणियों से तुलन पत्र, लाभ व हानि खाता और नकद प्रवाह का विवरण शामिल किया गया है। इन लेखा परीक्षित नहीं की गई शाखाओं में 4.81 प्रतिशत अग्रिम, 14.93 प्रतिशत जमा, 3.80 प्रतिशत ब्याज आय और 15.11 प्रतिशत ब्याज खर्च है।
2. हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई स्पष्टीकरण जानकारी के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा अपेक्षित जानकारी बैंक के लिए आवश्यक ढंग से और आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं:

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,

The Members of Canara Bank

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of Canara Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2019, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches audited by us and 3857 branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and Statement of Cash Flows are the returns from 2439 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 4.81 percent of advances, 14.93 per cent of deposits, 3.80 per cent of interest income and 15.11 per cent of interest expenses.
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give a true and fair view:

- क. तुलन पत्र के मामले में, यथा 31 मार्च, 2019 को बैंक के मामलों की स्थिति;
- ख. लाभ और हानि खाते के मामले में, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सही संतुलन; तथा
- ग. उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण के मामले में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण।

- a. In case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2019;
- b. In case of Profit and loss account, of the profit for the year ended on that date; and
- c. In case of statement of cash flows, of its cash flows for the year ended on that date.

विचार के लिए आधार

3. हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा (एसए) मानकों के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा आयोजित की। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के मानकों के तहत हमारा उत्तरदायित्व आगे वर्णित किया गया है। हम भारत में वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा से संबंधित नैतिक दायित्वों के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि वित्तीय विवरण पर हमारा विचार व्यक्त करने के लिए हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

4. लेखा परीक्षा में मुख्य मामले वे हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हों। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-जोखा के संदर्भ में लिया गया था, और इन मामलों पर हम इससे अलग विचार नहीं रखते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के लिए नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SA's) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on financial statements.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.



क्र. सं.	लेखा परीक्षा प्रमुख मामले	लेखा परीक्षा प्रमुख मामलों पर प्रतिक्रिया
1	<p>अग्रिमों के संबंध में वर्गीकरण और प्रावधानों की पर्याप्तता।</p> <p>आरबीआई द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों को निष्पादित और गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक के पास आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में अग्रिमों के स्वतः-वर्गीकरण की एक प्रणाली है। तथापि इस तरह के अग्रिमों पर एनपीए की पहचान और प्रावधान के निर्माण में उधारकर्ताओं के निष्पादन, प्रतिभूति मूल्य का निर्धारण, चुकौती के स्रोत, नियामक शर्तों का अनुप्रयोग आदि से संबंधित प्रमुख निर्णय भी शामिल हैं। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रबंधन निर्णय की भागीदारी होने के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधान और शेष की भौतिकता पर विचार करने पर केंद्रित थी।</p>	<p>प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया:</p> <p>हमने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान करने और प्रदान करने के लिए बैंक की प्रणाली का आकलन किया।</p> <p>हमारे लेखा परीक्षा में आंतरिक नियंत्रण और मूल परीक्षण की बनावट और संचालन प्रभावशीलता की जांच शामिल है:</p> <ul style="list-style-type: none"> गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान करने और उसमें प्रावधान करने के लिए प्रमुख आईटी प्रणालियों पर बैंक के सामान्य आईटी नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता को ग्रहण किया। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे एनपीए के लिए पहचान और प्रावधान करने में उपयोग की जाने वाली संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की जांच की जिसमें आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान के संबंध में मेन्युअल प्रक्रिया और मेन्युअल नियंत्रण शामिल है। एनपीए की पहचान के लिए भारिबै के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान की पर्याप्तता और प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया। गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान और प्रावधान के लिए शाखाओं की लेखा परीक्षित रिपोर्ट पर विचार किया गया। हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों को विधिवत सुधारा गया है।

Sl. No.	Key Audit Matter	Auditor's Response to Key Audit Matter
1	<p><i>Adequacy of classification and provisions in respect of Advances.</i></p> <p>Advances are classified as performing and non-performing assets in accordance with the prudential norms issued by RBI. The bank has a system of auto-classification of advances as NPA in accordance with the RBI Guidelines. However the identification of NPA and creation of provision on such advances also involves key judgments relating to performance of borrowers, determination of security value, sources of repayment, application of regulatory conditions, etc.</p> <p>Accordingly, our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances due to involvement of management judgment and considering the materiality of the balances.</p>	<p>Principal Audit Procedures:</p> <p>We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over the key IT systems for the purpose of identification of non-performing assets and provisioning thereon. Tested the relevant information technology systems used in identification and making provision for such NPA as per the RBI Guidelines including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. Evaluated and tested the management estimates and judgments for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential Norms. Considered branch audit reports for identification and provisioning for non-performing assets. Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.



<p>2 बैंक द्वारा अगले लाभ से घाटापूर्ति करने पर पहचानकृत आस्थगित कर संपत्तियों का आकलन।</p> <p>अघोषित मूल्यहास या अगले लाभ से घाटा पूर्ति करने वाली आस्थगित कर आस्तियों को केवल तब स्वीकार किया जाना चाहिए जब कोई पुरख्ता साक्ष्य द्वारा समर्थित वस्तुतः निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके सापेक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को वसूल किया जा सकता है। वस्तुतः निश्चितता का निर्धारण, ठोस साक्ष्य के आधार पर निर्णय का मामला है।</p> <p>भविष्य की पर्याप्त कर योग्य आय की आभासी निश्चितता निर्धारित करने में प्रबंधन के अनुमान और निर्णय की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए इस मामले को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है।</p> <p>एकल वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 18 के पैरा 5.6 का संदर्भ लें।</p>	<p>निष्पादित प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया:</p> <ul style="list-style-type: none"> • बैंक के कर योग्य लाभ और पूर्व में भुगतान किए गए करों को ध्यान में रखते हुए, आयकर के तहत आगे ले जाने वाली हानि का विवरण प्राप्त करना और भविष्य की अवधि के लिए कर योग्य आय के अनुमानों का विवरण, पूंजी का अंतर्वाह, पुनर्गठन के बिना और उन परिसंपत्तियों से अपेक्षित वसूली पर विचार किए बिना जहां समाधान की कार्यवाही चल रही है। • उस अवधि की जांच करना जिस पर भविष्य में कर योग्य आय के सापेक्ष ऐसी अघोषित हानि पर आस्थगित कर संपत्तियां वसूल की जाएंगी। • भविष्य की कर योग्य आय का आकलन करने में प्रबंधन की अंतर्निहित मान्यताओं की जांच करना, जिसके सापेक्ष इस तरह की अप्रत्याशित हानि वसूल की जाएगी। • हमने पिछले आयकर मूल्यांकन आदेशों, अनिर्णीत कर मुद्दों और मुकदमेबाजी के तहत उनकी वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है, जो विवाद के मुद्दों के संभावित परिणाम पर हमारी समझ के आधार पर और स्वीकार्य राशि का अगले लाभ से घाटापूर्ति करते हैं। 	<p>2 <i>Assessment of Deferred tax assets recognized by the bank on carry forward of losses.</i></p> <p>Deferred tax assets on unabsorbed depreciation or carry forward of losses are to be recognized only when there is a virtual certainty supported by convincing evidence that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised. Determination of virtual certainty is a matter of judgment based on convincing evidence.</p> <p>Considering the involvement of management's estimation and judgment in determining virtual certainty of sufficient future taxable income being available this matter has been determined as a key audit matter.</p> <p>Refer Para 5.6 of Schedule 18 to the Standalone Financial Statements.</p> <p>Principal Audit Procedures performed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considered the taxable profits of the bank and taxes paid in the past, obtained details of carry forward losses under income tax and details of estimates of taxable incomes for future periods without considering further capital infusion, of restructuring and without considering expected recoveries from assets where resolution proceedings are underway. • Tested the period over which the deferred tax assets on such unabsorbed losses would be recovered against future taxable income. • Tested the management's underlying assumptions and judgments in estimating the future taxable incomes against which such unabsorbed losses would be recovered. • We have reviewed past income tax assessment orders, unresolved tax issues and their current status under litigation, based on our understanding on the likely outcome of the issues on the dispute and the amount of allowable carry forward losses.
---	---	---



3	<p>वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयोग की गई प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली (फ्लेक्स क्यूब - ओरेकल आधारित)</p> <p>बैंक के परिचालनात्मक और वित्तीय प्रक्रियाएं बड़ी मात्रा में संव्यवहार के कारण आईटी प्रणालियों पर निर्भर हैं, जिन्हें दैनिक आधार पर संसाधित किया जाता है और इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामला माना जाता है।</p>	<p>प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया:</p> <p>हमने एक मूल्यांकन क्रिया तथा प्रमुख आईटी अनुप्रयोग, डाटा बेस और परिचालन प्रणाली प्रणाली की पहचान की जो हमारे लेखा परीक्षा से संबंधित हैं और प्राथमिक तौर पर वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित सीबीएस और फ्लेक्स क्यूब ट्रेजरी सिस्टम की पहचान की है।</p> <p>हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण का परीक्षण और परिचालन प्रभावशीलता शामिल है जो निम्नानुसार है:</p> <ul style="list-style-type: none"> • लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और आईटी नीतियों को समझा है। • अनुप्रयोग, अभिगम नियंत्रण सहित बैंक के बुनियादी आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की जो वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। • आईएस लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की और आईएस नियंत्रण के अनुपालन पर आईएस विभाग के साथ चर्चा की। • जांच के आधार पर लेखा परीक्षा से संबंधित सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के लिए मुख्य स्वचालित और कारोबार चक्र नियंत्रण और तर्क की जांच की।
---	--	---

3	<p><i>Key Information technology (IT) systems (Flex Cube – Oracle based) used in financial reporting process.</i></p> <p>The Bank's operational and financial processes are dependent on IT systems due to large volume of transactions that are processed on daily basis and hence considered as a key audit matter.</p>	<p>Principal Audit Procedures:</p> <p>We conducted an assessment and identified key IT applications, databases and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS and Flexcube Treasury System primarily as relevant for financial reporting.</p> <p>Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and IT policies during the audit period. • Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's basic IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting. • Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IS Wing on compliance to key IS Controls. • Tested key automated and business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit on test check basis.
---	---	---

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

5. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल III प्रकटीकरण) के तहत स्तंभ III के प्रकटीकरण शामिल हैं (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं), जो हमने इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की थी, और कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट, निदेशक रिपोर्ट, जो हमारे लेखा

Information other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (BASEL III Disclosures) (but does not include the financial statements and our Auditor's Report thereon), which we obtained prior to the date of this Auditor's Report, and the

परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को प्रावर्तित नहीं करती है और हम इस बारे में किसी भी रूप में निष्कर्ष का आश्वासन व्यक्त नहीं करते और नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त पहचान की गई अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर विचार करना है कि क्या लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे संज्ञान में आए वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, लेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट की तारीख से पहले हमें प्राप्त अन्य जानकारी के आधार पर जो कार्य किया है, उसके आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का विवरण गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में सूचित करने के लिए कुछ भी नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारी का उत्तरदायित्व

- आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै) द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों सहित आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक के निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड

Corporate Governance Report, Directors Report, which is expected to be made available to us after the date of our auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements of our knowledge obtained during the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors report, we conclude there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

- The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were

की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त होते हैं। वित्तीय विवरणों की तैयारी में, बैंक की क्षमता का आकलन करने, संस्था को जारी रखने, प्रकटन के लिए, जो भी लागू होता है, संस्था से संबंधित मामले और लेखांकन के आधार पर संस्था का उपयोग करना जब तक प्रबंधन या तो बैंक को बंद करने का इरादा या परिचालन रोकने, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

- हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक मिथ्याकथन, धोखाधड़ी या त्रुटि से मुक्त है, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसाए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा किसी भौतिक मिथ्याकथन का पता लगाएगी जब यह हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकता है और, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर भौतिकता पर विचार किया जाए, तो इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसाए के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी:

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप एक से अधिक है, चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अधिभावी से युक्त हो सकती है।

operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

- Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.



- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के आधार पर संस्था के प्रयुक्त पर प्रबंधन की उपयुक्तता के आधार पर निष्कर्ष निकालना, और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थितियों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो एक संस्था के रूप में जारी रहने की, बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से बैंक के एक संस्था के रूप में जारी रहने पर रोक लग सकती है।
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहार और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

वित्तीय विवरणों में भौतिकता गलत विवरण का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव करता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में; और (ii) वित्तीय विवरणों पहचान की गई गलतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित अन्य मामलों में, लेखा परीक्षा के समय और सुनियोजित क्षेत्र के बारे में और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ जिसे हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं, को शासन प्रभारित करने वालों को संसूचित करते हैं।

हम अभिशासन प्रभारी को विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and



अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संसूचित करने के लिए हमारी स्वतंत्रता के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय किए जाएं।

अभिशासन प्रभारी द्वारा संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते हैं और इसलिए वे प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन अत्यंत असामान्य परिस्थितियों में मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन पर रोक नहीं लगाते हैं, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संसूचना से सार्वजनिक हित छूट जाएंगे।

अन्य मामले

- हमने बैंक की एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 3857 शाखाओं के वित्तीय विवरणों / जानकारीयों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2019 तक ₹2,59,839.27 करोड़ का कुल अग्रिम और उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए ₹22,204.30 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाती है, जिसके अनुसार एकल वित्तीय विवरणों में विचार किया जाता है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / जानकारीयों की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और अब तक की हमारी राय में यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटन से संबंधित है, जो पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। इस मामले के संबंध में हमारी राय परिवर्तित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;
- उपर्युक्त 5 से 7 पैराग्राफ में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 के अनुसार, और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमा के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

- We did not audit the financial statements / information of 3857 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total advances of ₹2,59,839.27 Crs as at 31st March 2019 and total revenue of ₹22,204.30 Crs for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, are based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
- Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 7 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:



- क) हमने जो जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, वे हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हैं, वे हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;
- ख) बैंक का संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में आया है, बैंक की शक्तियाँ के अंतर्गत हैं; तथा
- ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाई गई है।

11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमारी राय में, कानूनन आवश्यक उचित खाता – बहियां बैंक द्वारा रखे गए हैं, यह उन बहियों की हमारी जांच से प्रकट होती है और हमारे द्वारा दौरा नहीं की शाखाओं से हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त विवरणियां प्राप्त की गई है।
- ख) तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत नकद प्रवाह का विवरण, खाता बहियों के करार में अंतर्निहित है और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ है;
- ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से व्यवहृत किया गया है; तथा

- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. We further report that:

- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
- b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and



घ) हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकद प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करता है, इस सीमा तक वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के संबंध में असंगत नहीं हैं।

d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

कृते डागलिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 000671S

कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 001420S / S200034

For Dagliya and Co.
Chartered Accountants
FRN. 000671S

For Komandoor & Co LLP.
Chartered Accountants
FRN. 001420S/S200034

(पी मनोहर गुप्ता)
साझेदार
सदस्य सं. 016444

(टी नागेंद्रनाथ)
साझेदार
सदस्य सं. 226246

(P Manohara Gupta)
Partner
Membership Number 016444

(T. Nagendranadh)
Partner
Membership Number 226246

कृते डी. के. छाजर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 304138E

कृते एस एन के एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 109176W

For D. K. Chhajer & Co.
Chartered Accountants
FRN. 304138E

For S N K & Co.
Chartered Accountants
FRN. 109176W

(नीरज के ज़ुनज़ुनवाला)
साझेदार
सदस्य सं. 057170

(अंकित डी दानावाला)
साझेदार
सदस्य सं. 119972

(Niraj K Jhunjunwala)
Partner
Membership Number 057170

(Ankit D Danawala)
Partner
Membership Number 119972

हस्ताक्षर का स्थान : बैंगलूरु
रिपोर्ट की दिनांक : 10 मई, 2019

Place : Bengaluru
Date : May 10, 2019

असंशोधित विचार के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के एकल वार्षिक वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में असंशोधित विचार शामिल हैं।

DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION

We hereby declare that Auditors Report on Standalone Annual Financial Statement of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2019 contains unmodified opinion.



वी रामचंद्र
महा प्रबंधक व मुख्य वित्त
अधिकारी



आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी
अधिकारी



V RAMACHANDRA
GENERAL MANAGER &
CHIEF FINANCIAL OFFICER



R A SANKARA NARAYANAN
MANAGING DIRECTOR
& CEO

कृते डागलिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 000671S

(पी मनोहर गुप्ता)
साझेदार
सदस्य सं. 016444

कृते डी. के. छाजर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 304138E

(नीरज के ज्युनजुनवाला)
साझेदार
सदस्य सं. 057170

कृते कोमंदूर एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 001420S / S200034

(टी नागेंद्रनाथ)
साझेदार
सदस्य सं. 226246

कृते एस एन के एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 109176W

(अंकित डी दानावाला)
साझेदार
सदस्य सं. 119972

For Dagliya and Co.
Chartered Accountants
FRN. 000671S

(P Manohara Gupta)
Partner
Membership Number 016444

For D. K. Chhajer & Co.
Chartered Accountants
FRN. 304138E

(Niraj K Jhunjhunwala)
Partner
Membership Number 057170

For Komandoor & Co LLP.
Chartered Accountants
FRN. 001420S/S200034

(T. Nagendranadh)
Partner
Membership Number 226246

For S N K & Co.
Chartered Accountants
FRN. 109176W

(Ankit D Danawala)
Partner
Membership Number 119972

स्थान : बंगलूरु
दिनांक : 10.05.2019

Place : Bengaluru
Date : 10.05.2019

सेवा में,

निदेशक मंडल
केनरा बैंक
प्रका : बेंगलूरु

विषय : सीईओ / सीएफओ प्रमाणन – सेबी (एलओडीआर)
विनियामक, 2015 का विनियम 17 (8)

बोर्ड द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि;

- क) हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों और नकद प्रवाह विवरणियों की समीक्षा की है और हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार:
- (i) इन विवरणियों में कोई भौतिक रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं है या किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
- (ii) ये विवरणियाँ बैंक के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती हैं।
- ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया है जो बैंक की आचार संहिता के अनुसार कपटपूर्ण, गैरकानूनी या उसका उल्लंघन है।
- ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की बनावट या परिचालन में कमियों का प्रकटन किया है, यदि कोई हो, जो हमें ज्ञात हो और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या ऐसा करने का प्रस्ताव है।
- घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है।
- (i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
- (ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों के नोट में किया गया है; तथा

To,

The Board of Directors
Canara Bank
HO : Bengaluru

Sub : CEO/CFO CERTIFICATION – REGULATION 17(8) OF
SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

This is to certify to the Board that;


- a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2019 and that to the best of our knowledge and belief:
- (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee.
- (i) significant changes in internal control over financial reporting during the year.
- (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण उदाहरण, जिनके बारे में हम जागरूक हैं, यदि कोई हो, इसमें शामिल है।

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.



वी रामचंद्र
महा प्रबंधक एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी



आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी



V RAMACHANDRA
GENERAL MANAGER &
CHIEF FINANCIAL OFFICER



R A SANKARA NARAYANAN
MANAGING DIRECTOR &
CEO

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 10.05.2019

Place : Bengaluru
Date : 10.05.2019

यथा दिनांक 31 मार्च 2019 को तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2019

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2019 को As at 31.03.2019 (₹ '000)	यथा 31.03.2018 को As at 31.03.2018 (₹ '000)
पूँजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी / CAPITAL	1	753 24 48	733 24 48
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	35423 98 71	34871 59 21
जमा / DEPOSITS	3	599033 27 48	524771 86 03
उधार / BORROWINGS	4	40992 29 44	38808 51 17
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	18563 88 94	17700 89 59
कुल / TOTAL		694766 69 05	616886 10 48
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	29919 01 60	22100 03 81
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	36233 67 28	27812 29 40
निवेश / INVESTMENTS	8	152985 29 60	144053 67 04
अग्रिम / ADVANCES	9	427727 26 84	381702 98 64
स्थिर आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	8410 23 36	8318 64 32
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	39491 20 37	32898 47 27
कुल / TOTAL		694766 69 05	616886 10 48
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	359059 22 29	293728 89 00
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		28847 91 53	26782 07 90

अरविंद कुमार
मंडल प्रबंधक
ए. मणिमैखलई
कार्यपालक निदेशक

अमित मित्तल
सहायक महा प्रबंधक
देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एम. स्वामिनाथन
सहायक महा प्रबंधक
एम वी राव
कार्यपालक निदेशक

एम जी पंडित
उप महा प्रबंधक
आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

वी रामचंद्र
महा प्रबंधक
टी. एन. मनोहरन
अध्यक्ष

सुचीन्द्र मिश्रा
निदेशक

कृष्णमूर्ति एच
निदेशक

वेंकटाचलम रामकृष्ण
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
डागलिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 0006715
पी मनोहर गुप्ता
साझेदार
सदस्य सं. 016444

कृते
कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 0014205 / S200034
टी नागेंद्रनाथ
साझेदार
सदस्य सं. 226246

कृते
डी. के. छाजर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 304138E
नीरज के झुनझुनवाला
साझेदार
सदस्य सं. 057170

कृते
एस एन के एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 109176W
अंकित डी दानावाला
साझेदार
सदस्य सं. 119972

स्थान : बंगलूरु
दिनांक : 10.05.2019

यथा दिनांक 31.03.2019 को समाप्त अवधि का लाभ व हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2019

	अनुसूची Schedule	31.03.2019 को समाप्त अवधि के लिए For the period ended 31.03.2019 (₹'000)	31.03.2018 को समाप्त अवधि के लिए For the period ended 31.03.2018 (₹'000)
I. आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	46810 34 18	41252 08 76
अन्य आय / OTHER INCOME	14	6574 95 65	6942 85 24
कुल / Total		53385 29 83	48194 94 00
II. व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	32332 22 01	29088 76 25
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	10462 20 75	9557 93 54
प्रावधान और आकस्मिक व्यय PROVISIONS AND CONTINGENCIES		10243 85 56	13770 47 97
कुल / Total		53038 28 32	52417 17 76
III. अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) NET PROFIT/(LOSS) FOR THE PERIOD		347 01 51	(4222 23 76)
IV. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
के लिए अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE		86 76 00	-
आरक्षित निधि पूंजी / CAPITAL RESERVE		233 00 00	-
निवेश आरक्षित निधि खाता / INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		-	-
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि / INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE		27 25 51	-
राजस्व आरक्षित निधि / REVENUE RESERVE		-	-
विशेष आरक्षित निधि / SPECIAL RESERVE		-	-
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		-	-
लाभांश कर / DIVIDEND TAX		-	-
लाभ शेष / BALANCE OF PROFIT		-	-
कुल / Total		347 01 51	(4222 23 76)
लेखांकन नीतियाँ / ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	18		
प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE (मूल व तनुकृत) / (BASIC AND DILUTED) (₹ में / in ₹)		4.71	(70.47)

ARVIND KUMAR
DIVISIONAL MANAGER

AMIT MITTAL
ASST. GENERAL MANAGER

M SWAMINATHAN
ASST. GENERAL MANAGER

M G PANDIT
DEPUTY GENERAL MANAGER

V RAMACHANDRA
GENERAL MANAGER

A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

M. V. RAO
EXECUTIVE DIRECTOR

R A SANKARA NARAYANAN
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

T.N. MANOHARAN
CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

KRISHNAMURTHY H
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For DAGLIYA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 0006715

For KOMANDOOR & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 0014205 / S200034

For D. K. CHHAJER & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 304138E

For S N K & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 109176W

P Manohara Gupta
Partner
Membership No. 016444

T. Nagendranadh
Partner
Membership No. 226246

Niraj K Jhunjhunwala
Partner
Membership No. 057170

Ankit D. Danawala
Partner
Membership No. 119972

PLACE : BENGALURU
DATE : 10.05.2019

यथा दिनांक 31.03.2019 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2019

	यथा 31.03.2019 को As at 31.03.2019 (₹ '000)	यथा 31.03.2018 को As at 31.03.2018 (₹ '000)
अनुसूची 1 - पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / Authorised Capital (10 रुपये प्रति शेयर के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर) / (300,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each)	3000 00 00	3000 00 00
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त / Issued, Subscribed and Paid up:		
i) 10 रुपये प्रति शेयर के 53,19,44,775 इक्विटी शेयर गत वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा धारित 10 रुपये प्रति शेयर के 53,19,44,775 इक्विटी शेयर 53,19,44,775 Equity Shares of ₹10/- each / Previous year 53,19,44,775 Equity share of ₹10/- each held by Central Government	531 94 48	531 94 48
ii) 10 रुपये प्रति शेयर के 22,13,00,000 इक्विटी शेयर गत वर्ष अन्यो द्वारा धारित 10 रुपये प्रति शेयर के 20,13,00,000 इक्विटी शेयर 22,13,00,000 Equity Shares of ₹10/- each / Previous year 20,13,00,000 Equity Shares of ₹10/- each held by others.	221 30 00	201 30 00
	753 24 48	733 24 48
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE (बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अनुसार आरक्षित निधि) (Reserve Fund in terms of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949)		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	8264 00 00	8264 00 00
अवधि के दौरान परिवर्धन / Additions during the period	86 76 00	-
कुल / Total	8350 76 00	8264 00 00
II. पूँजी आरक्षित निधि / CAPITAL RESERVE		
क./a. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि REVALUATION RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	6524 72 80	5373 14 96
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Addition during the period		1272 43 02
	6524 72 80	6645 57 98
घटाएं : लाभ एवं हानि खाते को अंतरित Less : Transferred to Revenue Reserves	76 55 43	120 85 18
कुल / Total	6448 17 37	6524 72 80
ख./b. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	223 24 48	155 21 59
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	6 30 25	68 02 89
घटाएं: अवधि के दौरान कमी / Less: Deductions during the period	15 80 26	-
कुल / Total	213 74 47	223 24 48
ग./c. अन्य / OTHERS		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	2255 67 07	2255 67 07
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	233 00 00	-
कुल / Total	2488 67 07	2255 67 07

यथा दिनांक 31.03.2019 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2019

	यथा 31.03.2019 को As at 31.03.2019 (₹ '000)	यथा 31.03.2018 को As at 31.03.2018 (₹ '000)
III शेयर प्रीमियम / SHARE PREMIUM		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	11471 26 67	6742 22 14
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	537 28 00	4729 04 53
कुल / Total	12008 54 67	11471 26 67
IV राजस्व और अन्य आरक्षित निधि / REVENUE AND OTHER RESERVES		
क/a. राजस्व आरक्षित निधि / REVENUE RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	8601 94 25	8481 09 06
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD: Additions during the period	76 55 42	120 85 18
	8678 49 67	8601 94 24
घटाएं : अवधि के दौरान कमी / Less: Deductions during the period		-
कुल / Total	8678 49 67	8601 94 24
ख/b. विशेष आरक्षित निधि / SPECIAL RESERVE		
{आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार}		
{In terms of Section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961}		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	4000 00 00	4000 00 00
अवधि के दौरान परिवर्धन / Additions during the period	-	-
कुल / Total	4000 00 00	4000 00 00
ग/c. निवेश आरक्षित निधि खाता / INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	565 80 00	565 80 00
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	-	-
	565 80 00	565 80 00
घटाएं : अवधि के दौरान कमी / Less: Deductions during the period	-	-
कुल / Total	565 80 00	565 80 00
घ/d. अन्य आरक्षित निधि खाता / OTHER RESERVE ACCOUNT		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	-	-
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	-	-
	-	-
घटाएं : अवधि के दौरान कमी / Less: Deduction during the period	322 40 00	-
कुल / Total	(322 40 00)	-
ड/e. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि / INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	-	-
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	27 25 51	-
	27 25 51	-
घटाएं : अवधि के दौरान कमी / Less: Deductions during the period	-	-
कुल / Total	27 25 51	-
च./f. लाभ एवं हानि खाते में शेष / Balance in Profit & Loss account		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	(7035 06 05)	(2748 90 08)
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	-	(4222 23 76)
घटाएं : अवधि के दौरान कमी / Less: Deduction during the period		63 92 21
कुल / Total	(7035 06 05)	(7035 06 05)
कुल / TOTAL	35423 98 71	34871 59 21



यथा दिनांक 31.03.2019 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2019

	यथा 31.03.2019 को As at 31.03.2019 (₹ '000)	यथा 31.03.2018 को As at 31.03.2018 (₹ '000)
अनुसूची 3 – जमाएं / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क./A.I. माँग जमा / DEMAND DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	337 26 02	264 31 18
ii. अन्य से / FROM OTHERS	22936 66 58	24719 54 03
कुल / Total	23273 92 60	24983 85 21
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	151534 87 37	142051 02 99
कुल / Total	151534 87 37	142051 02 99
III. मीयादी जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	30497 25 73	34838 65 29
ii. अन्य से / FROM OTHERS	393727 21 78	322898 32 54
कुल / Total	424224 47 51	357736 97 83
कुल / TOTAL	599033 27 48	524771 86 03
ख./B. शाखाओं के जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	565917 00 12	485993 88 74
ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	33116 27 36	38777 97 29
कुल / Total	599033 27 48	524771 86 03
अनुसूची 4 – उधारी / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधारी / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / i. RESERVE BANK OF INDIA	1950 00 00	11873 00 00
ii. अन्य बैंक / ii. OTHER BANKS	-	176 46 94
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियाँ / iii. OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	10663 63 00	277 11 25
iv. प्रतिभूति – रहित प्रतिदेय बॉण्ड / iv. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	12749 30 00	13314 60 00
कुल / Total	25362 93 00	25641 18 19
II. भारत के बाहर उधारी / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / i. OTHER BANKS	15629 36 44	13167 32 98
ii. प्रतिभूति – रहित प्रतिदेय बॉण्ड / ii. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण) (SUB-ORDINATED DEBT)	-	-
कुल / Total	15629 36 44	13167 32 98
कुल / TOTAL	40992 29 44	38808 51 17

यथा दिनांक 31.03.2019 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2019

	यथा 31.03.2019 को As at 31.03.2019 (₹ '000)	यथा 31.03.2018 को As at 31.03.2018 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / BILLS PAYABLE	1610 37 84	1295 32 91
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	2284 74 18	1871 88 23
III. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	2192 36 94	2013 67 96
IV. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	12476 39 98	12520 00 49
कुल / Total	18563 88 94	17700 89 59
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (Including Foreign Currency Notes)	3203 66 97	2649 16 05
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT	26715 34 63	19450 87 76
अन्य खाते में / IN OTHER ACCOUNTS	-	-
कुल / Total	26715 34 63	19450 87 76
कुल / TOTAL	29919 01 60	22100 03 81
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / IN INDIA		
i. बैंकों में शेष / BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	15 98 69	77 87 48
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	-	-
कुल / TOTAL	15 98 69	77 87 48
ii. माँग और अल्प सूचना पर राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंकों में / a. WITH BANKS	-	200 00 00
ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	2500 00 00	1000 00 00
कुल / Total	2500 00 00	1200 00 00
कुल / TOTAL	2515 98 69	1277 87 48
II. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA		
i. चालू खातों में / IN CURRENT ACCOUNTS	11829 28 15	4771 47 95
ii. अन्य जमा खातों में / IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	13651 66 52	17242 16 66
iii. माँग और अल्प सूचना पर राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	8236 73 92	4520 77 31
कुल / Total	33717 68 59	26534 41 92
कुल / TOTAL	36233 67 28	27812 29 40



यथा दिनांक 31.03.2019 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2019

	यथा 31.03.2019 को As at 31.03.2019 (₹ '000)	यथा 31.03.2018 को As at 31.03.2018 (₹ '000)
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश: सकल INVESTMENTS IN INDIA: GROSS		
घटाएं: मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION & NPI	153134 39 07	145101 45 48
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA	2674 34 99	2348 13 38
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ GOVERNMENT SECURITIES	150460 04 08	142753 32 10
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ OTHER APPROVED SECURITIES	135376 27 86	127612 21 83
iii. शेयर SHARES	1 49 87	1 49 87
iv. डिबेंचर और बॉण्ड DEBENTURES AND BONDS	1837 23 15	2540 38 15
v. अनुषंगियाँ और / या संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND / OR JOINT VENTURES	9919 01 81	9176 72 85
vi. अन्य - म्युचुअल फंड, सी पी, सी डी इत्यादि OTHERS - MUTUAL FUNDS, C P, CD ETC	746 21 41	746 21 41
कुल / Total	2579 79 98	2676 27 99
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	150460 04 08	142753 32 10
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	88626 87 03	100085 98 40
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	61611 44 68	42463 06 50
कुल / Total	221 72 37	204 27 20
	150460 04 08	142753 32 10
II. भारत के बाहर निवेश - सकल INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS		
घटाएं : मूल्यहास के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION	2530 95 43	1311 55 95
भारत के बाहर निवेश - निवल NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	5 69 91	11 21 01
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	2525 25 52	1300 34 94
ii. अनुषंगियाँ और / या संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND / OR JOINT VENTURES	1488 94 83	343 49 18
iii. अन्य निवेश / OTHER INVESTMENTS	166 30 73	166 30 73
कुल / Total	869 99 96	790 55 03
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	2525 25 52	1300 34 94
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	252 54 78	259 77 87
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	2272 70 74	1040 57 07
कुल / Total	-	-
	2525 25 52	1300 34 94
कुल / TOTAL	152985 29 60	144053 67 04

यथा दिनांक 31.03.2019 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2019

	यथा 31.03.2019 को As at 31.03.2019 (₹ '000)	यथा 31.03.2018 को As at 31.03.2018 (₹ '000)
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क./A. i. खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	18383 78 78	15863 46 74
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर ऋण की चुकौती CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	178989 36 19	163723 12 36
iii. मीयादी ऋण / TERM LOANS	230354 11 87	202116 39 54
कुल / Total	427727 26 84	381702 98 64
ख./B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋणों सहित / INCLUDING BOOK DEBTS)	348794 90 58	305862 36 53
ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	10089 78 50	12076 67 39
iii. प्रतिभूति रहित / UNSECURED	68842 57 76	63763 94 72
कुल / Total	427727 26 84	381702 98 64
ग./C. I. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / PRIORITY SECTOR	179432 76 18	157880 94 20
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR	23179 34 65	18181 20 76
iii. बैंक / BANKS	4650 50 57	1454 45 54
iv. अन्य / OTHERS	195424 83 19	175002 42 48
कुल / Total	402687 44 59	352519 02 98
II. भारत से बाहर अग्रिम / ADVANCES OUTSIDE INDIA (बैंकों के अलावा देय) (DUE FROM OTHER THAN BANKS)		
i. खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	12069 55 65	9584 08 43
ii. मीयादी और समूहन ऋण TERM / SYNDICATED LOANS	8038 08 59	6033 65 58
iii. अन्य / OTHERS	4932 18 01	13566 21 65
कुल / Total	25039 82 25	29183 95 66
कुल / TOTAL	427727 26 84	381702 98 64



यथा दिनांक 31.03.2019 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2019

	यथा 31.03.2019 को As at 31.03.2019 (₹ '000)	यथा 31.03.2018 को As at 31.03.2018 (₹ '000)
अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I. परिसर / PREMISES		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	8035 83 48	6758 27 30
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	139 58 91	5 22 32
	8175 42 39	6763 49 62
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन REVALUATIONS MADE DURING THE YEAR	-	1272 43 02
	8175 42 39	8035 92 64
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	7 42	9 16
	8175 34 97	8035 83 48
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	926 70 03	839 08 24
	7248 64 94	7196 75 24
II. अन्य अचल आस्तियाँ / OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और जुड़नार सहित (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES))		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	3786 00 38	3511 19 50
वर्ष के दौरान परिवर्धन ADDITIONS DURING THE YEAR	383 96 05	326 16 52
	4169 96 43	3837 36 02
वर्ष के दौरान कटौतियाँ DEDUCTIONS DURING THE YEAR	154 68 19	51 35 64
	4015 28 24	3786 00 38
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	2855 88 82	2666 30 30
	1159 39 42	1119 70 08
III. पट्टे पर दी गई आस्तियाँ / LEASED ASSETS		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	71 77 29	71 77 29
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	-	-
	71 77 29	71 77 29
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	-	-
	71 77 29	71 77 29
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	69 24 28	68 93 18
	2 53 01	2 84 11
घटाएं : पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	34 01	65 11
	2 19 00	2 19 00
कुल / Total	8410 23 36	8318 64 32

यथा दिनांक 31.03.2019 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2019

	यथा 31.03.2019 को As at 31.03.2019 (₹ '000)	यथा 31.03.2018 को As at 31.03.2018 (₹ '000)
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	5099 14 50	4717 56 91
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/ स्रोत पर कर कटौती (निवल) TAX PAID IN ADVANCE / TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)	15637 57 12	7281 30 47
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प / STATIONERY AND STAMPS	4 99 09	2 17 40
IV. दावों के निपटान में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियाँ NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS	75 85 55	13 45 59
V. अन्य / OTHERS	15337 99 11	15112 76 90
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ / DEFERRED TAX ASSETS	3335 65 00	5771 20 00
कुल / Total	39491 20 37	32898 47 27
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	13927 74 26	7804 83 34
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयताएं LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS	36 00	75 06
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS	275252 65 18	219287 58 69
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS		
क./a. भारत में / IN INDIA	38629 61 69	39684 99 03
ख./b. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA	159 81 23	198 66 33
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	38789 42 92	39883 65 36
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है / OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE	28919 42 55	24849 95 77
क. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED	-	-
ख./ b. अन्य / OTHERS	2169 61 38	1902 10 78
	2169 61 38	1902 10 78
कुल / Total	359059 22 29	293728 89 00

यथा 31.03.2019 को समाप्त अवधि हेतु लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2019

	यथा 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the period ended 31.03.2019 (₹'000)	यथा 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the period ended 31.03.2018 (₹'000)
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / भुनाना INTEREST / DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS	34319 28 25	29096 44 14
II. निवेश से आय / INCOME ON INVESTMENTS	10937 50 66	10412 09 64
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों में शेषराशि पर ब्याज / INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS	828 01 07	646 99 03
IV. अन्य / OTHERS	725 54 20	1096 55 95
कुल / Total	46810 34 18	41252 08 76
अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय, और दलाली COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE	1171 53 21	1199 82 23
II. निवेशों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS	402 36 04	1922 89 79
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS	(79 56)	-
IV. भूमि / भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF LAND / BUILDINGS AND OTHER ASSETS	(2 86 87)	(4 53 01)
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ - निवल PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS-NET	632 60 53	537 92 98
VI. भारत में / विदेश की अनुषंगियों / कम्पनियों और / या संयुक्त उद्यम द्वारा लाभांश के माध्यम से अर्जित आय INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND ETC. FROM SUBSIDIARIES / COMPANIES AND / OR JOINT VENTURES ABROAD / IN INDIA	50 16 98	53 32 41
VII. विविध आय / MISCELLANEOUS INCOME	4321 95 32	3233 40 84
कुल / Total	6574 95 65	6942 85 24

यथा 31.03.2019 को समाप्त अवधि हेतु लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2019

	यथा 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the period ended 31.03.2019 (₹'000)	यथा 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the period ended 31.03.2018 (₹'000)
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I. जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS	30098 46 26	27136 16 13
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA / INTERBANK BORROWINGS	1051 98 76	720 48 75
III. अन्य (टियर I व टियर II बॉण्ड पर ब्याज सहित) OTHERS (INCLUDING TIER I & TIER II BOND INTEREST)	1181 76 99	1232 11 37
कुल / Total	32332 22 01	29088 76 25
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	5675 11 42	5444 10 55
II. किराया, कर, बिजली / RENT, TAXES, LIGHTING	986 95 66	921 85 50
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / PRINTING AND STATIONERY	52 35 06	55 70 31
IV. विज्ञापन व प्रचार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	33 70 72	36 43 55
V. बैंक की संपत्ति में मूल्यहास DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY	416 83 73	445 04 50
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय DIRECTORS FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	48 67	62 36
VII. लेखापरीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDES FOR BRANCH AUDITORS)	67 36 53	77 90 26
VIII. विधि प्रभार / LAW CHARGES	58 78 17	53 00 52
IX. डाक, तार, टेलिफोन आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.	56 65 08	50 33 13
X. मरम्मत और अनुरक्षण / REPAIRS AND MAINTENANCE	314 77 26	279 83 07
XI. बीमा / INSURANCE	494 36 11	445 33 31
XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE	2304 82 34	1747 76 48
कुल / Total	10462 20 75	9557 93 54

अनुसूची - 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

[1](क) लेखांकन की परंपरा:

ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है तथा ये अन्यथा सूचित को छोड़कर सांविधिक प्रावधानों व विद्यमान प्रणालियों के अनुरूप हैं। वे भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें सांविधिक प्रावधानों व भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बैंकिंग विनियमन अधिनियम - 1949 द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रावधान, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक / मार्गदर्शन नोट नियामक मानदंड / दिशानिर्देश और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित देशों में प्रचलित प्रावधानों और प्रथाओं का अनुपालन किया गया है।

(ख) अनुमानों का उपयोग:

समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए प्रबंधन को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में वित्तीय विवरण के तारीख को अनुमानों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण हैं। तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी संशोधन पर वर्तमान तथा भविष्य में विचार किया जाएगा।

[2] विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन:

2.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं को काल्पनिक दरों पर प्रारंभिक तौर पर अभिलेखित किया गया है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं को भारतीय विदेशी मुद्रा विक्रेता संघ (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रकाशित दरों पर पुनः वर्णित किया गया है। त्रैमासिक दरों पर ऐसी वस्तुओं की बहाली से जुटने वाले विनिमय अंतर को लाभ-हानि खाते में समाविष्ट किया गया है।

2.2 विदेशी शाखा के संबंध में लेनदेनों एवं शेषों को गैर अभिन्न विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लेन-देनों तथा शेष राशि को बैंक द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है।

परिसंपत्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण विदेशी विनिमय दरों

SCHEDULE - 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

[1] (a) Basis of Preparation:

The financial statements have been prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting on going concern basis, unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act - 1949, Accounting Standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

(b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized in current and future periods.

[2] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies:

2.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit and Loss Account.

2.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the bank on a quarterly basis.

Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are



को भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ ('फेडाई') द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में घोषित किया जाता है। विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 11- "विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तन के प्रभाव" के अनुरूप एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, उक्त मानकों के अनुपालन के संदर्भ में 'फेडाई' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत दर पर अंतरित किया जाता है। परिणामस्वरूप होने वाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि में जमा / नामे किया जाएगा।

2.3 वायदा विनिमय संविदाएं:

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में जुटाए गए प्रीमियम या छूट को व्यय या संविदा पर होने वाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या छूट सहित असामयिक रद्दकरण पर होनेवाले लाभ / हानि, यदि है तो, को समाप्ति तारीख पर माना जाएगा। वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, पर लाभ व हानि खाते में समाविष्ट कर दी गई है।

2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन अंतिम फेडाई दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

[3] निवेश:

3.1 निवेशों का संवर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे 'परिपक्वता के लिए धारित', 'बिक्री के लिए धारित' और 'व्यापार के लिए धारित'। इस तरह के वर्गीकरण प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय पर निर्धारित किया गया है।

निवेशों को छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है जैसे (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बॉण्ड (ङ) अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम व सहभागी संस्था तथा (च) अन्य

3.2 निवेश की अधिग्रहण लागत को निर्धारित करने के लिए:

(क) प्रतिभूतियों की खरीदी के समय उनसे संबंधित दलाली, कमीशन आदि जैसे लागतों को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter. Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11- "The effect of Changes in Foreign Exchange rates" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and as per the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) regarding the compliance of the said standard.

The resultant exchange gain/loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

2.3 Forward Exchange Contracts:

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit/ Losses arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on such contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

2.4 Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

[3] Investments:

3.1 Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the bank is classified under three categories viz. 'Held to Maturity' (HTM), 'Available for Sale' (AFS) and 'Held for Trading' (HFT). Such classification is decided at the time of acquisition of securities.

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) Subsidiaries and Joint Ventures & Associates and (f) Others.

3.2 In determining the acquisition cost of investment:

(a) Cost such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.



(ख) अधिग्रहण / निपटान तारीख तक ऋण लिखतों पर खंडित अवधि ब्याज को राजस्व के रूप में माना जाता है।

3.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है :

क) परिपक्वता के लिए धारित:

अवधि समाप्ति हेतु धारित संवर्ग के अंतर्गत निवेश पर अधिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो उसके आधार पर किया जाना है। अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अधिग्रहण लागत हो तो उसे शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्य में कोई भी स्थायी ह्रास हो तो उसका पूर्णतः प्रावधान किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य न्यासी श्रेयों में निवेशों को लागत मूल्य पर रखा जाता है।

वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में दिनांक 23.08.2006 के बाद किए गए निवेश को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है। संवितरण की तारीख से तीन साल की अवधि के बाद इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबै) के दिशानिर्देशों के अनुसार एएफएस में व बाज़ार के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध:

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेश त्रैमासिक आधार पर बाजार मूल्य के लिए बही में अंकित है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख (तुलन पत्र तारीख) को उपलब्ध बाज़ार दरों पर जो स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार / उद्धृत, भारतीय व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उद्धृत नहीं की गई प्रतिभूति भी मूल्यांकित की जाती है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत प्रत्येक वर्ग के संबंध में निवल मूल्यह्रास उपलब्ध किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई है, को नकारा जाता है। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाज़ार के लिए अंकित किए जाने के कारण बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

तीन वर्षों की अवधि के पश्चात वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में अंतरित एचटीएम श्रेणी के इकाइयों को (पैरा 3.3 (क) का संदर्भ लें) वेंचर पूँजी निधियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निवल आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया

(b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

3.3 The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

a) HELD TO MATURITY:

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

Investments in Subsidiaries and Joint Ventures & Associates are valued at carrying cost. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee Shares are valued at carrying cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines

b) AVAILABLE FOR SALE:

Investments classified under this category are mark to market on quarterly basis and valued as per Reserve Bank of India guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades / quotes on the stock exchanges, prices / yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the Reserve Bank of India guidelines.

The net depreciation under each category / classification is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after these are valued at mark to market basis.

Units of Venture Capital Funds (VCF) transferred from HTM category after a period of three years (Refer paragraph 3.3(a) are valued at NAV as per the audited financial statements of Venture Capital Funds. In case such audited financial

जाता है। यदि 18 महीनों के लिए ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है तो, इकाइयों को ₹1 प्रति वेंचर पूँजी निधि के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

ग) व्यापार हेतु धारित:

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेशों को बाज़ार कोट, भारतीय व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के अनुसार साप्ताहिक आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत निवल मूल्यहास को मान्यता दी गई तथा संवर्धन, यदि कोई है तो, नकारा गया। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाज़ार के लिए अंकित किए जाने पर बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

3.4 एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में श्रेयों का अंतरण निम्नानुसार किया जाता है:

(क) परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) / व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी को अंतरण अधिग्रहण मूल्य / बही मूल्य पर किया जाता है। एच टी एम श्रेणी के तहत निवेश को मूल रूप से प्रीमियम पर रखा जाता है तो परिशोधित लागत पर अंतरण किया जाता है।

(ख) ए एफ एस / एच एफ टी श्रेणी से एच टी एम श्रेणी में अंतरण बही मूल्य या बाज़ार मूल्य के निम्न मूल्य पर किया जाता है।

(ग) ए एफ एस से एच टी एम श्रेणी या इसके विपरीत को रखाव लागत पर अंतरित किया जाता है। उपचित मूल्यहास, यदि कोई है तो, एच एफ टी प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यहास के लिए प्रावधान को अंतरित किया जाता है।

3.5 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (प्रकं / पुकं) को बैंक द्वारा बेची गयी अनर्जक निवेश वित्तीय आस्तियों के मामले में प्रकं / पुकं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य में से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर इनके विक्रय या वसूली तक किया जाता है और ऐसे विक्रय / वसूली पर हानि या लाभ निम्नानुसार पेश किया जाता है:

(क) यदि विक्रय निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर है तो, तदसंबंधी कमी को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समाविष्ट किया जाता है।

(ख) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से उच्च मूल्य पर है तो, अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं किया जाता है, लेकिन प्रकं / पुकं को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय से होने वाली कमी / हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है।

3.6 तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल किए गए प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ ब्याज / मूल राशि एक निर्धारित अवधि के

statements are not available continuously for 18 months as on the date of valuation, units are valued at ₹1 per VCF.

c) HELD FOR TRADING:

Investments classified under this category are valued at rates based on market quotations, price / yields declared by FIMMDA on a weekly basis.

The net depreciation under each security held is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marked to market.

3.4. Transfer of scrips from one category to another is carried on the following basis:

(a) HTM to AFS/HFT category at acquisition price/book value. In case the investments under HTM category are placed at premium originally the transfer is made at amortised cost.

(b) AFS/HFT to HTM category at lower of the book value or market value.

(c) AFS to HFT category or vice versa, at the carrying value. The accumulated depreciation, if any, to be transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice versa.

3.5 Non performing Investments Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt and the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above until its sale or realisation and on such sale or realisation, loss or gain is dealt with as below:

(a) If sale is at a price below Net Book Value (NBV), the shortfall is recognised as per Reserve Bank of India guidelines.

(b) If the sale is for a value higher than NBV, the excess provision is not reversed but utilized to meet shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/RC.

3.6 Securities included in any of three categories where interest / principal is in arrears for a specified period, are classified as Non performing

लिए बकाया है तो अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे प्रतिभूतियों पर ब्याज आय की गणना नहीं की जाती है तथा निवेशों के मूल्य पर आवश्यक हास / प्रावधान बनाया जाता है। ऐसे अनर्जक निवेशों के प्रति मूल्यहास को अन्य अर्जक आस्तियों के प्रति मूल्यवृद्धि से समंजन नहीं किया जाता है।

3.7 निवेश की बिक्री पर लाभ:

“बिक्री के लिए उपलब्ध” तथा “व्यापार के लिए धारित” श्रेणियों के तहत निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ व हानि खाते में परिकलित किया जाता है।

“परिपक्वता के लिए धारित” श्रेणी के संबंध में निवेशों की बिक्री पर उपलब्ध लाभ को प्राथमिक तौर पर लाभ व हानि खाते में लिया जाता है तथा लाभ की समतुल्य राशि को पूंजी आरक्षित निधि (कर व आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली राशि का निवल) में विनियोजित किया जाता है।

सभी तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हानि को लाभ व हानि खाते में परिकलित किया गया है।

3.8 रेपो / रिवर्स रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ):

आरबीआई के साथ एलएएफ के सहित रेपो / रिवर्स रेपो के तहत सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद/ पुनर्बिक्री हेतु करार के साथ खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों की पुनःखरीद को उधार के रूप में लेखांकित किया जाएगा।

रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के तहत दिखाया जाएगा और रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाएगा। लागत और राजस्व को ब्याज व्यय / आय के रूप में गणना की जाती है।

[4] व्युत्पन्नी संविदाएं:

बैंक ब्याज दर अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों में व्यवहार करता है। बैंक द्वारा व्यवहार किये जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नियों रुपया ब्याज दर अदला-बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार है। बैंक द्वारा व्यवहार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां विकल्प और मुद्रा अदला-बदली है।

ऐसे व्युत्पन्नी संविदाओं को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:

क) व्यापार के लिए प्रयोग की जाने वाली व्युत्पन्नियां बाजार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यहास की पहचान की गई है तथा निवल मूल्यवृद्धि को नकारा गया है।

ख) प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नी संविदाएं निम्नानुसार हैं :

Investment. Interest Income on such securities is not reckoned and appropriate depreciation/provision in value of Investments is made. Depreciation in respect of such Non Performing Investments is not set off against appreciation in other performing securities.

3.7 Profit on sale of Investments:

Profit on sale of Investments in respect of “Available for Sale” and “Held for Trading” categories is recognized in Profit & Loss Account.

Profit on sale of Investments in respect of “Held to Maturity” category is first taken to the Profit & Loss Account and an equivalent amount of Profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

Loss on sale of Investments in all the three categories is recognized in Profit & Loss Account.

3.8 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF):

Securities sold / purchased with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo/Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing / Lending.

Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

[4] Derivative contracts:

The Bank deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank are Options and Currency Swaps.

Such derivative contracts are valued as under:

a) Derivative contracts dealt for trading are valued on mark to market basis, net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.

b) Derivative contracts undertaken for hedging are:



- i. व्युत्पन्नी संविदाओं को प्रतिरक्षा के रूप में बाजार के लिए अंकित नहीं किया जाता है, जब तक कि आधारभूत आस्तियां बाजार के लिए अंकित नहीं की गयी हैं।
- ii. प्रतिरक्षा अदला-बदली के लिए उपचित आधार पर आय / व्यय का लेखा किया गया।

- i. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market.
- ii. Income / Expenditure is recognized on accrual basis for Hedging swaps.

[5] अग्रिम:

- 5.1 अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में संवर्गीकृत किया गया है।
- 5.2 अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में संवर्गीकृत किया गया है।
- 5.3 अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू अग्रिमों हेतु प्रावधान किए गए हैं।
- 5.4 विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय विनियम / उस देश के नियमों, जो भी अधिक कड़े हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार किए गए हैं।
- 5.5 तुलन पत्र में बताए गए अग्रिम अनर्जक आस्तियों, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और पुनर्भुनाई के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं।
- 5.6 अनर्जक अग्रिमों में किए गए आंशिक वसूलियों का समायोजन को प्रथमतः प्रभार व ब्याज, तत्पश्चात समझौता निपटान / कालातीत ऋणों के मूल धन के प्रति किया जाता है। वसूलियों को प्रथमतः मूल धन के साथ समायोजित किया जाता है।
- 5.7 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्यांकन, आय निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
- 5.8 एनपीए पर निर्दिष्ट प्रावधान के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबै) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं।

[6] अचल आस्तियां:

- 6.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भूमि संपत्ति दोनों शामिल हैं। सभी अचल परिसंपत्तियों का पूँजीकरण, इस्तेमाल शुरू की गई तिथि के आधार पर होता है।
- 6.2 भूमि और परिसर को पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर उल्लिखित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खातों में जमा किया जाता है। संवर्धित मूल्य के

[5] Advances:

- 5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.
- 5.2 Advances are classified into Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise
- 5.3 Provisions for domestic advances are made for performing / non - performing advances in accordance with the RBI Guidelines.
- 5.4 Provisions for performing / non-performing advances with foreign branches are made as per regulations of host country or according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.
- 5.5 Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and rediscount.
- 5.6 Partial recoveries in Non Performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal with the exception of non performing advances involving compromise settlements / "Loan Past Due" advances where the recoveries are first adjusted towards principal.
- 5.7 In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation, income recognition etc are done as per RBI guidelines.
- 5.8 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines.

[6] Fixed Assets:

- 6.1 The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalized based on the date of put to use.
- 6.2 Land and Premises are stated at revalued cost and other fixed assets are stated at historical cost. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value

कारण होनेवाले मूल्यहास / परिशोधन को लाभ व हानि खाते के नामे किया जाएगा

[7] मूल्यहास:

7.1 अचल संपत्तियों का मूल्यहास सीधी कटौती प्रणाली के तहत निम्न दरों पर किया जाता है:

क्रम संख्या	विवरण	प्रतिवर्ष की दर
1	पूर्णस्वामित्व वाली संपत्तियां (भूमि छोड़कर)	1.67%
2	अन्य अचल संपत्ति (फर्नीचर और जुड़नार सहित)	10% / 12.5% / 20%

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित आस्तियों के उपयोगी होने का निर्धारण सिवाय कंप्यूटर के, प्रबंधन द्वारा किया जाता है जिसमें मूल्यहास को सीधी कटौती प्रणाली के तहत 33.33% पर प्रभारित किया जाता है।

7.2 3 वर्ष या 5 वर्ष (उदाहरणार्थ कम्प्यूटर, सर्वर और ए टी एम इत्यादि) अनुमानित प्रयोज्य जीवन वाली परिसंपत्तियों को छोड़कर जहां आस्तियों का कुल लागत प्रयोज्य अवधि से परिशोधित हो सभी परिसंपत्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है।

7.3 पूंजीकरण का अचल परिसंपत्तियों पर वर्ष में मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए वसूल की जाए यदि परिसंपत्ति का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान 180 दिनों से अधिक के लिए किया गया हो अन्यथा लागू दर के 50% हो। बिक्री / निपटान के वर्ष में कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया गया है।

7.4 पट्टाधृत परिसरों पर प्रदत्त प्रीमियम उस पूरी पट्टाधृत अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है। पट्टाधृत भूमि की लागत और पट्टाधृत सुधार पट्टे की अवधि में संशोधित किए जाते हैं।

7.5 विदेशी कार्यालयों में आयोजित अचल संपत्तियों के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों / मानदंडों के अनुसार मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

7.6 आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (पट्टों) के अनुसार परिचालन हेतु पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टा भुगतान पट्टा अवधि से अधिक लाभ और हानि खाते में डाला जाता है।

[8] आस्तियों का अपक्षयन:

प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को किसी आस्ति की अपक्षयन का संकेत है या नहीं का एक निर्धारण किया जाता है। यदि कोई संकेत पाया जाता है तो वसूली योग्य राशि का एक अनुमान बनाया जाता है तथा यदि कोई अपक्षयन है तो, प्रावधान किया

have been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

[7] Depreciation;

7.1 Fixed Assets are depreciated under Straight line Method at the rates as follows:

SL No.	Particulars	Rates Per Annum
1	Freehold Properties (Excluding Land)	1.67%
2	Other Fixed Assets (Including Furniture & Fixtures)	10% / 12.5% / 20%

The useful life of the respective assets is determined by the management except for the Computers where as per the guidelines of RBI, depreciation is charged under straight line method at 33.33%.

7.2 5 percent residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life of 3 years or 5 years (Eg. computer, Servers and ATMs etc), where the entire cost of the asset is amortized over the useful life.

7.3 Depreciation on fixed assets in the year of capitalization is charged for the full year if the asset is used for more than 180 days during that financial year; else it is provided at 50 percent of the applicable rate. No depreciation is provided for in the year of sale / disposal.

7.4 Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period. Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease

7.5 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries

7.6 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

[8] Impairment of Assets:

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made

जाता है। यदि कोई है, तो लाभ और हानि खाते के लिए भेजा जाता है और बंद कर दिया जाता है।

[9] राजस्व का परिकलन:

9.1 आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया, निम्नलिखित को छोड़कर, उपचित आधार पर किया जाता है:

- क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों तथा अनर्जक निवेशों पर ब्याज को समाविष्ट किया गया है।
- ख) अतिदेय बिलों, कमीशन (सरकारी कारोबार के अलावा), विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराया पर ब्याज की गणना वसूली पर किया गया है।
- ग) लाभांश आय की गणना तब की जाएगी जब उसको प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।
- घ) मुकदमा दायर किए गए लेखों के मामले में संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा तथा वसूली पर उसकी गणना आय के रूप में की जाएगी।

[10] कर्मचारी लाभ:

10.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं:

परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में स्थान दिया गया है तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

बैंक 01-08-2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है, जो कि एक परिभाषित योगदान योजना है, ऐसे नए शामिल होने वाले सदस्यों को मौजूदा पेंशन योजना के सदस्य बनने का अधिकार नहीं है। इस योजना के अनुसार, कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन के 10% के साथ महंगाई भत्ते को बैंक से मिल रहे योगदान के साथ योजना में योगदान करते हैं। बैंक इस तरह के वार्षिक योगदान को उस वर्ष के व्यय के रूप में स्थान देता है जिससे वे संबंधित हैं।

10.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

क) उपदान : कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनके निधि का प्रबंधन करता है। उपदान के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत को बीमांकिक आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को स्थान देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।

and impairment loss, if any, is provided for and charged off to Profit and Loss Account.

[9] Revenue Recognition:

Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

- a) Interest on Non-Performing advances and non performing investments is recognized on receipt basis as per norms laid down by Reserve Bank of India.
- b) Interest on overdue bills, Commission (other than Government business), Exchange, Brokerage and rent on lockers are accounted on realization.
- c) Dividend Income is recognized when the right to receive the same is established.
- d) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

[10] Employee Benefits:

10.1 Defined Contribution Plans:

Defined Contribution to Plans such as Provident/Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers / employees joining the Bank on or after 01-08-2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate.

10.2 Defined Benefit Plans:

a) Gratuity: The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value of the Banks obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.



ख) पेंशन : कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है उसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है। पेंशन के तहत बैंक की बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को स्थान देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।

10.3 अर्जित छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसका परिकलन किया जाता है।

10.4 परिभाषित लाभ के तहत दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने की लागत प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में किए जाने वाले बीमांकिक मूल्यांकन के साथ अनुमान इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। बीमांकिक लाभ / हानि को स्थगित न करते हुए तुरंत लाभ और हानि खाते में चिह्नित किया जाता है।

[11] कराधान के लिए प्रावधान:

क) आयकर व्यय मौजूदा कर की कुल राशि है और आस्थगित कर खर्च बैंक द्वारा किए गए है। वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और लेखांकन मानक 22 – "आय पर कर के लिए लेखांकन" के अनुसार विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए करों को ध्यान में रखने के बाद, जो संबंधित न्यायालयों के कर कानूनों पर आधारित हैं, निर्धारित किए जाते हैं।

ख) आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देनदारियों में परिवर्तन शामिल हैं। समय-अवधि में अंतर के कारण होने वाली विभेदक कर आस्तियों और देयताओं जो बाद की अवधियों के दौरान प्रतिवर्तन योग्य हैं को अधिनियमित कर की दरों व नियमों अथवा बाद में तुलन-पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर की दरों व नियमों का प्रयोग करते हुए परिकलन किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में समाविष्ट किया जाता है।

b) Pension: The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust. The present value of the Banks obligations under Pension is recognized on the basis of actuary's report as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

10.3 The privilege leave is considered as a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation

10.4 The cost of providing long term benefits under defined benefit Plans is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains / losses are immediately recognised in the Profit and Loss Account and are not deferred.

[11] Provision for Taxation:

a) Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

b) Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.



- ग) आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यथास्थिति अनुसार प्रबंधन के निर्णय के आधार पर परिकलन किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, व उनके प्राप्ति को यथोचित रूप से निश्चित या आभासी माना जाता है। जैसा भी मामला हो।
- घ) आस्थगित कर संपत्तियों को अनाधिकृत मूल्यहास और कर के नुकसान से आगे ले जाने पर रखा जाता है, अगर इस बात के पुख्ता सबूतों का समर्थन करते हुए आभासी निश्चितता है कि ऐसी आस्थगित कर संपत्ति को भविष्य में मुनाफे के खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त के अलावा अन्य मदों पर आस्थगित कर आस्तियां उचित निश्चितता के आधार पर रखी जाती हैं।

- c) Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain or Virtual certain as the case may be.
- d) Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits. Deferred tax assets on the items other than above are recognized on the basis of reasonable certainty.

[12] निवल लाभ:

12.1 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:

- I. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 "आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान" के अनुसार बैंक द्वारा प्रावधानों को केवल तब समाविष्ट किया गया, जब :-
- क) पूर्ववर्ती घटना के परिणाम के रूप में वर्तमान में कोई दायित्व हो
- ख) उस दायित्व को निभाने के लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर्पवाह हो
- ग) जब दायित्व राशि का उचित परिकलन किया जा सकते हो ।

II. निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया:

- क) पूर्व की घटनाओं के कारण होने वाली किसी संभावित बाध्यता और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जोकि पूर्ण रूप से बैंक के नियंत्रण के भीतर हों, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी ।
- ख) यह प्रत्याशित नहीं है कि आर्थिक हितों से सुसम्पन्न संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक हो अथवा
- ग) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया नहीं जा सकता ।

[12] Net Profit:

12.1 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

- I. In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants Of India, the bank recognizes provision only when :
- a) It has a present obligation as a result of past event.
- b) it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
- c) A reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

II. No provision is recognized:

- a) For any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the bank.
- b) Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or
- c) When a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.



ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलेखित किया गया है। इसको नियमित अंतरालों पर निर्धारित किया जाता है तथा दायित्व के उस हिस्सा जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिःप्रवाह संभव है, के लिए प्रावधान दिया गया है। जहाँ पर विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता, वहाँ प्रावधान नहीं दिया गया है।

III. आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणियों में समाविष्ट नहीं किया गया है।

12.2 निवल लाभ:

लाभ-हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखित के पश्चात है:

- क) निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- ख) कराधान के लिए प्रावधान
- ग) अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान
- घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
- ङ) अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान
- च) अन्य सामान्य व आवश्यक मदों के लिए प्रावधान

[13] प्रति शेयर अर्जन:

बैंक, लेखांकन मानक 20 आईसीएआई द्वारा जारी "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना ईक्विटी शेयर धारकों के लिए कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

III. Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.

12.2 Net Profit:

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:

- a) Provision for depreciation on Investments.
- b) Provision for Taxation.
- c) Provision on Non Performing Advances
- d) Provision on Standard Assets.
- e) Provision for Non Performing Investments.
- f) Provision for other usual & necessary Items.

[13] Earning per share:

The Bank reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS – 20 "Earnings Per Share", issued by ICAI. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the Year.

अनुसूची 18

अनुसूची 18 - लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1. निवेश:

यथा 31.03.2019 को "परिपक्वता के लिए धारित" वर्ग के तहत निवेश का प्रतिशत सांविधिक तरलता अनुपात (एस एल आर) बैंक की मांग और मीयादी देयता का 14.29% था (पिछले वर्ष 19.01%), जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार अनुमत सीमा के भीतर है।

2. अंतर-शाखा लेनदेन:

अंतर-शाखा / कार्यालय संव्यवहार के तहत प्रविष्टियों का मिलान व सेटिंग अंतर कार्यालय समाशोधन खातों के माध्यम से संपूर्ण बैंक हेतु कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के आधार पर प्रणाली द्वारा ही किया गया है।

3. परिसर:

परिसर में पूँजीकृत तथा ₹39.93 करोड़ के बही मूल्य के साथ कुछ संपत्तियाँ (पिछले वर्ष ₹40.07 करोड़) शामिल हैं, जिनके अंतरण विलेखों का निष्पादन अभी भी लंबित होने के बावजूद इन्हें प्रयुक्त किया गया है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकतानुसार प्रकटीकरण:

4.1 पूँजी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	बासेल III		
	31.03.2019	31.03.2018	
(i) सी ई टी 1 पूँजी अनुपात (%)	8.31	9.51	
(ii) टीयर 1 पूँजी अनुपात (%)	9.04	10.30	
(iii) टीयर 2 पूँजी अनुपात (%)	2.86	2.92	
(iv) कुल पूँजी अनुपात (%)	11.90	13.22	
(v) बैंक में भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत	70.62	72.55	
(vi) जुटाई गई इक्विटी पूँजी की राशि (शेयर प्रीमियम सहित)	557.28	4865.00	
(vii) जुटाई गई अतिरिक्त टीयर 1 पूँजी की राशि; जिसमें से,	शून्य	शून्य	
	बेमीयादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)	शून्य	शून्य
	बेमीयादी कर्ज लिखत (पीडीआई)	शून्य	शून्य

SCHEDULE 18

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1. Investments:

The percentage of investments under "Held to Maturity" category – SLR as on 31.03.2019 was 14.29% of Net Demand and Time Liability of the Bank (Previous year 19.01%), which is within the permissible limit as per RBI guidelines.

2. Inter-Branch Transactions:

The matching and setting of entries under Inter-Branch / office transactions are carried out by the system itself based on Core Banking Solutions (CBS) for the whole of the Bank through Inter Office Adjustment account.

3. Premises:

Premises include certain properties capitalized and carrying book value of ₹39.93 Crore (Previous year ₹40.07 Crore) as they have been put to use though conveyance of title deeds is still to be completed.

4. Disclosure as per RBI Requirements:

4.1 Capital:

(₹ in Crore)

Particulars	Basel III		
	31.03.2019	31.03.2018	
(i) Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	8.31	9.51	
(ii) Tier 1 Capital Ratio (%)	9.04	10.30	
(iii) Tier 2 Capital Ratio (%)	2.86	2.92	
(iv) Total Capital Ratio (%)	11.90	13.22	
(v) Percentage of Shareholding of the Government of India in the Bank	70.62	72.55	
(vi) Amount of Equity Capital raised (including share premium)	557.28	4865.00	
(vii) Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which,	NIL	NIL	
	Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS):	NIL	NIL
	Perpetual Debt Instruments (PDI):	NIL	NIL

(viii)	जुटाई गई टीयर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से,	शून्य	शून्य
	कर्ज पूंजी लिखत	शून्य	शून्य
	अधिमानी शेयर पूंजी लिखत : [बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)]	शून्य	शून्य

(viii)	Amount of Tier 2 capital raised; of which	NIL	NIL
	Debt capital instrument:	NIL	NIL
	Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)/ Redeemable Non Cumulative Preference Shares (RNCPS)/Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	NIL	NIL

4.2 निवेश:

(1) निवेशों का मूल्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
i. निवेश का सकल मूल्य	155665.34	146413.01
क. भारत में	153134.39	145101.45
ख. भारत से बाहर	2530.95	1311.56
ii. मूल्यहास के लिए प्रावधान, एनपीआई	2680.05	2359.34
क. भारत में	2674.35	2348.13
ख. भारत से बाहर	5.70	11.21
iii. निवेशों का निवल मूल्य	152985.29	144053.67
क. भारत में	150460.04	142753.32
ख. भारत से बाहर	2525.25	1300.35

(2) निवेशों पर मूल्यहास व एनपीआई के लिए किये गये प्रावधानों के उतार-चढ़ाव:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
i. प्रारंभिक शेष	2359.34	486.88
ii. जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	1664.56	2355.71
iii. घटाये : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना	1343.85	483.25
iv. इति शेष	2680.05	2359.34

4.2 Investments:

(1) Value of Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
i. Gross Value of Investments	155665.34	146413.01
a. In India	153134.39	145101.45
b. Outside India	2530.95	1311.56
ii. Provisions for Depreciation, NPI	2680.05	2359.34
a. In India	2674.35	2348.13
b. Outside India	5.70	11.21
iii. Net Value of Investments	152985.29	144053.67
a. In India	150460.04	142753.32
b. Outside India	2525.25	1300.35

(2) Movement of Provisions held towards depreciation and for NPI on Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
i. Opening Balance	2359.34	486.88
ii. Add: Provisions made during the year	1664.56	2355.71
iii. Less: Write back of excess provisions during the year	1343.85	483.25
iv. Closing balance	2680.05	2359.34

4.2.1. पुनः खरीद (रेपो) लेनदेन:

i) पुनः खरीद (रेपो) लेनदेन (अंकित मूल्य)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	बकाया यथा, 31.03.2019
रेपो के तहत बिक्रीत प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	15.00	12507.75	1624.57	शून्य
ii) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	262.30	8.42	शून्य
iii) अन्य प्रतिभूतियाँ				
प्रति रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	5.00	3892.82	77.33	शून्य
ii) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) अन्य प्रतिभूतियाँ				

4.2.1 Repo Transactions:

i) Repo Transactions (Face Value)

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2019
Securities sold under repo				
i) Government Securities	15.00	12507.75	1624.57	NIL
ii) Corporate Debt Securities	NIL	262.30	8.42	NIL
iii) Any other securities				
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	5.00	3892.82	77.33	NIL
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
iii) Any other securities				

ii. रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य) – आरबीआई रेपो व रिवर्स रेपो:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	बकाया यथा, 31.03.2019
रेपो के तहत बिक्रीत प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	95.81	11919.74	529.64	2035.80
ii) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रति रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	190.80	9112.10	505.66	2496.62
ii) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ii. Repo Transactions (Face Value) - RBI REPO & REVERSE REPO:

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2019
Securities sold under repo				
i) Government Securities	95.81	11919.74	529.64	2035.80
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	190.80	9112.10	505.66	2496.62
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL



4.2.2 गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग:

i) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश जारीकर्ता विन्यास:

(₹ करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी स्थान नियोजन सीमा	“कम निवेश श्रेणी” प्रतिभूतियों की सीमा	“गैर-रेटेड” प्रतिभूतियों की सीमा	“असूचीगत” प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	3081.28	519.47	0.00	0.00	0.00
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	4321.13	3099.68	0.00	0.00	0.00
(iii)	बैंक	1437.72	674.38	0.00	34.58	0.00
(iv)	निजी कॉर्पोरेट	6008.57	1356.63	21.40	0.00	0.00
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	912.52	912.52	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य	3753.88	240.99	0.00	0.00	0.00
(vii)	घटाएं : मूल्यहास के लिए प्रावधान	1907.58	0.00			0.00
	कुल	17607.52	6803.67	21.40	34.58	0.00

कॉलम 4,5,6, व 7 के तहत रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं हैं।

4.2.2 Non-SLR Investment Portfolio:

i) Issuer Composition of Non SLR Investments:

(₹ in Crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	3081.28	519.47	0.00	0.00	0.00
(ii)	FIs	4321.13	3099.68	0.00	0.00	0.00
(iii)	Banks	1437.72	674.38	0.00	34.58	0.00
(iv)	Private Corporate	6008.57	1356.63	21.40	0.00	0.00
(v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	912.52	912.52	0.00	0.00	0.00
(vi)	Others	3753.88	240.99	0.00	0.00	0.00
(vii)	Less: Provision held towards depreciation	1907.58	0.00			0.00
	Total	17607.52	6803.67	21.40	34.58	0.00

Note: Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above are not mutually exclusive.

ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
प्रारंभिक शेष	2253.59	526.93
1 अप्रैल 2018 के बाद वर्ष के दौरान संवर्धन	0.78	1743.89
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौती	238.11	23.90
विनिमय अस्थिरता	(1.13)	6.67
इति शेष	2015.13	2253.59
धारित कुल प्रावधान	1851.80	1352.32

ii) Non-Performing Non SLR Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Opening balance	2253.59	526.93
Additions during the year since 1 st April 2018	0.78	1743.89
Reductions during the above period	238.11	23.90
Exchange Fluctuation	(1.13)	6.67
Closing balance	2015.13	2253.59
Total Provisions held	1851.80	1352.32

4.2.3 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्ग को / से बिक्री और अंतरण:

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने एच टी एम वर्ग के बही मूल्य के 5% से अधिक में एच टी एम वर्ग से प्रतिभूतियां बेची। (पिछले वर्ष भी बिक्री एच टी एम वर्ग के 5% से अधिक थी)

4.2.3 Sale and transfers to/from HTM Category:

During the Financial Year 2018-19, the Bank sold securities from HTM category not in excess of 5% of the book value of HTM category. (In the previous year the sale exceeded 5% of HTM category).

4.3 व्युत्पन्नी:

4.3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019	31.03.2018
i.	विनिमय करार का कल्पित मूलधन	8315.58	7169.25
ii.	करार के तहत बाध्यता को प्रति पक्ष द्वारा पूरा नहीं किये जाने पर हुई क्षति	76.29	55.40
iii.	विनिमय में प्रवेश पर बैंक द्वारा संपार्श्विक की आवश्यकता	0.00	0.00
iv.	विनिमय से होनेवाली साख जोखिम का संकेद्रण	0.00	0.00
v.	विनिमय बही का उचित मूल्य	76.29	55.40

4.3 Derivatives:

4.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap:

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2019	31.03.2018
i.	The notional principal of swap agreements	8315.58	7169.25
ii.	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	76.29	55.40
iii.	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv.	Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v.	The fair value of the swap book	76.29	55.40



4.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी के कल्पित मूलधन की राशि (लिखत-वार)	0.00
(ii)	यथा 31 मार्च 2019 को विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्नी की कल्पित मूलधन राशि (लिखत-वार)	0.00
(iii)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया की कल्पित मूलधन राशि तथा "अत्यधिक प्रभावी" नहीं (लिखत-वार)	0.00
(iv)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया का दैनिक बाजार मूल्य तथा "अत्यधिक प्रभावी" नहीं (लिखत-वार)	0.00

4.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(₹ in Crore)

Sl.No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument- wise)	0.00
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2019 (instrument- wise)	0.00
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument- wise)	0.00
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00

4.3.3 व्युत्पन्नी में जोखिम सीमा संबंधी प्रकटीकरण:

I गुणात्मक प्रकटीकरण:

बचाव व्यवस्था / व्यापार के लिए व्युत्पन्नी लिखतों के उपयोग के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित साख जोखिम प्रबंधन नीति स्थापित है।

क) बैंक के निवेश संविभाग में स्थिर ब्याज दर, ज़ीरो कूपन और अस्थायी ब्याज दरों जैसी विशेषताओं वाली आस्तियां निहित हैं और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन है। बैंक ने टीयर I व टीयर II बॉन्ड भी जारी किए हैं तथा यह पूंजी लागत बिना किसी बर्हिगमन विकल्प के निश्चित दर पर है।

बैंक को एफआरए तथा आईआरएस के उपयोग की अनुमति है तथा केवल संव्यवहारों की अनुमति है। इन लिखतों का उपयोग न केवल निवेश पोर्टफोलियो में ब्याज दर जोखिम के बचाव के लिए होता है बल्कि बाजार निर्माण में होता है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने निवेश पोर्टफोलियो के तहत आईआरएस में व्युत्पन्न व्यापार नहीं किया है।

4.3.3 Disclosure on risk exposure in derivatives:

I Qualitative Disclosure:

The Credit Risk Management Policy approved by the Board of Directors, on the use of Derivative Instruments to hedge / trade is in place.

A) The Investment Portfolio of the Bank consists of assets with characteristics such as fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk. The Bank also has issued Tier I and Tier II bonds and this capital cost is at fixed rate with no exit option. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.

Bank is permitted to use FRA and IRS and only plain vanilla transactions are permitted. These instruments are used not only for hedging the interest rate risk in the investment portfolio but also for market making.

During the year the bank has not undertaken derivative trades in IRS under the investment portfolio.

वर्ष के दौरान खरीद-बिक्री स्वैप (स्वामित्व) किए गए थे। वर्ष के दौरान कोई एफआरए नहीं लिया गया।

बैंक की विदेशी मुद्रा देयताओं के बचाव के उद्देश्य हेतु भी बैंक आईआरएस तथा एफआरए जैसे व्युत्पन्न व्यापार कर रहा है। परस्पर आधार पर हमारे ग्राहकों की ओर से विकल्प और स्वैप का भी प्रयोग किया जा रहा है।

ख) बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे स्टॉप लॉस सीमाएं, प्रतिपक्ष जोखिम सीमाएं, पी वी 01, आदि कार्यशील हैं। इन जोखिम सीमाओं की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है। जोखिम प्रबंधन समिति को प्रबंध सूचना प्रणाली / रिपोर्ट आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। बकाया व्युत्पन्नी व्यवहारों की बचाव व्यवस्था की प्रभावशीलता की निरंतर आधार पर अंतर्निहित आस्ति / देयता के संबंध में पखवाड़े आधार पर निगरानी की जाती है।

ग) लेखांकन नीति:

बचाव की स्थिति:

- ब्याज व्यय / आईआरएस पर आय के कारण उपचय को व्यय / आय के रूप में लेखांकित व मान्य किया जाएगा।
- बकाया व्युत्पन्नी कार्य की निगरानी अदला-बदली और अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य के संबंध में बचाव व्यवस्था व्यवहारों के द्वारा की जाती है। बैंक ने अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य का निर्धारण करने हेतु एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित प्रासंगिक प्रतिफल + स्प्रेड का उपयोग किया है। अगर बचाव प्रभावकारी नहीं होता है तो बचाव अदला-बदली को ट्रेडिंग अदला-बदली के रूप में लिया जाता है। यदि परिपक्वता से पूर्व स्वैप को समाप्त कर दिया जाता है तो उस तारीख तक एम टी एम हानि / लाभ और उपचयों का ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली) (आई आर एस) पर भुगतान की गई / प्राप्त ब्याज के तहत लेखांकन किया जाता है।

ट्रेडिंग की स्थिति :

- सामान्य अंतरालों में ट्रेडिंग स्वैप को बाजार पर अंकित किया जाता है और आय विवरणों में परिवर्तनों को रिकार्ड किया जाता है।
- ब्याज व्यय का उपचय / ब्याज दर स्वैप (आई आर एस) पर आय को व्यय / आय माना जाता है।
- स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उक्त शीर्षक के तहत तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Buy-Sell Swaps (Proprietary) were undertaken during the year. No FRAs were undertaken during the year.

The Bank has been undertaking derivatives trades like IRS and FRAs, for the purpose of hedging the Bank's Foreign Currency liabilities. Options and swaps are also undertaken on behalf of clients on back to back basis.

B) The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counterparty exposure limits, PV01, etc. approved by the Board of Directors are in place. These risk limits are monitored and reviewed regularly. MIS/Reports are submitted periodically to Risk Management Committee. The hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the underlying asset / liability on fortnightly basis.

C) Accounting Policy:

Hedge Positions:

- Accrual on account of interest expenses / income on the IRS are accounted and recognized as expenses / Income.
- Hedge effectiveness of the outstanding derivatives deals are monitored in relation to the fair value of the Swap and underlying asset / liability. The Bank has used the relevant INBMK yield + Spread as declared by FIMMDA for arriving at the fair value of the underlying assets/liability. If the Hedge is not effective, hedge swaps is accounted as trading swaps. If swap is terminated before maturity, the MTM loss / gain and accruals till such dates are accounted as income / expenses under interest paid / received on IRS.

Trading Positions:

- Trading swaps are marked to market at frequent intervals and changes are recorded in the income statements.
- Accrual on account of interest expenses / income on the IRS are accounted and recognized as income / expenses.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income or expenses under the above head.



II परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज दर व्युत्पन्नी					
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019		31.03.2018			
1	व्युत्पन्नी (कल्पित मूलधन राशि)								
	- बचाव व्यवस्था	1557.72	शून्य	8315.58 #		7169.25			
	- ट्रेडिंग	5788.95*	2741.51*	शून्य		शून्य			
2	बाजार स्थितियों को अंकित								
	- आस्तियाँ (+)	20.19	शून्य	शून्य		शून्य			
	- देयताएँ (-)	(4.21)	(5.73)	42.14		185.95			
3	ऋण जोखिम	शून्य	शून्य	76.29		55.40			
		घरेलू				समुद्रपारीय			
		मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज दर व्युत्पन्नी		मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज दर व्युत्पन्नी	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का सामान्य प्रभाव (*100 पीपी01)								
	- व्युत्पन्नी बचाव व्यवस्था पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2.68	1.98
	- व्युत्पन्नी ट्रेडिंग पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	वर्ष के दौरान पाए गए अधिकतम व न्यूनतम 100*पीपी01								
	- व्युत्पन्नी बचाव व्यवस्था पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- व्युत्पन्नी ट्रेडिंग पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	वायदा सविदा [100*पीपी01] के तहत बकाया स्थिति पर विनिमय दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का सामान्य प्रभाव : ₹1.064 लाख का लाभ (पिछले वर्ष : ₹1.00 करोड़ का लाभ)								

* एनएसई, बीएसई तथा एमसीएक्स में मुद्रा भविष्य

एकदिवसीय सूचकांक स्वैप (ओआईएस) की बकाया राशि ₹1400 करोड़ केवल हेजिंग उद्देश्य के लिए है।

II Quantitative Disclosure

(₹ in Crore)

Sl No	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives					
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019		31.03.2018			
1	Derivatives (Notional principal amount)								
	- Hedging	1557.72	NIL	8315.58#		7169.25			
	- Trading	5788.95*	2741.51*	NIL		NIL			
2	Marked to Market positions								
	- Assets (+)	20.19	NIL	NIL		NIL			
	- Liabilities (-)	(4.21)	(5.73)	42.14		185.95			
3	Credit Exposure	NIL	NIL	76.29		55.40			
		Domestic				Overseas			
		Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives		Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
4	Likely impact of one percentage change in interest rate [100*PV01]								
	- on hedging derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	2.68	1.98
	- on trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
5	Maximum and minimum of 100*PV01 observed during the year.								
	- on hedging	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	- on trading	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
6	Likely impact of one percentage change in exchange rate on outstanding position under forward contract [100%PV01]: ₹1.064 Lacs (Previous Year: ₹1.00 Crore)								

*Currency Futures in NSE, BSE and MCX

#Outstanding amount of overnight index swap (OIS) ₹1400 Cr for hedging purpose only.

4.4 आस्ति गुणवत्ता:

4.4.1 अनर्जक आस्तियाँ:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
(i)	निवल अग्रिम पर निवल एनपीए (%)	5.37	7.48
(ii)	एनपीए का उतार-चढ़ाव (सकल)		
	क. प्रारंभिक शेष	47468.47	34202.04
	ख. वर्ष के दौरान संवर्धन	15480.16	24760.76
	ग. वर्ष के दौरान कमी विनिमय उतार-चढ़ाव	23724.51	11494.33
	घ. इति शेष	39224.12	47468.47
(iii)	निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव		
	क. प्रारंभिक शेष	28542.40	21648.98
	ख. वर्ष के दौरान संवर्धन	1853.47	18387.75
	ग. वर्ष के दौरान कमी विनिमय उतार-चढ़ाव	7440.76	11494.33
	घ. इति शेष	22955.11	28542.40
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधान का उतार-चढ़ाव (मानक आस्ति संबंधी प्रावधान को छोड़कर)		
	क. प्रारंभिक शेष	18763.71	12418.93
	ख. विनिमय उतार-चढ़ाव तथा अन्य पर समायोजन	46.39	6.62
	ग. वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	13521.44	14684.82
	घ. अधिक प्रावधान को बढ़े खाते में डालना / वापस करना	16283.77	8346.66
	ड. इति शेष	16047.77	18763.71

4.4 Asset Quality:

4.4.1 Non-Performing Assets:

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	5.37	7.48
(ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	a. Opening balance	47468.47	34202.04
	b. Additions during the year	15480.16	24760.76
	c. Reductions during the year / Exchange fluctuation	23724.51	11494.33
	d. Closing balance	39224.12	47468.47
(iii)	Move ment of Net NPAs		
	a. Opening balance	28542.40	21648.98
	b. Additions during the year	1853.47	18387.75
	c. Reductions during the year / Exchange fluctuation	7440.76	11494.33
	d. Closing balance	22955.11	28542.40
(iv)	Movement of provisions for NPAs (excluding Provision on Standard Assets)		
	a. Opening balance	18763.71	12418.93
	b. Adjustment towards Exchange Fluctuation & others	46.39	6.62
	c. Provisions made during the year	13521.44	14684.82
	d. Write off / Write back of excess provision	16283.77	8346.66
	e. Closing balance	16047.77	18763.71

4.4.2 पुनः संरचित खातों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

यथा 31.03.2019 को पुनर्संरचित खातों का प्रकटन												
क्र. सं.	विवरण		सीडीआर					एसएमई				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वि.व.के अप्रैल 1 को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	37	5	43	149	142	1167	251	1709
		राशि	152.37	0.00	5360.83	741.95	6255.15	27.59	35.27	726.70	149.98	939.54
		प्रावधान राशि	5.33	0.00	4524.29	733.40	5263.02	0.55	5.98	490.69	129.93	627.15
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	36958	543	12	3	37516
		राशि	0.00	0.00	80.71	0.00	80.71	1092.95	20.93	7.80	0.10	1121.78
		प्रावधान राशि	0.00	0.00	552.32	0.00	552.32	17.50	21.81	93.42	0.10	132.83
3	वि.व. के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	-1	0	0	40	-27	-13	0	0
		राशि	311.20	0.00	-311.20	0.00	0.00	4.98	-2.18	-2.80	0.00	0.00
		प्रावधान राशि	10.89	0.00	-10.89	0.00	0.00	0.11	-0.03	-0.08	0.00	0.00
4	वे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो वित्त वर्ष के समापन पर उच्च प्रावधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार आकृष्ट कर पाने में असफल हैं, और अतः अगले वि.व. के आरंभ पर पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में प्रदर्शित किये जाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	0	0	1	81	0	0	0	81
		राशि	152.37	0.00	0.00	0.00	152.37	14.15	0.00	0.00	0.00	14.15
		प्रावधान राशि	5.33	0.00	0.00	0.00	5.33	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39
5	वि.व. के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	-4	4	0	-1	-86	47	40	0
		राशि	0.00	0.00	-633.08	633.08	0.00	-0.03	-30.38	13.96	16.45	0.00
		प्रावधान राशि	0.00	0.00	-633.08	633.08	0.00	0.00	-23.13	7.30	15.83	0.00
6	वि.व. के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलिखित	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	3	1	4	8	59	280	78	425
		राशि	0.00	0.00	781.54	117.60	899.14	0.60	1.34	96.83	25.31	124.08
		प्रावधान राशि	0.00	0.00	512.50	109.04	621.54	0.01	0.49	64.11	25.23	89.84
7	वि.व. के 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	29	8	38	37057	513	933	216	38719
		राशि	311.20	0.00	3715.72	1257.43	5284.35	1110.75	22.30	648.83	141.22	1923.10
		प्रावधान राशि	10.89	0.00	3920.14	1257.43	5188.46	17.75	4.14	527.23	120.63	669.75

4.4.2 Particulars of Accounts Restructured:

(₹ in Crore)

DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS AT 31.03.2019												
S.N	Details		CDR					SME				
			STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL	STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL
1	RESTRUCTURE ACCOUNTS AS ON APRIL 1 OF FY (OPENING FIGURES)	NO. OF BORROWERS	1	0	37	5	43	149	142	1167	251	1709
		AMOUNT	152.37	0.00	5360.83	741.95	6255.15	27.59	35.27	726.70	149.98	939.54
		PROVISION AMOUNT	5.33	0.00	4524.29	733.40	5263.02	0.55	5.98	490.69	129.93	627.15
2	FRESH RESTRUCTURED DURING THE YEAR	NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	0	36958	543	12	3	37516
		AMOUNT	0.00	0.00	80.71	0.00	80.71	1092.95	20.93	7.80	0.10	1121.78
		PROVISION AMOUNT	0.00	0.00	552.32	0.00	552.32	17.50	21.81	93.42	0.10	132.83
3	UPGRADATIONS TO RESTRUCTURED STANDARD CATEGORY DURING THE FY	NO. OF BORROWERS	1	0	-1	0	0	40	-27	-13	0	0
		AMOUNT	311.20	0.00	-311.20	0.00	0.00	4.98	-2.18	-2.80	0.00	0.00
		PROVISION AMOUNT	10.89	0.00	-10.89	0.00	0.00	0.11	-0.03	-0.08	0.00	0.00
4	RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES WHICH CEASES TO ATTRACT HIGHER PROVISIONING AND/OR ADDITIONAL RISK WEIGHT AT THE END OF THE FY AND HENCE NEED NOT TO BE SHOWN AS RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES AT THE BEGINNING OF THE NEXT FY	NO. OF BORROWERS	1	0	0	0	1	81	0	0	0	81
		AMOUNT	152.37	0.00	0.00	0.00	152.37	14.15	0.00	0.00	0.00	14.15
		PROVISION AMOUNT	5.33	0.00	0.00	0.00	5.33	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39
5	DOWNGRADATIONS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO. OF BORROWERS	0	0	-4	4	0	-1	-86	47	40	0
		AMOUNT	0.00	0.00	-633.08	633.08	0.00	-0.03	-30.38	13.96	16.45	0.00
		PROVISION AMOUNT	0.00	0.00	-633.08	633.08	0.00	0.00	-23.13	7.30	15.83	0.00
6	WRITE OFFS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO. OF BORROWERS	0	0	3	1	4	8	59	280	78	425
		AMOUNT	0.00	0.00	781.54	117.60	899.14	0.60	1.34	96.83	25.31	124.08
		PROVISION AMOUNT	0.00	0.00	512.50	109.04	621.54	0.01	0.49	64.11	25.23	89.84
7	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON MARCH 31 OF THE FY (CLOSING FIGURES)	NO. OF BORROWERS	1	0	29	8	38	37057	513	933	216	38719
		AMOUNT	311.20	0.00	3715.72	1257.43	5284.35	1110.75	22.30	648.83	141.22	1923.10
		PROVISION AMOUNT	10.89	0.00	3920.14	1257.43	5188.46	17.75	4.14	527.23	120.63	669.75

(₹ करोड़ में)

यथा 31.03.2019 को पुनर्संचित खातों का प्रकटन

क्र. सं.	विवरण		अन्य					कुल				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वि.व.के अप्रैल 1 को पुनर्संचित खाते (प्रारंभिक आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	175	262	1645	309	2391	325	404	2849	565	4143
		राशि	1038.42	15.58	4386.37	719.24	6159.61	1218.38	50.85	10473.90	1611.17	13354.30
		प्रावधान राशि	35.67	27.37	3068.86	712.36	3844.26	41.55	33.35	8083.84	1575.69	9734.43
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संचित	उधारकर्ताओं की संख्या	802	130	23	3	958	37760	673	35	6	38474
		राशि	270.17	7.54	16.81	0.33	294.85	1363.12	28.47	105.32	0.43	1497.34
		प्रावधान राशि	9.19	64.27	754.58	0.70	828.74	26.69	86.08	1400.32	0.80	1513.89
3	वि.व. के दौरान पुनर्संचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	39	-26	-11	-2	0	80	-53	-25	-2	0
		राशि	301.56	-31.82	-255.93	-13.81	0.00	617.74	-34.00	-569.93	-13.81	0.00
		प्रावधान राशि	10.55	-1.11	4.27	-13.71	0.00	21.55	-1.14	-6.70	-13.71	0.00
4	वे पुनर्संचित मानक अग्रिम जो वित्त वर्ष के समापन पर उच्च प्रावधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार आकृष्ट कर पाने में असफल हैं, और अतः अगले वि.व. के आरंभ पर पुनर्संचित मानक अग्रिम के रूप में प्रदर्शित किये जाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	39	0	0	0	39	121	0	0	0	121
		राशि	15.12	0.00	0.00	0.00	15.12	181.64	0.00	0.00	0.00	181.64
		प्रावधान राशि	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	6.17	0.00	0.00	0.00	6.17
5	वि.व. के दौरान पुनर्संचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	-150	98	52	0	-1	-236	141	96	0
		राशि	0.00	-179.27	-81.65	260.92	0.00	-0.03	-209.65	-700.77	910.45	0.00
		प्रावधान राशि	0.00	-90.08	-170.76	260.84	0.00	0.00	-113.21	-796.54	909.75	0.00
6	वि.व. के दौरान पुनर्संचित खातों का अपलिखित	उधारकर्ताओं की संख्या	4	172	324	99	599	12	231	607	178	1028
		राशि	131.35	22.91	595.35	45.41	795.02	131.95	24.25	1473.72	188.32	1818.24
		प्रावधान राशि	4.11	6.95	440.03	45.41	496.50	4.12	7.44	1016.64	179.68	1207.88
7	वि.व. के 31 मार्च को पुनर्संचित खाते (अंतिम आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	973	44	1431	263	2711	38031	557	2393	487	41468
		राशि	1463.68	-210.88	3470.25	921.27	5644.32	2885.63	-188.58	7834.80	2319.92	12851.77
		प्रावधान राशि	50.86	-6.49	3216.92	914.78	4176.07	79.50	-2.35	7664.29	2292.84	10034.28

(₹ in Crore)

DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS AT 31.03.2019												
S.N	Details		OTHERS					TOTAL				
			STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL	STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL
1	RESTRUCTURE ACCOUNTS AS ON APRIL 1 OF FY (OPENING FIGURES)	NO. OF BORROWERS	175	262	1645	309	2391	325	404	2849	565	4143
		AMOUNT	1038.42	15.58	4386.37	719.24	6159.61	1218.38	50.85	10473.90	1611.17	13354.30
		PROVISION AMOUNT	35.67	27.37	3068.86	712.36	3844.26	41.55	33.35	8083.84	1575.69	9734.43
2	FRESH RESTRUCTURED DURING THE YEAR	NO. OF BORROWERS	802	130	23	3	958	37760	673	35	6	38474
		AMOUNT	270.17	7.54	16.81	0.33	294.85	1363.12	28.47	105.32	0.43	1497.34
		PROVISION AMOUNT	9.19	64.27	754.58	0.70	828.74	26.69	86.08	1400.32	0.80	1513.89
3	UPGRADATIONS TO RESTRUCTURED STANDARD CATEGORY DURING THE FY	NO. OF BORROWERS	39	-26	-11	-2	0	80	-53	-25	-2	0
		AMOUNT	301.56	-31.82	-255.93	-13.81	0.00	617.74	-34.00	-569.93	-13.81	0.00
		PROVISION AMOUNT	10.55	-1.11	4.27	-13.71	0.00	21.55	-1.14	-6.70	-13.71	0.00
4	RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES WHICH CEASES TO ATTRACT HIGHER PROVISIONING AND/OR ADDITIONAL RISK WEIGHT AT THE END OF THE FY AND HENCE NEED NOT TO BE SHOWN AS RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES AT THE BEGINNING OF THE NEXT FY	NO. OF BORROWERS	39	0	0	0	39	121	0	0	0	121
		AMOUNT	15.12	0.00	0.00	0.00	15.12	181.64	0.00	0.00	0.00	181.64
		PROVISION AMOUNT	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	6.17	0.00	0.00	0.00	6.17
5	DOWNGRADATIONS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO. OF BORROWERS	0	-150	98	52	0	-1	-236	141	96	0
		AMOUNT	0.00	-179.27	-81.65	260.92	0.00	-0.03	-209.65	-700.77	910.45	0.00
		PROVISION AMOUNT	0.00	-90.08	-170.76	260.84	0.00	0.00	-113.21	-796.54	909.75	0.00
6	WRITE OFFS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO. OF BORROWERS	4	172	324	99	599	12	231	607	178	1028
		AMOUNT	131.35	22.91	595.35	45.41	795.02	131.95	24.25	1473.72	188.32	1818.24
		PROVISION AMOUNT	4.11	6.95	440.03	45.41	496.50	4.12	7.44	1016.64	179.68	1207.88
7	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON MARCH 31 OF THE FY (CLOSING FIGURES)	NO. OF BORROWERS	973	44	1431	263	2711	38031	557	2393	487	41468
		AMOUNT	1463.68	-210.88	3470.25	921.27	5644.32	2885.63	-188.58	7834.80	2319.92	12851.77
		PROVISION AMOUNT	50.86	-6.49	3216.92	914.78	4176.07	79.50	-2.35	7664.29	2292.84	10034.28

4.4.3 आस्ति पुनःसंरचना के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनःसंरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण:

अ. बिक्री का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
i. खातों की संख्या	5	7
ii. एससी / आरसी को बेचे गये खातों का समग्र मूल्य (निवल प्रावधान)	17.94	6.36
iii. समग्र प्रतिफल	79.85	228.87
iv. पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
v. निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ	61.91	222.51

आ. प्रतिभूति रसीद में निवेश के बही मूल्य का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
i. अंतर्निहित को बैंक द्वारा बिक्री व एनपीए द्वारा समर्थित	1949.34	1973.27
ii. अंतर्निहित को अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री व एनपीए द्वारा समर्थित	शून्य	शून्य
कुल	1949.34	1973.27

प्रतिभूति रसीद पर बैंक ₹955.42 करोड़ का प्रावधान अनुरक्षित रखे हुए हैं। (पिछले वर्ष: ₹955.63 करोड़)

4.4.3 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

A. Details of Sales:

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
i. No. of Accounts	5	7
ii. Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / RC	17.94	6.36
iii. Aggregate consideration	79.85	228.87
iv. Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	Nil
v. Aggregate Gain over Net Book Value	61.91	222.51

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts:

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
i. Backed by NPAs sold by the bank as underlying	1949.34	1973.27
ii. Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	NIL	NIL
Total	1949.34	1973.27

Bank is holding provision of ₹955.42 Crore on account of Security Receipts. (Previous year: ₹955.63 Crore)

इ. प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के विवरण: (₹ करोड़ में)

विवरण	पिछले 5 वर्षों में जारी की गई प्रतिभूति प्राप्तियां	पिछले 5 वर्ष पहले परंतु 8 वर्षों के अन्दर जारी की गई प्रतिभूति प्राप्तियां	8 वर्ष पहले जारी की गई प्रतिभूति प्राप्तियां
i. अंतर्निहित को बैंक द्वारा बिक्री व एनपीए द्वारा समर्थित प्रतिभूति प्राप्तियों का बहीमूल्य	962.96	981.15	5.23*
के एवज में प्रावधान (i)	558.37	391.82	5.23
ii. अंतर्निहित को अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री व एनपीए द्वारा समर्थित प्रतिभूति प्राप्तियों का बहीमूल्य	--	--	--
के एवज में प्रावधान (i)	--	--	--
कुल (i) + (ii)	962.96	981.15	5.23

*फुटकर आस्तियों में प्राप्य छूट

4.4.4 खरीदी / बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

अ. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1 क. वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
ख. समग्र प्रतिफल	शून्य	शून्य
2 क. उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
ख. समग्र बकाया	शून्य	शून्य

C. Details of Investments in Security Receipts: (₹ In Crore)

Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
i. Book Value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	962.96	981.15	5.23*
Provision held against (i)	558.37	391.82	5.23
ii. Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	--	--	--
Provision held against (ii)	--	--	--
Total (i) + (ii)	962.96	981.15	5.23

* In sundry asset redemption receivable.

4.4.4 Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of non-performing financial assets purchased (₹ In Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
1 a. No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
b. Aggregate consideration	NIL	NIL
2 a. Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
b. Aggregate outstanding	NIL	NIL

आ. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019	31.03.2018
1	बेचे गये खातों की संख्या	5	7
2.	समग्र अतिदेयता	216.04	607.40
3.	प्राप्त समग्र प्रतिफल	79.85	228.87

4.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019	31.03.2018
मानक आस्तियों पर प्रावधान		1820.61	1382.83

4.4.6 आस्ति वर्गीकरण व प्रावधानीकरण में विचलन:

आरबीआई के संदर्भ में परिपत्र सं. DBR.BP.BC.No.32 / 21.04.018 / 2018-19 दिनांक 1 अप्रैल 2019, बैंकों को आस्ति वर्गीकरण में भिन्नता का प्रकटन करना आवश्यक है और वित्तीय विवरणों के लिए उनके नोटों में आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप प्रावधान किया गया है, जहाँ भी या दोनों में निम्न स्थितियाँ हैं:

- (क) आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान संदर्भ अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले सूचित लाभ का 10 प्रतिशत से अधिक है और
- (ख) आरबीआई द्वारा पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए का 15 प्रतिशत से अधिक है।

हमारे बैंक विचलन में ऊपर निर्दिष्ट सीमा सीमा के भीतर हैं, इसलिए वित्त वर्ष 2018 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में एनपीए के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन का कोई प्रकटन आवश्यक नहीं है।

B. Details of non-performing financial assets sold:

(₹ In Crore)

Particulars		31.03.2019	31.03.2018
1	No. of accounts sold	5	7
2.	Aggregate outstanding	216.04	607.40
3.	Aggregate consideration received	79.85	228.87

4.4.5 Provisions on Standard Asset:

(₹ In Crore)

Particulars		31.03.2019	31.03.2018
Provisions towards Standard Assets		1820.61	1382.83

4.4.6 Divergence in the asset classification and provisioning:

In terms of the RBI circular no. DBR.BP.BC. No.32/21.04.018/2018-19 dated 1st April 2019, banks are required to disclose the divergences in asset classification and provisioning consequent to RBI's annual supervisory process in their notes to accounts to the financial statements, wherever either or both of the following conditions are satisfied:

- (a) the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10 per cent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period and
- (b) the additional Gross NPAs identified by RBI exceed 15 per cent of the published incremental Gross NPAs for the reference period.

In our Bank divergences are within threshold limit specified above, hence no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY2018.

4.4.7 यथा 31.03.2019 को दबावग्रस्त आस्तियों के सतत पुनर्गठन हेतु योजना:

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एस4 ए लागू है	समग्र बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान
		भाग ए में	भाग बी में	
मानक के रूप में वर्गीकृत खातों की संख्या - 05	1008.35	501.26	507.09	223.50
एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों की संख्या - 03	469.24	195.54	273.70	331.19

4.4.7 Scheme for sustainable structuring of Stressed assets as on 31.03.2019:

(₹ in crore)

No of Accounts where S4 A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision held
		In Part A	In Part B	
Classified as Standard No of Accounts - 05	1008.35	501.26	507.09	223.50
Classified as NPA No. of Accounts - 03	469.24	195.54	273.70	331.19

4.4.8 मौजूदा ऋणों के लचीले पुनर्संरचना संबंधी प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

अवधि	लचीले पुनर्संरचना हेतु लिये गये उधारकर्ताओं की संख्या	लचीले पुनर्संरचना हेतु लिये गये ऋणों की राशि		लचीले पुनर्संरचना हेतु लिए गए ऋणों की एक्सपोजर भारत औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीली पुनर्संरचना लागू होने से पहले	लचीली पुनर्संरचना लागू होने के बाद
पिछला वित्तीय वर्ष	7	2123.67	शून्य	8.723 वर्ष	18.368 वर्ष
चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2018 से मार्च 2019)	शून्य	-	-	-	-

4.4.8 Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans:

(₹ in crore)

Period	No of Borrowers taken up for flexible structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Previous Financial Year	7	2123.67	Nil	8.723 Yrs	18.368 Yrs
Current Financial Year (From April 2018 to March 2019)	NIL	-	-	-	-

4.4.9 सामरिक कर्ज पुनर्गठन योजना पर प्रकटन:

(खाते जो वर्तमान में अवरोध अवधि के अंतर्गत हैं)

(₹ करोड़ में)

उन खातों की संख्या जहाँ एसडीआर का सहारा लिया गया है	रिपोर्टिंग तिथि पर अतिदेय राशि		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जहाँ कर्ज से इक्विटी में परिवर्तन लंबित है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जहाँ कर्ज से इक्विटी में परिवर्तन हुआ है	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.4.9 Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme:

(accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount Outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount Outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

4.4.10 एसडीआर योजना से बाहर के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन:

(खाते जो वर्तमान में अवरोध अवधि के अंतर्गत हैं)

(₹ करोड़ में)

उन खातों की संख्या जिनके स्वामित्व में बैंक ने परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	यथा रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जिनमें कर्ज का इक्विटी / इक्विटी शेयर के गिरवी को लागू करने में परिवर्तन लंबित है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जिनमें कर्ज का इक्विटी / इक्विटी शेयर के गिरवी को लागू करने में परिवर्तन हुआ है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जिनमें स्वामित्व में परिवर्तन नए शेयर जारी करने या प्रमोटर इक्विटी की बिक्री के आधार पर किया गया है	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.4.10 Disclosures on change in Ownership outside SDR Scheme:

(accounts which are currently under the stand still period)

(₹ in crore)

No of accounts where Banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

4.4.11 कार्यान्वयन के तहत परियोजना के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन:
(खाते जो वर्तमान में अवरोध अवधि के तहत हैं)

(₹ करोड़ में)

उन परियोजना ऋण खातों की संख्या जिनके स्वामित्व में बैंक ने परिवर्तन का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्संरचित के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.4.11 Disclosures on Change in Ownership of Projects under Implementation:
(accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crore)

No. of Project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
NIL	NIL	NIL	NIL

4.4.12 एमएसएमई खातों का पुनर्गठन:

आरबीआई के परिपत्र सं DBR.No.BP. BC.18 / 21.04.048 / 2018-19 दिनांक 1 जनवरी 2019 के अनुसार, माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत के रूप में 31.03.2019 के अनुसार एमएसएमई पुनर्गठन खातों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि
41,602	753.51

4.4.12 MSME Accounts Restructured:

In accordance with RBI vide circular no. DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated 1st January 2019, on "Relief for MSME borrowers registered under Goods and Service Tax (GST)" the details of MSME restructured accounts as on 31.03.2019 as under:

(₹ in crore)

No. of accounts restructured	Amount
41,602	753.51

4.5 कारोबार संबंधी अनुपात:

4.5 Business Ratios:

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
i. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	7.59	7.34
ii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय (%)	1.07	1.24
iii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ (%)	1.72	1.70
iv. आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.06	-0.75
v. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा तथा अग्रिम को मिलाकर) [₹लाखों में]	1706.81	1480.54
vi. प्रति कर्मचारी लाभ [₹करोड़ में]	0.01	-0.07

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
i. Interest income as a percentage to Working Funds (%)	7.59	7.34
ii. Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	1.07	1.24
iii. Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	1.72	1.70
iv. Return on Assets (%)	0.06	-0.75
v. Business (Deposits plus Advances) per Employee [₹in lakh]	1706.81	1480.54
vi. Profit per Employee (₹in Crore)	0.01	-0.07

4.6 आस्ति देयता प्रबंधन:

आस्ति तथा देयता की कुछेक मदों का परिपक्वता स्वरूप :

(₹ करोड़ में)

विवरण	जमा	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	5335.19 (9794.52)	22926.87 (37245.77)	30.22 (0.00)	0.00 (0.00)	13784.46 (6233.67)	1054.42 (2230.22)
2 से 7 दिनों तक	25737.50 (22533.43)	11810.86 (7686.18)	7.73 (927.19)	2731.93 (8633.04)	1439.69 (2417.43)	5197.21 (5289.11)
8 से 14 दिनों तक	16851.54 (14325.20)	12473.11 (7780.40)	281.35 (1030.27)	138.31 (3788.71)	1423.62 (1486.46)	988.71 (2069.04)
15 से 30 दिनों तक	10425.69 (10188.87)	32723.00 (15826.43)	234.88 (229.37)	1165.26 (390.13)	3184.87 (5275.63)	4505.54 (5896.27)
31 दिनों से 2 महीने तक	20342.81 (12578.49)	15017.77 (15230.69)	2382.23 (352.72)	2241.57 (1181.16)	7179.12 (8300.79)	6536.95 (5182.82)
2 महीने से 3 महीने तक	31041.31 (14392.44)	21328.54 (13446.98)	4011.13 (224.34)	1345.54 (1171.85)	5274.27 (6346.23)	5467.60 (6601.34)
3 महीने से 6 महीने तक	47120.34 (44657.22)	37815.92 (29166.78)	6451.67 (583.84)	2973.44 (969.99)	7108.97 (7355.64)	5165.13 (6473.94)
6 महीने से 1 वर्ष तक	135263.72 (133844.35)	46517.39 (43336.53)	8714.39 (8046.77)	3163.12 (4890.65)	7973.84 (9755.04)	3325.87 (3930.74)
1 वर्ष से 3 वर्षों तक	260656.24 (216000.94)	96118.07 (94242.30)	19711.18 (24586.38)	7738.88 (716.92)	2556.01 (2511.80)	1334.41 (1287.53)
3 वर्षों से 5 वर्षों तक	20835.92 (21679.45)	50191.38 (44035.91)	12124.89 (16587.58)	8827.68 (4041.08)	5549.14 (1746.77)	118.34 (239.22)
5 वर्षों से अधिक	25423.01 (24776.96)	80804.36 (73705.02)	99035.62 (91485.21)	10666.56 (13024.98)	2923.32 (3505.16)	1362.48 (1970.46)
कुल	599033.27 (524771.87)	427727.27 (381702.99)	152985.29 (144053.67)	40992.29 (38808.51)	58397.31 (54934.62)	35056.64 (41170.69)

(पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठकों में दिए गए हैं)

4.6 Asset Liability Management:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:

(₹ in Crore)

Particulars	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
1 day	5335.19 (9794.52)	22926.87 (37245.77)	30.22 (0.00)	0.00 (0.00)	13784.46 (6233.67)	1054.42 (2230.22)
2 to 7 days	25737.50 (22533.43)	11810.86 (7686.18)	7.73 (927.19)	2731.93 (8633.04)	1439.69 (2417.43)	5197.21 (5289.11)
8 to 14 days	16851.54 (14325.20)	12473.11 (7780.40)	281.35 (1030.27)	138.31 (3788.71)	1423.62 (1486.46)	988.71 (2069.04)
15 to 30 days	10425.69 (10188.87)	32723.00 (15826.43)	234.88 (229.37)	1165.26 (390.13)	3184.87 (5275.63)	4505.54 (5896.27)
31 days to 2 months	20342.81 (12578.49)	15017.77 (15230.69)	2382.23 (352.72)	2241.57 (1181.16)	7179.12 (8300.79)	6536.95 (5182.82)
Over 2 months to 3 months	31041.31 (14392.44)	21328.54 (13446.98)	4011.13 (224.34)	1345.54 (1171.85)	5274.27 (6346.23)	5467.60 (6601.34)
Over 3 months to 6 months	47120.34 (44657.22)	37815.92 (29166.78)	6451.67 (583.84)	2973.44 (969.99)	7108.97 (7355.64)	5165.13 (6473.94)
Over 6 months to 1 year	135263.72 (133844.35)	46517.39 (43336.53)	8714.39 (8046.77)	3163.12 (4890.65)	7973.84 (9755.04)	3325.87 (3930.74)
Over 1 year to 3 years	260656.24 (216000.94)	96118.07 (94242.30)	19711.18 (24586.38)	7738.88 (716.92)	2556.01 (2511.80)	1334.41 (1287.53)
Over 3 years to 5 years	20835.92 (21679.45)	50191.38 (44035.91)	12124.89 (16587.58)	8827.68 (4041.08)	5549.14 (1746.77)	118.34 (239.22)
Over 5 years	25423.01 (24776.96)	80804.36 (73705.02)	99035.62 (91485.21)	10666.56 (13024.98)	2923.32 (3505.16)	1362.48 (1970.46)
Total	599033.27 (524771.87)	427727.27 (381702.99)	152985.29 (144053.67)	40992.29 (38808.51)	58397.31 (54934.62)	35056.64 (41170.69)

(Figures in brackets relates to previous year)

4.7 एक्सपोजर:

4.7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में एक्सपोजर:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी		31.03.2019	31.03.2018
क)	प्रत्यक्ष ऋण जोखिम	43507.84	33976.05
(i)	आवासीय बंधक – आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा ऋण पूर्ण रूप से सुरक्षित है जो उधारकर्ता द्वारा अभिग्रहित किया जाएगा या किराए पर दिए गए हैं।	35584.60	28392.80
	– जिनमें से व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किए जाने के लिए अर्ह है	15011.34	11604.84
(ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा – वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक के द्वारा सुरक्षित उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु उद्देश्यी वाणिज्यिक परिसर, बहु परिवार निवास भवन, औद्योगिक या वेयरहाउस स्थान, होटल, भूमि अर्जन, विकास व संरचना आदि)। जोखिम में गैर-निधि आधारित सीमा भी शामिल हैं।	6691.75	5447.02
(iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूति एक्सपोजर	1231.49	136.23
	क. आवासीय	94.12	94.12
	ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	1137.37	42.11
ख)	अप्रत्यक्ष ऋण जोखिम	24490.65	15573.98
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) संबंधी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर	24490.65	15573.98
	स्थायर संपदा क्षेत्र को कुल एक्सपोजर	67998.49	49550.03

4.7 Exposures:

4.7.1 Exposure to Real Estate Sector:

(₹ in Crore)

Category		31.03.2019	31.03.2018
a)	Direct Exposure	43507.84	33976.05
(i)	Residential Mortgages – lending fully secured by Mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	35584.60	28392.80
	- Of which, individual Housing Loans eligible for inclusion in priority sector advances	15011.34	11604.84
(ii)	Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc). Exposure also include non-fund based (NFB) limits.	6691.75	5447.02
(iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -	1231.49	136.23
	a. Residential	94.12	94.12
	b. Commercial Real Estate	1137.37	42.11
b)	Indirect Exposure	24490.65	15573.98
	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	24490.65	15573.98
	Total Exposure to Real Estate Sector (a + b)	67998.49	49550.03

4.7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर:

(₹ करोड़ों में)

विवरण		31.03.2019	31.03.2018
i.	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आरंभिक निधि नितान्त रूप से निगमित ऋण में निविष्ट नहीं की गई	1502.57	1505.82
ii.	शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में या बेजमानती आधार पर शेयरों (आईपीओ/ईएसपीओ सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा म्यूचुअल फंड उन्मुख ईक्विटी इकाईयों में निवेश हेतु व्यष्टियों को दिया गया अग्रिम	95.06	16.81
iii.	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बंधपत्र या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनितों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	58.28	11.01
iv.	अग्रिमों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनितों की संपाशिक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत किये जाने तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम यानि शेयर / प्रयोजन बांड / परिवर्तनीय डिबेंचर / ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनितों को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया प्रावरित नहीं करती।	0.00	0.00
v.	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों विपणि निर्माताओं के पत्र में निर्गत गारंटियाँ	439.66	339.20
vi.	स्रोतों को एकत्रित करने की प्रत्याशा में नई कंपनियों में ईक्विटी करने के लिए प्रायोजक का अंशदान पूरा करने के लिए शेयर / बांड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के एवज में या बेशर्तिया कापॉरेटों को स्वीकृत अग्रिम।	17.95	0.33
vii.	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों / इश्यू के एवज में कंपनियों को पूरक ऋण।	22.59	2.00
viii.	शेयरों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनितों के आरंभिक इश्यू के मामले में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी वचनबद्धतायें।	1.02	0.08
ix.	मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण	0.49	0.02
x.	वेंचर पूंजी निधियों में सारे जोखिम पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों पूंजी बाजार में कुल जोखिम	289.00	294.06
पूंजी बाजार की कुल एक्सपोजर		2426.62	2169.33

4.7.2 Exposure to Capital Market:

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2019	31.03.2018
i.	Direct Investment in Equity Shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	1502.57	1505.82
ii.	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds.	95.06	16.81
iii.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	58.28	11.01
iv.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	0.00	0.00
v.	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	439.66	339.20
vi.	Loans sanctioned to corporate against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	17.95	0.33
vii.	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues	22.59	2.00
viii.	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	1.02	0.08
ix.	Financing to stock brokers for margin trading	0.49	0.02
x.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	289.00	294.06
Total Exposure to Capital Market		2426.62	2169.33

4.7.3 जोखिम श्रेणीवार देश की एक्सपोजर:

ऐसे देशों के संदर्भ में जहाँ बैंक का निवल निधिक एक्सपोजर उसकी कुल आस्तियों का 1% या ज्यादा है तो बैंक को देश-जोखिम का प्रावधान करने की आवश्यकता है। यथा 31.03.2019 को यूएसए (नगण्य जोखिम श्रेणी - ए1), यूएई (निम्न जोखिम श्रेणी - ए2) के साथ बैंक का निवल निधि एक्सपोजर इसकी कुल आस्तियों के 1% से ज्यादा हुआ है (यथा 31.03.2019 को कुल आस्तियों का 1% - ₹6947.66 करोड़) जिसके लिये आवश्यक प्रावधान बनाया गया है।

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	यथा 31.03.2019 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2019 को धारित प्रावधान	यथा 31.03.2018 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2018 को धारित प्रावधान
नगण्य	5809.46	0.00	10248.89	6.31
कम	27369.36	10.25	24603.81	8.27
सामान्य	1213.00	0.00	2258.78	0.00
उच्च	19.02	0.00	368.63	0.00
बहुत ज्यादा	0.18	0.00	46.36	0.00
प्रतिबंधित	2.56	0.00	0.75	0.00
ऑफ - क्रेडिट	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	34413.58	10.25	37527.22	14.58

4.7.3 Risk Category-wise Country Exposure:

Only in respect of the Country where a Bank's net funded exposure is 1% or more of its total assets, the Bank is required to make provision for Country Risk. As on 31.03.2019 in the case of USA (Low Risk category - A2), the Net funded exposure exceeds 1% of the total assets of the Bank (1% of the total assets as on 31.03.2019 - ₹6947.66 Crore), for which the required provision is made.

(₹ in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2019	Provision held as at 31.03.2019	Exposure (net) as at 31.03.2018	Provision held as at 31.03.2018
Insignificant	5809.46	0.00	10248.89	6.31
Low	27369.36	10.25	24603.81	8.27
Moderate	1213.00	0.00	2258.78	0.00
High	19.02	0.00	368.63	0.00
Very High	0.18	0.00	46.36	0.00
Restricted	2.56	0.00	0.75	0.00
Off-credit	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	34413.58	10.25	37527.22	14.58

4.7.4 बैंक द्वारा वृद्धि की गयी एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) / समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण:

बैंक का किसी भी समूह खातों के मामले में निर्धारित विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक नहीं है तथा आधारभूत संरचना परियोजनाओं में या ऑयल कंपनियों के लिए एकल उधारकर्ता को नियोजित किया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर सीमा	मंजूर कुल राशि	यथा 31.03.2019 को अतिदेयता
1	एल व टी	9473.85	8947.70	7880.30

समूह जोखिम सीमा 9050 करोड़ रुपये है।

4.7.4 Details of Single Borrower Limit (SGL) / Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

The Bank has not exceeded the prudential credit exposure limits prescribed for Single Borrower accounts. However bank has exceeded the prudential credit exposure limits prescribed for L & T group accounts.

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure Limit	Total amount Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2019
1	L & T	9473.85	8947.70	7880.30

Group exposure ceiling is ₹9050 Crore

4.7.5 गैर जमानती अग्रिम:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
कुल गैर जमानती अग्रिम	68842.57	63763.94
जिसमें से	3962.19	2193.58
i) संपार्श्विक के रूप में बैंक पर प्रभारित अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि के प्रभार पर बकाया अग्रिमों की राशि		
ii) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों (उक्त (i) के अनुसार) का संभावित मूल्य	3519.40	2864.75

4.7.5 Unsecured Advances:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Total Unsecured Advances	68842.57	63763.94
Out of which	3962.19	2193.58
i) Amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licenses, authorizations etc. charged to the Bank as collateral		
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above)	3519.40	2864.75

4.8 विविध:

4.8.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधान राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
आयकर हेतु प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	(2674.42)	(2338.62)

4.8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये दंड का प्रकटीकरण:

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, आरबीआई ने "समयबद्ध कार्यान्वयन और स्विफ्ट के सुदृढीकरण के सुदृढीकरण - परिचालन नियंत्रण से संबंधित" के संबंध में RBI के निर्देशों का पालन न करने के लिए हमारे बैंक पर 2.00 करोड़ रुपये (दो करोड़ रुपये केवल) का मौद्रिक जुर्माना लगाया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के 46 (4)। बैंक ने 14.03.2019 को जुर्माना का भुगतान किया है।

वित्तीय आचरण प्राधिकरण, यूनाइटेड किंगडम के नियामक ने केनरा बैंक यूनाइटेड किंगडम (सि बी यू के) पर बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट वार्निंग नोटिस के कारण जीबीपी 896,100 (लगभग 8.40 करोड़ रुपये) की राशि पर जुर्माना लगाया है। हमारी लंदन शाखा ने 06.06.2018 को एफसीए को जीबीपी 896100 का भुगतान किया है।

5. लेखांकन मानदंड:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए विविध लेखांकन मानदंडों के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए दिशनिर्देशों के अनुपालन में, निम्नलिखित सूचना का प्रकटीकरण किया जाता है:

5.1 लेखांकन मानदंड 5 – निर्दिष्ट अवधि के लिए निवल लाभ / हानि, पूर्वावधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

5.1.1 इसके पहले की अवधि की कोई मद नहीं है।

5.2 लेखांकन मानदंड 15 – कर्मचारी हितलाभ:

उपदान, पेंशन तथा अर्जित छुट्टी देयताओं के वर्तमान मूल्य और बैंक के योगदान का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानकों को निर्धारित कर निम्नलिखित के लिए बीमांकिक अनुमान किये गए हैं।

4.8. Miscellaneous:

4.8.1 Amount of Provisions made for Income Tax during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Provision for Income Tax (including Deferred Tax)	(2674.42)	(2338.62)

4.8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI:

During the financial year 2018-19, RBI imposed a monetary penalty of ₹2.00 Crore (Rupees Two Crore Only) on our Bank for non-compliance of RBI's directive regarding "Time bound Implementation and Strengthening of SWIFT - related to operational controls" under Section 46(4) of the Banking Regulation Act, 1949. The Bank has paid the penalty on 14.03.2019

Financial Conduct Authority, United Kingdom regulator has imposed penalty on Canara Bank United Kingdom (CBUK) an amount of GBP 896,100 (approx ₹8.40 Crore) on account of Draft Warning Notice issued on the Bank. Our London Branch has made the payment of GBP 896100 to FCA on 06.06.2018.

5. Accounting Standards:

In compliance with the guidelines issued by the RBI regarding disclosure requirements of the various Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the following information is disclosed:

5.1 Accounting Standard 5 – Net Profit / Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:

5.1.1 There are no material prior period items.

5.2 Accounting Standard 15 – Employee Benefits:

The actuarial assumptions in respect of gratuity, pension and privilege leave, for determining the present value of obligations and contributions of the bank, have been made by fixing various parameters for



- मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्टस् ऑफ इंडिया द्वारा जारी किये गए लेखांकन मानदंड 15(संशोधित) के अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए वेतन में बढोत्तरी की जाती है।
- विगत वर्षों और प्रत्याशित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में हास दर और इसमें मृत्यु को छोड़कर अन्य सभी आहरण लेकिन विकलांगता के कारण हुए आहरण शामिल हैं।
- अस्वस्थता अवकाश के लिए लेखा-बही में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान बनाए गए हैं।
- Salary escalation by taking into account inflation, seniority, promotion and other factors mentioned in Accounting Standard 15(Revised) issued by ICAI.
- Attrition rate by reference to past experience and expected future experience and includes all types of withdrawals other than death but including those due to disability.
- Provision towards sick leave has been made in the books of account on the basis of Actuarial valuation.

मूलधन बीमांकिक अनुमान:				
	मदें	उपदान	पेंशन	अर्जित छुट्टी
	रियायती दर	7.70%	7.22%	7.70%
	पूँजी पर प्रत्याशित रिटर्न	8.50%	8.50%	--
	वेतन में बढोत्तरी	5.50%	5.50%	5.50%
	पेंशन में बढोत्तरी	--	2.00%	--
	मृत्यु दर	आई ए एल एम (2006-08)	आई ए एल एम (2006-08)	आई ए एल एम (2006-08)

Principal Actuarial Assumptions				
	Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
	Discount Rate	7.70%	7.22%	7.70%
	Expected Return on Capital	8.50%	8.50%	--
	Salary Escalation	5.50%	5.50%	5.50%
	Pension Escalation	--	2.00%	--
	Mortality	IALM 2006-08	IALM 2006-08	IALM 2006-08

बाध्यताएं तथा आस्तियों में 31 मार्च, को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

क. परिभाषीकृत बाध्यता लाभ में परिवर्तन (डीबीओ)	उपदान		पेंशन		अर्जित छुट्टी	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
1 वर्ष की शुरुआत में डी बी ओ	1988.81	1786.93	11965.61	10901.48	1070.65	972.56
2 सेवा लागत	115.18	112.70	922.30	961.40	63.28	54.38
3 ब्याज लागत	140.17	134.53	825.17	788.02	73.27	66.01
4 विगत सेवा लागत	-	145.30	-	-	-	-
5 बीमांकिक हानियाँ / (लाभ)	43.27	44.96	177.84	380.17	165.89	210.49
6 लाभ भुगतान	336.75	235.61	1073.23	1065.47	237.92	232.79
7 वर्ष के अंत में डी बी ओ	1950.68	1988.81	12817.69	11965.61	1135.17	1070.65

ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	उपदान		पेंशन		अर्जित छुट्टी	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
1 वर्ष की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1610.62	1716.43	12007.19	10901.48	--	--
2 योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	136.90	137.31	1020.61	872.12	--	--
3 वास्तविक कंपनी अंशदान	643.19	--	1051.98	1076.82	--	--
4 बीमांकिक लाभ / (हानियाँ)	36.03	(7.51)	(110.15)	222.24	--	--
5 लाभ भुगतान	336.75	235.61	1073.23	1065.47	--	--
6 वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	2089.99	1610.62	12896.40	12007.19	--	--

Change in obligation and assets over the year ended 31 March

(₹ in Crore)

A Changes in Defined Benefit Obligation (DBO)	Gratuity		Pension		Privilege Leave	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
1 DBO at beginning of the year	1988.81	1786.93	11965.61	10901.48	1070.65	972.56
2 Service Cost	115.18	112.70	922.30	961.40	63.28	54.38
3 Interest Cost	140.17	134.53	825.17	788.02	73.27	66.01
4 Past Service Cost	-	145.30	-	-	-	-
5 Actuarial Losses / (Gains)	43.27	44.96	177.84	380.17	165.89	210.49
6 Benefit Payments	336.75	235.61	1073.23	1065.47	237.92	232.79
7 DBO at end of the year	1950.68	1988.81	12817.69	11965.61	1135.17	1070.65

(₹ in Crore)

B Changes in Fair Value of Assets	Gratuity		Pension		Privilege Leave	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
1 Fair Value of Plan Assets at beginning of the year	1610.62	1716.43	12007.19	10901.48	--	--
2 Expected Return on plan assets	136.90	137.31	1020.61	872.12	--	--
3 Actual Employee contributions	643.19	--	1051.98	1076.82	--	--
4 Actuarial Gain / (Loss)	36.03	(7.51)	(110.15)	222.24	--	--
5 Benefits payments	336.75	235.61	1073.23	1065.47	--	--
6 Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2089.99	1610.62	12896.40	12007.19	--	--

(₹ करोड़ में)

यथा 31 मार्च को तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / देयता :							
		उपदान		पेंशन		अर्जित छुट्टी	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018
1	परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	1950.68	1988.81	12817.69	11965.61	--	--
2	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	2089.99	1610.62	12896.40	12007.19	--	--
3	निधिगत स्थिति (अधिशेष / घाटा)	139.31	(378.19)	78.70	41.58	--	--
4	तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / (देयता)	(139.31)	(378.19)	78.70	41.58	--	--

(₹ in Crore)

Net Asset / Liability Recognized in the Balance Sheet as at 31 March							
		Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018
1	Present value of Defined Benefit Obligation	1950.68	1988.81	12817.69	11965.61	--	--
2	Fair Value of Plan Assets	2089.99	1610.62	12896.40	12007.19	--	--
3	Funded Status [Surplus/(Deficit)]	139.31	(378.19)	78.70	41.58	--	--
4	Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	(139.31)	(378.19)	78.70	41.58	--	--

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए नियोक्ता व्यय प्रकटन

(₹ करोड़ में)

		उपदान		पेंशन		अर्जित छुट्टी	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018
1	वर्तमान सेवा लागत (पूर्णतया बीमाकृत सुविधाओं के लिए जोखिम प्रीमियम सहित)	115.18	112.70	922.30	961.40	63.28	54.38
2	ब्याज लागत	140.17	134.53	825.17	788.02	73.27	66.01
3	योजनागत आस्तियों में प्रत्याशित रिटर्न	136.90	137.31	1020.61	872.12	--	--
4	विगत सेवा लागत	-	145.30	-	--	-	--
5	बीमांकिक हानियाँ / (लाभ)	7.24	52.47	288.00	157.93	165.89	210.49
6	लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल नियोक्ता व्यय	125.69	307.69	1014.86	1035.24	302.44	330.88

कोई भुगतान न होने के बावजूद भी बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर बीमारी छुट्टी पर ₹27.25 करोड़ उपलब्ध कराये हैं।

Disclosure of Employer Expenses for the year ended 31 March

(₹ in Crore)

		Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018
1	Current Service Cost (including risk premiums for fully insured benefits)	115.18	112.70	922.30	961.40	63.28	54.38
2	Interest Cost	140.17	134.53	825.17	788.02	73.27	66.01
3	Expected Return on Plan Assets	136.90	137.31	1020.61	872.12	--	--
4	Past Service Cost	-	145.30	-	--	-	--
5	Actuarial Losses / (Gains)	7.24	52.47	288.00	157.93	165.89	210.49
6	Total Employer Expense recognized in P&L	125.69	307.69	1014.86	1035.24	302.44	330.88

Bank is having provision of ₹27.25 Crore towards Sick Leave on prudential basis though there is no payout.

31 मार्च, को समाप्त वर्ष हेतु तुलनपत्र में परिकलित निवल अस्तियों / देयताओं का समाधान

(₹ करोड़ में)

		उपदान		पेंशन		अर्जित छुट्टी	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018
1	अवधि के आरंभ पर निवल आस्ति / (देयता)	378.19	70.50	(41.58)	0.00	1070.65	972.56
2	नियोक्ता व्यय	125.69	307.69	1014.86	1035.24	302.44	330.88
3	नियोक्ता योगदान	643.19	--	1051.98	1076.82	--	--
4	प्रदत्त लाभ	--	--	--	--	237.92	232.79
5	अधिग्रहण / व्यापार युग्म	--	--	--	--	--	--
6	अवधि के समापन पर निवल आस्ति / (देयता)	(139.31)	378.19	(78.70)	(41.58)	1135.17	1070.65

Reconciliation of Net Assets/Liabilities recognized in Balance Sheet for the year ended 31 March

(₹ in Crore)

		Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018
1	Net Asset / (Liability) at the beginning of the period	378.19	70.50	(41.58)	0.00	1070.65	972.56
2	Employer Expenses	125.69	307.69	1014.86	1035.24	302.44	330.88
3	Employer Contributions	643.19	--	1051.98	1076.82	--	--
4	Benefits Paid	--	--	--	--	237.92	232.79
5	Acquisitions / Business Combinations	--	--	--	--	--	--
6	Net Asset / (Liability) at the end of the period	(139.31)	378.19	(78.70)	(41.58)	1135.17	1070.65

नई पेंशन योजना योगदान:

1 अगस्त, 2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों के लिए बैंक की एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू है। इस योजना का प्रबंधन एनपीएस ट्रस्ट द्वारा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तहत किया जाता है। नेशनल सिक््योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने ₹153.63 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष ₹126.82 करोड़) का योगदान दिया है।

New Pension Scheme Contribution:

The Bank has a Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers joining the Bank on or after August 1, 2010. The Scheme is managed by NPS Trust under the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2018-19, the Bank has contributed ₹153.63 crore (Previous Year ₹126.82 crore).



5.3 लेखांकन मानदंड-17-खंड रिपोर्टिंग:

भाग क-कारोबार खंड:

(₹ करोड़ में)

	कारोबार खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2019	31.03.2018
(1) खंड राजस्व			
क	राजकोष परिचालन	11902.83	12876.12
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	19623.91	17782.12
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	21260.96	16480.64
घ	गैर आबंटित	597.60	1056.06
	कुल	53385.30	48194.94
	घटायें : अंतर खंड राजस्व परिचालन से आय	0.00	0.00
		53385.30	48194.94
(2) खंड परिणाम			
क	राजकोष परिचालन	3593.41	4009.59
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	3199.91	3561.81
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	3503.08	920.78
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	कुल	10296.40	8492.18
	गैर आबंटित आय / व्यय (प्रावधान व आकस्मिक व्यय सहित)	(12623.81)	(15053.04)
	कर से पहले कुल लाभ	(2327.41)	(6,560.86)
	आय कर	(2674.43)	(2,338.62)
	निवल लाभ	347.02	(4,222.24)
(3) खंड आस्तियां			
क	राजकोष परिचालन	176693.30	161990.29
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	198309.39	178009.24
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	278287.06	240866.78
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
इ	गैर आबंटित आस्तियां	41476.94	36019.79
	कुल आस्तियां	694766.69	616886.10
(4) खंड देयताएं			
क	राजकोष परिचालन	176069.35	151133.43
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	188754.36	159268.33
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	259572.49	240011.28
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
इ	गैर आबंटित देयताएं	34193.26	30868.23
	कुल देयताएं	658589.46	581281.27
(5) नियोजित पूंजी			
क	राजकोष परिचालन	623.95	10856.86
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	9555.03	18740.91
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	18714.57	855.50
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
इ	गैर आबंटित	7283.68	5151.56
	कुल नियोजित पूंजी	36177.23	35604.83

5.3 Accounting Standard-17 – Segment Reporting:
Part A – Business Segment:

(₹ in Crore)

	BUSINESS SEGMENT	Year ended	
		31.03.2019	31.03.2018
(1) Segment Revenue			
a	Treasury Operations	11902.83	12876.12
b	Retail Banking Operations	19623.91	17782.12
c	Wholesale Banking Operations	21260.96	16480.64
d	Unallocated	597.60	1056.06
	Total	53385.30	48194.94
	Less: Inter Segment Revenue	0.00	0.00
	Income from operations	53385.30	48194.94
(2) Segment Results			
a	Treasury Operations	3593.41	4009.59
b	Retail Banking Operations	3199.91	3561.81
c	Wholesale Banking Operations	3503.08	920.78
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
	Total	10296.40	8492.18
	Unallocated Income / Expenses (including Provisions and contingencies)	(12623.81)	(15053.04)
	Total Profit Before tax	(2327.41)	(6,560.86)
	Income tax	(2674.43)	(2,338.62)
	Net Profit	347.02	(4,222.24)
(3) Segment Assets			
a	Treasury Operations	176693.30	161990.29
b	Retail Banking Operations	198309.39	178009.24
c	Wholesale Banking Operations	278287.06	240866.78
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated Assets	41476.94	36019.79
	Total Assets	694766.69	616886.10
(4) Segment Liabilities			
a	Treasury Operations	176069.35	151133.43
b	Retail Banking Operations	188754.36	159268.33
c	Wholesale Banking Operations	259572.49	240011.28
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated Liabilities	34193.26	30868.23
	Total Liabilities	658589.46	581281.27
(5) Capital Employed			
a	Treasury Operations	623.95	10856.86
b	Retail Banking Operations	9555.03	18740.91
c	Wholesale Banking Operations	18714.57	855.50
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated	7283.68	5151.56
	Total Capital Employed	36177.23	35604.83



	भौगोलिक खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2019	31.03.2018
(1)	राजस्व		
क	घरेलू	52003.52	46888.53
ख	अंतर्राष्ट्रीय	1381.78	1306.41
	कुल	53385.30	48194.94
(2)	आस्तियाँ		
क	घरेलू	634010.55	560817.56
ख	अंतर्राष्ट्रीय	60756.14	56068.54
	कुल	694766.69	616886.10

इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र डीबीआर:बीपी:बीसी सं.8 / 21.04.018 / 2015-16 दिनांक 01.07.2015 के अनुसार तैयार किया गया है।

	GEOGRAPHICAL SEGMENT	Year ended	
		31.03.2019	31.03.2018
(1)	Revenue		
a	Domestic	52003.52	46888.53
b	International	1381.78	1306.41
	Total	53385.30	48194.94
(2)	Assets		
a	Domestic	634010.55	560817.56
b	International	60756.14	56068.54
	Total	694766.69	616886.10

This has been prepared in terms of RBI Master Circular: DBR:BP:BC No.8 / 21.04.018 / 2015-16 dated 01.07.2015.

5.4 लेखांकन मानदंड- 18- संबंधित पार्टी प्रकटीकरण:
संबंधित पार्टियों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंध -
प्रधान - केनरा बैंक

5.4.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक -

- श्री राकेश शर्मा, प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (31.07.2018 तक)
- श्रीमती पी वी भारती, कार्यपालक निदेशक (31.01.2019 तक)
- श्री मठम वेंकट राव, कार्यपालक निदेशक
- श्री देवाशीष मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक
- सुश्री ए. मणिमेखलई, कार्यपालक निदेशक (11.02.2019 से)

5.4.2 प्रधान -

- केनरा बैंक

5.4.3 अनुषंगियां -

- केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि.
- केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.
- केनबैंक फैक्टर्स लि.
- केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.

5.4 Accounting Standard-18 - Related Party Disclosures: Names of Related parties and their relationship with the Bank- Parent - Canara Bank

5.4.1 Key Management Personnel -

- Shri Rakesh Sharma, Managing Director & Chief Executive Officer (Till 31.07.2018)
- Smt. P V Bharathi, Executive Director (Till 31.01.2019)
- Shri Matam Venkata Rao, Executive Director
- Shri Debashish Mukherjee, Executive Director
- Ms. A. Manimekhalai, Executive Director (From 11.02.2019)

5.4.2 Parent-

- Canara Bank

5.4.3 Subsidiaries -

- Canbank Financial Services Ltd.
- Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- Canbank Factors Ltd.
- Canara Robecco Asset Management Company Ltd.

- v) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेस लि.
- vi) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि. था)
- vii) केनरा एच एस बी सी ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि.
- viii) केनरा बैंक (तंजानिया) लिमि.

5.4.4 संयुक्त उद्यम:

- i) कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को (पूर्ववर्ती कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मॉस्को)

5.4.5 सहबद्ध संस्थाएं:

- i) केनफिन होम्स लिमिटेड
- ii) कॉमनवेलथ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड
- iii) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 - अ) प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व प्रगति ग्रामीण बैंक)
 - आ) केरल ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व साऊथ मलबार ग्रामीण बैंक)

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा):

मानव संसाधन विकास (मा.सं.वि.) मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा संस्थानों के निर्माण तथा शोध सुविधाओं को स्थापित करने के लक्ष्य के साथ देश के आईआईएम, आईआईटी, आईआईएसईआर, आईआईएससी, एनआईटी जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी मानकों को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था के माध्यम से प्लैटफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय किया है।

इस उद्देश्य के आधार पर मा.सं.वि. मंत्रालय ने ₹2000 करोड़ की प्राधिकृत पूंजी के साथ उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव किया। मा.सं.वि. 1000 करोड़ का योगदान किया तथा केनरा बैंक ने 100 करोड़ रुपये के अनुपात में योगदान दिया है।

इसके बाद, एमएचआरडी ने हेफा इक्विटी बेस के मौजूदा अधिदेश और वित्तपोषित संस्थानों की सीमा को बढ़ाया। तदनुसार, अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें सरकार 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी प्रदान करेगी और केनरा बैंक 500 करोड़ रुपये का योगदान देगा। 31.03.2019 तक, एमएचआरडी ने क्रमशः 2,512.50 करोड़ रुपये और केनरा बैंक ने 251.25 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। 31.03.2019 तक, कंपनी ने ₹2,534.47 करोड़ पर संवितरण के साथ ₹17,340 करोड़ की सीमा तक सावधि ऋण अनुमोदित किए हैं।

- v) Canbank Computer Services Ltd.
- vi) Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd)
- vii) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd
- viii) Canara Bank (Tanzania) Ltd.

5.4.4 Joint Ventures:

- i) Commercial Indo Bank LLC., Moscow (formerly Commercial Bank of India LLC., Moscow)

5.4.5 Associates:

- i) Canfin Homes Ltd.
- ii) Commonwealth Trust (India) Ltd.
- iii) Regional Rural Banks sponsored by the Bank
 - a) Pragati Krishna Gramin Bank (Erstwhile Pragati Gramin Bank)
 - b) Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)

HIGHER EDUCATION FUNDING AGENCY (HEFA):

The Ministry of Human Resources Development (MHRD), Govt with an object to build world class higher educational institutions and to set up research facilities, intended to provide a platform, through a special purpose vehicle, for improvement of the infrastructure standards of the higher educational institutions like IIM, IIT, AIIMS, IISER, IISc, NIT etc of the country.

Based on this the MHRD proposed to set up Higher Education Financing Agency (HEFA) a Joint Venture Company with an initial authorized capital of ₹2000 Cr. MHRD has contributed ₹1,000 Cr. and Canara Bank has contributed proportionately ₹100 Cr.

Subsequently, MHRD extended the scope of existing mandate of HEFA equity base and range of institutions to be financed. Accordingly, the authorized capital has been increased to ₹10,000 Cr wherein Govt. will provide an additional equity of ₹5,000 Cr. and Canara Bank will contribute ₹500 Cr. As on 31.03.2019, MHRD has infused Capital of ₹2,512.50 Cr. and Canara Bank has contributed ₹251.25 Cr, respectively. As at 31.03.2019, Company has sanctioned Term Loans to the extent of ₹17,340 Cr with a disbursement at ₹2,534.47 Cr.



5.4.6 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण निम्नवत् है:

i) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक इस प्रकार है।

(रुपये राशि में)

नाम	पदनाम	2018-19	2017-18
श्री राकेश शर्मा,	प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (31.07.2018 तक)	17,17,423.60	30,27,202.00
श्रीमती पी वी भारती,	कार्यपालक निदेशक (31.01.2019 तक)	26,14,949.13	25,16,434.00
श्री एम वी राव	कार्यपालक निदेशक	28,51,820.78	11,73,769.62 (from 09.10.2017)
श्री देवाशीष मुखर्जी	कार्यपालक निदेशक	26,33,162.36	2,75,934.29 (from 19.02.2018)
सुश्री ए. मणिमेखलई	कार्यपालक निदेशक (11.02.2019 से)	3,54,357.70	-
श्री हरिदीशकुमार बी,	कार्यपालक निदेशक(31.05.2017 तक)	-	8,59,851.40
श्री दीनबन्धु महापात्र,	कार्यपालक निदेशक(05.05.2017 तक)	-	4,94,763.05
कुल		101,71,713.57	83,47,954.36

लेखांकन मानक 18 की पैरा 5 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों तथा उनके संबंधियों के लेन-देन सहित बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकृति के लेन-देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

5.4.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

i) Remuneration to Key Management Personnel is as under:

(Amount in ₹)

Name	Designation	2018-19	2017-18
Sri Rakesh Sharma	Managing Director & Chief Executive Officer (Till 31.07.2018)	17,17,423.60	30,27,202.00
Smt. P V Bharathi	Executive Director (Till 31.01.2019)	26,14,949.13	25,16,434.00
Sri Matam Venkata Rao	Executive Director	28,51,820.78	11,73,769.62 (from 09.10.2017)
Sri Debashish Mukherjee	Executive Director	26,33,162.36	2,75,934.29 (from 19.02.2018)
Ms. A. Manimekhalai	Executive Director (From 11.02.2019)	3,54,357.70	-
Sri Harideesh Kumar	Executive Director (Till 31.05.2017)	-	8,59,851.40
Sri Dinabandhu Mohapatra	Executive Director (Till 05.05.2017)	-	4,94,763.05
Total		101,71,713.57	83,47,954.36

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.



5.4.7 अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं एवं संयुक्त उद्यम के साथ संव्यवहार निम्नवत् है:

(₹ करोड़ में)

मर्दे	अनुषंगियाँ	सहबद्ध संस्थाएं व संयुक्त उद्यम	महत्वपूर्ण कार्मिक प्रबंधन (केएमपी)	केएमपी के संबंधी	कुल
उधार –					
यथा वर्षांत को बकाया	0.03 (0.14)	75.95 (71.95)	-	-	75.98 (72.09)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.03 (0.14)	75.95 (275.00)			75.98 (275.14)
जमाएं –					
यथा वर्षांत को बकाया	98.47 (97.34)	617.67 (17.39)	-	-	716.14 (114.73)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	100.47 (97.34)	617.67 (17.39)			718.14 (114.73)
जमाओं का नियोजन –					
यथा वर्षांत को बकाया	13.90 (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	13.90 (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	18.20 (शून्य)	शून्य (शून्य)			18.20 (शून्य)
अग्रिम –					
यथा वर्षांत को बकाया	398.00 (308.02)	3453.17 (2749.81)	-	-	3851.17 (3057.83)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	425.00 (313.50)	4035.47 (3189.78)			4460.47 (3503.28)
अचल संपत्ति (निवल) की खरीद/बिक्री –					
यथा वर्षांत को बकाया	-0.02 (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	-0.02 (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	-0.02 (शून्य)	शून्य (शून्य)			-0.02 (शून्य)
चालू खाता में शेष –					
यथा वर्षांत को बकाया	2.60 (0.69)	52.65 (20.87)	-	-	55.25 (21.56)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	4.78 (0.93)	157.76 (22.06)			162.54 (22.99)
अन्य प्राप्य –					
यथा वर्षांत को बकाया	0.03 (शून्य)	शून्य (22.28)	-	-	0.03 (22.28)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.03 (45.00)	शून्य (22.28)			0.03 (67.28)
अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र– प्रतिभागिता किए गए					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	3.80 (149.97)	-	-	3.80 (149.97)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	3.80 (149.97)			3.80 (149.97)

5.4.7 Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Venture are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures	Key Management Personnel (KMP)	Relatives of KMP	Total
Borrowings-					
Outstanding as at the year end	0.03 (0.14)	75.95 (71.95)	-	-	75.98 (72.09)
Maximum outstanding during the year	0.03 (0.14)	75.95 (275.00)			75.98 (275.14)
Deposits-					
Outstanding as at the year end	98.47 (97.34)	617.67 (17.39)	-	-	716.14 (114.73)
Maximum outstanding during the year	100.47 (97.34)	617.67 (17.39)			718.14 (114.73)
Placement of Deposits-					
Outstanding as at the year end	13.90 (NIL)	NIL (NIL)	-	-	13.90 (NIL)
Maximum outstanding during the year	18.20 (NIL)	NIL (NIL)			18.20 (NIL)
Advances-					
Outstanding as at the year end	398.00 (308.02)	3453.17 (2749.81)	-	-	3851.17 (3057.83)
Maximum outstanding during the year	425.00 (313.50)	4035.47 (3189.78)			4460.47 (3503.28)
Purchase / Sale of Fixed Assets (Net)-					
Outstanding as at the year end	-0.02 (NIL)	NIL (NIL)	-	-	-0.02 (NIL)
Maximum outstanding during the year	-0.02 (NIL)	NIL (NIL)			-0.02 (NIL)
Balance in current account					
Outstanding as at the year end	2.60 (0.69)	52.65 (20.87)	-	-	55.25 (21.56)
Maximum outstanding during the year	4.78 (0.93)	157.76 (22.06)			162.54 (22.99)
Other receivable-					
Outstanding as at the year end	0.03 (NIL)	NIL (NIL)	-	-	0.03 (22.28)
Maximum outstanding during the year	0.03 (45.00)	(22.28) (NIL) (22.28)			0.03 (67.28)



कमीशन प्राप्त -					
यथा वर्षांत को बकाया	13.31 (6.12)	0.07 (0.09)	-	-	13.38 (6.21)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	13.31 (6.12)	0.01 (0.09)			13.32 (6.21)
अन्य देय -					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)			शून्य (शून्य)
प्रदत्त ब्याज:	0.15 (1.42)	10.97 (2.43)	-	-	11.12 (3.85)
प्राप्त ब्याज:	24.30 (5.49)	208.91 (119.78)	-	-	233.21 (125.27)
प्राप्त लाभांश:	10.71 (12.16)	7.99 (7.98)	-	-	18.70 (20.14)
प्रदत्त प्रीमियम:	232.02 (211.57)	शून्य (शून्य)	-	-	232.02 (211.57)
सेवा उपलब्ध कराना:	271.21 (176.49)	3.03 (31.41)	-	-	274.24 (207.90)
सेवाओं से प्राप्त:	13.36 (21.20)	शून्य (शून्य)	-	-	13.36 (21.20)
बीएसई को जारी गड्ड्स के संबंध में गारंटी	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)

(कोष्ठकों में पिछले वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं)

Inter Bank Participation Certificate – Participated					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	3.80 (149.97)	-	-	3.80 (149.97)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	3.80 (149.97)			3.80 (149.97)
Commission Receivable-					
Outstanding as at the year end	13.31 (6.12)	0.07 (0.09)	-	-	13.38 (6.21)
Maximum outstanding during the year	13.31 (6.12)	0.01 (0.09)			13.32 (6.21)
Other payable					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)			NIL (NIL)
Interest paid:	0.15 (1.42)	10.97 (2.43)	-	-	11.12 (3.85)
Interest received:	24.30 (5.49)	208.91 (119.78)	-	-	233.21 (125.27)
Dividend received:	10.71 (12.16)	7.99 (7.98)	-	-	18.70 (20.14)
Premium Paid:	232.02 (211.57)	NIL (NIL)	-	-	232.02 (211.57)
Rendering of Service:	271.21 (176.49)	3.03 (31.41)	-	-	274.24 (207.90)
Receiving for Services:	13.36 (21.20)	NIL (NIL)	-	-	13.36 (21.20)
Guarantee in respect of rights issued to BSE:	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)

(Figures in brackets relate to previous year)

5.4.8 आंतर-समूह जोखिम:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष 2018-19 के लिए	वर्ष 2017-18 के लिए
आंतर समूह जोखिम के लिए कुल राशि	3882.22	3233.29
उच्चतम -20 आंतर-समूह जोखिम की कुल राशि	3882.22	3233.29
उधारकर्ता/ग्राहक पर बैंक के कुल जोखिम से आंतर समूह जोखिम का प्रतिशत	0.49%	0.48%
आंतर-समूह जोखिम पर सीमा का उल्लंघन तथा उस पर विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो तो	शून्य	शून्य

5.5 लेखांकन मानक-20-प्रति शेयर अर्जन:

मूल एवं तनुकृत ई पी एस की गणना लेखांकन मानक 20 - "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार की गई है।

प्रति शेयर अर्जन का परिकलन निम्नानुसार है:

विवरण	2018-19	2017-18
क वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों के स्रोत पर निवल लाभ (₹ करोड़ में)	347.02	(4222.24)
ख इक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ में)	75.32	73.32
ग इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	73.62	59.92
घ प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन (क / ग) (₹)	4.71	(70.47)
इ प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10/-	10/-

5.6 लेखांकन मानक- 22- आय पर करों का लेखांकन:

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं (डी टी ए / डी टी एल) का निर्धारण किया है और यथा 31.03.2019 को निवल आस्थगित कर देयता का निम्न प्रकार से लेखांकन किया है: आस्थगित कर आस्तियों व आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार है :

5.4.8 Intra-Group Exposures:

(₹ in Crore)

Particulars	For the Year 2018-19	For the Year 2017-18
Total amount of intra-group exposures	3882.22	3233.29
Total amount of top-20 intra-group exposures	3882.22	3233.29
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.49%	0.48%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	NIL	NIL

5.5 Accounting Standard-20 – Earnings Per Share:

Basic and diluted earnings per equity share are computed in accordance with Accounting Standard 20, "Earnings per Share".

The Computation of EPS is given below:

Particulars	2018-19	2017-18
A Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ In Crore)	347.02	(4222.24)
B Number of Equity Shares (in Crore)	75.32	73.32
C Weighted Average Number of Equity Shares (In Crore)	73.62	59.92
D Basic and Diluted Earnings per Share (A/C) (₹)	4.71	(70.47)
E Nominal Value per Share (₹)	10/-	10/-

5.6 Accounting Standard-22 – Accounting for Taxes on Income:

The Bank has recognized Deferred Tax Assets/Liabilities (DTA / DTL) and has accounted for the Net Deferred Tax as on 31.03.2019. Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
प्रतिभूतियों पर उपचित परंतु प्रतिभूतियों पर देय नहीं	398.40	372.23	-	-
स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	-	-	(17.54)	23.68
निवेश पर मूल्यहास	-	-	1721.66	1705.10
वायदा संविदा पर अप्राप्य अभिलाभ	4414.27	8458.37	-	-
अग्रिमों हेतु किये गये प्रावधान	-	-	1397.76	1384.32
विशेष आरक्षित निधियों पर	1575.94	-	-	-
अन्य	48.91	53.72	-	-
आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं	6437.52	8884.32	3101.87	3113.10

यथा 31 मार्च, 2019 को निवल आस्थगित कर आस्तियां ₹3335.65 करोड़ : (पिछले वर्ष निवल आस्थगित कर आस्तियाँ ₹5771.22 करोड़)

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
Provision for Leave Encashment	398.40	372.23	-	-
Depreciation on Fixed Assets	-	-	(17.54)	23.68
Depreciation on Investments	-	-	1721.66	1705.10
Provision made for advances	4414.27	8458.37	-	-
On Special Reserve	-	-	1397.76	1384.32
Taxable Losses	1575.94	-	-	-
Others	48.91	53.72	-	-
Deferred Tax Asset / Liability	6437.52	8884.32	3101.87	3113.10

Net Deferred Tax Assets as on March 31, 2019: ₹3335.65 Crore (Previous year: Net Deferred Tax Assets ₹5771.22 Crore)

इस वर्ष के दौरान, बैंक ने डीटीए को संचयी कर हानि अग्रेषित (चालू वर्ष के लिए) से संबंधित माना है, जो कि कर योग्य आय की उपलब्धता की आभासी निश्चितता के आधार पर 1575.94 करोड़ रुपये है, जिसके एवज में डीटीए को समायोजित किया जा सकता है।

5.7 अंतर्राष्ट्रीय संचालन के युक्तिकरण के लिए सामरिक पहल के एक हिस्से के रूप में, जो भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप भी है, बैंक ने कुछ भौगोलिक क्षेत्रों से बाहर निकलने का फैसला किया है। वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने ब्रिटेन के मनामा, बहरीन और लीसेस्टर में अपना परिचालन बंद कर दिया है। इसके अलावा, बैंक ने शंघाई (चीन) और जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में अपने परिचालन को बंद करने की पहल की है।

During the year, the Bank has recognized DTA relating to cumulative carry forward tax losses (including for the current year) amounting to ₹1575.94 Crore based on virtual certainty of availability of future taxable income against which DTA can be adjusted.

5.7 As a part of strategic initiatives for rationalization of International Operations, which is also in consonance with the Government of India directives, the Bank has decided to exit from certain geographies. During the year 2018-19, the Bank has closed its operations in Manama, Bahrain and Leicester, UK. Further, Bank has initiated closure of its operations in Shanghai (China) and Johannesburg (South Africa).

5.8 लेखांकन मानक-27-संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग:

निवेश में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल.एल.सी. (रूस में निगमित) ₹73.22 करोड़ शामिल है (लेन-देन की तारीख की विनिमय दर पर) जिसमें बैंक का 40% हिस्सा है।

5.8 Accounting Standard 27 - Financial Reporting of Interests in Joint Ventures:

Investment includes ₹73.22 Crs (at the exchange rate of the transaction date) in the Commercial Bank of India LLC (incorporated in Russia) wherein the bank owns 40% of the equity.

कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल.एल.सी. - परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय का ब्यौरा

विवरण	31.03.2019	31.03.2019	बैंक का शेयर @ 40%	31.03.2018	31.03.2018	बैंक का शेयर @ 40%
	को समाप्त चालू वर्ष	को समाप्त चालू वर्ष		को समाप्त गत वर्ष	को समाप्त गत वर्ष	
	अमेरिकी डॉलर '000 में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	अमेरिकी डॉलर '000 में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
कुल पूंजी व आरक्षित निधियाँ	29,710.00	205.46	82.18	35804.00	233.35	93.34
कुल देयताएं	42,412.00	293.30	117.32	90558.00	590.21	236.08
कुल आस्तियाँ	72,122.00	498.76	199.50	126362.00	823.56	329.42
कुल आय	6,836.00	48.18	19.27	8062.00	52.54	21.02
कुल व्यय	8,654.00	60.99	24.40	1620.00	10.56	4.22
लाभ	(1,818.00)	(12.81)	(5.12)	(5385.00)	(35.09)	(14.03)

अंतरण हेतु किया गया विनिमय - आस्ति व देयताएं (1 यूएसडी = 69.1550) - आय व व्यय (1 यूएसडी = 70.4750)

Commercial Indo Bank LLC - Details of Assets, Liabilities, Income & Expenses (Unaudited)

Particulars	Current year ended 31/03/2019	Current year ended 31/03/2019	Bank's share @ 40%	Previous year ended 31/03/2018	Previous year ended 31/03/2018	Bank's share @ 40%
	In '000 US Dollars	₹ in Crore		₹ in Crore	In '000 US Dollars	
Aggregate Capital and Reserves	29,710.00	205.46	82.18	35804.00	233.35	93.34
Aggregate Liabilities	42,412.00	293.30	117.32	90558.00	590.21	236.08
Aggregate Assets	72,122.00	498.76	199.50	126362.00	823.56	329.42
Aggregate Income	6,836.00	48.18	19.27	8062.00	52.54	21.02
Aggregate Expenditure	8,654.00	60.99	24.40	1620.00	10.56	4.22
Profit	(1,818.00)	(12.81)	(5.12)	(5385.00)	(35.09)	(14.03)

Exchange Rate taken for translation - Assets and Liability (1 USD = 69.1550) - Income and expenditure (1 USD = 70.4750)

5.9 लेखांकन मानक-28-आस्तियों की क्षति:

जब भी घटना या परिस्थिति में परिवर्तन के कारण यह लगे कि आस्ति के वहन राशि की वसूली नहीं हो सकती है तब वर्ष के समापन पर क्षति हेतु आस्ति की समीक्षा की जाएगी। धारित व प्रयुक्त होने वाले आस्ति के वसूली की संगणना आस्ति के वहन राशि से आस्ति द्वारा उत्पन्न संभावित फ्यूचर निवल छूट-प्राप्त नकद प्रवाह की तुलना करने के द्वारा की जा सकती है। यदि ऐसी आस्ति को क्षति माने तो उस क्षति को संगणित व प्रगणित उस राशि द्वारा किया जाएगा जो आस्ति के वसूली-योग्य राशि से अधिक आस्ति का वहन राशि है। यद्यपि, बैंक प्रबन्धन की राय में जिस वर्ष में लेखा मानक 28 - “आस्ति की क्षति” लागू है उस वर्ष के दौरान किसी भी सामग्री पर कोई क्षति का संकेत नहीं है।

5.9 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - “Impairment of Assets” applies.

5.10 लेखांकन मानक- 29- प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2018 को प्रारंभ	वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	वापस / समायोजित किए गये प्रावधान	31.03.2019 को समापन
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान का चलन	964.86	386.76	247.20	1104.42

5.10 Accounting Standard 29 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

(₹ in Crore)

Particulars	Opening as on 01.04.2018	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2019
Movement of Provision for Contingent Liabilities	964.86	386.76	247.20	1104.42

6. अतिरिक्त प्रकटीकरण:

6.1 वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान और आकस्मिक व्यय का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
निवेश और एन पी आई पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	369.56	1891.81
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	12722.82	14882.70
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	405.58	4.74
कर के लिए प्रावधान – (आस्थगित कर सहित)	(2674.42)	(2338.62)
उचित मूल्य में हास के लिए प्रावधान	(156.16)	(516.36)
परिसंपत्ति की संदेहास्पद वसूली के लिए प्रावधान	0.00	7.07
देश ऋण जोखिम के लिए प्रावधान	(4.33)	(20.72)
अन्य आकस्मिकताओं तथा एफ आई टी एल के लिए प्रावधान	(419.20)	(140.14)
कुल	10243.85	13770.48

6. Additional Disclosures:

6.1 Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Provision for Depreciation on Investment and NPI	369.56	1891.81
Provision towards NPA	12722.82	14882.70
Provision towards Standard Asset	405.58	4.74
Provision for Tax (includes Deferred Tax)	(2674.42)	(2338.62)
Provision for Diminution in Fair Value	(156.16)	(516.36)
Provision for Asset Doubt of Recovery	0.00	7.07
Provision for Country Risk Exposure	(4.33)	(20.72)
Provision for FITL and other contingencies	(419.20)	(140.14)
TOTAL	10243.85	13770.48

6.2 अ. अस्थायी प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान संवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरित राशि	शून्य	शून्य
इति शेष	शून्य	शून्य

6.2 आ आरक्षित निधि से आहरण द्वारा कमी:

आरबीआई परिपत्र के संदर्भ में डीबीआर सं बीपी.बीसी. 92 / 21.04.048 / 2015-16 दिनांक 18.04.2016, धोखाधड़ी के खातों के लिए अनधिकृत प्रावधान, जो कि ₹322.40 करोड़ की राशि है, अन्य आरक्षित निधि के लिए डेबिट कर दिया गया है।

6.3 बैंकिंग लोकपाल के शिकायतों / गैर-कार्यान्वित पुरस्कारों का प्रकटीकरण:

अ. ग्राहक शिकायतें

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	3254	3165
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	93100*	93276
(ग)	वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	94612	93187
(घ)	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	1742	3254

*अन्य बैंकों के एटीएम में इस्तेमाल किए गए हमारे कार्ड के आधार पर एटीएम से संबंधित ग्राहक शिकायतों की संख्या (पूछताछ बैंक): 45220

आ. बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णय:

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
(क)	वर्ष के आरंभ में गैर - कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त निर्णयों की संख्या	12	01
(ग)	वर्ष के दौरान निवारित निर्णयों की संख्या	12	शून्य
(घ)	वर्ष के अंत तक लंबित अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य

6.2.A Floating Provision:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Opening Balance	NIL	NIL
Addition during the year	NIL	NIL
Draw down during the year.	NIL	NIL
Closing Balance	NIL	NIL

6.2. B Drawdown from Reserves:

In terms of RBI circular DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016, unamortized provision for fraud accounts amounting to ₹322.40 crore has been debit to Other Reserve.

6.3 Disclosure of Complaints / unimplemented awards of Banking Ombudsmen:

A. Customer Complaints

Sl. No	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
(a)	Number of complaints pending at the beginning of the year	3254	3165
(b)	Number of complaints received during the year	93100*	93276
(c)	Number of complaints redressed during the year	94612	93187
(d)	Number of complaints pending at the end of the year	1742	3254

*Number of ATM related customer complaints on account of our card used at other banks ATM (Acquire Bank) : 45220

B. Awards passed by the Banking Ombudsmen:

Sl. No	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
(a)	Number of unimplemented Awards at the beginning of the year	NIL	NIL
(b)	Number of Awards received during the year	12	01
(c)	Number of Awards redressed during the year	12	NIL
(d)	Number of unimplemented Awards pending at the end of the year	NIL	NIL

6.4 चुकौती आश्वासन पत्र जारी करना:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने चुकौती आश्वासन पत्र / वचन पत्र जारी नहीं किया है। यथा दिनांक कोई चुकौती आश्वासन पत्र / वचन पत्र बकाया नहीं है।

समुद्रपारीय:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान मेजबान देशों के पक्ष में कोई भी चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं हुआ है।

पहले जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र / वचन / गारंटी:

- चीन बैंकिंग रेग्युलेटरी कमीशन, चीन (शांघई शाखा की ओर से) – दिनांक 19 अप्रैल 2008 को जारी
- यू ए ई का सेंट्रल बैंक (हमारे प्रतिनिधि कार्यालय, शारजाह की ओर से) – दिनांक 3 अगस्त 2009 को जारी
- बहरीन का सेंट्रल बैंक (हमारे मनामा शाखा, बहरीन की ओर से) – दिनांक 7 जून 2010 को जारी द्वारा एवं
- दक्षिण अफ्रीकी रिज़र्व बैंक (जॉहांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका की ओर से) – दिनांक 19.11.2011 के आदेश से)

वित्तीय प्रभाव:

बैंक ने अब तक अनुषंगियों या संयुक्त उद्यमों (जेवीएस) की ओर एलओसी / वचन पत्र जारी नहीं किया है, अतः बैंक द्वारा एलओसी / वचन पत्र के जारीकरण पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

शाखाओं के संबंध में, समुद्रपारीय शाखाओं की आस्तियों व देयताओं का विलय घरेलू परिचालन के साथ कर दिया गया है तथा बैंक के लिए एक समेकित तुलन-पत्र बनाया गया है। समुद्रपारीय शाखाओं की कुल देयताएं बैंक के वार्षिक तुलन-पत्र की देयताओं का एक हिस्सा है।

अतः शाखाओं की ओर से जारी साख पत्र के कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं हैं। प्रतिनिधि कार्यालयों के संबंध में, कोई वाणिज्यिक परिचालन नहीं किया गया है तथा इसलिए मेजबान

6.4 Letters of Comfort issued:

Bank has not issued any letter of comforts / Letter of Undertakings during the financial year 2018-19. There are no letter of Comforts / Letter of Undertakings outstanding as on date.

OVERSEAS:

The Bank has not issued any LOC favoring host country regulators during the financial year 2018-19.

LOCs / Undertaking / Guarantee issued in the past:

- China Banking Regulatory Commission, China (on behalf of our Shanghai Branch) – issued on April 19th, 2008.
- Central Bank of UAE (on behalf of our Representative office, Sharjah) – issued on August 3rd, 2009.
- Central Bank of Bahrain (on behalf of our Manama branch, Bahrain) - issued on June 7th, 2010 and
- South African Reserve Bank (on behalf of our Johannesburg branch, South Africa) – issued on November 19th, 2011.

Financial Impact:

Bank has so far not issued any LOC / undertaking on behalf of the subsidiaries or Joint Ventures (JVs). Hence, the financial impact on issue of LOC / undertaking by the Bank does not exist.

With regard to branches the assets and liabilities of overseas branches are merged with the domestic operation and a consolidated Balance Sheet is drawn for the Bank as a whole. The total liability of overseas branches forms part of the liabilities of the Bank's annual balance sheet.

Hence, there is no additional financial impact of LOCs issued on behalf of branches. In respect of representative



देशों के विनियामकों को जारी साख पत्र का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

यथा 31 मार्च 2019 को, हमारे बैंक के लिए समुद्रपारीय विनियामकों के पक्ष में जारी साख पत्र का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है क्योंकि इसे शाखाओं व प्रतिनिधि कार्यालयों की ओर से जारी किया जाता है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, हम मार्च 2019 तक तुलन पत्र में "नोट्स टू एकाउंट्स" के तहत बैंक द्वारा जारी किए गए एलओसी के विवरण और ऐसे एलओसी के "शून्य" वित्तीय प्रभाव का खुलासा करने का प्रस्ताव रखते हैं।

6.4.1 यथा 31.03.2019 को प्रावधान कवरेज अनुपात 68.13% है (पिछले वर्ष 58.06%)

6.5 बैंक द्वारा बैंकएश्यरेंस कारोबार आदि से प्राप्त शुल्क / मानदेय:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	आय का प्रकार	31.03.2019	31.03.2018
1	जीवन बीमा पॉलिसियों का विक्रय	94.23	76.60
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों का विक्रय	39.92	26.93
3	म्यूचुअल फंड उत्पाद का विक्रय	35.41	26.93
4	अन्य (स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी)	26.08	20.84
5	पीएमजेजेबीवाई	7.03	5.11
6	पीएमएसबीवाई	0.01	0.02
	कुल	202.68	156.40

Office, there are no commercial operations undertaken and hence no financial impacts of LOC issued to host country regulator.

As at 31st March 2019, there is no financial impact of LOCs issued favoring the overseas Regulators for our Bank since the same are issued on behalf of branches and Representative offices. In terms of RBI guidelines, we propose to disclose the details of LOCs issued by the Bank so far and "NIL" financial impact on account of such LOCs, under "Notes to Accounts" in the Balance Sheet as at March 2019.

6.4.1 Provision Coverage Ratio is 68.13% as on 31.03.2019 (Previous Year 58.06%).

6.5 Fees / Remuneration received by the Bank from Bancassurance Business etc:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	31.03.2019	31.03.2018
1	For selling Life Insurance Policies	94.23	76.60
2	For selling Non-Life Insurance Policies	39.92	26.93
3	For selling Mutual Funds Products	35.41	26.93
4	Other (Health Insurance Policies)	26.08	20.84
5	PMJBY	7.03	5.11
6	PMSBY	0.01	0.02
	TOTAL	202.68	156.40

6.6 जमाओं, अग्रिमों, निवेशों व एन पी ए का संकेंद्रण:

6.6.1 जमाओं का संकेंद्रण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
बीस बड़े जमाकर्ताओं के कुल जमा	96154.73	81464.73
बैंक के कुल जमा में से बीस बड़े जमाकर्ताओं के जमा का प्रतिशत	16.10%	15.52%

6.6.2 अग्रिमों का संकेंद्रण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	50985.15	35329.89
बैंक के कुल अग्रिम में से बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	11.92%	9.26%

6.6.3 एक्सपोजर का संकेंद्रण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल एक्सपोजर	77061.69	60652.57
बैंक के कुल एक्सपोजर में से बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	9.81%	8.92%

6.6.4 एन पी ए का संकेंद्रण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
प्रथम चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	6081.92	9423.81

6.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs:

6.6.1 Concentration of Deposits:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Total Deposits of twenty largest depositors	96154.73	81464.73
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	16.10%	15.52%

6.6.2 Concentration of Advances:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Total Advances to twenty largest borrowers	50985.15	35329.89
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	11.92%	9.26%

6.6.3 Concentration of Exposures:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	77061.69	60652.57
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the bank on borrowers / customers	9.81%	8.92%

6.6.4 Concentration of NPAs:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Total Exposure to top four NPA accounts	6081.92	9423.81



6.6.5 क्षेत्र – वार अग्रिम:

(₹ करोड़ में)

क्र. मांक	क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एन पी ए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एन पी ए का प्रतिशत
क	प्राथमिकता क्षेत्र						
	1 कृषि व संबद्ध गतिविधियाँ	91843.00	4947.72	5.39%	84012.00	3850.80	4.58%
	2 प्राथमिकता क्षेत्र उधारी के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	41838.00	8198.82	19.60%	43168.00	8129.36	18.83%
	3 सेवाएं	43330.00	532.36	1.23%	38930.00	616.98	1.58%
	4 व्यक्तिगत ऋण	52101.98	-	-	19516.00	-	-
	उप-कुल (क)	229112.98	13678.90	5.97%	185626.00	12597.14	6.79%
ख	गैर प्राथमिकता क्षेत्र						
	1 कृषि व संबद्ध गतिविधियाँ	112.00	-	-	214.00	-	-
	2 प्राथमिकता क्षेत्र उधारी के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	149699.58	25345.14	16.93%	181857.98	34504.92	18.97%
	3 सेवाएं	-	-	-	-	-	-
	4 व्यक्तिगत ऋण	65291.00	200.08	0.31%	33145.51	366.41	1.11%
	उप-कुल (ख)	215102.58	25545.22	11.88%	215217.49	34871.33	16.20%
	कुल (क+ख)	444215.56	39224.12	8.83%	400843.49	47468.47	11.84%

6.6.5 | Sector-wise Advances:

(₹ in Crore)

Sl No	Sector	Current Year			Previous Year		
		Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector	Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector
A	Priority sector						
1	Agriculture and allied activities	91843.00	4947.72	5.39%	84012.00	3850.80	4.58%
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	41838.00	8198.82	19.60%	43168.00	8129.36	18.83%
3	Services	43330.00	532.36	1.23%	38930.00	616.98	1.58%
4	Personal loans	52101.98	-	-	19516.00	-	-
	Sub-Total (A)	229112.98	13678.90	5.97%	185626.00	12597.14	6.79%
B	Non Priority sector						
1	Agriculture and allied activities	112.00	-	-	214.00	-	-
2	Industries	149699.58	25345.14	16.93%	181857.98	34504.92	18.97%
3	Services	-	-	-	-	-	-
4	Personal loans	65291.00	200.08	0.31%	33145.51	366.41	1.11%
	Sub total (B)	215102.58	25545.22	11.88%	215217.49	34871.33	16.20%
	Total (A+B)	444215.56	39224.12	8.83%	400843.49	47468.47	11.84%

II उद्यम के उप-क्षेत्र जहां बकाया अग्रिम, क्षेत्र के कुल बकाया अग्रिम के 10% से अधिक हैं।

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	उप- क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एन पी ए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एन पी ए का प्रतिशत
1	आधारभूत धातु व धातु के उत्पाद	24943.92	5817.23	23.32%	24388.58	11730.68	48.10%
2	बुनियादी संरचना	56797.71	7858.86	13.83%	52760.28	10277.74	19.48%

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणित तथा लेखापरीक्षकों के निरीक्षण पर आधारित)

II Sub sector of industries where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances of the sector:

(₹ in Crore)

SI No	Sub Sector	Current Year			Previous Year		
		Outstanding Total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector
1	Basic metal and metal products	24943.92	5817.23	23.32%	24388.58	11730.68	48.10%
2	Infrastructure	56797.71	7858.86	13.83%	52760.28	10277.74	19.48%

6.7 एन पी ए का उतार-चढ़ाव:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
यथा 1 अप्रैल तक सकल एन पी ए (आरंभिक शेष)	47468.47	34202.04
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एन पी ए)	15480.16	24760.76
उप-कुल (क)	62948.63	58962.80
घटाएं:		
(i) उन्नयन	3073.80	943.49
(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गई वसूलियों के अलावा)	6383.51	2241.17
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन	12217.73	7548.87
(iv) उक्त (iii) के अलावा अपलेखन	2049.47	760.80
उप कुल (ख)	23724.51	11494.33
यथा 31 मार्च तक सकल एन पी ए (समापन शेष) (क-ख)	39224.12	47468.47

6.7 Movement of NPAs:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Gross NPAs as on 1 st April (Opening Balance)	47468.47	34202.04
Additions (Fresh NPAs) during the year	15480.16	24760.76
Sub-total (A)	62948.63	58962.80
Less:		
(i) Up-gradations	3073.80	943.49
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	6383.51	2241.17
(iii) Technical / Prudential Write-offs	12217.73	7548.87
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	2049.47	760.80
Sub-total (B)	23724.51	11494.33
Gross NPAs as on 31 st March (closing balance) (A-B)	39224.12	47468.47

6.8 तकनीकी बट्टे खाते में डालना तथा तत्पश्चात बनाए वसूली का उतार-चढ़ाव:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
यथा अप्रैल 1 को तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन किए गए खातों के प्रारंभिक शेष	20366.90	14377.42
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन किए गए खाते*	14015.50	7523.52
उप कुल (क)	34382.40	21900.94
घटाएं : वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन किए गए खातों से पहले की गई वसूली (ख)	1835.38	1534.04
यथा मार्च 31 को इति शेष (क-ख)	32547.02	20366.90

*विनिमय उतार-चढ़ाव सहित

6.9 समुद्रपारीय आस्तियाँ, एन पी ए व राजस्व:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
कुल आस्तियाँ	60756.13	56068.54
कुल एन पी ए : सकल निवल	3059.02 1012.40	3284.51 1575.88
कुल राजस्व	1381.78	1306.41

6.10 तुलन पत्र में शामिल न होने वाले प्रायोजित एस पी वी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है):

प्रायोजित एस पी वी के नाम	
घरेलू	समुद्रपारीय
शून्य	शून्य

6.8 Movement of Technical Write off and the recoveries made thereon:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at April 1 st	20366.90	14377.42
Add: Technical / Prudential write-offs during the year*	14015.50	7523.52
Sub-total (A)	34382.40	21900.94
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts, amount sent to branches during the year and exchange fluctuation (B)	1835.38	1534.04
Closing balance as at March 31 (A-B)	32547.02	20366.90

* including exchange fluctuation

6.9 Overseas Assets NPAs and Revenue :

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Total Assets	60756.13	56068.54
Total NPAs : Gross Net	3059.02 1012.40	3284.51 1575.88
Total Revenue	1381.78	1306.41

6.10 Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms):

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

6.11.1 प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटन :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	संख्या / राशि
1.	प्रतिभूतीकरण संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एस पी वी की संख्या	शून्य
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एस पी वी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतीकृत आस्तियों की कुल राशि	
3.	यथा तुलन पत्र की तारीख को एम आर आर की अनुपालनार्थ बैंक द्वारा प्रतिधारित निवेश की कुल राशि	
	क) तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ख) तुलन पत्र में शामिल होनेवाली निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
4.	एम आर आर के अलावा प्रतिभूतीकरण संव्यवहारों की राशि	
	क) तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली निवेश	
	प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
	i) प्रथम हानि	
	अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ख) तुलन पत्र में शामिल होनेवाली निवेश	
	प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
	i) प्रथम हानि	
	अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	

6.11.1 Disclosure relating to Securitisation::

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	No. / Amount
1.	No. of SPVs sponsored by the bank for securitization transaction	NOT APPLICABLE
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	
3.	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	
	a) Off-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
4.	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR	
	a) Off-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitizations	
	First loss	
	Others	
	ii) Exposure to third party securitizations	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitizations	
	First loss	
	Others	
	ii) Exposure to third party securitizations	
	First loss	
	Others	

6.11.2 ऋण डिफॉल्ट स्वेप (सीडीएस): शून्य

6.11.2 Credit Default Swaps (CDS): NIL

6.12 जमाकर्ता शिक्षा व जागरूकता निधि को हस्तांतरण (डीईए निधि):

6.12 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund):

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
डीईएएफ को हस्तांतरित राशि का आरंभिक शेष	1382.31	1166.89
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को हस्तांतरित राशि	267.33	241.43
घटाएं : दावों के निपटान के लिए डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति किए गए दावे	20.88	26.01
डीईएएफ को हस्तांतरित राशि का अंतिम शेष	1628.76	1382.31

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	1382.31	1166.89
Add : Amounts transferred to DEA Fund during the year	267.33	241.43
Less : Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	20.88	26.01
Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	1628.76	1382.31

6.13 भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी संसूचना संख्या डीबीओडी.नं. बीपी.बीसी.85/21.06.200/ 2013-14 दिनांकित 15 जनवरी 2014 द्वारा बैंकों को निर्देश दिया है कि अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के साथ निकायों को बैंक के एक्सपोज़र से संबंधित वेतन वृद्धि व पूंजी प्रदान करो तदनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, बैंक ने अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के लिए ₹23.11 करोड़ (₹25.66 करोड़) का वेतन वृद्धि प्रावधान किया है। आगे, यथा 31.03.2019 को बैंक के पास अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र पर जोखिम हेतु ₹150.86 करोड़ (₹127.67 करोड़) की पूंजी है।

6.13 Reserve Bank of India vide its communication Number DBOD.No.BP.BC. 85 /21.06.200/2013-14 dated January 15 2014 advised the Bank to provide incremental provision and capital with regard to bank's exposure to entities with unhedged foreign currency exposures. Accordingly for the financial year 2018-19 bank is holding a provision of ₹23.11 Crore (₹25.66 Crore) towards unhedged foreign currency exposure. Further Bank is also holding a capital of ₹150.86 Crore (₹127.67 Crore) as on 31.03.2019 towards the risk on unhedged foreign currency exposure.

अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के संबंध में ऋण जोखिम मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां:

Policies to manage currency induced credit risk with regard to Unhedged Foreign Currency Exposure:

उधारकर्ता निकायों के संबंध में जिनका विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र है, बैंक द्वारा अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीई); ब्याज पर वार्षिक आय व मूल्यहास (ईबीआईडी); सालाना अस्थिरता का उपयोग करते हुए यूएसडी-आईएनआर विनिमय दर में परिवर्तन के मामले में अनुमानित हानि की गणना की जाती है। विनिमय दर में परिवर्तन के कारण अनुमानित हानि को ईबीआईडी के प्रतिशत यानि अनुमानित हानि/ईबीआईडी प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। विवेकपूर्ण उपाय के तौर पर, बैंक द्वारा ऐसे निकायों को विशेषीकृत दर पर कुल ऋण जोखिम पर वेतन वृद्धि पूंजी व वेतन वृद्धि प्रावधानीकरण (वर्तमान मानक आस्ति प्रावधानीकरण के अतिरिक्त) किया जाता है।

In respect of borrower entities having foreign currency exposure, Bank is computing Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE); Annual Earnings before interest and Depreciation (EBID); expected loss in case of movement in USD-INR exchange rate using annualized volatilities. Expected loss on account of exchange rate movements is expressed as a percentage of EBID i.e likely loss/EBID percentage. As a prudential measure Bank is holding incremental capital and made incremental provisioning (over and above the extant standard assets provisioning) on the total credit exposure to such entities at the specified rates.



6.14. चलनिधि कवरेज अनुपात:

(₹ करोड़ में)

क्र सं.		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्ति					
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्ति (एचक्यूएलए)		99712.98		82240.55
नकद बहिर्वाह					
2	खुदरा जमा व छोटे कारोबारी ग्राहकों से जमा, जिनमें से	311670.85	26583.40	289969.63	24614.78
(i)	स्थिर जमा	91715.32	4585.91	87643.63	4382.18
(ii)	कम स्थिर जमा	219955.53	21997.48	202326.01	20232.60
3	गैर प्रतिभूतिकृत थोक निधियन, जिसमें से	132145.23	77219.83	111281.44	64382.92
(i)	परिचालनात्मक जमा (सभी प्रतिपक्ष)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालनत्मक जमाएं(सभी प्रतिपक्ष)	130926.33	75981.64	111281.44	64382.92
(iii)	गैर-प्रतिभूतिकृत उधारी	1218.90	1238.19	0.00	0.00
4	प्रतिभूतिकृत संपूर्ण निधियन	4929.76	125.37	6966.92	274.11
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	33201.61	4516.45	29421.64	3512.45
(i)	व्युत्पन्नी एक्सपोजरों व अन्य संपार्श्विक आवाशकताओं से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	उधारी उत्पादों पर निधियन हानि संबंधी बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण व चलनिधि सुविधाएं	33201.61	4516.45	29421.64	3512.45
6	अन्य संविदात्मक निधियन प्रतिज्ञा-पत्र	511.21	511.19	568.82	568.82
7	अन्य आकस्मिक निधियन प्रतिज्ञा-पत्र	100021.11	3669.49	115740.80	4444.33
8	कुल नकद बहिर्वाह	582479.77	112625.73	553949.26	97797.41
9	प्रतिभूतिकृत उधारी (उदाहरण : रिवर्स रेपो)	513.94	0.00	101.84	0.00
10	संपूर्ण कार्यनिष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह	29948.91	19523.56	30083.49	21415.39
11	अन्य नकद अंतर्वाह	606.44	340.79	729.67	423.02
12	कुल नकद अंतर्वाह	31069.29	19864.34	30915.00	21838.41
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एच क्यू एल ए		99712.98		82240.55
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		92761.38		75959.00
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		107.49%		108.27%

6.14 Liquidity Coverage Ratio:

(₹ in Crore)

Sl. No.		Current Year		Previous Year	
		Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		99712.98		82240.55
Cash Outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which:	311670.85	26583.40	289969.63	24614.78
(i)	Stable deposits	91715.32	4585.91	87643.63	4382.18
(ii)	Less stable deposits	219955.53	21997.48	202326.01	20232.60
3	Unsecured wholesale funding of which:	132145.23	77219.83	111281.44	64382.92
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	130926.33	75981.64	111281.44	64382.92
(iii)	Unsecured debt	1218.90	1238.19	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding	4929.76	125.37	6966.92	274.11
5	Additional requirements of which	33201.61	4516.45	29421.64	3512.45
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	33201.61	4516.45	29421.64	3512.45
6	Other contractual funding obligations	511.21	511.19	568.82	568.82
7	Other contingent funding obligations	100021.11	3669.49	115740.80	4444.33
8	Total Cash Outflows	582479.77	112625.73	553949.26	97797.41
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	513.94	0.00	101.84	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	29948.91	19523.56	30083.49	21415.39
11	Other cash inflows	606.44	340.79	729.67	423.02
12	Total Cash Inflows	31069.29	19864.34	30915.00	21838.41
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
13	TOTAL HQLA		99712.98		82240.55
14	Total Net Cash Outflows		92761.38		75959.00
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		107.49%		108.27%

एलसीआर के पास गुणात्मक प्रकटन:

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक का आरंभ न्यूनतम 30 दिनों की दबावग्रस्त अवधि हेतु बैंक की चलनिधि जोखिम प्रोफाइल की लघु अवधि तन्त्रता के प्रवर्तन के लिए है। एलसीआर, सामान्य तौर पर सुनिश्चित करता है कि बैंक उच्च गुणवत्तापूर्ण चल आस्ति (एचक्यूएलए) भार रहित आस्ति का पर्याप्त स्टॉक का रखरखाव करता है जिसे चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्काल नकद में परिवर्तित किया जा सकता है। एलसीआर को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है :

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च गुणवत्ता वाले चल आस्ति का स्टॉक (एचक्यूएलए)}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों में होनेवाले कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह}}$$

कैलेंडर वर्ष 2018 हेतु न्यूनतम एलसीआर आवश्यकता 90% था एवं कैलेंडर वर्ष 2019 हेतु यह बढ़कर 100% हो गया है।

एचक्यूएलए में स्तर 1 (0% कटौती); स्तर 2ए (15% कटौती) व स्तर 2बी आस्तियां (50% कटौती) शामिल है। स्तर 1 आस्ति में नकद, अधिक सीआरआर, अधिक एसएलआर प्रतिभूति, मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) [वर्तमान में बैंक के एनडीटीएल का 2%] के तहत भा.रि.बै. द्वारा अनुमत सीमा तक सरकारी प्रतिभूति और चलनिधि कवरेज अनुपात हेतु चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा (एफएलएलसीआर) [31 मार्च 2019 तक बैंक के एनडीटीएल का 13%] शामिल हैं।

स्तर 2ए आस्ति में सॉवरेन गारंटीकृत विपणन-योग्य प्रतिभूति, वित्तीय संस्थान के अलावा अन्य द्वारा जारी एए- व अधिक की रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड या वाणिज्यिक पेपर शामिल हैं। स्तर 2बी आस्ति में एनएसई सीएनएक्स निफ्टी और/या एस व पी बीएसई सेंसेक्स सूचकांक में शामिल सामान्य इक्विटी शेयर में निवेश शामिल है।

दबाव के तहत अनुमानित निवल नकद बहिर्प्रवाह अगले 30 दिनों में बहिर्प्रवाह के भारत राशि से अंतर्प्रवाह को घटाने पर प्रगणित होगा। खुदरा व छोटे कारोबार ग्राहकों से निधियन में थोक निधियन की तुलना में निम्न रन-ऑफ घटक शामिल है।

एलसीआर के प्रमुख ड्राइवर बैंक द्वारा धारित अधिशेष एसएलआर के स्तर एवं खुदरा व थोक निधियन स्रोत के अनुपात हैं।

Qualitative disclosure around LCR:

Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard is introduced to test the liquidity resilience of the Bank, for a minimum stress period of 30 days. The standard ensures, the Bank maintains adequate stock of unencumbered high-quality liquid assets (HQLA) that can be converted into cash to meet liquidity needs (net cash-out flows). The LCR is defined as:

$$\text{LCR} = \frac{\text{Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$$

The minimum LCR requirement for the calendar year 2018 was 90 per cent and is stepped up to 100 per cent for the calendar year 2019.

HQLA comprises of Level 1(0% hair-cut), Level 2A (15% hair-cut) and Level 2B assets (50% hair-cut). Level 1 assets comprising of cash, excess CRR, excess SLR securities, government securities to the extent allowed by RBI under Marginal Standing Facility (MSF) [presently 2 per cent of the Bank's NDTL] and Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR) [as on 31st March 2019 13 per cent of the Bank's NDTL].

Level 2A assets comprises of sovereign guaranteed marketable securities, corporate bonds or commercial papers which are rated AA- and more are issued other than by financial institutions. Level 2B assets include investments in common equity shares included in NSE CNX Nifty and / or S&P BSE Sensex indices.

Expected net cash outflows under stress are the weighted sum of outflows minus inflows in the next 30 days. Funding from retail and small business customers carries lower run-off factor as compared to wholesale funding.

The prime drivers of the LCR are the level of surplus SLR held by the Bank and the proportion of retail and wholesale funding source.

बैंक के भारत स्तर 1 आस्ति में लगभग कुल एचक्यूएलए का 96% शामिल है व शेष 4% स्तर 2ए व स्तर 2बी आस्ति में शामिल हैं। अधिक एसएलआर प्रतिभूति में (स्तर 1 आस्ति का भाग) कुल एचक्यूएलए का लगभग 18% शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक का एलसीआर सभी अवलोकन आँकड़ों पर न्यूनतम आवश्यकता से अधिक बना रहा है। 108.27% (वि.व.2017-18) के औसत से घटते हुए वर्ष दर वर्ष कम हो कर एलसीआर 107.47% (वि.व.2018-19) हो गया है।

तिमाही दर तिमाही, बैंक का एलसीआर (3 माह का औसत) 105.69% (जून, 18) से 110.84% (सितम्बर, 18) और फिर 106.93% (दिसम्बर, 18) तक बढ़ा है। मार्च 19 में समाप्त तिमाही के लिए बैंक का एलसीआर 106.63% था।

6.15 धोखाधड़ी वाले खातों संबंधी प्रावधान:

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को धोखाधड़ी का पता लगाने की तारीख से शुरू होने वाले चार तिमाहियों में धोखाधड़ी के मामलों के प्रावधान को संशोधित करने की अनुमति है और जहां प्रावधान दो अलग-अलग वित्तीय वर्षों में किया जाता है, संबंधित वर्ष के अंत तक अनुपलब्ध राशि का आरबीआई आरबीआई परिपत्र डीबीआर नं बीपी.बीसी 92 / 21.04.048 / 2015-16 दिनांक 18.04.2016 के अनुसार आरक्षित होना चाहिए।

Weighted Level 1 assets of the Bank constitutes around 96 per cent of the total HQLA, and the remaining 4 per cent comprises of Level 2A and Level 2B assets. Excess SLR securities (part of level 1 assets) forms around 18 per cent of the total HQLA.

During the FY 2018-19, the LCR of the Bank remained above the minimum requirement on all observed counts. The LCR moved down marginally year on year from average of 108.27% (FY2017-18) to 107.47% (FY 2018-19).

Quarter on quarter, the LCR (3 months average) of the Bank moved from 105.69% (June'18) to 110.84% (September'18) and to 106.93% (December'18). For the quarter ended March'19 the LCR of the Bank stood at 106.63%.

6.15 Provision pertaining to Fraud Accounts:

In terms of RBI guidelines, the banks are permitted to amortize the provision towards fraud cases in four quarters beginning from the date of detection of fraud and where the provision is made in two different financial years, the unprovided amount has to be charged to Revenue Reserve vide RBI circular DBR. No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016 as on the relevant year end

(रु करोड़ में)

31.03.2019 को समाप्त वर्ष तक (मामलों की संख्या)	31.03.2019 को समाप्त तिमाही के दौरान (मामलों की संख्या)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष तक (राशि)	31.03.2019 को समाप्त तिमाही के दौरान (राशि)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा समाप्त हो गई 31.03.2019 (राशि)	31.03.2019 (राशि) को समाप्त वर्ष के रूप में राजस्व आरक्षित के लिए परिशोधन किए गए परिशोधन प्रावधान की मात्रा
1236	23	5655.22	722.02	5655.22	322.40

(₹ in Crore)

Up to the year ended 31.03.2019 (No. of Cases)	During the quarter ended 31.03.2019 (No. of Cases)	Up to the year ended 31.03.2019 (Amount)	During the quarter ended 31.03.2019 (Amount)	Quantum of provision made during the year ended 31.03.2019 (Amount)	Quantum of amortized provision debited to "Revenue Reserves" as at the year ended 31.03.2019 (Amount)
1236	23	5655.22	722.02	5655.22	322.40

31 मार्च 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान, 23 मामलों में से, केवल 704.06 करोड़ रुपये के छह धोखाधड़ी मामलों के लिए, जिसमें बैंक को 31-12-2018 तक पहले से उपलब्ध 274.19 करोड़ रुपये के प्रावधान के अलावा 429.87 करोड़ रुपये देने की आवश्यकता है तिमाही के दौरान प्रदान की गई कुल राशि 107.47 करोड़ रुपये है, जो प्रावधान किए जाने के 25% का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा, शेष अप्रकाशित प्रावधान राशि को अन्य रिजर्व के लिए डेबिट कर दिया जाता है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान परिशोधन किया जाएगा। इस तरह के खातों पर अपरिशोधित प्रावधान 322.40 करोड़ रुपये है और इस अपरिशोधित राशि को प्रावधान कवरेज अनुपात की गणना के लिए पुनः घोषित किया गया है।

6.16 क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स:

6.16.1 बकाया इनाम बिंदुओं की स्थिति और क्रेडिट कार्ड के बारे में प्रावधान:

विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
बकाया शेष राशि अंक	368017084	350470829
इन बिंदुओं के लिए प्रावधान (₹ करोड़ में)*	9.20	8.76

* प्रत्येक इनाम बिंदु का मूल्य क्रेडिट कार्ड के लिए 0.25 रुपये है।

6.16.2 बकाया इनाम बिंदुओं की स्थिति और लॉयल्टी रिवार्ड पॉइंट्स-डेबिट कार्ड्स के बारे में प्रावधान:

विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
बकाया शेष राशि अंक	शून्य	शून्य
लॉयल्टी रिवार्ड पॉइंट्स का बैलेंस रिवार्ड पॉइंट्स के एवज प्रावधान (₹ करोड़ में)	शून्य	शून्य

During the quarter ended 31st March 2019, out of 23 cases, only for six no. of frauds amounting of ₹704.06 crores wherein Bank is required to provide ₹429.87 crores, in addition to the provision of ₹274.19 crores already provided upto 31-12-2018. The total amount provided during the quarter is ₹107.47 crores, representing 25 % of the provision to be made. Further, the remaining unamortised provision amount is debited to Other Reserves, which will be amortised during first three quarters of next financial year. The unamortized provision on such accounts is ₹322.40 crores and this unamortized amount is reckoned for calculation of Provision Coverage Ratio.

6.16 Reward Points of Credit Card & Debit Card:

6.16.1 Position of outstanding reward points and provision regarding Credit Cards:

Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
Balance Reward Points outstanding	368017084	350470829
Provision held for these points (₹ in crore)*	9.20	8.76

* Value of each reward point is worth ₹0.25 for credit cards.

6.16.2 Position of outstanding reward points and provision thereon regarding Loyalty Reward Points-Debit Cards:

Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
Balance of loyalty reward points	Nil	Nil
Provision held against reward points (₹ in crore)	Nil	Nil



- 6.17** वर्ष के दौरान बैंक ने अपने कर्मचारी के लिए "शेयर खरीद योजना" के तहत 186/- रुपये प्रति शेयर ₹92.64 (33.33%) की छूट के साथ इक्विटी शेयर की दो करोड़ की पेशकश की है। शेयरों का आबंटन 6 फरवरी 2019 को किया गया था। लाभ और हानि खाते के लिए ₹185.28 करोड़ की कुल छूट ली गई है।
- 6.18** एनपीए के पुराने प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, ताजा फिसलन की सीमा और परिणामी प्रावधान आवश्यकताओं के कारण एनपीए के लिए मौजूदा अतिरिक्त प्रावधान 500 करोड़ रुपये से अधिक और उससे अधिक है। आईआरएसी मानदंड एनपीए के लिए चालू वर्ष के प्रावधान के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो कि पीसीआर में सुधार के लिए 31.03.2018 तक 58.06% से तक 31.03.2019 तक 68.13% के बराबर है।
- 6.19** हमारे बैंक ने मार्च 2019 तक कृषि और लघु और सीमांत किसानों की श्रेणी के तहत ₹20,674 करोड़ की प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसीएस) के तहत 82,696 इकाइयाँ बेची हैं।
- 6.20** आरबीआई ने बैंकों को अपने परिपत्र डीबीआर.संख्या.बीपी.बीसी.113 / 21.04.048 / 2017-18 की दिनांक 15 जून, 2018 को एएफएस और एचएफटी श्रेणी में निवेश पर एमटीएम घाटे को बटवारे करने की अनुमति दी, जिसके लिए 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही की अनुमति दी गई थी। उस तिमाही से शुरू होने वाली चार तिमाहियों में, जिसमें नुकसान हुआ है। बैंक ने 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹603.84 करोड़ की राशि का नुकसान उठाया और प्रावधान के टुटने पर अनुमत लाभ का उपयोग कर जून और सितंबर 2018 की तिमाही में इस तरह के नुकसान का 1/4 हिस्सा प्रदान किया तथा और अप्रिशोधित शेष ₹301.92 करोड़ था। चूंकि 31 दिसंबर, 2018 को बॉन्ड दर में कमी आई है, इसलिए स्थगित प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी। उपरोक्त के परिणामस्वरूप, पूरे एमटीएम हानियां 31.03.2019 तक पूरी तरह से कवर किए गए हैं।
- 6.17** During the year the Bank has made an offer of Two Crore number of Equity shares to its employee under "Employee Share Purchase Scheme" at ₹186/- per share with discount of ₹92.64 per share (33.33%). Allotment of the shares was made on 6th February 2019. The total discount of ₹185.28 crore is charged to Profit & Loss account.
- 6.18** Considering the ageing provision of NPA, extent of fresh slippages and consequent provisioning requirements, the existing additional provision held for NPA amounting to ₹500 crore over and above the IRAC norms are utilized towards current year provision for NPA on account of improvement in PCR from 58.06% as at 31.03.2018 to 68.13% as at 31.03.2019.
- 6.19** Our Bank has sold 82,696 units under Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) to the tune of ₹20,674 Crore under Agriculture and Small and Marginal Farmers category as at March 2019.
- 6.20** The RBI had permitted Banks vide its Circular DBR.No.BP.BC.113/21.04.048 / 2017-18 dated 15th June, 2018, to spread MTM losses on investments held in AFS and HFT category for the quarter ended 30th June 2018, over four quarters commencing from that quarter, in which loss has been incurred. The bank had incurred such loss amounting to ₹603.84 Crore during the quarter ended 30th June, 2018 and provided 1/4th of such loss each in June and September 2018 quarters by availing the benefit permitted for staggering of provision and un-amortised balance was ₹301.92 Crore. Since the Bond rate has eased as on 31st December, 2018, deferred provision was not required. Consequent to the above, entire MTM Losses stands fully covered as on 31.03.2019.

- 6.21 लेखांकन मानक -10 "प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स" के अनुसरण में, स्थिर आस्तियां के पुनर्विकसित हिस्से पर वर्ष के दौरान 119.15 करोड़ रुपये का मूल्यहास लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया है। बराबर राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से राजस्व आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया गया है।
7. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

- 6.21 In pursuant to Accounting Standard -10 "Property Plant & Equipment", depreciation of ₹119.15 crore during the year on the revalued portion of the fixed assets has been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.
7. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

अरविंद कुमार
मंडल प्रबंधक
ए. मणिमखलई
कार्यपालक निदेशक

अमित मित्तल
सहायक महा प्रबंधक
देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एम. स्वामिनाथन
सहायक महा प्रबंधक
एम वी राव
कार्यपालक निदेशक

एम जी पंडित
उप महा प्रबंधक
आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

वी रामचंद्र
महा प्रबंधक
टी. एन. मनोहरन
अध्यक्ष

सुचीन्द्र मिश्रा
निदेशक

कृष्णमूर्ति एच
निदेशक

वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
डाग्लिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 000671S
(पी मनोहर गुप्ता)
साझेदार
सदस्य सं. 016444

कृते
कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 001420S / S200034
(टी नार्गेद्रनाथ)
साझेदार
सदस्य सं. 226246

कृते
डी. के. छाजर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 304138E
(नीरज के झुनझुनवाला)
साझेदार
सदस्य सं. 057170

कृते
एस एन के एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 109176W
(अंकित डी दानावाला)
साझेदार
सदस्य सं. 119972

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 10.05.2019

ARVIND KUMAR
DIVISIONAL MANAGER

AMIT MITTAL
ASST. GENERAL MANAGER

M SWAMINATHAN
ASST. GENERAL MANAGER

M G PANDIT
DEPUTY GENERAL MANAGER

V RAMACHANDRA
GENERAL MANAGER

A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

M. V. RAO
EXECUTIVE DIRECTOR

R A SANKARA NARAYANAN
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

T.N. MANOHARAN
CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

KRISHNAMURTHY H
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For DAGLIYA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 000671S

For KOMANDOOR & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 001420S / S200034

For D. K. CHHAJER & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 304138E

For S N K & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 109176W

(P Manohara Gupta)
Partner
Membership No. 016444

(T. Nagendranadh)
Partner
Membership No. 226246

(Niraj K Jhunjhunwala)
Partner
Membership No. 057170

(Ankit D. Danawala)
Partner
Membership No. 119972

PLACE : BENGALURU
DATE : 10.05.2019

यथा 31.03.2019 तक स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित)

यथा 31.03.2019 तक बासेल III – स्तंभ 3 प्रकटीकरण को बैंक की वेबसाइट में 'नियामक प्रकटीकरण खंड' के तहत उपलब्ध कराया गया है। विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट देखें – <https://www.canarabank.com/english/regulatory-disclosures/basel-iii-disclosures/>

इस अनुभाग में निम्नलिखित प्रकटन शामिल हैं:

तालिका	विवरण
तालिका डीएफ – 1	अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र
तालिका डीएफ – 2	पूंजी पर्याप्तता
तालिका डीएफ – 3	क्रेडिट जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण
तालिका डीएफ – 4	क्रेडिट जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण
तालिका डीएफ – 5	क्रेडिट जोखिम शमन – मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण
तालिका डीएफ – 6	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण
तालिका डीएफ – 7	ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम
तालिका डीएफ – 8	परिचालनात्मक जोखिम
तालिका डीएफ – 9	बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)
तालिका डीएफ – 10	प्रतिपक्षी क्रेडिट जोखिम संबंधी एक्सपोजर हेतु सामान्य प्रकटन
तालिका डीएफ – 11	पूंजी संरचना
तालिका डीएफ – 12	पूंजी की संरचना – युक्तिकरण आवश्यकताएं
तालिका डीएफ – 13	विनियामक पूंजीगत लिखतों की मुख्य विशेषताएं
तालिका डीएफ – 14	विनियामक पूंजीगत लिखतों की शर्तें व नियम
तालिका डीएफ – 16	इक्विटीज – बैंकिंग बही स्थिति हेतु प्रकटन
तालिका डीएफ – 17	लेखांकन आस्तियों बनाम लीवरेज अनुपात उपाय की सारांश तुलना
तालिका डीएफ – 18	लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन टेम्पलेट

Pillar 3 Disclosures (Consolidated) as at 31.03.2019

Basel III – Pillar 3 disclosures as at 31st March 2019 is made available on Bank’s Website under ‘Regulatory Disclosure Section’. For details, please visit our Website – <https://www.canarabank.com/english/regulatory-disclosures/basel-iii-disclosures/>

The section contains the following disclosures:

TABLES	PARTICULARS
TABLE DF – 1	SCOPE OF APPLICATION
TABLE DF – 2	CAPITAL ADEQUACY
TABLE DF – 3	CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES
TABLE DF – 4	CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH
TABLE DF – 5	CREDIT RISK MITIGATION – DISCLOSURES FOR STANDARDIZED APPROACHES
TABLE DF – 6	SECURITIZATION EXPOSURES: DISCLOSURE FOR STANDARDIZED APPROACH
TABLE DF – 7	MARKET RISK IN TRADING BOOK
TABLE DF – 8	OPERATIONAL RISK
TABLE DF – 9	INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)
TABLE DF – 10	GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK
TABLE DF – 11	COMPOSITION OF CAPITAL
TABLE DF – 12	COMPOSITION OF CAPITAL – RECONCILIATION REQUIREMENTS
TABLE DF – 13	MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS
TABLE DF – 14	FULL TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS
TABLE DF – 16	EQUITIES – DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS
TABLE DF – 17	SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE
TABLE DF – 18	LEVERAGE RATIO COMMON DISCLOSURE TEMPLATE

31मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणी
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2019	31.03.2018
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Operating activities		
कर के बाद शुद्ध लाभ / Net profit after Tax	347.02	(4,222.24)
समायोजन / Adjustments for:		
कर के लिए प्रावधान / Provision for Tax	(2,674.42)	(2,338.62)
मूल्यहास / Depreciation	416.84	445.05
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / Loss on revaluation of Investments	0.80	0.00
उचित मूल्य और एनपीए में कमी के लिए प्रावधान Provision for Diminution in Fair Value and NPAs	12,566.66	14,366.34
घटाएं: अन्य आरक्षित निधियों से आहरित राशि / Less: Amount Drawn from the Other Reserves	(322.40)	0.00
अरक्षित विदेशी मुद्रा प्रावधान सहित मानक आस्तियों के लिए / Provision for Standard assets including unhedged foreign currency provision	403.04	(2.52)
टियर I और टियर II बॉन्ड पर ब्याज / Interest on Tier I and Tier II bonds	1,176.58	1,231.69
आकस्मिक और अन्य के लिए प्रावधान / Provision for contingencies and others	(60.97)	(146.54)
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि / Profit / loss on sale of Fixed Assets	2.87	4.53
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों आदि में निवेश से आय Income from Investment in subsidiaries, JVs, etc	(50.17)	(53.32)
निवेश मूल्यहास / (मूल्यवृद्धि) के लिए प्रावधान Provision for investment depreciation / (appreciation)	369.55	1,891.81
उप कुल / Sub total	11,828.36	15,398.42
समायोजन / Adjustments for:		
निवेश में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/ Decrease in investments	(9,301.97)	4,320.41
अग्रिम में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/ Decrease in advances	(58,600.44)	(53,992.54)
उधार में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in borrowings	2,749.08	4.95
जमा में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in deposits	74,261.41	29,496.62
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/ Decrease in other assets	(5,392.73)	(6,142.93)
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in other liabilities and provisions	3,195.35	5,133.47
	6,910.70	(21,180.02)
घटाएं : प्रदत्त अग्रिम कर / Less: Advance Tax paid	1,200.00	1,500.00
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह (क) / Cash Generated from Operating Activities (A)	17,886.08	(11,503.84)
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Investing activities		
अनुषंगियों और/या संयुक्त उद्यमों में निवेश से आय / Income from investment in subsidiaries and/or JVs	50.17	53.32
संयुक्त उद्यमों, अनुषंगियों इत्यादि में निवेश / Investment in JVs, Subsidiaries, etc	0.00	(0.00)
अचल संपत्तियों के क्रय / विक्रय से शुद्ध अंतर्वाह / बहिर्वाह / Net inflow/ outflow from sale/ purchase of fixed assets	(511.29)	(327.48)
निवेश गतिविधियों से सृजित नकदी (ख) / Cash generated from Investing activities (B)	(461.12)	(274.16)
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Financing activities		
पूंजी का नया निर्गम / Fresh issue of capital	20.00	135.95
शेयर जारी से प्राप्त प्रीमियम / Premium Received on Issue of share	537.28	4,729.05
प्रदत्त लाभांश और डीडीटी / Dividend and DDT paid	0.00	(68.44)
टियर I और टियर II बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान / Payment of interest on Tier I and Tier II bonds	(1,176.58)	(1,231.69)

अधीनस्थ ऋणों सहित बॉन्ड्स का नया निर्गम / प्रतिदान Fresh issue / Redemption of bonds including sub-ordinated debts	(565.30)	(700.00)
वित्तीय गतिविधियों से सृजित नकदी (ग) / Cash generated from Financing activities (C)	(1,184.60)	2,864.87
नकद और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग) Net Increase/ (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	16,240.36	(8,913.13)
प्रारंभिक नकदी और नकद तुल्य / Opening Cash and Cash equivalents	49,912.33	58,825.46
अंतिम नकदी और नकद तुल्य / Closing Cash and Cash Equivalents	66,152.69	49,912.33

नोट्स / Notes:

रोकड़ शेष, भारिबै व अन्य बैंकों में शेष एवं मांग और अल्पसूचना पर राशि सहित नकदी एवं नकद तुल्य
Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice:

नकदी एवं नकद तुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents	31.03.2019	31.03.2018
भारिबै में नकदी एवं शेष / Cash & Balance with RBI	29,919.02	22,100.04
बैंकों में शेष और मांग व अल्पसूचना पर राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	36,233.67	27,812.29
कुल / Total	66,152.69	49,912.33

अरविंद कुमार
मंडल प्रबंधक
ए. मणिमखलई
कार्यपालक निदेशक

अमित मित्तल
सहायक महा प्रबंधक
देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एम. स्वामिनाथन
सहायक महा प्रबंधक
एम वी राव
कार्यपालक निदेशक

एम जी पंडित
उप महा प्रबंधक
आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

वी रामचंद्र
महा प्रबंधक
टी. एन. मनोहरन
अध्यक्ष

सुचीन्द्र मिश्रा
निदेशक

कृष्णमूर्ति एच
निदेशक

वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

कृते
डागलिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 000671S
(पी मनोहर गुप्ता)
साझेदार
सदस्य सं. 016444

कृते
कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 001420S / S200034
(टी नागेंद्रनाथ)
साझेदार
सदस्य सं. 226246

कृते
डी. के. छाजर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 304138E
(नीरज के ज़ुनजुनवाला)
साझेदार
सदस्य सं. 057170

कृते
एस एन के एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 109176W
(अंकित डी दानावाला)
साझेदार
सदस्य सं. 119972

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 10.05.2019

ARVIND KUMAR
DIVISIONAL MANAGER

AMIT MITTAL
ASST. GENERAL MANAGER

M SWAMINATHAN
ASST. GENERAL MANAGER

M G PANDIT
DEPUTY GENERAL MANAGER

V RAMACHANDRA
GENERAL MANAGER

A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

M. V. RAO
EXECUTIVE DIRECTOR

R A SANKARA NARAYANAN
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

T.N. MANOHARAN
CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

KRISHNAMURTHY H
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For DAGLIYA & CO.
Chartered Accountants
FRN : 000671S

For KOMANDUR & CO. LLP
Chartered Accountants
FRN : 001420S / S200034

For D. K. CHHAJER & CO.
Chartered Accountants
FRN : 304138E

For S N K & CO.
Chartered Accountants
FRN : 109176W

(P Manohara Gupta)
Partner
Membership No. 016444

(T. Nagendranadh)
Partner
Membership No. 226246

(Niraj K Jhunjunwala)
Partner
Membership No. 057170

(Ankit D. Danawala)
Partner
Membership No. 119972

PLACE : BENGALURU
DATE : 10.05.2019



केनरा बैंक का समेकित
तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा
तथा नकद प्रवाह विवरणी

2018-2019



**CONSOLIDATED
BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK
2018-2019**

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
केनरा बैंक,

समेकित वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट विचार

- हमने केनरा बैंक (आगे "बैंक" कहा जाएगा) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की है और इसके अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं व संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों (बैंक और उसकी अनुषंगियों को मिलाकर एकसाथ "समूह" कहा जाएगा) की वित्तीय विवरणी इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें यथा 31 मार्च 2019 का समेकित तुलन पत्र में, तब समाप्त वर्ष का समेकित लाभ-हानि लेखा और समेकित नकद प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा नीतियाँ तथा अन्य स्पष्टकारिणी जानकारियाँ शामिल है (आगे "समेकित वित्तीय विवरणी" कहा जाएगा)।
- हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के लिए और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं, इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईएसीआई) द्वारा निर्धारित लेखा मानक, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र, दिशा-निर्देश और दिशानिर्देश (आरबीआई दिशानिर्देश) जो इस हेतु आवश्यकता है और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखा परीक्षा सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं 31 मार्च, 2019 तक बैंक के मामलों की समेकित स्थिति, समेकित लाभ और तब समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह पर यह समेकित विवरणी तैयार की गई है।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,
The Board of Directors
Canara Bank,

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

- We have audited the accompanying consolidated financial statements of Canara Bank (hereinafter referred to as the "Bank") and its subsidiaries (Bank and its subsidiaries together referred to as "the Group"), its associates and jointly controlled entities, which comprise the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2019, the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash flows Statement for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements").
- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, the Accounting Standards prescribed by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time ("RBI Guidelines") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of their consolidated state of affairs of the Bank as at March 31, 2019, of consolidated profit, and its consolidated Cash flows for the year then ended.

राय के लिए आधार

- हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा मानकों (ऑडिट) के अनुसार किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखाकार की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, साथ में नैतिक आवश्यकताएं जो भारत में वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

- मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by ICAI, together with ethical requirements that are relevant to our Audit of the financial statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

- Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.



क्र. मांक	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों पर लेखाकार की प्रतिक्रिया
1	<p>अग्रिमों के संबंध में वर्गीकरण और प्रावधानों की पर्याप्तता।</p> <p>आरबीआई द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक के पास आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में अग्रिमों के स्व-वर्गीकरण की एक प्रणाली है। हालांकि एनपीए की पहचान और इस तरह के अग्रिमों पर प्रावधान के निर्माण में उधारकर्ताओं के प्रदर्शन, सुरक्षा मूल्य का निर्धारण, पुनर्भुगतान के स्रोत, विनियामक शर्तों के आवेदन आदि से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।</p> <p>तदनुसार, हमारे लेखा परीक्षा को आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रबंधन अनुमानों की संलिप्तता के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधान और शेष राशि की भौतिकता पर विचार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।</p>	<p>हमने अनर्जक परिसंपत्तियों की पहचान करने और प्रदान करने के लिए बैंक की प्रणाली का आकलन किया।</p> <p>हमारे लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में डिजाइन का परीक्षण व आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता और विशेष परीक्षण निम्नलिखित हैं :</p> <ul style="list-style-type: none"> • अनर्जक परिसंपत्तियों की पहचान और उसके प्रावधान के लिए प्रमुख आईटी प्रणालियों पर बैंक के सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की। • भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे एनपीए की पहचान करने और प्रावधान करने में उपयोग की जाने वाली प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का परीक्षण किया, जिसमें आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया शामिल है। • एनपीए की पहचान और आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के लिए प्रबंधन अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया। • अनर्जक आस्तियों के लिए पहचान और प्रावधान के लिए शाखा लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया। • हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान देखे गए अपवादों को विधिवत सुधारा गया है।

Sl. No.	Key Audit Matter	Auditor's Response to Key Audit Matter
1	<p><i>Adequacy of classification and provisions in respect of Advances.</i></p> <p>Advances are classified as performing and non-performing assets in accordance with the prudential norms issued by RBI. The bank has a system of auto-classification of advances as NPA in accordance with the RBI Guidelines. However the identification of NPA and creation of provision on such advances also involves key judgments relating to performance of borrowers, determination of security value, sources of repayment, application of regulatory conditions, etc.</p> <p>Accordingly, our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances due to involvement of management judgment and considering the materiality of the balances.</p>	<p>Principal Audit Procedures:</p> <p>We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over the key IT systems for the purpose of identification of non-performing assets and provisioning thereon. • Tested the relevant information technology systems used in identification and making provision for such NPA as per the RBI Guidelines including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. • Evaluated and tested the management estimates and judgments for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential Norms. • Considered branch audit reports for identification and provisioning for non-performing assets. • Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.



<p>2 बैंक द्वारा अगले लाभ से घाटा पूर्ति पर पहचानकृत अस्थगित कर परिसंपत्तियों का आकलन।</p> <p>अघोषित मूल्यहास या अगले लाभ से घाटा पूर्ति पर आस्थगित कर आस्तियों को केवल तब पहचाना जाना चाहिए जब कोई पुख्ता साक्ष्य द्वारा समर्थित एक आभासी निश्चितता हो कि भविष्य में कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर आस्तियों का एहसास किया जा सकता है। आभासी निश्चितता का निर्धारण, ठोस साक्ष्य के आधार पर निर्णय का विषय है।</p> <p>भविष्य की पर्याप्त कर योग्य आय की आभासी निश्चितता निर्धारित करने में प्रबंधन के अनुमान और निर्णय की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए इस मामले को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है।</p> <p>समेकित वित्तीय विवरणों को अनुसूची 19 के पैरा 10 का संदर्भ लें।</p>	<p>निष्पादित प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रिया :</p> <ul style="list-style-type: none"> • बैंक के कर योग्य मुनाफे और अतीत में भुगतान किए गए करों को ध्यान में रखते हुए, आयकर के तहत अगले लाभ से घाटा पूर्ति का विवरण प्राप्त किया और भविष्य की अवधि के लिए कर योग्य आय के अनुमानों का विवरण प्राप्त किया, जो कि आगे पूंजी अंतर प्रवाह के बिना, पुनर्गठन के विचार और ऐसे परिसंपत्तियों से अपेक्षित वसूली पर विचार किए बिना था जहां समाधान प्रक्रिया चल रही है। • उस अवधि का परीक्षण किया गया है जिस पर भविष्य में कर योग्य आय के खिलाफ ऐसे अघोषित नुकसान पर कर की संपत्तियां बरामद की जाएंगी। • भविष्य की कर योग्य आय का आकलन करने के लिए प्रबंधन की अंतर्निहित मान्यताओं और निर्णयों का परीक्षण किया गया, जिसके खिलाफ इस तरह के अनवशोषित हानियां वसूल की जाएंगी। • हमारी समझ के आधार पर विवादित मुद्दों के संभावित परिणाम और अगले लाभ से घाटा पूर्ति पर स्वीकार्य राशि पर हमने पिछले आयकर मूल्यांकन आदेशों, अनसुलझे कर मुद्दों और मुकदमेबाजी के तहत उनकी वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है। 	<p>2 <i>Assessment of Deferred tax assets recognized by the bank on carry forward of losses.</i></p> <p>Deferred tax assets on unabsorbed depreciation or carry forward of losses are to be recognized only when there is a virtual certainty supported by convincing evidence that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised. Determination of virtual certainty is a matter of judgment based on convincing evidence.</p> <p>Considering the involvement of management's estimation and judgment in determining virtual certainty of sufficient future taxable income being available this matter has been determined as a key audit matter.</p> <p>Refer Para 10 of Schedule 19 to the Consolidated Financial Statements.</p> <p>Principal Audit Procedures performed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considered the taxable profits of the bank and taxes paid in the past, obtained details of carry forward losses under income tax and details of estimates of taxable incomes for future periods without considering further capital infusion, of restructuring and without considering expected recoveries from assets where resolution proceedings are underway. • Tested the period over which the deferred tax assets on such unabsorbed losses would be recovered against future taxable income. • Tested the management's underlying assumptions and judgments in estimating the future taxable incomes against which such unabsorbed losses would be recovered. • We have reviewed past income tax assessment orders, unresolved tax issues and their current status under litigation, based on our understanding on the likely outcome of the issues on the dispute and the amount of allowable carry forward losses.
--	--	--

3	<p>वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयोग की गई प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली (फ्लेक्स क्यूब – ओरेकल आधारित)।</p> <p>बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं बड़ी मात्रा में लेनदेन के कारण आईटी प्रणालियों पर निर्भर हैं, जिन्हें दैनिक आधार पर संसाधित किया जाता है और इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामला माना जाता है।</p>	<p>प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया :</p> <p>हमने एक मूल्यांकन क्रियावित क्रिया और प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों, डेटाबेस और ऑपरेटिंग प्रणाली जो हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, की पहचान की और सीबीएस व फ्लेक्सक्यूब ट्रेजरी प्रणाली की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक होने की पहचान की।</p> <p>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण निम्नलिखित है :</p> <ul style="list-style-type: none"> • लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और आईटी नीतियों की समझ प्राप्त की। • आवेदन, अभिगम नियंत्रण सहित बैंक के बुनियादी आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की जो वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। • प्रमुख आईएस लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की और आईएस नियंत्रण के अनुपालन पर आईएस विभाग के साथ चर्चा की। • परीक्षण के आधार पर लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक प्रणाली जनित रिपोर्ट के लिए परीक्षण किए गए मुख्य स्वचालित और व्यावसायिक चक्र नियंत्रण और तर्क।
---	---	---

3	<p><i>Key Information technology (IT) systems (Flex Cube – Oracle based) used in financial reporting process.</i></p> <p>The Bank's operational and financial processes are dependent on IT systems due to large volume of transactions that are processed on daily basis and hence considered as a key audit matter.</p>	<p>Principal Audit Procedures:</p> <p>We conducted an assessment and identified key IT applications, databases and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS and Flexcube Treasury System primarily as relevant for financial reporting.</p> <p>Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and IT policies during the audit period. • Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's basic IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting. • Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IS Wing on compliance to key IS Controls. • Tested key automated and business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit on test check basis.
---	---	---

समेकित वित्तीय विवरणियों के प्रभार प्राप्त व्यक्तियों और प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

5. आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै) द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों सहित आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले इन समेकित

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements:

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its Associates and Jointly controlled entities in accordance with the accounting



वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक के निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं। बैंक के संबंधित निदेशक मंडल, समूह और उसके सहयोगियों में शामिल कंपनियाँ और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं; धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताएँ; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, जिसका उपयोग बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है, जैसा कि पूर्वोक्त है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, संबंधित कंपनियों के निदेशक मंडल, समूह और उसके सहयोगियों में शामिल हैं और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ समूह और उसके सहयोगियों की क्षमता का आकलन करने और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं को वर्तमान हितों के विषय के रूप में जारी रखने के लिए जिम्मेदार हैं, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू हो, वर्तमान हितों से संबंधित मामले और लेखांकन के हितों के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो समूह को समाप्त करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

समूह और उसके सहयोगियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसके सहयोगियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

6. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतियाँ

principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve bank of India ("RBI") from time to time. The respective Board of Directors of the Bank, Companies included in the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for assessing the ability of the Group and of its associates and jointly controlled entities to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and of its associates and jointly controlled entities.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in



धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उन्हें यथोचित रूप से इन समेकित वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद से की जा सकती है।

एसएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी:

- समेकित वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचान और उनका आकलन कर, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित कर, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरसाइड शामिल हो सकती है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के वर्तमान हितों के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और उसके सहयोगियों की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कर सकती है और संयुक्त रूप से नियंत्रित हो सकती है संस्थाओं को एक वर्तमान हितों के विषय के रूप में जारी रखने के लिए। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय वक्तव्यों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ एक चिंता का विषय बन सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associates and jointly controlled entities to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates and jointly controlled entities to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- समूह और उसके सहयोगियों के भीतर संस्थाओं या व्यवसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी और समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के बारे में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से समेकित वित्तीय वक्तव्यों में हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय वक्तव्यों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिन्हें अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किया गया है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी भी पहचान की गई गलत विवरणियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम होल्डिंग कंपनी के अभिशासन के साथ उन लोगों के साथ संवाद करते हैं और इस तरह की अन्य इकाइयां जो समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं, जिनके बारे में हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, अन्य मामलों के साथ, लेखा परीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष, किसी भी महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण में कमियां जो हम अपने लेखा परीक्षण के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी जो शासन प्रदान करते हैं एक विवरण प्रदान करते हैं कि जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और संबंधित सुरक्षा उपाय जहां लागू हो।

शासन प्रभारी से संसूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब,

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group and its associates and jointly controlled entities to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements

We communicate with those charged with governance of the Holding Company and such other entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure

अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक हित के लिए उचित रूप से अपेक्षित होगा।

about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

अन्य मामले

- हमने चार (4) अनुषंगी, और एक (1) संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2019 को कुल 16253.17 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्शाते हैं, कुल राजस्व 1194.33 करोड़ रुपए और शुद्ध नकदी समेकित वित्तीय वक्तव्यों में माना गया, उस वर्ष के लिए 101.16 करोड़ रुपये की राशि है। समेकित वित्तीय विवरणियों में समूह का हिस्सा भी शामिल है, जो 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए कुल लाभ का 89.02 करोड़ रुपये है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल है, एक (1) सहयोगी के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरणियों की हमने लेखा परीक्षा नहीं की है। इन वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय से सुसज्जित है, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संबंध में शामिल राशि और खुलासे से संबंधित है और हमारी रिपोर्ट में अब तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- हमने चार (4) अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय वक्तव्यों का लेखा-जोखा नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2019 तक के अनुसार 1117 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति, कुल राजस्व 90.04 करोड़ रुपये और शुद्ध नकद प्रवाह समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रुपये 14.43 करोड़ है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल है। समेकित वित्तीय वक्तव्यों में दो (2) अनुषंगी के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किए गए 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ / हानि का 59.89 करोड़ रुपये का समूह हिस्सा भी शामिल है, जिनके वित्तीय विवरण हमारे द्वारा लेखा परीक्षित नहीं हैं। इन वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षित नहीं किया गया है और प्रबंधन द्वारा हमें समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय से सुसज्जित किया गया है, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और खुलासे से संबंधित है, और अब तक की हमारी रिपोर्ट में यह

Other matters

- We did not audit the financial statements Four (4) subsidiaries, and one (1) jointly controlled entity, whose financial statements reflect total assets of ₹16253.17 crores as at 31st March, 2019, total revenues of ₹1194.53 crores and net cash outflows amounting to ₹101.16 crores for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit of ₹89.02 crores for the year ended 31st March, 2019, as considered in the consolidated financial statements, in respect of one (1) associate, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, jointly controlled entity and associate, and our report in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries, jointly controlled entities and associates, is based solely on the reports of the other auditors.
- We did not audit the financial statements Four(4) subsidiaries whose financial statements reflect total assets of ₹1117 crores as at 31st March, 2019, total revenues of ₹90.04 crores and net cash out flows amounting to ₹14.43 crores for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit/loss of ₹59.89 crores for the year ended 31st March, 2019, as considered in the consolidated financial statements, in respect of two (2) associates, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, jointly controlled entities and associates, and our report in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries,

उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और अनुषंगियों से संबंधित है, केवल इस तरह के अनधिकृत वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए भौतिक नहीं हैं।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है, जो प्रबंधन द्वारा प्रमाणित जानकारी, काम पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों और वित्तीय विवरणियों / वित्तीय रिपोर्ट पर निर्भर करती है।

9. समूह की एक अनुषंगी कंपनी केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लेखा परीक्षकों ने बताया है कि लाइफ पॉलिसी के लिए देयताओं का सक्रिय मूल्यांकन कंपनी की नियुक्त बीमांकक (नियुक्त बीमांकक) की जिम्मेदारी है। 31 मार्च, 2019 तक इन देनदारियों के बीमांकक मूल्यांकन सक्रिय पॉलिसी और ऐसी पॉलिसी जिसके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन देयता मौजूद है नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है। नियुक्त किए गए बीमांकक ने कंपनी को प्रमाणित किया है कि इस तरह के मूल्यांकन की धारणाएं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया द्वारा आईआरडीएआई के साथ सहमति में जारी दिशा-निर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। बाद में, संबंधित कंपोनेंट लेखा परीक्षक ने बताया है कि उन्होंने इस संबंध में नियुक्त किए गए बीमांकक के प्रमाणन पर भरोसा किया था और अब तक बीमांकक मूल्यांकन से संबंधित उनकी राय केवल नियुक्त बीमांकक के प्रमाणन पर आधारित है और इसे इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

10. समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ और हानि खाते को बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः फॉर्म "ए" और "बी" के रूप में तैयार किया गया है;

उपरोक्त पैराग्राफ में दर्शाई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 द्वारा आवश्यक और उसमें किए गए खुलासों की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

jointly controlled entities and associates, is based solely on such unaudited financial statements / financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the Management.

9. The auditors of Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd., a subsidiary of the Group have reported that the actuarial valuation of liabilities for life policies in force is the responsibility of the Company's Appointed Actuary (the Appointed Actuary). The actuarial valuation of these liabilities as at 31st March, 2019 for policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at that date has been duly certified by the Appointed Actuary. The Appointed Actuary has certified to the Company that the assumptions for such valuations are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI. Further, the concerned Component Auditor has reported that they had relied upon the Appointed Actuary's certificate in this regard and their opinion in so far as it relates to the actuarial valuation is based solely on the certificate of the Appointed Actuary and is not modified in respect of this matter

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in Form "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act 1949;

Subject to the limitations of the Audit indicated in the above paragraphs and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 and subject also to the limitations of disclosures therein, we report that:

(ए) हमने पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के प्रयोजनों के लिए उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की जो हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे।

(बी) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिस हद तक वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते डागलिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 000671S

(पी मनोहर गुप्ता)
साझेदार
सदस्य सं. 016444

कृते डी. के. छाजर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 304138E

(नीरज के झुनझुनवाला)
साझेदार
सदस्य सं. 057170

कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 001420S / द200034

(टी नागेन्द्रनाथ)
साझेदार
सदस्य सं. 226246

कृते एस एन के एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 109176W

(अंकित डी दानावाला)
साझेदार
सदस्य सं. 119972

(a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements.

(b) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI

For Dagliya and Co.
Chartered Accountants
FRN. 000671S

(P Manohara Gupta)
Partner
Membership Number 016444

For D.K. Chhajer & Co.
Chartered Accountants
FRN. 304138E

(Niraj K Jhunjhunwala)
Partner
Membership Number 057170

For Komandoor & Co LLP.
Chartered Accountants
FRN. 001420S/S200034

(T. Nagendranadh)
Partner
Membership Number 226246

For S N K & Co.
Chartered Accountants
FRN. 109176W

(Ankit D Danawala)
Partner
Membership Number 119972

स्थान : बंगलुरु
दिनांक : 22 मई, 2019

Place : Bengaluru
Date : May 22, 2019

असंशोधित विचार के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा


हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के समेकित वार्षिक वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में असंशोधित विचार शामिल हैं।

DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION

We hereby declare that Auditors Report on Consolidated Annual Financial Statement of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2019 contains unmodified opinion.



वी रामचंद्र
महा प्रबंधक व मुख्य वित्त
अधिकारी



आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी
अधिकारी



V RAMACHANDRA
GENERAL MANAGER &
CHIEF FINANCIAL OFFICER



R A SANKARA NARAYANAN
MANAGING DIRECTOR &
CEO

कृते डागलिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 000671S

(पी मनोहर गुप्ता)
साझेदार
सदस्य सं. 016444

कृते डी. के. छाजर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 304138E

(नीरज के झुनझुनवाला)
साझेदार
सदस्य सं. 057170

कृते कोमंदूर एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 001420S / S200034

(टी नागेंद्रनाथ)
साझेदार
सदस्य सं. 226246

कृते एस एन के एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 109176W

(अंकित डी दानावाला)
साझेदार
सदस्य सं. 119972

For Dagliya and Co.
Chartered Accountants
FRN. 000671S

(P Manohara Gupta)
Partner
Membership Number 016444

For D. K. Chhajer & Co.
Chartered Accountants
FRN. 304138E

(Niraj K Jhunjhunwala)
Partner
Membership Number 057170

For Komandoor & Co LLP.
Chartered Accountants
FRN. 001420S/S200034

(T. Nagendranadh)
Partner
Membership Number 226246

For S N K & Co.
Chartered Accountants
FRN. 109176W

(Ankit D Danawala)
Partner
Membership Number 119972

स्थान : बंगलूरु
दिनांक : 22.05.2019

Place : Bengaluru
Date : 22.05.2019

सेवा में,

निदेशक मंडल
केनरा बैंक
प्रका : बेंगलूरु

विषय : सीईओ / सीएफओ प्रमाणन – सेबी (एलओडीआर) विनियामक,
2015 का विनियम 17 (8)

बोर्ड द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि;

- क) हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों और नकद प्रवाह विवरणियों की समीक्षा की है और हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार:
- इन विवरणियों में कोई भौतिक रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं है या किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
 - ये विवरणियां बैंक के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती हैं।
- ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया है जो बैंक की आचार संहिता के अनुसार कपटपूर्ण, गैरकानूनी या उसका उल्लंघन है।
- ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की बनावट या परिचालन में कमियों का प्रकटन किया है, यदि कोई हो, जो हमें ज्ञात हो और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या ऐसा करने का प्रस्ताव है।
- घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है
- वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
 - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों के नोट में किया गया है; तथा

To,

The Board of Directors
Canara Bank
HO : Bengaluru.

Sub : CEO / CFO CERTIFICATION – REGULATION 17(8) OF
SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

This is to certify to the Board that;

- We have reviewed Consolidated financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2019 and that to the best of our knowledge and belief:
 - these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- We have indicated to the auditors and the Audit Committee
 - significant changes in internal control over financial reporting during the year.
 - significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and



(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण उदाहरण, जिनके बारे में हम जागरूक हैं, यदि कोई हो, इसमें शामिल है।

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

वी रामचंद्र
महा प्रबंधक एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी

आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

V RAMACHANDRA
GENERAL MANAGER &
CHIEF FINANCIAL OFFICER

R A SANKARA NARAYANAN
MANAGING DIRECTOR &
CEO

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 22.05.2019

Place : Bengaluru
Date : 22.05.2019

यथा दिनांक 31 मार्च 2019 को समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2019

	अनुसूची Schedule	यथा दिनांक 31.03.2019 को (₹ '000) As at 31.03.2019 (₹ '000)	यथा दिनांक 31.03.2018 को (₹ '000) As at 31.03.2018 (₹ '000)
पूँजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी / CAPITAL	1	753 24 48	733 24 48
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	36935 99 40	36164 44 69
अल्पांश ब्याज / MINORITY INTEREST	2ए / 2A	667 87 33	521 79 94
जमा / DEPOSITS	3	599123 01 68	524846 98 24
उधार / BORROWINGS	4	41042 63 92	38909 49 64
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	33260 03 89	30259 49 98
कुल / Total		711782 80 70	631435 46 97
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	29921 43 00	22102 41 52
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	36609 80 68	28122 18 65
निवेश / INVESTMENTS	8	168678 05 18	157443 56 36
अग्रिम / ADVANCES	9	428114 77 07	382074 57 89
स्थिर आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	8432 77 86	8335 30 05
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	40025 96 91	33357 42 50
कुल / Total		711782 80 70	631435 46 97
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	359265 17 26	293830 66 75
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		28847 91 53	26782 07 90

अरविंद कुमार
मंडल प्रबंधक
ए. मणिमखलई
कार्यपालक निदेशक

अमित मित्तल
सहायक महा प्रबंधक
देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एम. स्वामिनाथन
सहायक महा प्रबंधक
एम वी राव
कार्यपालक निदेशक

एम जी पंडित
उप महा प्रबंधक
आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

वी रामचंद्र
महा प्रबंधक
टी. एन. मनोहरन
अध्यक्ष

सुचीन्द्र मिश्रा
निदेशक

कृष्णमूर्ति एच
निदेशक

वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
डागलिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 0006715
पी मनोहर गुप्ता
साझेदार
सदस्य सं. 016444

कृते
कोमटूर एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 0014205 / S200034
टी नागेंद्रनाथ
साझेदार
सदस्य सं. 226246

कृते
डी. के. छाजर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 304138E
नीरज के झुनझुनवाला
साझेदार
सदस्य सं. 057170

कृते
एस एन के एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 109176W
अंकित डी दानावाला
साझेदार
सदस्य सं. 119972

स्थान : बंगलूरु
दिनांक : 22.05.2019

यथा दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

	अनुसूची Schedule	दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष हेतु (००० रुपये) For the Year ended 31.03.2019 (₹ '000)	दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु (००० रुपये) For the Year ended 31.03.2018 (₹ '000)
I. आय / I. INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	46896 71 63	41345 32 05
अन्य आय / OTHER INCOME	14	7372 41 63	7397 99 93
कुल / Total		54269 13 26	48743 31 98
II. व्यय / II. EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	32338 69 06	29112 90 11
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	11106 39 74	9837 80 79
प्रावधान और आकस्मिक व्यय PROVISIONS AND CONTINGENCIES		10276 89 48	13879 93 20
कुल / Total		53721 98 28	52830 64 10
सहयोगियों में आय की हिस्सेदारी SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES	17	148 90 79	214 77 84
अल्पांश ब्याज घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ CONSOLIDATED NET PROFIT FOR THE YEAR BEFORE DEDUCTING MINORITIES' INTEREST घटाएँ: अल्पांश ब्याज (निवल हानि) LESS: MINORITY INTEREST (NET LOSS)		696 05 77	(3872 54 28)
समूह के फलस्वरूप वर्ष के लिए समेकित लाभ / CONSOLIDATED PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO THE GROUP		94 20 49	78 85 23
III. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
निम्नांकित को अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE		86 76 00	-
पूँजी आरक्षित निधि / CAPITAL RESERVE		233 00 00	-
निवेश आरक्षित निधि / INVESTMENT RESERVE		-	-
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि / INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE		27 25 51	-
विशेष आरक्षित निधि / SPECIAL RESERVE		-	-
अंतरिम लाभांश / INTERIM DIVIDEND		-	-
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		-	-
लाभांश कर / DIVIDEND TAX		-	-
राजस्व व अन्य आरक्षित निधियों को अंतरित शेष BALANCE CARRIED OVER TO REVENUE AND OTHER RESERVES		254 83 77	-
कुल / Total		601 85 28	(3951 39 51)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	19		
प्रति शेयर अर्जन (मूल व तनुकृत) (रुपये में) / EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (₹ में / in ₹)		8. 18	(65. 95)

ARVIND KUMAR
DIVISIONAL MANAGER

A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

For DAGLIYA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 000671S

P Manohara Gupta
Partner
Membership No. 016444

AMIT MITTAL
ASST. GENERAL MANAGER

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

KRISHNAMURTHY H
DIRECTOR

For KOMANDOOR & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 001420S / S200034

T. Nagendranadh
Partner
Membership No. 226246

M SWAMINATHAN
ASST. GENERAL MANAGER

M. V. RAO
EXECUTIVE DIRECTOR

For D. K. CHHAJER & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 304138E

Niraj K Jhunjunwala
Partner
Membership No. 057170

M G PANDIT
DEPUTY GENERAL MANAGER

R A SANKARA NARAYANAN
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

For S N K & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 109176W

Ankit D. Danawala
Partner
Membership No. 119972

PLACE : BENGALURU
DATE : 22.05.2019

यथा दिनांक 31 मार्च 2019 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2019

	यथा 31.03.2019 को (‘००० रुपये) As at 31.03.2019 (₹ ‘000)	यथा 31.03.2018 को (‘००० रुपये) As at 31.03.2018 (₹ ‘000)
अनुसूची 1 – पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / Authorised Capital (10 रुपये प्रति शेयर के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर) (300,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each)	3000 00 00	3000 00 00
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त: / Issued, Subscribed and Paid up:		
i) केंद्र सरकार द्वारा धारित 10 रुपये प्रति शेयर के 53,19,44,775 इक्विटी शेयर पिछले वर्ष 10 रुपये प्रति शेयर के 53,19,44,775 इक्विटी शेयर i) 53,19,44,775 Equity Shares of ₹10/- each Previous year 53,19,44,775 Equity share of ₹10/- each held by Central Government	531 94 48	531 94 48
ii) अन्यो द्वारा धारित 10 रुपये प्रति शेयर के 20,13,00,000 इक्विटी शेयर पिछले वर्ष 10 रुपये प्रति शेयर के 20,13,00,000 इक्विटी शेयर ii) 22,13,00,000 Equity Shares of ₹10/- each Previous year 20,13,00,000 Equity Shares of ₹10/- each held by others.	221 30 00	201 30 00
	753 24 48	733 24 48
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserves	8401 42 00	8314 06 00
II. पूँजी आरक्षित निधि / Capital Reserves	2488 67 07	2255 67 07
III. समेकन पर पूँजी आरक्षित निधि / Capital Reserves on Consolidation	2 79 18	2 79 18
IV. शेयर प्रीमियम / Share Premium	12135 68 18	11598 40 18
V. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि / Foreign Currency Translation Reserve	166 64 72	181 73 48
VI. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / Revaluation Reserve	6448 17 37	6524 72 80
VII. निवेश आरक्षित निधि / Investment Reserve	565 80 00	565 80 00
VIII. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार विशेष आरक्षित निधि Special Reserve in terms of Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	4000 00 00	4000 00 00
IX. राजस्व और अन्य आरक्षित निधि / Revenue and Other Reserves	2726 80 88	2721 25 98
कुल / Total	36935 99 40	36164 44 69
अनुसूची 2ए - अल्पांश ब्याज / SCHEDULE 2A - MINORITIES INTEREST		
I. मूल-अनुषंगी संबंध स्थापित होने की तिथि पर अल्पांश ब्याज Minority Interest at the date on which the parent-Subsidiary relationship came into existence	110 15 12	110 15 12
II. अनुवर्ती वृद्धि / (घटाव) / Subsequent Increase / (Decrease)	557 72 21	411 64 82
कुल / Total	667 87 33	521 79 94



यथा दिनांक 31 मार्च 2019 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2019

	यथा 31.03.2019 को (‘००० रुपये) As at 31.03.2019 (₹ ‘000)	यथा 31.03.2018 को (‘००० रुपये) As at 31.03.2018 (₹ ‘000)
अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
ए.		
A. I. माँग जमा / DEMAND DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	344 07 88	267 03 87
ii. अन्यो से / FROM OTHERS	22920 95 07	24731 51 41
कुल / Total	23265 02 95	24998 55 28
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	151539 29 97	142054 64 07
कुल / Total	151539 29 97	142054 64 07
III. सावधि जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	30532 24 28	34856 28 93
ii. अन्यो से / FROM OTHERS	393786 44 48	322937 49 96
कुल / Total	424318 68 76	357793 78 89
कुल / TOTAL	599123 01 68	524846 98 24
बी.		
B. शाखाओं की जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	565847 04 91	485901 04 68
ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	33275 96 77	38945 93 56
कुल / Total	599123 01 68	524846 98 24
अनुसूची 4 – उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA	1950 00 00	11873 00 00
ii. अन्य बैंक / OTHER BANKS		176 46 94
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियाँ / OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	10663 63 00	277 11 25
iv. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	12749 30 00	13314 60 00
कुल / Total	25362 93 00	25641 18 19
II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / OTHER BANKS	15679 70 92	13268 31 45
ii. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण / SUB-ORDINATED DEBT)		
कुल / Total	15679 70 92	13268 31 45
कुल / TOTAL	41042 63 92	38909 49 64

यथा दिनांक 31 मार्च 2019 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2019

	यथा 31.03.2019 को (‘००० रुपये) As at 31.03.2019 (₹ ‘000)	यथा 31.03.2018 को (‘००० रुपये) As at 31.03.2018 (₹ ‘000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / BILLS PAYABLE	1610 37 84	1295 32 91
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	2284 74 18	1871 88 23
III. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	2195 98 21	2016 84 98
IV. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	27168 93 66	25075 43 86
कुल / Total	33260 03 89	30259 49 98
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष SCHEDULE 6-CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)	3206 08 37	2651 53 78
II भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT	26715 34 63	19450 87 74
कुल / Total	26715 34 63	19450 87 74
कुल / TOTAL	29921 43 00	22102 41 52
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / IN INDIA		
i. बैंकों में शेष / BALANCE WITH BANKS		
ए. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	247 71 71	235 35 85
बी. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	27 92 74	25 92 63
कुल / Total	275 64 45	261 28 48
ii. माँग और अल्प सूचना पर राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
ए. बैंकों में / a. WITH BANKS		200 00 00
बी. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	2500 00 00	1000 00 00
कुल / Total	2500 00 00	1200 00 00
कुल / TOTAL	2775 64 45	1461 28 48
II. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA		
i. चालू खातों में / i. IN CURRENT ACCOUNTS	11853 72 09	4799 66 90
ii. जमा खातों में / ii. IN DEPOSIT ACCOUNTS	13659 52 67	17247 60 48
iii. माँग और अल्प सूचना पर राशि / iii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	8320 91 47	4613 62 79
कुल / Total	33834 16 23	26660 90 17
कुल / TOTAL	36609 80 68	28122 18 65



यथा दिनांक 31 मार्च 2019 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2019

	यथा 31.03.2019 को ('००० रुपये) As at 31.03.2019 (₹ '000)	यथा 31.03.2018 को ('००० रुपये) As at 31.03.2018 (₹ '000)
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश : सकल INVESTMENTS IN INDIA: GROSS	168829 09 37	158456 85 14
घटाएं: मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI	2681 90 92	2355 69 31
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA	166147 18 45	156101 15 83
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ GOVERNMENT SECURITIES	138595 04 01	130733 14 17
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ OTHER APPROVED SECURITIES	1265 09 81	762 65 77
iii. शेयर SHARES	7587 34 42	7555 76 14
iv. डिबेंचर और बॉण्ड DEBENTURES AND BONDS	13559 17 88	12021 96 31
v. सहभागियों में निवेश INVESTMENTS IN ASSOCIATES	1353 57 88	1182 44 29
vi. अन्य (एमफ, वीसीएफ, सीडी, सीपी आदि) OTHERS (MFs, VCF, CDs, CP ETC.)	3786 94 45	3845 19 15
कुल / Total	166147 18 45	156101 15 83
II. भारत के बाहर निवेश- सकल INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS	2545 54 82	1358 94 93
घटाएं: मूल्यहास के लिए प्रावधान LESS : PROVISION FOR DEPRECIATION	14 68 09	16 54 40
भारत के बाहर निवल निवेश NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	2530 86 73	1342 40 53
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	1551 24 31	409 38 63
ii. अन्य OTHERS	979 62 42	933 01 90
कुल / Total	2530 86 73	1342 40 53
कुल / TOTAL	168678 05 18	157443 56 36

यथा दिनांक 31 मार्च 2019 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2019

	यथा 31.03.2019 को (‘००० रुपये) As at 31.03.2019 (₹ ‘000)	यथा 31.03.2018 को (‘००० रुपये) As at 31.03.2018 (₹ ‘000)
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
ए. A. i. खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	18983 46 21	16369 25 77
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर ऋण की चुकौती CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	178706 60 35	163487 67 06
iii. मीयादी ऋण / iii. TERM LOANS	230424 70 51	202217 65 06
कुल / Total	428114 77 07	382074 57 89
बी. B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋणों के एवज में अग्रिम सहित) / INCLUDING ADVANCES AGAINST BOOK DEBTS)	348913 67 95	305981 11 09
ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	10089 78 50	12076 67 39
iii. प्रतिभूति रहित / UNSECURED	69111 30 62	64016 79 41
कुल / Total	428114 77 07	382074 57 89
सी. C. i. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / PRIORITY SECTOR	179432 76 18	157880 94 20
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR	23179 34 65	18181 20 76
iii. बैंक / BANKS	4650 50 57	1454 45 54
iv. अन्य / OTHERS	195689 46 52	175252 29 65
कुल / Total	402952 07 92	352768 90 15
II. भारत से बाहर अग्रिम / ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i. बैंकों से देय / Due from Banks		
ii. अन्य से देय / Due from Others		
(ए) खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल (a) BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	12069 55 64	9584 08 43
(बी) मीयादी / समूहन ऋण / (b) TERM / SYNDICATED LOANS	8038 08 59	6033 65 58
ग. अन्य / (c) OTHERS	5055 04 92	13687 93 73
कुल / Total	25162 69 15	29305 67 74
कुल / TOTAL	428114 77 07	382074 57 89



यथा दिनांक 31 मार्च 2019 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2019

	यथा 31.03.2019 को (‘००० रुपये) As at 31.03.2019 (₹ ‘000)		यथा 31.03.2018 को (‘००० रुपये) As at 31.03.2018 (₹ ‘000)	
अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS				
I. परिसर / PREMISES				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर / मूल्यांकन / AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	8036 87 83		6759 31 65	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	139 58 91		5 22 32	
	8176 46 74		6764 53 97	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन REVALUATION MADE DURING THE YEAR			1272 43 02	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	7 42		9 16	
	8176 39 32		8036 87 83	
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	927 40 49	7248 98 83	839 76 71	7197 11 12
II. अन्य अचल आस्तियाँ / OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और जुड़नार सहित) (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	3943 04 52		3663 07 55	
वर्ष के दौरान परिवर्धन ADDITIONS DURING THE YEAR	399 69 54		335 32 74	
	4342 74 06		3998 40 29	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	156 79 24		55 35 77	
	4185 94 82		3943 04 52	
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	3006 26 66	1179 68 16	2809 29 04	1133 75 48
III. पट्टागत आस्तियाँ / LEASED ASSETS				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	80 18 28		90 91 12	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	61 79		1 08 12	
	80 80 07		91 99 24	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	49 41		11 80 96	
	80 30 66		80 18 28	
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	75 85 79		74 32 59	
	4 44 87		5 85 69	
घटाएं : पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	34 00	4 10 87	1 42 24	4 43 45
IV. प्रवर्तमान पूंजी / CAPITAL WORK IN PROGRESS				
कुल / Total		8432 77 86		8335 30 05

यथा दिनांक 31 मार्च 2019 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2019

	यथा 31.03.2019 को (‘००० रुपये) As at 31.03.2019 (₹ ‘000)	यथा 31.03.2018 को (‘००० रुपये) As at 31.03.2018 (₹ ‘000)
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	5239 63 09	4832 48 12
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/ स्रोत पर कर कटौती (निवल) TAX PAID IN ADVANCE / TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)	15672 04 85	7313 47 77
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प STATIONERY AND STAMPS	4 99 09	2 54 15
IV. दावों के निपटान में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियाँ NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS	75 85 55	13 45 59
V. अन्य / OTHERS	15645 54 07	15376 43 92
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ / DEFERRED TAX ASSETS	3387 90 26	5819 02 95
कुल / Total	40025 96 91	33357 42 50
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	14080 56 35	7893 31 22
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयताएं LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS	36 00	75 06
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS	275252 65 18	219287 58 69
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS		
ए. भारत में / a. IN INDIA	38634 35 94	39689 73 28
बी. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	205 64 00	198 66 33
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	38839 99 94	39888 39 61
VI. अन्य मद जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है / OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE	28919 42 55	24853 90 47
ए. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED	-	-
बी. अन्य / b. OTHERS	2172 17 24	1906 71 70
कुल / Total	2172 17 24	1906 71 70
	359265 17 26	293830 66 75

यथा दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

	यथा दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष हेतु (‘००० रुपये) For the Year ended 31.03.2019 (₹ ‘000)		यथा दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु (‘००० रुपये) For the Year ended 31.03.2018 (₹ ‘000)	
अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED				
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट INTEREST/DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS		34309 06 59		29101 56 03
II. निवेशों से आय / INCOME ON INVESTMENTS		11018 60 23		10484 73 11
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों में शेषराशि पर ब्याज / INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS		833 94 51		653 83 68
IV. अन्य / OTHERS		735 10 30		1105 19 23
कुल / Total		46896 71 63		41345 32 05
अनुसूची 14 – अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME				
I. कमीशन, विनिमय और दलाली COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE		1132 29 10		1087 46 20
II. निवेशों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS				
लाभ / PROFIT	419 17 03		1934 17 82	
घटाएं: हानि / LESS : LOSS	-	419 17 03	-	1934 17 82
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ PROFIT ON REVALUATION OF INVESTMENTS		-		
घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि LESS: LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS	79 56	(79 56)		
IV. भूमि / भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF LAND / BUILDINGS AND OTHER ASSETS				
लाभ / PROFIT	-		11	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	2 86 71	(2 86 71)	4 53 01	(4 52 90)
V. विनिमय लेन-देन से लाभ PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS				
लाभ / PROFIT	634 12 04		538 87 26	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	-	634 12 04	-	538 87 26
VI. लाभांश के माध्यम से अर्जित आय INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND		43 83 26		49 52 78
VII. विविध आय / MISCELLANEOUS INCOME		5146 66 47		3792 48 77
कुल / Total		7372 41 63		7397 99 93
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED				
I. जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS		30101 85 02		27136 51 34
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA / INTERBANK BORROWINGS		1055 11 24		724 56 91
III. अन्य / OTHERS		1181 72 80		1251 81 86
कुल / Total		32338 69 06		29112 90 11

यथा दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR
ENDED 31ST MARCH 2019

	यथा दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष हेतु (‘००० रुपये) For the Year ended 31.03.2019 (₹ ‘000)	यथा दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु (‘००० रुपये) For the Year ended 31.03.2018 (₹ ‘000)
अनुसूची 16- परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	5962 84 44	5699 34 97
II. किराया, कर, बिजली / RENT, TAXES, LIGHTING	1019 83 57	951 22 41
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / PRINTING AND STATIONERY	56 44 36	60 78 47
IV. विज्ञापन व प्रचार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	73 58 30	61 97 37
V. बैंक की संपत्ति में मूल्यहास / DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY	428 83 17	456 32 62
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय DIRECTORS FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	67 07	82 56
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) / AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDING BRANCH AUDITORS' FEES AND EXPENSES)	68 23 22	78 85 24
VIII. विधि प्रभार / LAW CHARGES	72 37 65	64 01 28
IX. डाक, तार, दूरभाष आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC	58 50 03	52 38 73
X. मरम्मत और अनुरक्षण / REPAIRS AND MAINTENANCE	321 80 58	286 75 18
XI. बीमा / INSURANCE	495 03 56	445 58 43
XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE	2548 23 79	1679 73 53
कुल / Total	11106 39 74	9837 80 79
अनुसूची 17 - सहभागियों में (हानि) / आय की हिस्सेदारी SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS / (LOSS) IN ASSOCIATES		
I. केनफिन होम्स लिमिटेड / CANFIN HOMES LTD	89 02 11	90 53 23
II. कॉमनवेल्थ ट्रस्ट इंडिया लिमिटेड COMMONWEALTH TRUST INDIA LTD	--	--
III. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / REGIONAL RURAL BANKS		
ए. प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक A. PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK	28 44 64	75 91 83
बी. केरल ग्रामीण बैंक B. KERALA GRAMIN BANK	31 44 04	48 32 78
कुल / Total	148 90 79	214 77 84



अनुसूची- 18

यथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

[1] क. समेकित वित्तीय विवरणी तैयार करने का आधार:

बैंक (प्रधान), इनके अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों (समूह) की समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किया गया है और अन्यथा किये गये वक्तव्यों को छोड़कर भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, संबंधित सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक अपेक्षाओं/ दिशानिर्देशों, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई लेखांकन मानकों और संबंधित उद्योग / कारोबार के प्रचलित प्रथाओं के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्यों के अनुरूप है।

ख. अनुमानों का उपयोग:

समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करने वाली राशि के संबंध में वित्तीय विवरणी के तारीख को अनुमानों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण हैं। तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों के किसी भी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य में मान्यता दी गई है।

[2] समेकन प्रक्रिया:

2.1 समूह (8 अनुषंगियों, 3 सहबद्ध संस्थाओं तथा 1 संयुक्त उद्यम) के समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी निम्नलिखित के आधार पर की गई:

(क) केनरा बैंक (प्रधान) के लेखापरीक्षित लेखा।

(ख) बैंक और उसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरणी एक रूपी लेखा नीतियों के अनुरूप होने के लिए आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी राशियों को एक जोड़कर अंतरासामूहिक लेन देनों और उगाही नहीं किए गये लाभ / हानि को हटाने के बाद और जहाँ कहीं आचरणीय हो आवश्यक परिवर्तन करके पंक्ति दर पंक्ति आधार पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक (ले मा) 21 (समेकित वित्तीय विवरणी) के अनुरूप तैयार किये गये हैं।

SCHEDULE – 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

[1] (a) Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements :

The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Group) are drawn up on historical cost convention and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, applicable statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority, Companies Act, 2013, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevalent market practices, in the respective industry / business except as otherwise stated.

(b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized in current and future periods.

[2] Consolidation procedure:

2.1 CFS of the Group [comprising of Eight (8) Subsidiaries, Three (3) Associates and One (1) Joint Venture] have been prepared on the basis of:

(a) Audited accounts of Canara Bank (Parent).

(b) Line by line aggregation of each item of asset / liability / income / expense of the Subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit / loss and making necessary adjustments wherever required for all significant non-uniform accounting policies as per Accounting Standard (AS) 21 (Consolidated Financial Statements) issued by ICAI.

(ग) सहबद्ध संस्थाओं में की गई दीर्घावधि निवेश के लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई लेखांकन मानक-23 (सहबद्ध संस्थाओं में निवेशों की लेखांकन के लिए समेकित वित्तीय विवरणी) द्वारा सहबद्ध संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया है। सहबद्ध संस्थाओं के परिचालन परिणामों के निवेशक के हिस्से को समेकित लाभ व हानि विवरणी में अलग से दर्शाया गया है।

(घ) संयुक्त उद्यम के मामले में "समनुपातिक समेकन पद्धति" में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक 27 (संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग) के अनुसार समेकित किया गया है।

2.2 समेकित वित्तीय परिणाम में अल्पसंख्यक हित से तात्पर्य अनुषंगियों में निवल ईक्विटी / लाभ में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हिस्से से है।

2.3 अनुषंगियों में उसके निवेशों के साथ प्रधान संस्था की लागत तथा अनुषंगियों के ईक्विटी में प्रधान के हिस्से के बीच के अंतर को मामलानुसार साख / पूँजी आरक्षित निधि के रूप में परिकलन किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो।

[3] विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन :

3.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं को काल्पनिक दरों पर प्रारंभिक तौर पर अभिलेखित किया गया है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं को भारतीय विदेशी मुद्रा विक्रेता संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित दरों पर बहाल किया गया है। त्रैमासिक दरों पर ऐसी वस्तुओं की बहाली से जुटने वाले विनिमय अंतर को लाभ-हानि खाते में समाविष्ट किया गया है।

3.2 विदेशी शाखा के संबंध में लेनदेनों एवं शेषों को अभिन्न विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लेन-देनों तथा शेष राशि को बैंक (प्रधान) द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है।

3.3 परिसंपत्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण विदेशी विनिमय दरों को भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में घोषित किया जाता है। विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 11- "विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तन के प्रभाव" के अनुरूप एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, उक्त मानकों के अनुपालन के संदर्भ में 'फेडाई' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत दर पर अंतरित किया जाता है।

(c) Long Term Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard (AS) 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the Audited Financial Statements of the Associates. The investor's share of the result of the operations of the Associates is reflected separately in the Consolidated Profit & Loss Account.

(d) Interests in Joint Ventures are consolidated on 'Proportionate consolidation method' as prescribed in Accounting Standard (AS) 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) issued by ICAI.

2.2 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.

2.3 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill / capital reserve as the case may be.

[3] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

3.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit & Loss Account.

3.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the Bank (Parent) on quarterly basis.

3.3 Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter and Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 (The effect of Changes in Foreign Exchange rates) issued by the ICAI and as per the guidelines of RBI regarding the compliance of the said standard.

परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षिति में जमा / नामे किया जाएगा।

3.4 वायदा विनिमय संविदाएं :

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या भुनन को व्यय या संविदा पर होनेवाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनन सहित असामयिक रद्दकरण पर होनेवाले लाभ / हानि, यदि है तो, को समाप्ति तारीख पर मान्यता दी गई। वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, पर लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई।

3.5 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन अंतिम फेडाई दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

[4] निवेश

4.1 निवेशों का संवर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे 'परिपक्वता के लिए धारित' (एचटीएम), 'बिक्री के लिए धारित' (एएफएस) और 'व्यापार के लिए धारित' (एचएफटी) जिसे प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय पर निर्धारित किया गया है।

निवेशों को तुलन-पत्र में छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है जैसे (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बांड (ड) अनुषंगियाँ तथा संयुक्त उद्यम और (च) अन्य

4.2 निवेशों के अधिग्रहण लागत को निर्धारित करने के लिए:

क) प्रतिभूतियों की खरीदी के समय उनसे संबंधित दलाली, कमीशन आदि जैसे लागतों को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

ख) अधिग्रहण / निपटान तारीख तक ऋण लिखतों पर खंडित अवधि ब्याज को राजस्व के रूप में माना जाता है।

4.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है :

(क) परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम)

अवधि समाप्ति हेतु धारित संवर्ग के अंतर्गत निवेश पर अभिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो उसके आधार पर

The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

3.4 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Loss arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on forward contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

3.5 Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

[4] Investments

4.1 Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the Parent is classified under three categories viz. 'Held to Maturity (HTM)', 'Available for Sale (AFS)' and 'Held for Trading (HFT)'. Such classification is decided at the time of acquisition of securities.

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities, (b) Other approved securities, (c) Shares, (d) Debentures & Bonds, (e) Investments in Associates and (f) Others.

4.2 In determining the acquisition cost of investment:

(a) Cost such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.

(b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

4.3 The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

(a) Held to Maturity (HTM)

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any,



किया जाना है। अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्य में कोई भी स्थायी ह्रास हो तो उसका पूर्णतः प्रावधान किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और अन्य न्यासी श्रेयों में निवेशों को लागत मूल्य पर रखा जाता है।

वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में दिनांक 23.08.2006 के बाद की गई निवेशों को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है। संवितरण की तारीख से तीन साल की अवधिक के बाद इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबै) के दिशानिर्देशों के अनुसार एफएस में व बाज़ार के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस)

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेश त्रैमासिक आधार पर बाज़ार मूल्य के लिए बही में अंकित है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख (तुलन पत्र तारीख) को उपलब्ध बाज़ार दरों पर जो स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार / उद्धृत, भारतीय व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उद्धृत नहीं की गई प्रतिभूति भी मूल्यांकित की जाती है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत प्रत्येक वर्ग के संबंध में निवल मूल्यह्रास उपलब्ध किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि नकारा जाता है। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाज़ार के लिए अंकित किए जाने पर बही मूल्य को कोई परिवर्तन नहीं होता है।

तीन वर्षों की अवधि के पश्चात वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में अंतरित एचटीएम श्रेणी के इकाइयों को [उक्त पैरा 4.3(क) का संदर्भ लें] वेंचर पूँजी निधियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर मूल्यांकित किया जाता है। यदि 18 महीनों के लिए ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी उपलब्ध नहीं है तो, इकाइयों को ₹1 प्रति वेंचर पूँजी निधि के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

(ग) व्यापार हेतु धारित (एचएफटी)

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेशों को बाज़ार कोट, भारतीय व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के अनुसार साप्ताहिक आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत निवल मूल्यह्रास को मान्यता दी गई तथा संवर्धन, यदि कोई है तो, नकारा गया।

over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

Investments in Associates are valued under equity method. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee Shares are valued at carrying cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines

(b) Available for Sale (AFS)

Investments classified under this category are marked to market on quarterly basis and valued as per RBI guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades / quotes on the stock exchanges, prices / yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the RBI guidelines.

The net depreciation under each category / classification is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after these are valued at Mark-to-Market basis.

Units of Venture Capital Funds (VCF) transferred from HTM category after a period of three years [Refer para 4.3 (a) above] are valued at Net Asset Value (NAV) as per the audited financial statements of Venture Capital Funds. In case such audited financial statements are not available continuously for 18 months as on the date of valuation, units are valued at ₹1 per VCF.

(c) Held for Trading (HFT)

Investments classified under this category are valued at rates based on market quotations, price / yields declared by FIMMDA on a weekly basis.

The net depreciation under each security held is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual



प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाज़ार के लिए अंकित किए जाने पर बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

4.4 एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में शेयरों का अंतरण निम्नानुसार किया जाता है:

(क) परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस) / व्यापारके लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी को अंतरण अधिग्रहण मूल्य / बही मूल्य पर किया जाता है। एच टी एम श्रेणी के तहत निवेशों को मूल रूप से प्रीमियम पर रखा जाता है तो परिशोधित लागत पर अंतरण किया जाता है।

(ख) ए एफ एस / एच एफ टी श्रेणी से एच टी एम श्रेणी में अंतरण बही मूल्य या बाज़ार मूल्य के निम्न मूल्य पर किया जाता है।

(ग) ए एफ एस से एच टी एम श्रेणी या इसके विपरीत को रखाव लागत पर अंतरित किया जाता है। उपचित मूल्यहास, यदि कोई है तो, एच एफ टी प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यहास के लिए प्रावधान को अंतरित किया जाता है।

4.5 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (प्रकं / पुकं) को बैंक द्वारा बेची गयी अनर्जक निवेश वित्तीय आस्तियों के मामले में प्रकं / पुकं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य में से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर इनके विक्रय या वसूली तक किया जाता है और ऐसे विक्रय / वसूली पर हानि या लाभ निम्नानुसार पेश किया जाता है :

(क) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर है तो, तदसंबंधी कमी को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समाविष्ट दिया जाता है।

(ख) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से उच्च मूल्य पर है तो, अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं किया जाता है, लेकिन प्रकं / पुकं को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय से होने वाली कमी / हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है।

4.6 तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल किए गए प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ ब्याज / मूल राशि एक निर्धारित अवधि के लिए बकाया है तो अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे प्रतिभूतियों पर ब्याज आय की गणना नहीं की जाती है तथा निवेशों के मूल्य पर आवश्यक हास / प्रावधान बनाया जाता है। ऐसे अनर्जक निवेशों के प्रति मूल्यहास को अन्य अर्जक आस्तियों के प्रति मूल्यवृद्धि से समंजन नहीं किया जाता है।

4.7 निवेश की बिक्री पर लाभ

‘बिक्री के लिए उपलब्ध’ तथा ‘व्यापार के लिए धारित’ श्रेणियों के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ को लाभ व हानि खाते में परिकलित किया जाता है।

securities does not undergo any change after “marked to market”.

4.4 Transfer of scrips from one category to another is carried on the following basis:

(a) HTM to AFS / HFT category at acquisition price / book value. In case the investments under HTM category are placed at premium originally the transfer is made at amortised cost.

(b) AFS / HFT to HTM category at lower of the book value or market value.

(c) AFS to HFT category or vice versa, at the carrying value. The accumulated depreciation, if any, to be transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice versa.

4.5 Non Performing Investments Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC / RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC / RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt or the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above until its sale or realisation and on such sale or realisation, loss or gain is dealt with as below:

(a) If sale is at a price below Net Book Value (NBV), the shortfall is recognised as per Reserve Bank of India guidelines.

(b) If the sale is for a value higher than NBV, the excess provision is not reversed but utilized to meet shortfall / loss on account of sale of other financial assets to SC / RC.

4.6 Non-Performing Investments Securities included in any of three categories where interest / principal is in arrears for a specified period, are classified as Non-Performing Investment. Interest Income on such securities is not reckoned and appropriate depreciation / provision in value of Investments is made. Depreciation in respect of such Non-Performing Investments is not set off against appreciation in other performing securities.

4.7 Profit on sale of Investments

Profit on sale of Investments in respect of ‘Available for Sale’ and ‘Held for Trading’ categories is recognized in Profit & Loss Account.



‘परिपक्वता के लिए धारित’ श्रेणी के संबंध में निवेशों की बिक्री पर उपलब्ध लाभ को प्राथमिक तौर पर लाभ व हानि खाते में लिया जाता है तथा लाभ की समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित निधि (कर व आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली राशि का निवल) में विनियोजित किया जाता है।

सभी तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हानि को लाभ व हानि खाते में परिकल्पित किया गया है।

4.8 रेपो / प्रति रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

रेपो / प्रति रेपो के तहत सहमत शर्तों पर एलएएफ के साथ एक करार के साथ खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों की पुनःखरीद / पुनर्बिक्री को उधार के रूप में लेखांकित किया जाएगा।

रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के तहत दिखाया जाता है और रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। यथास्थिति अनुसार, लागत और राजस्व का ब्याज व्यय / आय के रूप में गणना की जाती है।

[5] व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक (प्रधान) ब्याज दर अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों में व्यवहार करता है। बैंक (प्रधान) द्वारा व्यवहार किये जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नियों रुपया ब्याज दर अदला-बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार है। बैंक (प्रधान) द्वारा व्यवहार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां विकल्प और मुद्रा अदला-बदली है।

ऐसे व्युत्पन्नी संविदाओं को निम्नानुसार मूल्यंकित किया जाता है:

(क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियां बाजार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यहास की पहचान की गई है तथा निवल मूल्यवृद्धि को नकारा गया है।

(ख) प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नियां निम्नानुसार हैं:

- (i) बाजार के लिए अंकित नहीं की जाती है, जब तक आधारभूत आस्तियां / देयताएं बाजार के लिए अंकित नहीं की गयी हैं।
- (ii) प्रतिरक्षा अदला-बदली के लिए उपचित आधार पर आय / व्यय का लेखा किया गया।

[6] अग्रिम

6.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में संवर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार प्रावधान किए गए हैं।

Profit on sale of Investments in respect of ‘Held to Maturity’ category is first taken to the Profit & Loss Account and an equivalent amount of Profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

Loss on sale of Investments in all the three categories is recognized in Profit & Loss Account.

4.8 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

Securities sold / purchased with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo / Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing / Lending.

Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

[5] Derivative contracts

The Bank (Parent) deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank (Parent) are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank (Parent) are Options and Currency Swaps.

Such derivative contracts are valued as under:

- (a) Derivative contracts dealt for trading are valued on mark-to-market basis, net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.
- (b) Derivative contracts undertaken for hedging are:
 - (i) Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market.
 - (ii) Income / Expenditure is recognized on accrual basis for Hedging Swaps.

[6] Advances

6.1 Advances are classified as Performing and Non-Performing Assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.



- 6.2 अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में संवर्गीकृत किया गया है।
- 6.3 अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू अग्रिमों हेतु प्रावधान किए गए हैं।
- 6.4 विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय विनियम / उस देश के नियमों, जो भी अधिक कड़े हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार किए गए हैं।
- 6.5 तुलन पत्र में बताए गए अग्रिम अनर्जक आस्तियों, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और पुनर्भुनाई के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं।
- 6.6 अनर्जक अग्रिमों में किए गए आशिक वसूलियों का समायोजन प्रथमतः प्रभार व ब्याज, तत्पश्चात समझौता निपटान / 'कालातीत ऋणों' के मूल धन के प्रति किया जाता है। वसूलियों को प्रथमतः मूल धन के साथ समायोजित किया जाता है।
- 6.7 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्यांकन, आय निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
- 6.8 एनपीए पर निर्दिष्ट प्रावधान के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबै) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं।

[7] अचल परिसंपत्तियां

- 7.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भूमि संपत्ति दोनों शामिल हैं। सभी अचल परिसंपत्तियों का पूंजीयन उसके उपयोग की तिथि के आधार पर किया जाता है।
- 7.2 भूमि व परिसर को पुनर्मूल्यन लागत और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खातों में जमा किया जाता है। संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यहास / परिशोधन को लाभ व हानि खाते के नामे किया जाएगा। पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों से राजस्व आरक्षित निधियों को समतुल्य राशि हस्तांतरित की गई है।

[8] मूल्यहास

8.1 प्रधान:

- 8.1.1 कंप्यूटरों को छोड़कर, अचल परिसंपत्तियों को मूल्यहासित मूल्य पद्धति के तहत तत्संबंधी परिसंपत्ति के उपयोग्य जीवन पर परिकलित मूल्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों

- 6.2 Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.
- 6.3 Provisions for Domestic Advances are made for Performing / Non-Performing Advances in accordance with the RBI Guidelines.
- 6.4 Provisions for performing / non-performing advances with foreign branches are made as per regulations of host country or according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.
- 6.5 Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non-Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and rediscount.
- 6.6 Partial recoveries in Non-Performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal with the exception of Non-Performing advances involving compromise settlements / 'Loan Past Due' advances, where the recoveries are first adjusted towards principal.
- 6.7 In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation and income recognition are done as per RBI guidelines.
- 6.8 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines.

[7] Fixed Assets

- 7.1 The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalized based on the date of put to use.
- 7.2. Land and Premises are stated at revalued cost and other fixed assets are stated at historical cost. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value have been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

[8] Depreciation

8.1 Parent:

- 8.1.1 Fixed Assets are depreciated under Straight line Method at the rates determined by the management on the basis of estimated useful life



के अनुसार मूल्यहास किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंप्यूटरों पर मूल्यहास को सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% प्रभारित करते हुए किया जाता है।

8.1.2 3 वर्ष या 5 वर्ष (उदाहरण कम्प्यूटर, सर्वर और ए टी एम इत्यादि) अनुमानित प्रयोज्य जीवन वाली परिसंपत्तियों को छोड़कर जहां आस्तियों का कुल लागत प्रयोज्य अवधि से परिशोधित हो सभी परिसंपत्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है।

8.1.3 पूंजीकरण का अचल परिसंपत्तियों पर वर्ष में मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए वसूल की जाए यदि परिसंपत्ति का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान 180 दिनों से अधिक के लिए किया गया हो अन्यथा लागू दर के 50% हो। बिक्री / निपटान के वर्ष में कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया गया है।

8.1.4 पट्टाधृत परिसंपत्तियों पर प्रदत्त प्रीमियम उस पूरी पट्टाधृत अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है। पट्टाधृत भूमि की लागत और पट्टाधृत सुधार पट्टे की अवधि में संशोधित किए जाते हैं।

8.1.5 विदेशी कार्यालयों में आयोजित अचल संपत्तियों के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों / मानदंडों के अनुसार मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

8.2 अनुषंगियां:

(क) घरेलू अनुषंगियों की स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची लल्ल के तहत निर्धारित दरों पर किया गया।

(ख) सॉफ्टवेयर खरीदी / विकास तथा लाइसेंस लागत आदि जैसे अमूर्त आस्तियों के मूल्यहास सीधी लाइन आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोज्य जीवन के अनुसार सॉफ्टवेयर के प्रथम उपयोग से अधिकतम 3 वर्षों के लिए मूल्यहासित किया गया है।

(ग) पट्टेदारी परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित पद्धति और दरों पर या करारों के अनुसार पट्टेदारी की पूरी प्राथमिक / द्वितीयक अवधि के लिए पट्टेदारी किरायों को वर्ष के दौरान संचित पट्टेदारी किरायों का अनुपात, दोनों में जो अधिक हो उस दर पर किया गया है।

8.3 विदेशी कार्यालयों में स्थित स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यहास संबंधित देश के विनियमन / मानदंडों के अनुसार किया गया है।

of the respective assets except for the Computers where as per the guidelines of RBI, depreciation is charged under straight line method at 33.33%.

8.1.2 5 percent residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life of 3 years or 5 years (Eg. computer, Servers and ATMs etc), where the entire cost of the asset is amortized over the useful life.

8.1.3 Depreciation on fixed assets in the year of capitalization is charged for the full year if the asset is used for more than 180 days during that financial year; else it is provided at 50 percent of the applicable rate. No depreciation is provided for in the year of sale/disposal.

8.1.4 Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period. Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease

8.1.5 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries

8.2 Subsidiaries:

(a) Fixed Assets of the domestic subsidiaries are depreciated as provided in the Schedule II of the Companies Act, 2013

(b) Intangible assets comprising of software purchase / developed and licensing cost are depreciated on straight-line method over the useful life of the software upto a maximum of 3 years commencing from the date on which software is first utilized.

(c) In respect of leased assets depreciation is charged either as per the method and rates prescribed under the Companies Act, 2013 or in the ratio of lease rentals accrued during the year to lease rentals for the entire primary / secondary period of the lease, as per agreements, whichever is higher.

8.3 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries.



[9] आस्तियों का अपक्षयन:

प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को किसी आस्ति की अपक्षयन का संकेत है या नहीं का एक निर्धारण किया जाता है। यदि कोई संकेत पाया जाता है तो वसूली योग्य राशि का एक अनुमान बनाया जाता है तथा यदि कोई अपक्षयन है तो, प्रावधान किया जाता है।

[10] राजस्व का परिकलन:

निम्नलिखितों को छोड़कर आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया उपचित आधार पर किया जाता है।

- (क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों तथा अनर्जक निवेशों पर ब्याज को समाविष्ट किया गया।
- (ख) अतिदेय बिलों, कमीशन (सरकारी कारोबार के अलावा), विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराया पर ब्याज की गणना वसूली पर की गई है।
- (ग) लाभांश की गणना तब की जाएगी जब उसको प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाएगा।
- (घ) जहां तक बैंक के विदेशी कार्यालयों का संबंध है, आय और व्यय को उस देश के स्थानीय कानूनों के अनुसार गणना की जाती है जिसमें संबंधित विदेशी कार्यालय स्थित है।
- (ङ) मुकदमा दायर किए गए लेखों के मामले में संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा तथा वसूली पर उसकी गणना आय के रूप में की जाएगी।

[11] जीवन बीमा कंपनी:

(क) प्रीमियम:

पॉलिसी धारकों से वसूली की तार्किक निश्चितता है तो, देय प्रीमियम को आय के रूप में परिकलित किया गया है। इकाई संबद्ध कारोबार के लिए इकाइयों के आबंटन पर आय को परिकलित किया गया है। व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को पॉलिसियाँ बहाल होने पर आय के रूप में परिकलित किया गया है। प्रीमियम को जीएसटी / सेवा कर के निवल के रूप में परिकलित किया गया है। टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में माना गया है।

(ख) संबद्ध कारोबार से आय:

निधि प्रबंधन प्रभार, प्रशासनिक प्रभार, मृत्यु दर प्रभार और अन्य प्रभार उत्पाद विशेषताओं के अनुसार संबद्ध निधियों से पॉलिसी के नियम व शर्तों के आधार पर वसूल किया जाता है तथा देय होने पर परिकलित किया जाता है।

[9] Impairment of Assets:

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

[10] Revenue Recognition:

Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

- (a) Interest on Non-Performing advances and Non-Performing Investments is recognized as per norms laid down by the RBI.
- (b) Interest on overdue bills, Commission (other than Government business), Exchange, Brokerage and rent on lockers are accounted on realization.
- (c) Dividend is accounted when the right to receive the same is established.
- (d) As regards Bank's foreign offices, income and expenditure are recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- (e) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

[11] Life Insurance Company:

(a) Premium:

Premium is recognised as income when due from policy holders, if there is a reasonable certainty of collectability. For unit linked business, income is recognized when the units are allocated. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Premiums are recognized net of GST / service tax. Top-up premium is considered as single premium.

(b) Income from Linked Business:

Fund management charges, administrative charges, mortality charges and other charges as per the product feature are recovered from linked funds in accordance with terms and conditions of policies and are recognized when due.



(ग) पुनर्बीमा प्रीमियम:

पुनर्बीमा प्रीमियम के भुगतान का लेखांकन पुनः बीमा कंपनी के साथ की गई व्यवस्था या संधि के अनुसार की जाती है।

(घ) प्रदत्त लाभ (दावे सहित):

दावों के लागत में पॉलिसी से लाभ की राशि तथा दावा निपटान लागत, जहाँ लागू हो, शामिल होता है। मृत्यु दावों तथा राइडर दावों की लेखांकन सूचना प्राप्ति के बाद की जाती है।

उत्तरजीवी लाभ दावों तथा परिपक्वता दावों की लेखांकन भुगतान के लिए देय होने पर की जाती है।

यूनिट लिंक पॉलिसियों के अंतर्गत अभ्यर्पण तथा आहरण (प्रभार का निवल) का लेखांकन, संबद्ध यूनिटों के रह होने पर किया जाता है। परंपरागत पॉलिसियों के अंतर्गत इनका लेखांकन अभ्यर्पण की सूचना प्राप्ति तथा स्वीकार किए जाने पर की जाती है।

लॉक इन अवधि के अंतर्गत संबद्ध पॉलिसियों के मामले में, अर्थात् पॉलिसी जारी किए जाने की तिथि से 5 वर्ष (1 सितंबर 2010 के बाद जारी की गई पॉलिसियों के मामले में), जैसे पॉलिसियों के अभ्यर्पण मूल्य को एक नामोद्दिष्ट निधि "यूएल व्यतिक्रम पॉलिसी निधि" में निवेशित किया जाता है तथा पॉलिसी धारक को, लॉक इन अवधि के समाप्ति के बाद न्यूनतम निश्चित प्रतिलाभ या वास्तविक प्रतिलाभ, दोनों में जो अधिक हो, का भुगतान किया जाता है।

बीमित प्रस्तावक के मृत्यु उपरांत यदि बीमा उत्पादों में आगामी प्रीमियम शेष में छूट का प्रावधान हो तो बीमित प्रस्तावक के मृत्यु पर लाभ भुगतान के अंतर्गत देनदारी के रूप में कुल आगामी प्रीमियम माफ कर दी जाएगी। जब आगामी मॉडल प्रीमियम देय हो जाता है तो उक्त प्रीमियम को उक्त दायित्व को कम करते हुए वित्त पोषित किया जाता है और प्रीमियम आय उसी तरह परिकलित की जाती है।

दावों पर पुनर्बीमित वसूली की लेखांकन संबंधित दावों की अवधि में की जाती है।

(ङ) अधिग्रहण लागत:

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो प्राथमिक रूप से बीमा संविदा अधिग्रहण से संबंधित होता है तथा जिस अवधि में खर्च होना होता है उसी अवधि में खर्च किया

(c) Reinsurance Premium:

Reinsurance premium ceded is accounted in accordance with the treaty or in principle arrangement with the re-insurer.

(d) Benefits paid (including claims):

Claims costs consist of the policy benefit amount and claim settlement costs, where applicable. Death claims and rider claims are accounted for on receipt of intimation.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due for payment.

Surrenders and withdrawals (net of charges) under unit linked policies are accounted for when associated units are cancelled. Under traditional policies these are accounted for when the intimation for the surrender is received and accepted.

In case of surrender of linked policy within the lock-in period i.e., 5 years from the date of issue of policy (in case of policies issued after 1st September 2010), the surrender value of such policies is invested in a designated fund called 'UL Discontinued Policy Fund' and is paid to the policyholder on the expiry of the lock-in period along with minimum guaranteed return or actual return, whichever is higher.

In case of insurance products having the feature of waiver of the balance future premiums on the death of the life proposer, the entire future premiums waived are recognised as liability under the benefits paid on the occurrence of death of the life proposer. When the subsequent modal premium becomes due, the said premiums are funded by reducing the aforesaid liability and the premium income is recognized for the same.

Re-insurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

(e) Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs which vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed off in



जाता है जिससे यह परिवर्तित होता रहता है। प्रथम वर्ष में भुगतान की गई कमीशन की वसूली किसी चापलूसी के कारण की गई हो, यदि कोई हो तो, भविष्य में उसकी लेखांकन उस वर्ष में की जाती है जिसमें उसकी वसूली देय होती है।

(च) जीवित पॉलिसियों की देयताएं:

देयताओं के मूल्य का निर्धारण बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ता के अस्तित्वां, देयताएं तथा शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 तथा इरडा द्वारा जारी अन्य संबंधित विनियम, समय-समय पर संशोधित, भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी मानक (ए पी एस 2 व ए पी एस 7) बीमांकिक प्रथा तथा भारत में सामान्य तौर से मान्य बीमांकिक सिद्धांतों के अनुसार होता है।

[12] कर्मचारी हितलाभ:

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं: परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में परिकलित किया गया है तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

बैंक 01-08-2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है, जो कि एक परिभाषित योगदान योजना है, ऐसे नए शामिल होने वाले सदस्यों को मौजूदा पेंशन योजना के सदस्य बनने का अधिकार नहीं है। इस योजना के अनुसार, कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन के 10% के साथ महंगाई भत्ते को बैंक से मिल रहे योगदान के साथ योजना में योगदान करते हैं। बैंक इस तरह के वार्षिक योगदान को उस वर्ष के व्यय के रूप में परिकलन करता है जिससे वे संबंधित हैं।

(ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(i) उपदान: कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक (प्रधान) द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनके निधि का प्रबंधन करता है। उपदान के तहत बैंक (प्रधान) के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।

the period in which they are incurred. Recovery on account of claw back of the first year commission paid, if any, in future is accounted in the year in which its recovery is due.

(f) Liability for life policies:

The value of liabilities is determined in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities and Solvency Margin of insurers) Regulations, 2000 and other relevant Regulations issued by IRDA as amended from time to time, the Actuarial Practice Standards (APS 2 and APS 7) issued by the Institute of Actuaries of India and generally accepted actuarial principles in India.

[12] Employee Benefits:

(a) Defined Contribution Plans: Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 01-08-2010, which is a defined contribution plan, such new joiners not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate.

(b) Defined Benefit Plans:

(i) Gratuity: The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value of the Bank's (Parent) obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(ii) **पेंशन:** कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधीयन बैंक (प्रधान) द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है। पेंशन के तहत बैंक (प्रधान) के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं का परिकलन करने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।

(ग) अर्जित छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को 'अनुमानित इकाई साख पद्धति' के स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर परिकलन किया जाता है।

[13] कराधान के लिए प्रावधान:

(क) चालू तथा आस्थगित दोनों करों के लिए कर प्रावधान किया गया है।

(ख) समय-अवधि में अंतर के कारण होने वाली विभेदक कर आस्तियों और देयताओं जो बाद की अवधियों के दौरान प्रतिवर्तन योग्य हैं को अधिनियमित कर की दरों व नियमों अथवा बाद में तुलन-पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर की दरों व नियमों का प्रयोग करते हुए परिकलन किया गया है।

(ग) आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यथास्थिति अनुसार प्रबंधन के निर्णय के आधार पर परिकलन किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, व उनके प्राप्तियों को यथोचित रूप से निश्चित या आभासी माना जाता है। जैसा भी मामला हो।

(घ) आस्थगित कर संपत्तियों को अनाधिकृत मूल्यहास और कर के नुकसान से आगे ले जाने पर रखा जाता है, अगर इस बात के पुख्ता सबूतों का समर्थन करते हुए आभासी निश्चितता है कि ऐसी आस्थगित कर संपत्ति को भविष्य में मुनाफे के खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त के अलावा अन्य मदों पर आस्थगित कर आस्तियां उचित निश्चितता के आधार पर रखी जाती हैं।

[14] प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:

(क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 (आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक

(ii) **Pension:** The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust. The present value of the Bank's (Parent) obligations under Pension is recognized on the basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(c) The privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'projected Unit credit method' at each Balance Sheet date.

[13] Provision for Taxation:

(a) Provision for tax is made for both Current and Deferred Taxes.

(b) Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date

(c) Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain or Virtual certain as the case may be.

(d) Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits. Deferred tax assets on the items other than above are recognized on the basis of reasonable certainty

[14] Provisions, Contingent Liabilities, Contingent Assets:

(a) In conformity with Accounting Standard (AS) 29 (Provisions, Contingent Liabilities &



आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा प्रावधानों को केवल तब मान्यता दी गई जब :-

- पूर्ववर्ती घटना के परिणाम के रूप में वर्तमान में कोई दायित्व हो
- उस दायित्व को निभाने के लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर प्रवाह हो
- जब दायित्व राशि के उचित परिकलन किए जा सकते हो।

(ख) निम्नलिखितों के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया:

- पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली किसी संभावित दायित्व और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जोकि पूर्ण रूप से बैंक (प्रधान) के नियंत्रण के भीतर हों, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी।
- यह प्रत्याशित नहीं है कि आर्थिक हितों से सुसम्पन्न संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक हो अथवा
- दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलेखित किया गया है। इसको नियमित अंतरालों पर निर्धारित किया जाता है तथा दायित्व के उस हिस्सा जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर प्रवाह संभव है, के लिए प्रावधान दिया गया है। जहाँ पर विश्वसनीय अनुमान बनाया नहीं जा सकता, वहाँ प्रावधान नहीं दिया गया है।

- (ग) आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणियों में मान्यता नहीं दी गई है।

[15] निवल लाभ:

लाभ-हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखितों के पश्चात है:

- निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- कराधान के लिए प्रावधान
- ऋण हानियों के लिए प्रावधान
- मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

Contingent Assets) issued by ICAI, the Bank (Parent) recognizes provision only when:

- It has a present obligation as a result of past event.
- It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
- When a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(b) No provision is recognized for:

- Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank (parent).
- It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or
- A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

- (c) Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.

[15] Net Profit:

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:

- Provision for Depreciation on Investments.
- Provision for Taxation.
- Provision on Loan Losses
- Provision on Standard Assets.



- (ड) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान
- (च) अन्य सामान्य व अनावश्यक प्रावधान

[16] प्रति शेयर अर्जन:

बैंक (प्रधान), लेखांकन मानक 20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाए ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

- (e) Provision for Non-Performing Investments.
- (f) Other usual & necessary items.

[16] Earnings Per Share:

The Bank (Parent) reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with Accounting Standard (AS) 20 (Earnings per Share). Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the Year.



अनुसूची - 19

यथा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा संबंधी टिप्पणियां

- समूह की समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में केनरा बैंक (प्रधान) व उसकी निम्नलिखित अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं व संयुक्त उद्यम का परिणाम शामिल है। अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं व संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणी को, यथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की उसी रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किया गया है।

1.1 अनुषंगियाँ:

निम्न अनुषंगियों को उनके लेखापरीक्षित / गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर समेकित किया गया है:

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमिति देश	लेखापरीक्षित / गैर-लेखापरीक्षित	यथा 31.03.2019 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2018 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)
1.	केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	भारत	गैर-लेखापरीक्षित	100.00%	100.00%
2.	केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.	भारत	लेखापरीक्षित	100.00%	100.00%
3.	केनबैंक फैक्टर्स लि.	भारत	गैर-लेखापरीक्षित	70.00%	70.00%
4.	केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.	भारत	लेखापरीक्षित	51.00%	51.00%
5.	केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लि.	भारत	लेखापरीक्षित	69.14%	69.14%
6.	केनरा बैंक सिक्यूरिटीज लि. (पूर्व में जीआईएलटी सिक्यूरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लि.)	भारत	गैर-लेखापरीक्षित	100.00%	100.00%
7.	केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि.	भारत	लेखापरीक्षित	51.00%	51.00%
8.	केनरा बैंक (तंजानिया) लिमि.	तंजानिया	गैर-लेखापरीक्षित	100.00%	100.00%

SCHEDULE - 19

NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2019

- The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprises the result of the Canara Bank (Parent) and following Subsidiaries, Associates and Joint venture. The financial statements of the Subsidiaries/Associates/Joint venture are drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. year ended March 31, 2019.

1.1 Subsidiaries:

The following subsidiaries have been considered for consolidation based on their Audited/Unaudited Financial Statements:

Sl. No.	Name of the Subsidiary	Country of incorporation	Audited / Unaudited	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2019	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2018
1.	Canbank Financial Services Ltd	India	Unaudited	100.00%	100.00%
2.	Canbank Venture Capital Fund Ltd	India	Audited	100.00%	100.00%
3.	Canbank Factors Ltd.	India	Unaudited	70.00%	70.00%
4.	Canara Robecco Asset Management Company Ltd	India	Audited	51.00%	51.00%
5.	Canbank Computer Services Ltd	India	Audited	69.14%	69.14%
6.	Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd)	India	Unaudited	100.00%	100.00%
7.	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd	India	Audited	51.00%	51.00%
8.	Canara Bank (Tanzania) Ltd	Tanzania	Unaudited	100.00%	100.00%

1.2. सहयोगी संस्थाएं:

1. निम्न सहयोगी संस्थाओं में निवेश को उनकी लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर समेकन के उद्देश्य हेतु विचारार्थ लिया गया है :

क्रमांक	सहयोगी संस्थाओं के नाम	लेखापरीक्षित / गैर-लेखापरीक्षित	निगमिति देश	यथा 31.03.2019 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2018 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)
1	केनफिन होम्स लि	लेखापरीक्षित	भारत	30.00%	30.00%
2	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (पूर्व में प्रगति ग्रामीण बैंक)	गैर – लेखापरीक्षित	भारत	35.00%	35.00%
3	केरल ग्रामीण बैंक (पूर्व में साउथ मलबार ग्रामीण बैंक)	गैर – लेखापरीक्षित	भारत	35.00%	35.00%

1.2 Associates:

1. The investment in the following Associates have been considered for the purpose of consolidation based on their Financial Statements:

Sl. No.	Name of the Associates	Audited / Unaudited	Country of incorporation	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2019	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2018
1.	Canfin Homes Ltd.	Audited	India	30.00%	30.00%
2.	Pragathi Krishna Gramin Bank (Erstwhile Pragati Gramin Bank)	Unaudited	India	35.00%	35.00%
3.	Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)	Unaudited	India	35.00%	35.00%

- II. कॉमनवेल्थ न्यास (भारत) लिमिटेड, एक सहयोगी संस्थान, जहाँ पर मूल बैंक की 30% धारिता है, इसकी वित्तीय विवरणी दिनांक 31 मार्च, 2017 तक उपलब्ध होने के कारण समेकन कार्य के लिए विचार नहीं किया गया है। यथा 31.03.2017 को उपलब्ध अंतिम वित्तीय विवरणियों के अनुसार सहयोगी संस्थाओं की अपर्याप्त वित्तीय विवरणी पर विचार करते हुए, समेकित वित्तीय विवरणी में इसके निवेशों को शामिल नहीं करने से कोई प्रभाव नहीं होगा।
- II. Commonwealth Trust (India) Ltd., an Associate, in which Parent has 30% holding, could not be considered for consolidation as its financial statements are available only upto 31st March 2017. Considering the unsubstantial financials of the Associate as per the last available financial statements as at 31.03.2017, there is no material impact of non-inclusion of its Financials in the Consolidated Financial Statements.

1.3 संयुक्त उद्यम:

- ए. रूस में निगमित कमर्शियल इंडो बैंक एल एल सी, मोस्को (पूर्व में वाणिज्यिक बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मोस्को) संयुक्त उद्यम संस्था के संबंध में जिसमें बैंक का 40% हित है, समेकन 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर किया गया है। संयुक्त उद्यम के लिए लेखा वर्ष दिसंबर 31 को समाप्त होता है।

1.3 Joint Venture:

- a. In respect of Commercial Indo Bank LLC, Moscow, (formerly Commercial Bank of India LLC., Moscow) the Joint Venture entity, incorporated in Russia wherein the Bank has 40% interest, consolidation has been done based on audited accounts for the year ended 31st March, 2019. The Accounting year for the joint venture ends on 31st December.

बी. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-27 “संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग” की आवश्यकता के अनुसार उक्त संयुक्त उद्यम में आस्तियों, देयताओं, आय व व्यय राशि में मूल बैंक के शेर निम्नवत हैं:

क. तुलन पत्र:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
पूँजी व देयताएं		
पूँजी	101.43	95.59
आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष	(19.24)	(2.25)
जमा	39.56	68.45
उधार	58.78	160.10
अन्य देयताएं व प्रावधान	18.97	6.51
कुल	199.50	328.40
आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	0.51	0.79
बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर धन	73.25	129.77
निवेश	93.15	150.09
अग्रिम	27.23	47.07
अचल आस्तियाँ	0.07	0.07
अन्य आस्तियाँ	5.29	0.61
कुल	199.50	328.40
आकस्मिक देयताएं	7.16	8.56

ख. लाभ और हानि खाता:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
आय		
अर्जित ब्याज	13.51	17.60
अन्य आय	6.04	2.11
कुल	19.55	19.71
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	4.27	4.09
परिचालन व्यय	9.41	4.27
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	7.18	25.30
कुल	20.86	33.66
लाभ	(1.31)	(13.95)

b. As required by Accounting Standard (AS)-27-“Financial Reporting of Interest in Joint Ventures” issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) the amount of the Assets, Liabilities, Income and Expenses of Parent’s share in the said Joint Venture is as under:

A. Balance Sheet:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Capital & Liabilities		
Capital	101.43	95.59
Reserve & Surplus	(19.24)	(2.25)
Deposits	39.56	68.45
Borrowings	58.78	160.10
Other Liabilities and Provisions	18.97	6.51
TOTAL	199.50	328.40
Assets		
Cash & Balance with RBI	0.51	0.79
Balance with Banks & Money at Call and Short Notice	73.25	129.77
Investments	93.15	150.09
Advances	27.23	47.07
Fixed Assets	0.07	0.07
Other Assets	5.29	0.61
TOTAL	199.50	328.40
Contingent Liabilities	7.16	8.56

B. Profit & Loss Account:

(₹ in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Income		
Interest Earned	13.51	17.60
Other Income	6.04	2.11
TOTAL	19.55	19.71
Expenditure		
Interest Expended	4.27	4.09
Operating Expenses	9.41	4.27
Provision and Contingencies	7.18	25.30
TOTAL	20.86	33.66
PROFIT	(1.31)	(13.95)



- अनुषंगियाँ, सहयोगी संस्थाएं व संयुक्त उद्यम प्रचलित सिद्धांत व पद्धति के अनुसार लेखांकन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं जो संबंधित उद्योग / कारोबारी / देशीय आवश्यकताओं के कारण मूल बैंक से कुछ मामलों में अलग हैं। प्रबंधन की राय है, चूँकि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे समेकित वित्तीय विवरणी में समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
- विभिन्न अनुषंगियों के अधिग्रहण से प्राप्त पूंजी आरक्षित निधियां / (साख) का विभाजन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी का नाम	31.03.2019	31.03.2018
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड	2.54	2.54
केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लि.	0.25	0.25
निवल पूंजी आरक्षित निधियां	2.79	2.79

4. अंतरशाखा लेनदेन और लेखा शेषों का पुष्टिकरण:

अंतर कार्यालय समाशोधन लेखा के माध्यम से संपूर्ण बैंक हेतु कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के आधार पर प्रणाली द्वारा स्वतः प्रधान बैंक के अंतर शाखा / कार्यालय संव्यवहारों के तहत प्रविष्टियों का मिलान व स्थापन किया गया है।

कुछ अनुषंगियों के संबंध में फुटकर लेनदार, फुटकर देनदार, ऋण और अग्रिम आदि के शेषों का पुष्टिकरण किया जाना है।

5. स्थिर आस्तियाँ:

परिसर में 39.93 करोड़ ₹ की असल लागत वाली (पिछले वर्ष 40.07 करोड़ ₹) कुछ संपत्तियां शामिल हैं, जिनके अंतरण विलेखों का निष्पादन अभी भी लंबित होने के बावजूद इन्हें प्रयुक्त किया गया है।

6. केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज़ लिमिटेड (केनफिन):

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज़ लिमिटेड (केनफिन) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी जिसकी निवल कीमत खर्च हो गई है वह किसी भी अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में नहीं लगी है। आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक ने केनफिन की सभी वित्तीय आस्तियों के निपटान के लिए समय को तीन वर्षों के लिए, अर्थात् 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दिया है। उक्त अवधि के दौरान कंपनी कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का क्रियाकलाप नहीं करने के शर्तों के अधीन विस्तारण अवधि को बढ़ाया गया है। तथापि, 31.01.2020 तक अनुमत किए गए विस्तारण को ध्यान में रखकर केनफिन के वित्त का समेकन क्रियाशील इकाई के रूप में किया गया है।

- The Subsidiaries, Associates and Joint Venture are following Accounting Policies consistently as per the prevalent law and practice, which are different from Parent in a few cases because of respective industry / business / country requirements. In the opinion of the management, as the impact of the same is not material, no adjustment is required in Consolidated Financial Statements.
- The breakup of Capital Reserve / (Goodwill) arising on the acquisition of various Subsidiaries is as under:

(₹ in Crore)

Name of the Subsidiary	31.03.2019	31.03.2018
Canbank Factors Limited	2.54	2.54
Canbank Computer Services Ltd.	0.25	0.25
Net Capital Reserve	2.79	2.79

4. Inter Branch transactions and confirmation of balances:

The matching and setting of entries under Inter-Branch / office transactions of the Parent Bank are carried out by the system itself based on Core Banking Solutions (CBS) for the whole of the Bank through Inter Office Adjustment account.

In some of the Group Companies, balances in Sundry Creditors, Sundry Debtors, Loans and Advances etc. are subject to confirmation.

5. Fixed Assets:

Premises include certain properties capitalized and carrying book value of ₹39.93 Crore (Previous year ₹40.07 Crore) as they have been put to use though conveyance of title deeds is still to be completed.

6. Canbank Financial Services Limited (CANFINA):

Pursuant to the directions of the Reserve Bank of India, Canbank Financial Services Ltd. (CANFINA), a wholly owned Subsidiary whose net worth is totally eroded is not engaged in any of the activities of a Non Banking Financial Company. Further, Reserve Bank of India, has permitted CANFINA a further extension of three years i.e up to January 31, 2020 to dispose off the financial assets. The extension of time is subject to the condition that the company shall not undertake any NBFC type of activity during the period. However, considering the extension permitted upto 31.01.2020, the financials of CANFINA have been consolidated on going concern basis.

7. इक्विटी शेयर पूंजी का नया निर्गमन :

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए 92.64 ₹ प्रति शेयर (33.33%) की छूट के साथ 186/- रुपये प्रति शेयर पर "कर्मचारी शेयर खरीद योजना" के तहत दो करोड़ इक्विटी शेयरों की की पेशकश की है। शेयरों का आवंटन 6 फरवरी 2019 को किया गया था। 185.28 करोड़ रुपये की कुल छूट लाभ और हानि खाते से ली गई है।

8 संबद्ध पार्टी का प्रकटन:

8.1 संबद्ध पार्टियों की सूची और बैंक के साथ उनका संबंध – प्रधान – केनरा बैंक

8.1.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक –

- श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (31.07.2018 तक)
- श्रीमती पी वी भारती, कार्यपालक निदेशक (31.01.2019 तक)
- श्री मठम वेंकट राव, कार्यपालक निदेशक
- श्री देवाशीष मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक
- सुश्री ए. मणिमेखलई, कार्यपालक निदेशक (11.02.2019 से)

8.1.2 प्रधान:

- केनरा बैंक

8.1.3 अनुषंगियाँ:

- केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज़ लिमिटेड
- केनबैंक वेंचर केपिटल फण्ड लिमिटेड
- केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
- केनरा रोबेको असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लिमिटेड
- केनरा बैंक सिक्यूरिटीज़ लिमिटेड (पहले गिल्ट सिक्यूरिटीज़ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
- केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
- केनरा बैंक (तंजानिया) लिमि.

8.1.4 संयुक्त उद्यम:

- कमर्शियल इंडो बैंक एल एल सी, मॉस्को (पूर्व में कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल एल सी, मॉस्को)

8.1.5 सहयोगी संस्थाएं:

- केनफिन होम्स लिमिटेड
- कॉमनवेलथ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (तत्कालीन प्रगति ग्रामीण बैंक)
- केरल ग्रामीण बैंक (तत्कालीन साउथ मलबार ग्रामीण बैंक)

7. Fresh Issue of Equity Share Capital:

During the year the Bank has made an offer of Two Crore number of Equity shares to its employee under "Employee Share Purchase Scheme" at ₹186/- per share with discount of ₹92.64 per share (33.33%). Allotment of the shares was made on 6th February 2019. The total discount of ₹185.28 crore is charged to Profit & Loss account.

8. Related Party Disclosures:

8.1 Names of Related parties and their relationship with the Bank- Parent – Canara Bank

8.1.1 Key Management Personnel –

- Shri Rakesh Sharma, Managing Director & Chief Executive Officer (Till 31.07.2018)
- Smt P V Bharathi, Executive Director (Till 31.01.2019)
- Shri Matam Venkata Rao, Executive Director
- Shri Debashish Mukherjee, Executive Director
- Ms. A. Manimekhalai, Executive Director (From 11.02.2019)

8.1.2 Parent:

- Canara Bank

8.1.3 Subsidiaries:

- Canbank Financial Services Ltd.
- Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- Canbank Factors Ltd.
- Canara Robecco Asset Management Company Ltd.
- Canbank Computer Services Ltd.
- Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd)
- Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd
- Canara Bank (Tanzania) Ltd

8.1.4 Joint Ventures:

- Commercial Indo Bank LLC. Moscow (formerly Commercial Bank of India LLC. Moscow)

8.1.5 Associates:

- Canfin Homes Ltd.
- Commonwealth Trust (India) Ltd.

Regional Rural Banks sponsored by the Bank

- Pragati Krishna Gramin Bank (Erstwhile Pragati Gramin Bank)
- Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)



उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा):

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार ने विश्व स्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों के निर्माण के लिए और देश के आईआईएम, आईआईटी, एम्स, आईआईएसईआर, आईआईएससी, एनआईटी आदि जैसे संस्थानों में अनुसंधान सुविधाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से, उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे के मानकों में सुधार के लिए एक विशेष उद्देश्य के माध्यम से एक मंच प्रदान करने का इरादा किया है।

इसके आधार पर एमएचआरडी ने 2000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (गैर लाभकारी) के तहत पंजीकृत एक संयुक्त उद्यम कंपनी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (हेफा) की स्थापना का प्रस्ताव रखा। एमएचआरडी ने 1,000 करोड़ ₹ और केनरा बैंक ने 100 करोड़ ₹ का योगदान दिया है।

इसके बाद, एमएचआरडी ने हेफा ईक्विटी बेस के मौजूदा शासनादेश और वित्तपोषित संस्थानों की सीमा को बढ़ाया। तदनुसार, अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें सरकार 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ईक्विटी प्रदान करेगी और केनरा बैंक 500 करोड़ रुपये का योगदान देगा। 31.03.2019 तक, एमएचआरडी ने 2,512.50 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई है और केनरा बैंक ने क्रमशः 251.25 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। 31.03.2019 तक, कंपनी ने 2,534.47 करोड़ रुपये के संवितरण के साथ 17,340 करोड़ रुपये की अवधि के लिए सावधि ऋण को मंजूरी दी है।

धारा 8 कंपनी के रूप में इसके पंजीकरण के आधार पर, इसके किसी भी सदस्य को इसके लाभ का अधिकार देने के लिए निषिद्ध है। इसके अलावा, निवेशकर्ता को किसी भी तरह के रिटर्न पर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, प्रधान बैंक के वित्तीय विवरणों के समेकन में संस्थान के परिणाम पर विचार नहीं किया गया है।

8.1.6 मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संव्यवहारों का प्रकटीकरण निम्नवत है:

- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक : 1.02 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष: 0.83 करोड़)

लेखांकन मानक 18 के पैरा 5 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों तथा उनके संबंधियों के लेन-देन सहित बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकृति के लेन-देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

HIGHER EDUCATION FUNDING AGENCY (HEFA):

The Ministry of Human Resources Development (MHRD), Govt with an object to build world class higher educational institutions and to set up research facilities, intended to provide a platform, through a special purpose vehicle, for improvement of the infrastructure standards of the higher educational institutions like IIM, IIT, AIIMS, IISER, IISc, NIT etc of the country.

Based on this the MHRD proposed to set up Higher Education Financing Agency (HEFA) a Joint Venture Company registered under Section 8 of Companies Act 2013 (Not-for Profit) with an initial authorized capital of ₹2000 Cr. MHRD has contributed ₹1,000 Cr. and Canara Bank has contributed proportionately ₹100 Cr.

Subsequently, MHRD extended the scope of existing mandate of HEFA equity base and range of institutions to be financed. Accordingly, the authorized capital has been increased to ₹10,000 Cr wherein Govt. will provide an additional equity of ₹5,000 Cr. And Canara Bank will contribute ₹500 Cr. As on 31.03.2019, MHRD has infused Capital of ₹2,512.50 Cr. and Canara Bank has contributed ₹251.25 Cr, respectively. As at 31.03.2019, Company has sanctioned Term Loans to the extent of ₹17,340 Cr with a disbursement at ₹2,534.47 Cr.

By virtue of its registration as a Section 8 Company, it is prohibited to give any right over its profits to any of its members. Further, there is no right over any kind of returns from investee. Hence, the Entity results are not considered in Consolidation of Parent's Financial Statements.

8.1.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

- Remuneration to Key Management Personnel ₹1.02 Crore (Previous Year: ₹0.83 Crore)

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed

9. प्रति शेयर अर्जन:

9.1 प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन:

विवरण	2018-2019	2017-2018
मूल और तनुकृत ई पी एस (₹)	8.18	(65.95)

9.2 प्रति शेयर अर्जन का परिकलन:

	विवरण	2018-19	2017-18
क	ईक्विटी शेयरधारकों हेतु आरोप्य वर्ष के लिए निवल लाभ / हानि (₹ करोड़ में)	601.85	(3951.39)
ख	ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	73.62	59.92
ग	यथा 31 मार्च को बकाया शेयरों की संख्या (करोड़ में)	75.32	73.32
घ	प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन (क/ख) (₹)	8.18	(65.95)
ङ	प्रति शेयर नामिक मूल्य (₹)	10.00	10.00

9. Earnings Per Share:

9.1 Basic and Diluted Earnings Per Share:

Particulars	2018-2019	2017-2018
Basic and Diluted EPS (₹)	8.18	(65.95)

9.2 Computation of EPS:

	Particulars	2018-19	2017-18
A	Net Profit / (Loss) for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in Crore)	601.85	(3951.39)
B	Weighted Average Number of Equity Shares (Crore)	73.62	59.92
C	No. of Shares outstanding as on 31 st March (Crore)	75.32	73.32
D	Basic and Diluted Earnings per Share (A/B) (₹)	8.18	(65.95)
E	Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

10. आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं:

यथा 31.03.2019 को निवल आस्थगित कर देयता 3387.90 करोड़ ₹ थी (यथा 31.03.2018 को 5819.03 करोड़ ₹)। आस्थगित कर आस्तियां व आस्थगित कर देयता के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं : (₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयता	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
उपचित ब्याज लेकिन प्रतिभूतियों पर देय नहीं				
छुट्टी नकदीकरण / उपदान	399.13	373.20		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	18.15			23.22
निवेश पर मूल्यहास	1.61		1721.66	1705.10
वायदा संविदा पर अप्राप्य लाभ				
अग्रिम के लिए प्रावधान	4463.37	8289.62		
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधियों पर डीटीएल			1397.66	1384.32
अन्य	1625.06	269.89		1.03
आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं	6507.32	8933.37	3119.42	3114.34

इस वर्ष के दौरान, प्रधान बैंक ने भविष्य में कर योग्य आय की उपलब्धता की आभासी निश्चितता के आधार पर संचयी अगले कर लाभ से घाटा पूर्ति (चालू वर्ष के लिए) के लिए 1575.94 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर आस्तियों को समायोजित किया जा सकता है।

10. Deferred Tax Assets and Liabilities:

Net Deferred Tax Assets computed as on 31.03.2019 amounted to ₹3387.90 Crore (₹5819.03 Crore as on 31.03.2018).
The components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
Interest accrued but not due on securities				
Leave Encashment / Gratuity	399.13	373.20		
Depreciation on Fixed Assets	18.15			23.22
Depreciation on Investments	1.61		1721.66	1705.10
Unrealised gain on Forward contracts				
Provision made for advances	4463.37	8289.62		
DTL on Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of IT Act,1961			1397.66	1384.32
Others	1625.06	269.89		1.03
Deferred Tax Asset / Liability	6507.32	8933.37	3119.42	3114.34

During the year, the Parent Bank has recognized DTA relating to cumulative carry forward tax losses (including for the current year) amounting to ₹1575.94 crore based on virtual certainty of availability of future taxable income against which DTA can be adjusted

11. वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधानों व आकस्मिकताओं का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
निवेश व एन पी आई में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	369.55	1891.81
एन पी ए के प्रति प्रावधान	12734.22	14948.28
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	407.80	4.59
कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	(2658.55)	(2320.62)
उचित मूल्य के ह्रास के लिए प्रावधान	(156.16)	(516.36)
आस्ति की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	0.00	7.07
देश ऋण जोखिम के लिए प्रावधान	(4.33)	(20.72)
अन्य आकस्मिकताएं तथा प्रावधान - निवल	(415.64)	(114.12)
कुल	10276.89	13879.93

11. Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Provision for Depreciation on Investment and NPI	369.55	1891.81
Provision towards NPA	12734.22	14948.28
Provision towards Standard Asset	407.80	4.59
Provision for Tax (Including Deferred Tax)	(2658.55)	(2320.62)
Provision for Diminution in Fair Value	(156.16)	(516.36)
Provision for assets doubtful of recovery	0.00	7.07
Provision for Country Risk Exposure	(4.33)	(20.72)
Other Provision and Contingencies – Net	(415.64)	(114.12)
TOTAL	10276.89	13879.93

12. समेकित खण्ड रिपोर्टिंग:

भाग क – कारोबार खण्ड

(₹ करोड़ में)

	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2019	31.03.2018
(1)	खण्ड राजस्व		
क	राजकोषीय परिचालन	11902.83	12876.12
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	19623.91	17782.12
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	21260.96	16480.64
घ	जीवन बीमा परिचालन	1010.48	724.42
ङ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
च	गैर आर्बिटिट	470.95	880.02
	कुल	54269.13	48743.32
	घटाएं : अंतर खंड राजस्व परिचालन से आय	0.00	0.00
	परिचालन से आय	54269.13	48743.32
(2)	खण्ड परिणाम		
क	राजकोषीय परिचालन	3593.41	4009.59
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	3199.91	3561.81
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	3503.08	920.78
घ	जीवन बीमा परिचालन	165.21	168.17
ङ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	कुल	10461.61	8660.35
च	गैर-आर्बिटिट आय / व्यय (प्रावधान व आकस्मिकताओं सहित)	(12573.02)	(15068.29)
	कर से पहले कुल लाभ	(2111.41)	(6407.94)
	आय कर	(2658.55)	(2320.62)
	निवल लाभ	547.14	(4087.32)
	जोड़ें : सहयोगी संस्थाओं में अर्जन का हिस्सा	148.91	214.78
	घटाएं : अल्पसंख्यक हित	94.20	78.85
	वर्ष के दौरान समूह के लिए समेकित लाभ/(हानि)	601.85	(3951.39)
	खंड आस्तियां		
क	राजकोषीय परिचालन	176693.30	161990.29
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	198309.39	178009.24
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	278287.06	240866.78
घ	जीवन बीमा परिचालन	15473.46	13135.46
ङ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
च	गैर-आर्बिटिट आस्तियां	43019.60	37433.70
	कुल आस्तियां	711782.81	631435.47
	खंड देयता		
क	राजकोषीय परिचालन	176069.35	151133.43
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	188754.36	159268.33
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	259572.49	240011.28
घ	जीवन बीमा परिचालन	14393.04	12220.24
ङ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
च	गैर-आर्बिटिट आस्तियां	35304.34	31904.50
	कुल आस्तियां	674093.58	594537.78
(3)	नियोजित पूंजी		
क	राजकोषीय परिचालन	623.95	10856.86
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	9555.03	18740.91
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	18714.57	855.50
घ	जीवन बीमा परिचालन	1080.42	915.22
ङ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
च	गैर आर्बिटिट	7715.26	5529.20
	कुल	37689.23	36897.69

12. Consolidated Segment Reporting:

Part A-Business Segment

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	YEAR ENDED	
		31.03.2019	31.03.2018
(1)	Segment Revenue		
A	Treasury Operations	11902.83	12876.12
B	Retail Banking Operations	19623.91	17782.12
C	Wholesale Banking Operations	21260.96	16480.64
D	Life Insurance Operation	1010.48	724.42
E	Other Banking Operation	0.00	0.00
F	Unallocated	470.95	880.02
	Total	54269.13	48743.32
	Less: Inter segment Revenue	0.00	0.00
	Income from operations	54269.13	48743.32
(2)	Segment Results		
A	Treasury Operations	3593.41	4009.59
B	Retail Banking Operations	3199.91	3561.81
C	Wholesale Banking Operations	3503.08	920.78
D	Life Insurance Operation	165.21	168.17
E	Other Banking Operations	0.00	0.00
	Total	10461.61	8660.35
F	Unallocated income / expenses (including provisions and contingencies)	(12573.02)	(15068.29)
	Total profit before tax	(2111.41)	(6407.94)
	Income Tax	(2658.55)	(2320.62)
	Net Profit	547.14	(4087.32)
	Add: Share of earning in Associates	148.91	214.78
	Less: Minority Interest	94.20	78.85
	Consolidated profit/(loss) for the year attributable to the Group	601.85	(3951.39)
	Segment Assets		
A	Treasury Operations	176693.30	161990.29
B	Retail Banking Operations	198309.39	178009.24
C	Wholesale Banking Operations	278287.06	240866.78
D	Life Insurance Operation	15473.46	13135.46
E	Other Banking Operations	0.00	0.00
F	Unallocated Assets	43019.60	37433.70
	Total Assets	711782.81	631435.47
	Segment Liabilities		
A	Treasury Operations	176069.35	151133.43
B	Retail Banking Operations	188754.36	159268.33
C	Wholesale Banking Operations	259572.49	240011.28
D	Life Insurance Operation	14393.04	12220.24
E	Other Banking Operations	0.00	0.00
F	Unallocated Liabilities	35304.34	31904.50
	Total Liabilities	674093.58	594537.78
(3)	Capital Employed		
A	Treasury Operations	623.95	10856.86
B	Retail Banking Operations	9555.03	18740.91
C	Wholesale Banking Operations	18714.57	855.50
D	Life Insurance Operations	1080.42	915.22
E	Other Banking Operations	0.00	0.00
F	Unallocated	7715.26	5529.20
	Total	37689.23	36897.69

भाग- ख भौगोलिक खण्ड:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2019	31.03.2018
क	राजस्व		
	घरेलू	52847.05	47402.17
	अंतर्राष्ट्रीय	1422.08	1341.15
	कुल	54269.13	48743.32
ख	आस्तियां		
	घरेलू	650710.17	575008.21
	अंतर्राष्ट्रीय	61072.64	56427.26
	कुल	711782.81	631435.47

Part B – Geographical Segment:

(₹ in Crore)

	Particulars	Year ended	
		31.03.2019	31.03.2018
a	Revenue		
	Domestic	52847.05	47402.17
	International	1422.08	1341.15
	Total	54269.13	48743.32
b	Assets		
	Domestic	650710.17	575008.21
	International	61072.64	56427.26
	Total	711782.81	631435.47

13. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम और सहयोगी संस्थाओं के संचित लाभ / हानि में मूल संस्था का हिस्सा आँकने के बाद समूह की समेकित आरक्षित निधियां ₹36935.99 करोड़ है जिनमें से ₹35423.99 करोड़ प्रधान संस्था के हैं और अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व सहयोगी संस्थाओं (पिछले वर्ष ₹36164.45 करोड़ जिसमें से ₹34871.59 करोड़ प्रधान संस्था का तथा शेष ₹1292.86 करोड़ अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व सहयोगी संस्थाओं के थे) के ₹1512.00 करोड़ हैं।

13. The consolidated Reserves of the Group after reckoning Parent's share of accumulated profit / loss of Subsidiaries, Associates and Joint Venture amount to ₹36935.99 Crore of which ₹35423.99 Crore relate to the Parent and the balance ₹1512.00 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Previous year ₹36164.45 Crore of which ₹34871.59 Crore relate to the Parent and the balance ₹1292.86 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture).



14. प्रधान संस्था और अनुषंगियों के प्रत्येक वित्तीय विवरणी में प्रकटित अतिरिक्त सांविधिक सूचना के समेकित वित्तीय विवरणी का सही एवं निष्पक्ष राय पर कोई प्रभाव नहीं है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण को दृष्टि में रखते हुए उन मदों की सूचना का, जो महत्वपूर्ण नहीं है, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटन नहीं किया है।

15. लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि:

वर्ष के समापन पर आस्तियों की हानि की समीक्षा की जाती है, जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह मानते हैं कि आस्ति की वहन राशि वसूली-योग्य नहीं है। धारित व प्रयुक्त की जाने वाली आस्ति की वसूली-योग्यता को आस्ति के वहन राशि से आस्ति द्वारा उत्पन्न होने हेतु संभावित निवल छूट के लिए नकद प्रवाह की तुलना करने के द्वारा मापा जाना है। यदि ऐसी आस्ति को हानि माना जाए तो उस हानि को आस्ति के वसूली-योग्य राशि को आस्ति के वहन राशि से अधिक समझा और आंका जाएगा। यद्यपि, बैंक के प्रबन्धन की राय में जिस वर्ष में लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि लागू है, उस वर्ष के दौरान आस्तियों के भौतिक हानि होने का कोई संकेत नहीं है।

14. Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

15. Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

16. जहां भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित / पुनः व्यवस्थित / पुनः वर्गीकृत किया गया है।

16. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

अरविंद कुमार
मंडल प्रबंधक
ए. मणिमखलई
कार्यपालक निदेशक

अमित मित्तल
सहायक महा प्रबंधक
देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एम. स्वामिनाथन
सहायक महा प्रबंधक
एम वी राव
कार्यपालक निदेशक

एम जी पंडित
उप महा प्रबंधक
आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

वी रामचंद्र
महा प्रबंधक
टी एन मनोहरन
अध्यक्ष

सुचीन्द्र मिश्रा
निदेशक

कृष्णमूर्ति एच
निदेशक

वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
डागलिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 000671S
(पी मनोहर गुप्ता)
साझेदार
सदस्य सं. 016444

कृते
कोमंदूर एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 001420S / S200034
(टी नागेंद्रनाथ)
साझेदार
सदस्य सं. 226246

कृते
डी. के. छाजर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 304138E
(नीरज के ज़ुनज़ुनवाला)
साझेदार
सदस्य सं. 057170

कृते
एस एन के एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 109176W
(अंकित डी दानावाला)
साझेदार
सदस्य सं. 119972

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 10.05.2019

ARVIND KUMAR
DIVISIONAL MANAGER

AMIT MITTAL
ASST. GENERAL MANAGER

M SWAMINATHAN
ASST. GENERAL MANAGER

M G PANDIT
DEPUTY GENERAL MANAGER

V RAMACHANDRA
GENERAL MANAGER

A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

M. V. RAO
EXECUTIVE DIRECTOR

R A SANKARA NARAYANAN
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

T.N. MANOHARAN
CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

KRISHNAMURTHY H
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For DAGLIYA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 000671S

(P Manohara Gupta)
Partner
Membership No. 016444

For KOMANDOOR & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 001420S / S200034

(T. Nagendranadh)
Partner
Membership No. 226246

For D. K. CHHAJER & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 304138E

(Niraj K Jhunjunwala)
Partner
Membership No. 057170

For S N K & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 109176W

(Ankit D. Danawala)
Partner
Membership No. 119972

PLACE : BENGALURU
DATE : 10.05.2019

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणी
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

	31-मार्च-2019 31.03.2019	31-मार्च-2018 31.03.2018
I. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
करों के बाद निवल लाभ / Net profit after Taxes	601.85	(3951.39)
समायोजन: / ADJUSTMENTS FOR:		
कर के लिए प्रावधान / Provisions for Tax	(2658.55)	(2320.62)
निवेश मूल्यहास के लिए प्रावधान / Provision for Investment Depreciation	369.55	1891.81
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non-Performing Assets	12734.22	14948.28
घटाएँ : अन्य आरक्षित निधियों से आहरित की गई राशि / Less: Amount Drawn from the Other Reserves	(322.40)	0.00
मानक आस्तियों लिए प्रावधान / Provision for Standard Asset	407.80	4.59
आकस्मिक व्यय और अन्य के लिए प्रावधान / Provision for Contingencies and Others	(576.13)	(644.13)
अचल आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on fixed assets	428.83	456.33
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / Loss on revaluation of Investments	(0.80)	0.00
टियर I और टियर II बॉन्ड पर ब्याज / Interest on Tier I and Tier II bonds	1176.58	1231.69
निवेश की बिक्री पर (लाभ) / नुकसान / (Profit) / loss on sale of Investments	(424.41)	(1934.18)
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि / (Profit) / loss on sale of Fixed Assets	2.86	4.53
उप - कुल / Sub total	11739.40	9686.91
समायोजन : / ADJUSTMENTS FOR:		
जमा में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Deposits	74276.04	29580.64
उधार में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Borrowings	2698.44	17.74
निवेश में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Investments	(10638.14)	6738.52
अग्रिम में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Advances	(46040.19)	(39754.44)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Other assets	(5453.82)	(6226.35)
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में (वृद्धि) / (कमी) / (Increase) / (Decrease) in Other liabilities and provisions	(7276.36)	(9669.17)
अल्पांश ब्याज में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Minority Interest	146.07	23.73
कराधान से पहले परिचालन गतिविधि से नकद प्रवाह	19451.44	(9602.42)
Cash flow from operating activity before taxation		
घटाएँ : प्रदत्त अग्रिम कर / Less: Advance Tax paid	1214.72	1517.77
परिचालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	(ए)	
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	(A)	(11120.19)
II. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
अनुषंगियों / सहयोगियों / संयुक्त उद्यमों में निवेश में वृद्धि / कमी (Increase) / Decrease in Investment in Subsidiaries / Associates / JVs	(171.14)	(174.98)
अचल आस्तियों में वृद्धि / कमी / (Increase) / Decrease in Fixed Assets	(605.72)	(459.58)
अन्य आरक्षित निधियों में वृद्धि / कमी / Increase / (Decrease) in Other Reserve	46.46	81.62
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	(बी)	
NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES	(B)	(730.40)
III. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
शेयर पूंजी / Share Capital	20.00	135.95
शेयर प्रीमियम / Share Premium	537.29	4729.05
गौण बॉण्ड में वृद्धि / कमी / Increase / Decrease in Subordinated Bonds	(565.30)	(700.00)
टियर I और टियर II बॉण्ड पर ब्याज का भुगतान Payment of interest on Tier I and Tier II bonds	(1176.58)	(1231.69)
उस पर प्रदत्त कर सहित प्रदत्त लाभांश / Dividends paid including tax paid thereon	0.00	(68.44)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद प्रवाह	(सी)	
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	(C)	2864.87

IV विदेशी मुद्रा उतार- चढ़ाव के कारण नकद प्रवाह IV CASH FLOW ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION		
विदेशी मुद्रा उतार- चढ़ाव आरक्षित निधियां / Reserves of Foreign currency fluctuation	(15.09)	65.48
विदेशी मुद्रा उतार- चढ़ाव के कारण निवल नकद प्रवाह NET CASH FLOWS ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION	(डी) (D)	
नकद और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (ए + बी + सी + डी) Net Increase/ (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C+D)	16306.64	(8742.78)
प्रारंभिक नकद और नकद तुल्य / Opening Cash and Cash equivalents	50224.60	58967.38
अंतिम नकदी और नकद तुल्य / Closing Cash and Cash Equivalents	66531.24	50224.60

नोट / Notes:

शेष नकद, आरबीआई व अन्य बैंकों में शेष तथा मांग व अल्प सूचना पर राशि सहित नकद व नकद तुल्य

Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice:

नकद व नकद तुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents	31.03.2019	31.03.2018
आरबीआई में शेष व नकद / Cash & Balance with RBI	29,921.43	22,102.41
बैंकों में शेष तथा मांग व अल्प सूचना पर राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	36,609.81	28,122.19
कुल / Total	66,531.24	50,224.60

अरविंद कुमार
मंडल प्रबंधक
ए. मणिमखलई
कार्यपालक निदेशक

अमित मित्तल
सहायक महा प्रबंधक
देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एम स्वामिनाथन
सहायक महा प्रबंधक
एम वी राव
कार्यपालक निदेशक

एम जी पंडित
उप महा प्रबंधक
आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

वी रामचंद्र
महा प्रबंधक
टी एन मनोहरन
अध्यक्ष

सुचीन्द्र मिश्रा
निदेशक

कृष्णमूर्ति एच
निदेशक

वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

कृते
डाग्लिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 000671S
(पी मनोहर गुप्ता)
साझेदार
सदस्य सं. 016444

कृते
कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 001420S / S200034
(टी नागेंद्रनाथ)
साझेदार
सदस्य सं. 226246

कृते
डी. के. छाजर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 304138E
(नीरज के ज़ुनजुनवाला)
साझेदार
सदस्य सं. 057170

कृते
एस एन के एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 109176W
(अंकित डी दानावाला)
साझेदार
सदस्य सं. 119972

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 22.05.2019

ARVIND KUMAR
DIVISIONAL MANAGER

AMIT MITTAL
ASST. GENERAL MANAGER

M SWAMINATHAN
ASST. GENERAL MANAGER

M G PANDIT
DEPUTY GENERAL MANAGER

V RAMACHANDRA
GENERAL MANAGER

A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

M. V. RAO
EXECUTIVE DIRECTOR

R A SANKARA NARAYANAN
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

T.N. MANOHARAN
CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

KRISHNAMURTHY H
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For DAGLIYA & CO.
Chartered Accountants
FRN : 000671S

For KOMANDOUR & CO. LLP
Chartered Accountants
FRN : 001420S / S200034

For D. K. CHHAJER & CO.
Chartered Accountants
FRN : 304138E

For S N K & CO.
Chartered Accountants
FRN : 109176W

(P Manohara Gupta)
Partner
Membership No. 016444

(T. Nagendranadh)
Partner
Membership No. 226246

(Niraj K Jhunjunwala)
Partner
Membership No. 057170

(Ankit D. Danawala)
Partner
Membership No. 119972

PLACE : BENGALURU
DATE : 22.05.2019

नामांकन पत्र

सेवा में,
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
केनरा बैंक,
प्रधान कार्यालय : बंगलूर

प्रिय महोदय,

निदेशकों का निर्वाचन

आपके निर्दिष्ट दिनांक 10.06.2019 एवं एजीएम नोटिस दिनांक 18.06.2019 के संदर्भ में मैं, _____
चुनाव में भाग लेने हेतु निर्दिष्ट तिथि यथा शुक्रवार, 21.06.2019, को केनरा बैंक के प्रत्येक ₹10/- के _____ ईक्विटी
शेयरधारक हूँ, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंत्रण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों
का प्रतिनिधित्व करनेवाले निदेशक के रूप में 25 जुलाई 2019, बृहस्पतिवार को होने वाले बैंक शेयरधारकों की 17वीं वार्षिक आम बैठक में चुने
जाने के लिए _____ के निवासी श्री / श्रीमती _____ पुत्र / पुत्री / पत्नी
_____ को एतद्द्वारा नामित करता हूँ ।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलिओ संख्या (अभौतिकीकृत न हो तो)	
डीपी आईडी संख्या तथा ग्राहक आईडी संख्या (अभौतिकीकृत हो तो)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियाँ:

- नैगम निकाय का नामांकन है तो नामांकन के साथ जिस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है, उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रति होनी चाहिए ।
- प्रत्याशी का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षरों को बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट के पास उपलब्ध हस्ताक्षर के साथ मेल खाना चाहिए ।
- उपर्युक्त में से किसी कॉलम को रिक्त छोड़ दिए जाने से ब्यौरे को गलत पाए जाने से नामांकन अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

NOMINATION FORM

To
The Managing Director & CEO,
CANARA BANK
Head office: Bangalore.

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your intimation dt. 10.06.2019 & AGM notice dated 18.06.2019 I, _____
a shareholder of Canara Bank holding _____ equity shares of ₹10/- each as on Friday the 21.06.2019 (i.e.,
the specified date for participating in the Election do hereby nominate Sri/ Smt. _____
son / daughter / wife of _____ residing at _____ for being elected as a Director
of Canara Bank representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3) (i) of The Banking companies
(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the 17th Annual General Meeting of the Shareholders of the
Bank to be held on Thursday, the 25.07.2019.

Signature	
Name	
Number of shares	
Regd. Folio No. (If not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

1. In case of nomination by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the Meeting at which it was passed.
2. Signature of the Shareholders nominating the candidate should match with the specimen signature available with the share transfer agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

घोषणा

(प्रत्याशी द्वारा)

(केनरा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2000 के विनियमन 65 का संदर्भ लें)

मैं _____ पुत्र / पुत्री / पत्नी
श्री / श्रीमती _____ निवासी _____ एतद्वारा पुष्टि करता / करती हूँ कि

- क. मैं निर्वाचन में भाग लेने के लिए यथा **शुक्रवार, 21 जून 2019** अर्थात् विनिर्दिष्ट तिथि को बैंक के प्रत्येक के ₹10/- के _____ ईक्विटी शेयरों का धारक हूँ, तथा घोषणा करता हूँ कि कार्यकाल की समाप्ति तक शेयर धारण करूंगा, यदि बैंक के निर्देशक के रूप में निर्वाचित होता हूँ
- ख. मुझे *(i) कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग या _____ (भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार में बैंक हेतु उपयोगी) विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है और अधिनियम की उप धारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं व किसानों, श्रमिकों व कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और उसके साक्ष्य के रूप में मैं एतद्वारा संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करता / करती हूँ; और
- ग. मैं _____ संख्यक नामांकनों को स्वीकृत करता / करती हूँ; और
- घ. मैं केनरा बैंक के निदेशक के लिए के लिए चुनाव में भाग लेना चाहता / चाहती हूँ; और
- ङ. मुझे बैंकिंग कंपनी (अर्जन व वचन का अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2000 व इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संसूचनाओं व सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के गैर-आधिकारिक निदेशक के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने से अयोग्य नहीं किया गया; और
- च. मैं न तो किसी लाभ के पद पर हूँ और न ही किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 द्वारा परिभाषित अनुषंगी बैंक का / की कर्मचारी हूँ; और
- छ. मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूँ; तथा मैं विशेष रूप से घोषणा करता हूँ कि:
- ज. मुझे कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या कोई भुगतान निलंबित नहीं है या ऋणदाता को बकाया नहीं है;
- झ. मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही है व ऐसा ही सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित है एवं नैतिक अधमता वाले किसी भी अपराध में फ़ौजदारी अदालत द्वारा मैं दोषी नहीं हूँ ।
- ञ. मुझे किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्धोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है;
- ट. मैं किसी भी वर्ग के तहत किसी भी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान या भा.रि.बै. या बीमा कंपनी का निदेशक नहीं हूँ ।
- ठ. मैं किसी भी अवक्रय, वित्तपोषण निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों के साथ जुड़ा नहीं हूँ, और ना ही मैं एक सांसद / विधायक / विधान परिषद का सदस्य / शेयर दलाल हूँ;
- ड. मैं विगत समय में किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या भा.रि.बै. या बीमा कंपनी में दो अवधि या छ वर्षों हेतु किसी भी वर्ग के तहत, जो भी दीर्घ हो व चाहे निरंतर हो या मध्यस्थ, के बोर्ड का निदेशक नहीं रहा हूँ ।
- ढ. मैं निर्वाचित हो जाने पर, बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध को समाप्त कर दूंगा, यदि कोई हो, और निदेशक के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान और उसके बाद दो वर्षों के लिए बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं करूंगा;



DECLARATION

(BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000)

I, Shri/Smt _____ son / daughter / wife of
Shri / Smt. _____, a resident of _____ hereby confirm that:

- a. I am a shareholder holding _____ equity shares of ₹10/- each of the Bank as on **Friday, 21.06.2019** i.e., the specified date for participating in the elections and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;
- b. I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or _____ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors, or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials;
- c. I accept the nominations numbering _____;
- d. I am willing to contest for the election of Directors of Canara Bank;
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and Notifications issued by Reserve Bank of India in this regard and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks;
- f. I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;
- g. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and I specifically declare that:
- h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors;
- i. I have not been found to be of unsound mind and stand so declared by a competent court and has not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude.
- j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court;
- k. I am not a Director of any other Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company under any category;
- l. I am not connected with any hire-purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities and I am not a MP / MLA / MLC / Stock Broker;
- m. I have not been a Director on the Board of any Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past, under any category for two terms or six years, whichever is longer and whether continuously or intermittently.
- n. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter;

- ण. मैं वर्तमान में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म में एक सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में शामिल नहीं हूँ;
- त. मैं किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में भागीदार नहीं हूँ, जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर या समवर्ती ऑडिटर के रूप में लगी हुई है;
- थ. मैं इस घोषणा के बाद होने वाली घटनाओं को, यदि कोई हो, यथाशीघ्र पूरी तरह से बैंक को सूचित करूंगा, जो कि सूचना प्रदान करने के लिए प्रासंगिक है और बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन पर विलेख संविदा का निष्पादन करने के लिए प्रासंगिक है।
- द. मैं बैंक के निदेशक के रूप में इस पद को धारण पर्यंत समय समय पर संशोधित सेबी (सूची और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूँ।
- ध. मैं अपने वर्तमान के साथ-साथ अन्य कंपनियों / बैंकों में पिछले निदेशक पद का विवरण निम्नानुसार देता हूँ:

कंपनी / बैंक का नाम	निदेशक पद का विवरण अर्थात् कार्यकाल, अवधि आदि

- न. मैंने अपने व्यक्तिगत विवरण संलग्न पीडीयू फॉर्म – सभी मामलों में व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनपत्र में संलग्न किए हैं, जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सर्वथा पूर्ण है।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलिओ संख्या (अभौतिकीकृत न हो तो)	
डीपी आईडी संख्या तथा ग्राहक आईडी संख्या (अभौतिकीकृत हो तो)	
स्थान	
दिनांक	

जज, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्युरेंस या अथवा राजपत्रित अधिकारी या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक या केनरा बैंक या कोई राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

उपर्युक्त घोषणा मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए

हस्ताक्षर व मुहर – दिनांक सहित

* जो लागू हो उस पर ✓ करें।

- o. I am not a partner in any Chartered Accountant Firm currently engaged in any Public sector Bank as a Statutory Central Auditor;
- p. I am not a partner in any Chartered Accountant Firm currently engaged in any Nationalized Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor;
- q. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.
- r. I undertake to comply relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 as amended from time to time till I hold the position as a Director of the Bank.
- s. I give below the details of my present as well as past directorship in other Companies / Banks:

Name of the Company / Bank	Directorship details viz. tenure, period etc.

- t. I enclose my personal details in the enclosed PDU Form – Personal Information, Declaration and Undertaking, which to the best of my knowledge and belief are true and complete, in all respects;

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No. (If not dematerialised)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialised)	
Place	
Date	

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Canara Bank or any nationalised bank.

The above declaration was signed before me.

Signature and Seal with Date

* Tick whichever is applicable

अभ्यर्थी के बायोडाटा का प्रारूप

(व्यक्तिगत सूचना, घोषणा तथा वचन पत्र)

अभ्यर्थी का फोटो
यहां चिपकाएं

I. प्रत्याशी का व्यक्तिगत ब्यौरा		
क	पूरा नाम	
	पिता का नाम	
ख	जन्म तिथि	
ग	राष्ट्रीयता	
घ	शैक्षणिक योग्यता	
ङ	संबद्ध पृष्ठभूमि तथा अनुभव	
च	स्थायी पता	
छ	वर्तमान पता	
ज	ई-मेल पता / दूरभाष संख्या / मोबाइल संख्या	
झ	आय कर अधिनियम के तहत स्थायी लेखा संख्या तथा आय कर सर्कल का नाम व पता	
ञ	संबद्ध ज्ञान और अनुभव (बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3-ए) का संदर्भ लें)	
ट	बैंक के निदेशक के लिए संबद्ध कोई अन्य सूचना	
II. उम्मीदवार के रिश्तेदार		
क	प्रत्याशी के संबंधियों की सूची यदि बैंक से जुड़े हों। {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) देखें}	
ख	ऐसे निकायों की सूची जिनमें प्रत्याशी का हित है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 और धारा 2 (49) देखें)	
ग	ऐसे निकायों की सूची जिनमें प्रत्याशी को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 5(एन ई) के अंतर्गत पर्याप्त हित धारक माना गया है।	
घ	बैंक का नाम जिसमें प्रत्याशी बोर्ड का सदस्य हो या रहा हो (पद धारण की अवधि का ब्यौरा दें)।	
ङ	प्रत्याशी या उपर्युक्त II के (ख) व (ग) में सूचीबद्ध निकायों में से संप्रति उपभुक्त निधि और निधीतर सुविधाएं।	



FORMAT FOR BIODATA OF THE CANDIDATE
(Personal Information, Declaration and Undertaking)

Affix
Candidate's
photo here

I. Personal Details of Candidate		
a.	Full Name Father's Name	
b.	Date of Birth	
c.	Nationality	
d.	Educational Qualifications	
e.	Relevant Background and Experience	
f.	Permanent Address	
g.	Present Address	
h.	E-mail Address Telephone Number – Landline Mobile Number	
i.	Permanent Account Number under the Income Tax Act and name and address of Income Tax Circle	
j.	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980	
k.	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II. Relevant Relationships of Candidate		
a.	List of Relatives if any who are connected with the Bank {Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013}	
b.	List of entities if any in which he/she is considered as being interested {Refer Section 184 and Section 2(49) of the Companies Act, 2013}	
c.	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
d.	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him / her and / or by entities listed in II (b) and (c) above from the bank	

च.	बैंक या किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मामले में प्रत्याशी या उपर्युक्त (ख) व (ग) में सूचीबद्ध निकाय चूककर्ता हों या पहले रहें हो।	
III. व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड		
क.	संबद्ध व्यावसायिक उपलब्धियाँ (सहायक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जाए)	
IV. प्रत्याशी के विरुद्ध, यदि कोई, कार्यवाही की गई हो तो		
क	प्रत्याशी किसी व्यवसायिक संगठन / निकाय का सदस्य हो तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई विलंबित या शुरू की गई या पूर्व में दोषी ठहराया गया या प्रत्याशी को किसी व्यवसाय / पेशे में प्रविष्ट होने से रोका गया है।	
ख	आर्थिक विधियों और विनियमों का उल्लंघन करने के कारण प्रत्याशी या / और उपर्युक्त II के (ख) व (ग) में सूचीबद्ध निकायों के विरुद्ध विलंबित या शुरू या पूर्व में दोषी ठहराया गया है तो उनका ब्यौरा।	
ग	निदेशक के विरुद्ध विलंबित या शुरू या पूर्व में दोषी ठहराये गये आपराधिक मामलों का ब्यौरा।	
घ	क्या उम्मीदवार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित किसी भी अयोग्यता के तहत आता है?	
ङ	सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने पर प्रत्याशी या उपर्युक्त II के (ख) व (ग) में सूचीबद्ध निकायों के विरुद्ध कोई जाँच पड़ताल की गई?	
च	उम्मीदवार को कभी भी सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, यदि ऐसा है तो विवरण दें।	
छ	क्या प्रत्याशी को कभी सेबी, इरडा, डी सी ए, एम सी ए, फेमा, सिबिल आदि जैसे नियंत्रकों के प्रतिकूल नोटिस आए ? (यद्यपि किसी प्रत्याशी के लिए विनियमकों द्वारा की गई आदेशों तथा जांचों को जिन्हें बाद में पूरी तरह से वापस ले लिया गया हो तो उसे वर्णित किया जाना आवश्यक नहीं होगा, तथापि वैसे वापसी जो तकनीकी कारण जैसे सीमित या क्षेत्राधिकार की कमी इत्यादि के कारण हो तथा योग्यता के आधार पर नहीं हो तो उसे वर्णित किया जाना आवश्यक होगा। यदि विनियमकों का आदेश अस्थायी रूप से आस्थगित किया गया है तथा अपीलीय / न्यायालय की कार्यवाही लंबित है तो उसका वर्णन किया जाना चाहिए।)	
V.	उपर्युक्त I से III तक की मदों से संबंधित कोई अन्य स्पष्टीकरण / सूचना और योग्य और उचित मानी संबद्ध अन्य सूचना।	



f.	Cases, if any, where the director or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	
III. Records of professional achievements		
a.	Professional achievements relevant (copies of supporting documents to be enclosed)	
IV. Proceedings, if any, against the Candidate		
a.	If the candidate is a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him / her or whether he / she has been banned from entry of at any profession / occupation at any time.	
b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and / or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations.	
c.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate	
d.	Whether the candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act 2013?	
e.	Has the candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
f.	Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars.	
g.	Whether the candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, MCA, RBI, FEMA, CIBIL etc., (Though it shall not be necessarily for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto., it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc., and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned.)	
V.	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper.	

VI.	क्या उम्मीदवार ने अपने / अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बैंक के साथ कोई कारोबार किया है? यदि ऐसा है तो, विवरण दें।	
VII.	अपना दायित्व निभाने में उम्मीदवार / निदेशक क्या किसी व्यक्ति या संस्थान या बैंक या कंपनी आदि के निर्देशों या अनुदेशों पर कार्य कर रहा है? यदि ऐसा है तो, विवरण दें।	
	घोषणा:	
	मैं पुष्टि करता / करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही व पूर्ण है। इस घोषणा के बाद घटित होने वाली घटनाओं के बारे में यथाशीघ्र बैंक को पूर्णतया सूचित रखने का वचन देता / देती हूँ। मैं बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने पर प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का भी वचन देता / देती हूँ।	
	स्थान:	
	दिनांक:	उम्मीदवार के हस्ताक्षर
<p>अनुलग्नक : 1. जहाँ पर जगह पर्याप्त नहीं है, वहाँ पर सूचना अनुलग्नक के तौर पर क्रमानुसार उचित संदर्भों के साथ प्रदान करें। 2. प्रत्येक पृष्ठ (अनुलग्नक सहित) पर प्रत्याशी हस्ताक्षर आवश्यक है।</p>		

नामांकन समिति की टिप्पणियाँ / अभ्युक्तियाँ

नामांकन समिति के सदस्य के हस्ताक्षर	नामांकन समिति के सदस्य के हस्ताक्षर	नामांकन समिति के सदस्य के हस्ताक्षर
स्थान : दिनांक :	स्थान : दिनांक :	स्थान : दिनांक :

VI.	Has the candidate in his / her individual capacity undertaken any business with the Bank ? If so, give particulars	
VII.	In carrying out his / her duties, will the candidate / director be acting on the directions or instructions of any individual or institution or bank or companies etc., If so, give particulars.	
	Undertaking	
<p>I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.</p> <p>I also undertake to execute the deed of covenants required to be executed by the directors of the Bank.</p>		
	Place :	Signature of the Candidate
	Date :	
<p>Enclosures : 1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference. 2. Each pages (including annexure) are required to signed by the Candidate.</p>		

Observations / Remarks of the Nomination Committee

Signature of Nomination Committee member	Signature of Nomination Committee member	Signature of Nomination Committee member
Place :	Place :	Place :
Date :	Date :	Date :



(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर- 560 002

उपस्थिति पर्ची
सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक : 25.07.2019
(कृपया हाजिरी पर्चा भरकर उसे बैठक हाल के प्रवेश द्वार पर सुपुर्द करें)

दिनांक:		समय:	
स्थान:	बेंगलूर		
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो (यदि अभौतिकीकृत न हो)	डी.पी.आई.डी.		
	ग्राहक आई.डी.		
	(यदि अभौतिकीकृत हो)		
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			



यहाँ से काटें



प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर - 560 002

प्रवेश पास
17वीं एजीएम - 25.07.2019
(पूरी बैठक के दौरान पास रखना है)

शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो (यदि अभौतिकीकृत न हो)	डीपीआईडी सं		
	ग्राहक आईडी सं		
	(यदि अभौतिकीकृत हो)		
उपस्थित प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

बैठक स्थल में प्रवेश करने के लिए शेयरधारकों / शेयरधारक के प्रॉक्सी / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक के पास पंजीकृत अपने नमूने हस्ताक्षरों के अनुरूप उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पास के साथ दिखाएं। शेयरधारक / प्रॉक्सी धारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश अनुमत किया जाना आवश्यक समझे जानेवाले सत्यापन / जांच के अधीन होगा और उनको सूचित किया जाता है कि वे पहचान का वैध साक्ष्य यानि वोटर आई.डी. कार्ड / नियोक्ता पहचान पत्र / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि अपने साथ रखें। किसी भी स्थिति में बैठक स्थान में किसी प्रकार की डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।



यहाँ से काटें



प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर - 560 002

17वीं एजीएम - 25.07.2019
(मतदान पत्र / ओटीपी जारी कराने के लिए मतदान काउंटर पर प्रस्तुत करें)

शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो (यदि अभौतिकीकृत न हो)	डीपीआईडी सं		
	ग्राहक आईडी सं		
	(यदि अभौतिकीकृत हो)		
उपस्थित प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			



(A Government of India Undertaking)
HO : # 112, J C ROAD BENGALURU - 560 002

ATTENDANCE SLIP
17th ANNUAL GENERAL MEETING – 25.07.2019
(to be surrendered at the time of entry)

Date:		Time :	
Place:	Bengaluru		
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			
Regd. Folio (if not dematerialised)	DPID No.		
	Client ID No.		
		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			



Cut here



Head Office, Bengaluru- 560 002
ENTRY PASS
ENTRY PASS – 17th AGM – 25.07.2019
(to be retained throughout the meeting)

Name of the Shareholder			
Number of shares			
Regd. Folio (if not dematerialised)	DPID No.		
	Client ID No.		
		(If dematerialised)	
Name of the Proxy/Representative present			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised representative			

Shareholders/Proxy or representative of Shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. **UNDER NO CIRCUMSTANCES, ANY DUPLICATE ATTENDANCE SLIP WILL BE ISSUED AT THE VENUE.**



Cut here



Head Office, Bengaluru- 560 002
17th AGM – 25.07.2019
(to be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper/OTP)

Name of the Shareholder			
Number of shares			
Regd. Folio (if not dematerialised)	DPID No.		
	Client ID No.		
		(If dematerialised)	
Name of the Proxy/Representative present			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised representative			

केनरा बैंक  Canara Bank

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: #112, जे सी रोड, बेंगलूरु - 560 002

17वीं वार्षिक सामान्य बैठक : 25.07.2019

फॉर्म "बी"

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)


मैं / हम निवासी जिला राज्य केनरा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री / श्रीमती निवासी जिला राज्य को, अथवा इनके न होने पर, श्री / श्रीमती निवासी जिला राज्य को ज्ञानज्योति सभागृह, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूरु - 560 001 में दिनांक 25 जुलाई, 2019 बृहस्पतिवार को प्रातः 10.30 बजे होने वाली केनरा बैंक के शेयरधारकों की सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे / हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ / करते हैं।

आज वर्ष 2019 माह के दिन को हस्ताक्षरित रजिस्टर्ड फोलियो सं. / ग्राहक आई डी : शेयरों की सं.

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम और पता:

.....



.....
प्रथम नामित / एकल धारक के हस्ताक्षर

प्रतिनिधि फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि
 - एकल शेयरधारक के मामले में उस पर उनके द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - एक निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
- यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो प्रतिनिधि लिखत में उसका हस्ताक्षर तब पर्याप्त माना जाएगा, जब उस पर उसका निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्यूरेंस अथवा सरकारी राजपत्रित अधिकारी या फिर केनरा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो।
- प्रतिनिधि फॉर्म के साथ,
 - मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार (यदि कोई हो), जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
 - किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकार की एक प्रति के साथ वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् 20 जुलाई 2019, शनिवार तक कार्यसमय में केनरा बैंक, सचिवालय प्रभाग, प्रथम तल, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूरु - 560 002 में जमा किया जाए।
- यदि संबंधित मुख्तारनामा केनरा बैंक या शेयर अंतरण एजेंट के साथ पंजीकृत किया गया हो, तो मुख्तारनामे का पंजीयन संख्या और ऐसे पंजीयन का दिनांक का उल्लेख करना होगा।
- कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि वह फार्म 'बी' में न हो और उसको विधिवत् स्टाम्पित न किया गया हो।
- बैंक के पास जमा की गई प्रतिनिधि लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी।
- यदि कोई प्रतिनिधि लिखत, दो ग्राहकों के पक्ष में दी गई है तो एक से ज्यादा फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जाएगा।
- प्रतिनिधि लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को उस वार्षिक सामान्य बैठक में स्वयं को मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है।
- ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो केनरा बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।



(A Government of India Undertaking)
HO : # 112, J C ROAD, BENGALURU - 560 002

17th Annual General Meeting – 25.07.2019

FORM 'B'

FORM OF PROXY

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We.....Resident ofin the district of..... in the State of being a shareholder /shareholders of the Canara Bank, hereby appoint Shri/Smt resident of.....in the State ofor failing him/her, Shri/Smt resident of in the district of in the State of as my / our proxy to vote for me/us and on my / our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank to be held on Thursday the 25th July, 2019 at 10.30 A.M. at *Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru – 560 001*, and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2019

Regd. Folio No./Client ID:

No. of Shares

Signature of Proxy

Name & Address:.....

Please affix
₹1.00
Revenue Stamp

.....
Signature of the first named / sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Canara Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with **Canara Bank, Secretarial Department, First Floor, Head Office 112, J C Road Bengaluru – 560 002** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of Saturday, the 20th July, 2019.
- In case the relevant Power of Attorney is already registered with Canara Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Canara Bank.



केरल के माननीय मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के लिए
₹5.01 करोड़ की डीडी योगदान के रूप में सौंपते हुए
श्री टी.एन. मनोहरन, अध्यक्ष और श्रीमती पी. वी भारती, कार्यपालक निदेशक ।

Shri T.N. Manoharan, Chairman and Smt P V Bharathi, ED, handing over a DD of ₹5.01 crore to the Hon'ble Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, as contribution towards the Chief Minister's Distress Relief Fund.



दिनांक 26.07.2018 को आयोजित 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक
की अध्यक्षता करते हुए श्री टी. एन. मनोहरन, अध्यक्ष
Shri T.N. Manoharan, Chairman presiding over the
16th Annual General Meeting on 26.07.2018



श्री एम.वी. राव, कार्यपालक निदेशक, माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली से सुगम बैंकिंग सुधार के तहत क्रेडिट ऑफ-टेक के लिए प्रथम 'रनर अप' पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

Shri M.V. Rao, ED, receiving 1st runner-up award for credit off-take under EASE banking reforms, from Shri Arun Jaitley, Hon'ble Union Finance Minister



नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संबल एवं संवर्धन कार्यक्रम में माननीय केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन के साथ भाग लेते हुए श्री देबाशीष मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक।

Shri Debashish Mukherjee, ED, attending Micro, Small and Medium Enterprise Support & Outreach Programme, along with Smt Nirmala Sitharaman, Hon'ble Union Defence Minister, in New Delhi.



सुश्री ए. मणिमेखलई, कार्यपालक निदेशक, ने केनरा उत्सव जो महिला उद्यमियों को संबल देने हेतु स्वरोजगार गतिविधियों को प्रोत्साहित कर और उन्हें बिक्री मंच प्रदान करने का कार्यक्रम है, का शुभारंभ किया।

Executive Director, Ms. A. Manimekhalai, inaugurated Canara Utsav - a programme for supporting women entrepreneurs by encouraging self-employment activities and providing a sales platform.



केनरा बैंक  **Canara Bank**
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
Together We Can

प्रधान कार्यालय: 112, जे सी रोड, बेंगलूरु - 560 002

Head Office: 112, J C Road, Bengaluru - 560 002